पंचायतीराज व्यवस्था

लेखक

डा विजय करण सिंह

प्राध्यापक लोक प्रशासन विभाग

राजकीय महाविद्यालय कोटा

आर बी एस ए पब्लिशर्स

340, चौड़ा रास्ता, जयपुर - 302003

प्रकाशक :
दीपक परनामी
आर बी एस ए पब्लिशर्स
340, चोडा रास्ता, जयपुर - 302003
फोन : 2575826

ISBN 81-7611-273-9

प्रथम संस्करण : 2005

टाईप सैटिंग :
एप्पल प्रिन्टर्स एण्ड आर्ट,
509 गणगौरी बाजार, जयपुर
फोन : 2320377

मुद्रक :
शीतल प्रिन्टर्स, जयपुर

आमुख

21वीं सदी में विश्व का विशालतम लोकतन्त्रात्मक राष्ट्र भारत समृद्ध-समुन्नत तथा जनापेक्षानुकूल प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रीकरण को मूलाधार पचायतीराज व्यवस्था के सशक्त प्रहरी के रूप में विश्व में अपनी पहचान कायम कर सके तथा यथार्थ के धरातल पर आम जनस्वायत्त व स्वशासन की सवाहक इन सस्थाओं के माध्यम से विकास कल्याण व निर्णयन एव सत्ता मे अपनी भागीदारी के प्रति सुनिश्चित एव सतुष्ट हो सके। इस हेतु स्वतत्रता के पश्चात् स्वतत्र भारत मे स्वतत्र समग्र जन की सत्ता में भागीदारी तथा सम्पूर्ण भारत के सतुलित व तीव्र विकास हेतु पचायतीराज व्यवस्था स्वीकार्य व व्यवहार में लाने को भारतीय राजनय सकल्प बद्ध हो गया और उस सकल्पबद्धता की परिणिती 2 अक्टूबर, 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पचायतीराज व्यवस्था के त्रिस्तरीय प्रारूप की शुरूआत से हुई और विकास व परिवर्तन के अनेक पडावों से गुजरती 73वें भारतीय सविधान सशोधन में परिप्रेक्ष्य मे राजस्थान सरकार के 23 अप्रैल, 1994 के नवीन सशोधित पचायतीराज अधिनियम की क्रियान्विती तक अद्यतन यह यात्रा जारी है।

प्रस्तुत पुस्तक में अध्ययन परिचय के साथ-साथ ग्रामीण भारत मे प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रीकरण की परपरा वैदिक काल-मध्यकाल एव वर्तमान काल के सदर्भो मे प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रीकरण के दर्शन की मीमासा प्रस्तुत की गई है। तत्पश्चात् पचायतीराज व्यवस्था के 73वे पचायतीराज व्यवस्था आधारित सवैधानिक सशोधनपूर्व एव पश्चात्वर्ती प्रारूपो का सरचनात्मक-कार्यात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। साथ ही नवीन एवं पुरातन सविधान आधारित के सरचनात्मक-कार्यात्मक स्वरूप का तुलनात्मक अध्ययन इस पुस्तक में देने का यत्किचन प्रयास भी किया गया है। शोध अध्ययन को वास्तविकता के धरातल पर ज्यादा विश्वसनीय एव उपयोगी बनाने हेतु उत्तरदाताओं की सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि का अध्ययन व्यापक तौर में कर निष्कर्षो के यथोचित प्रभावी एव ज्यादा जनोपयोगी एव

शोधारित करने का एक प्रयास किया गया है ताकि पचायतीराज व्यवस्था में सुधार प्रारूप के एक दशक की परिणिति की प्रभावशीलता के व्यापक दर्शन हमें हो सकें। सुधी पाठकों, शोधार्थियों एव शिक्षकों अधिकारियों एव पचायतीराज अधिकारियों, कार्मिकों, जनप्रतिनिधियों एव जनता के समक्ष भी एक वास्तविक तस्वीर प्रस्तुत करने का मैंने लघु प्रयास किया है। सुधार हेतु सदैव सुझाव ससम्मान आमत्रित स्वीकार्य एव प्रतिक्षारत हैं। आशा है मेरी यह कृति आपको यथार्थता के एहसास की प्रभावी अभिव्यक्ति करवाने में सफल होगी तथा प्रकाशित पुस्तक की लेखन सामग्री पचायतीराज से जुडे सभी वर्गों के कर्मियों के प्रशिक्षण एव ज्ञानार्जन का एक सशक्त माध्यम होगी क्योंकि इसमें पचायतीराज के सैद्धातिक-सवैधानिक दार्शनिक व व्यावहारिक पक्षों को सशक्त तरीके से प्रस्तुत करने के प्रयास की सकल्पबद्धता ही इसकी उपादेयता एव सुधिपाठकों के विश्वास पर खरी उतरने का माध्यम होगी।

प्रस्तुत कृति "राजस्थान में पचायतीराज व्यवस्था का सरचनात्मक-कार्यात्मक अध्ययन" वक्त का विवेक एव वक्त की माग पुस्तक लेखन की जनोपयोगी एवं विषयोपयोगी अपरिहार्यता तथा महत्ता अनुसधित्सु की मूल प्रेरणा रही है। पूर्ववर्ती पचायतीराज व्यवस्था तथा नवीन प्रारूपाधारित पचायतीराज के सगठन एव कार्यों का तुलनात्मक अध्ययन राजस्थान के विशेष सदर्भ में करने का सैद्धातिक एव अनुभवमूलक यत्किचन प्रयास की ही प्रस्तुत कृति परिणिति है। इस पुस्तक को यह आकृति प्रदान करने में मेरे गुरूजनों, स्वजनो, मित्रजनों के योगदान मेरे लिए प्रणम्य एव स्तुत्य है। पुस्तक लेखन की मगलमयी बेला मे मेरी स्मृति के अक्षय कोष में सुरक्षित उन सभी आत्मीयजनों के प्रति भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। जिन्होंने प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से अपना अमूल्य सहयोग मुझे प्रदान किया।

प्रथमत मैं यह कृति डॉ चन्द्रमौली सिह सह आचार्य लोक प्रशासन विभाग राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर की सेवा मे प्रस्तुत करते हुए उनके प्रति प्रणत हूँ। उनकी अनन्य प्रेरणा, उत्साहवर्धन ही मूलत पुस्तक के आरम्भ व सम्पूर्णता का एक मात्र कारण रहा है। यह अतिश्योक्ति नहीं यथार्थ ही है कि मेरे विद्यार्थी जीवन से लेखकीय जीवन तक की यात्रा के सच्चे पथप्रदर्शक आप ही रहे हैं। जो कुछ आज अच्छा है और भविष्य में अच्छा होगा वह उन्हीं की बदौलत होगा। साथ ही मैं श्रीमती आनन्द सिह के प्रति भी अपनी विनयावनत कृतज्ञता हृदय के गहनतम अन्त स्थल से प्रकट करना चाहता हूँ जो मेरे जीवन यात्रा में हर समय अपने अमूल्य सुझावों व सहायता व प्रोत्साहन से मुझे अनुग्रहीत करती रही। डॉ सिह एव श्रीमती सिह दोनो ही मेरे समानधर्मी भाग्यसर्जक रहे हैं। जिनके आशीर्वाद स्नेह प्रेरणा, प्रोत्साहन एव सहयोग के अभाव में यह लेखन मेरे लिए असभव था। इस कृति के प्रत्येक शब्द और मेरे जीवन में अद्यतन सफलता के हर पल आप ही के आशीर्वाद के श्रीफल हैं। मेरे कटकाकीर्ण मार्ग के सहगामी और अधकारमयी जीवन

के कालखण्ड की द्वीप ज्योति जो सदैव मुझे आलोकित करती रही है व करती रहेगी वो भी आप ही हैं।

इस शोधकर्म में राजस्थान विश्वविद्यालय में सम्माननीय गुरूजनों प्रो पी सी माथुर प्रो पी एस भटनागर, प्रो अशोक शर्मा तथा प्रो मधुकर श्याम चतुर्वेदी का आशीर्वाद तथा समय-समय पर विषयजनित अमूल्य सलाह प्रेरणा व मार्गदर्शन प्राप्त होता रहा जिसके लिए मैं उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना अपना परम कर्तव्य समझता हूँ।

भारत की प्रथम महिला जिला प्रमुख श्रीमती नगेन्द्र बाला पदमश्री श्री सूर्यदेव सिंह पूर्व प्रधान एव विधायक श्रीमान् भरत सिंह जिला प्रमुख झालावाड श्री सुजान सिंह गुर्जर द्वारा दिये गये अमूल्य समय सुझाव व सहयोग हेतु मैं अत्यन्त आभारी हूँ। जिससे विवेचन पुस्तक आकृति ले सका।

लेखन कार्य में वाछित सहकार हेतु मैं राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कोटा के उपाचार्य प्रो डी एम गाधी तथा उपाचार्य प्रो सावरिया के प्रति विनयावनत कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। साथ ही अपने विद्वत मित्र डॉ गोविन्द सिंह का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। जिन्होंने समय-समय पर मुझे लेखन सामग्री व विवेचन सम्बन्धी अमूल्य सुझाव व सहायता प्रदान की।

पुस्तक लेखन की सम्पूर्ण यात्रा के पग-पग पल-पल अप्रतीम योगदानी मेरे प्रिय अनुज द्वय मुख्य विधि परामर्शी श्री शुक्तिय सिंह एव अधिवक्ता राजस्थान उच्च न्यायालय श्री करणी सिंह को आशीर्वाद और धन्यवाद की विपुल सद्भावनाओं के साथ इस मागलिक कार्य की सम्पन्नता हेतु हृदय के अंत स्थल से आभारोक्ति की एक रस्म अदायगी मेरे लिए अत्यन्त आनन्द का पुनीत अवसर है।

अन्त पुर की समस्याओ को स्वय सहते-सुलझाते रहने के साहस और मुझे लेखनकर्म में तल्लीन बनाये रखने व प्रतिपल सहयोग हेतु मैं अपनी जीवनसगिनी श्रीमती प्रेमलता सिंह को कोटिश धन्यवाद व कृतज्ञता सुमन अर्पित करना चाहता हूँ। जिन्होंने मुझे लेखनकाल के दौरान अत पुर आवटित समय को लेखन हेतु समर्पित कर अनन्यता विवेक और दृढसकल्पता का परिचय दिया। मैं अपनी सुकन्या त्रय सुश्री सुचेता सिंह श्वेता सिंह एव श्याती सिंह के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करना नहीं बिसरूगा जिन्होंने वात्सल्य व स्नेह का अमूल्य समय लेखन कर्म को समर्पित करने हेतु मुझे सहकार प्रदान किया। प्रस्तुत पुस्तक के शोधारित अध्ययन के निष्कर्षों एव सुझावों को राजस्थान प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा जारी पचायतराज व्यवस्था में सुधार हेतु प्रतिवेदन में शामिल किया गया है। तथा निवर्तमान पचायतीराजमत्री श्रीमान् शाति धारीवाल साहब द्वारा अपने मत्रित्व काल मे इस पुस्तक के शोधारित निष्कर्षों के सन्दर्भ के कई महत्त्वपूर्ण निर्णय लिए गये तथा विधानसभा एव पचायतीराज पदाधिकारियो के साथ बैठकों एव विचार विमर्श एव

पंचायती राज व्यवस्था मे सुधार हेतु निर्णयों एवं विचार मंथन का मुख्याधार भी इस अध्ययन के निष्कर्ष-सुझाव रहे हैं।

अंत में मैं इस कृति को संगणक द्वारा सुन्दर सुअंकन कर ग्रन्थ को आकृति में एलने वाले शिल्पी टंकक और मेरे सुशिष्य श्री नवदीप सक्सेना तथा श्री जयदेव शर्मा को तहे दिल के धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। जिन्होंने अपने अपने श्रम, समय व कौशल से अपने गुरूऋण को प्रसन्नता के साथ समर्पित कर एक सुन्दर सगणकीय टंकण शिल्प युक्त ग्रन्थ प्रस्तुति हेतु तैयार किया। अपने सभी शुभचिंतको सहित प्रकाशक आर.बी एस.ए. पब्लिशर्स का मैं अंततः धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ।

डॉ. विजय करण सिंह

अनुक्रमणिका

समर्पणसुमन

समर्पित है कि यह कृति असामयिक ब्रह्मलीन पीडित मानवता के प्रति मानवीय पचायत व्यवस्था एव पचायतजन समर्पित पूजनीय पिताश्री को।

और वात्सल्य एव ममता के छायागन में पालनहारी श्रद्धेय माता श्री को जिन्होंने पिताश्री के असामयिक देहावसान की असह्य वेदना सहते हुए भी सब कुछ स्वय सहकर, हम सब को अपने आँचल की ओट की ममतामयी ढाल से सदैव सरक्षित किया। आज यह कृति मैं उनके श्रीचरणो मे अर्पित करते हुए अनवरत सर्जनाधर्मी बने रहने के सकल्प के साकार का आशीर्वाद चाहता हूँ।

त्वदीय वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये।

1

अध्ययन परिचय

भारत विश्व का सफलतम लोकतांत्रिक देश है। 1947 के पश्चात् पंचायतीराज सस्थाओं को स्वायत्तशासन का माध्यम व लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण का सवाहक माना गया तथा 73वें सविधान सशोधनों के द्वारा इन्हें सवैधानिक आधार प्रदान किया गया। प्रस्तुत अध्याय मे शोध हेतु प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रीकरण, विकास व कल्याण की सरक्षक इन सस्थाओं के बारे मे शोध एव सुझावों हेतु अनेक आयोग एव समितिया बैठी जिनकी अभिशपाओं पर आधारित इन सस्थाओ के कार्यकारी चरित्र पर अनेक प्रश्न चिन्ह लग गये तथा 1959 मे राजस्थान मे बलवतराय मेहता द्वारा अभिशंपित पंचायतीराज की त्रिस्तरीय व्यवस्था के 73वें सवैधानिक सशोधन द्वारा नया स्वरूप प्रदान किया। अत लोकतंत्र के आधार स्तम्भ पंचायतीराज के पुरातन एव नूतन चरित्र जिसे आज दूसरा दशक होने जा रहा है का तुलनात्मक मूल्यांकन समय की *आवश्यकता के अनुरूप महत्ता को भी उजागर करता है।*

अध्ययन परिचय

गगा जल सी स्वच्छ पारदर्शिता, हिमालय की उन्नत चोटी सा पवित्र उन्नत लक्ष्य रामराज्य जैसा कल्याणकारी सत्तात्मक आदर्श महाकुभ जैसे विशाल जन सैलाब सा अनुशासन सहकार और पवित्र भावनाएँ कश्मीर से कन्याकुमारी तक एकता व भाईचारा ग्राम सभा से लोकसभा तक भारतीय लोकतत्र का पथ प्रदर्शक आधार है जो पचपरमेश्वर के आदर्श भाव को आज की लोकतान्त्रिक सस्थाओ मे विद्यमानता हेतु उद्यत है। प्रजातंत्र तथा प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रीकरण की परम्परा भले भारत की अतीत का भाग रहा है। किन्तु दुखद् सत्य यही है कि विगत कुछ शताब्दियो में तो कठोर केन्द्रीकृत व्यवस्था ही प्रभावी रही है तथा वह भी मुख्यत विदेशी भूमि सचालित अथवा विदेश से आये निरकुश शासकों द्वारा प्रवधित फलत. भारत मे प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रीकरण का वर्तमान स्वरूप देशी राजतत्रों विदेशी मुगल व अंग्रेजी निरकुश तानाशाही के *अति-अमानवीय सत्ता शैली* के विरुद्ध 19वीं, 20वीं सदी मे *विश्वजनमानस के जागृति होने* की परिणिति का प्रतिफल कहा जा सकता है। भारत में आम

सहमति तथा पच फैसलों की अपनी परम्परा रही है। सस्थागत भी वैचारिक भी लेकिन वो राजतत्रो की निरकुशशाही के शुद्र स्वार्थो के कारण अपना व्यापक व सुदृढ स्वरूप नहीं ले पायी।

सदियो से गरीब शोषित बहुसख्यक तबका भारत में ही नहीं वरन् सम्पूर्ण विश्व में अपनी शोषण से मुक्ति तथा निर्णय व सत्ता में भागीदारी तथा कल्याण व विकास का सपना देख रहा था। 1947 म आजादी के पश्चात् भारत में राजशाही की समाप्ति तथा लोकतत्रों के आगमन के साथ ही प्रजातत्र व प्रजातात्रिक विकेन्द्रीकरण का आगमन हुआ। हालांकि राजस्थान मे ग्राम पचायत अधिनियम, 1953 के साथ ही ग्राम पचायत एव ग्राम सभा का प्रावधान कर प्रजातात्रिक विकेन्द्रीकरण के विचार एव व्यवहार का प्रस्फुटन हो गया था। एक सस्थागत रूप मे सत्ता एव निर्णय में जनभागीदारी के त्रिस्तरीय जनतात्रिक स्वरूप का सस्थागत रूप मे शुभारम्भ 1959 मे राजस्थान के नागौर जिले में पण्डित जवाहर लाल नेहरू द्वारा पचायती राज अधिनियम 1959 के तहत कियागया। जो त्रिस्तरीय पचायतीराज व्यवस्था प्रारूप 1959 कहलाया।

20वीं सदी की प्रजातत्र की आधी ने औपनिवेशिक सत्ताओं राजतत्रों एव राजतत्रात्मक व्यवस्थाओं को उखाड फेंका तथा विकास सत्ता व निर्णय में अधिकतम सभव जनभागीदारी पचायत राज के माध्यम से सुनिश्चित की गई। जिसका सरचनात्मक-कार्यात्मक स्वरूप स्वतत्र भारत के राजनेताओं एव सविधान विशेषज्ञों तथा प्रजातत्र प्रेमियो द्वारा तैयार करवाया गया हैं यह स्वरूप आजादी के बाद एक लम्बे समय तक अनेक परिवर्तनों स्वीकृतियों एव अस्वीकृति को जनभागीदारी को स्वीकार करते हुए प्रजातात्रिक विकेन्द्रिकरण का नायकत्व करता रहा हैं लेकिन लोकमानस मे सर्वग्राह्यता व लोकप्रियता का स्वरूप राजनीति एव प्रशासनिक कारणों से नहीं ले सका और इसमें भारतीय जनमानस जननेता परिवर्तन की महती आवश्यकता महसूस करने लगे। सत्ता विकेन्द्रीकरण की सशक्त माध्यम पचायतीराज सस्थाऐं आज अधिकार विहीनता, वित्तीय स्त्रोत विहीनता, राजनीतिक लक्ष्य प्राप्ति की साधन मात्र, *अशिक्षित, अयोग्य एव असक्षम जनप्रतिनिधियो एव समग्र समाज के जनप्रतिनिधित्व* का अभाव जैसी खामियो से नकारा, मृतप्राय एव भ्रष्टाचार व अनियमितता एव राजनीतिक अखाडो का केन्द्र मात्र बन कर रह गयी है।

जनप्रतिनिधित्व, लोकतात्रिक विकेन्द्रिकरण, जनता की सत्ता व निर्णयन में भागीदारी तथा जन एव क्षेत्रीय विकास एव कल्याण की स्वतत्र भारत के स्वतत्रजन की अभिलाषाऐं धूल धूसरित हो गई। कई आयोग एव समितियों पचायतीराज सस्थाओं में सुधार हेतु बनाई गई लेकिन उनके सुझाव या तो लागू ही नहीं किये गये या मौजूदा अव्यवस्था मे फसकर कालकवलित हो गये। पचायती राज की मूल भावना तिरोहित हो गई पचायती राज अपने पाथेय से भटक गया नतीजतन इसमें नये सिरे से जान फूंकने की कोशिश को अमलीजामा पहनाने की *कावायदे आरम्भ हुई जो 1992 म* ससद द्वारा 73वें सवैधानिक सशोधन द्वारा पारित नवीन पचायतीराज अधिनियम के रूप में हुई। इससे पचायतीराज सस्थाओं को समग्र राष्ट्र मे समान *सवैधानिक दर्जा प्राप्त हो गया। राजस्थान में पचायतीराज अधिनियम* 23 अप्रैल, 1994 को प्रभाव में लाया गया।

सविधान मे अनुच्छेद 243 जोडते हुए देश में पचायती राज सस्थाओं से सम्बन्धित आवश्यक तत्वों का न केवल समावेश किया गया है अपितु पचायतीराज सस्थाओं को

संवैधानिक मान्यता और चुनावों से सम्बन्धित प्रत्याभूति प्रदान की गयी है। इससे पंचायतीराज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त हो गया है जिसके अनुसार पंचायती राज संस्थाओं के प्रारूप की निम्नलिखित चारित्रकताएँ परिलक्षित हुई हैं जैसे—

1. ग्रामसभा का प्रावधान

संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार ग्राम स्तर पर ग्राम सभा ऐसी शक्तियों का सम्व्यवहार और कर्त्तव्यों का निर्वाह कर सकेगी जो राज्य विधान मण्डल अधिनियम द्वारा विनिश्चित करे।[1]

2. पंचायती राज व्यवस्था का त्रिस्तरीय प्रारूप

देश के प्रत्येक राज्य में ग्राम स्तर, मध्यवर्ती स्तर और जिला स्तर पर इस संविधान के प्रावधानों के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं का गठन किया जायेगा।[2]

3 अनुसूचित जाति/जनजाति हेतु आरक्षण

संविधान संशोधन के माध्यम से यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक पंचायत क्षेत्र में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए निर्वाचन हेतु स्थानों/सीटों का आरक्षण किया जायेगा। इस प्रकार आरक्षित की जाने वाली सीटों की संख्या उस क्षेत्र में उन वर्गों की जनसंख्या के अनुपात में निश्चित की जायेगी तथा सीटों के आरक्षण की इस प्रक्रिया का बारी-बारी से आवर्तन (रोटेशन) पंचायत क्षेत्र की सभी सीटों में किया जाता रहेगा।[3] इन वर्गों के लिए उपर्युक्त रीति से आरक्षित की गयी कुल सीटों में से कम से कम एक तिहाई स्थान अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित किये जायेंगे।[4]

4 महिलाओं हेतु आरक्षण

इस संविधान संशोधन के माध्यम से प्रत्येक पंचायतीराज संस्था के चुनावों में महिलाओं हेतु स्थानों का आरक्षण भी किया गया है। इससे सदर्भित प्रावधान में कहा गया है कि अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों सहित, प्रत्येक पंचायती राज संस्था में कम से कम एक-तिहाई स्थानों को महिलाओं के लिए आरक्षित किया जायेगा और इस प्रकार आरक्षित किये गये स्थानों का आवंटन बारी-बारी से किया जाता रहेगा।[5]

5 पिछड़े वर्गों हेतु आरक्षण

संविधान संशोधन अधिनियम यह उपबन्ध भी करता है कि राज्य विधान मण्डल, समस्त पंचायती राज संस्थाओं में पिछड़े वर्गों के लिए भी आरक्षण का प्रावधान अधिनियम बनाकर कर सकेंगे।[6]

6. अध्यक्ष पद हेतु आरक्षण

इस सन्दर्भ में संविधान संशोधन अधिनियम में यह प्रावधान भी किया गया है कि ग्राम पंचायत व पंचायती राज की अन्य इकाईयों के अध्यक्षों के पद भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व महिलाओं के लिए, राज्य विधान मण्डल अधिनियम बनाकर प्रक्रिया निर्धारित करते हुए आरक्षित कर सकेंगे।[7]

7. कार्यकाल से संबंधित प्रावधान

पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल भी केन्द्र व राज्य सरकार के अनुसार समान करने के लिए संशोधन अधिनियम यह प्रावधान करता है कि प्रत्येक पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल, यदि वह, राज्य में तत्समय प्रवर्तित किसी विधि के अधीन पहले भंग कर दी जाती है, तो 5 वर्ष होगा और इससे अधिक नहीं।[8]

8. अयोग्यताओं सबधि प्रावधान

नवीन प्रावधानों के अनुसार पचायती राज सस्थाओं की अयोग्यताओं के बरे में सशोधन अधिनियम मे कहा गया है कि सम्बन्धित राज्य मे चुनावों की अयोग्यताओं से सम्बन्धित प्रवर्तित किसी कानून द्वारा अयोग्य घोषित किये जाने पर व्यक्ति इन सस्थाओं के चुनावों में भाग नहीं ले सकेगा। कोई व्यक्ति इन अयोग्यताओं से ग्रस्त है या नहीं, इस सम्बन्ध में उठे हुए किसी विवाद का निस्तारण करने के लिए प्राधिकारी की नियुक्ति और प्रक्रिया का सम्बन्धित राज्य विधान मण्डल अधिनियम बनाकर प्रावधान कर सकेगे।[9]

9 वित्त आयोग के गठन का प्रावधान

राज्य की विधायिका विधि के माध्यम से वित्त आयोग के गठन और उसमे नियुक्त किये जाने वाले सदस्यों की योग्यताओ औन इन सदस्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया का निर्धारण कर सकेगी।[10]

10 निर्वाचन आयोग का प्रावधान

नवीन सविधान सशोधन अधिनियम यह व्यवस्था करता है कि राज्य के निर्वाचक नामावलियों की तैयारी, चुनावो के आयोजन और पचायतीराज सस्थाओं के चुनावों से सम्बन्धित समस्त पक्षो का अधीक्षण, निदेशन और नियत्रण राज्यपाल द्वारा नियुक्त किये गये एक राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होगा।[11] राज्य निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचक आयुक्त की पदावधि और सेवाशर्तों का निर्धारण राज्यपाल, विधानमण्डल के सम्बन्धित अधिनियम के अधीन रहते हुए कर सकेगे।[12] किसी भी जनतात्रिक व्यवस्था में बहुसख्यक जनसमूह की वाजिब माग अस्वीकार नहीं की जा सकती है। वैचारिक राजनीतिक व सत्तात्मक परिवर्तनो से पचायत राज व्यवस्था में परिवर्तन हुए जो सविधान सशोधन विधेयक पारित करने का उत्तरदायी कारक बने। उसमे पचायत राज व्यवस्था के पुरातन सरचनात्मक एव कार्यात्मक स्वरूप मे भारी परिवर्तन किया तथा प्रशासनिक, राजनीतिक एव प्रजातात्रिक दृष्टिकोण से पचायतीराज का स्वरूप ज्यादा लोक ग्राह्य व सुविधाजनक बनाने का प्रावधान किया।

प्रजातत्र की सवाहक ये सस्थाएँ अपने नव जीवन के दूसरे दशक में प्रवेश कर गई है। अत: वक्त का विवेक इनके क्रिया-कलापो एव सागठनिक क्षमताओं का पुरातन एव नूतन सदर्भों में मूल्याकन एव विवेचन एक शोधोन्मुखी आधार का उत्तरापेक्षी है। यही राज्य सरकारों की नियति, सवैधानिक दर्जा दिये जाने से पचायतीराज सस्थाओं की स्थिति में परिवर्तन, जनप्रतिनिधियों एव जनता पर प्रभाव तथा विकास एव कल्याण में अपेक्षित भूमिका के सन्दर्भ में इन सस्थाओ ने क्या कुछ खोया है? क्या कुछ पाया है? और क्या सुधार की गुजाईश है? क्या पूर्ववर्ती पचायतीराज प्रारूप जो राज्य सरकारों की मर्जी पर आधारित था की पुन: उपादेयता के सन्दर्भ में तुलनात्मक दृष्टि से आज भी उपादेयता एव महत्ता की सभावनाओं युक्त है?

विषय की महत्ता एव आवश्यकता स्वत: प्रतिपादित है। 1994 तक भारत सरकार के 73वें सविधान सशोधन प्रदत्त पचायतीराज अधिनियम के आर्विभाव से पूर्व समग्र देश में अलग-अलग राज्यों मे अपनी स्वस्वीकृत पचायतीराज व्यवस्थाएँ चल रही थी जो मूलत. 1957 के बलवतराय मेहता प्रारूप पर कुछ परिवर्तनों के साथ आधारित थी। अत. एक गैरसवैधानिक असमान तथा पूर्णत. राज्याश्रित व्यवस्था थी। जिस पर व्यापक शोध हुए लेकिन तुलनात्मक अध्ययन का आधार दो प्रारूपों के मध्य नये पचायतीराज अधिनियम के लागू होने के पश्चात् ही तैयार हुआ। द्वितीय दशक में प्रवेश करती नवीन प्रारूपाधारित पचायतीराज

व्यवस्था की तुलनात्मक शोध की आवश्यकता की प्रतिध्वनि लेखक के द्वारा तय शोध विषय में स्पष्ट प्रतिध्वनित होती है।

अध्ययन का महत्त्व इसलिए और बढ जाता है कि भारत मे राजस्थान ही पहला राज्य था जहाँ 2 अक्टूबर, 1959 को पडित जवाहरलाल नेहरू ने त्रिस्तरीय पचायतीराज व्यवस्था का श्रीगणेश किया। अतः जिस व्यवस्था का श्रीगणेश ही राजस्थान में हो जाहिर है उस व्यवस्था के प्रति अपेक्षाएँ भी स्वत बढ जाती हैं। देखना यह है कि जिस जोश खरोश व नयी उम्मीदों के साथ पुरातन प्रारूप लागू किया गया था। जो जनाकाक्षाओं पर खरा नहीं उतरा और शीघ्र ही नवीन प्रारूप की व्यवस्था की गई और यही नवीन प्रारूप अब हमारे समक्ष मूल्याकनार्थ शोध हेतु उत्तरापेक्षो है तथा वक्त की माग भी है।

विषय से सम्बन्धित साहित्यिक समीक्षा

विभिन्न शोधार्थियो, आयोगों, समितियो, विद्वानो द्वारा शोधप्रपत्र प्रतिवेदन शोधग्रथ एव शोध लेख पचायतीराज व्यवस्था के सन्दर्भ मे प्रकाशित हुए जैसे—

ए. एस अल्तेकर, भारतीय शासन पद्धति बनारस, 1949,

राधा कुमुदमुखर्जी, *भारत में स्थानीय सरकार, ऑक्सफोर्ड, 1920,*

एस के डे , पचायतीराजः एशिया पब्लिशिंग हाऊस, न्यू देहली, 1662

मालवीया एच डी : विलेज पचायत इन इण्डिया, न्यू देहली : आल इण्डिया काग्रेस कमेटी, *1956,*

माहेश्वरी श्री राम : पचायतीराज बिटविन दू मेहताज एण्ड बियाड · कुरुक्षेत्र 27 : 8 (6 जनवरी, 1972),

मथाई जॉन : विलेज गवर्मेन्ट मे 2 इन ब्रिटिश इण्डिया : लदन 3 *एटीफिशर उनविन, 1915,*

मेहता बी : पंचायती राजः इण्डियन जर्नल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 7 : 3 (जुलाई-सितम्बर, 1961),

मुखर्जी बी : पचायती राज इन इण्डिया : चण्डीगढ : इगलिश बुक, 1956,

माथुर, पी सी : इस्टीट्यूशनल मॉडल ऑफ पचायतीराज : पॉलिटिकटल साईंस रिव्यू : 7 · 2 (अप्रैल-जून, 1966),

मिश्रा, रूपनारायण 5 विलेज सेल्फ गवर्नमेंट इन उत्तरप्रदेश पी एच डी थिसिस आगरा यूनिवर्सिटी, 1958,

माथुर एम वी इकबाल नारायण एड वी एम सिन्हा : पचायतीराज इन राजस्थान : ए केस स्टैडी इन जयपुर डिस्ट्रिक्ट : न्यू देहली, 1966,

खन्ना, आर एल : पचायतीराज इन इण्डिया · ए कम्पैरेटिव स्टैडी . चडीगढ 1956,

मध्यप्रदेश : रूरल लोकल सेल्फ-गवर्नमेंट कमेटी, 1957, रिपोर्ट भोपाल, 1969,

मैसूर, कमेटी ऑन पचायतीराज 1962 रिपोर्ट बगलौर, 1963,

इण्डिया कमेटी ऑन पचायतीराज इस्टीट्यूशन्स 1977, रिपोर्ट न्यू देहली, *1978* (चेयरमैन अशोक मेहता)

इण्डिया नेशनल काग्रेस : काग्रेस पार्टी इन पार्लियामेंट : स्टैडी *टीम ऑन पचायतीराज इन* राजस्थान : रिपोर्ट न्यू देहली, 1960 (लीडर-रघुवीर सहाय),

इकबाल नारायण एण्ड पी सी माथुर, (सम्पादित) ओल्ड कट्रोल्स एण्ड न्यू चैलेंजेज : एक रिपोर्ट ऑन दी पैटर्न ऑफ पचायती राज इस्टीट्यूशन इन मद्रास, महाराष्ट्र एण्ड राजस्थान,

जयपुर राजस्थान यूनिवर्सिटी, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साईस, सेल फार एपलाईड रिचर्स इन रूरल एण्ड अरबन पॉलिटिक्स, 1967,

राजस्थान हाई पावर कमेटी ऑन पचायतीराज 1971 रिपोर्ट जयपुर, 1973, (अध्यक्ष) गिरधारी लाल व्यास राजस्थान पचायत एव डवलपमेट डिपार्टमेट • रिपोर्ट ऑफ दी स्टैडो टीम ऑन पचायतीराज, जयपुर, 1964, – 433 पृ (अध्यक्ष : सादिक अली)

रेटजॉल्फ, रॉल्फ एच , पचायतीराज इन राजस्थान, इण्डिया जर्नल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, न्यू देहली (अप्रैल-जून) 1960,

भारत सरकार योजना आयोग, रिपोर्ट ऑफ दी टीम फॉर दी स्टैडी ऑफ कम्यूनिटी डवलपमेंट प्रोजेक्टस एण्ड नेशनल एक्स्टेन्शन सर्विस 1957 (अध्यक्ष-बलवतराय मेहता)

इण्डियन इस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पचायती राज: सिक्स एनुएल कॉन्फ्रेंश OC 28, 1962, न्यू, देहली आर्ट आई आई पी ए.

इण्डियन जनरल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, स्लेक्टेड आर्टिकल्स, पंचायतीराज, सिरीज एडिटर, टी एन चतुर्वेदी वोल्यूम एडिटर आर.बी जैन, आई आई पी ए., न्यू देहली, 1981

आर.पी जोशी, (सम्पादित) कॉस्टिट्यूश्यानलाईजेशन ऑफ पचायतीराज ए रिएससमेंट रावत पब्लिकेशस जयपुर 1998

एस पी जैन एण्ड थॉमस डब्ल्यू हॉचसेग, इमर्जिंग ट्रेंडस न पचायतीराज (रूरल लोकल, सेल्फ गवर्नमेंट) इन इण्डिया (सम्पादित) नेशनल इस्टीट्यूट ऑफ रूरल डवलपमेंट, हैदराबाद, 1995,

राम पाण्डे, (सम्पादित) पचायतीराज, जयपुर पब्लिशिंग हाऊस, शोधक, जयपुर, 1989,

इसके अतिरिक्त भी वित्त, प्रशासन, सहभागिता, नियत्रण, विकास, कल्याण, सगठनात्मक एव कार्यात्मक पहलुओं के अनेकों दृष्टिकोणों एव समस्याओं के सदर्भ में शोध, रिपोर्ट एव लेख प्रकाशित हो चुके हैं। लेकिन चूँकि नया सविधान सशोधन हुए अभी दूसरा ही दशका चल रहा है अत. सभवत. पचायतीराज व्यवस्था के पूर्ववर्ती एव नवीन प्रारूप के मध्य तुलनात्मक शोध की सभवतः प्रथम पहल ही होगी हालाकि नवीन प्रारूप से सम्बन्धित समस्याओ एव पहलुआ पर अनेक शोध, लेख व सेमीनार आयाजित हो चुकी हैं। अभी भी नवीन प्रारूप की क्रियान्विती परिणिती को लेकर कई शकाएँ उत्तरापेक्षी हैं—

1 क्या पचायतीराज सस्थाएँ पारदर्शी व्यवस्था दे पायेंगी?

2 क्या ये आम जन के सूचना के अधिकारा की रक्षा कर पायेंगी?

3 क्या पचायतें मानवाधिकारा की सरक्षक बन पाने में सक्षम हो पायेंगी?

4 क्या नवीन अधिनियम से व्यापक जन-सहभागिता बढेगी?

5 पचायतीराज सस्थाओ की वित्तीय एव कार्मिक स्थिति क्या सुदृढ हा पायेंगी?

6 क्या ये सस्थाएँ स्थानीय स्वायत्त शासन का सशक्त आधार बन पायेंगी?

7 गाँवो की आवश्यकतानुसार ग्रामवासिया की सहभागिता से क्या विकास योजनाएँ तय की जायेंगी?

8 क्या दलित व कमजोर व पिछडे तबके के जनप्रतिनिधियो को सघन प्रशिक्षण द्वारा सक्षम बनाया जायेगा?

9 क्या नवीन संवैधानिक प्रावधान अक्षम-अयोग्य भ्रष्ट व आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों को इन संस्थाओं से दूर रख पायेगा?

10 जनहित याचिकाओं की आती बाढ क्या पचायती राज सस्थाओ के कार्यों में बाधक नहीं होगी? यदि होगी तो उपायों के बारे में क्या-क्या प्रावधान सोचे गये हैं?

महात्मा गाँधी लोकनायक जयप्रकाश नारायण तथा विनोबा भावे ने जिस "ग्राम-स्वराज्य" की कल्पना की थी। इस नवीन पचायतीराज अधिनियम द्वारा कितनी साकार हो पायेंगी? क्या हमारी जनता नेता तथा नौकरशाही इसकी यथावत क्रियान्विती हेतु प्रतिबद्ध है? हमारे देश की पारिस्थितिकी और परिवेश लोकतत्र के इस प्रारूप की व्यावहार्यता के अनुकूल भी है या नहीं? पचायतीराज व्यवस्था का पूर्ववर्ती प्रारूप उपरोक्त शकायुक्त प्रश्नों के समाधान क्या कोई विवेक सम्मत समाधान खोज पाने में सक्षम हुआ? जनप्रतिनिधि नागरिक तथा कार्मिक वर्ग इन दोनों व्यवस्थाओं की सफलता-असफलता अच्छाई बुराई का कैसा ग्राफ खींचते हैं? यह इस शोध विषय मे ज्ञातव्य है। वक्त का विवेक हृदयगम कर सरकार इन सस्थाओ की सफलता तथा मजबूती के लिए कितनी प्रतिबद्ध है? जनता को जनप्रतिनिधियों कार्मिको से जनप्रतिनिधियों को कार्मिकों व जनता से तथा कार्मिको को जनता तथा जनप्रतिनिधियों से क्या समस्याएँ है तथा क्या सहयोग की अपेक्षाएँ है? चारों को अपनी-अपनी जगह अपेक्षित भूमिका निर्वहन हेतु क्या किसी नये प्रावधान या इस व्यवस्था में परिवर्तन की अपेक्षा है? कितने खरे ये आपस में सामजस्य व सरकार व जन कल्याण एव विकास के प्रति खरे उतरे हैं? और कहाँ ये बाधक साबित हो रहे हैं?

लोककल्याण एव लोकतत्र तथा ग्राम स्वराज्य व ग्राम सुराज की सवाहक ये सस्थाएँ राजस्थान सरकार के 1994 के पचायतीराज अधिनियम पश्चात् पूर्ववर्ती पचायतीराज व्यवस्था प्रारूप की ओर कहाँ तक सफल व लोकग्राह्य बन पायी? भारत की 80 प्रतिशत जनता ग्रामीण भूभाग पर रहती है जिनका प्रत्यक्ष भाग्य विधाता पचायतीराज सस्थाएँ ही हैं अत जब तक ये सस्थाएँ अपने प्रयाजन मे फलीभूत नहीं होगीं समग्र प्रयास व्यर्थ हैं किसी भी व्यवस्था प्रक्रिया व प्रावधान की सफलता-असफलता अनुकूलता तथा प्रतिकूलता का मूल्याकन तब तक नहीं हो सकता जब तक की उसकी भूमिका का मूल्याकन न हो। विकल्पाधारित मूल्याकन और भी सटीक व व्यवस्थित हो सत्य के करीब होता है। अत पूर्ववर्ती व्यवस्था के अवसान व नवीन प्रारूप के दूसरे दशक मे कदम रखते ही शोध का एक अपेक्षित व महत्त्वपूर्ण आधार दोनों प्रारूपों के तुलनात्मक अध्ययन का बनता है।

ताकि शीघ्र समय रहते वर्तमान प्रारूप यदि जनाकाक्षाओ के अनुकूल हमारे यहाँ की पारिस्थितिकी पर्यावरण के अनुकूल खरा नहीं उतर रहा हो तो इसमे परिवर्तन के प्रति हमे विनम्र एव विनीत हो जाना चाहिए न कि जडवत। दोनो प्रारूपो की क्रियान्विती की नियति एवं नियत मे खोट शोध उपरात उजागर हुई है। उत्तरदाताओ ने नवीन व्यवस्था के साथ पूर्ववर्ती व्यवस्था के कुछ प्रावधानो को पुन लागू करने की पुरजोर सहमति व्यक्त की। नवीन प्रारूप व्यापक जनभागीदारी का कारक बना तो पंचायतीराज सस्थाओ के सशक्तिकरण का भी

आगाज हुआ लेकिन नौकरशाही की अडचनें तथा कानूनी पेचीदगियां इस नवीन प्रारूप की सफलता में सर्वाधिक बाधक तत्त्व है।

उपरोक्त उत्तरापेक्षी प्रश्नों के सदर्भ मे ही राजस्थान में पचायतीराज व्यवस्था के गठन एव कार्यों को तुलनात्मक अध्ययन का आधार नवीन प्रारूप एव पूर्ववर्ती प्रारूप के तहत तैयार हुआ। जिसके तहत पचायतीराज व्यवस्था के दर्शन एव ऐतिहासिक पृष्ठभूमि दोनों प्रारूपों का यथावत सागोपाग वर्णन तथा दोनो प्रारूपों का सैद्धातिक एव व्यावहारिक तुलनात्मक शोध अध्ययन का लघु प्रयास समय की अवश्यकता को अपेक्षानुकूल करने का प्रयास किया है।

क्षेत्र की सीमाएँ

अध्ययन एव विश्लेषण की गहनता सत्यपरकता अनुकूलता महत्ता एव व्यावहारिकता हेतु शोध समय साधनो व क्षेत्र के परिपेक्ष्य में किसी भी अध्ययन का व्यावहारिक परिसीमन आवश्यक होता है। इस सन्दर्भ में यह उल्लेखनीय है कि प्रस्तावित अध्ययन जैसा कि शीर्षक से ही स्पष्ट है मूलत यथा अन्त स्थानीय स्वशासन से ही सबद्ध है जो कि ग्रामीण परिवेश के स्वायत्तशासन के प्रबध कौशल का विवेचन भर है। यह पुन उल्लेखनीय है कि भारत जैसे विशाल तथा विषमतायुक्त राष्ट्र में जहाँ स्वाभाविक रूप से एकाधिक प्रकार के पचायतीराज प्रारूप कार्यरत है प्रस्तावित अध्ययन राजस्थान राज्य म कार्यरत पचायतीराज व्यवस्था के पूर्ववर्ती तथा नवीन प्रारूप के तुलनात्मक अध्ययन तक सीमित है।

समय साधन एव परिस्थितियो के परिप्रेक्ष्य में राजस्थान राज्य के कोटा बारा झालावाड जिले के अध्ययन क्षेत्र हेतु चयनित कर ग्राम सभा ग्राम पचायत पचायत समिति एव जिला परिषद् स्तर पर अध्ययन हेतु सूचनाएँ एकत्रित करने का प्रयास प्रथम समकों के प्रतिदर्श चयन के एव द्वितीय समकों की उपलब्ध सामग्री के आधार पर किया गया है। इस प्रकार इस अध्ययन विषय का क्षेत्र सीमाओ को परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में निर्धारित किया गया है।

73वे सविधान सशोधन विधेयक मे केन्द्र सरकार ने पचायतीराज सस्थाओं को सवैधानिक दर्जा तो दे दिया लेकिन उनके प्रारूप कार्यकरण प्रशासनिक वित्तीय अधिकारों को तय करने का जिम्मा राज्यों पर छोड दिया। ताकि राज्य सरकारे अपने मनोनुकूल प्रारूप कायम कर सके। न कि पचायतीराज की मूल भावना के अनुकूल। सभवत यह हो भी रहा है। पचायतीराज से सबद्ध जनप्रतिनिधिया अधिकारियों एव कर्मचारियो के कार्यकरण की विवेचना यथा सभव गहनता एव वृहदता के साथ करने का प्रयास किया गया है। सरकारी एव गैर सरकारी अधिकारियों के दृष्टिकोण कार्यशैली की अनुभवमूलक उपागम द्वारा सागापाग विवेचन विश्लेषण इस अध्ययन म किया गया है। लोक प्रशासन का अध्येता एव शोधार्थी होने के नाते प्रजातात्रिक विकेन्द्रीकरण के पूर्ववर्ती व परिवर्तित नवीन स्वरूप का प्रशासनिक दृष्टिकोण से एव तुलनात्मक अध्ययन कार्यात्मक सरचनात्मक भूमिका के सदर्भ में प्रस्तुत करने का एक लघु यत्किचन प्रयास किया है। जो प्रजातात्रिक विकेन्द्रीकरण प्रशासनिक व अध्ययन की उपयोगिता के दृष्टिकोण से परिवर्तित प्रारूप की उपादयता महत्ता व आवश्यकता राष्ट्रजन के समक्ष रख सके।

उद्देश्य

73वें पंचायतीराज संशोधन अधिनियम से पूर्व प्रारूप तथा 73वें पंचायतीराज संविधान संशोधन द्वारा स्वीकृत प्रारूपों के मध्य एक तुलनात्मक प्रशासनिक दृष्टिकोण से अध्ययन करने के पृष्ठ में निहित उद्देश्य निम्नोल्लेखित हैं—

1 प्रजातांत्रिक विकेन्द्रीकरण के दर्शन एवं परम्परा की मीमांसा एवं सिंहावलोकन।
2 73वें संविधान संशोधन से पूर्व स्वतंत्र भारत में पंचायतीराज प्रारूप का विशद अध्ययन यथा ग्राम सभा ग्राम पंचायत पंचायत समिति व जिला परिषद् संरचना कार्यकरण के सन्दर्भ में।
3 73वें संविधान संशोधन से पूर्व स्थित पंचायतीराज अधिनियम के प्रारूप की सीमाओं एवं समस्याओं को उजागर करना।
4 73वें संविधान संशोधन से पूर्व प्रारूप में परिवर्तन की विवशता के कारण खोजना।
5 संविधान में 73वें पंचायतीराज संशोधन अधिनियम की आवश्यकता तथा मूल प्रस्तावना की विवेचना।
6 73वें संविधान संशोधित पंचायतीराज स्वरूप के चारों स्तरों यथा ग्राम सभा ग्राम पंचायत पंचायत समिति एवं जिला परिषद् की संरचना कार्यकरण एवं भूमिका की विवेचना।
7 73वें संविधान संशोधित पंचायतीराज के प्रारूप एवं पुरातन प्रारूप का सैद्धान्तिक तुलनात्मक अध्ययन।
8 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायतीराज व्यवस्था के प्रारूप एवं पूर्व प्रारूप का व्यावहारिक तुलनात्मक अध्ययन।
9 निष्कर्ष एवं सुझाव।

प्रस्तावित अध्ययन को 8 अध्यायों में विभक्त कर प्रस्तुत किया गया है। प्रथम अध्याय में अध्ययन की महत्ता क्षेत्र सीमाएँ, उद्देश्य आवश्यकता तथा अध्ययन योजना की चर्चा की गई है।

द्वितीय अध्याय में वैदिक काल मौर्यकाल गुप्तकाल रामायण व महाभारत तथा बौद्धकाल मुगलकाल एवं ब्रिटिश काल तक ग्रामीण भारत में प्रजातांत्रिक विकेन्द्रीकरण की परम्परा एवं दर्शन का अद्योपात उल्लेख किया गया है। साथ ही प्रजातंत्र विकेन्द्रीकरण एवं प्रजातांत्रिक विकेन्द्रीकरण के अभिप्राय अवधारणा का सिंहावलोकन प्रस्तुत किया है।

तृतीय अध्याय में पंचायतीराज व्यवस्था के स्वतंत्र भारत के उस प्रारूप का उल्लेख किया है जो राजस्थान में त्रिस्तरीय पंचायतीराज व्यवस्था के रूप मे 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा आरम्भ किया गया था। जिसका आधार मूलत 1953 का राजस्थान पंचायत अधिनियम तथा 1959 का पंचायत समिति एवं जिला परिषद् अधिनियम का समेकित रूप था। सादिक अली प्रतिवेदन गिरधारी लाल व्यास समिति रिपोर्ट बलवंतराय मेहता समिति प्रतिवेदन व अन्य प्रतिवेदनों की अभिशंषाएँ तथा अधिनियम भी

इसका आधार बने। इस अध्याय में मूलत पचायतीराज के पूर्ववर्ती प्रारूप के सगठन एव कार्यों का विवेचन मात्र किया गया है।

चतुर्थ अध्याय मे मूलत 73वे सविधान सशोधन प्रदत्त पचायतीराज तत्र पर आधारित राजस्थान सरकार द्वारा 23 अप्रैल, 1994 को पारित नवीन पचायती राज अधिनियम के मूल प्रारूप के तहत पचायतीराज सस्थाओं के गठन एव कार्यों का विस्तृत वर्णन किया गया है।

अध्याय पाँच में पचायतीराज व्यवस्था के पूर्ववर्ती प्रारूप जिसका उल्लेख अध्याय तीन में किया गया था तथा 73वें सविधान प्रदत्त प्रारूप जिसका वर्णन अध्याय (4) में किया गया था। पचायती राज व्यवस्था के इन दोनो प्रारूपा को सगठन एव कार्यों का सैद्धातिक तुलनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है।

अध्याय छ पचायतीराज व्यवस्था के पूर्ववर्ती एव नवीन प्रारूपों का अनुभव मूलक अध्ययन है। जिसमें जानकारी हेतु जिन 250 उत्तरदाताओं का प्रतिदर्श द्वारा चयन किया गया था उनकी सामाजिक एव आर्थिक पृष्ठभूमि की विवेचना की गई है।

जिसमें जनप्रतिनिधि नागरिक एव लोकसेवकों का चयन किया गया है। किसी भी व्यक्ति की सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि उसके विचारों एव आचरण को प्रभावित किये बिना नहीं रहती है तथा उसका प्रभाव उसके द्वारा दिये गये प्रश्नों के जवाब में स्पष्ट झलकते हैं। आयु, आय आय का साधन परिवार का आकार, शैक्षणिक योग्यता जाति, वर्ग आदि को इस अध्ययन के विश्लेषण का आधार बनाया गया है।

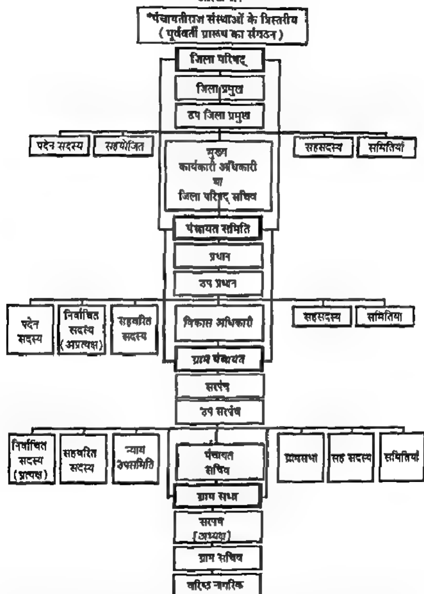
अध्याय सप्तम् मे पचायतीराज व्यवस्था के दोनो प्रारूपों के द्वितीय अनुभवमूलक अध्याय में सगठन एव कार्यों से सम्बन्धित उत्तरदाताओं से उनकी राय जानने का प्रयास किया गया है। ग्राम सभा/वार्ड सभा/ग्राम पचायत/पचायत समिति एव जिला परिषद् की चतुस्तरीय व्यवस्था को इसका आधार बनाया गया है। जिसमें चुनाव व्यवस्था व प्रक्रिया के सम्बन्ध में सहमति व असहमति, 1959 के पचायतीराज प्रारूप में कमिया, निर्वाचन क्षेत्रों के आरक्षण सीमित परिवार की अनिवार्यता न्याय-पचायत की समाप्ति पचायतीराज सस्थाओ की शक्तियो मे अन्तर निर्णयन का तरीका, अध्यक्ष पदो का आरक्षण, महिला आरक्षण, अविश्वास प्रस्ताव के प्रावधान सवैधानिक दर्जा एव जवाबदेयता, सस्थाओं में समन्वय एव सहयोग आदि मुद्दो पर उत्तरदाताओं द्वारा दिये गये जवाबो का गहन विश्लेषण कर इस अध्याय में प्रस्तुतिकरण किया गया है।

अन्तिम अध्याय 8 (आठ) में इस समग्र अध्ययन का साराश प्रस्तुत करते हुए महत्वपूर्ण सुझावों को जो उत्तरदाताओं द्वारा दिये गये थे को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है साथ ही लेखक द्वारा स्वयं विभिन्न राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय गोष्ठियों, अध्ययन एव शोध के दौरान उत्तरदाताओं से साक्षात्कार के दौरान अनुभव किये गये विचारों को अन्य सामान्य सुझावों की श्रेणी में शब्दबद्ध करना अपना पुनीत दायित्व लेखन के प्रति समझ कुछ सुझाव देने का यत्किचन प्रयास किया है। जो शायद विवेचन सार्थकता में कतिपय उपयोगी साबित होंगे।

पचायती राज व्यवस्था को पूर्ववर्ती एव नवीन सरचनात्मक तुलनात्मक स्थितियों को आरेख के माध्यम से आगे प्रदर्शित किया गया है जो कि पचायतीराज सस्थाओं के प्रारूपों की तुलनात्मक अध्ययन का मुख्य आधार है।

आरेख 1.1

***पंचायतीराज संस्थाओं के त्रिस्तरीय (पूर्ववर्ती प्रारूप का संगठन)**



*पंचायतीराज संस्थाओं का उपरोक्त त्रिस्तरीय चार्ट राजस्थान पंचायत अधिनियम, 1953 तथा राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद् अधिनियम, 1959 का समेकित प्रारूप है जिसका 2 अक्टूबर, 1959 को पण्डित जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिले में शुभारम्भ किया गया।

* उपरोक्त आरेख राज पचायतीराज अधिनियम, 1994 तथा उसके सशोधित प्रारूप के अनुसार है।

** राज पचायती राज (सशोधन) अध्यादेश 6 जनवरी, 2000 (अध्यादेश स 2) पृ 113, राज पत्र विशेषाक भाग 4 (ख) के अनुसार सतर्कता समिति का प्रावधान समाप्त कर दिया गया है।

सन्दर्भ

1 73वा सविधान सशोधन अधिनियम, अनुच्छेद 243 ए, (इस अधिनियम का प्रवर्तन भारत सरकार के गजट में 26 अप्रैल, 1993 को प्रकाशित होने के साथ हुआ)

2 एन एम मूलचन्दानी, कॉन्स्टीट्यूशन ऑफ इण्डिया, दौलत पब्लिकेशन, नागपुर, 1994, अनुच्छेद 243 बी (1), पृ 315

3 उपर्युक्त, अनुच्छेद, 243 डी (1), पृ 316

4 उपर्युक्त अनुच्छेद, 243 डी (2), पृ 316

5 उपर्युक्त, अनुच्छेद, 243 डी (3), पृ 316

6 उपर्युक्त, अनुच्छेद, 243 डी (5), पृ 316

7 उपर्युक्त, अनुच्छेद, 243 डी (4), पृ 316

8 उपर्युक्त, अनुच्छेद, 243 ई (1), पृ 317

9 उपर्युक्त, अनुच्छेद, 243 एफ (1), पृ 317

10 उपर्युक्त, अनुच्छेद, 243 आई (2), पृ 318

11 उपर्युक्त, अनुच्छेद, 243 के (1), पृ 318

12 उपर्युक्त, अनुच्छेद, 243 के (2), पृ 318

□□□

2

ग्रामीण भारत में प्रजातांत्रिक विकेन्द्रीकरण की परम्परा एवं दर्शन : एक सिंहावलोकन

लोकतंत्र की अवधारणा एवं अभिप्राय - लोकतंत्र के विचार के विकास का भारतीय ऐतिहासिक संदर्श :

भारत में प्रजातांत्रिक विकेन्द्रीकरण की अवधारणा, विचारधारा एवं दर्शन पर आधारित पंचायती राज व्यवस्था के विचार को विद्वतोन्मुख करने से पूर्व प्रजातंत्र एवं विकेन्द्रीकरण के पृथक् दर्शन को प्राचीन से अर्वाचीन काल तक परिभाषित एवं स्पष्ट करना समीचीन प्रतीत होता है। ताकि प्रजातांत्रिक विकेन्द्रीकरण की प्रमाणित अवधारणा के मूल को वैश्विक एवं भारतीय दर्शन में प्रमाणित कर उसकी स्वीकृति की सर्वस्वीकार्यता के अतीत में झांक सकें जिसकी पृष्ठभूमि में अर्वाचीन प्रजातांत्रिक विकेन्द्रीकरण की पंचायती राज अवधारणा का उद्‌गम निहित है। अतीत के उपलब्ध लिखित लभ्य प्रमाणों में प्रजातांत्रिक विकेन्द्रीकरण की *अवधारणा के अकाट्य प्रमाण पर्याप्तता से हमें उपलब्ध हैं।*

लोकतंत्र की वैदिक अवधारणा

भारत आधुनिक जगत् की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। इसके साथ ही यह भी सत्य है कि डेमोक्रेसी नामक यूनानी शासन व्यवस्था मूलतः भारत की देन है। विश्व संस्कृति का इतिहास *लिखने वाला महान विद्वान विलडयूरां ने जब विश्व को मिलने वाली भारतीय विरासत का उल्लेख किया तो भाव विभोर होकर बोल पड़ा,* "भारत हम सब की माता है" नि.संदेह इस दिशा में भारत का योगदान अत्यंत गर्वोक्ति के साथ उल्लेखनीय व स्मरणीय है।

गाँधी जी अपनी "ग्राम स्वराज्य" नाम पुस्तक में कहते हैं कि "मैं जिस 'स्वराज्य' शब्द का प्रयोग करता हूँ वह केवल होमरूल का वाचक नहीं, अपितु वह एक वैदिक शब्द

है।" वेदविज्ञान के प्रसिद्ध शब्द वेत्ता फतेह सिंह के अनुसार "वैदिक "दम" शब्द अहकार के दमन् का द्योतक है। यह दम शब्द "दम् धातु" से बना है जिसे अहंकार दमन् का बीज माना गया है। अतः अहकार दमन का बीजवपन न केवल दामपत्य जीवन का मूलाधार बना अपितु उस दिव्य अग्नि को आकर्षित करने में सफल हुआ जो वेद में दमूनस कहलाता है।" इस दमूनस की साधना का ही वैदिक नाम दमूनः कृषि अथवा केवल कृषि है जिसके फलस्वरूप परिवार के प्रत्येक सदस्य की चेतना भूमि-सीता [कृषि-भूमि] वेद में "सुमना, सुभगा तथा सुफला होती है।" अथर्ववेद [12, 18] में यही वह भूमि है जिसका "अमृत हृदय" है और जो परम्-व्योम के चेतन समुद्र में स्थित होते हुए भी "उत्तम-राष्ट्र" को तेज और बल प्रदान करने वाली कही गयी है। अतः दमूनः कृषि का अर्थ है, "अहकार दमन् करने वाली दिव्य दमूनस अग्नि को उत्तरोत्तर उभारने का अभ्यास।" यही अभ्यास वैदिक दमूनः कृषि अथवा डेमोक्रेसी का मूलाधार था। जिसकी व्यावहारिकता के प्रतीकवादी प्रमाण वैदिक दर्शन में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है जैसे आश्रम व्यवस्था।[1]

वैदिक मत्र और सूक्तिया इसी तथ्य की परिचायक है। यही भारत में विभिन्न मान्य विधियों और विचारधाराओं तथा जीवनदर्शन के निर्बाध विकास और उसके मानने वाले के परस्पर सद्भाव का रहस्य है। इस वैचारिक परम्परा की जड़ें हमारी सस्कृति एवं जीवन दर्शन मे है जो अधिनायकवाद को जमने नहीं देती है और लोकतत्र को जीवत बनाये रखती है। वैचारिक स्वातत्र्य की इस अतीतकालीन परम्परा का ही परिणाम है कि भारत मे सर्वप्रथम जनतत्र का उदय हुआ।

प्लेटो की 'रिपब्लिक' और उनके प्रेरणास्त्रोत एथेन्स के जनतत्र से शताब्दियों पूर्व भारत में प्रभुसत्तासम्पन्न गणराज्य उपस्थित थे। वैदिक काल से ही भारत में लोकतांत्रिक सस्थाएँ-पंचायत, सभा, समिति, श्रेणी आदि किसी न किसी रूप में अस्तित्व में रही है।

वैचारिक स्वातत्र्य और लोकतांत्रिक सस्थाओं की सुदीर्घ परम्परा भारतीय लोकतत्र की सफलता एव उसके जाज्वल्यमान भविष्य के पक्ष मे प्रामाणिक तर्क है। शतपथ ब्राह्मण (13/2/3/7-8) मे राजा पर नियत्रण हेतु विद्वानों की परिषद् का उल्लेख मिलता है। याज्ञवल्क्य एवं मनु राजा पर नियत्रण हेतु 4 एवं 3 विद्वानों की परिषद् से परामर्श की आवश्यकता बताते हैं। महाभारत मे आर्षवाणी "वसुधैव कुटुंबकम्" के लोकतांत्रिक अभिप्राय को स्पष्ट इंगित करती है। बौद्धकालीन जनपद एव 'रामराज्य' भारतीय जनतत्र की व्यावहारिक तस्वीर को स्पष्ट पेश करते हैं।

लोकतंत्र के विचार के वैश्विक विकास का ऐतिहासिक सदर्श :

लोकतांत्रिक विचार की अभिव्यक्ति की प्राचीनतम् परम्परा के प्रमाण न केवल भारतीय इतिहास में ही मिलते है वरन् प्राचीन विश्वसभ्यताओं मे भी इस विचार के अस्तित्व के पर्याप्त प्रमाण मिलते हैं। यूनानी दर्शन ने लोकतांत्रिक विचार एव व्यवहार को सर्वप्रथम समतावादी, मानवतावादी एव तार्किक एव बौद्धिक स्वरूप प्रदान किया जिसका आधार ईसाई मत एव इस्लाम धर्म थे।

ईसाई मत मे लोकतंत्र का विचार

ईसाईयों का धार्मिक ग्रंथ '**बाईबिल**' समानतावादी आदर्शों से भरा पडा है। जिसमे प्रत्येक व्यक्ति को समानदृष्टि से देखे जाने पर बल दिया गया है। ईसाईमत में लोकतात्रिक विचारधारा के सन्दर्भ मे बारबू ने लिखा है कि "*धर्म निरपेक्षीकरण उस सीमा तक आवश्यक* था जहाँ तक कि यूरोपीय मनुष्य ने यह विश्वास किया कि वह एक आतरिक प्रेरणा से विवेक और नैतिक जीवन का प्रतिमान अपना सके जिसे ईसाई सभ्यता ने सदियों से उसमें जागृत किया था। यही उस तथाकथित आधुनिक अन्तरात्मा का वास्तविक कार्य है जो प्रजातात्रिक व्यक्तित्व के केन्द्र का निर्माण करता है।"[2] ईसामसीह ने बिना किसी भेदभाव के दरिद्र एव पीडित मानव की सेवा की तथा उस प्रत्येक अन्याय एव शोषण के खिलाफ अपने विचार रखे जिससे ईसाई धर्म को स्वीकारने वालो की सख्या में बढोतरी के साथ लोकतात्रिक प्रक्रिया भी तीव्र गति से जागृत होने लगी।

इस्लाम में लोकतंत्र का विचार

आर लेवी ने स्पष्ट कहा है कि "इस्लाम धर्म में सभी समान हैं।" इस्लाम के पैगम्बर मोहम्मद साहब ने मनुष्य द्वारा मनुष्य के शोषण मनुष्य द्वारा मनुष्य पर अन्याय तथा प्रत्येक प्रकार के भेदभाव की आलोचना करते हुए लोकतत्र के तीनो आदर्शों समानता स्वतत्रता एव तर्क पर आधारित लोकतात्रिक व्यावहारिक जीवन पद्धति की स्थापना का प्रयास किया। **हुमायूँ कबीर** ने लिखा है कि "इस्लाम के पैगम्बर ने यह निश्चित किया कि धर्म विवेक न कि शक्ति पर आधारित हो। इस प्रकार यह कथन कि सुधारक न कि पैगम्बर उनके अनुयायी होगे को मानवीय मस्तिष्क की इसी नयी उपलब्धि के सन्दर्भ मे समझा जा सकता है। धर्म के चमत्कारों का युग समाप्त हो गया था और विज्ञान की विजय का युग प्रारम्भ हो चुका था।"[3] 14वीं 15वीं शताब्दी मे फ्रास की क्रान्ति एव इग्लैण्ड में किसानों के विद्रोह लोकतत्रीकरण की प्रक्रिया और समानतावादी मूल्यों के प्रभाव के अन्तर्गत हुए थे। वर्तमान समय में सयुक्त राष्ट्र सघ ने *लोकतत्रीकरण की प्रक्रिया को गति प्रदान करते हुए* 1948 मे सयुक्त राष्ट्र की सामान्य सभा में मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा मे कहा कि ' प्रत्येक को चिन्तन अन्तरात्मा तथा धर्म का पालन करने की स्वतत्रता का अधिकार है।"

इस घोषणा मे लोकतात्रिक प्रक्रिया की वास्तविक एव ऐतिहासिक आवश्यकता को अन्तर्राष्ट्रीय स्वीकृति निहित है।

- **लोकतत्र का अभिप्राय**

लोकतत्र का शब्दार्थ अत्यन्त सरल है। '**लोक**' अर्थात् जनता और '**तंत्र**' अर्थात् शासन अथवा राज्य। अत लोकतत्र से अभिप्राय जनता का राज्य लोकतत्र यानी 'डेमोक्रेसी' (अग्रेजी में) *यूनानी भाषा के* '**डेमोस**' *शब्द से तथा* '**क्रेटिया**' *शब्द से बना है जिसका अभिप्राय* भी जनता के शासन से है। **राबर्ट ए डहाल** प्रजातत्र को '**लोकप्रियशासन**' या '**बहुतत्र**' मानते हैं। **गाँधी जी** के अनुसार प्रजातंत्र आदर्श समाज में समानता एव स्वतत्रता की स्वीकृति है वह एक ऐसा रामराज्य होगा जिसमे प्रत्येक *व्यक्ति सत्यनिष्ठा से* कमायेगा और समाज सेवा

करेगा। इस प्रकार गाँधी का ग्राम स्वराज्य एवं सर्वोदय दर्शन, विनोबा भावे का भूदान दर्शन तथा जयप्रकाश नारायण का सहभागी लोकतंत्र आज लोकतंत्र की मूलात्मा का यथार्थ है।

हेरोडोटस ने प्रजातंत्र की परिभाषा उस शासन के रूप में की है जिससे राज्य को सर्वोच्च शक्ति सम्पूर्ण समाज के हाथों में होती है।[4] डायसी के अनुसार, "प्रजातंत्र वह शासन व्यवस्था है जिसमे राष्ट्र का अधिकांश भाग शासक होता है।"[5] लोकतंत्र की एक सरल परिभाषा अब्राहम लिंकन को भी देने का श्रेय जाता है जिनके अनुसार "प्रजातंत्र का अर्थ प्रजा का शासन, प्रजा से और प्रजा के लिए होता है।" अर्वाचीन चिंतकों में लार्ड ब्राइस लोकतंत्र को और अधिक स्पष्टता प्रदान करते हुए लिखते हैं कि "लोकतंत्र सरकार का वह रूप है जिसमें योग्यता प्राप्त नागरिकों की संख्या कम से कम तीन चौथाई होनी चाहिए ताकि मोटे तौर पर नागरिकों का भौतिक बल उनकी मतदान शक्ति के बराबर बना रहे।"[6] इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए शूम्पीटर लोकतंत्र की वस्तुस्थिति करते हुए कहते हैं कि "लोकतंत्रीय प्रणाली राजनीतिक प्रश्नों के निर्णय करने की उस व्यवस्था का नाम है जिसमें कुछ व्यक्ति जनता के वोट के लिए परस्पर प्रतियोगिता द्वारा निर्णय करने की शक्ति प्राप्त कर लेते हैं।"[8]

कवि रवीन्द्र नाथ टैगोर ने 1904 में अपने निबंध "स्वदेशी समाज" मे प्रजातंत्र को ग्राम एवं ग्रामीणों की उन्नति साथ स्वयं की ताकत को पहचानते हुए साथ कार्य करने एवं सहयोग कर राष्ट्र को मजबूत एवं एकीकृत करने का माध्यम माना है।

पण्डित जवाहरलाल नेहरू के अनुसार "प्रजातंत्र मानवता पर शासन करने के हमारे बेहतरीन विकल्पो मे से एक है"[9] लोकतंत्र की पूर्ण प्रतीती हमे गांधी, विनोबा एवं जयप्रकाशनारायण 'सर्वोदय' आन्दोलन में ही होती है जो भारत का परमपुरातन आदर्श रहा है।

सर्वे भवतु सुखिन सर्वे सन्तु निरामया ।
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चिद दु खमाप्नुयाद॥[10]

सबका उदय, सबका उत्कर्ष, सबका विकास हो तो सर्वोदय है। दादाधर्माधिकारी अपनी रचना सर्वोदय दर्शन में लोकतंत्र के बारे में स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि "जहां 'मैं' और 'तू' का भेद समाप्त हो जाता है। मेरी सत्ता तुम पर नहीं, तुम्हारी सत्ता मुझ पर नहीं। अपनी सत्ता अपने पर। यही वास्तविक लोकसत्ता कहलाती है।[11]

लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया लोक में लोकतांत्रिक मस्तिष्क के उन्नयन का पथप्रदर्शन करती है। लोकतांत्रिक मस्तिष्क की संरचना खुली हुई है और लचीली होती है और तर्क एवं बुद्धि इसकी केन्द्रीय एवं सक्रिय विशेषताएँ होती हैं। तर्क व्यक्ति को परिवर्तन में सन्तुलन और निरंतरता तथा विभिन्नता में एकता का अनुभव करने के योग्य बनाता है। व्यक्ति और नवीनता के भय से मुक्त हो जाता है बुद्धि के माध्यम से व्यक्ति तेजी से परिवर्तित विश्व के साथ सामंजस्य करने की क्षमता व काबिलियत प्राप्त करता जाता है।

भारतीय संविधान भी लोकतंत्र के अधुनातन स्वरूप का प्रमुख आधार रहा है जिसमें भारत को सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित करते हुए कहा है कि "हम

भारत के लोग भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सबसे व्यक्तियों की गरिमा और राष्ट्र की एकता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवम्बर, 1949 ई० तिथि मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी सम्वत् 2006 विक्रमी को एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।"[12]

गाँधी जी की मान्यता थी कि एक प्रजातांत्रिक नीति का आधार अहिंसा तथा इसके मूल्य आज्ञाकारिता एवं विश्वसनीयता होने चाहिए। गाँधी की लोकतंत्र की अवधारणा में सरकार वो श्रेष्ठ है जो कम से कम शासन करे। गाँधी जी कहते थे कि सच्चे लोकतंत्र के लिए हवा, पानी, भूमि उत्पादन के साधनों तथा लाभ पर सब का स्वामित्व समान होना चाहिए। केवल सत्ता बहुसंख्य कही भागीदारी से ही लोकतंत्र कायम नहीं होगा। गाँधी एवं नेहरू का लोकतंत्र केवल सरकारी व्यवस्था मात्र न होकर एक जीवन दर्शन है। नेहरू ने लोकतंत्र को लोक के कल्याण एवं प्रसन्नता के साथ ही लोगों के मध्य असमानता दूर करने शान्तिपूर्ण कार्य करने का तरीका, निर्णय लेने तथा परिवर्तन की स्वीकृति शान्तिपूर्ण तरीके से होने का माध्यम माना है।

विकेन्द्रीकरण अभिप्राय एवं अवधारणा

जनता की सत्ता, संगठन एवं संसाधनों में प्रशासनिक, राजनीतिक समान भागीदारी ही विकेन्द्रीकरण है। लोकतंत्र, लोकस्वराज, सर्वोदय, ग्रामदान सहभागी लोकतंत्र एवं पंचायतीराज इन सभी का मूलाधार विकेन्द्रीकरण है। शक्तियों का ऊपर से नीचे की ओर प्रवाह, लालफीताशाही के अवसरों का अभाव तथा निर्णय व उत्तरदायित्व में व्यापक सहभागिता ही किसी भी संगठन में विकेन्द्रीकरण के अभिप्राय का सही द्योतक है। एल.डी. व्हाइट के शब्दों में विकेन्द्रीकरण का अभिप्राय "प्रशासन के निम्नतल से उच्च तल की ओर प्रशासकीय सत्ता के हस्तांतरण की प्रक्रिया को केन्द्रीयकरण कहते हैं जबकि इसके विपरीत व्यवस्था को विकेन्द्रीकरण कहा जाता है।"[13]

रूमकी बसु के अनुसार "विकेन्द्रीकरण का अभिप्राय प्रशासनिक सत्ता का केन्द्र से स्थानीय अभिकरणों को स्थानान्तरण है जो कि क्षेत्र में स्वायत्ता से कार्य करते हैं।"[14]

विकेन्द्रीकरण न केवल प्रशासकीय सत्ता के न्याय या छितराव की एक विधि है वरन् यह राजनीतिक सत्ता एवं उत्तरदायित्व के हस्तान्तरण का एक जनतांत्रिक मार्ग है। किसी भी विकेन्द्रीकृत संगठन में लोकतांत्रिक नियम संगठन तथा जनसाधारण के बीच उचित सम्पर्क, सहयोग, समन्वय एवं सूझ-बूझ स्थापित करने में सहायक है अपने अभिप्राय के प्रशासनिक सन्दर्भों में विकेन्द्रीकरण द्वारा अन्तिम आदेश देने की शक्ति तथा परिणामों के लिए उत्तरदायित्व सम्पूर्ण देश की स्थानीय इकाइयों को सौंपा जाता है। विकेन्द्रीकरण का सार कुशल एवं प्रभावी कार्य के लिए अधीनस्थ अधिकारियों तथा उपविभागों को कार्य एवं उत्तरदायित्व सौंपना है।

प्रभुदत्त शर्मा विकेन्द्रीकरण को पाँच वर्गों में अभिव्यक्त करते हैं —

1. प्रशासकीय पहलु :

सत्ता का हस्तान्तरण इस प्रकार किया जाए कि स्वेच्छा से कार्य करने का विशाल क्षेत्र अधिनस्थ अधिकारियो को सौंपा जाए तथा शीर्षस्थ मुख्य अधिकारी को कम से कम प्रश्न सबोधित किये जाये।

2. राजनीतिक पहलु :

निर्वाचित निकायो के हाथो में अधिक शक्ति सौंपी जाए और प्रशासन के कार्यों में जनता का पूरा-पूरा सहयोग रहे।

3. भौगोलिक पहलु :

जनता के निकट के तथा प्रधान कार्यालय के दूर की क्षेत्रीय इकाईयों को स्वतत्रता दी जाए।

4. कार्यात्मक पहलु :

विभिन्न कार्यों को सम्पन्न करने के लिए विभिन्न विभागो को कार्य स्वतंत्रता दी जाए।

5. प्रशासकीय पक्ष :

सगठन की व्यक्तिगत इकाईयो को अधिक शक्ति सौंपी जाए तथा मुख्य कार्यालय मे नियत्रण की कुछ मूल शक्तियो को ही रखा जाए।[15]

अमेरिका के टैनेसी घाटी प्राधिकरण के निदेशक मण्डल के अध्यक्ष लिलेन्थल ने विकेन्द्रित प्रशासन की तीन महत्त्वपूर्ण विशेषताओ को बताया है—

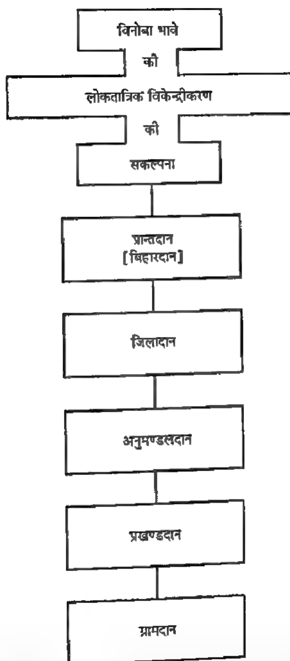
1. अधिकतम निर्णय क्षेत्र मे ही लिये जाने चाहिए।
2. जनता को प्रशासन में प्रत्यक्ष भागीदारी के अधिकतम् अवसर हो।
3 क्षेत्र में कार्यरत अभिकरणो के मध्य बेहतर समन्वय होना चाहिए।[16]

डॉ. एम.पी. शर्मा विकेन्द्रीकरण को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि "विकेन्द्रित सगठन के भीतर अधिकांश मामलो मे निर्णय करने की शक्ति निम्न अधिकारियो के हाथो मे रहती है तथा अपेक्षाकृत कम मामले उच्चतर अधिकारियो के पास भेजे जाते हैं उच्चतर अधिकारियों के पास केवल वे ही मामले भेजे जाते हैं जो बडे तथा महत्त्वपूर्ण होते हैं। निर्णय के जितने अधिक केन्द्र किसी संगठन में होते हैं वह उतना ही अधिक विकेन्द्रित माना जाता है।"[17]

हरमन फाइनर के *अनुसार "विकेन्द्रीकरण व्यवस्था वह व्यवस्था है जिसमे सरकार के* विभिन्न केन्द्र स्थानीय राज्य और केन्द्र होते हैं, प्रत्येक को स्वतत्र अस्तित्व तथा कार्यों के *आधार पर जाना जाता है।"*[18] *आचार्य विनोबा भावे ग्रामदानी प्रारूप को विकेन्द्रीकरण का* यथार्थ स्वीकारते हुए कहते हैं कि पहले ग्रामदान हो फिर प्रखण्डदान तत्पश्चात् *अनुमण्डलदान एव जिलादान के पश्चात् प्रान्तदान हो।*

स्वशासन को ग्रामदानी व्यवस्था मे प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक व्यक्ति की स्वायत्ता, कल्याण एवं विकास का समग्र व अपनत्त्व से ध्यान रखे तभी सच्चा राजनीतिक, प्रशासनिक, सामाजिक आर्थिक विकेन्द्रीकरण संभव हो सकेगा।[19]

विनोवा भावे की लोकतंत्र एव विकेन्द्रीकरण को सकल्पना इस प्रकार है—



अहिसा सत्य एव प्रेम पर आधारित गाँधी की ग्राम स्वराज्य की कल्पना विकेन्द्रीकरण की भारतीय अवधारणा का यथार्थ है। उनका ट्रस्टीशिप एव सर्वोदय, का विचार इस अवधारणा के आधार स्तम्भ है तो अत्योदय का विचार इसकी आत्मा है। किसी भी व्यवस्था

के विकास में अविकेन्द्रीकरण एव अतिविकेन्द्रीकरण दोनों अलाभकारी है अतः दोनों का सन्तुलित उपयोग ही श्रेयस्कर है।

चार्ल्स बर्थ के अनुसार विकेन्द्रीकरण से प्रशासकीय कुशलता बढती है तथा नागरिकों मे व्यक्तिगत औचित्य की भावना का विकास होता है। इसमें कुछ आध्यात्मिक गुण होते हैं।[20] विकासशील देशों एव नवस्वतत्र प्रजातात्रिक देशों में जहाँ आर्थिक, सामाजिक न्याय तथा विकास एक महत्वपूर्ण ध्येय है वहाँ इस सबके लिए योजनाओ का निर्माण, क्रियान्वयन एव प्रबधन केन्द्रीकृत व्यवस्था मे कुशलता से न होने के कारण विकेन्द्रीकरण व्यवस्था एव विचार ही एक मात्र समाधान स्वीकार किया गया। सरकार की बढती जिम्मेदारियो एव जन अपेक्षाएँ विकास एव परिवर्तन की चुनौतियो का केन्द्रीयकृत व्यवस्था में समाधान असम्भव हो गया है जिसकी परिणिति विकेन्द्रीकरण की स्वीकृति ही एक मात्र समाधान के माध्यम के रूप में अगीकार की गई।

सत्ता, सगठन निर्णयन, विकास, कल्याण, परिवर्तन, नीतियों एव योजनाओ के क्रियान्वयन, मूल्याकन तथा उत्तरदायित्वो में बहुजन की सहभागिता ही विकेन्द्रीकरण है। विकेन्द्रीकरण के अभिप्राय एव अभिव्यक्ति के अवधारण एव दर्शन में निहित है रस्किन का ''अन टु दी लास्ट'' गाँधी का सर्वोदय, अत्योदय विचार तथा लोकनायक जयप्रकाश नारायण का राजनीतिक, आर्थिक जन सहभागिता पर आधारित ''सहभागी लोकतत्र'' का विचार एव विनोबा भावे का 'भूदान दर्शन' दादा धर्माधिकारी का समग्रता पर 'अपना' 'अपन का' 'हमारा' विचार की यथार्थ क्रियान्विती।

विकेन्द्रीकरण के भारतीय एव पाश्चात्य दर्शन में थोड़ा अन्तर हमें दिखाई देता है। विकेन्द्रीकरण का भारतीय दर्शन जहाँ, मूल्यो, परम्पराओ नैतिकता, सहयोग, सौहार्द, प्रेम, अहिसा सत्य के साथ विकेन्द्रीरकण के पाश्चात्य दर्शन से सामजस्य की बात करता है। वहाँ दूसरी ओर विकेन्द्रीकरण का पाश्चात्य दर्शन सिद्धान्तो, नियमो प्रक्रियाओं पर आधारित है जिसमे लोकभावनाओं एव मूल्यो का कोई स्थान नहीं है। अत विकेन्द्रीकरण की भारतीय अवधारणा जहाँ जीवतता लिए हुए है वहाँ पाश्चात्य अवधारणा विशुद्ध सैद्धान्तिकता पर आधारित सिद्धातवादी मात्र है। भारतीय व्यवस्था व विचार में विकेन्द्रीकरण भारतीय मूल्याधारित जीवतता एव पाश्चात्य सिद्धातिकताधारित विकेन्द्रीकरण की विचारधारा का सम्मिलित स्वरूप है। गाँधी जी राजनीतिक विकेन्द्रीकरण के ग्रामीण समुदायों को उनके कार्य प्रबधन मे व्यापक स्वायत्तता को सर्वोपरी मानते हैं। विकेन्द्रीकरण पर जयप्रकाश नारायण विचार व्यक्त करते हुए कहते हैं कि ''राजनीति और आर्थिक ढाचे एक दूसरे से अलग नहीं है। ये समाज के एक ही भवन के अभिन्न अग हैं। बिना आर्थिक विकेन्द्रीकरण के राजनैतिक विकेन्द्रीकरण कारगर नहीं हो सकता।''[21]

विकेन्द्रीकरण की आवश्यकता क्यों?

वैसे तो लोकतत्रीकरण की प्रक्रिया के साथ ही विकेन्द्रीकरण के विचार की कल्पना एव व्यवहार स्वाभाविक है। साम्राज्यवादी ताकतों के फासीवादी, नाजीवादी एव शोषणयुक्त प्रवृत्तियों का ही परिणाम है कि दुनिया में स्वतत्र राष्ट्रों की प्राथमिक आवश्यकता लोकतत्र हो गई। विकसित एव विकासशील राष्ट्रो मे विकास व कल्याण, परिवर्तन एव आर्थिक, सामाजिक न्याय की धारा ने लोकतात्रिक सरकारो के समक्ष नीति निर्माण, निर्धारण एव

क्रियान्वयन मे अनेक चुनौतियाँ केन्द्रीकरण के कारण उत्पन्न कर दी तथा साथ ही जन भावनाएँ भी स्वायत्तता एवं विकास में अपनी भागीदारी की माग करने लगी ऐसे समय में शासन शासक एवं शासितों के हक में विकेन्द्रीकरण ही समस्याओं के समाधान का एक मात्र मार्ग दिखा। निर्णयो नीतियों उत्तरदायित्वों सत्ता अतिकेन्द्रीकृत व्यवस्था ने लोकतत्र शासकों के समक्ष जटिल समस्याऐ पैदा कर दी अत अच्छे परिणामो व स्तर क्रियान्वयन बेहतर निर्णय एवं विकास कल्याण एवं सभी मे जनभागीदारी सुनिश्चित करने हेतु विकेन्द्रीकृत व्यवस्था के विचार का उदगम हुआ।

आज की विकेन्द्रित प्रजातात्रिक व्यवस्था अतीत की ओर निरकुश एव साम्राज्यवादी शासन व्यवस्था की असतुष्टि से उत्पन्न जनमानस की अभिव्यक्ति की स्वीकारोक्ति की परिणिति है।

लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण अभिप्राय एवं अवधारणा

लोकतत्र एव विकेन्द्रीकरण दोनों एक दूसरे के अभाव में अपूर्ण एव अप्रासगिक हैं। यदि दोनो को जीवत व व्यावहारिक बनाये रखना है तो दोनों का आत्मगत सहभागी सहयोगात्मक समन्वित सर्वस्वीकृत प्रजातात्रिक विकेन्द्रीकृत प्रारूप अगीकार करना होगा। राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था में प्रजातात्रिक विकेन्द्रीकरण की अवधारणा का आधार आज सर्वाधिक लोकस्वीकृत एवं अपरिहार्य हो गया है। किसी भी जनतात्रिक व्यवस्था में शासन एव प्रशासन की गतिविधियों के सचालन के हर स्तरो पर जन सहभागिता की सक्रियता का एक मात्र पाथेय प्रजातात्रिक विकेन्द्रीकरण ही है। जिसके माध्यम से जनता अपने व क्षेत्रीय विकास कल्याण सुरक्षा हेतु निर्णयो मे अपनी अधिकतम सक्रिय भागीदारी से शासन में विश्वसनीयता पारदर्शिता एवं कुशलता तथा क्षमता उत्पन्न कर स्व के समग्रहितों को सरक्षित कर सकती है।

लोकतात्रिक विकेन्द्रीकरण दो शब्दों "लोकतंत्र" और "विकेन्द्रीकरण" से बना है। जिसमे जनता का शासन हो तथा जनता का शासन से प्रत्यक्ष और सजीव सम्पर्क हो। लोकतात्रिक विकेन्द्रीकरण को ग्रास रूट डेमोक्रेसी के नाम से अभिहित किया है। वेबस्टर्स की "न्यूट्वन्टीयर्स सेंचुरी डिक्सनरी ऑफ इगलिश" "ग्रास रूट" से अभिप्राय आम व्यक्ति द्वारा उन्हीं के बीच दी दिया गया है अर्थात् वह राजनीतिक आन्दोलन जो सामान्य जन के द्वारा अपने स्तर पर शुरू किया जाये। एशिया एवं अफ्रीका नवस्वतत्र नवोदित राष्ट्रों मे द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात् लोकतत्र की जडों को मजबूत बनाने तथा आमजन को अपने नागरिक एव राजनीतिक जीवन में सही मायनो में भागीदार बनाने की दृष्टि से लोकतात्रिक सरचना के अधिकतम विकेन्द्रीकरण के प्रायोगिक प्रयास शुरू किये।

"विकेन्द्रीकरण" के पूर्व "लोकतात्रिक" शब्द के उपयोग करने से इसका अर्थ प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण को पृथक् से समझने मे भी सहायता करता है। प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण की अवधारणा प्रशासन में कुशलता लाने के विचार से अभिप्रेरित है। प्रशासन में जब शक्तियों का विकेन्द्रीकरण किया जाता है तो उसका उद्देश्य प्रशासन के निचले स्तरों पर निष्पत्ति और प्रशासनिक कार्मिकों की गतिवृद्धि के माध्यम से उनकी कुशलता बढाने से होता है। जबकि लोकतात्रिक विकेन्द्रीकरण का उद्देश्य शासन के कार्यों में सरकार के प्रत्येक स्तर पर राष्ट्रीय प्रान्तीय और विशेषत स्थानीय स्तर पर जनता की अधिकतम सहभागिता प्राप्त करना होता है। प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण में प्रशासन के निचले स्तरों पर किसी योजना को

अधिक स्वतंत्रतापूर्वक कार्यान्वित करने का अधिकार निहित देखा जा सकता है। इसमें योजना उच्च स्तर के लोगों द्वारा बनायी जाती है और उसकी क्रियान्विती की प्रक्रिया में नीचे के स्तर को स्वतंत्रता अभीष्ट होती है।

लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण को स्थानीय स्तर पर लोगों का अपने कल्याण की योजनाओं को बनाने एवं पहल करने तथा स्वायत्तापूर्वक उन्हें कार्यान्वित करने के अधिकार के रूप में देखा जा सकता है। इस प्रकार "लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण" प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण की तुलना में अधिक व्यापक है और दोनों में अन्तर उनके उद्देश्य को लेकर किया जा सकता है। लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण जहाँ लोगों की सहभागिता पर बल देता है वहाँ प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण का उद्देश्य कुशलता को बढ़ावा देना होता है।[22]

लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण के विचार को प्रत्यायोजन या विसंकेन्द्रन के समानार्थक समझकर भ्रमित नहीं होना चाहिए। यद्यपि इन तीनों शब्दों में कुछ समान गुण हो सकते हैं फिर भी ये समानार्थक नहीं है। प्रत्यायोजन में सत्ता का उच्च अधिकारी द्वारा अधीनस्थ अधिकारी को हस्तांतरण होता है जो उस सत्ता के उपयोग के लिए अपनी इच्छा के अनुरूप स्वतंत्र नहीं होता अपितु उसका निर्वाह उच्च अधिकारी के निर्देशों और मोद या प्रसाद की सीमाओं के अन्तर्गत करना होता है।

जबकि लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण लोकतांत्रिक सिद्धान्त का विस्तार है, इसमें स्थानीय स्तर पर लोगों का अपने कार्यों के बिना हस्तक्षेप के प्रबन्ध का अधिकार निहित है। इस प्रकार लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण के विचार में जहाँ लोगों का अधिकार अन्तर्निहित देखा जा सकता है वहाँ प्रत्यायोजन उच्च अधिकारी द्वारा अधीनस्थ अधिकारी को प्रदत्त सुविधा मात्र है। लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण एक ऐसा सिद्धांत है जो स्थानीय लोगों को मौलिक सत्ता के उपभोग का अधिकार प्रदान करता है। जबकि प्रशासनिक प्रत्यायोजन या विसंकेन्द्रन, किसी भी प्रशासनिक संगठन में प्रशासनिक कुशलता प्राप्त करने का उपागम मात्र है जिससे अधीनस्थ अधिकारी द्वारा ऐसी सत्ता का उपयोग किया जाता है जो उसे उच्च अधिकारी द्वारा दी गई है।[23]

चीन जैसे साम्यवादी व्यवस्था वाले देशों में लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण के स्थान पर लोकतांत्रिक केन्द्रीकरण की प्रक्रिया को अपनाया गया है। साम्यवादी व्यवस्था में लोकतंत्र नीतियों के निर्धारण की प्राथमिक प्रक्रिया तक सीमित है। तत्पश्चात् समस्त प्रक्रियाओं पर केन्द्रीय नेतृत्व का केन्द्रीकरण स्थापित हो जाता है। लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण में जहाँ लोकतंत्र में लोगों की सहभागिता व स्वायत्तता पर बल दिया जाता है वहाँ लोकतांत्रिक केन्द्रीकरण में लोगों की सहभागिता तथा सत्तावाद दोनों पर बल होता है, यद्यपि यह बल सत्तावाद पर अधिक होता है।[24]

सत्ता एवं संगठन के सिद्धांतों का जन सहभागिता, जन सहयोग, जनस्वायत्तता द्वारा राजनीतिक एवं प्रशासनिक परिप्रेक्ष्य में व्यवहार में लाना ही सच्चा लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण है। "लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण एक ऐसी राजनीतिक धारणा है जो शासन के कार्यों और निर्णय में लोगों की भागीदारी का विस्तार करती है। यह धारणा उच्च स्तर से नीचे के स्तर के जनप्रतिनिधियों को सत्ता को स्वायत्तता सहित विकेन्द्रीकरण करती है। सत्ता का यह

विकेन्द्रीकरण उपर्युक्त इंगित तीन दिशाओं में राजनीति निर्णय निर्माण, वित्तीय नियंत्रण और प्रशासकीय प्रबंध में होता है।''[25]

लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण को राममनोहर लोहिया अपने चतुस्तम्भी (चार स्तम्भों वाले) राज्य की कल्पना के रूप में साकार पाते हैं तथा "पाँचवें स्तम्भ" के रूप में वे *विश्वसरकार की कल्पना करते हैं। चौखंभा राज्य में केन्द्रीकरण तथा विकेन्द्रीकरण की* परस्पर विरोधी धारणाओं को समन्वित करने का प्रयत्न किया है। इस व्यवस्था के अन्तर्गत एकीकृत कर दिया जायेगा। कार्यों का सम्पादन उन्हें एक सूत्र में बांध कर रखेगा। इस चौखंभा राज्य में जिलाधीश का पद समाप्त कर दिया जायेगा, क्योंकि यह राजनीतिक शक्ति के केन्द्रीकरण की बदनाम संस्था है। इसके अतिरिक्त मण्डलों, गाँवों तथा नगरों की पंचायतें कल्याणकारी नीतियों तथा कार्यों का उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लेंगी।[26]

भारत विश्व की प्राचीनतम् समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की भूमि रहा है जिसने संस्कृति, साहित्य, दर्शन, राजनय एवं धर्म के क्षेत्र में सभ्यता को अतुलनीय योगदान अदा किया है। प्रेम, अहिंसा और सत्य के साये में यहाँ का राजनय पल्लवित पुष्पित होकर जनतंत्र एवं गणतंत्र के अंकुरण का कारण बना। वैदिककालीन सभा समिति, रामराज्य, जनपद काल आदि ऐसे प्रमाण हैं जो प्रजातांत्रिक विकेन्द्रीकरण की अवधारणा के मूलाधार कहे जा सकते हैं। हो सकता है कि सुव्यवस्थित, विकसित तथा प्रचारित करने के अवसर का लाभ पाश्चात्यों को मिल गया हो। पंचफैसला पद्धति आज भी भारतीय समाज में व्याप्त है जिसमें पंचायती राज *व्यवस्था के प्रजातांत्रिक अवधारणा का दर्शन अंतर्निहित है। आश्रम व्यवस्था एवं श्रम के आधार पर जन समूहों का विकेन्द्रीकरण भारतीय संस्कृति की परम्परा का महत्वपूर्ण तत्व रहा* है। राम की रावण पर, कृष्ण की कंस पर तथा पाण्डवों की कौरवों पर निरंकुश राजतंत्र पर लोकप्रिय जनतंत्रात्मक राजतंत्र की विजय का प्रमाण प्रजातांत्रिक विकेन्द्रीकरण की अवधारणा के सटीक प्रमाण व उदाहरण प्रतीत होते हैं। जो आज के प्रजातांत्रिक युग में भी शायद ही मिले।

भारत में पंच फैसले की परम्परा पुरातन काल से चली आ रही है जिसमें पंचायती राज व्यवस्था की प्रजातांत्रिक विकेन्द्रीकरण की अवधारणा प्रमाणित होती है तथा प्रत्येक काल खण्ड में इस प्रजातांत्रिक विकेन्द्रीकरण की अवधारणा के प्रमाण हमें मिलते हैं।

इस्लाम धर्म में भी 40 व्यक्तियों की सभा द्वारा अपना नेता चुनने की व्यवस्था लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण का ही उदाहरण है।

पी.आर. दुभाषी के अनुसार सामान्य अर्थों में "लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण का अभिप्राय" स्थानीय मुद्दों या मामलों का स्वतंत्र लोकप्रिय प्रबंधन है।" ["Free Popular management of Local Affairs"] लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण स्थानीय स्तर पर सरकारी कार्यों में जनभागीदारी का एक सशक्त माध्यम है। जिसके आवश्यक तत्त्व निम्नलिखित हैं :—

1 विभिन्न स्तरों पर सत्ताओं का अस्तित्व हो जिसकी अंतत सम्प्रभुता जनता के करीब हो।

2 इन सत्ताओं को लक्ष्यों के अनुरूप कार्य सौंपे जाने चाहिए।

3 इन सत्ताओं की सरचना प्रजातांत्रिक हो।

4 इन सत्ताओं का कार्यकरण प्रजातात्रिक हो।

5 इनके सीमित कार्य (लक्ष्य) क्षेत्र में प्रजातात्रिक उच्च सत्ता द्वारा इन्हें स्वायत्तता प्रदत्त हो।[27]

प्रो इकबाल नारायण के अनुसार "लोकतात्रिक विकेन्द्रीकरण की अवधारणा के मुख्य सघटक (Ingrediats)" निम्न है—

1 जैसा कि शब्द लोकतात्रिक स्वय लक्ष्य अभिधारण में जनता का उनकी अपनी सरकार के साथ व्यापक और निकटस्थ सम्बन्ध का भाव रखता है।

2 इसमें सत्ता के फैलाव (विस्तार) का हस्तातरण सरकार के उच्चतर स्तरों से निम्नतर स्तरों पर होता है।

3 सत्ता का यह फैलाव मानकर चलता है कि जनता के लिए स्वायत्तता का अभिप्राय नीति निर्माण और कार्यों योजनाओं के सम्बन्ध में राजनैतिक निर्णय लेना उनको क्रियान्वित करने के तरीके तथा ढग का युक्ति है। इसके लिए आवश्यक वित्त का प्रबध और नियत्रण तथा अन्तत इसके प्रशासन को दिशा देना तथा नियत्रण है।

4 इस प्रकार विकेन्द्रीकृत सत्ता जनता द्वारा प्रत्यक्षत अथवा अप्रत्यक्षत अपने प्रतिनिधियों द्वारा सचालित हो और निश्चित रूप से लोकतात्रिक विकेन्द्रीकरण का सस्थागत तत्र चुना हुआ हो।

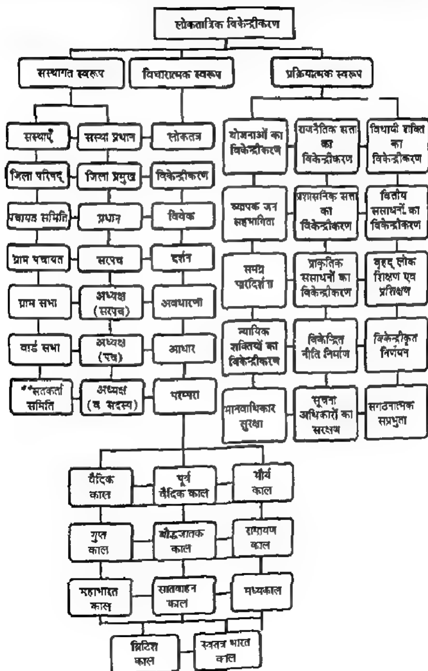
इस प्रकार पचायतीराज सस्थाएँ न तो पूर्ण रूपेण राजनीतिक पौधशालाएँ (नसरी) है और नहीं केवल राज्य प्रशासन यत्र का स्थानीय स्तर पर 'विस्तार'। वे तो आर्थिक क्षेत्र में राष्ट्र निर्माण के यत्र के रूप में प्रतिबद्ध है।[28]

विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं के उत्थान पतन सघर्ष एव विकास के वैचारिक एव भौतिक भग्नावशेष अत्याधुनिक मानव सभ्यता की प्रगति के मूल प्रेरक रहे हैं। धर्म जाति एव भूखण्ड में बटी मानव सभ्यता को ये भग्नावशेष एक सत्ता की छत के नीचे अनुशासित रहकर जीने की कला के अनेक प्रारूपों की प्रेरणा देते रहे है। जिनका आधार सर्वदा सर्व की सत्ता सर्व का विकास सर्व का कल्याण की भावना रहा है जिसमें वो अकुरित पल्लवित पुष्पित होती रही है। व्यक्तिगत महत्त्वाकाक्षाओं एव दुर्भावनाओं एव सकीर्णताओ एव स्वार्थों ने अवश्य समय-समय पर विचारों एव स्थितियों को अपने हितों में विकृत करने का प्रयास किया मगर उसका मूल कहीं न कहीं जिन्दा रहा हो आज UNO विश्व पचायत या विश्व ससद के रूप में हमारे समक्ष है। "लोकतत्र केवल सरकार का स्वरूप एव विचार ही नहीं एक जीवन दर्शन एव पद्धति है जिसमें समग्र के समान कल्याण की सभी सभावनाएँ व्याप्त है।

गाँधी का ग्राम स्वराज्य विनोबा का ग्रामदान तथा जयप्रकाश नारायण का सर्वोदय एव सहभागी लोकतत्र लोकतात्रिक विकेन्द्रीकरण के चरम आदर्श है। सघर्ष एव चुनौती की समाप्ति एव सभाव एव सहयोग ही इसके मूल मत्र का भारतीय दर्शन है जो सही मायनों में सच्चे एव सही लोकतात्रिक विकेन्द्रीकरण के प्रहरी हैं।

आरेख 2 1
ग्रामीण भारत मे

प्रजातांत्रिक विकेन्द्रीकरण की अवधारणा व दर्शन   संस्थात्मक, विचारात्मक एवं प्रक्रियात्मक आधार



ग्रामीण भारत मे प्रजातात्रिक विकेन्द्रीकरण की परम्परा एव दर्शन : एक सिहावलोकन

प्रजातत्र, विकेन्द्रीकरण एव लोकतात्रिक विकेन्द्रीकरण के अभिप्राय एव अवधारणा को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य मे विवेचन करने से ज्ञात होता है कि लोकतात्रिक विकेन्द्रीकरण का वैचारिक एव व्यावहारिक दर्शन भारत मे प्राचीन काल से चला आ रहा है। "पूर्व ऐतिहासिक काल एव प्राचीन ऐतिहासिक काल में भी आदिवासी कबीलों के मुखियाओं की समिति द्वारा दिन-प्रतिदिन के कार्यों के सचालन का उल्लेख मिलता है।"[29] भारत में मेघालय, नागालैण्ड, मिजोरम, किन्नोर, हिमाचल प्रदेश, आध्रप्रदेश, कर्नाटक तथा भील प्रभावित मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा गुजरात के प्रदेशो में आज भी अपने मामलों के स्वसचालन व निर्णयन की परपराएँ अस्तित्व मे है।

वैदिक काल

वेदों में उल्लेखित "अदिति· पचजना:" अर्थात् समाज के विभिन्न वर्गों के पाच व्यक्ति मिलकर न्याय आदि कार्यों की व्यवस्था करते थे। निष्पक्ष न्याय व्यवस्था के कारण "पच-परमेश्वर" के भाव का प्रविर्भाव हुआ तथा पचायत के निर्णयों को ईश्वरीय फैसलों के समकक्ष मान्यता मिली। इसमे जातीय पचायतों एव ग्राम पचायतो की अपनी-अपनी महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है। इन्हीं सस्थाओ के सन्दर्भ में भारतीय वैदिक ग्रथो में सभा एव समिति नामक लोकतात्रिक सस्थाओं का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के इस सूक्त से यह ज्ञात होता है कि इन सस्थाओं की कार्यप्रणाली की निष्पक्षता एव पावनता पर कितना ध्यान दिया जाता था।

"समानो मत्रः समिति समानी, समान मन सह चित्तमेषाम्।"[30]

पुराअभिलेखो तथा शुक्रनीतिसार मे ग्राम समिति के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया तथा उनके लिए अर्हताओ का उल्लेख मिलता है। जिस शासन से करोडों भारतीय शताब्दियो से शासित एव स्वाशासित रहते आये हैं। उन्हें पचायत अर्थात् "पच-आयत" शाब्दिक दृष्टि से गाँव वालो द्वारा चयनित पाच व्यक्तियो का समूह है। जिसमें 'स्वशासन' की भावना परिलक्षित होती है। सस्कृत भाषा के ग्रथो में "पचायतन" शब्द का अभिप्राय आध्यात्मिक पुरुष सहित पाच पुरुषों के समूह अथवा वर्ग से है। पश्चातवर्ती समय में पचायतीराज का आध्यात्मिक अभिप्राय तो लुप्त हो गया तथा अपने नये अर्थों में पाच जनप्रतिनिधियों की सभा जो स्थानीय विवादों के समाधान में अहम् भूमिका निभाती है के रूप में रह गया।

सभा और समिति को समान स्तरीय माना गया और दोनों को प्रजापति की कन्या कहा गया है।[31] ऋग्वेद में समिति और सगति को एक ही कहा है और उनके सगठन के समान ही सभा का भी सगठन माना है।"[32] के पी जायसवाल समिति को राष्ट्र के सभी सदस्यों की राष्ट्रीय सभा मानते हैं उसका सगठन प्रतिनिधित्व पर आधारित होता था। यह सार्वभौम सस्था थी। राजा को चुनने, पदच्युत करने एवं पुनर्नियुक्त करने का उसे अधिकार था। समिति के समान सभा भी सार्वजनीन सस्था थी। तथ सभा ग्राम के वरिष्ठ नागरिक की सभा थी जो दण्ड विधि की अन्तिम सभा थी।[33] जिम्मर महोदय सभा को ग्राम सभा मानते हैं जिसका प्रधान ग्रामणी होता था।[34]

भारत में "रामराज्य" जनकल्याण व जनतंत्र का एक आदर्श प्रारूप है। "रामायण काल में प्रशासन पुर तथा जनपद दो भागों में विभाजित था। ग्रामो की गणना जनपद में की जाती थी तथा यहाँ के निवासी जानपदा कहलाते थे। ग्राम, महाग्राम तथा घोष का उल्लेख रामायण मे मिलता है।"[35] महाभारत में भी ग्राम का छोटी स्वायत्तशासी संस्था के रूप मे उल्लेख मिलता है। "महाभारत के शातीपर्व के अनुसार शासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। उसके ऊपर क्रमश दस बीस शत तथा सहस्त्र ग्राम समूहो की इकाई होती थी। ग्राम शासन का प्रमुख अधिकारी ग्रामिक था। अपने ग्राम तथा उसके निवासियों की स्थिति विशेषत कठिनाईयों की सूचना वह अपने से श्रेष्ठ दस ग्रामाधिकारी (दशप) को देता था। इसी प्रकार दशप विशत्यधिप को विशत्यधिप शत ग्रामपाल को और शतग्रामाध्यक्ष सहस्त्र ग्रामपति को अपने-अपने क्षेत्रों से संबंधित आवश्यक सूचनाएँ देते थे और उनके आदेशानुसार शासन करते थे।[36] आदित्य पर्व मे ग्राम मुख्य का उल्लेख मिलता है जो सभवत ग्रामीण जनता का प्रतिनिधि था। सभा पर्व मे ग्राम पचायतों का उल्लेख मिलता है लेकिन यह पुष्ट नहीं होता है कि पच जनता द्वारा निर्वाचित होते थे या राजा द्वारा मनोनीत।"[37]

मनुस्मृति न केवल स्थानीय स्वायत्तशासन की सस्थाओं के अस्तित्व की चर्चा करती है वरन् उनके अतरसम्बन्धो का भी उल्लेख इसमें मिलता है। मनु के अनुसार शासन की शक्तियों एव कार्यों का विकेन्द्रीकरण होना चाहिए तथा प्रजा में स्वशासन की प्रकृति होनी चाहिए। इस हेतु राजा को पृथक् उत्तरदायी मत्री की नियुक्ति का परामर्श दिया है। मनु ने शासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम को माना तथा उसके ऊपर क्रमश दस बीस शत तथा सहस्त्र ग्राम समूहों के सगठन की व्यवस्था की प्रत्येक ग्राम के प्रशासन के लिए उत्तरदायी अधिकारी को मनु ने रक्षक कहा जिसका कार्य प्रजा से कर एकत्रित करना तथा ग्राम में शान्ति व्यवस्था बनाये रखना था।[38]

"कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में जिस ग्रामीण व्यवस्था का उल्लेख किया है वह व्यवस्था सम्राट के हस्तक्षेप से मुक्त रहती थी। वह राजा को ऐसे गाँवो की रचना का सुझाव देता है जिसमें कम से कम 100 परिवार तथा अधिक से अधिक 500 परिवार रहते हो। जिससे गाँवो के सगठन की व्यवस्था इस प्रकार हो कि प्रत्येक 800 गाँवों के केन्द्र में एक स्थानीय 400 गाँवों के केन्द्र मे एक द्रोणमुख कार्वटिक 200 गाँवो के केन्द्र मे तथा सग्रहण दस गाँवों के समूह में हो।"[39]

इस काल में प्रजातांत्रिक विकेन्द्रीकरण के प्रमाण स्पष्ट परिलक्षित होते हैं। गुप्तकाल मे ग्राम का मुखिया "ग्रामिक" कहलाता था।

बौद्धकाल अपने गणतंत्रात्मक शासन पद्धति के लिए मशहूर रहा है। "जातक कथाओ में बौद्धकाल में सुस्थापित पचायत तत्र का वर्णन मिलता है। इस काल में ग्राम की सभा के प्रधान को ग्रामभोजक कहा जाता था जिसका निर्वाचन ग्रामवासियों द्वारा किया जाता था। ग्राम सभा में ग्राम-वृद्ध के रूप में ग्राम के मुखिया लोग भाग लेते थे परन्तु उनके अलावा गाँव के अधिकाश व्यक्ति भी सम्मिलित हुआ करते थे।[40] प्राचीनकाल मे राजस्थान में ग्राम पचायतों की विद्यमानता के सन्दर्भ में ए एस अल्तेकर का कहना है कि "राजस्थान से प्राप्त लेखों से ज्ञात होता है कि यहा पर वे कार्यकारिणी समितियाँ या इन्हें ग्राम पचायत कहना अधिक उचित होगा विद्यमान थी। वे "पचकुलि" कहलाती थी और ये मुखिया की अध्यक्षता

मे जिसे महत्त कहा जाता था। कार्य करती थी।"[41] सातवाहन व शुगकाल मे भी ग्रामीण स्वशासी सस्थाएँ थी।

प्राचीन काल मे भारत विकेन्द्रीकृत प्रजातात्रिक सस्थाओ के सन्दर्भ में अत्यत सम्पन्न रहा है। स्मरणातीत काल से पचायतीराज की मूल भावना प्रजातात्रिक विकेन्द्रीकरण के धरातल पर सक्रिय थी एव तत्कालीन भारतीय राजनय का महत्त्वपूर्ण अग थी।

मध्यकालीन शासन सल्तनत काल एव मुगलकाल महत्त्वपूर्ण काल खण्ड रहे हैं। युद्धों एव राजनीतिक उठा-पठक के साक्षी इन कालों मे ग्रामीण सस्थाओं पर कोई ध्यान नहीं दिया गया वे अपने भाग्य भरोसे हालातों पर निर्भर अपनी स्थिति बनाये हुए थी।

सल्तनत काल में परगने के बाद की इकाई मोगा अथवा गाँव थी। परगना का मुखिया चौधरी तथा लेखाकार कानूनगो कहलाता था तथा ग्राम का मुखिया मुकदम तथा लेखाकार पटवारी कहलाता था।"[42] इससे ज्ञात होता है कि ग्राम प्रशासन की छोटी इकाई तो थी पर स्वायत्तशासी नहीं।

मुगल काल के ऐतिहासिक साक्ष्यों के अनुसार भी ग्राम प्रशासन की छोटी इकाई तो था ही साथ ही आय एव नियत्रण का साधन मात्र बनकर रह गया था। पचायतीराज की मूल भावना तिरोहित हो गयी थी। जैसा कि आईने अकबरी के इस वर्णन से ज्ञात होता है—"ग्राम का अस्तित्व एव ग्रामीण समाज की समृद्धि मध्यकाल के प्रत्येक शासन का उद्देश्य था, विशेषकर इसलिए कि राज्य की आर्थिक व्यवस्था का आधार ग्रामीण उत्पादन था। सामान्यत प्रत्येक पुराने एव व्यवस्थित गाँव म तीन प्रमुख व्यक्ति मुकद्दम या पटेल पटवारी तथा महाजन हाते थे जो सामान्य प्रशासन एव आर्थिक विषयो से सबधित कार्यों को करते थे। मुकद्दम या पटेल गाँव का मुखिया होता था वह राज्य द्वारा राजस्व को सकलित कर उसे राज्य को भेजने के लिए उत्तरदायी था। मुकद्दम खेतो के लिए किसानों को भूमि देने, गाँवों का मुखिया होता था वह राज्य द्वारा राजस्व को सकलित कर उसे राज्य को भेजने के लिए उत्तरदायी था। मुकद्दम खेतो के लिए किसानों को भूमि देने, गाँव मे भूमि सीमा सम्बन्धी विवादो का निर्णय करने गाँव की सुरक्षा व अपराधों को रोकने के लिए भी उत्तरदायी था। ग्रामीण व्यवस्था में दूसरा महत्त्वपूर्ण व्यक्ति पटवारी था जिसका अस्तित्व एव महत्त्व सल्तनत काल में भी देखने को मिलता है। वह ग्रामीण समाज का सेवक माना जाता था। अत उसे गाँव के भू राजस्व मे से वेतन मिलता था। पटवारी का कार्य गाँव के आय-व्यय का विवरण रखना तथा भू-राजस्व का सकलन कर शाही खजाने मे जमा कराना था। महाराज न केवल किसानों के लिए अपितु राज्य अधिकारियों के लिए साधन जुटाने वाला व्यक्ति था।"[43]

ब्रिटिश शासन से पूर्व एव मध्यकाल में पचायतो की स्थिति के बारे में लार्ड हैली ने लिखा है "सम्भव है छठी और नवीं सदी के बीच कुछ समय ऐसा रहा हो जब पचायत एक जीवित सस्था थी और उसके ऊपर कुछ विशेष कार्यों का दायित्व था किन्तु यह स्थिति भी देश के कुछ गिने-चुने भागों मे ही रही होगी।

अन्यत्र सब स्थानों में पचायत वयोवृद्ध लोगों की समिति के रूप में बाकी रह गयी थी जिसका कार्य और अधिकार गाँव की परम्परा और स्थिति पर निर्भर था। बहरहाल ब्रिटिश शासनकाल में बहुत पहले ही भारत के अधिकाश भागों में पचायतें निष्क्रिय हो चुकी थी।"[44]

विभिन्न ऐतिहासिक साक्ष्यों एव शोधों के उपरान्त यह तथ्य उजागर होता है कि ग्राम प्रशासनिक नियत्रण एव आय के स्त्रोत के माध्यम तो रहे लेकिन पूर्णत स्वायत्त इकाई के रूप में नहीं। हालाकि "*सर्वसाधारण के हित के मसले पर पूरे ग्रामीण सम्प्रदाय की बैठक बुलायी* जाती थी, और सामान्य परिस्थितियों में रोजमर्रा का कार्य एक छोटी परिषद् द्वारा उप-समितियो के माध्यम से किया जाता था।"[45]

ब्रिटिश शासनकाल में भी शासको की नीति ग्रामो से मालगुजारी वसूल करने तक ही सीमित रही। लेकिन लार्डरिपिन ने 1882 में स्थानीय सस्थाओं को लोकतत्रीय आधार पर स्थापित करने के लिए व्यापक कदम उठाये। लेकिन ग्रामीण सस्थाएँ इस प्रयास से वचित रही तथा शासकों की अनिच्छा का शिकार हो गई।

1907 मे लार्ड रिपिन के प्रस्तावो की प्रगति की जाच हेतु एक शाही कमीशन बैठा जो इस निष्कर्ष पर पहुचा कि लार्ड रिपिन के प्रस्तावो के तहत जो सस्थाएँ स्थापित की गई थी उनका कार्य नगण्य रहा। साथ ही इस आयोग ने सिफारिश की कि ग्राम पचायतो की फिर से स्थापना की जाए। लेकिन इसका भी कोई परिणाम नहीं निकला। 1991 एव 1935 के *अधिनियमो के तहत स्थानीय स्वशासन को बढाया तथा प्रान्तों को स्वायत्ता दी गई तथा 1937* मे अनेक प्रान्तों में काग्रेस ने सत्ता सभाली लेकिन 1939 में द्वितीय विश्वयुद्ध आरम्भ होने के कारण पचायती राज सस्थाएँ गठित तो हुई लेकिन इन पर पूरा ध्यान नहीं दिया गया और *अततः 1947 में ब्रिटिश शासन का अत हो गया तथा पचायती राज स्थानीय स्वशासन जैसे प्रश्न को भविष्य की उम्मीदो पर छोड दिये गये।*

ब्रिटिश काल मे पचायतो की स्थिति के बारे मे जेम्स टॉड सही ही लिखते हैं कि "इस काल में पचायते थी लेकिन इनके अवशेष मात्र ही रह गये थे।"[46] जेम्स टॉड एव लार्ड हैली के निष्कर्षों से ज्ञात होता है कि मुगलकाल एव ब्रिटिश काल पचायतो की निष्क्रियता व अवनति काल रहा है और उसने जिस भी रूप मे वे बची रही है वो भारतीय पचायती राज परम्परा एव दर्शन के कारण जिसे स्वतत्र भारत ने पुन जीवित कर प्रजातात्रिक विकेन्द्रीकरण के रूप में हम अपनाये हुए हैं।

सन्दर्भ

1 फतेह सिह, *लोकतत्र की वैदिक अवधारणा*, राजस्थान पत्रिका, दिनाक 19 2 99 लेख, पृ 8

2 जवेदी बारबु *डैमोक्रेसी एण्ड डिकटेटरशिप* लन्दन, रोट्ज एण्ड केगन पॉल लि, 1956, पृ 63

3 हुमायूँ कबीर, *विज्ञान जनतत्र और इस्लाम एव अन्य निबध*, अनुवादक रघुराज गुप्त, अभिताभ प्रकाशन, लखनऊ, 1946 पृ 18

4 ब्राईस, *मॉडर्न डेमोक्रेसीस*, न्यूयॉर्क, मैक मिलन वाल्यूम फस्ट, 1921, पृ 130

5 डायसीज *लॉ एण्ड ओपिनियन इन इग्लैण्ड*, उद्धृत पी डी शर्मा तुलनात्मक राजनीतिक सस्थाएँ कॉलेज बुक डिपो जयपुर 1969, पृ 25

6 चार्ल्स वुड्स, *अब्राहीम लिकन*, उपरोक्त पृ 146

7 ब्राईस पूर्वोक्त पृ 26

8 शुम्पीटर जोसेफ ए., *केपिटलिज्म, सोशियलिज्म एण्ड डेमोक्रेसी*, पृ 269, उद्दृत रघुकुल तिलक लोकतंत्र स्वरूप एवं समस्यायें, पृ 5 उत्तर प्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी, लखनऊ

9 बी के गोयल, *स्ट्रेट्स ऑफ गाँधी, नेहरू एण्ड टैगोर*, सी बी एस. पब्लिशर्स, दिल्ली, 1984, पृ 78

10 उपरोक्त श्लोक *प्रक्षेपक (सुभाषित है)* तथा परम्परागत श्रुति परम्परा का हिस्सा है।

11 दादा धर्माधिकारी, *सर्वोदय दर्शन*, सर्वसेवा संघ प्रकाशन वाराणसी, 1971, पृ 144

12 भारत सरकार द्वारा *भारत का संविधान*, 1950, पृ 1, उद्दृत शैलपाठक लोकतंत्र की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, किताब महल, इलाहाबाद, 1983, पृ 122

13 व्हाईट एल.डी., *इन्ट्रोडक्शन टू द स्टैडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन*, यूरेशिया पब्लिशिंग हाऊस, लि, दिल्ली, 1982, पृ 37

14 रूमकी बसु पब्लिक *एडमिनिस्ट्रेशन, कान्सेप्ट एण्ड थ्योरीज*, स्टर्लिंग पब्लिशर्स, न्यू देहली, 1996, पृ 195

15 पी डी शर्मा, *लोकप्रशासन सिद्धांत और व्यवहार*, कॉलेज बुक डिपो, जयपुर, 1969 पृ 241

16 एम पी शर्मा, *पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, थ्योरीज एण्ड प्रेक्टिस*, किताब महल प्रकाशन, इलाहाबाद, 1990, पृ 166

17. एम.पी शर्मा, उपरोक्त, पृ 165

18 हरमन फाईनर, *थ्योरीज एण्ड प्रेक्टिस ऑफ मॉडर्न गवर्नमेंट*, बोम्बे एशिया, 1966, पृ 157

19 सुरेश राम, *तूफान यात्रा*, सर्वसेवा संघ प्रकाशन, वाराणसी, 1966, मुख पृष्ठ

20 जे सी चार्ल्स वर्थ, *गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन*, उद्दृत पी डी शर्मा, लोकप्रशासन सिद्धांत एवं व्यवहार, कॉलेज बुक डिपो, जयपुर, 1999, पृ 207

21 अन्जनी कुमार जमदग्नी, *जयप्रकाश नारायण लोकस्वराज्य* प्रिन्टवेल पब्लिशर्स, जयपुर, 1987, पृ 34-35

22 इकबाल नारायण, *डेमोक्रेटिक डिसेन्टलाईजेशन, द आईडिया, द इमेज एण्ड रियलिटी*, संकलित द्वारा आर.बी जैन, वाल्यूम फ्रॉम आई आई पी ए. न्यू देहली, पृ 11-12, फरवरी, 1981

23 इकबाल नारायण, उपरोक्त पृ 12-13

24 उपरोक्त पृ 14

25 पॉल मेयर, *एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाईजेशन,* पृ 114, उद्धृत इकबाल नारायण, पूर्वोक्त, 1981

26 राममनोहर लोहिया *विल टू पॉवर एण्ड अदर राईटिंग्स* हैदराबाद, नवहिन्द पब्लिकेशन, 1956, पृ 132

27 परमात्माशरण, *पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इण्डिया,* मीनाक्षी प्रकाशन, मेरठ, पृ 467

28 इकबाल नारायण, पूर्वोक्त, पृ 10–11

29 रामपाण्डे, *ऐ हिस्टोरिकल डेसक्रिप्शन,* उद्धृत पंचायतीराज सम्पादित लेख, रामपाण्डे, जयपुर पब्लिशिंग हाऊस, जयपुर, 1989, पृ 9

30 चौधरी-तिवारी एवं चौधरी *ऋग्वेद 10/111/3* उद्धृत राजस्थान में पंचायत कानून, ऋचा प्रकाशन, जयपुर, 1995

31 सभा च मा समितिश्चावता प्रजापतेर्दुहिट रौ सविदाने॥ *अथर्ववेद* 07/13/1

32 *ऋग्वेद* 10/141/4

33 के पी जायसवाल, *हिन्दू पॉलिटी,* बैंग्लौर प्रिन्टिंग एवं पब्लिशिंग कम्पनी, 1978, पृ 12–201

34 यू एन घोषाल, *स्टैडी इन इण्डियन हिस्ट्री एण्ड कल्चर,* कोलकोता, 1957, पृ 354

35 प्रेमकुमारी दीक्षित, *महाभारत में राज्य व्यवस्था,* अर्चना प्रकाशन लखनऊ, 1971, पृ 115

36 प्रेमकुमारी दीक्षित, *महाभारत में राज्य व्यवस्था,* अर्चना प्रकाशन लखनऊ, 1970, पृ *245–249*

37 उपरोक्त पृ 245–249

38 आर रामशास्त्री, *कौटिल्याज अर्थशास्त्र,* प्रिंटर्स प्रेस मैसूर 1956, पृ 45

39 आर रामशास्त्री, उपरोक्त, पृ 45

40 *तिवाडी, चौधरी एवं चौधरी, राजस्थान में पंचायत कानून* ऋचा प्रकाशन, जयपुर, 1995, पृ 3

41 ए.एस अल्तेकर, *भारतीय शासन पद्धति,* देहली मोतीलाल बनारसीदास 1949, पृ *171–72–73*

42 घनश्याम दत्त शर्मा, *मध्यकालीन भरतीय, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक संस्थाएँ,* राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी जयपुर, 1992, पृ 21–24

43 पूर्वोक्त, पृ 45

44 लार्ड हेली फोरवर्ड टु ह्यू टींकर्स *फाउंडेशन ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इण्डिया, पाकिस्तान एण्ड बर्मा*, पृ XII बी, माहेश्वरी द्वारा स्टैज इन पंचायतीराज, देहली मेट्रोपोलेटिन, 1963, पृ 4 पर उद्धृत

45 पी शरण, *प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ दी मुगल्स*, मीनाक्षी प्रकाशन, मेरठ पृ 144-145

46 जेम्स टॉड, *एनाल्स एण्ड एंटीक्यूटीज ऑफ राजस्थान*, मोतीलाल बनारसी दास पब्लिशर्स, प्रा. लि., 1994 वोल्यूम 2, पृ 130-131

□□□

3

पंचायतीराज व्यवस्था : 73वें संवैधानिक संशोधन पूर्व प्रारूप : संरचनात्मक-कार्यात्मक विवेचना

भारत भूमि सदैव ही विभिन्न सस्कृतियो राजनैतिक विचारधाराओ एव सत्ताओ की भूमि रही है। स्वतत्रतापूर्व के भारत की दशा का यही भोगा यथार्थ रहा है। सहिष्णुता सहकार आमसहमति की धारणा हमारे सास्कृतिक एव राजनीतिक आचरण का मुख्य आधार रही है जो लोकतत्र की भावना का मेरुदण्ड थी। मुगल काल एव ब्रिटिश काल मे हालांकि पचपरमेश्वर एव आमसहमति कि सहिष्णु विचारधारा कमजोर अवश्य हुई लेकिन भारतीय जनमानस में जड़ें जमायें रही।

1947 मे स्वतत्रता के पश्चात् वैदिक कालीन प्रजातात्रिक विकेन्द्रीकरण की पचायती राज अवधारणा के बीजों को पुन रोपित एवं सिंचित किया गया। महात्मा गाँधी विनोबा भावे जयप्रकाश नारायण एव जवाहरलाल नेहरू स्वतत्र भारत के समग्र विकास को व्यापक जनसहभागिता के माध्यम से करने के पक्षधर थे। वे जानते थे कि लोकतत्र में जनभागीदारी की प्रवृत्ति ही प्रजातात्रिक विकेन्द्रीकरण एव प्रजातत्र दोनों का मुख्य अनुलक्षण है।

1957 मे बलवतराय मेहता की अध्यक्षता मे गठित उपसमिति ने अनुशसा मे ग्राम खण्ड एवं जिला स्तर पर त्रिस्तरीय पचायती राज सस्थाओ के गठन करने तथा नव निर्वाचित जनप्रतिनिधियो को इन सस्थाओं के सचालन का अधिकार देने की बात कही। बलवतराय मेहता समिति की रिपोर्ट के आधार पर देश मे प्रशासन के प्रजातात्रिक विकेन्द्रीकरण का महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। 2 अक्टूबर 1959 को नागौर मे त्रिस्तरीय पचायती राज व्यवस्था का आरम्भ भारत के प्रथम प्रधानमत्री पडित जवाहरलाल नेहरू से करवा राजस्थान ने इस दिशा मे पहला राज्य होने का गौरव प्राप्त किया।

राजस्थान में पचायतीराज व्यवस्था का पुरातन प्रारूप मूलतः 1953 के पचायत अधिनियम, 1959 के पचायत समिति एव जिला परिषद् अधिनियम तथा 1964 के सादिक अली समिति प्रतिवेदन आधारित था तथा 1959 में जिस त्रिस्तरीय पचायती राज व्यवस्था का शुभारम्भ राजस्थान मे किया गया वह व्यवस्था मूलतः बलवत राय मेहता समिति द्वारा प्रदत्त सिफारिशो पर आधारित थी। इसके अतिरिक्त गिरधारी लाल व्यास समिति 1973 तथा 1982 जनवरी मे बीकानेर मे हुआ पचायती राज सम्मेलन राजस्थान में पचायती राज व्यवस्था को नयी एव प्रगतिशील दिशा प्रदान करने हेतु व्यावहारिक सुझाव प्रदान किये जिनमें से अधिकाश सुझाव सरकार द्वारा स्वीकार कर लागू भी कर दिये गये थे।

73वे सविधान प्रदत्त पचायती राज अधिनियम से पूर्व अधिक सहभागिता लाने हेतु अनेक आयोग एव समितिया गठित की जो 73वे सविधान सशोधन प्रदत्त पचायती राज व्यवस्था के प्रारूप का आधार बनी जैसे बलवतराय मेहता समिति 1957, अशोक मेहता समिति 1977, जी वी के राव समिति 1985' लक्ष्मीमल सिघवी समिति 1986, सरकारिया आयोग 1988, पी के थूगन समिति 1989, हरलाल सिह खर्रा समिति 1990, 64वा सविधान सशोधन विधेयक 1989 आदि।

उपर्युक्त समितियो, आयोगों एव सविधान सशोधनो द्वारा पचायती राज व्यवस्था हेतु जो सुझाव दिये गये नवीन पचायती राज अधिनियम प्रदत्त पचायती राज व्यवसथा का प्रेरणापथ एव मुख्याधार बने। राजस्थान सरकार द्वारा 2 अक्टूबर, 1959 को आरम्भ त्रिस्तरीय पचायती राज व्यवस्था 73वे सविधान सशोधन पूर्व सगठन एव कार्यों की दृष्टि से अग्रोल्लेखित है।

ग्राम सभा

ग्राम-सुराज, ग्राम-स्वराज, ग्राम-स्वायत्त शासन, ग्राम-स्वशासन आदि विचारों का सृजन प्रजातात्रिक विकेन्द्रीकरण की नीव के प्रथम प्रस्तर के रूप में हुआ। जो महात्मा गाधी, जयप्रकाश नारायण तथा विनोबा भावे के हृदय के अत.स्थल के उदगारो को अभिव्यक्त करती हुई सत्ता, शासन, विकास, निर्णय व नीति निर्माण में प्रत्येक ग्रामवासी की सहभागिता का मार्ग प्रशस्त करने का एक मात्र सशक्त माध्यम है। ग्राम सभा इन मूल भावो की सतती है जो पचायत क्षेत्र के समस्त वयस्क नागरिकों के समूह था उनके नियम स्थान पर समामेलन के रूप की द्योतक है।

महात्मा गाधी का यह विचार ग्राम सभा की महत्ता का स्वतः प्रतिपादन करता है कि "सच्चा लोकतत्र केन्द्र मे बैठे हुए बीस व्यक्तियो द्वारा नहीं चलाया जा सकता। उसे प्रत्येक गाँव के लोगों को नीचे से चलाना होगा।"[1]

1964 में पचायती राज पर सादिक अली समिति अध्ययन दल ने ग्राम सभा के संदर्भ में अपनी अनुशसा में कहा कि "ग्राम स्तर पर पचायत ग्राम सभा से ही अपना अधिकार ग्रहण करे और ग्राम सभा के प्रति निरन्तर उत्तरदायी रहे, क्योंकि ग्राम सभा मे गाँव के सभी वयस्क नागरिक सम्मिलित होते हैं।"[2] हालाकि यह एक दुखद सत्य है कि 1957 में जिस बलवतराय मेहता समिति की सिफारिशो के आधार पर जो पचायती राज का त्रिस्तरीय ढाँचा अपनाया गया था उसमे ग्राम सभा का कोई स्थान नहीं था। जबकि ए एस अल्तेकर प्राचीन भारत म ग्राम सभा के अस्तित्व की प्रामाणिकता के सन्दर्भ में कहते हैं कि "लोगों की सामान्य सभा का विचार हमारे गाँवो के लिए नया विचार नहीं है। सामान्य सभा का विचार प्राचीन

भारत में था, जिसकी क्षमता का कालातर मे लोप हो गया।'[3] प्राचीन भारत मे ऐसी जन सभाएँ ग्रामीण प्रजातत्र की धुरी थी।'[4] पचायती राज सस्थाओ को जनता के प्रति उत्तरदायी बनाने के भारतीय प्रजातत्र के इस चरित्र से पचायतों में जननियत्रण एव जन सहभागिता को सम्बल मिला है। हालाकि लोकनायक जयप्रकाश नारायण मौजूदा प्रजातात्रिक व्यवस्था को अभी भी उसके लोकहितैषी रूप मे नहीं स्वीकार करते उनका मानना है कि वयस्क मताधिकार देने मात्र से ही प्रजातात्रिक व्यवस्था स्थापित नहीं हो जाती है। भारतीय प्रजातात्रिक व्यवस्था की सरचना तथा स्वरूप को ऊपर से नीचे की ओर सशक्त आधार प्रदान करने की आवश्यकता है। उनका मत था कि शक्तिया व कार्य ससद की अपेक्षा ग्रामीण सस्थाओं को अधिक प्रदत्त की जानी चाहिए।[5] शायद यही उचित मार्ग जिससे पचायती राज सस्थाओ के माध्यम से लोकतत्र की जडे मजबूत हो सकती है। सशक्त ग्राम सभा का निर्माण सशक्त लोकतत्र एव लोकतात्रिक राष्ट्र का निर्माण है तथा पचायती राज सस्थाओं की जीवतता तथा सफलता की गारटी है जो जनविकास, कल्याण एव जनसहभागिता की कर्म स्थली भी है।

''पचायती राज का ढाचा अपनाने के पश्चात् उसके एक अग के रूप मे ग्राम सभा को नियमित और सुनियोजित ढग से आयोजित करने की परम्परा को पुनर्जीवित करने से, ग्रामीण लोगो के उत्साहवर्द्धन मे बडी मदद मिली है।'[6] ग्राम पचायत के पथ-प्रदर्शक का कार्य ग्राम सभा करती है। ग्राम सभा के माध्यम से जनता से प्रत्यक्ष साक्षात हो उनकी समस्याओं के बारे मे आम राय स्पष्ट होती है जो जनकल्याण व विकास में पचायती राज सस्थाओ का मार्गदर्शन करती है।

ग्राम सभा [वयस्क नागरिकों की सभा] का गठन

पचायती राज सस्थाओ की स्थापना से प्रजातात्रिक विकेन्द्रीकरण को सम्बल मिला लेकिन ये सस्थाएँ जनता के भागीदारी के यथार्थ से परे ही रही। ''राजस्थान मे पचायती राज मे अधिक जन सहयोग प्राप्त करने के लिए गाँव के लोगो की साधारण सभा का उपयोग किया गया। प्रारम्भ में यह आशा की गई कि ग्राम सभा को पचायती राज व्यवस्था के अग के रूप में सुनियमित और सुनियोजित ढग से सचालित करने की परम्परा को पुनर्जीवित करने से ग्रामीण लोगों मे उत्साह जागृत करने मे बडी मदद मिलेगी।'[7] महात्मा गाधी के ये विचार भी ग्राम सभा की आवश्यकता एव महत्ता को स्पष्ट करते हैं कि ''ग्राम गणराज्य को पाच व्यक्तियों की एक पचायत सचालित करेगी और जिनका चुनाव सभी प्रौढ नर-नारी हर वर्ष करेगे।'[8]

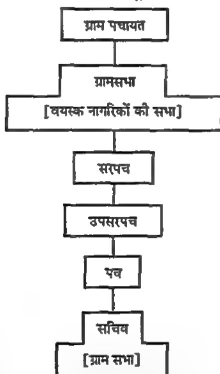
आम जन की विकास, कल्याण, स्वशासन, निर्णयन एव नीति निर्माण मे प्रत्यक्ष एव सहज भागीदारी के लिए राजस्थान सरकार ने सराहनीय प्रयास व पहल की। राजस्थान पचायत अधिनियम, 1953 की धारा 23(क) मे वयस्क नागरिको की सभा (ग्राम सभा) का 1959 की पचायती राज व्यवस्था के आरम्भ के समय ही प्रावधान कर दिया था। ''हालाकि वर्तमान प्रावधानों के अधीन वयस्क नागरिको की इस सामान्य सभा को कोई कानूनी मान्यता नहीं दी गई।'[9] हालाकि अधिनियम में ''ग्राम सभा'' शब्द का कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है। लेकिन ग्राम सभा नाम से सम्बोधित किया जाता रहा है। पचायतीराज अधिनियम 1953 की धारा 23(क) जोडी गई जिसके नियम 65 से 69 तक मे समग्र प्रावधान इस प्रकार है :[10]

1 प्रत्येक ग्राम पचायत ऐसी रीति से तथा ऐसे समय पर और ऐसे अतरालों पर जो सरकार द्वारा तय किये जाएँ पचायत वृत्त के सभी वयस्क निवासियों की बैठक आहूत करेंगी।

2 ऐसी बैठको मे पचायत द्वारा प्रारम्भ किये गये कार्यक्रम तथा कार्यों का ब्यौरा और उनकी प्रकृति स्पष्ट की जायेगी तथा इस सदर्भ मे वहाँ से निवासियो के विचारों से पचायत को उसकी अगली बैठक में अवगत कराया जायेगा।

आरेख 3.1

*ग्राम सभा सरचना : पूर्ववर्ती प्रारूप



पचायती राज अधिनियम 1953 मे सेक्शन 23(A) जोडकर "वयस्क नागरिकों की सभा" का उल्लेख किया गया है जो कि ग्राम सभा के रूप मे जानी जाने लगी है।

ग्राम सभा की बैठके

अधिनियम के अनुसार बैठकों का समय निर्धारित किया गया है। जिसमे पचायत के सभी वयस्क नागरिकों की बैठक वर्ष में दो बार सामान्यत· बैठकें क्रमश मई तथा अक्टूबर में सरपच तथा उपसरपच द्वारा आहूत की जायेगी। बैठकों का स्थान साधारणत: ग्राम पचायत मुख्यालय पर ही होगा। ग्राम सभा की बैठक की सूचना ग्राम पचायत द्वारा बैठक के दिन से पन्द्रह दिन (15) पूर्व पचायत वृत्त के सभी गाँवो के प्रमुख स्थानो पर चस्पा कर या ढोल बजाकर दी जायेगी।[11]

अध्यक्षता

ग्राम सभा की बैठकों का सभापतित्व सरपच या उसकी अनुपस्थिति में उपसरपच करेगा और जहां ये दोनो अनुपस्थित हो वहा उपस्थित पचो मे से जो पच उपस्थित निवासियों द्वारा चुना गया हो, करेगा।[12]

ग्राम सभा के कार्य

सादिक अली प्रतिवेदन मे ग्राम सभा के जिन कर्त्तव्यो को चिन्हित करने का प्रयास कर उन्हे लागू करने की सिफारिश की थी उनमे से काफी सरकार द्वारा स्वीकार भी कर लिये गये थे। इस प्रतिवेदन के अनुसार धीरे-धीरे काम करने के माध्यम से एक परम्परा विकसित होगी और ग्राम सभा वह महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लेगी जिससे पचायतीराज की ऊपर की संस्थाएँ शक्ति प्राप्त करेगी। हमारे विचार मे ग्रामीण जीवन को प्रभावित करने वाले समस्त महत्त्वपूर्ण मामलो पर ग्रामसभा को विचार करना चाहिए। लोगो को यह अनुभव होना चाहिए कि ग्रामसभा स्थानीय विकास मे उनकी आवाज को बुलन्द करने के लिए है।

विशेष बैठक

ग्राम सभा की बैठक आयोजित करने मे नियमों मे ग्राम सभा की बैठक आयोजित करने मे जनता को पहल करने एव बैठक आहूत करने का प्रावधान किया गया है। पचायत वृत्त के 100 वरिष्ठ नागरिक या कुल वयस्क निवासियो का 25 प्रतिशत सरपच को लिखित मे ग्राम सभा की बैठक का समय व कार्यसूची भी जनता को स्पष्ट करनी होती है। सरपच यदि ऐसी बैठक आहूत करने की असहमति व्यक्त कर दे तो स्वय नागरिक उस बैठक को आहूत कर सकते है। यह बैठक केवल ग्राम पचायत मुख्यालय पर ही होगी।[13]

बैठक की कार्यवाही लिखना और उसका प्रतिवेदन प्रस्तुत करना

"पचायती राज अधिनियम की धारा 23(क) के नियम 67 व 68 मे ग्राम सभा की बैठक की कार्यवाही के लिखित में तैयार करने व उसका प्रतिवेदन करने का प्रावधान है—

1 ग्राम सभा की प्रत्येक बैठक की कार्यवाही का सक्षिप्त ब्यौरा हिन्दी मे लिखा जायेगा तथा उस पर बैठक की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर किये जायेंगे।

2 पचायत द्वारा बैठक की अतिम तिथि के बाद करवाये गये कार्यक्रम एव अभिलिखित कार्यों के बारे मे या उनकी प्रगति के बारे में नागरिको द्वारा अभिव्यक्त विचारों को सक्षिप्त में लिपिबद्ध किया जायेगा।

3 किसी भी वित्तीय वर्ष में होने वाली प्रथम बैठक मे पचायत का बजट प्रस्तुत किया जायेगा। साथ ही नये कर लगाने तथा वर्तमान करो में वृद्धि के प्रस्ताव लाये जायेगे। स्थानीय जनता के प्रोत्साहन हेतु नये कार्यक्रम तथा सामुदायिक सेवा स्वैच्छिक श्रमदान और वार्षिक या पूरक कार्यक्रम मे शामिल कोई विशेष कार्य के प्रस्ताव।

4 पचायत के अकेक्षण व प्रशासनिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जायेंगे।

5 ग्राम सभा की बैठको मे पचायतो द्वारा हाथ मे लिये गये कार्यक्रमों तथा सामुदायिक कार्यों, विशेष तौर से कृषि, पशुपालन, स्वास्थ्य शिक्षा, सहकारिता एव कुटीर उद्योग जैसे कार्यों को समझाया जायेगा तथा उनको प्रगति का पुनरावलोकन किया जायेगा।

6 ऐसी सभी बैठकों मे पचायत द्वारा विकास कार्यों की जिम्मेदारी के लिए नागरिकों के विचारों को मय उनके सुझावो के लिपिबद्ध किया जायेगा तथा उसको एक प्रति पचायत समिति के विकास अधिकारी को बैठक की दिनाक से 15 दिन के भीतर भेजी जायेगी।''[14]

ग्रामसभा की बैठक में सामान्य विचार-विमर्श के लिए जो विषय कार्यक्रम में सम्मिलित किये जाने चाहिए, वे इस प्रकार हैं—

1 पचायत का बजट

2 पचायत की ऑडिट रिपोर्ट और इसका अनुपालन

3 पचायत की योजना

4 योजना की प्रगति और विकास की विभिन्न प्रवृत्तियों की रिपोर्ट

5 पचायत के कामकाज का ब्यौरा

6 ग्राम सभा के निर्णयों की क्रियान्विति का लेखा-जोखा

7 ऋण और सहायता के रूप में प्राप्त धन राशि के उपयोग की रिपोर्ट

8 सहकारी आन्दोलन, सहकारिताओ से सम्बन्ध रखने वाले आम विषय तथा सहकारी समितियों द्वारा सुझाये गये मुद्दों का विवरण

9 ग्रामीणों के सामान्य हितों के मामले जैसे ग्रामीण चरागाह, जलाशय, सार्वजनिक कुओं आदि,

10 ग्राम पाठशाला का कार्य संचालन

11. महत्त्वपूर्ण सूचनाओं और निर्णयों की जानकारी।[15]

ग्राम सभा के कार्य सूची में सम्मिलित विषयों के अतिरिक्त जन अभाव अभियोगों से सम्बन्धित विषय भी शामिल करने की सादिक अली प्रतिवेदन मे सिफारिश की गई है। जिसके अनुसार वास्तविक शिकायतो पर ही विचार-विमर्श की अनुमति होनी चाहिए, अनावश्यक और अनर्गल टिप्पणिया करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। यदि शिकायतें ऐसी हों जिनको दूर करना स्थानीय पचायत के अधिकारों में न हो तो ग्रामसभा को चाहिए कि ग्राम पचायत से आग्रह करे कि वह इस शिकायत को उच्च अधिकारियों के ध्यान में लाए। ग्राम सभा की बैठकों में, प्रारम्भिक एक घण्टे का समय प्रश्नोत्तर के लिए दिया जाना चाहिए।''[16]

ग्राम पचायत

राजस्थान भारत का प्रथम राज्य है जिसने प्रजातन्त्रिक विकेन्द्रीकरण के आधार को बल प्रदान करने हेतु पचायती राज व्यवस्था का श्री गणेश किया। 2 अक्टूबर, 1959 में जब

बलवतराय मेहता द्वारा अनुशसित त्रिस्तरीय पचायती राज व्यवस्था का आरम्भ हुआ उससे पूर्व राजस्थान पचायत अधिनियम 1953 द्वारा राजस्थान मे पचायतों की स्थापना का सफल प्रयोग हो चुका था। पचायतो की जनता से निकटता पचायती राज की सामान्य व्यवस्था में उनके महत्व को भी बढा देती है। यह लोगो के प्रति उनकी सीधी जिम्मेदारी को भी बढाती है। इसके अतिरिक्त पचायते ही प्रत्यक्ष प्रणाली से बनी हुई एक मात्र प्रतिनिधि सस्थाएँ हैं और वे ऊपर की सस्थाओ के अप्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा गठन का आधार बनाती है। इसलिए पचायतों की कार्यकुशलता का पचायतीराज की ऊपर की सस्थाओं के कार्य से बडा महत्त्वपूर्ण सम्बन्ध है।[17]

ग्राम पंचायत की स्थापना व गठन

भारतीय सविधान के अनुच्छेद 40 मे प्रावधान किया गया है कि राज्य ग्राम पचायतों का सगठन करने के लिए कदम उठायेगा और उसको ऐसी शक्तियाँ और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हे स्वायत्तशासन की इकाईयो के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो इसी योजना के अधीन ग्राम स्तर पर "पचायत " बनाई गई। पचायतो की कानूनी व्यवस्था के लिए राजस्थान में 1953 मे यह "राजस्थान पचायत अधिनियम 1953" बनाया गया। जो समय-समय पर आवश्यकतानुसार परिवर्तित होता रहा है।"[18] राज्य सरकार राज-पत्र मे अधिसूचना द्वारा किसी गाँव या गाँव के किसी भाग या गाँव समूह के लिए जिसे किसी नगरपालिका की सीमाओ में सम्मिलित किया गया है पचायत की स्थापना कर सकेगी।[19] इसी प्रकार ग्राम पचायत गठन हेतु राजस्थान पचायती राज अधिनियम 1953 मे निम्नानुसार व्यवस्था की गई है[20]—

1 निर्वाचित सदस्य
2 सहवरित (सहयोजित) सदस्य
3 सह (सहयोगी) सदस्य
4 सरपच
5 उप-सरपच।

1 निर्वाचित सदस्य

प्रत्येक ग्राम पचायत जनसख्या एव क्षेत्रफल के आधार पर कुछ वार्डों (निर्वाचन) क्षेत्रो मे बँटी हुई है जिनको सख्या 5 से 20 तक हो सकती है। इन्हीं वार्डों से प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्यों को पच कहा गया है। जिलाधीश या उसके द्वारा प्राधिकृत अधीनस्थ अधिकारी प्रत्येक पचायत क्षेत्र को वार्डों में विभक्त कर सकेगा। इन्हीं निर्वाचन क्षेत्रों से गुप्त मतदान द्वारा पचायत क्षेत्र वयस्क मतदाताओ द्वारा पचो का चुनाव किया जाता है।[21] पचायत अधिनियम की धारा 4 के अनुसार पचो की सख्यानुसार ही निर्वाचन क्षेत्रो का निर्धारण होगा तथा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र (वार्ड) से एक पच निर्वाचित क्षेत्र धारा 5 मे कहा गया है कि वार्डों का निर्धारण करते समय

विधानसभा की सम्बन्धित निर्वाचक नामावली में उल्लेखित क्रम के अनुसार मकानों और निवासियों को सम्मिलित करेगा।[22]

किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में उम्मीदवारों के मतों में समानता पायी जाने पर निर्णय भाग्य-पत्रक द्वारा तय किया जायेगा। यदि किसी निर्वाचन क्षेत्र के मतदान पंच का निर्वाचन नहीं कर पाने की स्थिति में हो तो सरकार छः माह तक किसी भी निर्वाचन योग्य व्यक्ति को पंच नियुक्त कर सकती है लेकिन तत्पश्चात् उस निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव करवाना आवश्यक होगा। पंच द्वारा त्याग पत्र, मृत्यु या पद से हटा दिये जाने के कारण रिक्त स्थान पर पंच हेतु उप चुनाव करवाया जाता है।[23]

पंचों के लिए योग्यता

पंचों के लिए योग्यता सम्बन्धी प्रावधान राजस्थान पंचायत अधिनियम, 1953 में निषेधात्मक रूप दिये गये हैं। इस अधिनियम के अनुसार पंचायत चुनाव में जिस व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में है वे पंच के रूप में तब निर्वाचित होगा जब कि वह[24]

1 केन्द्र सरकार या किसी राज्य सरकार अथवा किसी स्थानीय निकाय के अधीन पूर्णकालीन या अल्पकालीन वैतनिक नियुक्ति पर न हो,

2 राज्य सरकार की सेवा में नैतिक दुराचार के कारण राजकीय सरकार की सेवा से मुक्त न किया गया हो एवं लोकसेवा हेतु अयोग्य घोषित किया गया हो,

3 ग्राम पंचायत में वैतनिक या लाभ के पद पर कार्यरत न हो,

4 आयु 25 वर्ष से कम न हो, ग्राम पंचायत के लिए या उसके द्वारा किये गये किसी कार्य या किसी अनुबन्ध में स्वयं या अपने साझेदार मालिक या नौकर के माध्यम से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष साझेदारी या हित नहीं रखता हो,

5 किसी ऐसी शारीरिक अयोग्यता, मानसिक रोग या दोष से ग्रसित नहीं हो जो उसे कार्य करने के लिए अयोग्य बनाती हो,

6 किसी सक्षम न्यायालय द्वारा नैतिक अपराध का दोषी नहीं ठहराया गया हो,

7 किसी सक्षम न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित नहीं किया गया हो,

8 अस्पृश्यता निवारण अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत अपराध का दोषी नहीं ठहराया गया हो,

9 पंचायत अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 4 (ख) के अधीन या राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद् अधिनियम की धारा 40 की उपधारा (3) के अधीन चुनाव के लिए अयोग्य घोषित नहीं हो,

10 पंचायत अधिनियम या पंचायत समिति एवं जिला परिषद् अधिनियम के अन्तर्गत लगाये गये किसी कर या फीस की रकम, उनका बिल प्राप्त होने की तारीख से 2 माह तक चुकाने में विफल न रहा हो,

11 पंचायत की ओर से या उसके विरुद्ध वकील नियुक्त नहीं हो

12 राजस्थान मृत्युभोज निवारण अधिनियम 1960 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध का दोषी नहीं ठहराया गया हो।

जब कोई व्यक्ति राज्य सरकार द्वारा विभिन्न अपराधों के अन्तर्गत अयोग्य ठहराया जाता है तो वह छ वर्ष के लिए चुनाव नहीं लड सकता हालाकि राज्य सरकार इस अवधि को कम भी करने का अधिकार रखती है। बकाया कर या फीस नामाकन पत्र भरने से पूर्व यदि कोई नागरिक जमा करा देता है तो वह अयोग्य नहीं माना जाता है। एक से अधिक ग्राम पचायतों में एक ही व्यक्ति कोई पद धारण नहीं कर सकता।

2 सहवरित (सहयोजित) सदस्य

पचायत अधिनियम 1953 की धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन पचों के सहवरण हेतु व्यवस्था की गई है जो निम्नानुसार है—

1 दो महिलाए, यदि पचायत में कोई महिला नहीं चुनी गई हो

2 एक महिला यदि एक ही महिला इस प्रकार चुनी गई हो

3 अनुसूचित जातियों में से एक व्यक्ति यदि पचायत में वैसा कोई व्यक्ति नहीं चुना गया हो तथा

4 अनुसूचित जनजाति में से एक व्यक्ति यदि वैसा कोई व्यक्ति इस प्रकार नहीं चुना गया हो तथा पचायत क्षेत्र में ऐसी जन जातियों की जनसख्या उसकी कुल जनसख्या की पांच प्रतिशत से अधिक हो।[2]

सहयोजित किये गये सदस्यो के नामों का बैठक की समाप्ति पर प्रकाशन कर दिया जाता है और उसकी एक प्रतिलिपि निर्वाचन के समस्त अभिलेखो के साथ जिलाधीश को प्रेषित कर दी जाती है।[25]

3 उपसहयोजन

अधिनियम की धारा 9 के अधीन यदि सहयोजित पच का कोई पद रिक्त हो जाता है और सहयोजन की आवश्यकता रहती है तो इस प्रकार के रिक्त स्थान को भरने के लिए जिलाधीश द्वारा नामित अधिकारी निर्देशित तिथि तथा समय पर उप सहयोजन की कार्यवाही करता है।[26]

4 सहसदस्य

ग्राम पचायत क्षेत्र मे कार्यशील सभी सहकारी समितियो के अध्यक्ष पचायत के सहसदस्य होते हैं। सहकारी समिति से अभिप्राय है जो राजस्थान सहकारी समिति अधिनियम 1953 के अन्तर्गत पजीकृत है। इन सहसदस्यों को पचायत की कार्यवाही मे भाग लेने का अवसर तो प्राप्त होता है किन्तु मताधिकार प्राप्त नहीं होता है।[27]

5. सरपच

पचायती राज अधिनियम की धारा 3(1) के अनुसार प्रत्येक पचायत में एक सरपच होगा जो ऐसा व्यक्ति होगा, जिसमें पच निर्वाचित होने की योग्यता हो और हिन्दी पढ-लिख सकता हो तथा वह समग्र पचायत वृत्त के मतदाताओं द्वारा विहित रूप से निर्वाचित किया जायेगा।[28] ग्राम पचायत का मुख्याधार है अत: सरपच स्वत: पचायत का मुखिया होने के नाते प्रभावशाली स्थिति में आ जाता है। पचायत के सरपच को निर्वाचन उसके पचों के निर्वाचन के साथ ही करवाने का अधिनियम में प्रावधान किया गया है।[29] पच एव सरपच के लिए मतदान एक ही दिन और एक ही समय में होते हैं अत: पचायत नियमों में व्यवस्था की गई है कि दोनों के लिए मतदान एक ही पेटी में किया जा सकता है जब तक कि अलग मतपेटी की व्यवस्था न कर दी गई हो।

यदि कोई विधानसभा या ससद सदस्य सरपच निर्वाचित हो जाता है तो चुनाव परिणाम घोषित होने के चौदह दिन समाप्ति पर से अपने द्वारा धारण किये जाने वाले दूसरे पद से त्याग पत्र देना होता है। अन्यथा वह सरपच नहीं रह सकता है यदि किसी पचायत क्षेत्र के मतदाता सरपच का चुनाव करने में विफल रहते हैं तो राज्य सरकार पचायत अधिनियम की धारा 13 के तहत उस व्यक्ति को सरपच नियुक्ति करेगी जो पूरी योग्यता रखता हो। किन्तु 6 माह की अवधि में सरपच का नियमित चुनाव करा लिया जायेगा।[30]

सरपच का उपनिर्वाचन

पचायती राज अधिनियम की धारा 13 के नियम 49 के सरपच के उपनिर्वाचन की व्यवस्था निम्नलिखित स्थितियों मे करवाने का प्रावधान किया गया है—

1 जब कभी राज्य सरकार द्वारा नियम 48 के उपनियम (5) के अधीन किसी सरपच की नियुक्ति की जाये, या

2 जब कभी किसी सरपच की मृत्यु हो जाये या वह धारा 18 के अधीन अपना पद त्याग कर दे, या

3 जब कभी सरपच अपना स्थान रिक्त कर दे या धारा 17 के अधीन उसको उसके पद से हटा दिया जाये, या

4 जब कभी धारा 19 के अधीन किसी सरपच के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित हो जाय,

सरपच पचायत की अवधि समाप्त होने तक अपने पद पर बना रहता है, जब तक कि उसे उपरोक्त वर्णित किसी धारा के अनुसार हटा न दिया जाये। नियमों में यह प्रावधान किया गया है कि सरपच अपने पद पर तब तक बना रहेगा जब तक कि नव निर्वाचित सरपच कार्यभार नहीं सभालता है।[31]

उपसरपंच

ग्राम पंचायत में जहाँ पंच एवं सरपंच का चुनाव प्रत्यक्ष मतदान द्वारा होता है। वही उपसरपंच का चुनाव पंचों में से बहुमत द्वारा अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा किया जाता है। नियमानुसार उपसरपंच का निर्वाचन उसी दिन किया जाना चाहिए जिस दिन पंचायत के लिए वांछित संख्या में पंचों का सहवरण किया जाता है। सहवरित पंचों को उपसरपंच के निर्वाचन में मताधिकार नहीं है। केवल निर्वाचित पंच एवं सरपंच ही मतदान मे भाग ले सकते हैं। सरपंच के चुनाव परिणाम के तत्काल पश्चात् निर्वाचित पंचों एव सरपंच की बैठक बुलायी जाती है।

बैठक में कोई भी निर्वाचित पंच या सरपंच लिखित में एक पंच का नाम उपसरपंच पद के लिए प्रस्तावित करेगा। यदि वह पंच जिसका नाम उम्मीदवार के रूप में प्रस्तावित किया गया है, बैठक में उपस्थित नहीं है तो उसकी लिखित सहमति प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत की जायेगी किन्तु यदि ऐसा पंच बैठक में उपस्थित हो तो उसकी लिखित सहमति आवश्यक नहीं होती बल्कि मौखिक सहमति ही पर्याप्त मानी जा सकती है। निर्वाचन अधिकारी प्राप्त प्रस्तावों की जाँच करेगा, साथ ही पाये गये प्रस्तावों को निर्वाचकों के सामने पढ़कर घोषणा करेगा और उपस्थित पंचों एवं सरपंच को आपत्ति प्रकट करने का समुचित अवसर प्रदान करेगा। यदि चुनाव के मैदान में कुल एक ही प्रत्याशी है तो उसे उपसरपंच निर्वाचित घोषित कर दिया जायेगा। किन्तु उम्मीदवारों की संख्या एक से अधिक होने पर मत हाथ उठाकर लिए जायेंगे व सबसे अधिक मत आने की परिस्थितियों में परिणाम भाग्य-पत्र (पर्ची डालकर) द्वारा घोषित किया जायेगा। यदि कोई पंचायत उपसरपंच चुनने में असफल रहे, तो निर्वाचन अधिकारी, नव निर्वाचित पंचों में से किसी को भी, जो योग्य हो, उपसरपंच के पद पर नियुक्त कर सकते हैं। इस प्रकार नियुक्त उपसरपंच पूर्णरूप से उसी प्रतिष्ठा और शक्तियों का उपयोग करेगा जो किसी निर्वाचित उपसरपंच के द्वारा की जाती है किन्तु छः माह की अवधि के अन्तर्गत नियमित उपसरपंच के निर्वाचन की व्यवस्था की जायेगी।

अधिनियम में उपसरपंच के उपचुनाव की व्यवस्था का उल्लेख भी किया गया है। उपसरपंच का चुनाव आवश्यक होने की स्थिति में जिलाधीश इस सम्बन्ध में एक अधिकारी की नियुक्ति करेंगे जो इस उपचुनाव के लिए पंचायत के पंचों एवं सरपंच को निश्चित तिथि, समय और स्थान पर बैठक बुलायेगा और निर्धारित नीति से उप सरपंच का चुनाव सम्पन्न करायेगा।[12]

पंचायत का कार्यकाल

राजस्थान पंचायत अधिनियम की धारा (7) के अनुसार पंचायत की कार्यावधि (तीन वर्ष) तक होगी जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित या सगणित की जाने वाली तिथि से होगी।[12] सादिक अली समिति के प्रतिवेदन की सिफारिशों के आधार पर हालांकि सरकार ने 1970 में पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष कर दिया था। लेकिन पुनः यह तीन वर्ष कर दिया

गया। पचायतो का कार्यकाल ही सरपच पच व उप सरपच का कार्यकाल होता था सामान्यतय स्थितियो में।[33]

अविश्वास प्रस्ताव

पचायतीराज सस्थाआ निर्वाचित पदाधिकारी अपनी मनमानी करें तो जनता द्वारा उन्हें पदच्युत करने का प्रावधान अधिनियम की धारा 19 के नियम 14 से 19 के अनुसार अविश्वास मत द्वारा करने का प्रावधान किया गया हैं। सरपच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव सरपच को सम्मिलित करते हुए निर्वाचित सदस्यो की कुल सख्या के तीन चौथाई बहुमत (सहवरित व सहसदस्या को अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने का मतदान करने का अधिकार नहीं है) द्वारा पारित किया जाता है। जबकि उप सरपच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव साधारण बहुमत से पारित किया जाता है। इस विधि से पारित अविश्वास प्रस्ताव के तीन दिवस की अवधि में सरपच एव उपसरपच द्वारा पचायत के प्रभावी अधिकारी को अपना त्याग पत्र सौंप अपना पद त्याग देते हैं।[34] इस अविश्वास प्रस्ताव के भय से अधिकाशत सरपच उपसरपच अपनी भूमिका का निर्वहन नियमानुसार जन अपेक्षानुकूल करने के सदप्रयत्न करते हैं।

न्याय उपसमिति का गठन

पचायते न केवल विकास कल्याण एव जनसहकार की ही कर्मस्थली बने वरन् स्थानीय ग्रामीण जनसमुदाय के सामान्य विवादो के निपटारे की न्यायस्थली भी बने। ग्रामीण क्षेत्रों मे जनता के छोटे छोटे झगडे निपटाने और सस्ता व शीघ्र न्याय [illegible] के उद्देश्य से राजस्थान में ग्रामीण स्तर पर अप्रैल 1961 मे न्याय पचायतों की स्थापना की गई। ये न्याय पचायते पाच से सात पचायत क्षेत्रों के लिए गठित की जाती थी।[35] जनआकाक्षाओं के अनुकूल नहीं होने के कारण ये न्याय पचायतें शीघ्र ही अपनी उपादेयता खोने लगी। इनकी असफलता को देखते हुए राजस्थान में पचायती राज पर नियुक्त उच्चाधिकार प्राप्त गिरिधारी लाल व्यास समिति ने 1973 मे यह अनुशसा की कि न्याय पचायता की असफलता को देखते हुए इन्हें समाप्त कर दिया जाना चाहिए।[36]

न्याय पचायता की असफलता को देखते हुए तथा इनकी समाप्ति की सिफारिश के पश्चात् इनके विकल्प के रूप में जनसाधारण को सर्वसुलभ सस्ता तथा पक्षपात विहीन न्याय दिलाने के उद्देश्य से गिरधारी लाल व्यास समिति ने ग्राम पचायतों में न्याय उप समिति के गठन का सुझाव दिया जिसे राज्य सरकार ने स्वीकारते हुए 1978 में ग्राम पचायतों के चुनाव के तुरन्त पश्चात ही न्याय उपसमितियों का गठन किया गया है। न्याय पचायतों का सम्पूर्ण कार्यभार न्याय उपसमितियां का सौंप दिया गया। प्रत्येक ग्राम पचायत म गठित ये न्याय उपसमितियाँ पचायत क्षेत्र के छोटे-छोटे फौजदारी व दीवानी दावे सुनकर उनका निस्तारण करती है। नियमानुसार इसके कार्य क्षेत्र में दावे की सुनवाई की प्रक्रिया और उसके द्वारा दिये जाने वाले दण्ड इत्यादि के प्रावधान किये गये हैं।[37] सागठनिक दृष्टिकोण से अधिनियम की धारा 27क अनुसार न्याय उप समिति के कुल पाच सदस्य हाते हैं इनमें से चार सदस्य पचायत के निर्वाचित अथवा सहवरित पचो में से निवाचित किये जाते हैं।

एक पंच इनमे से अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति का सदस्य होता है तथा कम से कम एक महिला पच होती है। पाचवा सदस्य पचायत का सरपच या उसकी अनुपस्थिति में उप सरपच पदेन सदस्य के रूप में होगा। नियमानुसार सरपच या उसकी अनुपस्थिति में उपसरपच न्याय उपसमिति का पदेन अध्यक्ष होगा।[38] गिरधारी लाल व्यास समिति की अभिशसाओ के आधार पर अधिनियम म यह भी प्रावधान कर दिया गया कि न्याय उपसमिति के दो सदस्य बारी-बारी से प्रति वर्ष निवृत होग जिनके स्थान पर ग्राम पचायत दो नये सदस्य समिति हेतु चुन कर देगी।[39]

न्याय उपसमिति के सदस्यो की योग्यता के सन्दर्भ म व्यवस्था की गई है कि उन्हें पचायत के पच की योग्यता क अलावा व स्पष्टता से हिन्दी पढने लिखने की योग्यता होनी चाहिए तथा इनकी आयु 30 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। न्याय उपसमिति का कार्यकाल पचायत के कार्यकाल के बराबर होता है। [40]

समिति व्यवस्था

पचायती राज सस्थाओं के कार्यों निर्णयों व नीति निर्माण में सहजता सुगमता तथा प्रभावोत्पादकता के उद्देश्य से तथा इन संस्थाओ के जनप्रतिनिधियों की अधिकतम सक्रिय प्रभावशाली भागीदारी व सहयोग प्राप्त करने के लिए समिति व्यवस्था का प्रावधान सादिक अली प्रतिवेदन की अभिशसाओं के आधार पर राज्य सरकार द्वारा किया गया। हालांकि 1953 के पचायतीराज अधिनियम व 1959 के त्रिस्तरीय पचायतीराज प्रारूप में इनका कोई स्थान पंचायतीराज व्यवस्था में नहीं था।

समिति व्यवस्था की महत्ता को दृष्टिगत रखते हुए सादिक अली समिति ने ग्राम पचायत स्तर पर शिक्षा समिति उत्पादन समिति और निर्माण कार्यों के लिए समिति के गठन का सुझाव दिया था जिसे राजस्थान सरकार के स्वीकार करते हुए ग्राम पचायतो म इन समितियों के गठन के प्रशासनिक आदेश जारी किये।[41] जब प्रदाय समितिया भी कुछ पचायतों में गठित की गई।

सादिक अली प्रतिवेदन के अनुसार उपर्युक्त समितियों का कार्य सबधित विषयो पर केवल सिफारिश पेश करना मात्र नहीं है। नीति निर्माण और विभिन्न कार्यक्रमों के निर्धारण में समितिया सलाहकार सस्था की भाति कार्य करें। विभिन्न विषयों पर अतिम निर्णय स्वय ग्राम पचायत द्वारा लिया जाए।

प्रत्येक समिति के सदस्यों की सख्या पाच हो जिनमें से तीन का चुनाव पचायत द्वारा पचायत क्षेत्र के वयस्क मताधिकारियो मे से किया जाए। ग्राम पचायत क्षेत्र की पाठशाला का प्रधानाध्यापक शिक्षा एव सामाजिक शिक्षा समिति का पदेन सदस्य होना चाहिए।

कोई भी व्यक्ति दो से अधिक समितियों का सदस्य तथा एक से अधिक समिति का अध्यक्ष नहीं होना चाहिए।[42] प्रशासनिक समन्वय एव प्रशासन मे गत्यात्मकता तथा परिणामोत्पादकता तथा पचायती राज सस्थाओं के केन्द्र जनआस्था का आधार निर्माण करने का एक महत्त्वपूर्ण माध्यम इन समितियों को माना गया।

ग्राम पंचायत सचिव

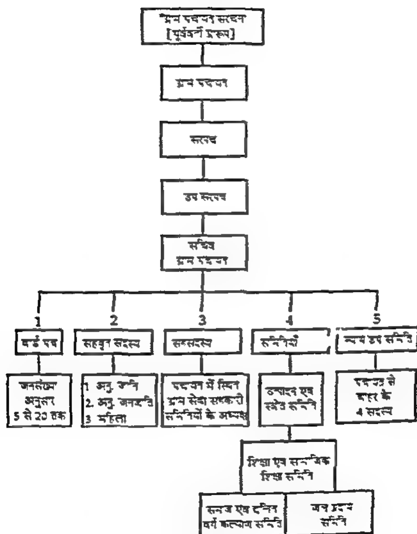
ग्राम पचायत सचिव या ग्राम सेवक जो कि राज्य सरकार का प्रतिनिधि होता है ग्राम पचायत के सभी कार्यों का लेखा-जोखा रखने की जिम्मेदारी इसी की होती है। ग्राम पचायत

प्रशासनिक क्रिया-कलाप यही सम्पन्न करता है। अधिनियम की धारा 23(1) में पंचायतों के लिए निम्नानुसार प्रक्रिया द्वारा एक ग्राम सचिव की नियुक्ति का प्रावधान करती है।[43]

राजस्थान में ग्राम पंचायत का संगठनात्मक आरेख

[पूर्ववर्ती प्रारूप]

आरेख 3.2



* राजस्थान पंचायत अधिनियम, 1953 एवं 1959 की पंचायती राज संरचना के अनुसार पंचायत की संरचना।

ग्राम पंचायत के कार्य

कार्यों की दृष्टि से ग्राम पचायतों को व्यापक दायित्व सौंपे गये हैं। जिनका उल्लेख पचायत अधिनियम के तृतीय परिशिष्ट में किया गया है। जिनमें सभी कार्य ऐच्छिक प्रकृति के हैं *अनिवार्य प्रकृति के नहीं। तृतीय अनुसूची में उल्लेखित कार्य अग्राकित हैं—*

1. स्वच्छता एव स्वास्थ्य के क्षेत्र में .

(क) गृह कार्य अथवा मवेशी के लिए जल प्रदान करने की व्यवस्था।

(ख) सार्वजनिक कार्यों, नालियां, बाधो, तालाबों तथा कुओ (सिचाई के उपयोग में आने वाले कुओं तथा तालाबो के अलावा) तथा अन्य सार्वजनिक स्थानों की सफाई अथवा निर्माण आदि।

(ग) स्वच्छता, मलवहन, कुष्ठ आदि कारणो की रोकथाम, उनको हटाना और मृत पशुओ की लाशों का निपटारा करना।

(घ) स्वास्थ्य का सरंक्षण तथा सुधार करना।

(ङ) चाय, काफी तथा दूध की दुकानो का लाइसेंस द्वारा अथवा अन्य प्रकार से नियमन।

(च) शमशान तथा कब्रिस्तान की व्यवस्था, सधारण तथा नियमन।

(छ) खेल के मैदानों तथा सार्वजनिक बागो का अभिन्यास तथा सधारण।

(ज) किसी सक्रामक रोग के आरम्भ होने, फैलने या पुनराक्रमण के विरोध के लिए उपाय करना।

(झ) सार्वजनिक शौचालयो का निर्माण तथा उनका सधारण और निजी शौचालयो का नियमन करना।

(ट) स्वास्थ्य की दृष्टि से कमजोर बस्तियों का सुधार करना।

(ठ) कूड़ा-करकट के ढेरो, गन्दे तालाबों, पोखरो, खाईयो, गड्ढो व खोखली जगहो को भरना सिचित क्षेत्र में पानी इकट्ठा होने से रोकना तथा स्वच्छता सम्बन्धी अन्य सुधार कराना।

(ड) प्रसूति एव शिशु कल्याण।

(ढ) चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध करना।

(ण) मनुष्यो तथा पशुओ के टीका लगाने के लिए प्रोत्साहन।

(त) नये भवनो के निर्माण तथा वर्तमान भवनो के विस्तार अथवा परिवर्तन का नियमन।

2 सार्वजनिक निर्माण कार्यों के क्षेत्र में :

(क) जन मार्गों में अथवा ऐसे स्थानो और स्थलों मे, जो किसी निजी सम्पत्ति न हो, और जो जनता के लिए खुले हुए हो, आने वाले अवरोध तथा उन पर झुके हुए हिस्सो को हटाना चाहे ऐसे स्थान पचायत मे निहित हो अथवा सरकार के हों।

(ख) सार्वजनिक मार्गों, नालियो, बाधों तथा पुलो का निर्माण एव सधारण तथा मरम्मत किन्तु शर्त यह है कि ऐसे मार्गों, नालियों, बाधो और पुलो के कार्य अन्य सार्वजनिक अधिकारी की स्वीकृति के बिना हाथ मे नहीं लिये जायेगे।

(ग) पचायतों में निहित या उनके नियन्त्रणाधीन सार्वजनिक भवनो चरागाहो, वन भूमियों, जिनमें राजस्थान वन अधिनियम 1953 (राजस्थान अधिनियम 13 सन् 1953) की धारा 28 के अन्तर्गत सौंपी गई वन भूमिया सम्मिलित हैं, तालाबो तथा कुओ (सिचाई के उपयोग में आने वाले तालाब तथा कुआ के अलावा) का सधारण तथा उनके प्रयोग का नियमन।

(घ) पचायत क्षेत्रों मे रोशनी की व्यवस्था।

(ड) पचायत क्षेत्रो में मेलो, बाजारो, क्रय-विक्रय स्थानो, हाटो, तागा स्टेण्डों तथा गाडियो के ठहरने के स्थाना का नियमन एव नियत्रण (जिनका प्रबन्ध राज्य सरकार अथवा पचायत समिति द्वारा नहीं किया जाता है)।

(च) शराब की दुकानो तथा बूचड-खानों का नियमन तथा नियत्रण।

(छ) सार्वजनिक मार्गों तथा क्रय-विक्रय स्थानो एव अन्य सार्वजनिक स्थाना मे पेड लगवाना तथा उनका सधारण और परीक्षण।

(ज) आवारा और स्वामी विहीन कुत्तो को समाप्त करना।

(झ) धर्मशालाओं का निर्माण एव सधारण।

(ड) स्नान करने या कपडे धोने के ऐसे घाटो का प्रबन्ध एव नियत्रण जिनका प्रबन्ध राज्य सरकार अथवा किसी अन्य अधिकारी द्वारा नहीं किया जाता है।

(ट) पचायत के मलवाहन सम्बन्धी कर्मचारियो के लिए मकानो का निर्माण एव सधारण।

(ठ) शिविर मैदानों की व्यवस्था एव उनका सधारण।

(ड) काजी हाऊसों (Cattle compound) की स्थापना, नियत्रण एव प्रबन्ध।

(ढ) अकाल अथवा अभाव के समय निर्माण कार्यों का आरम्भ, उनका सधारण तथा रोजगार की व्यवस्था।

(ण) ऐसे सिद्धान्तो के अनुसार जो कि निर्धारित किये जावें, आबादी स्थलों का विस्तार तथा भवनो का नियमन।

(त) *गोदामो की स्थापना और उनका सधारण।*

(थ) पशुआ के लिए पानी की व्यवस्था हेतु पोखरों की खुदाई एव सधारण।

3 शिक्षा एव सस्कृति के क्षेत्र मे

(क) शिक्षा का प्रसार।

(ख) अखाडो, क्लबो तथा मनोरजन एव खेलकूद के अन्य स्थानो की स्थापना एव उनका सधारण।

(ग) कला एव सस्कृति की उन्नति के लिए थियेटरों की स्थापना एव उनका सधारण।

(घ) पुस्तकालयों एवं वाचनालयों की स्थापना एवं उनका संधारण।

(ङ) सार्वजनिक रेडियो सेट्स एवं ग्रामो-फोनों का लगाना।

(च) पंचायत क्षेत्र में सामाजिक एवं नैतिक उत्थान करना, जिसमें स्थिति में सुधार, भ्रष्टाचार का उन्मूलन तथा जुआ एवं निरर्थक मुकदमेबाजी को निरुत्साहित करना सम्मिलित है।

4 आत्मरक्षा एवं पंचायत क्षेत्र की सुरक्षा

(क) पंचायत क्षेत्र और उसके अन्तर्गत फसलों की चौकीदारी का प्रबन्ध, किन्तु शर्त यह है कि चौकीदारी का व्यय पंचायत द्वारा पंचायत क्षेत्र में ऐसे व्यक्तियों से और ऐसे ढंग से लिया एवं वसूल किया जायेगा जैसा कि निर्धारित किया गया है।

(ख) कष्ट कारक (Offensive) एवं खतरनाक व्यापारों अथवा व्यवहारों का नियम, एवं सम्पत्ति।

(ग) आगजनी होने पर आग बुझाने में सहायता करना तथा उसके जीवन एवं सम्पत्ति की सुरक्षा करना।

5. प्रशासन के क्षेत्र में .

(क) भू-गृहादि पर अंक लगाना।

(ख) जनगणना करना।

(ग) पंचायत क्षेत्र के कृषि एवं कृषि भिन्न उत्पादन की वृद्धि के लिए कार्यक्रम बनाना।

(घ) ग्रामीण विकास योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए उपयोग में आने वाली रसद एवं वित्तीय आवश्यकताओं का विवरण तैयार करना।

(ङ) एक ऐसे माध्यम से कार्य को करना जिससे केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार द्वारा किसी प्रयोजन के लिए दी गई सहायता पंचायत क्षेत्र में पहुँच जाये।

(च) सर्वेक्षण करना।

(छ) पशुओं के खड़े रहने के स्थानों, खलिहानों, चरागाहों तथा सामुदायिक भूमियों का नियंत्रण।

(ज) मेलों, तीर्थ यात्राओं तथा त्यौहारों (जिनका प्रबन्ध राज्य सरकार अथवा पंचायत समिति द्वारा नहीं किया जाता हो) स्थापना संधारण तथा नियमन।

(झ) बेरोजगारी से सम्बन्धित आंकड़े तैयार करना।

(ञ) जिन शिकायतों का पंचायत निरीक्षण नहीं कर सके, उनके बारे में समुपयुक्त प्राधिकारी को रिपोर्ट करना।

(ट) पंचायत अभिलेखों को तैयार करना, उनका संधारण एवं देखभाल।

(ठ) जन्मों तथा विवाहों को ऐसी रीतियों से तथा ऐसे प्रपत्र में, जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित सामान्यतया विशेष आज्ञा द्वारा निर्धारित किये जाएँ, पंजियन (रजिस्ट्रेशन) करना।

(ङ) पंचायत क्षेत्र में स्थित गाँवों के विकास के लिए योजनाएँ तैयार करना।

6. जनकल्याण के क्षेत्र में :

(क) भूमि सुधार योजनाओं को कार्यान्वित करने में सहायता करना।

(ख) अपंगों, निराश्रितों तथा रोगियों को राहत दिलाना।

(ग) दैवी-प्रकोप के समय क्षेत्र के निवासियों को सहायता करना।

(घ) पंचायत क्षेत्र में भूमि तथा संसाधनों के सहकारी प्रबन्ध की व्यवस्था करना और सामूहिक खेती, ऋणदात्री समितियों तथा बहुद्देशीय सहकारी समितियों का संगठन।

(ङ) राज्य सरकार की पूर्व अनुमति से बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाना और ऐसी भूमि पर खेती करवाना।

(च) सामुदायिक कार्यों तथा पंचायत क्षेत्र के उन्नति कार्यों के लिए स्वैच्छिक श्रम को आयोजित करना।

(छ) सस्ते भाव की दुकान खोलना।

(ज) परिवार नियोजन का प्रचार करना।

7. कृषि तथा परीक्षण के क्षेत्र में :

(क) कृषि उन्नति तथा आदर्श कृषि फार्मों की स्थापना।

(ख) धान्यागारों (Grainanes) की स्थापना।

(ग) राज्य सरकार द्वारा पंचायत में निहित बंजर तथा पड़त भूमियों पर खेती करवाना।

(घ) कृषि उपज बढ़ाने की दृष्टि से पंचायत क्षेत्र में कृषि के न्यूनतम निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करना।

(ङ) खाद के संधारणों का संरक्षण करना, मिश्रित खाद (compost) तैयार करना और खाद की बिक्री करना।

(च) उन्नत बीजों के लिए पौधघर (नर्सरीज) स्थापित करना तथा उनका संधारण करना और औजारों तथा सामान्य (स्टोर्स) के लिये व्यवस्था करना।

(छ) उन्नत बीजों का उत्पादन तथा प्रयोग।

(ज) सहकारी कृषि को प्रोत्साहन।

(झ) फसल-परीक्षण तथा फसल रक्षा।

(ञ) छोटे सिंचाई कार्य जिसमें पचास एकड़ से अधिक भूमि में सिंचाई नहीं हो और जो पंचायत समिति के कर्त्तव्य क्षेत्र के अन्तर्गत नहीं आते हों।

(ट) ग्राम वनों का वर्धन, परीक्षण तथा सुधार।

(ठ) डेयरी फार्मिंग को प्रोत्साहन।

8. पशु अभिजनन तथा पशु रक्षा के क्षेत्र में :

(क) पशु सुधार तथा पशु नस्ल सुधार और पशु-धन की सामान्य देखभाल जिसके तहत जानवरों की चिकित्सा तथा उनमें रोग फैलने की रोकथाम सम्मिलित है।

(ख) नस्ली साड रखना और उनका पालन करना।

9 ग्राम उद्योग के क्षेत्र मे

(क) कुटीर तथा ग्राम उद्योगों का विकास उनमें सुधार तथा प्रोत्साहन।

10 विविध कार्य

(क) विद्यालयो के भवनो तथा उनसे अनुलग्नित समस्त भवना का निमाण तथा उनकी मरम्मत करना।

(ख) प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों के लिए आवासों का निर्माण कराना।

(ग) भारत सरकार के डाक विभाग के लिए और उसकी ओर से उस विभाग के साथ तय हुई शर्तों पर डाक-सेवा हाथ में लेना तथा निष्पादित करना।

(घ) जीवन बीमा तथा सामान्य बीमा कारोबार प्राप्त करना।

(ड) अभिकर्ता के रूप में या अल्पबचत प्रमाण-पत्रों की बिक्री।[44]

पचायत समिति गठन व कार्य

"राजस्थान मे पचायत समिति एव जिला परिषद् अधिनियम के 1959 के तहत बलवत राय मेहता द्वारा अनुमोदित त्रिस्तरीय पचायतीराज व्यवस्था मे पचायत समिति मध्यवर्ती सोपान है। ग्रामीण विकास को गति व दिशा प्रदान करने के लिए तथा प्रत्येक जिलों को कुछ विकास खण्डों म विभक्त किया है तथा प्रत्येक खण्ड स्तर पर एक पचायत समिति का गठन किया गया है। पचायत समितियो को तहसील की सीमा के साथ विभक्त किया गया है कि पचायत समिति राजस्व तहसीलों के साथ समसीमात हो।'[45]

राजस्थान में लगभग 237 पचायत समितिया है जो प्रजातात्रिक विकेन्द्रीकरण की धुरी है जिसके चारो और पचायतीराज की समग्र गतिविधिया सकेन्द्रित है। जिनमे कार्यकारी शक्तिया एव दायित्व समाहित है। विभागीय स्तर पर निर्मित होने वाली सभी योजनाएँ पचायत समितियों को हस्तातरित कर दी गई। इससे पचायत समितिया थोडी सशक्त हुई है।

पचायत समिति का गठन

राजस्थान मे पचायत समिति की सरचना पचायत समिति अधिनियम 1959 के आधार पर की गई है। इस अधिनियम की धारा 6 द्वारा राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा किसी जिले के अन्तर्गत पचायत समिति का गठन पुनर्गठन तथा परिसीमन करने के लिए अधिकृत है।[46] अधिनियम के अनुसार पचायत समिति का नाम उस खण्ड के नाम पर होगा जिसके लिए यह गठित की गई है। जैसे मालपुरा खण्ड के लिए गठित पचायत समिति का नाम पचायत समिति मालपुरा होगा। अधिनियम मे कहा गया है कि राजपत्र मे अधिसूचना निकालकर राज्य सरकार किसी पचायत समिति का नाम बदल सकती है।[47]

अधिनियम के अनुसार पचायत समिति का कानूनी स्वरूप निम्नानुसार है—

1 पचायत समिति का नाम उस खण्ड के नाम पर होगा जिसके लिए वह गठित की गई है।

2 यह एक निगमित निकाय होगा जिसका

(क) शाश्वत उत्तराधिकार होगा,

(ख) उसकी सामान्य मुद्रा होगी,

(ग) वह सम्पत्ति अर्जित कर सकेगी, उसे रख सकेगी और उसे बेच सकेगी अर्थात् पंचायत समिति को सम्पत्ति सम्बन्धी पूरे अधिकार हैं,

(घ) अपने निगमित नाम से वह किसी के विरुद्ध कोई वाद (दावा) कर सकेगी या उसके विरुद्ध कोई दावा किया जा सकेगा।[18]

राजस्थान मे पंचायत समिति का गठन अधिनियम के अनुसार अग्रोल्लेखित है—

1. पदेन सदस्य

1 पंचायत समिति क्षेत्र के सभी पंचायतों के सरपंच,

2 पंचायत समिति क्षेत्र से निर्वाचित विधानसभा सदस्य,

3 उपखण्ड अधिकारी, [एस.डी.ओ.] जिसकी अधिकारिता में वह खण्ड स्थित है, [पदेन सदस्य] मताधिकार नहीं होगा।[19]

2. निर्वाचित सदस्य

अधिनियम के अनुसार खण्ड की सभी ग्राम सभाओं के अध्यक्षों द्वारा अपने में से विहित रीति से निर्वाचित सदस्य पंचायत समिति में प्रतिनिधित्व करेंगे। इस प्रकार निर्वाचित किये जाने वाले सदस्यों की संख्या सम्बन्धित जिलाधीश द्वारा निर्धारित की जावेगी। जिलाधीश के लिए इस सम्बन्ध मे यह निर्देश अभिलिखित किये गये हैं कि यदि ग्राम के समूह की कुल जनसंख्या एक हजार से अधिक न हो तो उन पर एक प्रतिनिधि और यदि एक हजार से अधिक हों तो प्रत्येक एक हजार व्यक्तियों पर एक और प्रतिनिधि चुना जा सकेगा। यदि किसी पंचायत समिति क्षेत्र मे केवल एक ही ग्राम सभा हो तो उसका अध्यक्ष उस पंचायत समिति का सदस्य निर्वाचित हुआ समझा जायेगा।[20]

3. सहवरित या सहयोजित सदस्य

1 दो महिलाएं,

2 दो अनुसूचित जाति के प्रतिनिधि,

3 दो अनुसूचित जन जाति के सदस्य, यदि पंचायत समिति क्षेत्र में इनकी संख्या कुल जनसंख्या के 5 प्रतिशत से अधिक हो, और

4 एक प्रतिनिधि सहकारी समितियों की प्रबन्ध समितियों के द्वारा निर्वाचित।[21]

4 सह सदस्य

1 कृषि निपुण कृषक एक,

2 पंचायत समिति क्षेत्र में कार्यरत ग्राम सेवा सहकारी समितियों के अध्यक्षों का एक प्रतिनिधि जो ऐसी समितियों के अध्यक्षों द्वारा स्वयं उन्हीं में से चयनित किया जावे,

3 पंचायत समिति क्षेत्र में कार्य कर रही विपणन समितियों के अध्यक्षों का एक प्रतिनिधि जो ऐसी समितियों के अध्यक्षों द्वारा उन्हीं में से निर्वाचित हो,

4 ग्राम सेवा तथा विपणन समितियों के अतिरिक्त पचायत समिति क्षेत्र में कार्यकारी समितियो के अध्यक्षों का एक प्रतिनिधि जो ऐसी समितियो के अध्यक्षों द्वारा उन्हीं मे से निर्वाचित हो[52]

5 अपर (अतिरिक्त) सदस्य

किसी सरपच या उप सरपच को प्रधान चुन लिया जाता है तो वह अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत पचायत समिति का अपर सदस्य होता है[53]

पचायत समिति सदस्य के लिए योग्यताएँ

पचायत समिति सदस्यता के लिए योग्यता की व्याख्या के सन्दर्भ में राजस्थान पचायत समिति एव जिला परिषद् अधिनियम 1959 मे निषेधात्मक रीति को स्वीकारा गया है। उसके अनुसार निम्नलिखित व्यक्ति पचायत समिति सदस्यता हेतु अयोग्य होगे। यदि वे—

1 केन्द्रीय या राज्य सरकार या किसी स्थानीय सस्था के अधीन वैतनिक पद पर कार्यरत हो

2 आयु 25 वर्ष से कम हो

3 दुराचार के कारण सरकारी सेवा से हटाया गया हो

4 वैतनिक या लाभ के पद पर पचायत समिति के अधीन कार्यरत हो

5 पचायत समिति को सामग्री आपूर्ति के लिए किसी सविधा मे हिस्सा रखता हो

6 शारीरिक या मानसिक रूप से पीडित हो

7 नैतिकता छुआछूत एव अन्य अपराध के लिए सक्षम न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया हो

8 दिवालिया हो

9 राजस्थान पचायत राज कानून 1953 व पचायत समिति अधिनियम 1959 के अधीन आरोपित किसी कर या फीस की रकम का भुगतान भुगतान विवरण (बिल) प्रस्तुत करने की तिथि के 2 माह के भीतर नहीं जमा किया हो।

10 पचायत समिति के पक्ष विपक्ष में अभिभायक हो

11 राजस्थान पचायत कानून की धारा 17(4) के अनुसार सरपच उप सरपच या न्याय उप समिति के अध्यक्ष या सदस्य बनने के अयोग्य हो

12 पचायत समिति अधिनियम धारा 40 (3) के अनुसार प्रधान या उप प्रधान के रूप में निर्वाचन के अयोग्य हो[54]

प्रधान का चुनाव

राजस्थान मे प्रधान के चुनाव का निर्वाचक मण्डल वर्तमान में इस प्रकार है—

1 पचायत समिति के सभी सदस्य (सब डिविजनल ऑफीसर को छोडकर)

2 पचायत समिति क्षेत्र की सभी पचायतो के निर्वाचित एव सहवरित सदस्य

3 पचायत समिति क्षेत्र की सभी ग्राम सभाओं के अध्यक्ष।

राजस्थान में पंचायत समिति का संगठनात्मक आरेख
[पूर्ववर्ती प्रारूप]

आरेख 3.3
पंचायत समिति संरचना
(पूर्ववर्ती प्रारूप)

पंचायत समिति

राजनैतिक संरचना
- प्रधान
- उपप्रधान
- पदेन सदस्य
  - विधानसभा सदस्य
  - पंचायतों के सरपंच
  - उपखण्ड अधिकारी
- निर्वाचित सदस्य
  - निर्वाचित प्रधान ग्राम पंचायत
- सहवृत सदस्य
  - दो महिलाएँ
  - दो अनु. जनजाति के प्रतिनिधि
  - दो अनु. जातियों के प्रतिनिधि
  - सहकारी समितियों द्वारा निर्वाचित एक सदस्य
- सहसदस्य
  - कृषक विशुद्ध कृषक
  - ग्राम सेवा सहकारी समितियों के अध्यक्षों का प्रतिनिधित्व
  - विपणन समितियों के अध्यक्षों का प्रतिनिधित्व
  - अन्य समितियों के अध्यक्षों के प्रतिनिधित्व

प्रशासनिक संरचना
- समितियाँ
  - प्रशासन वित्त, कर, दलित विकास कल्याण समिति
  - उत्पादन समिति
  - शिक्षा समिति
  - सामाजिक एवं कल्याण सेवा समिति
- विकास अधिकारी
  - शिक्षा प्रसार अधिकारी
  - सहकारिता अधिकारी
  - कृषि प्रसार अधिकारी
  - पशु चिकित्सा अधिकारी
  - ग्रामीण प्रसार अधिकारी
  - जन स्वास्थ्य प्रसार अधिकारी
  - सिंचाई प्रसार अधिकारी
  - चिकित्सा प्रसार अधिकारी
  - सर्वेक्षक (ओवरसियर)
  - सामाजिक शिक्षा संगठन कार्यकर्ता
  - ग्राम सेवक एवं ग्राम सेविकाएँ
    - कार्य सहायक
    - ग्राम स्तरीय कार्यकर्ता
    - लेखाकार एवं अंकेक्षक
    - मानचित्रक (कम्पाउंडर)
    - [illegible] लिपिक
    - वरिष्ठ लिपिक
    - खजांची
    - टंककर्ता
    - कनिष्ठ लिपिक
    - संदेश वाहक
    - सफाई कर्मचारी
    - चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी

जिले का जिलाधीश पचायत समिति से सहवरण की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् निर्वाचन विभाग द्वारा घोषित कार्यक्रम के अनुसार, प्रधान के चुनाव के लिए पचायत समिति की बैठक आमन्त्रित करता है। चुनाव हेतु बुलायी गयी इस बैठक की अध्यक्षता स्वय जिलाधीश या उसके द्वारा अधिकृत अतिरिक्त जिलाधीश करता है। प्रधान पद का निर्वाचन, "राजस्थान पचायत समिति एव जिला परिषद् (प्रधान तथा प्रमुख निर्वाचन) नियम, 1979" मे दिये गये तरीके से गुप्त मतदान प्रणाली से होता है।[55]

प्रधान के लिए योग्यताएँ

राजस्थान पचायत समिति एव जिला परिषद् अधिनियम, 1959 मे प्रधान पद के लिए पात्रता के लिए जो दो शर्तें निर्धारित की गयी वो इस प्रकार हैं—

1 वह व्यक्ति पचायत का नागरिक व मतदाता हो,

2 वह हिन्दी पढने व लिखने की योग्यता रखता हो।

राजस्थान पचायत समिति एव जिला परिषद् अधिनियम की धारा 12 (1) (क) के परन्तुक में प्रधान पद के लिए पात्रता की शर्तें निम्न हैं—

1 इस अधिनियम के अनुसार कोई व्यक्ति प्रधान और ससद सदस्य दोनो पदों पर एक साथ नहीं रह सकता और यदि वो इनमें से किसी दो सस्थाओं में निर्वाचित हो जाता है तो चुनाव परिणाम के 14 दिन तक उसे किसी एक पद से त्याग-पत्र देना अनिवार्य है।

2 वह दो पचायत समितियो का प्रधान एक साथ नहीं रह सकता है। उसे एक जगह से त्याग-पत्र देना होगा। अन्यथा 14 दिन पूरे होने पर वह किसी भी पचायत समिति का प्रधान नहीं रहेगा।[56]

कार्यकाल तथा रिक्त स्थान

अधिनियम की धारा 12 के अनुसार निर्वाचित प्रधान की पदावधि या कार्यकाल वही होगा जो पंचायत समिति का है। परन्तु यदि प्रधान का पद बीच मे रिक्त हो जाये तो उसके स्थान पर चुने गये प्रधान का कार्यकाल उसके पहले वाले प्रधान की बची हुई अवधि के लिए ही होगा।[57]

उपप्रधान का निर्वाचन तथा कार्यकाल

उपखण्ड अधिकारी (एस डी ओ) एव सह सदस्यो के अतिरिक्त पचायत समिति के शेष सदस्यो में से किसी एक को उप प्रधान चुना जाता है। जिसका निर्वाचन निम्नलिखित सदस्यों द्वारा होता है—

1 खण्ड की समस्त ग्राम पचायतों के सरपच,

2 खण्ड से निर्वाचित विधान सभा सदस्य

3 ग्राम सभाओं से निर्वाचित सदस्य, तथा

4 सहयोजित सदस्य।

निर्वाचित उप प्रधान का कार्यकाल पचायत समिति के कार्यकाल के समान होता है किन्तु नियमानुसार यदि उप प्रधान का पद बीच में रिक्त हो जाये, तो उसके स्थान पर चुने गये उपप्रधान का कार्यकाल उसके पहले वाले उप प्रधान की बची हुई अवधि के लिए ही होगा।[69]

अविश्वास प्रस्ताव

पचायत समिति एव जिला परिषद् अधिनियम, 1959 की धारा (39) (40) में प्रधान एव उप प्रधान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाये जाने का प्रावधान किया गया है। जिसके अनुसार प्रस्ताव करने के आशय का एक लिखित नोटिस, जिस पर पचायत समिति के कुल सदस्यो में से कम से कम एक तिहाई सदस्यो के हस्ताक्षर होंगे और जिसके साथ प्रस्तावित प्रस्ताव की एक प्रतिलिपि सलग्न होगी और प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने वाले सदस्यो में से किसी एक सदस्य द्वारा वह उस जिलाधीश को व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत किया जायेगा, जिसके अधिकार क्षेत्र मे वह पचायत समिति है। ऐसा नोटिस प्राप्त होने के 30 दिन की अवधि में, सदस्यो को 15 दिन का नोटिस देते हुए जिलाधीश उस प्रस्ताव पर विचारार्थ पंचायत समिति की बैठक बुलाता है। ऐसी बैठक की अध्यक्षता जिलाधीश या अतिरिक्त जिलाधीश स्वय करता है। इस प्रकार बुलायी गयी पचायत समिति की बैठक के सम्मुख अध्यक्ष द्वारा प्रस्ताव विचारार्थ रखा जाता है। प्रस्ताव पर दो घण्टे की बहस के पश्चात् सदस्यों के दो तिहाई बहुमत द्वारा पारित कर दिया जाये तो उसके पारण की सूचना पचायत समिति के सूचना पट्ट पर लगायी जाती है और इसी के साथ प्रधान या उप प्रधान, जिनके विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित हुआ है, पद मुक्त हो जाता है।

गणपूर्ति के अभाव मे अथवा उपरोक्त प्रक्रिया द्वारा यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं हो पाता है तो उसी प्रधान या उप प्रधान में अविश्वास व्यक्त करने वाले किसी पश्चातवर्ती प्रस्ताव का नोटिस तब तक नहीं दिया जायेगा जब तक कि पूर्व बैठकों की तारीख से 6 महीने व्यतीत न हो जाये। ऐसा प्रस्ताव जब दुबारा लाया जाता है तो उसके समर्थन में दो तिहाई सदस्यों के मत की अनिवार्यता के स्थान पर निर्वाचक मण्डल के साधारण बहुमत का समर्थन प्राप्त होने पर उसे स्वीकृत मान लिया जाता है।

इस हेतु *राजस्थान पचायत समिति एवं जिला परिषद्* (प्रधान, उप प्रधान प्रमुख में अविश्वास का प्रस्ताव) नियम 1961 बनाये गये हैं। इन्हीं नियमों में यह प्रावधान किया गया कि वाला अविश्वास प्रस्ताव ऐसे व्यक्ति द्वारा पद भार सभालने के 6 महीने के भीतर नहीं लिया जायेगा। इसी प्रकार गणपूर्ति के लिए यह प्रावधान किया गया है कि इस प्रकार बैठक मे मत देने के लिए अधिकृत व्यक्तियो की कुल सख्या की एक तिहाई सख्या गणपूर्ति हेतु आवश्यक होगी।[69]

प्रधान या उपप्रधान का पदच्युत या निलम्बन करना

पचायत समिति का प्रधान, उप प्रधान, या सदस्य *राज्य सरकार* की नजर में पचायत समिति के कार्य सचालन में राज्य सरकार की जानबूझकर अवहेलना करे तथा शक्तियों का दुरुपयोग करे और दुराचरण कार्य का दोषी पाया जाये तो राज्य सरकार उसे अपने पक्ष में इस सन्दर्भ में स्पष्टीकरण का अवसर देने के पश्चात् जिला परिषद् से विचार-विमर्श कर इस सन्दर्भ में उसे पदमुक्त कर सकती है।

यदि किसी प्रधान, उपप्रधान के विरुद्ध नैतिक पतन या अपराध के लिए जाच चल रही हो या न्यायालय में कार्यवाही लम्बित हो तो उसे राज्य सरकार अपने पद से निलम्बित कर सकेगी तथा ऐसी परिस्थिति में वह पचायत समिति के किसी कार्य या कार्यवाही में भाग लेने के अयोग्य होगा तथा पद से हटाये जाने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के लिए प्रधान या उप प्रधान के रूप में पुन. निर्वाचन के योग्य नहीं होगा।[60]

विकास अधिकारी

पचायत समिति के प्रशासनिक दायित्वों के निर्वहन के लिए तथा पचायत समिति के नियंत्रक अधिकारी के रूप में *पचायत समिति अधिनियम, 1959* में *विकास अधिकारी* की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। इसके अनुसार सरकार किसी व्यक्ति को जो राज्य सरकार के अधीन किस पद पर कार्यरत है पचायत समिति में प्रतिनियुक्ति पर विकास अधिकारी या अन्य अधिकारी, प्रसार अधिकारी के रूप में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जा सकेगा।[61]

पंचायत समिति के कार्य

प्रत्येक पचायत समिति को पचायती समिति अधिनियम, 1959 की धारा 23 (2) की अनुसूची के अनुसार अपने क्षेत्र में कार्यों की व्यापक जिम्मेदारिया दी गई हैं जो निम्नानुसार है—

1. सामुदायिक विकास

1 अधिक, नियोजन, उत्पादन तथा सुख-सुविधाए प्राप्त करने के लिए ग्राम सस्थाओं का सगठन।

2. पारस्परिक सहकारिता के सिद्धान्तों पर आधारित ग्राम समुदाय में आत्मसम्मान तथा स्वावलम्बन की प्रवृति उत्पन्न करना।

3 समुदाय की भलाई के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में काम में नहीं लिए जाने वाले समय तथा शक्ति का प्रयोग।

2. कृषि

1 परिवार, ग्राम तथा खण्ड के लिए अधिक कृषि उत्पादन के लिए योजनाएँ बनाना तथा उनको पूरा करना।

2 थल तथा जल के साधनों का प्रयोग तथा नवीनतम शोध पर आधारित खेती की सुधारी हुई रीतियों का प्रसार।

3 ऐसे सिचित कार्यों जिनकी लागत रु 25 000 से अधिक न हो, का निर्माण तथा सधारण।

4 सिंचाई के कुओ, बाधो, एनीक्टो तथा मेड-बधो के निर्माण के लिए सहायता का प्रावधान।

5 भूमि को कृषि योग्य बनाना तथा कृषि भूमियों पर भू-सरक्षण।

6 बीज वृद्धि के फार्मों का सधारण-पजीकृत बीज उत्पादकों को सहायता तथा बीज वितरण।

7 फल तथा सब्जियों का विकास।

8 खादों तथा उर्वरकों को लोकप्रिय बनाना तथा उनका वितरण।

9 स्थानीय खाद संबंधी साधनों का विकास।

10 सुधरे हुए कृषि औजारों के प्रयोग खरीद तथा निर्माण को बढ़ावा देने तथा उनका वितरण।

11 पौधों की रक्षा।

12 राज्य योजना नीति के अनुसार व्यापारिक फसलों का विकास।

13 सिंचाई तथा कृषि के विकास के लिए उधार तथा अन्य सुविधाएँ।

3 पशु पालन

1 अभिजात अभिजनन सांडों की व्यवस्था करके क्षुद्र सांडों को बधिया करके और कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों की स्थापना तथा संधारण द्वारा स्थानीय पशुओं की क्रमोन्नति करना।

2 ढोर भेड़ सूअर कुक्कुटादि तथा ऊंटों की सुधरी नस्लों को प्रस्तुत करना, इनके लिए सहायता देना तथा लघु आधार पर अभिजनन फार्मों को चलाना।

3 छूत की बीमारियों को रोकना।

4 सुधरा हुआ चारा तथा पशु खाद प्रस्तुत करना।

5 प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों तथा छोटे पशु-औषधालयों की स्थापना का संधारण।

6 दुग्धशालाओं की स्थापना व दूध भेजने का प्रबन्ध।

7 ऊन को श्रेणीबद्ध करना।

8 क्षुद्र ढोर की समस्या सुलझाना।

9 पंचायतों के नियन्त्रणाधीन तालाबों में मछली पालन का विकास करना।

4 स्वास्थ्य तथा ग्राम सफाई

1 टीका लगाने सहित स्वास्थ्य सेवाओं का संधारण तथा विस्तार और व्यापक रोगों की रोकथाम।

2 पीने योग्य सुरक्षित पानी की सुविधाओं का प्रबन्ध।

3 परिवार आयोजन।

4 औषधालयों दवाखानों डिस्पेन्सरियों प्रसूति केन्द्रों तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निरीक्षण।

5 व्यापक स्वच्छता तथा स्वास्थ्य के लिए अभियान चलाना तथा (क) आहार पौष्टिकता (ख) प्रसूति तथा शिशु तथा (ग) छूत की बीमारियों के सम्बन्ध में लोगों को शिक्षित करना।

5 शिक्षा

1 अनुसूचित जातियों और अनु जनजातियों के चलाए जाने वाले विद्यालयों को सम्मिलित करते हुए प्राथमिक विद्यालय।

2 प्राथमिक पाठशालाओं को बुनियादी पद्धति में परिवर्तन करना।

3 माध्यमिक स्तरों तक छात्रवृत्तियाँ व आर्थिक सहायताएँ जिनमें अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों व अन्य पिछडी जातियों के सदस्यों के लिए छात्रवृत्तियाँ व आर्थिक सहायताएँ सम्मिलित हैं।

4 बच्चियों की शिक्षा का विकास करना तथा शाला-माताओं (स्कूल-मदर्स) का नौकरी में रखा जाना।

5 कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों को छात्रवृत्तिया तथा वजीफे देना।

6 अध्यापकों के लिए क्वार्टर का निर्माण करना।

6. समाज शिक्षा

1 सूचना सामुदायिक व विनोद केन्द्रों की स्थापना।

2 युवक संगठनों की स्थापना।

3 पुस्तकालयों की स्थापना।

4 ग्राम कार्यकर्ताओं तथा ग्राम साथियों के प्रशिक्षण तथा उनकी सेवाओं के उपयोग को विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए महिलाओं और बालकों के बीच काम करना।

5 प्रौढ शिक्षा।

7. सचार साधन

अत: पचायत साधन सडकों तथा ऐसी सडकों पर पुलियों का निर्माण तथा सधारण।

8. सहकारिता

1 सेवा सहकारी समितियों, औद्योगिक, सिचाई, कृषि तथा अन्य सहकारी सस्थाओं की स्थापना में तथा उन्हे शक्तिशाली बनाने में सहायता देकर सहकारी कार्य को प्रोत्साहित करना।

2 सेवा-सहकारी सस्थाओं में भाग लेना तथा उन्हें सहायता देना।

9. कुटीर उद्योग

1 रोजी कमाने के अधिकार अवसर देने के लिए तथा गाँवों म आत्म निर्भरता को बढाने के लिए कुटीर एव छोटे पैमाने के उद्योगों का विकास।

2 उद्योगों तथा नियोजन सम्बन्धी सम्भाव्य साधनों का सर्वेक्षण।

3 उत्पादन एव प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना।

4 कारीगरों तथा शिल्पकारों की कुशलता को बढाना।

5 सुधरे हुए औजारों को लोकप्रिय बनाना।

10 पिछडे वर्गों के लिए कार्य

1 अनुसूचित जातिया, अनुसूचित जन-जातियों तथा अन्य पिछडे वर्गों के लिए सरकार द्वारा सहायता प्राप्त छात्रावासों का प्रबन्ध।

2 समाज कल्याण स्वयसेवी सगठन मजबूत बनाना तथा उनकी गतिविधियों का समन्वय करना।

11. आपातिक सहायता

आग, बाढ, महामारियों तथा अन्य व्यापक प्रभावशाली आपदाओं की दशा में आपातिक सहायता का प्रबन्ध।

12. आकड़ो का सग्रह

ऐसे आकडों का सग्रह तथा सकलन जो कि पचायत समिति, जिला परिषद् या राज्य सरकार द्वारा आवश्यक समझे जावे।

13. न्यास

ऐसे किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाए गए न्यासों का प्रबन्ध जिसके, जिला पचायत समितियों की निधि का प्रयोग किया जाय।

14. वन

1 ग्राम वन।

2 बारी-बारी से चराई।

15 ग्राम भवन का निर्माण

16 प्रचार

1 सामुदायिक रूप से सुनाने की योजना।

2 प्रदर्शनियाँ।

3 प्रकाशन।

17. विविध

1 पचायतों की समस्त गतिविधियों का पर्यवेक्षण तथा उनका पथ-प्रदर्शन एव ग्राम व पचायत योजनाओं का निर्माण।

2 घृणास्पद, भयानक अथवा हानिकर, व्यापारों, धन्धों तथा रिवाजो का नियमन।

3 गन्दी बस्तियों का पुनरुद्धार।

4 हाटो तथा अन्य सार्वजनिक सस्थाओ-उदाहरणार्थ सार्वजनिक पार्कों, बागों, फलोद्यानों व फार्मों आदि की स्थापना, प्रबन्ध, सधारण तथा निरीक्षण।

5 रगमचों की स्थापना तथा प्रबन्ध।

6 खण्ड में स्थित दरिद्रालयों, आश्रमों, अनाथालयो, पशु चिकित्सालयो तथा अन्य सस्थाओं का निरीक्षण।

7 अल्प बचत तथा बीमा के जरिए मितव्ययता को प्रोत्साहन।

8 लोक कला तथा सस्कृति को प्रोत्साहन।

9 पचायत समिति के मेलों का आयोजन एव प्रबध।

10 डाक तथा तारविभाग के प्रतिदेय अभिदाय के भुगतान का उपबन्ध करके पचायत समितियो के किसी भी ग्राम मे जहाँ कहीं भी आवश्यक हो तथा जहा पचायतें समुचित तथा पर्याप्त कारणों से ऐसा करने मे असमर्थ हो, प्रयोगात्मक डाक घरों सम्बन्धी डाक सुविधायें सुनिश्चित करना।"[62]

राजस्थान में जिला परिषद् का संगठनात्मक आरेख 3.4
[पूर्ववर्ती प्रारूप]

* राजस्थान में 1959 के जिलापरिषद प्रारूप के अनुसार जिलापरिषद

जिला परिषद्

राजस्थान मे 1959 के पचायत समिति एव जिला परिषद् अधिनियम के तहत 2 अक्टूबर, 1959 में जिस त्रिस्तरीय पचायतीराज व्यवस्था का श्री गणेश किया उसमें ग्राम पचायतो एव पंचायत समितियों पर नियत्रण, पर्यवेक्षण, समन्वय एव सहकार का माध्यम जिला परिषदो को बनाया गया तथा निष्पादकीय कार्यों से इन्हें परे रखा गया। जिला परिषद् एक शीर्षस्थ सगठन है और सम्पूर्ण जिले के विकास के लिए उत्तरदायी है।[63] जिला परिषद् को बलवतराय मेहता समिति ने अपने प्रतिवेदन मे शीर्षस्थ प्रशासकीय निकाय बनाने का सुझाव दिया था।[64] जिसे अधिकतर राज्यों ने स्वीकार कर क्रियान्वित किया।

पचायती राज व्यवस्था में लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की इस सर्वोच्च सस्था के सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली द्वारा राजस्थान राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अधिसूचना दिनाक से किसी जिले के लिए एक जिला परिषद् का गठन कर सकती है। जिला परिषद् एक निगम निकाय है उसका शाश्वत उत्तराधिकार है। उसकी अपनी मोहर होती है, वह किसी पर वाद-दायर कर सकती है तथा उस पर भी वाद दायर किया जा सकता है उसे सविधा करने का अधिकार होता है।[65] जिला परिषद् लोकतांत्रिक निकाय नहीं है, बल्कि एक सरकारी सस्था है, क्योंकि पदेन तथा सहयोजित सदस्यो की सख्या अधिक है। इससे नये नेतृत्व के उभरने मे बाधा पडती है। इसके अतिरिक्त निर्वाचन की अप्रत्यक्ष प्रणाली ने इस सस्था को कम लोकतांत्रिक बना दिया है।[66] राजस्थान मे जिला परिषद् की सरचना अधिनियम की धारा 42 के अनुसार राजस्थान राज्य की सरकार, राज-पत्र में अधिसूचना द्वारा किसी जिले के लिए उसमे अंकित दिनाक से एक जिला परिषद् का गठन कर सकती है[67]—

प्रत्येक जिला परिषद् उस जिले का नाम धारण करेगी जिसके लिए वह गठित की जाएँ और शाश्वत उत्तराधिकार तथा मुद्रा से युक्त एक निगमित निकाय होगा, जो सम्पत्ति को आवाप्त करने, धारणा करने तथा उसके निपटने एव संविदा करने की शक्ति से सम्पन्न होगी और वह अपने निगमित नाम से वाद सस्थित कर सकेगी तथा उसके विरुद्ध भी वाद-सस्थित किया जा सकेगा।[68]

प्रत्येक जिला परिषद् का गठन चार प्रकार के सदस्यों से होता है जो निम्नानुसार है[69]—

पदेन सदस्य

1. जिले की सभी पंचायत समितियों के प्रधान,
2. जिले में रहने वाला राज्यसभा का सदस्य,
3. जिले से निर्वाचित लोकसभा सदस्य,
4. जिले से निर्वाचित विधानसभा के सदस्य,
5. जिला विकास अधिकारी (जिलाधीश)।

उपरोक्त सभी सदस्यों में से जिला विकास अधिकारी को जिला परिषद् की बैठक में मताधिकार या निर्वाचित पद प्राप्त करने का अधिकार नहीं है।

सहयोजित (सहवृत) सदस्य

1. दो महिलाएँ : यदि पदेन सदस्यों की क्रम संख्या एक से चार तक कोई भी महिला, जिला परिषद् की सदस्य नहीं है या एक महिला, यदि उपरोक्त श्रेणी में केवल एक ही महिला ऐसी सदस्य है।

2 एक अनुसूचित जाति का सदस्य : यदि पदेन सदस्यो मे, एक से चार तक ऐसा कोई भी व्यक्ति जिला परिषद् का सदस्य नहीं है।

3 एक अनुसूचित जनजाति का सदस्य . यदि इस प्रकार की जनजातियो की जनसख्या जिले की कुल जनसख्या के 5 प्रतिशत से अधिक हो।[70]

सहसदस्य

1 केन्द्रीय सहकारी बैंक का अध्यक्ष या उसका मनोनीत प्रतिनिधि,

2 जिला सहकारी सघ का अध्यक्ष (यदि जिले मे सहकारी सघ हो)।[71]

अपर (अतिरिक्त) सदस्य

किसी पचायत समिति का प्रधान या उप-प्रधान यदि प्रमुख पद पर निर्वाचित किया जाता है तो अपने पद पर रहने तक अधिनियम के अनुसार जिला परिषद् का अपर सदस्य माना जावेगा।[72]

जिला परिषद् के सदस्यों की योग्यताएँ

जिला परिषद् के सदस्यो के लिए योग्यता के सम्बन्ध मे नियमो मे नकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए सदस्यता सम्बन्धी अयोग्यता का विवरण दिया गया है। निम्नलिखित अयोग्यता धारण करने वाले किसी भी व्यक्ति को जिला परिषद् की सदस्यता के लिए अपात्र ठहराया गया है—

1 यदि वह केन्द्र या राज्य सरकार की नियमित सेवा मे है,

2. यदि उसकी आयु 25 वर्ष से कम है,

3 जिला परिषद् या पचायत समिति में वैतनिक पद पर है,

4 पचायत समिति या जिला परिषद् द्वारा दिये किसी ठेके मे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से साझेदार है,

5 यदि दुराचरण के कारण सरकारी सेवा से हटाया गया है,

6 यदि शारीरिक या मानसिक रोग या कोढ़ के कारण कार्य करने के अयोग्य हो,

7 किसी न्यायालय द्वारा दुराचरण या अस्पृश्यता निवारण अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत दोषी ठहराया गया हो,

8 पचायती राज संस्थाओ द्वारा भेजे गये बिल के अन्तर्गत कर या भुगतान दो माह से अधिक समय तक न किया गया हो,

9 किसी मुकदमे मे पचायत समिति या जिला परिषद् या उसके विरुद्ध अधिवक्ता हो,

10 सरपंच, उप-सरपंच, प्रधान या उप-प्रधान के पद के लिए अयोग्य हो जाय।[73]

अधिनियम की धारा 45 के अनुसार जब तक कोई व्यक्ति किसी पचायत या नगर पालिका का निवासी या मतदाता न हो या राजस्थान ग्रामदान अधिनियम की धारा 13 के अधीन स्थापित जिले की ग्राम सभा का सदस्य न हो या उसमें हिन्दी पढने तथा लिखने की योग्यता न हो, जिला प्रमुख निर्वाचित होने के लिए योग्य नही होगा। नियमानुसार एक

व्यक्ति दो सस्थाओ मे दोनों एक साथ धारण नहीं कर सकता। यदि ऐसा व्यक्ति जिला प्रमुख निर्वाचित हुआ हो, तो पहले से ही ससद या विधान मण्डल का सदस्य या नगरपालिका अथवा नगरपरिषद् का सदस्य है, तो प्रमुख के परिणाम की घोषणा की तारीख से 14 दिन समाप्त होने पर वह प्रमुख नहीं रहेगा जब तक कि उसने ससद या राज्य विधान मण्डल या नगर परिषद्, यथा स्थिति, की अपनी सीट से पहले ही त्याग-पत्र दे दिया हो।[74]

जिला परिषद् अधिनियम 1959 की धारा 16 के अनुसार निम्न परिस्थितियो मे जिला परिषद् सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है—

1 यदि उपर्युक्त वर्णित किसी अयोग्यता से युक्त हो।
2 यदि जिले मे रहना बन्द कर दे। नियमों मे यह अपेक्षित है कि चुनाव, सहवरण या नामजदगी के पश्चात् प्रतिवर्ष प्रधान और प्रमुख को उस जिले में 240 दिन और अन्य सदस्यो को 180 दिन रहना आवश्यक है।
3 जिला परिषद् की बैठको मे लगातार पाच बार प्रमुख की पूर्व अनुमति के बिना अनुपस्थित रहने पर।
4 यदि सदस्यता से त्याग-पत्र दे द और ऐसा दिया हुआ त्याग-पत्र स्वीकार कर लिया हो।
5 मृत्यु हो जाने पर।[75]

प्रधान हेतु विशेष उपबंध

पचायत समितियो के प्रधान की जिला परिषद् की सदस्यता के बारे मे निम्नलिखित विशेष उपबध किये गये हैं .—

1 जिला परिषद का सदस्य बनने से इकार करने पर या ऐसी सदस्यता से त्याग-पत्र देने पर या अन्य कारणो से सदस्य नहीं रहने पर पचायत समिति का कोई प्रधान ऐसा करने की तिथि से प्रधान भी नहीं रहेगा। उसके स्थान पर आने वाला व्यक्ति प्रधान होने से जिला परिषद का पदेन सदस्य हो जावेगा।
2 जब प्रधान का पद रिक्त हो, तो उप-प्रधान जिला परिषद् का सदस्य होगा।
3 जब प्रधान और उप-प्रधान दोनों के पद रिक्त हो, तो पचायत समिति द्वारा निर्वाचित व्यक्ति (अस्थायी प्रधान) जिला परिषद् का सदस्य होगा।[76]

सहयोजन हेतु निर्वाचक मण्डल

जिला परिषद के लिए नियमानुसार सहवरित किये जाने वाले सदस्यों के निर्वाचन में जिला परिषद् के निम्नलिखित सदस्य भाग लेते हैं—

1 समस्त प्रधान,
2 जिले में रहने वाला राज्यसभा का सदस्य,
3 लोकसभा के सदस्य,
4 विधानसभा के सदस्य।

इस प्रकार केवल इन्हीं सदस्यो को सहयोजन में मत देने का अधिकार दिया गया है।[77]

सहयोजन हेतु पात्रता

सहयोजन के लिए निम्न व्यक्ति चुनाव ॥ पात्र माने गये हैं—

1 जो खण्ड के निवासी हो,
2 पचायतों निर्वाचकों और ग्रामसभा के सदस्यों में से हो।[78]

जिला प्रमुख

जिला प्रमुख जिला परिषद् का राजनैतिक प्रमुख होता है जिसका निर्वाचन 1959 के जिला परिषद् अधिनियम के संशोधित प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित निर्वाचक मण्डल द्वारा होता है[79]—

1 जिला परिषद् के सदस्यो में जिले की समस्त पचायत समितियों के प्रधान, जिले में रहने वाला राज्यसभा का सदस्य, जिले से निर्वाचित लोकसभा का सदस्य, जिले से निर्वाचित विधानसभा के सदस्य तथा जिला परिषद् के सभी सहवृत या सहयोजित सदस्य।

2 जिले की पचायत समितियो के सदस्य जिसमे समस्त सरपच, विधानसभा के सदस्य, ग्रामसभा के अध्यक्षो द्वारा निर्वाचित सदस्य तथा सभी सहयोजित सदस्य।

इस प्रकार सहयुक्त सदस्य तथा सरकारी प्रतिनिधियों (जिलाधीश तथा उपखण्ड अधिकारी) के अतिरिक्त जिला परिषद् तथा पचायत समितियों के अन्य सभी सदस्य जिला प्रमुख निर्वाचन हेतु मतदाता होते हैं।

जिला प्रमुख पद हेतु उम्मीदवार को पात्रता सम्बन्धी दो शर्तें पूर्ण करना आवश्यक है[80]—

1 वह किसी पंचायत या नगरपालिका का निवासी तथा मतदाता हो अथवा राजस्थान ग्रामदान अधिनियम, 1971 की धारा 13 के अधीन स्थापित जिले की किसी ग्रामसभा का सदस्य हो, और

2 हिन्दी पढ़ने तथा लिखने की योग्यता रखता हो।

यदि कोई व्यक्ति दो जिला परिषदों का अध्यक्ष चुन लिया जाता है तो भी उसे चुनाव परिणाम की घोषणा के बाद 14 दिन की अवधि में एक जिला परिषद् की सदस्यता को त्यागना होता है।[81]

उप जिला प्रमुख

राजस्थान जिला परिषद् अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उप जिला प्रमुख पद हेतु उम्मीदवार निम्नलिखित सदस्यों में से होगा और यही सदस्य उसके निर्वाचन हेतु मतदाता होंगे[82]—

1 जिले की समस्त पचायत समितियों के प्रधान,

2 जिले में रहने वाला राज्य सभा का सदस्य,

3 जिले से लोकसभा के सदस्य,

4 जिले के विधानसभा सदस्य,

5 जिला परिषद् के सहयोजित सदस्य।

उप-प्रमुख का यह निर्वाचन विहित रीति से "राजस्थान पचायत समिति तथा जिला परिषद् (उप-प्रधान तथा उप-प्रमुख निर्वाचन) नियम, 1979" के अनुसार आयोजित किया जाता है।[83]

उप-प्रमुख की पदावधि तथा रिक्त स्थानो की पूर्ति, निर्वाचन की वैधता तथा निर्वाचन याचिका सम्बन्धी उपबन्ध, जो प्रमुख के बारे में लागू होते हैं, उप-प्रमुख के बारे में भी प्रभावी होंगे।[84]

जिला परिषद् का कार्यकाल

राजस्थान पचायत समिति एव जिला परिषद् अधिनियम, 1959 मे वर्णित उपबन्धो के अनुसार जिला परिषद की पदावधि ऐसी दिनाक से, जो राज्य सरकार अधिसूचित करे, तीन वर्ष की निश्चित की गयी थी। अधिनियम मे यह व्यवस्था भी की गई थी कि राज्य सरकार राजपत्र मे अधिसूचना के द्वारा इस अवधि को समय-समय पर कुल मिलाकर एक बार में एक वर्ष की अवधि के लिए बढा सकेगी।[65]

इसके सदस्यों की पदावधि के बारे मे अधिनियम, यह उपबन्ध करता है कि पचायत समिति के प्रधान तब तक जिला परिषद् के सदस्य रहेंगे, जब तक कि वे प्रधान के पद पर बने रहते हैं।[66]

इसी तरह राज्यसभा या लोकसभा या विधानसभा के सदस्य या केन्द्रीय सहकारी बैंक के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या जिला सहकारी सघ के अध्यक्ष, ये सब अपने पद के आधार पर जिला परिषद् के सदस्य होते हैं। अत. जब कभी वे अपने मूल पद से हट जाते हैं, वे जिला परिषद् के सदस्य भी नहीं रहते हैं।[67] सहयोजित सदस्य भी जिला परिषद् की पूरी पदावधि तक सदस्य रहते हैं और सहयोजित सदस्य का पद रिक्त होने पर अधिनियम में दिये गये तरीके से, उस खाली स्थान को अन्य व्यक्ति को सहयोजित कर भर लिया जाता है।[68]

अविश्वास प्रस्ताव

जिला परिषद् के सदस्यों को अधिकार है कि आवश्यकता पडने पर जिला प्रमुख व उप जिला प्रमुख के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव रख सकते हैं। अधिनियम के प्रावधान इस सम्बन्ध मे यह व्यवस्था करते है कि ऐसा अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के आशय का एक लिखित नोटिस जिस पर जिला परिषद् के कुल सदस्यो में से कम से कम एक तिहाई सदस्यो के हस्ताक्षर होगे और जिसके साथ प्रस्तावित प्रस्ताव की एक प्रतिलिपि सलग्न होगी, और प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने वाले सदस्यों मे से किसी एक सदस्य द्वारा निदेशक, ग्रामीण विकास एव पचायती राज विभाग को दिया जायेगा। निर्देशक इसकी सूचना राज्य सरकार को देगा। इस तरह प्रस्तुत प्रस्ताव की प्राप्ति के 30 दिन की अवधि के भीतर, 15 दिन का एक नोटिस सदस्यों को देते हुए निदेशक द्वारा जिला परिषद की बैठक अविश्वास प्रस्ताव पर विचार के लिए बुलाई जायेगी। यदि अविश्वास का प्रस्ताव प्रमुख के विरुद्ध विचारणीय है तो ऐसी बैठक की अध्यक्षता निदेशक, ग्रामीण विकास एव पचायती राज विभाग और यदि प्रस्ताव उप-प्रमुख के विरुद्ध हो तो उस बैठक की अध्यक्षता जिला प्रमुख करेगा। प्रथम बार प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन मे, चाहे वह प्रमुख के विरुद्ध हो या उप प्रमुख के विरुद्ध 2/3 बहुमत आने पर ही पारित हुआ माना जायेगा। ऐसा प्रस्ताव यदि गणपूर्ति पूर्ण न होने पर वाछित बहुमत प्राप्त न करने के कारण पारित नहीं होता है तो इस तरह का कोई आगामी प्रस्ताव छः माह की समाप्ति के पश्चात् ही प्रस्तुत किया जा सकेगा जिसे केवल सामान्य बहुमत प्राप्त हो जाने पर ही पारित मान लिया जायेगा। अधिनियम यह प्रावधान भी करता है कि प्रमुख या उप प्रमुख द्वारा कार्यभार सभालने के प्रथम छ: माह की अवधि में उनके विरुद्ध कोई अविश्वास प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है।[69]

जिला परिषद् में समिति व्यवस्था

जिला परिषद् को प्रशासन व व्यवस्था मे सलाह व सहायता हेतु कुछ विषयो पर समितियों के गठन का प्रावधान जिला परिषद् की धारा 20(1) के अनुसार निम्नानुसार किया गया है—

1 प्रशासन, वित्त करारोपण तथा कमजोर वर्गों तथा पिछडे क्षेत्रों का कल्याण,

2 उत्पादन कार्यक्रम जिसमे कृषि पशुपालन सिचाई सहकारिता कुटीर उद्योग तथा अन्य सम्बद्ध विषय सम्मिलित है।

3 शिक्षा जिसमें सामाजिक शिक्षा सम्मिलित है

4 सामाजिक सेवाये जिनमे ग्रामीण जलप्रदाय स्वास्थ्य तथा सफाई ग्रामदान यातायात तथा सामुदायिक कल्याण से सम्बन्धित अन्य विषय सम्मिलित हैं।

जिला परिषद उपरोक्त विषयों के लिए चार स्थाई समितियाँ गठित करेगी तथा पाचवीं स्थाई समिति भी उनमे से किसी विषय पर बना सकेगी[80] राजस्थान में सादिक अली समिति के सुझावों के अनुसार राज्य सरकार ने राज्य में कार्यरत जिला परिषदो के लिए निम्नलिखित चार समितियों के गठन का प्रावधान किया है—

1 प्रशासन एव वित्त समिति

2 उत्पादन समिति

3 शिक्षा समिति

4 सामाजिक कल्याण समिति।

राज्य सरकार का यह भी निर्देश है कि यदि आवश्यक हो ता जिला परिषद् उपरोक्त समितियो के अतिरिक्त एक और समिति का गठन कर सकती है। इस प्रकार इन समितियो की अधिकतम सख्या पाँच निर्धारित की गई है[81] जिला परिषद् अधिनियम की धारा 20(3) के अनुसार प्रत्येक स्थाई समिति मे कुल सात सदस्य होगे जिनमे से पाँच सदस्य पचायत समिति के सदस्यो मे से चुने जायेगे तथा दो सदस्य उस विषय के योग्य और अनुभवी व्यक्तियो मे से सहयोजित किये जायेगे[82] प्रत्येक स्थाई समिति के सदस्यो मे से एक तिहाई सदस्य प्रति वर्ष पद निवृत्ति हो जावेगे। अधिनियम यह भी प्रावधान करता है कि अध्यक्ष की पूर्वानुमति लिए बिना लगातार पाच बैठको में अनुपस्थित रहने वाले सदस्य के स्थान को रिक्त घोषित कर दिया जायेगा। ऐसी रिक्ति की घोषणा हेतु नियमानुसार सूचना सदस्य को रजिस्ट्रीकृत डाक या सदेशवाहक के द्वारा भेजी जायेगी और यदि ऐसी सूचना उसे व्यक्तिगत रूप से या उसके परिवार के साथ रहने वाले प्रौढ पुरुष को दे दी गई हो तो वह विधिवत तामील हुई मानी जायेगी[83]

जिला परिषद् की बैठक

आवश्यकतानुसार जब भी जिला परिषद् अपनी बैठकें करेगी किन्तु दो बैठको क बीच का अन्तराल तीन महीने से अधिक नहीं होगा[84] अर्थात् जिला परिषद् की बैठक तीन माह में करना अनिवार्य है।

जिला परिषद् सचिव

राज्य सरकार प्रत्येक जिला परिषद् के लिए एक सचिव नियुक्त करेगी जो राज्य सदा या भारतीय प्रशासनिक सेवा का सदस्य या राज्य सरकार के अधीन कोई पद धारण करने वाला

व्यक्ति होगा और वह राज्य सरकार द्वारा प्रमुख के परामर्श से, स्थानान्तरित किया जा सकेगा।[5]

जिला विकास अधिकारी

जिला परिषद् अधिनियम में यह प्रावधान किया गया है कि जिला विकास अधिकारी जिला परिषद् को जिला परिषद् की उपसमितियों की बैठक में उपस्थित होने और उनके विचार-विमर्श में हिस्सा लेने का अधिकार होगा।[6]

जिला परिषद् के कार्य

जिला परिषद् का मुख्य कार्य पंचायत एवं पंचायत समितियों के बीच समन्वय स्थापित करना जिले की पंचायत समितियों की सामान्य देख-रेख रखना है। इसे राज्य सरकार को पचायतों और पचायत समितियों से सम्बन्धित मामलों में सलाह देने तथा पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जिले की विभिन्न योजनाओं के अधीन जिला परिषदों को किसी प्रकार के कार्यपालक अधिकार नहीं है।

राजस्थान में जिला परिषद् को अधिनियम के अन्तर्गत निम्नलिखित दायित्व सौंपे गये है—

1 इस सम्बन्ध में निर्मित जिले की पंचायत समितियों के बजटों की नियमों के अनुसार जांच करना।

2. राज्य सरकार द्वारा जिले को आवंटित किए गए तदर्थ अनुदानों को पंचायत समितियों में वितरित करना।

3. पचायत समितियो द्वारा तैयार की गई योजनाओं का समन्वय तथा समेकन करना।

4. पचायतों तथा पंचायत समितियों के कार्यों का समन्वय करना।

5. किसी विकास कार्यक्रम के सम्बन्ध में ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे अन्य कृत्यों का पालन, जो राज्य सरकार, विज्ञप्ति द्वारा उसे प्रदान करे या सौंपे।

6. ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कृत्यों का पालन करना, जो इस अधिनियम के अधीन उसे प्रदान की जाए तथा उसे सौंपे जाए,

7. ऐसे मेलों और उत्सवों को छोड़कर, जिनका प्रबन्ध राज्य सरकार द्वारा किया जाता है या अब आगे किया जायेगा, अन्य मेलों और उत्सवों का पंचायत के मेलो और उत्सवो तथा पंचायत समिति के मेलों और उत्सवों के रूप में वर्गीकरण करना और इसके बारे में किसी पंचायत या पंचायत समिति द्वारा अभ्यावेदन किये जाने पर, उक्त वर्गीकरण का पुनर्विलोकन करना।

8 राष्ट्रीय राजपथों, राज्य राज्यपथों और जिले की मुख्य सडको को छोडकर अन्य सडको का पचायत समिति की सडकों और गाँवों की सडकों के रूप में वर्गीकरण करना।

9. जिले में पचायत समितियों की गतिविधियों की सामान्य देख-रेख करना।

10 जिले में पचायत और पचायत समितियों के सभी सरपचों, प्रधानो और अन्य पचों व सदस्यों के कैम्प, सम्मेलन और सेमीनार आयोजित करना।

11 पचायत तथा पचायत समितियों की गतिविधियों से सम्बन्धित सब मामलों में राज्य सरकार को सलाह देना।

12 राज्य सरकार द्वारा जिला परिषद् को विशेष रूप से निर्दिष्ट की गई किसी वैधानिक अथवा कार्य निष्पादन सम्बन्धी आज्ञा को कार्यान्वित करने सम्बन्धी मामलों मे राज्य सरकार को सलाह देना।

13 पचवर्षीय योजनाओ के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओ को जिले के भीतर कार्यान्वित करने सम्बन्धी मामलो मे राज्य सरकार को सलाह देना।

14 जिले के लिए निर्धारित सभी कृषि व उत्पादन कार्यक्रमों, निर्माण कार्यक्रमो नियोजनो तथा अन्य लक्ष्यों को ध्यान में रखना और यह देखते रहना कि वे यथोचित रीति से क्रियान्वित, पूर्ण और निष्पादित किये जा रहे हैं तथा वर्ष मे कम से कम दो बार ऐसे कार्यक्रमो और लक्ष्यो की प्रगति की समीक्षा करना।

15 ऐसे आकडे इकट्ठे करना जो वह आवश्यक समझे।

16 जिले में स्थानीय अभिकरणो की गतिविधियो सम्बन्धी साख्यिकी ब्यौरों अथवा कोई अन्य सूचना प्रकाशित करना।

17 किसी भी स्थानीय प्राधिकरण से उसके कार्यकलापो के सम्बन्ध मे हालात प्रस्तुत करने की अपेक्षा करना।[17]

सन्दर्भ

1 महात्मा गाँधी, *ग्राम स्वराज्य,* नवजीवन, प्रकाशन अहमदाबाद, 1963 पृष्ठ 15

2 सादिक अली *पचायतीराज अध्ययन दल की रिपोर्ट* पचायत एव विकास विभाग राजस्थान सरकार, 1964, पृ 44

3 ए एस अल्तेकर, *प्राचीन भारतीय शासन पद्धति,* देहली मोतीलाल बनारसीदास 1949, पृ 171-180

4 एच डी मालविया, *विलेज पचायत इन इण्डिया,* न्यू देहली आल इण्डिया काग्रेस कमेटी, 1956, पृष्ठ 42-44

5 जयप्रकाश नारायण, *ए प्ली फॉर रिकस्ट्रक्शन ऑफ इण्डियन पालिटिक्स,* काशी सर्वसेवा सघ प्रकाशन, 1959 पृ 81-91

6 सादिक अली प्रतिवेदन, पूर्वोक्त

7 सादिक अली *पचायती राज अध्ययन दल प्रतिवेदन* पचायत एव विकास विभाग, राजस्थान सरकार, 1964, पृ 52

8 महात्मा गाँधी *"ग्राम स्वराज्य"* नव जीवन प्रकाशन मन्दिर, अहमदाबाद, 1963, पृ 42-43

9 सादिक अली, पूर्वोक्त पृष्ठ 44

10 श्री कृष्ण दत्त शर्मा एव श्रीमती सुनीता दाधीच, *राजस्थान पचायत अधिनियम* तृतीय सस्करण एवन एजेंसोज, जयपुर, 1992 पृष्ठ 59 एव 162, 163, 164 धारा सैक्सन 23(क) के नियम 64 से 69 तक

11 उपरोक्त, धारा 65 पृष्ठ 162

12 उपरोक्त, धारा 67, पृष्ठ 163

13 उपरोक्त, धारा 69, पृष्ठ 164

14 उपरोक्त, धारा 68, पृष्ठ 163-164

15 सादिक अली, उपरोक्त, पृष्ठ 46, 47

16 उपरोक्त, पृष्ठ 46, 47

17 उपरोक्त, पृष्ठ 50

18 श्री कृष्ण दत्त शर्मा एव श्रीमती सुनीता दाधीच, *राजस्थान पचायत अधिनियम* एवन एजेंसीज जयपुर, 1992, पृष्ठ 2

19 उपरोक्त, धारा 3, पृष्ठ 3

20 उपरोक्त, धारा 4, पृष्ठ 19

21 उपरोक्त, धारा 6 के नियम, 14 से 47, पृष्ठ 276 से 286

22 उपरोक्त धारा 4-5, पृष्ठ 271-272

23 उपरोक्त, धारा 6 के नियम, 14 से 47, पृष्ठ 276 से 286

24 उपरोक्त, धारा 11, पृष्ठ 25

25 उपरोक्त, धारा 9 पृष्ठ 23

26 उपरोक्त, धारा 9, पृष्ठ 288

27 उपरोक्त, धारा 4, पृष्ठ 19

28 उपरोक्त, धारा 13, पृष्ठ 33

29 उपरोक्त, धारा 13, नियम 48, पृष्ठ

30 उपरोक्त, धारा 13, नियम, 48 पृष्ठ 286

31 उपरोक्त, धारा 13, नियम, 49, पृष्ठ 286

32 उपरोक्त, धारा 13, नियम 56-57, पृष्ठ 289-290

33 उपरोक्त, धारा 7, पृष्ठ 21-22
34 उपरोक्त, धारा 19, नियम 14 से 19, पृष्ठ 51, 147-150
35 सादिक अली *पंचायती राज अध्ययन दल की रिपोर्ट,* पंचायत एवं विकास विभाग, राजस्थान सरकार, 1964, पृष्ठ 87-88
36 गिरधारी लाल व्यास समिति प्रतिवेदन, सामुदायिक विकास और पंचायत विभाग राजस्थान सरकार, जयपुर 1973, पृष्ठ 44545 और 160
37. शर्मा एवं दाधीच, पूर्वोक्त धारा 27, पृष्ठ 72
38 उपरोक्त, धारा 27, पृष्ठ 71
39 उपरोक्त, धारा 27, पृष्ठ 72
40 उपरोक्त, धारा 27 (ग), पृष्ठ 72
41 सादिक अली प्रतिवेदन-पूर्वोक्त, पृष्ठ 339-334
42 रवीन्द्र शर्मा *विलेज पंचायत्स इन राजस्थान,* आलेख पब्लिशर्स, 1974, पृष्ठ 21-22
43 कृष्ण दत्त शर्मा एवं श्रीमती सुनीता दाधीच पूर्वोक्त, *पंचायत अधिनियम,* 1953, धारा 23, पृष्ठ 58
44 उपरोक्त, धारा 24, पृष्ठ 137-140
45 सादिक अली प्रतिवेदन पूर्वोक्त, पृष्ठ 11
46 आर के बाफना एवं पारस जैन, *राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद् अधिनियम,* 1959, बाफना पब्लिकेशन्स, जयपुर, पृष्ठ 26-86
47 उपरोक्त, धारा 6, पृष्ठ 26
48 उपरोक्त, धारा 7, पृष्ठ 27-28
49 उपरोक्त, धारा 8, पृष्ठ 33-34
50 उपरोक्त, धारा 8 पृष्ठ 34
51 उपरोक्त, धारा 8(2), पृष्ठ 35
52 उपरोक्त, धारा 10, पृष्ठ 37-38
53 उपरोक्त, धारा 9, पृष्ठ 37
54 उपरोक्त, धारा 15, पृष्ठ 54-55
55 उपरोक्त, धारा 12, पृष्ठ 41, 42, 43, 44
56 उपरोक्त, धारा 12, पृष्ठ 43-44
57 उपरोक्त, धारा 12, पृष्ठ 41
58 उपरोक्त, धारा 12, पृष्ठ 44
59 उपरोक्त, धारा 39-40, पृष्ठ 79-84

60. उपरोक्त, धारा 40, पृष्ठ 84-86
61 उपरोक्त, *धारा 26, पृष्ठ 69-70*
62 उपरोक्त, धारा 23(2) अनुसूची, पृष्ठ 133-136
63 एस आर. माहेश्वरी : *भारत में स्थानीय शासन* ; लक्ष्मीनारायण अग्रवाल आगरा, 1990, पृष्ठ 107
64 रिपोर्ट ऑफ दॅ फॉर दॅ स्टडी ऑफ कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स एण्ड नेशनल एक्सटेंशन सर्विस, भाग-I, नयी दिल्ली, कमेटी ऑन प्लान प्रोजेक्ट्स, 1957, पृष्ठ 17
65 आर के बाफना एव पारस जैन, राजस्थान पचायत, पचायत समिति एव *जिला परिषद् कानून*, बाफना पब्लिकेशन्स, 1987, धारा 42, पृष्ठ 87
66 एस आर. माहेश्वरी-पूर्वोक्त, पृष्ठ 107
67 आर.के बाफना एव पारस जैन, पूर्वोक्त, धारा 57, पृष्ठ 100
68 उपरोक्त, धारा 42(2), पृष्ठ 87
69 उपरोक्त, धारा 40, पृष्ठ 71
70 उपरोक्त, धारा 42(6), पृष्ठ 91
71 उपरोक्त, धारा 42(4), पृष्ठ 88
72 उपरोक्त, धारा 43, पृष्ठ 92
73 उपरोक्त, धारा 14, 15, 16, पृष्ठ 54-59
74 उपरोक्त, धारा 45, पृष्ठ 92-93
75 उपरोक्त, धारा 16 पृष्ठ 59-60
76 उपरोक्त, धारा 42(3) (1), पृष्ठ 91
77 उपरोक्त, धारा 44, पृष्ठ 92
78 उपरोक्त, धारा 42(4), पृष्ठ 88
79 उपरोक्त, धारा 45(2), पृष्ठ 44-45
80 उपरोक्त, धारा 45(1), पृष्ठ 92
81 उपरोक्त, धारा 45(3), पृष्ठ 93
82 उपरोक्त, धारा 45(ख), पृष्ठ 93
83 उपरोक्त, धारा 45 ख, (2), पृष्ठ 94
84 उपरोक्त, धारा 45 ख (3), पृष्ठ 94
85 उपरोक्त, धारा 46, पृष्ठ 96
86 उपरोक्त, धारा 42(3) (1), पृष्ठ 87
87 उपरोक्त, धारा 42 की उपधारा 3(2), पृष्ठ 87-88
88 उपरोक्त, धारा 42 उपधारा 3(4), पृष्ठ 88

89. उपरोक्त, धारा 39, पृष्ठ 79-81
90 उपरोक्त, धारा 20(1), पृष्ठ 63-64
91 सादिक अली, पूर्वोक्त, पृष्ठ 89
92 भावना एवं पारस जैन पूर्वोक्त, धारा 20 (3), पृष्ठ 65
93 उपरोक्त, धारा 20(6) (7), पृष्ठ 65
94 उपरोक्त, धारा 51, पृष्ठ 98
95 उपरोक्त, धारा 55 (1) (2), पृष्ठ 99
96 उपरोक्त, धारा 53 (1) (2), पृष्ठ 98
97. *उपरोक्त, धारा 57, पृष्ठ 100*

❏❏❏

4

पंचायती राज व्यवस्था : 73वें संविधान संशोधन प्रदत्त तंत्र : संरचना एवं कार्य

20वीं सदी विश्व में लोकतंत्रीकरण की सदी के रूप में जानी जायेगी तो 21वीं सदी लोकतंत्र को मजबूत आधारों की गवेषणा के प्रयासों एवं प्रयोगों के रूप में जानी जायेगी। भारत विश्व का विशालतम सफल लोकतांत्रिक गणराज्य है। जहाँ पिछले 50 वर्षों में लोकतांत्रिक संस्थाओं का विकास व ह्रास तथा सफलता एवं असफलता का ग्राफ समान रूप से परिलक्षित होता है। भारत का 80% भूभाग व जनशक्ति ग्रामीण क्षेत्रीय है। अतः प्रजातांत्रिक विकेन्द्रीकरण के माध्यम से स्वायत्त शासन की कवायद पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से की गई। जिस लक्ष्य एवं उत्साह के साथ इस व्यवस्था को लागू किया गया था। ये संस्थाएँ उसके अनुकूल अपने उद्देश्य में खरी नहीं उतरी। विभिन्न आयोगों, समितियों एवं शोधों एवं विद्वत गोष्ठियों में सुझावों और विश्लेषणपरक मंथनमय प्रयासों से भी उनमें सुधार नहीं आ सका।

पंचायतीराज संस्थाओं का पूर्ववर्ती रूप सम्पूर्ण भारत में एक समान नहीं था तथा राज्य सरकारों के हितपूर्ति का माध्यम इन संस्थाओं को मना लिया था। चुनावों की अनिश्चितता, भ्रष्टाचार, राजनीतिक दखलदाजी, अयोग्य एवं अक्षम जनप्रतिनिधियों के कारण पंचायती राज संस्थाएँ बदहाल स्थिति में आ गयी। 21वीं सदी के आते-आते राजनीतिक नेतृत्व को इन संस्थाओं के सुदृढीकरण व दशा सुधारने की उत्कण्ठ अभिलाषा जागी और 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं में व्यापक परिवर्तन द्वारा समग्र राष्ट्र में एक समान प्रारूप के तहत संवैधानिक स्तर प्रदान किया गया। यह संशोधित पंचायती राज संविधान संशोधन 23 अप्रैल, 1992 को सम्पूर्ण भारत में एक साथ लागू किया गया जिसकी अप्रोल्लेखित चारित्रिकताएँ राजस्थान सरकार द्वारा लाये गये राजस्थान पंचायती अधिनियम, 1994 में दृष्टिगोचर होती है।

1. ग्राम सभा को वैधानिक दर्जा दिया गया।
2. पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया वह त्रिस्तरीय व्यवस्था समान रूप से समग्र भारत में लागू की गई।
3. जनप्रतिनिधियों का प्रत्यक्ष निर्वाचन—ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद् की संरचना में प्रमुख स्थान प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का रखा गया है तथा पंचायत समिति तथा जिला परिषद् के गठन में निम्न संस्थाओं के निर्वाचित व्यक्तियों को उच्च संस्थाओं में प्रतिनिधित्व देने की परिपाटी समाप्त कर दी गई है।
4. पदों का आरक्षण—महिलाओं के लिए सभी स्तर के पदों के लिए न्यूनतम एक-तिहाई स्थान आरक्षित करने सम्बन्धी प्रावधान इस अधिनियम की उल्लेखनीय विशेषता है। इस अधिनियम की धारा 15 के अनुसार महिलाओं के लिए एक-तिहाई पद आरक्षित करना अनिवार्य है। इस प्रकार प्रत्येक पंचायत के पंचों व सरपंचों, पंचायत समिति के प्रधानों तथा जिला परिषद के प्रमुखों के कम से कम एक-तिहाई पद महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने का प्रावधान है। इसी प्रकार अनुसूचित जाति एवं जनजाति की संख्या के अनुपात में पंचों, सरपंच, प्रधान तथा प्रमुख के पद भी आरक्षित करने की व्यवस्था इसी धारा में की गई है। इसके अतिरिक्त पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए भी आरक्षण-नीति लागू किये जाने सम्बन्धी प्रावधान किये गये हैं। पदों का आरक्षण भाग्य-पत्रक (लाटरी) द्वारा चक्रानुक्रम से किये जाने का प्रावधान किया गया है।
5. निर्वाचन क्षेत्रों (वार्डों) का आरक्षण—महिलाओं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व पिछड़े वर्गों के लिए पंचायती राज संस्थाओं में निर्वाचन क्षेत्रों का आरक्षण नियमानुसार भाग्य-पत्रक (लाटरी) द्वारा चक्रानुक्रम से किये जाने का प्रावधान किया गया है।
6. कार्यकाल—पंचायतीराज संस्थाओं का कार्यकाल इस नये अधिनियम के अधीन 5 वर्ष निर्धारित किया गया है।
7. परिवार कल्याण कार्यक्रमों को महत्ता—इस नवीन अधिनियम में दो से अधिक बच्चों के माता-पिता को पंचायत राज संस्थाओं में चुनाव लड़ने हेतु अनर्ह या निर्योग्य माना है इस प्रकार इन अनिवार्य प्रावधानों से परिवार सीमित रखने के राष्ट्रीय अभियान में जनसहभागिता की अनिवार्यता व परिवार कल्याण की महत्ता स्वीकारी गयी है।
8. करारोपण की शक्तियाँ—पंचायती राज संस्थाओं के लिए वित्तीय संसाधन जुटाने हेतु इस अधिनियम में करारोपण के आधार को अधिक व्यापक बनाया गया है। इससे पंचायती राज संस्थायें आर्थिक रूप से आत्म-निर्भर एवं स्वायत्त स्वरूप ग्रहण करने में सक्षम हो सकेंगी।

9 वित्त आयोग की स्थापना—73वें सविधान सशोधन विधेयक की अपेक्षाओं के अनुसार इस अधिनियम में भी वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है, जिसमें आयोग के सदस्यों की निर्योग्यता, कार्य एव अधिकार आदि के सम्बन्ध में प्रावधान प्रमुख है।

10 निर्वाचन आयोग का गठन—पचायती राज सस्थाओ में राज्य मे चुनाव सम्पन्न करवाने हेतु राज्य निर्वाचन आयोग गठित करने का प्रावधान किया गया है।

11 पचायती राज सस्थाओं में अनियमितताओं पर नियत्रण पाने के लिए समुचित एव सशक्त लेखा एवं अकेक्षण की व्यवस्था की गयी है।[1]

12 ग्रामीण क्षेत्रों के त्वरित और सन्तुलित विकास के लिए जिला आयोजना समिति के गठन का प्रावधान भी उल्लेखनीय है।

उपर्युक्त चारित्रिकताओं के सदर्भ में ही 73वें सविधान सशोधन प्रदत्त प्रारूप के अनुरूप पचायती राज सस्थाओं के गठन एव कार्यों का व्यापक वर्णन अपेक्षित है जो अग्रोल्लेखित है।

वार्ड सभा

कल्याण एव विकास का लाभ पचायत के सभी लोगों को मिले तथा पचायत क्षेत्र का सतुलित विकास हो इसके लिए राजस्थान सरकार ने राजस्थान पचायतीराज अधिनियम में सशोधन धारा 2 की उपधारा (1) के तहत पचायत के प्रत्येक वार्ड में ग्राम सभा की तरह ही वार्ड सभा करने का प्रावधान किया। जिसमें पचायत वृत के वार्ड के सभी वयस्क नागरिक होंगे।[2]

बैठके—

अधिनियम मे प्रावधान किया गया है कि वार्ड सभा की प्रतिवर्ष दो बैठकें होगी अर्थात् वित्तीय वर्ष की प्रत्येक छमाही मे एक। यदि राज्य सरकार, पचायत, पचायत समितियो, जिला परिषद् और वार्ड सभा के सदस्यों के दशाश (1/10) द्वारा लिखित मे चाहने पर वार्ड सभा बैठक अध्यपेक्षा के पद्रह दिन के अन्दर-अन्दर बुलायी जायेगी।[3]

विषय—

ऐसा कोई भी विषय जिसे राज्य सरकार द्वारा वार्ड सभा की बैठक में रखना चाहे रखा जायेगा। वार्ड सभा इन विषयो पर चर्चा करने हेतु स्वतत्र होगी तथा पचायत वार्ड सभा द्वारा दिये गये सुझावों पर विचार करेगी।[4]

बैठक की कार्यवाही—

वार्ड सभा की बैठको में सम्बन्धित पचायत समिति का विकास अधिकारी या उसका प्रतिनिधि उपस्थित रहेगा जो बैठको की कार्यवाही लिखेगा। वह वार्ड पच के परामर्श स वार्ड सभा की बैठकों को कार्यवाही लिखेगा। बैठकों की लिखित कार्यवही की एक-एक प्रति सम्बन्धित अधिकारियो को भेजी जायेगी। कार्यवाही बैठको की समाप्ति पर सुनायी जायेगी जिसे वार्ड सभा के उपस्थित सदस्यो द्वारा अनुमोदित तथा हस्ताक्षरित किया जायेगा।[5]

अध्यक्षता—

वार्ड सभा की बैठक की अध्यक्षता पंच या उसकी अनुपस्थिति में वार्ड सभा की बैठक में उपस्थित सदस्यों में से बहुमत से इस प्रयोजन हेतु निर्वाचित व्यक्ति करेगा।

वार्ड सभा के कृत्य—

अधिनियम वार्ड सभा द्वारा निम्न दायित्व पूरा करने का प्रावधान करता है—

1 पंचायत की विकास योजना निर्माण हेतु आवश्यक सूचना संग्रह में सहायता करना।

2 वार्ड सभा क्षेत्र में क्रियान्वित की जाने वाली योजनाओं और कार्यक्रमों के प्रस्ताव तैयार कर उनकी प्राथमिकताएँ तय करना।

3 वार्ड सभा क्षेत्र मे विकास योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु हिताधिकारियों की प्राथमिकता क्रम में पहचान करना।

4 विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में मदद करना।

5 जन सुख-सुविधाओं और सेवाओं जैसे रास्तों में रोशनी, पेयजल हेतु सार्वजनिक नल की व्यवस्था, सार्वजनिक कुए, सार्वजनिक सफाई इकाईयाँ, सिंचाई सुविधा आदि के लिए स्थान का सुझाव देना।

6 स्वच्छता, पर्यावरण सुरक्षा, प्रदूषण निवारण तथा अन्य सामाजिक बुराईयों से सुरक्षा हेतु योजना बनाना तथा जागरूकता लाना।

7. जन समूहों में सौहार्द्र एव एकता को बढाना।

8. सरकारी सहायता एवं पेंशन पाने वाले व्यक्ति की पात्रता सत्यापित करना।

9. वार्ड सभा क्षेत्र में किये जाने वाले तथा किये गये कार्यों की सूचना प्राप्त करना तथा उनकी सामाजिक संपरीक्षा कर उनको उपयोगिता तथा पूर्णता प्रमाण-पत्र प्रदान करना।

10 वार्ड सभा क्षेत्र में उपलब्ध करायी जाने वाली सेवाओं तथा किये जाने वाले कार्यों के प्रस्तावों की सूचना सम्बन्धित अधिकारियों से लेना।

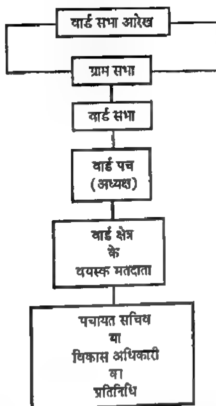
11. अध्यापक व माता-पिता संगम क्रिया-कलापों मे उस क्षेत्र में सहायता करना।

12. साक्षरता, शिक्षा, स्वास्थ्य, बाल विकास और पोषण को प्रोत्साहित करना।

13. सभी सामाजिक क्षेत्रों की संस्थाओं तथा कृत्यकारियों पर नियंत्रण रखना।

14. ऐसे सभी कार्य जो समय-समय पर बनाये जाये।

आरेख 4 1



सतर्कता समिति—

पचायतीराज अधिनियम, 1994 की धारा 8 के आधार पर ग्राम सभा, पचायत के कार्यों योजनाओं और अन्य क्रियाकलापो के पर्यवेक्षण हेतु अपनी बैठक मे उनसे सम्बन्धित प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए एक या एक से अधिक सतर्कता समितियाँ गठन करने का प्रावधान किया गया है जिसमें सदस्य ऐसे होगे जो पचायत के सदस्य नहीं हो। ग्राम सभा पर नियत्रण रख सकेंगी। लेकिन पचायती राज (सशोधन) अध्यादेश 2000 द्वारा इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है।[8]

ग्राम सभा

स्वतत्र भारत के 50 वर्षों के प्रजातात्रिक शासन काल मे ग्राम सभा जैसी जनोन्मुखी सस्था तिरस्कृत रही 73वे सविधान सशोधन की धारा 243(क) के माध्यम से प्रत्येक राज्य सरकार के लिए ग्राम सभा का गठन सवैधानिक रूप से अनिवार्य कर दिया गया। इसके अनुसार ग्रामसभा ग्राम स्तर पर ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगी और ऐसे कार्यों को करेगी जो राज्य विधानमण्डल विधि बनाकर उपबध करे।[9]

भारत सरकार के 73वें संविधान संशोधन के क्रम में राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 द्वारा राजस्थान सरकार ने ग्राम सभा को संवैधानिक प्रारूप को स्वीकृत करते हुए उसे गठित कर सशक्तिकरण का प्रयास किया और इस संस्था को सही मायनों में प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रीकरण का आधार बनाने की कवायद आरम्भ की। ग्राम स्तर पर आम जन का प्रशासकीय दृष्टिकोण से ही नहीं अपितु विकास व कल्याण की गतिविधियों में भी सहयोग व सहभागिता अपेक्षित व अनिवार्य है।

राजस्थान में ग्राम सभा का गठन पंचायती राज अधिनियम, 1994 के अनुसार निम्न है।[10]

ग्राम सभा का गठन

प्रत्येक पंचायत सर्किल के लिए एक ग्राम सभा के गठन का प्रावधान किया गया है। जिसमें पंचायत क्षेत्र के भीतर समाविष्ट गाँव या गाँवों के समूह से सम्बन्धित निर्वाचक नामावलियों में रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति होंगे। 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने वाला प्रत्येक व्यक्ति चाहे वह किसी भी जाति या लिंग का हो सभा का सदस्य हो सकता है।[11]

ग्राम सभा की बैठकें

प्रत्येक वर्ष ग्राम सभा की कम से कम दो बैठकें आयोजित किया जाना अनिवार्य है। पहली वित्तीय वर्ष प्रथम त्रिमास में तथा दूसरी अन्तिम त्रिमास में। ग्राम सभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से आधे सदस्यों के द्वारा लिखित रूप से कोई अपेक्षा पर या यदि पंचायत समिति, जिला परिषद् राज्य सरकार द्वारा अपेक्षित हो तो, ग्राम सभा की ऐसी अपेक्षा के 30 दिन के भीतर-भीतर ग्राम सभा की बैठकें बुलाने का उत्तरदायित्व प्रथमतः सरपंच पर तथा उसकी अनुपस्थिति में उपसरपंच पर रखा गया है।[12]

अधिनियम में व्यवस्था की गई है कि बैठक उस गाँव में होगी जिसमें पंचायत का कार्यालय स्थित है।[13]

यह गाँव में पंचायत भवन या अन्य सुविधाजनक सार्वजनिक स्थल पर होनी चाहिए। ग्राम सभा की बैठक की सूचना आयोजन की तिथि से कम से कम 15 दिन पूर्व पंचायत सर्किल के प्रत्येक गाँव में एक या अधिक स्थानों पर चिपका कर ढोल बजाकर दी जानी चाहिए। इस सूचना में बैठक की तारीख समय एवं कार्यसूची का विवरण होना चाहिए अर्थात् ग्राम सभा की बैठक की ग्रामीणों को जानकारी हेतु सूचना का व्यापक प्रचार-प्रसार आवश्यक है।[14]

ग्राम सभा के पीठासीन अधिकारी

ग्राम सभा की बैठक पंचायत के सरपंच के द्वारा या उसकी अनुपस्थिति में, पंचायत के उपसरपंच के द्वारा बुलाई जायेगी। बैठकों की अध्यक्षता सरपंच के द्वारा की जायेगी। सरपंच व उपसरपंच दोनों की ही अनुपस्थिति होने की दशा में ग्रामसभा की बैठक की अध्यक्षता बैठक

में उपस्थित सदस्यों के बहुमत से इस प्रयोजन के लिए निर्वाचित किये गये किसी सदस्य के द्वारा की जायेगी।[15]

ग्राम सभा की गणपूर्ति

ग्रामसभा की किसी बैठक के लिए गणपूर्ति सदस्यों की कुल संख्या के दशांस से होगी, परन्तु गणपूर्ति के अभाव में स्थगित की गई किसी बैठक के लिए किसी भी गणपूर्ति की आवश्यकता नहीं होगी।[16]

संकल्प

ग्राम सभा को इस अधिनियम के अन्तर्गत सौंपे गये किसी भी विषय से सम्बन्धित संकल्प ग्राम सभा की बैठक में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से पारित करने होंगे।[17]

ग्राम सभा की बैठकों हेतु कार्यसूची

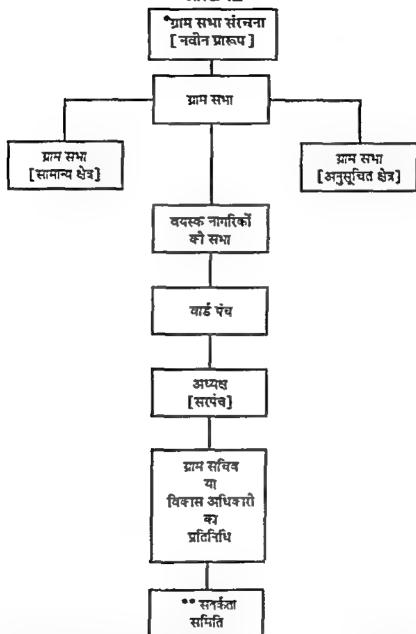
राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 में ग्राम सभा की बैठकों में विचारार्थ लिए जाने वाले विषयों का भी उल्लेख किया गया है। इसमें व्यवस्था की गई है कि वित्तीय वर्ष के प्रथम त्रिमास में की जाने वाली बैठक में पंचायत, ग्राम सभा के समक्ष निम्नलिखित विषय विचार हेतु रखेगी—

1. पूर्ववर्ती वर्ष के लेखों का वार्षिक विवरण
2. इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन प्रस्तुत किये जाने के लिए अपेक्षित पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के प्रशासन की रिपोर्ट,
3. वित्तीय वर्ष के लिए प्रस्तावित विकास और अन्य कार्यक्रम, और
4. पिछली संपरीक्षा रिपोर्ट और उसके लिए दिये गये उत्तर।[18]

बैठकों की कार्यवाही का अभिलेखन

नवीन पंचायतीराज अधिनियम के अन्तर्गत ग्राम सभा की बैठकों की कार्यवाही का लिखित में अभिलेखन रखने की व्यवस्था की गई है। सम्बन्धित पंचायत समिति की विकास अधिकारी या ऐसे विकास अधिकारी के द्वारा नाम निर्देशित कोई प्रसार अधिकारी ग्राम सभा की सभी बैठकों में उपस्थित होगा। वह ऐसी बैठकों की कार्यवाही का पंचायत के सचिव द्वारा सही-सही अभिलेखन किये जाने के लिए उत्तरदायी होगा। इस प्रकार अभिलिखित कार्यवाहियों की एक-एक प्रति निर्धारित रीति से इस प्रयोजन के लिए सक्षम प्राधिकारियों को भेजी जायेगी।[19]

आरेख 4.2



राजस्थान में नवीन पंचायती राज अधिनियम, 1994 के अनुसार ग्राम सभा का आरेख।

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम संशोधन 6 जनवरी, 2000 के अनुसार सतर्कता समिति व्यवस्था समाप्त कर दी गई है।

ग्राम सभा के कार्य

ग्राम सभा को निम्नलिखित दायित्व सौंपे गये हैं—

1 पंचायत क्षेत्र सम्बन्धित विकास के क्रियान्वयन में सहायता करना।

2 ऐसे क्षेत्र सम्बन्धित विकास योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए हिताधिकारियों की पहचान में विफल रहे तो पंचायत हिताधिकारियों की पहचान करेगी

3 सामुदायिक कल्याण कार्यक्रमों के लिए स्वैच्छिक श्रम और वस्तुरूप में या नकद अथवा दोनों ही प्रकार के अभिदाय जुटाना

4 ऐसे क्षेत्र के भीतर प्रौढ़ शिक्षा व परिवार कल्याण को प्रोत्साहित करना।

5 ऐसे क्षेत्र में समाज के सभी समुदायों में एकता और सौहार्द्र बनाना

6 किसी भी क्रियाकलाप योजना आय और व्यय विशेष के बारे में पंचायत के सरपंच और सदस्यों से स्पष्टीकरण चाहना।

7 ऐसे अन्य कृत्य जो विहित किये जायें।[20]

ग्राम पंचायत

ग्राम पंचायत त्रिस्तरीय पंचायतीराज की आधारशिला तो है ही लेकिन लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की वास्तविक संवाहिनी भी है। ग्रामवासियों के सपनों का ग्रामवासियों द्वारा ग्रामीण के विकास व कल्याण को सर्वजन सहभागिता के माध्यम से पूरा करने का एक सर्वस्वीकृत सशक्त माध्यम है। 73वां संविधान संशोधन भारत सरकार की पंचायती राज संस्थाओं के सशक्तिकरण के प्रति मानसिकता का द्योतक तो है लेकिन राज्य सरकारों को इसके प्रारूप व प्रक्रिया में अनुकूल परिवर्तन की छूट संशय पैदा करती है। राजस्थान पंचायती राज व्यवस्था अपनाने में अग्रणी रहा है और अभी भी भारत सरकार 73वें नवीन संवैधानिक प्रावधानों के क्रम में राजस्थान सरकार ने नवीन प्रावधानानुकूल नया पंचायतीराज अधिनियम 1953 तथा पंचायत समिति एवं जिला परिषद् अधिनियम 1959 तथा अब तक किये तमाम संशोधनों को समेकित करते हुए यह नया पंचायती राज अधिनियम निर्मित कर व्यवहार में लाने का सद्प्रयत्न किया गया है। जिससे ज्यादा जनाकांक्षानुकूल होने की आशा की गई है। पंचायतीराज के सन्दर्भ में 1957 में गठित बलवंत राय मेहता समिति ने अपने प्रतिवेदन में कहा था कि जब तक हम एक ऐसी प्रतिनिधि संस्था का निर्माण नहीं करते जो लोगों में इतनी मात्रा में स्थानीय रुचि देखकर एवं सतर्कता उत्पन्न कर दे और इस सम्बन्ध में आश्वस्त कर दे कि स्थानी कार्यों पर खर्च किया गया धन क्षेत्र की आवश्यकताओं एवं इच्छाओं के अनुरूप होगा उस संस्था को पर्याप्त शक्ति एवं समुचित मात्रा में धन सौंपते हैं तब तक हम विकास के क्षेत्र में स्थानीय रुचि उत्पन्न करने तथा स्थानीय प्रेरणा जगाने में समर्थ नहीं हो सकते हैं।[21]

23 अप्रैल 1994 को लागू नवीन पंचायतीराज अधिनियम के अनुसार ग्राम पंचायत की संरचना अधिनियम की धारा 9 10 11 के प्रावधानों के अनुरूप त्रिस्तरीय करने का प्रावधान किया है।[22]

ग्राम पंचायत की स्थापना

ग्राम पंचायतों की स्थापना के सन्दर्भ में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के अनुसार राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, तत्समय प्रवृत किसी भी विध के अधीन गठित किसी नगरपालिका या किसी छावनी बोर्ड में सम्मिलित नहीं किये गये किसी गाँव या गाँवों के किसी समूह को समाविष्ट करने वाले किसी भी स्थानीय क्षेत्र को पंचायत सर्किल घोषित कर सकेगी और इस रूप में घोषित किये गये प्रत्येक स्थानीय क्षेत्र के लिए पंचायत होगी।[23]

इस संशोधन द्वारा पंचायतों को विधिक स्वरूप प्रदान किया गया है। इस हेतु व्यवस्था की गई है कि—

1. पंचायतें निगमित निकाय होंगी।
2. उन्हें शाश्वत उत्तराधिकार प्राप्त होगा।
3. उनकी एक सामान्य मोहर होगी।
4. वे क्रय दान द्वारा या अन्यथा चल व अचल दोनों प्रकार की सम्पत्ति अर्जित, धारित, प्रशासित व अन्तरित करने की अधिकारिणी होंगी।
5. वे संविदा कर सकेंगी।
6. वे अपने नाम से वाद ले सकेंगी।
7. उनके विरुद्ध वाद लाया जा सकेगा।

राज्य सरकार स्वयं या पंचायत निवासियों के निवेदन पर विहित रीति से प्रकाशित एक मास के नोटिस के पश्चात् किसी भी पंचायत का नाम परिवर्तित कर सकती है।[24]

ग्राम पंचायत का गठन

नवीन अधिनियम के प्रावधानानुसार ग्राम पंचायत में दो प्रकार के प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्य रखे गये हैं, एक सरपंच एवं निर्धारित वार्डों से चुने पंच। उपसरपंच का चुनाव अप्रत्यक्ष रखा गया है अर्थात् पंचों द्वारा उपसरपंच का चुनाव किया जाता है। पंचायत के गठन हेतु अधिनियम में प्रावधान किया गया है किसी पंचायत में—(क) एक सरपंच और (ख) अधिनियम द्वारा किये गये वार्डों से प्रत्यक्ष निर्वाचित पंच होंगे।[25]

अधिनियम के द्वारा राज्य सरकार को प्रत्येक पंचायत सर्किल के वार्डों की संख्या के निर्धारण का अधिकार दिया गया है। इस हेतु राज्य सरकार से अपेक्षा की गई है कि पंचायत सर्किल को एकल सदस्य वार्ड में इस प्रकार विभाजित किया जाये कि प्रत्येक वार्ड की जनसंख्या जहाँ तक सम्भव हो, सम्पूर्ण पंचायत सर्किल में समान हो।[26]

अधिनियम के अनुसार तीन हजार तक की जनसंख्या वाले किसी पंचायत सर्किल में नौ वार्ड होंगे और किसी ऐसे पंचायत सर्किल के मामले में, जिसकी जनसंख्या तीन हजार से अधिक है; तीन हजार से अधिक की प्रत्येक एक हजार या उसके भाग के लिए, नौ की उक्त संख्या में बढ़ोतरी कर दी जाएगी।[27]

ग्राम पंचायत गठन के घटक

1 सरपंच
2 उपसरपंच
3 निर्धारित वार्डों के पंच

सरपंच का निर्वाचन

राजस्थान के पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार प्रत्येक पंचायत मे एक सरपंच होगा जो पंच के रूप में निर्वाचित होने के लिए योग्यता रखता हो और वह सम्पूर्ण पंचायत सर्किल के निर्वाचकों द्वारा विहित रीति से निर्वाचित किया जायेगा।[8]

यदि किसी पंचायत सर्किल के निर्वाचक सरपंच का निर्वाचन करने में विफल रहते हैं तो राज्य सरकार रिक्त पद ऐसे रिक्ती के छ मास की कालावधि के भीतर भीतर निर्वाचन द्वारा भरे जाने तक किसी व्यक्ति को नियुक्त करेगी और इस प्रकार नियुक्त सम्यक रूप से निर्वाचित सरपंच समझा जायेगा।[9]

उपर्युक्त प्रक्रिया के तहत यदि किसी कारणवश निर्वाचक मण्डल सरपंच का चुनाव करने में असफल रहता है तो राज्य सरकार छ माह की अवधि के भीतर सरपंच के पद पर किसी व्यक्ति की नियुक्ति करेगी और ऐसा नियुक्त व्यक्ति सरपंच के पद पर तब तक कार्य करेगा जब तक कि सरपंच का पद निर्वाचन द्वारा नहीं भरा जाता।

उपसरपंच का निर्वाचन

प्रत्येक पंचायत मे एक उपसरपंच होगा।[10] इस अधिनियम के अधीन पहली बार किसी पंचायत की स्थापना पर या तत्पश्चात् उसके पुनर्गठन पर पंचायत की एक बैठक सक्षम प्राधिकारी द्वारा तुरन्त बुलाई जायेगी जो स्वयं बैठक की अध्यक्षता करेगा किन्तु उसे मत देने का अधिकार नहीं होगा और ऐसी बैठक मे उपसरपंच निर्वाचित किया जायेगा।[11] यदि पंच उपसरपंच का निर्वाचन करने में विफल रहते हैं तो राज्य सरकार रिक्ति पर ऐसी रिक्ति के छ माह की कालावधि में निर्वाचन द्वारा भरे जाने तक किसी व्यक्ति को नियुक्त करेगी और इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति सम्यक रूप से उपसरपंच समझा जायेगा।[12]

उपसरपच का निर्वाचन यद्यपि पचो द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा होता है लेकिन यदि वे उपसरपच का चुनाव करने मे असफल रहे तो राज्य सरकार छ माह की अवधि के भीतर किसी व्यक्ति को उपसरपच के पद पर नियुक्त कर सकती है।

सरपंच एवं पंच या सदस्य के रूप में निर्वाचन के लिए योग्यताएँ

किसी पंचायती राज संस्था के मतदाताओ की सूची मे मतदाता के रूप में रजिस्ट्रीकृत प्रत्येक व्यक्ति ऐसी पंचायत राज संस्था के पंच या यथास्थिति सदस्य के रूप मे निर्वाचन के लिए योग्य होगा यदि ऐसा व्यक्ति—

1 राजस्थान राज्य के विधानमण्डल के निर्वाचन के लिए उस समय प्रभावी किसी भी कानून द्वारा या उसके अधीन अयोग्य नहीं है तथा उसने 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है।

2 किसी स्थानीय प्राधिकरण के अधीन कोई वैतनिक पूर्णकालिक या अंशकालिक नियुक्ति धारण न करता हो।

3 दुराचार जिसमें नैतिक अधमता भी सम्मिलित है के कारण राज्य सरकार की सेवा से पदच्युत नहीं किया गया है और लोक सेवा में नियुक्ति हेतु अयोग्य घोषित नहीं किया गया है।

4 किसी भी पंचायती राज संस्था के अधीन कोई भी वैतनिक पद या लाभ का पद धारण नहीं करता है।

5 सम्बन्धित पंचायत राज संस्था से उसके द्वारा या उसकी ओर से किसी भी संविदा में प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः अपने द्वारा या अपने भागीदार नियोजक या कर्मचारियों के द्वारा कोई भी अंश या हित किये गये किसी भी कार्य में ऐसे अंश या हित का स्वामित्व नहीं रखता है।

6 कुष्ठी नहीं है या कार्य के लिए असमर्थ बनाने वाले किसी भी अन्य शारीरिक या मानसिक दोष या रोग से ग्रस्त नहीं है।

7 नैतिक अधमता वाले किसी अपराध के लिए किसी सक्षम न्यायालय द्वारा दोषी नहीं ठहराया गया हो।

8 धारा 38 के निर्वाचन के लिए समय अपात्र नहीं है (इस धारा में पंचायती राज संस्थाओं के अध्यक्ष-उपाध्यक्ष एवं सदस्यों को हटाये जाने एवं नियुक्ति सम्बन्धी प्रावधान है)

9 सम्बन्धित पंचायतीराज संस्था द्वारा अधिरोपित किसी भी कर या फीस की रकम को, उसके माँग नोटिस प्रस्तुत किये जाने की तारीख से 2 माह तक भुगतान नहीं किया हो।

10 सम्बन्धित पंचायती राज संस्था की ओर से या उसके विरुद्ध विधि व्यवसायी के रूप में नियोजित नहीं है।

11 राजस्थान मृत्युभोज निवारण अधिनियम, 1960 के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के लिए दोषी सिद्ध नहीं ठहराया गया है (इस अधिनियम द्वारा मृत्यु भोज का निषेध करते हुए मृत्यु भोज करने, देने व सम्मिलित होने को दण्डनीय अपराध माना है)।

12 दो से अधिक बच्चों वाला नहीं किन्तु दो से अधिक बच्चों वाले किसी व्यक्ति को तब तक अयोग्य नहीं समझा जायेगा, जब तक उसके बच्चों की उस संख्या में बढ़ोतरी नहीं होती जो इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख को है। अर्थात् 23 अप्रैल, 1994।[33]

दोहरी सदस्यता पर प्रतिबन्ध

पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 20 के अनुसार कोई भी व्यक्ति दो या अधिक पंचायती राज संस्थाओं का सदस्य नहीं बन सकता।[34] व्यक्ति एक पंचायती राज संस्था का सदस्य होते हुए दूसरी संस्था के लिए अभ्यर्थी के रूप में खड़ा हो सकता है और यदि

वह चुन लिया जाता है तो उसके द्वारा पहले से धारित पद उस तिथि को रिक्त हो जाएगा जिसको वह चुना जाता है।[15] यदि कोई भी व्यक्ति एक साथ दो या अधिक पंचायती राज संस्थाओं का सदस्य चुन लिया जाता है तो वह व्यक्ति उस तारीख से जिसको वह चुना जाता है, 14 दिन के भीतर-भीतर, उन पंचायतीराज संस्थाओं में से किसी एक की सूचना जिसमें वह सेवा करना चाहता है, सक्षम अधिकारी को देगा तब जिस पंचायती राज संस्था में वह सेवा करना चाहता है, उससे भिन्न पंचायती राज संस्था में उसका स्थान रिक्त हो जाएगा।[16]

इसी प्रकार धारा 21 के अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी पंचायतीराज संस्था का अध्यक्ष और संसद या किसी राज्यविधानमण्डल या किसी नगरपालिका मण्डल या किसी नगर परिषद् या किसी नगर निगम का सदस्य, दोनों नहीं रहेगा। यदि कोई व्यक्ति ऐसा है तो उसे चुने जाने की तारीख से 14 दिन की अवधि में एक स्थान से त्यागपत्र देना होगा यदि वह ऐसा नहीं करता है तो वह 14 दिन की समाप्ति पर अध्यक्ष नहीं रहेगा।[17]

स्थानों एवं वर्गों का आरक्षण

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 में व्यवस्था है कि प्रत्येक पंचायती राज संस्था में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थान (क) अनुसूचित जातियों, (ख) अनुसूचित जनजातियों, (ग) पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित किये जाएंगे और इस प्रकार आरक्षित स्थानों की संख्या उस इकाई में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या के साथ लगभग वहीं इकाई में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या के साथ लगभग वहीं अनुपात होगा जो उस पंचायती राज संस्था क्षेत्र में ऐसी जातियों जनजातियों या वर्गों की जनसंख्या का उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या के साथ है और ऐसे स्थान सम्बन्धित पंचायती राज संस्था में विभिन्न वार्डों या विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों के लिए चक्रानुक्रम द्वारा आवंटित किये जा सकेंगे।[18]

महिलाओं का आरक्षण

1 अनुसूचित जाति जनजाति एवं पिछड़े वर्गों हेतु आरक्षित स्थानों में एक तिहाई स्थान इन जातियों, जनजातियों एवं वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित किये गये हैं।[19]

2 सामान्य महिला वर्ग हेतु प्रत्येक पंचायती राज व्यवस्था में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या के एक तिहाई स्थान (जिनमें अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या सम्मिलित है) महिलाओं के लिए आरक्षित किये गये हैं और ऐसे स्थान सम्बन्धित पंचायती राज संस्थाओं में विभिन्न वार्डों या निर्वाचन क्षेत्रों के लिए चक्रानुक्रम से आवंटित किये जायेंगे।[20]

सरपंच के पद हेतु आरक्षण

सरपंच के पद के लिए भी अधिनियम में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों पिछड़े वर्गों तथा महिलाओं को आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है। परन्तु राज्य में ऐसी जातियों, जनजातियों एवं वर्गों के लिए इस प्रकार आरक्षित पदों में से उतने ही आरक्षित रखे

जायेंगे जितना कि कुल जनसख्या में इन जातियों व वर्गों का अनुपात है। ऐसे पदों में से प्रत्येक की कुल सख्या के एक तिहाई स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित रखे जायेंगे।

आरक्षित पदों की सख्या विभिन्न पचायतो के लिए चक्रानुक्रम द्वारा आवटित की जायेगी।[41] राजस्थान सरकार द्वारा जून 1999 में जारी अध्यादेश के अनुसार अनुसूचित क्षेत्र में सरपच का पद अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित होगा।

सदस्यों, अध्यक्षों और उपाध्यक्षों की पदावधि

इस अधिनियम में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय—

(क) किसी पचायती राज सस्था के सदस्य, अध्यक्ष, सम्बन्धित पचायती राज सस्था की अवधि के दौरान पद धारण करेंगे,

(ख) किसी पचायती राज सस्था का उपाध्यक्ष तब तक पद धारण करेगा जब तक कि वह सबधित पचायती राज सस्था का सदस्य बना रहता है।[42]

पचायत का कार्यकाल

पचायती राज सस्थाओं का कार्यकाल 73वें सविधान सशोधन द्वारा 5 वर्ष निर्धारित कर इन सस्थाओं के कार्यकाल को सुनिश्चितता प्रदान की गयी है। इसी क्रम में राजस्थान पचायती राज अधिनियम, 1994 द्वारा इन सस्थाओ का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया है।[43] कोई भी पचायती राज सस्था 5 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने पर कार्यरत नहीं रह सकती। नई पचायती राज सस्थाओं के गठन हेतु निर्वाचन पाँच वर्ष की अवधि पूर्ण होने से पूर्व ही करवाने आवश्यक हैं। यदि कोई पचायती राज सस्था 5 वर्ष की अवधि के पूर्व ही विघटित हो जाती है तो ऐसी विघटित सस्था के नये निर्वाचन ऐसे विघटन की तिथि से छः माह के भीतर करा दिये जाने आवश्यक होगे।[44] ऐसे निर्वाचन द्वारा गठित पचायती राज सस्था पाँच वर्ष में बचे हुए उतने समय तक कार्यरत रहेगी। जितने तक वह पचायती राज सस्था रहती यदि वह विघटित नहीं होती।[45] इस अधिनियम द्वारा निर्वाचन से सम्बन्धित कार्य निर्वाचन नामावलियों की तैयारी, उनके सचालन का अधीक्षण, निर्देशन एवं नियत्रण राज्य निर्वाचन आयोग को सौंपे गये हैं।[46]

अविश्वास प्रस्ताव का प्रावधान

सरपच एव उपसरपच के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाया जा सकता है किन्तु किसी पच के प्रति अविश्वास का प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। सरपच एव उपसरपच के प्रति अविश्वास का प्रस्ताव लाने हेतु इस आशय का लिखित नोटिस पचायत के प्रत्यक्षतः निर्वाचित सदस्यों में से कम से कम एक तिहाई सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित हो, ऐसे प्रारूप में, जो निर्धारित किया जाये, प्रस्ताव की प्रति के सहित, नोटिस पर हस्ताक्षर करने वाले सदस्यों में से किसी एक के द्वारा सक्षम प्राधिकारी को व्यक्तिशः प्रस्तुत किया जायेगा।[47] अधिकारी नोटिस की एक प्रति प्रस्ताव की प्रति सहित पचायत को अग्रेषित करेगा तथा 30 दिन की अवधि में, नियत तारीख को पंचायत के कार्यालय पर प्रस्ताव पर विचार करने के लिए बैठक बुलायेगा, जिसकी सूचना सदस्यों को बैठक की तिथि से 15 दिन पूर्व दी जानी आवश्यक है।[48]

सक्षम प्राधिकारी ऐसी बैठकों की अध्यक्षता करेगा या उसके द्वारा नाम निर्देशित अधिकारी।[49] ऐसी बैठक स्थगित नहीं की जा सकती।[50] अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति

उपस्थित सदस्यों के समक्ष उस प्रस्ताव को पढ़ेगा और उसे विचार-विमर्श के लिए खुला घोषित करेगा।[51] इस प्रस्ताव पर कोई भी विचार-विमर्श स्थगित नहीं किया जा सकता।[52] बैठक प्रारम्भ होने से दो घण्टे की समाप्ति पर विचार-विमर्श स्वतः ही समाप्त हो जायेगा तथा प्रस्ताव मतदान के लिए रखा जायेगा।[53] अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति प्रस्ताव पर अपने विचार व्यक्त नहीं करेगा और न ही मतदान में भाग लेने का हकदार होगा।[54] बैठक की समाप्ति पर बैठक की कार्यवाही की एक प्रति, प्रस्ताव की प्रति तथा मतदाता के परिणाम सहित सक्षम प्राधिकारी सम्बन्धित पंचायत तथा ऐसी पंचायत पर अधिकारिता रखने वाली पंचायत समिति को तुरन्त प्रेषित करेगा।[55] यदि अविश्वास का प्रस्ताव व पंचायत के कम से कम 2/3 सदस्यों के समर्थन से पारित हो जाये तो, इस तथ्य को अध्यक्षता करने वाला अधिकारी पंचायत कार्यालय के सूचनापट्ट पर उसका एक नोटिस चिपका करके और उसे राजपत्र में अधिसूचित करवा करके प्रकाशित करायेगा और सम्बन्धित सरपंच या उपसरपंच उस तारीख से जिसको उक्त नोटिस पंचायत कार्यालय के सूचनापट्ट पर चिपकाया जाता है, पद धारण करना बंद कर देगा और पद रिक्त कर देगा।[56] यदि प्रस्ताव पूर्वोक्त रूप से पारित नहीं हो या गणपूर्ति के अभाव में बैठक नहीं की जा सकी हो तो उसी सरपंच या उपसरपंच में अविश्वास के प्रस्ताव का कोई नोटिस ऐसी बैठक की तारीख से एक वर्ष तक नहीं लाया जा सकता।[57] अविश्वास का नोटिस सरपंच या उपसरपंच के पद ग्रहण करने के दो वर्ष के भीतर नहीं लाया जा सकता।[58] अविश्वास प्रस्ताव पर विचार करने के लिए बैठक हेतु गणपूर्ति के लिए मतदान करने के हकदार व्यक्तियों की कुल संख्या की एक तिहाई संख्या आवश्यक है।[59]

गणपूर्ति—

किसी भी पंचायती राज संस्था की बैठकों की वैधानिकता हेतु गणपूर्ति निर्धारित की गई है। गणपूर्ति हेतु कुल सदस्य संख्या के एक तिहाई सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक है। यदि बैठक के लिए नियम समय पर गणपूर्ति न हो तो अध्यक्षता करने वाला अधिकारी 30 मिनट तक इंतजार करेगा। इसके बावजूद गणपूर्ति न हो तो बैठक को अन्य किसी भावी तिथि के लिए स्थगित करेगा इस प्रकार नियम बैठक का नोटिस सम्बन्धित पंचायती राज संस्था के कार्यालय में चिपका दिया जायेगा। इस प्रकार स्थगित बैठक के बाद बुलाई गई बैठक में गणपूर्ति पर विचार किये बिना ऐसे समस्त विषयों का निपटारा किया जायेगा जिन पर स्थगित बैठक में विचार किया जाना था।[60]

बैठकों की अध्यक्षता—

बैठकों की अध्यक्षता सरपंच तथा उसकी अनुपस्थिति में उपसरपंच करेगा। यदि दोनों अनुपस्थित हो तो उपस्थित सदस्य अपने में से किसी एक को अध्यक्षता करने के लिए चुनेंगे परन्तु ऐसा सदस्य हिन्दी पढ़ने व लिखने में समर्थ होना चाहिए।[61]

पंचायत का कर्मचारीवृन्द

पंचायती राज अधिनियम, 1994 में पंचायतों के लिए पर्याप्त कर्मचारियों की व्यवस्था की गई है। पंचायत का मुख्य कर्मचारी सचिव होता है। एक पंचायत के लिए एक सचिव नियुक्त किया जा सकता है या पंचायतों के समूह के लिए एक ही सचिव की नियुक्ति की जा सकती है और समूह पंचायत सचिव का नाम दिया जा सकता है। सचिव के अतिरिक्त पंचायत में अन्य कर्मचारियों की आवश्यकतानुसार नियुक्ति पंचायत द्वारा की जा सकती है।

1. साधारण कृत्य :

1. पंचायत क्षेत्र के विकास के लिए वार्षिक योजनाएँ तैयार करना।
2 वार्षिक बजट तैयार करना।
3 प्रकृतिक आपदाओं में सहायता जुटाना।
4 लोक सम्पत्तियों पर के अतिक्रमण हटाना।
5 सामुदायिक कार्यों के लिए स्वैच्छिक श्रम और अभिदान का संगठन।
6 गाँव (गाँवों) की आवश्यक सांख्यिकी रखना।

2. प्रशासन के क्षेत्र में :

1 परिसरों का संख्यांकन।
2 जनगणना करना।
3 पंचायत सर्किल में कृषि उपज के उत्पादन को बढ़ाने के लिए कार्यक्रम बनाना।
4 ग्रामीण विकास स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए आवश्य प्रदायों और वित्त की अपेक्षा दर्शित करने वाला विवरण तैयार करना।
5 ऐसी प्रणाली के रूप में कार्य करना जिसके माध्यम से केन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा किसी भी प्रयोजन के लिए दी गई सहायता पंचायत सर्किल में पहुँचे।
6 सर्वेक्षण करना।
7 पशु स्टेण्डों, खलिहानों, चरागाहों और सामुदायिक भूमियों पर नियंत्रण।
8 ऐसे मेलों, तीर्थयात्राओं और उत्सवों की, जिनका प्रबंध राज्य सरकार या किसी पंचायत समिति द्वारा नहीं किया जाता है, स्थापना, रख-रखाव और विनियमन।
9 बेरोजगारी की सांख्यिकी तैयार करना।
10 ऐसी शिकायतों की समुचित प्राधिकारियों को रिपोर्ट करना, जो पंचायत द्वारा दूर नहीं की जा सकती हो।
11 पंचायत अभिलेखों की तैयारी, संधारण और अनुरक्षण करना।
12 जन्म, मृत्यु और विवाहों का ऐसी रीति और ऐसे प्रारूप में रजिस्ट्रीकरण, जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त साधारण या विशेष आदेश द्वारा अधिकथित किया जाये।
13 पंचायत वृत्त के भीतर के गाँव के विकास के लिए योजनाएँ तैयार करना।

3. कृषि विस्तार सहित कृषि :

1. कृषि और बागवानी की प्रोन्नति और विकास।
2 बंजर भूमियों का विकास।
3 चरागाहों का विकास और रख-रखाव और उनके अप्राधिकृत अन्य संक्रमण और उपयोग को रोकना।

4. पशुपालन, डेरी और कुक्कुट पालन :

1 पशुओं, कुक्कुटों और अन्य पशुधन की नस्ल का विकास।

2 डेरी उद्योग, कुक्कुट-पालन और सुअर-पालन की प्रोन्नति।

3 चरागाह विकास।

5. मत्स्य पालन

1 गाँव (गाँवों) में मत्स्य पालन का विकास।

6. सामाजिक और फार्म वानिकी, लघु वन उपज, ईंधन और चारा :

1 गाँव और जिला सडकों के पार्श्वों पर और उसके नियंत्रण के अधीन की अन्य लोक भूमियों पर वृक्षों पर रोपण और परिरक्षण।

2 ईंधन रोपण और चारा विकास।

3 फार्म वानिकी की प्रोन्नति।

4 सामाजिक वानिकी और कृषि पौधशालाओं का विकास।

7. लघु सिंचाई

50 एकड तक सिंचाई करने वाले जलाशयों का नियंत्रण और रख-रखाव।

8. खादी, ग्राम और कुटीर उद्योग :

1 ग्रामीण और कुटीर उद्योगों को प्रोन्नत करना।

2 ग्रामीण क्षेत्रों के फायदे के लिए चेतना शिविरों, सेमीनारों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों, कृषि और औद्योगिक प्रदर्शनियों का आयोजन।

9. ग्रामीण आवास :

1 अपनी अधिकारिता के भीतर मुक्त आवास स्थलों का आवंटन।

2 आवासों, स्थलों और अन्य प्राईवेट तथा लोक सम्पत्तियों से सम्बन्धित अभिलेख रखना।

10. पेय जल :

1 पेयजल कुओं, जलाशयों और तालाबों का संनिर्माण, मरम्मत और रख-रखाव।

2 जल प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण।

3 हैण्ड पम्पों का रख-रखाव और पम्प और जलाशय स्कीमें।

11 सडकें, भवन, पुलियाएं, पुल नौघाट, जलमार्ग और अन्य संचार साधन :

1 ग्राम सडकों, नालियों और पुलियाओं का संनिर्माण और रख-रखाव।

2 अपने नियंत्रण के अधीन के या सरकार या किसी भी लोक प्राधिकरण द्वारा उसे अंतरित भवनों का रख-रखाव।

3 नावों, नौघाटों और जल मार्गों का रख-रखाव।

12. ग्रामीण विद्युतीकरण, जिसमे लोक मार्गों और अन्य स्थानों पर प्रकाश व्यवस्था करना और उसका रख-रखाव सम्मिलित है।

13. गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत

1 गैर-परम्परागत ऊर्जा योजनाओं की प्रोन्नति और रख-रखाव,

2 सामुदायिक गैर-परम्परागत ऊर्जा युक्तियों का, जिसमे गोबर गैस सयत्र सम्मिलित है, रख-रखाव,

3 विकसित चूल्हों और अन्य दक्ष ऊर्जा युक्तियों का प्रचार।

14. गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम :

1 *अधिकाधिक नियोजन और उत्पादक आस्तियों आदि के सृजन के लिए गरीबी* उन्मूलन सम्बन्धी जन चेतना को और उसमे भागीदारी को प्रोन्नत करना,

2 ग्राम सभाओं के माध्यम से विभिन्न कार्यक्रमो के अधीन हिताधिकारियो का चयन,

3 पूर्वोक्त के प्रभावी कार्यान्वयन और अनुवीक्षण में भाग लेना।

15. शिक्षा (प्राथमिक) :

1 समग्र साक्षरता कार्यक्रम के लिए लोक चेतना प्रोन्नत करना और ग्राम शिक्षा समितियो में भाग लेना,

2 प्राथमिक विद्यालयो और उनके प्रबन्ध मे लडको का और विशेष रूप से लडकियों का पूर्ण नामाकन और उपस्थिति सुनिश्चित करना।

16. प्रौढ़ और अनौपचारिक शिक्षा :

प्रौढ साक्षरता कार्यक्रम को प्रोन्नत करना और उसका अनुवीक्षण।

17. पुस्तकालय :

ग्राम पुस्तकालय और वाचनालय।

18. सास्कृतिक क्रियाकलाप :

सामाजिक और सास्कृतिक क्रियान्वयन को प्रोन्नत करना।

19. बाजार और मेले :

मेलों (पशु मेलों सहित) और उत्सवों का विनियमन।

20. ग्रामीण स्वच्छता :

1 सामान्य स्वच्छता रखना,

2 लोक सडकों, नालियों, जलाशयों, कुओं और अन्य लोक स्थानों की सफाई,

3 श्मशान और कब्रिस्तान भूमियों का रख-रखाव और विनियमन,

4 ग्रामीण शौचालयों, सुविधा पाकों और स्नान स्थलों और सोकपिटों इत्यादि का सन्निर्माण और रख-रखाव,

5 अदावकृत शवो और जीव-जन्तु शवों का निपटारा,

6 धोने और स्नान के घाटों का प्रबन्ध और नियत्रण।

21 लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण ·

1 परिवार कल्याण कार्यक्रमो का क्रियान्वयन,

2 महामारी की रोक और उपचार के उपाय,

3 मास, मछली और अन्य विनश्वर खाद्य पदार्थों के विक्रय का विनियमन,

4 मानव और पशु टीकाकरण के कार्यक्रम मे भाग लेना,

5 खाने और मनोरजन के स्थानों का अनुज्ञापन,

6 आवारा कुत्तों का नशन,

7 खालो और चमडो के सस्करण, चर्मशोधन और रगाई का विनियमन,

8 आपराधिक और हानिकारक व्यापारो का विनियमन।

22 महिला और बाल विकास

1 महिला और बाल कल्याण कार्यक्रमों के क्रियान्वयन मे भाग लेना,

2 विद्यालय स्वास्थ्य और पोषाहार कार्यक्रमो को प्रोन्नत करना,

3 आगनबाडी केन्द्रो का पर्यवेक्षण।

23 विकलागो और मदबुद्धि वालो के कल्याण सहित समाज कल्याण :

1 विकलागों, मदबुद्धि वालो और निराश्रितों के कल्याण सहित समाज कल्याण कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में भाग लेना,

2 वृद्ध और विधवा पेशन तथा सामाजिक बीमा योजनाओं में सहायता करना।

24. कमजोर वर्गों और विशेषता अनुसूचित जातियो और अनुसूचित जनजातियो का कल्याण :

1 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछडे वर्गों और अन्य कमजोर वर्गों के सम्बन्ध में जन जागृति को प्रोन्नत करना,

2 कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए विनिर्दिष्ट कार्यक्रम के कार्यान्वयन में भाग लेना।

25. लोक विकास व्यवस्था :

1 आवश्यक वस्तुओं के वितरण के सम्बन्ध में जन जागृति को प्रोन्नत करना,

2 लोक वितरण व्यवस्था का अनुवीक्षण।

26. सामुदायिक आस्तियो का रख-रखाव :

1. सामुदायिक आस्तियो का रख-रखाव।

2 अन्य सामुदायिक आस्तियों का परिरक्षण और रख-रखाव।

27 धर्मशालाओं और ऐसी ही संस्थाओं का सन्निर्माण और रखरखाव।

28 पशुशेड़ों, पोखरों और गाड़ी स्टेण्डों का सन्निर्माण और रखरखाव।

29 बूचडखानों का सन्निर्माण और रखरखाव।

30 लोक उद्यानों, खेल के मैदानों इत्यादि का रखरखाव।

31 लोक स्थानों के खाद के गड्डों का विनियमन।

32 शराब की दुकानों का विनियमन।

33 पंचायतो की सामान्य शक्तियाँ

इस अधिनियम के अधीन उस सौपे समनुदिष्ट या प्रत्यायोजित किये गये कृत्या के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक या आनुषंगिक सभी कार्य करना और विशिष्ट तथा पूर्वगामी शक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना इसके अधीन विनिर्दिष्ट की गयी सभी शक्तियो का प्रयोग करना।[63]

पचायत समिति सरचना व कार्य

पचायतीराज व्यवस्था के मध्यवर्ती सोपान पचायत समिति को भी विकासोन्मुखी व प्रभावी व जनोन्मुखी बनाने के प्रयास सगठनात्मक एव कार्यात्मक दृष्टिकोण से करने का प्रयास भारत सरकार के 73वे संविधान संशोधन प्रदत्त पचायतीराज तंत्र में किये गये हैं। 1959 के पचायत समिति अधिनियम को विलोपित करते हुए राज्य सरकार में 23 अप्रैल 1994 को नया पंचायती राज अधिनियम लागू किया जिसके माध्यम से कई नवीन व क्रॉन्तिकारी प्रावधानों को पहली बार लागू किया गया।

पंचायत समिति का गठन

73वें भारतीय संविधान संशोधन के अनुसार प्रत्येक राज्य म ग्राम मध्यवर्ती और जिला स्तरो पर पचायतो का गठन किया जायेगा। इस मध्यवर्ती स्तर का गठन एसे राज्यो में नहीं किया जायेगा जिनकी सख्या 20 लाख स अधिक नहीं है।[64]

पंचायत समिति की स्थापना

खण्ड स्तर पर पचायत समितियाँ होगी। पचायत समितियो के लिए खण्डों का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा राजपत्र मे अधिसूचना जारी कर किया जाएगा। ऐसे खण्डो मे वह स्थानीय क्षेत्र सम्मिलित नहीं किया जा सकेगा जो पहले ही किसी नगरपालिका या किसी छावनी बोर्ड मे सम्मिलित कर लिया गया है। पचायत समिति सम्पूर्ण खण्ड पर अधिकारिता रखेगी और अपने क्षेत्र के किसी भी भाग में अपना कार्यालय रख सकेगी।[65] पचायतों के समान ही पंचायत समितियों को भी विधिक स्वरूप प्रदान किया गया है। इस हेतु व्यवस्था की गई है कि पचातय समिति[66]

1 निगमित निकाय होगी

2 इन्हे शाश्वत उत्तराधिकार प्राप्त होगा।

3 इनकी एक सामान्य मुहर होगी।

4 उन्हे क्रय अथवा दान द्वारा या चल और अचल दोनों प्रकार की सम्पत्ति अर्जित धारित प्रशासित एव अन्तरित करने का अधिकार होगा।

5 वे सविदा कर सकेगो।

6 वे अपने नाम से वाद ला सकेंगी तथा उनके विरुद्ध वाद लाया जा सकेगा।

राज्य सरकार स्वय या पचायत समिति या पचायत समिति क्षेत्र के निवासियों के निवेदन पर विहित रीति से प्रकाशित एक मास के नोटिस के पश्चात् किसी भी समय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसी पचायत समिति का नाम परिवर्तित कर सकेगी।[67]

पचायत समिति का गठन

1 प्रधान

[अप्रत्यक्ष निर्वाचित]

2 उपप्रधान

[अप्रत्यक्ष निर्वाचित]

3 निर्वाचित सदस्य

[प्रत्यक्ष निर्वाचित]

4 विधानसभा सदस्य

[पदेन सदस्य]

[पचायत समिति क्षेत्र]

राज्य सरकार नियमों का निर्धारण कर, उनके अनुसार, प्रत्येक पंचायत समिति क्षेत्र के लिए प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की सख्या निर्धारित करेगी और ऐसे क्षेत्र को एकल सदस्य प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में इस प्रकार विभाजित करेगी कि प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की जनसख्या जहाँ तक सम्भव हो, सम्पूर्ण पचायत समिति क्षेत्र में समान हो।[68] परन्तु एक लाख तक की जनसख्या वाले किसी पचायत समिति क्षेत्र में 15 निर्वाचन क्षेत्र होंगे। पचायत समिति क्षेत्र की जनसख्या 1 लाख से अधिक होने पर प्रत्येक पन्द्रह हजार या उसके भाग के लिए, पन्द्रह की सख्या में दो बढोत्तरी कर दी जायेगी।[69] किसी पचायत समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे—

1. इतने प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्षतः निर्वाचित सदस्य जो उक्त प्रकार से निर्धारित किये जायें।

2 ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले राज्य विधानसभा के सभी सदस्य जिनमें पचायत समिति क्षेत्र पूर्णतः या भागतः समाविष्ट हैं।

प्रधान एवं उपप्रधान हेतु निर्वाचन

प्रधान पचायत समिति का अध्यक्ष होता है और प्रधान की अनुपस्थिति में उप-प्रधान अध्यक्ष का कार्य करता है। राजस्थान पचायती राज अधिनियम, 1994 में प्रधान एव उप-प्रधान के निर्वाचन की व्यवस्था निम्न प्रकार से की गई है—

1 पंचायत समिति के निर्वाचित सदस्य चुनाव के पश्चात् शीघ्र अपने में से दो सदस्यों का चुनाव क्रमश प्रधान और उपप्रधान के लिए करेंगे और जब जब प्रधान या उपप्रधान के पद की कोई आकस्मिक रिक्ति हो तब तब वे अपने में से किसी दूसरे सदस्य का चुनाव प्रधान या यथास्थिति उपप्रधान होने के लिए करेंगे परन्तु यदि कोई रिक्ति एक मास से कम की अवधि के लिए है तो कोई भी निर्वाचन नहीं कराया जायेगा।[70]

2 प्रधान और उपप्रधान का निर्वाचन और उक्त पदों की रिक्तियों का भरा जाना ऐसे नियमों के अनुसार होगा जो बनाये जायें।[71]

अत जाहिर है कि पचायत समिति के प्रधान व उपप्रधान का चुनाव पचायत समिति के सदस्यों द्वारा अपने में से किया जाता है।

पंचायत समिति सदस्यों के निर्वाचन हेतु योग्यताएँ

निर्वाचन हेतु पचायतराज सस्था सदस्यों के रूप का निर्धारण पंचायती राज व्यवस्था के तीनों स्तरों पर समान है। वैसे अधिनियम के अनुसार पचायत समिति सदस्यों हेतु निर्वाचन योग्यताएँ निम्नानुसार है—

1 राजस्थान राज्य के विधानमण्डल के निर्वाचन के लिए उस समय प्रभावी किसी भी कानून द्वारा या उसके अधीन अयोग्य नहीं है तथा उसने 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है।

2 किसी स्थानीय प्राधिकरण के अधीन कोई वैतनिक पूर्णकालिक या अशकालिक नियुक्ति धारण न करता हो।

3 दुराचार जिसमें नैतिक अधमता भी सम्मिलित है के कारण राज्य सरकार की सेवा से पदच्युत नहीं किया गया है और लोक सेवा में नियुक्ति हेतु अयोग्य घोषित नहीं किया गया है।

4 किसी भी पचायती राज सस्था के अधीन कोई भी वैतनिक पद या लाभ का पद धारण नहीं करता है।

5 सम्बन्धित पचायत राज सस्था से उसके द्वारा या उसकी ओर से किसी भी सविदा में प्रत्यक्षत या अप्रत्यक्षत अपने द्वारा या अपने भागीदार नियोजक या कर्मचारियों के द्वारा कोई भी अश या हित किये गये किसी भी कार्य में ऐसे अश या हित का स्वामित्व नहीं रखता है।

6 कुष्ठी नहीं है या कार्य के लिए असमर्थ बनाने वाले किसी भी अन्य शारीरिक या मानसिक दोष या रोग से ग्रस्त नहीं है।

7 नैतिक अधमता वाले किसी अपराध के लिए किसी सक्षम न्यायालय द्वारा दोषी नहीं ठहराया गया हो।

8 धारा 38 के अधीन निर्वाचन के लिए समय अपात्र नहीं है (इस धारा मे पचायती राज सस्थाओं के अध्यक्ष उपाध्यक्ष एव सदस्यों को हटाये जाने एव नियुक्ति सम्बन्धी प्रावधान है)

9 सम्बन्धित पचायतीराज सस्था द्वारा अधिरोपित किसी भी कर या फीस की रकम को, उसके माँग नोटिस प्रस्तुत किये जाने की तारीख से 2 माह तक भुगतान नहीं किया हो।

10 सम्बन्धित पचायती राज सस्था द्वारा की ओर से या उसके विरुद्ध विधि व्यवसायी के रूप में नियोजित नहीं है।

11 राजस्थान मृत्युभोज निवारण अधिनियम, 1960 के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के लिए दोषी सिद्ध नहीं ठहराया गया है (इस अधिनियम द्वारा मृत्यु भोज का निषेध करते हुए मृत्यु भोज करने, देने व सम्मिलित होने को दण्डनीय अपराध माना है)।

12 दो से अधिक बच्चो वाला नहीं किन्तु दो से अधिक बच्चो वाले किसी व्यक्ति को तब तक अयोग्य नहीं समझा जायेगा, जब तक उसके बच्चों की उस सख्या में बढोतरी नहीं होती जो इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख को है। अर्थात् 23 अप्रैल, 1994 है।[2]

दोहरी सदस्यता पर प्रतिबन्ध :

पचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 20 के अनुसार कोई भी व्यक्ति दो या अधिक पचायती राज सस्थाओं का सदस्य नहीं बन सकता है।[3]

स्थानो एव वर्गों का आरक्षण

राजस्थान पचायती राज अधिनियम, 1994 मे व्यवस्था है कि प्रत्येक पचायती राज सस्था में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थान (क) अनुसूचित जातियों, (ख) अनुसूचित जनजातियो, (ग) पिछडे वर्गों के लिए आरक्षित किये जाएंगे और इस प्रकार आरक्षित स्थानों की सख्या उस इकाई मे प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानो की कुल सख्या के साथ लगभग वहीं इकाई मे प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानो को कुल सख्या के साथ लगभग वहीं अनुपात होगा जो उस पचायती राज सस्था क्षेत्र मे ऐसी जातियों, जनजातियो या वर्गों की जनसख्या का उस क्षेत्र की कुल जनसख्या के साथ है और ऐसे स्थान सम्बन्धित पचायती राज सस्था मे विभिन्न वार्डों या विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रो के लिए चक्रानुक्रम द्वारा आवटित किये जा सकेगे।[4]

महिलाओ का आरक्षण

1 अनुसूचित जाति, जनजाति एव पिछडे वर्गों हेतु आरक्षित स्थानों में एक तिहाई स्थान इन जातियो, जनजातियों एव वर्गों की महिलाओ के लिए आरक्षित किये गये हैं।[5]

2 सामान्य महिला वर्ग हेतु प्रत्येक पचायती राज व्यवस्था मे प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानो की कुल सख्या के एक तिहाई स्थान (जिनमे अनुसूचित जातियो/अनुसूचित जनजातियो और पिछडे वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानो की सख्या सम्मिलित है) महिलाओ के लिए आरक्षित किये गये है और ऐसे स्थान सम्बन्धित पचायती राज सस्थाओ मे विभिन्न वार्डों या निर्वाचन क्षेत्रों के लिए चक्रानुक्रम से आवटित किये जायेगे।[6]

प्रधान के पद हेतु आरक्षण

प्रधान के पद के लिए भी अधिनियम मे अनुसूचित जातियो अनुसूचित जनजातियों पिछड़े वर्गों तथा महिलाओ को आरक्षण की सुविधान प्रधान की गई है। परन्तु राज्य मे ऐसी जातियो जनजातियो एव वर्गों के लिए इस प्रकार आरक्षित पदो में से उतने ही आरक्षित रखे जायेगे जितना कि कुल जनसख्या में इन जातियों व वर्गों का अनुपात है। ऐसे पदों मे से प्रत्येक की कुल सख्या के एक तिहाई स्थान महिलाओ के लिए आरक्षित रखे जायेगे।[77]

आरक्षित पदो की सख्या विभिन्न पचायती समितियो के लिए चक्रानुक्रम द्वारा आवटित की जायेगी। राजस्थान सरकार द्वारा जून 1999 मे जारी अध्यादेश के अनुसार अनुसूचित क्षेत्र में प्रधान का पद अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित होगा।

अविश्वास प्रस्ताव का प्रावधान

प्रधान एव उपप्रधान के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाया जा सकता है किन्तु किसी पचायत समिति सदस्य के प्रति अविश्वास का प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। प्रधान या उपप्रधान के प्रति अविश्वास का प्रस्ताव लाने हेतु इस आशय का लिखित नोटिस पचायत समिति के प्रत्यक्षत निर्वाचित सदस्यो मे से कम से कम एक तिहाई सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित हो ऐसे प्रारूप मे जो निर्धारित किया जाये प्रस्ताव की प्रति के सहित नोटिस पर हस्ताक्षर करने वाले सदस्यो मे से किसी एक के द्वारा सक्षम प्राधिकारी को व्यक्तिश प्रस्तुत किया जायेगा।[78]

यदि अविश्वास का प्रस्ताव पचायत समिति के कम से कम 2/3 सदस्यों के समर्थन से पारित हो जाये तो इस तथ्य को अध्यक्षता करने वाला अधिकारी पचायत समिति कार्यालय के सूचनापट्ट पर उसका एक नोटिस चिपका करके और उसे राजपत्र मे अधिसूचित करवा करके प्रकाशित करायेगा और सम्बन्धित प्रधान या उपप्रधान उस तारीख से जिसको उक्त नोटिस पचायत समिति कार्यालय के सूचनापट्ट पर चिपकाया जाता है पद धारण करना बद कर देगा और पद रिक्त कर देगा।[79] यदि प्रस्ताव पूर्वोक्त रूप से पारित नहीं हो या गणपूर्ति के अभाव मे बैठक नहीं की जा सकती है तो उसी प्रधान या उपप्रधान में अविश्वास का कोई प्रस्ताव का नोटिस ऐसी बैठक की तारीख से एक वर्ष तक नहीं लाया जा सकता।[80] अविश्वास का नोटिस प्रधान या उपप्रधान के पद ग्रहण करने के दो वर्ष के भीतर नहीं लाया जा सकता।[81] अविश्वास के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए बैठक हेतु गणपूर्ति के लिए मतदान करने के हकदार व्यक्तियो की कुल सख्या की एक तिहाई सख्या आवश्यक है।[82]

पचायत समिति का कार्यकाल

पचायती राज सस्थाओ का कार्यकाल 73वे सविधान सशोधन द्वारा 5 वर्ष निर्धारित कर इन सस्थाओ के कार्यकाल को सुनिश्चितता प्रदान की गयी है। इसी क्रम मे राजस्थान पचायती राज अधिनियम 1994 द्वारा इन सस्थाओ का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया है।[83] कोई भी पचायती राज सस्था 5 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने पर कार्यरत नहीं रह सकती। नई पचायती राज सस्थाओं के गठन हेतु निर्वाचन पाँच वर्ष की अवधि पूर्ण होने से पूर्व हा करवाने आवश्यक हैं। यदि कोई पचायती राज सस्था 5 वर्ष की अवधि के पूर्व ही विघटित हो जाती है तो ऐसी विघटित सस्था के नये निर्वाचन ऐसे विघटन की तिथि से छ माह के भीतर करा

दिये जाने आवश्यक होगे।[64] ऐसे निर्वाचन द्वारा गठित पंचायती राज सस्था पाँच वर्ष में बचे हुए उतने समय तक कार्यरत रहेगी। जितने तक वह पचायती राज सस्था रहती यदि वह विघटित नहीं होती।[65] इस अधिनियम द्वारा निर्वाचन से सम्बन्धित कार्य निर्वाचन नामावलियो को तैयारी, उनके सचालन का अधीक्षण, निर्देशन एव नियत्रण राज्य निर्वाचन आयोग को सौंपे गये हैं।[66]

*प्रधान, उप-प्रधान व सदस्यो का कार्यकाल

पचायत राज अधिनियम, 1994 की धारा 30 के अनुसार पचायत समिति पदाधिकारियो का कार्यकाल उपबन्धित के अलावा—

1 *किसी पचायती राज सस्था के सदस्य, अध्यक्ष, सम्बन्धित पचायती राज सस्था* की अवधि के दौरान पद धारण करेंगे,

2 किसी पचायती राज सस्था का उपाध्यक्ष तब तक पद धारण करेगा जब तक कि वह सम्बन्धित पचायती राज सस्था का सदस्य बना रहता है।

नये अधिनियम के अनुसार सभी पचायतीराज सस्थाओ के पदाधिकारियों व सदस्यों के कार्यकाल के नियम समान है।

गणपूर्ति

पचायत समिति को बैठक हेतु कुल सदस्य सख्या के एक तिहाई सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक है।[67]

बैठको की अध्यक्षता

बैठकों की अध्यक्षता प्रधान तथा उसकी अनुपस्थिति में उपप्रधान करेगा और दोनों की अनुपस्थिति में उपस्थित सदस्य अपने में से किसी एक को उस अवसर पर अध्यक्षता करने के लिए चुनेंगे किन्तु ऐसा सदस्य हिन्दी पढ़ने और लिखने में समर्थ होना चाहिए।[68]

समिति व्यवस्था

पचायत समिति के द्वारा कार्य सचालन कुशलतापूर्वक हो सके इस हेतु राजस्थान पचायत राज अधिनियम, 1994 में पचायत समितियों की स्थायी समितियों के गठन के प्रावधान किये गये हैं। अधिनियम के अनुसार प्रत्येक पचायत समिति निम्नलिखित विषय समूहों में से प्रत्येक के लिए एक-एक स्थायी समिति गठित करेगी, अर्थात्—

1 प्रशासन, वित्त और कराधान समिति।

2 उत्पादन कार्यक्रम समिति-जिसमे कृषि, पशुपालन, लघु सिचाई, सहकारिता, लघु उद्योग और अन्य सहसम्बद्ध विषय सम्मिलित हैं।

3 शिक्षा समिति—इसमें समाज शिक्षा सम्मिलित है।

4 समाज सेवाये एव सामाजिक न्याय समिति—इसमे ग्रामीण जल प्रदाय, स्वास्थ्य और सफाई, ग्रामदान, सचार, कमजोर वर्ग का कल्याण और सहसम्बद्ध विषय सम्मिलित हैं।[69]

5 पाचवी समिति का प्रावधान—पचायत समिति को यह अधिकार दिया गया है कि वह चाहे तो किसी ऐसे विषय या किन्हीं अन्य ऐसे विषयो पर एक और

पृथक् पाचवीं समिति का गठन कर सकती है। जिनके बारे में पहले कोई समिति गठित नहीं की गई है।[90]

समितियां सम्बन्धी अन्य प्रावधान

1 प्रत्येक स्थायी समिति म पचायत समिति के लिए निर्वाचित सदस्यों में से 5 सदस्य होग।[91]

2 प्रधान प्रशासन वित्त और कराधान समिति का पदेन अध्यक्ष होगा।[92]

3 उप प्रधान ऐसी स्थायी समिति का पदेन अध्यक्ष होगा जिसका वह सदस्य निर्वाचित हुआ है तथा प्रधान जिसका सदस्य नहीं है।[93]

4 प्रत्येक ऐसी अन्य समिति क लिए जिसका कोई भी पदेन अध्यक्ष नहीं हो अध्यक्ष विहीत रीति स निर्वाचित किया जायेगा।[94]

5 प्रत्येक स्थायी समिति उसे सौंप गय विषयों क सम्बन्ध म पचायत समिति की ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का निवहन करगी जो ऐसी स्थायी समिति को समय समय पर प्रत्यायोजित किय जायें।[95]

6 प्रत्येक स्थायी समिति का कार्यकाल एक वर्ष होगा।[96]

7 यदि किसी स्थायी समिति का कोई सदस्य उसके अध्यक्ष की पूर्व अनुमति के बिना स्थायी समिति की पाँच बैठकों में लगातार अनुपस्थित रहता है तो स्थायी समिति में उसका स्थान रिक्त घोषित कर दिया जायेगा। यदि अध्यक्ष स्वय इस प्रकार अनुपस्थित है तो वह अनुपस्थित रहने के लिए प्रधान का अनुमोदन प्राप्त करेगा यदि प्रधान स्वयं अनुपस्थित है तो उसक द्वारा पचायत समिति का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।[97]

8 पचायत समिति किसी भी स्थायी समिति से किसी भी समय कोई भी दस्तावेज विवरणी (Return) विवरण लेखे एव रिपार्ट मगा सकती है।[98]

9 पचायत समिति के समक्ष आवेदन किये जाने पर या अन्यथा पचायत समिति स्थायी समिति क किसी भी निर्णय की परीक्षा कर सकती है और वह समिति के निर्णय को पुष्ट कर सकती है उलट सकती है या रूपान्तरित कर सकती है। किन्तु पुनरीक्षण हेतु आवेदन समिति के निर्णय की तारीख से तीन माह की अवधि में किया गया हो।[99] पचायत समिति स्थायी समिति क निर्णय को तभी उलट या रूपान्तरित कर सकती है यदि पचायत समिति के कुल सदस्यों में से कम से कम दो तिहाई सदस्य इसका समर्थन करें।[100]

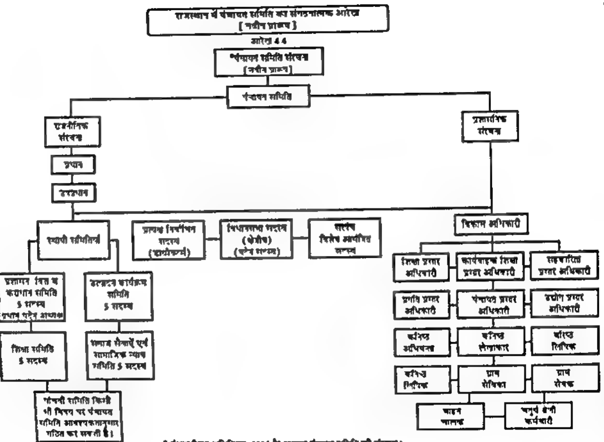
10 स्थायी समिति अपनी बैठकों के सचालन क लिए ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगी जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाय।[101]

पंचायत समिति कार्मिक वर्ग

पचायत समिति के अधिकारियों एव कर्मचारियों म विकास अधिकारी प्रसार अधिकारी लेखाकार कनिष्ठ लेखाकार मत्रालयिक कर्मचारी एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी होते हैं। इस सन्दर्भ में अधिनियम में प्रावधान किया गया है कि राज्य सरकार प्रत्येक पचायत समिति के लिए एक विकास अधिकारी और ऐसे अन्य प्रसार अधिकारी लेखाकार और कनिष्ठ लेखाकार नियुक्त करेगी जो वह आवश्यक समझे।[102]

राजस्थान में पंचायत समिति का संगठनात्मक आरेख
[नवीन प्रारूप]

आरेख 4.4



* पंचायतीराज अधिनियम 1994 के अनुसार पंचायत समिति की संरचना।

पंचायत समिति के कार्य

पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 51 के तहत द्वितीय अनुसूची में वर्णित कार्यों के निर्वहन की जिम्मेदारी सरकार द्वारा समय-समय पर निर्देशित किये जाने पर पंचायत समिति की होगी। द्वितीय अनुसूची में उल्लेखित कार्य निम्नानुसार है—

1 साधारण कृत्य -

1 अधिनियम के आधार पर सौंपे गये और सरकार या जिला परिषद् द्वारा समनुदेशित स्कीमों के सम्बन्ध में वार्षिक योजनाएँ तैयार करना और उन्हें जिला योजना के साथ एकीकृत करने के लिए विहित समय के भीतर जिला परिषद् को प्रस्तुत करना,

2 पंचायत समिति क्षेत्र में की सभी पंचायतों की वार्षिक योजनाओं पर विचार करना और उन्हें समकित करना और जिला परिषद् को समेकित योजना प्रस्तुत करना

3 पंचायत समिति का वार्षिक बजट तैयार करना,

4 ऐसे कृत्यों का पालन और ऐसे कार्यों का निष्पादन करना जो उसे सरकार या जिला परिषद् द्वारा सौंपे जायें,

5 प्राकृतिक आपदाओं में सहायता उपलब्ध करना।

2. कृषि विस्तार को सम्मिलित करते हुए कृषि -

1 कृषि और बागवानी की प्रोन्नति और विकास करना,

2 बागवानी पौधशालाओं का रख-रखाव,

3 पंजीकृत बीज उगाने वालों को बीजों के वितरण में सहायता करना,

4 खादों और उर्वरकों को लोकप्रिय बनाना और उनका वितरण करना,

5 खेती के समुन्नत तरीकों का प्रचार करना,

6 पौध संरक्षण, राज्य सरकार की नीति के अनुसार नकदी फसलों का विकास करना,

7 सब्जियों, फलों और फलों की खेती को प्रोन्नत करना,

8 कृषि के विकास के लिए साख सुविधाएँ उपलब्ध कराने में सहायता करना,

9 कृषकों का प्रशिक्षण और प्रसार क्रियाकलाप।

3 भूमि सुधार और मृदा संरक्षण :

सरकार के भूमि सुधार और मृदा संरक्षण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में सरकार और जिला परिषद् की सहायता करना।

4 लघु सिंचाई, जल-प्रबन्ध और जल-विभाजक विकास

1 लघु सिंचाई कार्यों, एनिकटों लिफ्ट सिंचाई, सिंचाई कुओं, कच्चे बंधों का निर्माण और रख-रखाव।

2. सामुदायिक और वैयक्तिक सिंचाई कार्यों का कार्यान्वयन।

5. गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम :

गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों और योजनाओं, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण, मरु विकास कार्यक्रम, सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम, जनजाति क्षेत्र विकास, परवर्तित क्षेत्र का विकास उपागमन, अनुसूचित जाति विकास निगम योजनाओं आदि का आयोजन और कार्यान्वयन।

6. पशुपालन, डेरी और कुक्कुट पालन :

1. पशु चिकित्सा और पशु पालन सेवाओं का निरीक्षण और रख-रखाव;
2. पशु, कुक्कुट और अन्य पशुधन की नस्ल का सुधार करना;
3. डेरी उद्योग, कुक्कुट पालन और सुअर पालन की प्रोन्नति;
4. समुन्नत चारे और दाने का पुनः स्थापना।

7. मत्स्य पालन :

मत्स्य पालन विकास की प्रोन्नत करना।

8. खादी, ग्राम और कुटीर उद्योग :

1. ग्रामीण और कुटीर उद्योगों की प्रोन्नत करना;
2. सम्मेलनों, गोष्ठियों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों, कृषि और औद्योगिक प्रदर्शनियों का आयोजन;
3. मास्टर शिल्पी से और तकनीकी प्रशिक्षण संस्थाओं में बेरोजगार ग्रामीण युवाओं का प्रशिक्षण;
4. बढ़ी हुई उत्पादकता लेने के आधुनिक वैज्ञानिक तरीकों को लोकप्रिय बनाना।

9. ग्रामीण आवासन :

आवासन योजनाओं का कार्यान्वयन और आवास उधार किस्तों की वसूली।

10. पेय जल :

1. हैंड पम्पों और पंचायतों की पम्प और जलाशय योजनाओं को मोनीटर करना, उनकी मरम्मत करना और रख-रखाव;
2. ग्रामीण जल प्रदाय योजनाओं और नियंत्रण;
3. जल प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण;
4. ग्रामीण स्वच्छता योजनाओं का कार्यान्वयन।

11. सामाजिक और फार्म वानिकी, ईंधन और चारा :

1. अपने नियंत्रण के अधीन की सड़कों के पार्श्वों और अन्य लोक भूमियों पर, विशेषतः चरागाह भूमियों पर वृक्षों का रोपण और परिरक्षण;
2. ईंधन रोपण और चारा विकास;

3 फार्म वानिकी की प्रोन्नति,

4 बजर भूमि विकास।

12. सड़के, भवन, पुलियाएँ, पुल, नौघाट, जलमार्ग और अन्य सचार साधन

1 ऐसी लोक सडको, नालियो और अन्य सचार साधनो का जो किसी भी अन्य स्थानीय प्राधिकरण या सरकार के नियत्रण के अधीन नहीं है निर्माण और रख-रखाव,

2 पचायत समिति मे निहित किसी भी भवन या अन्य सम्पत्ति का रख-रखाव,

3 नाधो, नौघाटो और जलमार्गों का रख-रखाव।

13 गैर-परम्परागत ऊर्जा स्त्रोत .

गैर-परम्परागत ऊर्जा स्त्रोत विशेषत• सौर प्रकाश और ऐसी ही अन्य युक्तियो की प्रोन्नति और रख-रखाव।

14 प्राथमिक विद्यालयो सहित शिक्षा :

1 *सम्पूर्ण साक्षरता कार्यक्रमो को सम्मिलित करते हुए प्राथमिक शिक्षा विशेषत* बालिका शिक्षा का सचालन।

2 प्राथमिक विद्यालय भवनों और अध्यापक आवासो का निर्माण, मरम्मत और रख-रखाव,

3 युवा क्लबो और महिला मण्डलो के माध्यम से सामाजिक शिक्षा की प्रोन्नति

4 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछडा वर्गों के गरीब विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तको, छात्रवृत्तियो, पोशाको और अन्य प्रोत्साहनो का वितरण।

15. तकनीकी प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा •

ग्रामीण शिल्पी और व्यावसायिक प्रशिक्षण की प्रोन्नति।

16. प्रौढ और अनौपचारिक शिक्षा :

1 सूचना, सामुदायिक मनोरजन केन्द्रो और पुस्तकालयो की स्थापना,

2 प्रौढ साक्षरता का क्रियान्वयन।

17. सांस्कृतिक क्रियाकलाप :

सामाजिक और सास्कृतिक क्रियाकलापों, प्रदर्शनियो, प्रकाशनों की प्रोन्नति।

18. बाजार और मेले :

पशु मेलो सहित मेलो और उत्सवो का विनियमन।

19. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण :

1 स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कार्यक्रमो का क्रियान्वयन,

2 प्रतिरक्षीकरण और टीकाकरण कार्यक्रमों को मानीटर करना,

3 मेलो और उत्सवो पर स्वास्थ्य और स्वच्छता,

4 औपधालयों (एलोपैथिक और आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथिक) सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रो, उप-केन्द्रो आदि का निरीक्षण और नियत्रण।

20. महिला और बाल विकास :

1 महिला और बाल विकास से सम्बन्धित कार्यक्रमों का क्रियान्वयन,

2 एकीकृत बाल विकास योजनाओ के माध्यम से विद्यालय स्वास्थ्य और पोषाहार कार्यक्रमो का कायान्वयन,

3 महिला और बाल विकास कार्यक्रमो में स्वैच्छिक सगठनो के भाग लेने को प्रोन्नत करना,

4 आर्थिक विकास के लिए ग्रामीण क्षेत्रा मे महिला और बाल विकास समूह बनाना और सामग्री के उत्पादन तथा विपणन मे सहायता करना।

21 विकलागो और मदबुद्धि वालो के कल्याण सहित समाज कल्याण :

1 विकलागो, मदबुद्धि वालो और निराश्रितो के कल्याण सहित समाज कल्याण कार्यक्रम,

2 वृद्ध और विधवा पेशन और विकलाग पैंशन मजूर करना।

22. कमजोर वर्गों और विशिष्टत अनुसूचित जातियो, अनुसूचित जन जातियो और पिछड़े वर्गों का कल्याण

1 अनुसूचित जातियो, अनुसूचित जनजातियो, पिछडे वर्गों और अन्य कमजोर वर्गों के कल्याण की प्रोन्नति,

2 ऐसी जातियो और वर्गों का सामाजिक अन्याय और शोषण से सरक्षा करना।

23 सामुदायिक आस्तियो का रख-रखाव :

1 अपने में निहित या सरकार द्वारा या किसी भी स्थानीय प्राधिकरण या सगठन द्वारा अन्तरित सभी सामुदायिक आस्तियों का रख-रखाव,

2 अन्य सामुदायिक आस्तियो का परिरक्षण और रख-रखाव।

24 साख्यिकी :

ऐसी साख्यिकी का संग्रहण और सकलन जो पचायत समिति, जिला परिषद् या राज्य सरकार द्वारा आवश्यक पायीं जायें।

25. आपात सहायता .

अग्नि, बाढ, महामारी या अन्य व्यापक आपदाओं के मामले मे।

26. सहकारिता .

सहकारी गतिविधियो को, सहकारी समितियो की स्थापना और सुदृढताकरण मे सहायता करके प्रोन्नत करना।

27. पुस्तकालय

पुस्तकालयों का विकास।

28 पंचायत का उनके सभी क्रियाकलापों और गाँव और पंचायत योजनाओं के निर्माण में पर्यवेक्षण और मार्गदर्शन।

29 प्रकीर्ण

1 अल्प बचतों और बीमा के माध्यम से मितव्ययिता को प्रोत्साहित करना

2 पशु बीमा सहित दुर्घटना अग्नि मृत्यु आदि के मामलो में सामाजिक बीमा दावे तैयार करने और उनके संदाय मे सहायता करना।

30 पंचायत समितियो की साधारण शक्तियाँ

इस अधिनियम के अधीन सौंपे गये समनुदिष्ट या प्रत्यायोजित किये गये कृत्यो के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक या आनुषंगिक सभी कार्य करना और विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना इसके अधीन विनिर्दिष्ट की गयी सभी शक्तियो का प्रयोग करना।[103]

जिला परिषद्

जिला परिषद् पचायतीराज व्यवस्था की महत्त्वपूर्ण कड़ी है जिसे राजस्थान में पूर्ववर्ती ढाँचे मे मात्र पर्यवेक्षकीय सस्था का दर्जा मात्र था। अत अपनी प्रभावशाली भूमिका नहीं निभा सकी। मौलिक दायित्वों से शून्य यह सस्था प्रजातात्रिक विकेन्द्रीकरण की प्रतिकात्मक सस्था मात्र बनकर रह गयी। "राजस्थान मे जिला परिषद् का पचायती राज व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान है।[104]

बलवतराय मेहता समिति ने भी अपने प्रतिवेदन में प्रजातात्रिक विकेन्द्रीकरण की इस सस्था को पचायतीराज व्यवस्था की सर्वोच्च प्रशासनिक इकाई निर्मित करने हेतु सुझाव दिया था।"[105] समिति के इन सुझावों को गंभीरता से मानते हुए राज्यो ने इसे प्रभावी भूमिका भी प्रदान की लेकिन जन अपेक्षानुकूल परिणाम देने मे असमर्थ रही।

एक लम्बे कालखण्ड इनकी असफलता का साक्षी रहा और इसी कालखण्ड की प्रमाणिकता ने सोये भारतीय राजतत्र को जागृत कर पचायतीराज व्यवस्था में आमूल-चूल परिवर्तन हेतु बाध्यकारी परिस्थितियाँ पैदा कर दी। फलत भारतीय सविधान मे 73वे संविधान सशोधन राष्ट्रीय स्तर पर समान व समग्र परिवर्तन का माध्यम बना। इसी क्रम मे राजस्थान सरकार ने भी 23 अप्रैल 1994 को नवीन सशोधित पचायती राज अधिनियम लागू कर इन सस्थाओ को नवजीवन प्रदान करने का प्रयास किया।

जिला परिषद् का गठन

प्रत्येक जिले के लिए एक जिला परिषद् होगी। जिले के ऐसे प्रभागों को छोडकर जो पहले ही किसी नगरपालिका या छावनी बोर्ड में सम्मिलित कर लिये गये हैं सम्पूर्ण जिले पर अधिकारिता रखेगी। परन्तु जिला परिषद् जिले के किसी भी क्षेत्र में अपना कार्यालय रख सकेगी।[106]

प्रत्येक जिला परिषद् उस जिले के नाम से होगी जिसके लिए यह गठित की गई है। पचायतो एव पचायत समितियो के समान ही जिला परिषद् को भी विधिक स्वरूप प्रदान किया गया है। इस हेतु व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक जिला परिषद्—

1 निगमित निकाय (Corporate body) होगी।

2 उन्हे शाश्वत उत्तराधिकार प्राप्त होगा।

3 उनको एक सामान्य मुहर (Common Seal) होगी।

4 उन्हे क्रय अथवा दान द्वारा या अन्यथा चल और अचल दोनों प्रकार की सम्पत्ति अर्जित, धारित, प्रशासित एव अन्तरित करने का उत्तराधिकार होगा।[107]

5 वे सविदा कर सकेगी।

6 ये अपने नाम से वाद ला सकेगी।

7 उनके विरुद्ध वाद लाया जा सकेगा।

जिला परिषद् की सरचना

राज्य सरकार नियमो का निर्धारण कर उनके अनुसार, प्रत्येक जिला परिषद् के क्षेत्र के लिए, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रो की सख्या निर्धारित करेगी और ऐसे क्षेत्र को एकल सदस्य प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की जनसख्या जहाँ तक सभव हो, सम्पूर्ण जिला परिषद् क्षेत्र मे समान हो। परन्तु चार लाख से अधिक की जनसख्या वाले क्षेत्र में सत्रह निर्वाचन क्षेत्र होंगे और किसी ऐसे जिला परिषद् क्षेत्र के मामले मे, जिसकी जनसख्या चार लाख से अधिक है, चार लाख से अधिक के प्रत्येक एक लाख या उसके भाग के लिए सत्रह को सख्या म दो की बढोत्तरी कर दी जायेगी।[108] किसी जिला परिषद् मे निम्नलिखित सदस्य होगे[109]—

1 इतने प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रो से प्रत्यक्षत निर्वाचित सदस्य जो उक्त प्रकार से निर्धारित किये जायें।

2 ऐसे निर्वाचन क्षेत्रो का प्रतिनिधित्व करने वाले लोकसभा एव राज्य विधानसभा के सभी सदस्य, जिनमें जिला परिषद् क्षेत्र सम्पूर्णत या भागत समाविष्ट है।

3 जिला परिषद् क्षेत्र के भीतर निर्वाचको के रूप मे पजीकृत राज्यसभा के सभी सदस्य।

1 प्रमुख
[अप्रत्यक्ष निर्वाचित]

2 उप जिला प्रमुख
[अप्रत्यक्ष निर्वाचित]

3 निर्वाचित सदस्य
[प्रत्यक्ष निर्वाचित]

4 लोकसभा सदस्य,
[पदेन सदस्य]

5 विधान सभा सदस्य
[पदेन सदस्य]

6 राज्य सभा सदस्य
[पदेन सदस्य]
[जिला परिषद् क्षेत्र]

प्रमुख तथा उप-प्रमुख का निर्वाचन

पचायतीराज *अधिनियम, 1994* मे जिला परिषद् के लिए प्रमुख एव उप-प्रमुख के बारे म व्यवस्था की गई है। प्रमुख जिला परिषद् का अध्यक्ष होता है। प्रमुख की अनुपस्थिति

मे उप-प्रमुख अध्यक्ष का कार्य करता है। नई व्यवस्था के अनुसार (1) प्रमुख तथा उप-प्रमुख का चुनाव 'जिला परिषद् के निर्वाचित सदस्य यथाशीघ्र अपने मे से दो सदस्यों को क्रमश प्रमुख और उप-प्रमुख चुनेंगे और जब प्रमुख या उप-प्रमुख के पद पर आकस्मिक रिक्ति हो तब अपने में से किसी सदस्य को प्रमुख या उप-प्रमुख चुनेगे। परन्तु यदि रिक्ति एक माह से कम अवधि के लिए है तो कोई भी निर्वाचन नहीं कराया जायेगा।[110] (2) किसी जिला परिषद् के प्रमुख या उप-प्रमुख का निर्वाचन और उक्त पदो में की रिक्तियो का भरा जाना ऐसे नियमों के अनुसार होगा जो बनाये जायें।"[111]

जिला परिषद् सदस्य के निर्वाचन हेतु योग्यताएँ

निर्वाचन हेतु पंचायत राज संस्था सदस्यो के रूप में निर्वाचन के लिए योग्यताओं का निर्धारण पंचायती राज व्यवस्था के तीनों स्तरो पर समान है। वैसे अधिनियम के अनुसार जिला परिषद् सदस्यों हेतु निर्वाचन योग्यताएँ निम्नानुसार है—

1 राजस्थान राज्य के विधानमण्डल के निर्वाचन के लिए उस समय प्रभावी किसी भी कानून द्वारा या उसके अधीन अयोग्य नहीं है तथा उसने 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है।

2 किसी स्थानीय प्राधिकरण के अधीन कोई वैतनिक पूर्णकालिक या अंशकालिक नियुक्ति धारण न करता हो।

3 दुराचार जिसमें नैतिक अधमता भी सम्मिलित है के कारण राज्य सरकार की सेवा से पदच्युत नहीं किया गया है और लोक सेवा में नियुक्ति हेतु अयोग्य घोषित नहीं किया गया है।

4 किसी भी पंचायती राज संस्था के अधीन कोई भी वैतनिक पद या लाभ का पद धारण नहीं करता है।

5 सम्बन्धित पंचायत राज संस्था से उसके द्वारा या उसकी ओर से किसी भी संविदा मे प्रत्यक्षत या अप्रत्यक्षत अपने द्वारा या अपने भागीदार नियोजक या कर्मचारियों के द्वारा कोई भी अंश या हित किये गये किसी भी कार्य में ऐसे अंश या हित का स्वामित्व नहीं रखता है।

6 कुष्ठी नहीं है या कार्य के लिए असमर्थ बनाने वाले किसी भी अन्य शारीरिक या मानसिक दोष या रोग से ग्रस्त नहीं है।

7 नैतिक अधमता वाले किसी अपराध के लिए किसी सक्षम न्यायालय द्वारा दोषी नहीं ठहराया गया हो।

8 धारा 38 के अधीन निर्वाचन के लिए समय अपात्र नहीं है (इस धारा मे पंचायती राज संस्थाओं के अध्यक्ष-उपाध्यक्ष एवं सदस्यो को हटाये जाने एवं नियुक्ति सम्बन्धी प्रावधान है)

9 सम्बन्धित पंचायतीराज संस्था द्वारा अधिरोपित किसी भी कर या फीस की रकम को उसके माँग नोटिस प्रस्तुत किये जाने की तारीख से 2 माह तक भुगतान नहीं किया हो।

10 सम्बन्धित पचायती राज सस्था की ओर से या उसके विरुद्ध विधि व्यवसायी के रूप में नियोजित नहीं है।

11 राजस्थान मृत्युभोज निवारण अधिनियम, 1960 के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के लिए दोषी सिद्ध नहीं ठहराया गया है (इस अधिनियम द्वारा मृत्यु भोज का निषेध करते हुए मृत्यु भोज करने, देने व सम्मिलित होने को दण्डनीय अपराध माना है)।

12 दो से अधिक बच्चों वाला नहीं किन्तु दो से अधिक बच्चों वाले किसी व्यक्ति को तब तक अयोग्य नहीं समझा जायेगा, जब तक उसके बच्चो की उस सख्या में बढोत्तरी नहीं होती जो इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख को है। अर्थात् 23 अप्रैल, 1994।[112]

स्थानो का आरक्षण

राजस्थान पचायती राज अधिनियम, 1994 मे व्यवस्था है कि प्रत्येक पचायती राज सस्था में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थान (क) अनुसूचित जातियों, (ख) अनुसूचित जनजातियो, (ग) पिछडे वर्गों के लिए आरक्षित किये जाएगे और इस प्रकार आरक्षित स्थानों की सख्या उस इकाई मे प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानो की कुल सख्या के साथ लगभग वहीं इकाई में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल सख्या के साथ लगभग वहीं अनुपात होगा जो उस पचायती राज सस्था क्षेत्र में ऐसी जातियों, जनजातियों या वर्गों की जनसख्या का उस क्षेत्र की कुल जनसख्या के साथ है और ऐसे स्थान सम्बन्धित पचायती राज सस्था मे विभिन्न वार्डों या विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों के लिए चक्रानुक्रम द्वारा आवटित किये जा सकेंगे।

महिलाओ का आरक्षण

1 अनुसूचित जाति, जनजाति एव पिछडे वर्गों हेतु आरक्षित स्थानों मे एक तिहाई स्थान इन जातियों, जनजातियों, एव वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित किये गये हैं।

2 सामान्य महिला वर्ग हेतु—प्रत्येक पचायती राज व्यवस्था मे प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानो की कुल सख्या के एक तिहाई स्थान (जिनमे अनुसूचित जातियो/अनुसूचित जनजातियो और पिछडे वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानो की सख्या सम्मिलित है) महिलाओं के लिए आरक्षित किये गये हैं और ऐसे स्थान सम्बन्धित पचायती राज सस्थाओं में विभिन्न वार्डों या निर्वाचन क्षेत्रों के लिए चक्रानुक्रम से आवटित किये जायेगे।[113]

जिला प्रमुख पद हेतु आरक्षण प्रावधान

राजस्थान पचायती राज अधिनियम 1994 द्वारा जिस प्रकार पचायत के अध्यक्ष सरपच तथा पचायत समिति के अध्यक्ष प्रधान के पद हेतु अनुसूचित जातियो, जनजातियो, अन्य पिछडे वर्गों तथा महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। ठीक ऐसी ही आरक्षण की व्यवस्था जिला परिषद् के अध्यक्ष प्रमुख के पद के लिए भी की गई है। इस प्रकार आरक्षित पदों में से उतने ही पद आरक्षित रखे जायगे जितना कि राज्य की कुल जनसख्या में इन जाति व वर्गों का अनुपात है। ऐसे पदो मे से प्रत्येक की कुल सख्या के 1/3 स्थान

महिलाओ के लिए आरक्षित रखे जायेगे। आरक्षित पदो की सख्या विभिन्न पचायतो के लिए चक्रानुक्रम द्वारा आवटित की जायेगी।[114]

दोहरी सदस्यता पर प्रतिबंध

पचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 20 के अनुसार कोई भी व्यक्ति दो या अधिक पचायती राज सस्थाओ का सदस्य नहीं बन सकता। इसी प्रकार धारा 21 के अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी पचायती राज सस्था का अध्यक्ष होने के साथ ससद, विधान सभा, नगर निगम/परिषद्/नगरपालिका मण्डल का सदस्य नही हो सकता। यदि कोई व्यक्ति ऐसा है तो उसे चुने जाने की तिथि से 14 दिन की अवधि मे त्याग-पत्र देना होगा, यदि वह ऐसा नहीं करता है तो उक्त अवधि के बाद वह अध्यक्ष नहीं रहेगा।[115]

प्रमुख, उप-प्रमुख, व सदस्यो का कार्यकाल

इस अधिनियम मे अन्यथा उपबधित के सिवाय—

1 किसी पचायती राज सस्था के सदस्य, अध्यक्ष सम्बन्धित पचायती राज सस्था की अवधि के दौरान पद धारण करेंगे,

2 किसी पचायती राज सस्था का उपाध्यक्ष तब तक पद धारण करेगा जब तक कि वह सम्बन्धित पचायती राज सस्था का सदस्य बना रहता है।[116]

नये अधिनियम के अनुसार सभी पचायतीराज सस्थाओ के पदाधिकारियो व सदस्यो के कार्यकाल के नियम समान है।

अविश्वास प्रस्ताव के प्रावधान

राजस्थान पचायती राज अधिनियम, 1994 के अनुच्छेद 37 में जिला प्रमुख के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने व इस प्रस्ताव के माध्यम से उसे पदच्युत करने की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है ताकि जिला प्रमुख अपने उत्तरदायित्वो का निर्वाह जनआकाक्षाओं के अनुरूप करने का प्रयास करे। इस प्रक्रिया के अनुसार अविश्वास प्रस्ताव लाने हेतु जिला परिषद् के कम से कम 1/3 सदस्यो के हस्ताक्षरयुक्त एक लिखित नोटिस, जिसके साथ प्रस्तावित प्रस्ताव की प्रतिलिपि सलग्न हो, नोटिस पर हस्ताक्षर करने वाले सदस्यो मे से किसी एक के द्वारा सक्षम प्राधिकारी को व्यक्तिश· सौंपा जायेगा।[117] इस प्रस्ताव पर विचार हेतु सक्षम अधिकारी जिला परिषद् की बैठक 30 दिन की अवधि में नियत तारीख को बुलायेगा तथा इस बैठक का नोटिस जिला परिषद् सदस्यो को कम से कम 15 दिन पूर्व दिया जायेगा।[118] इस बैठक की अध्यक्षता सक्षम प्राधिकारी करेगा।[119] इस प्रस्ताव पर कोई भी विचार-विमर्श स्थगित नहीं किया जा सकता।[120] अध्यक्ष प्रस्ताव पढकर सुनायेगा व विचार-विमर्श के लिए खुला घोषित करेगा।[121] बैठक के प्रारम्भ होने के पश्चात् दो घण्टे या प्रस्ताव पर विचार विमर्श समाप्त होने जो अवधि पहले हो, प्रस्ताव मतदान के लिए रखा जायेगा।[122] अध्यक्षता करने वाले अधिकारी को प्रस्ताव पर विचार-विमर्श के दौरान अपना विचार व्यक्त करने तथा मतदान मे भाग लेने का अधिकार प्राप्त नहीं है।[123] यदि प्रस्ताव जिला परिषद् के सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित हो जाए तो अध्यक्षता करने वाला सक्षम अधिकारी इस आशय की सूचना जिला परिषद् को कार्यालय के सूचना-पट्ट पर चिपका कर, उसे राजपत्र में अधिसूचित करवा कर प्रकाशित करायेगा और जिला प्रमुख या उप-प्रमुख उस तारीख से जिसको उक्त नोटिस जिला परिषद् कार्यालय के सूचना पट्ट पर चिपकाया गया हो, अपना पद धारण करना बन्द कर देगा और पद रिक्त हो जायेगा।[124] बैठक के कार्यवृत्त की एक प्रति, प्रस्ताव की प्रति सहित और उस पर मतदान का परिणाम, बैठक की समाप्ति पर, अध्यक्षता यदि प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित नहीं हो पाता या गणपूर्ति के अभाव में बैठक नहीं की जा

सकी हो तो प्रमुख उप-प्रमुख के विरुद्ध यह अविश्वास प्रस्ताव का कोई नोटिस ऐसी बैठक की तारीख से एक वर्ष की समाप्ति तक नहीं लाया जा सकता।[126] प्रमुख या उप-प्रमुख के प्रति अविश्वास के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए बैठक की गणपूर्ति हेतु उसमें मतदान के हकदार व्यक्तियों की कुल सख्या की एक तिहाई सख्या आवश्यक है।[127] अविश्वास कोई प्रस्ताव प्रमुख या उप-प्रमुख के पद ग्रहण करने से दो वर्ष की अवधि तक नहीं लाया जा सकता।[128]

जिला परिषद् का कार्यकाल

73वे सविधान सशोधन द्वारा पचायती राज के तीनो स्तरो का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया है। जिला परिषद् का कार्यकाल निश्चित रूप से 5 वर्ष के लिए निधारित है।[129]

जिला परिषद् की स्थायी समितियाँ

जिला परिषद् के द्वारा कार्य सचालन कुशलतापूर्वक हो सके इस हेतु राजस्थान पचायत राज अधिनियम, 1994 मे जिला परिषद् की स्थायी समितियों के गठन के प्रावधान किये गये हैं। अधिनियम के अनुसार प्रत्येक जिला परिषद् निम्नलिखित विषय समूहो मे से प्रत्येक के लिए एक-एक स्थायी समिति गठित करेगी, अर्थात्—

1 प्रशासन, वित्त और कराधान समिति।

2 उत्पादन कार्यक्रम समिति-जिसमे कृषि, पशुपालन, लघु सिचाई, सहकारिता, लघु और उद्योग और अन्य सहसम्बद्ध विषय सम्मिलित है।

3 शिक्षा समिति-इसमे समाज शिक्षा सम्मिलित है।

4 समाज सेवाये एव सामाजिक न्याय समिति-इसमें ग्रामीण जल प्रदाय, स्वास्थ्य और सफाई, ग्रामदान, सचार, कमजोर वर्ग का कल्याण और सहसम्बद्ध विषय सम्मिलित है।

5 पाँचवी समिति का प्रावधान-जिला परिषद् को यह अधिकार दिया गया है कि वह चाहे तो किसी ऐसे विषय या किन्हीं अन्य ऐसे विषयों पर एक और पृथक् पाचवी समिति का गठन कर सकती है जिनके बारे मे पहले कोई समिति गठित नहीं की गई है।

समितियो सम्बन्धी अन्य प्रावधान

1 प्रत्येक स्थायी समिति मे जिला परिषद् के लिए निर्वाचित सदस्यो में से 5 सदस्य होंगे।

2 जिला प्रमुख प्रशासन, वित्त और कराधान समिति का पदेन अध्यक्ष होगा।

3 उप प्रमुख ऐसी स्थायी समिति का पदेन अध्यक्ष होगा जिसका वह सदस्य निर्वाचित हुआ है तथा जिलाप्रमुख जिसका सदस्य नहीं है।

4. प्रत्येक ऐसी अन्य समिति के लिए जिनका कोई भी पदेन अध्यक्ष नहीं हो, अध्यक्ष विहीत रीति से निर्वाचित किया जावेगा

5 प्रत्येक स्थायी समिति, उसे सौंपे गये विषयो के सम्बन्ध में जिला परिषद् को ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्त्तव्यो का निर्वहन करेगी जो ऐसी स्थायी समिति को समय-समय पर प्रत्यायोजित किये जायें।

6 प्रत्येक स्थायी समिति का कार्यकाल एक वर्ष होगा।

7. यदि किसी स्थायी समिति का कोई सदस्य उसके अध्यक्ष की पूर्व अनुमति के बिना स्थायी समिति की पाँच बैठको मे लगातार अनुपस्थित रहता है तो स्थायी

समिति में उसका स्थान रिक्त घोषित कर दिया जायेगा। यदि अध्यक्ष स्वय इस प्रकार अनुपस्थित है तो वह अनुपस्थित रहने के लिए जिला प्रमुख का अनुमोदन प्राप्त करेगा, यदि जिला प्रमुख स्वय अनुपस्थित है तो उसके द्वारा जिला परिषद् का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

8 जिला परिषद् किसी भी स्थायी समिति से किसी भी समय कोई भी दस्तावेज, विवरण, लेखे एवं रिपोर्ट माँग सकती है।

9. जिला परिषद् के समक्ष आवेदन किये जाने पर या अन्यथा जिला परिषद् स्थायी समिति के किसी भी निर्णय की परीक्षा कर सकती है और वह समिति के निर्णय को पुष्ट कर सकती है, उलट सकती है या रूपान्तरित कर सकती है। किन्तु पुनरीक्षण हेतु आवेदन समिति के निर्णय की तारीख से तीन माह की अवधि मे किया गया हो। जिला परिषद् स्थायी समिति के निर्णय को तभी उलट या रूपान्तरित कर सकती है यदि जिला परिषद् के कुल सदस्यों में से कम से कम दो तिहाई सदस्य इसका समर्थन करे।

10 स्थायी समिति अपनी बैठको के सचालन के लिए ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगी जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाये।[130]

जिला परिषद् में कार्मिक व्यवस्था

पचायती राज अधिनियम के माध्यम से जिला परिषदों में अधिकारियों एव कर्मचारियो की नियुक्ति की व्यवस्था की गई है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद् का शीर्षस्थ अधिकारी होता है। भारतीय प्रशासनिक सेवा अथवा राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी को इस पद पर नियुक्त किया जाता है। सरकार किसी जिला परिषद् मे अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी की भी निर्धारित शर्तों पर नियुक्ति कर सकती है।[131] सरकार प्रत्येक जिला परिषद् के लिए मुख्य लेखाधिकारी तथा मुख्य आयोजना अधिकारी भी नियुक्त करेगी।[132] इसके अलावा सरकार समय-समय पर प्रत्येक जिला परिशद् मे अपने इतने अधिकारी पद स्थापित करेगी, जितने सरकार आवश्यक समझे।[133] इस प्रकार स्थापित अधिकारियो एवं पदाधिकारियो को राज्य सरकार एक जिले से दूसरे जिले मे स्थानान्तरित कर सकेगी।[134]

गणपूर्ति

पचायत समिति की बैठक हेतु कुल सदस्य सख्या के एक तिहाई सदस्यो की उपस्थिति आवश्यक है।[135]

बैठकों की अध्यक्षता

जिला परिषद् की बैठको की अध्यक्षता प्रमुख तथा उसकी अनुपस्थिति मे उप-प्रमुख करेगा, और दोनों की अनुपस्थिति मे उपस्थित सदस्य अपने मे से किसी एक को उस अवसर पर अध्यक्षता करने के लिए चुनेगे किन्तु ऐसा सदस्य हिन्दी पढने और लिखने मे समर्थ होना चाहिए।[136]

राजस्थान में जिला परिषद् का संगठनात्मक आरेख [नवीन प्रारूप]

आरेख 4.5

- *जिला परिषद संरचना [नवीन प्रारूप]
  - जिला परिषद्
    - राजनीतिक संरचना
      - जिला प्रमुख
        - उप जिला प्रमुख
          - स्थायी समितियाँ
            - प्रशासन, वित्त व कराधान समिति 5 सदस्य प्रधान सदैव आमंत्रित
            - शिक्षा समिति 5 सदस्य
            - उत्पादन कार्यक्रम समिति 5 सदस्य
            - सामाजिक सेवाएँ एवं सामाजिक न्याय समिति 5 सदस्य
            - पाँचवीं समिति किसी भी विषय पर पंचायत समिति आवश्यकतानुसार गठित कर सकती है।
          - प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्य (आनुपातिक)
          - पदेन सदस्य (क्षेत्रीय)
            - लोकसभा (क्षेत्रीय)
            - राज्यसभा सदस्य
            - विधानसभा सदस्य
          - प्रधान विशेष आमंत्रित सदस्य
    - प्रशासनिक संरचना
      - मुख्य कार्यकारी अधिकारी
        - अतिरिक्त कार्यकारी अधिकारी
          - वरिष्ठ उप जिला शिक्षा अधिकारी
          - पंचायत प्रसार अधिकारी
          - मुख्य आयोजना अधिकारी
          - लेखाधिकारी
          - सहायक अभियन्ता
          - लेखाकार
          - शीघ्र लिपिक
          - संगणक (कम्प्यूटर)
          - वरिष्ठ लिपिक
          - कनिष्ठ लिपिक
            - वाहन चालक
            - चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी

* पंचायतीराज अधिनियम 1994 के अनुसार पंचायत समिति की संरचना।

जिला परिषद् के कार्य

राजस्थान पचायती राज अधिनियम 1994 के प्रावधानानुसार सरकार द्वारा समय समय पर निर्दिष्ट की जाये जिला परिषद् तृतीय अनुसूची मे विनिर्दिष्ट कार्यों का निर्वहन तथा शक्तियों का प्रयोग करेगी। तृतीय अनुसूची में जिला परिषद् के निम्नोल्लेखित कार्य हैं—

1 सामान्य कार्य

जिले के आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाये तैयार करना और ऐसी योजनाओ अगली मदों मे प्रमाणित विषया सहित विभिन्न विषय के सम्बन्ध मे समन्वित क्रियान्वयन सुनिश्चित करना।

2 कृषि एव भूमि सुधार सम्बन्धी कार्य

1 कृषि उत्पादन मे वृद्धि करने के समुन्नत कृषि उपकरणो के उपयोग और विकसित कृषि पद्धतियो के अगोकरण को लोकप्रिय बनाने के उपायो को उन्नत करना।

2 कृषि मेलो और प्रदर्शनियों का सचालन करना।

3 कृषकों का प्रशिक्षण।

4 भूमि सुधार और भूमि सरक्षण।

3 लघु सिचाई, भू-जल स्त्रोत और जल विभाजक सम्बन्धी कार्य

1 "ग" और "घ" वर्ग के 2500 एकड के लघु सिचाई सकर्मों और लिफ्ट सिचाई सकर्मों का निर्माण नवीकरण और रख रखाव

2 जिला परिषद् के नियत्रणाधीन सिचाई योजनाओ के अधीन जल के समय पर और समान वितरण और पूर्ण उपयोग तथा राजस्व वसूली के लिए उपबध करना

3 भू-जल स्त्रोतों का विकास

4 सामुदायिक पम्प सैट लगाना

5 जल विभाजक विकास कार्यक्रम।

4 बागवानी सम्बन्धी कार्य

1 ग्रामीण पार्क और उद्योग

2 फलो और सब्जियो की खेती।

5 साख्यिकी सम्बन्धी कार्य

1 पचायती समितियो और जिला परिषद् के क्रियाकलापो से सम्बन्धित साख्यिकीय व अन्य सूचना का समन्वय और उपयोग

2 पचायत समितियो और जिला परिषद् के क्रियाकलापो के लिए अपेक्षित आकडो और अन्य सूचना का समन्वय और उपयोग

3 पचायत समितियों और जिला परिषद् को सौंपी गई परियोजनाओं और कार्यक्रमों का समय-समय पर पर्यवेक्षण और मूल्याकन।

6. ग्रामीण विद्युतीकरण सम्बन्धी कार्य

1 ग्रामीण विद्युतीकरण की प्रगति का मूल्याकन करना,

2 विद्युत सम्बन्ध करना (कनेक्शन) कुटीर ज्योति और अन्य विद्युत सम्बन्ध (कनेक्शन)।

7. मृदा संरक्षण सम्बन्धी कार्य

1 मृदा सरक्षण कार्य,

2 मृदा विकास कार्य।

8. सामाजिक वानिकी सम्बन्धी कार्य

1 सामाजिक और फार्म वानिकी, बागान और चारा विकास को उन्नत करना,

2 बजर भूमि का विकास,

3 वृक्षारोपण के लिए आयोजन करना और अभियान चलाना तथा कृषिक पौधशालाओं को प्रोत्साहन,

4 वन भूमियों को छोडकर वृक्षों का रोपण तथा रख-रखाव,

5 राजमार्गों तथा मुख्य जिला सड़कों को छोडकर, सडक के किनारे-किनारे वृक्षारोपण।

9. पशु-पालन और डेयरी सम्बन्धी कार्य

1 जिला और रेफरल अस्पतालों को छोडकर, पशु चिकित्सालयों की स्थापना और रख-रखाव

2 चारा विकास कार्यक्रम,

3. डेयरी उद्योग, कुक्कुट पालन और सुअर पालन को उन्नत करना।

4 महामारी और सासर्गिक रोगों की रोकथाम।

10. मत्स्य पालन सम्बन्धी कार्य

1. मत्स्य पालक विकास अभिकरण के समस्त कार्यक्रम;

2 निजी और सामुदायिक जलाशयों के मत्स्य सवर्द्धन का विकास,

3 पारम्परिक मत्स्यपालन में सहायता करना,

4 मत्स्य विपणन सहकारी समितियों का गठन करना,

5 मछुआरों के उत्थान और विकास के लिए कल्याण कार्यक्रम।

11. घरेलू और कुटीर उद्योग सम्बन्धी कार्य

1 परिक्षेत्र में पारम्परिक कुशल व्यक्तियों की पहचान और घरेलू उद्योगों का विकास करना,

2 कच्चे माल की आवश्यकताओं का इस प्रकार से निर्धारण करना कि जिससे समय-समय पर उसकी पूर्ति सुनिश्चित की जा सके।

3 परिवर्तनशील उपभोक्ता के अनुसार डिजाइन और उत्पादन

4 इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए बैंक ऋण दिलवाने हेतु सम्पर्क करना

5 खादी हाथकर्घा हस्तकला और ग्राम कुटीर उद्योगों को उन्नत करना।

12 ग्रामीण सड़कें और भवन सम्बन्धी कार्य

1 राष्ट्रीय और राजमार्गों से भिन्न सड़कों का निर्माण और रख रखाव

2 राष्ट्रीय और राजमार्गों से भिन्न मार्गों के नीचे आने वाले पुल और पुलियाएं

3 जिला परिषद के कार्यालय भवनों का निर्माण और रख रखाव

4 बाजार शैक्षणिक संस्थाओं स्वास्थ्य केन्द्रों को जोड़ने वाली मुख्य सम्पर्क सड़कों और आन्तरिक क्षेत्रों में सम्पर्क की पहचान

5 नयी सड़कों के लिए और विद्यमान सड़कों को चौड़ा करने के लिए भूमियों का स्वैच्छिक अभ्यर्पण कराना।

13 स्वास्थ्य और स्वास्थिकी सम्बन्धी कार्य

1 सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों औषधालयों उप केन्द्रों की स्थापना और रख रखाव

2 आयुर्वेदिक होमियोपैथिक यूनानी औषधालयों की स्थापना और रख रखाव

3 प्रतिरक्षीकरण और टीकाकरण कार्यक्रम का क्रियान्वयन

4 स्वास्थ्य शिक्षा स्वास्थ्य क्रियाकलाप

5 मातृत्व और शिशु स्वास्थ्य क्रियाकलाप

6 परिवार कल्याण कार्यक्रम

7 पंचायत समितियों और पंचायतों की सहायता से स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन करना

8 पर्यावरण प्रदूषण के विरुद्ध उपाय।

14 ग्रामीण आवासन सम्बन्धी कार्य

1 बेघर परिवारों की पहचान

2 जिले में आवास निर्माण का क्रियान्वयन

3 कम लागत आवासन को लोकप्रिय बनाना।

15 शिक्षा सम्बन्धी कार्य

1 उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना और रख रखाव सहित शैक्षणिक क्रियाकलापों को उन्नत करना

2 प्रौढ़ शिक्षा और पुस्तकालयों सुविधाओं के लिए कार्यक्रमों की योजना बनाना

3 ग्रामीण क्षेत्रों में विज्ञान और तकनीकी के प्रचार के लिए प्रसार कार्य,

4 शैक्षणिक क्रियाकलापो का सर्वेक्षण और मूल्याकन।

16. समाज कल्याण और कमजोर वर्गों के कल्याण सम्बन्धी कार्य

1 अनुसूचित जातियो, अनुसूचित जनजातियो और पिछडे वर्गों को छात्रवृत्तियाँ, वृत्तिकाय, बोर्डिंग अनुदान और पुस्तके और अन्य उपसाधन क्रय करने के लिए अन्य अनुदान देकर शिक्षा सुविधाओं का विस्तार,

2 निरक्षरता उन्मूलन और साधारण शिक्षा के लिए नसरी विद्यालयो, बाल बाडियों, रात्रि विद्यालयो और पुस्तकालयों का सगठन करना,

3 अनुसूचित जातियो, अनुसूचित जनजातियों और पिछडे वर्गों को कुटीर और ग्रामीण उद्योगो का प्रशिक्षण देने के लिए सुविधाय उपलब्ध करवाना,

4 अनुसूचित जातियो, जनजातियो और पिछडे वर्गों की सहकारी सस्थाओ का गठन,

5 अनुसूचित जातियो, अनुसूचित जनजातियो और पिछडे वर्गों के उत्थान और विकास के लिए अन्य कल्याणकारी योजनाएँ।

17 गरीबी उन्मूलन सम्बन्धी कार्य

गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमो की योजना बनाना, उनका पर्यवेक्षण, मोनीटर करना और क्रियान्वयन करना।

18 समाज सुधार क्रियाकलाप

1 महिला सगठन और कल्याण,

2 बाल सगठन और कल्याण,

3 स्थानीय आवारागर्दी का निवारण,

4 विधवा, वृद्ध और शारीरिक रूप से नि शक्त निराश्रितो के लिए पेंशन की और बेरोजगारो को अन्तर्जातीय विवाह के युगलो, जिनमे से एक किसी अनुसूचित जाति या किसी अनुसूचित जनजाति का सदस्य हो के लिए भत्तो की मजूरी और वितरण को मोनीटर करना,

5 अग्नि नियत्रण,

6 अन्धविश्वास, जातिवाद, छुआछूत, नशाखोरी, खर्चीले विवाह और सामाजिक समारोहों, दहेज तथा दिखावटी उपभोग के विरुद्ध अभियान,

7 सामुदायिक विवाह और अन्तरजातीय विवाहो को प्रोत्साहित करना,

8 आर्थिक अपराधो जैसे तस्करी, कर वचन, खाद्य अपमिश्रण के विरुद्ध सतर्कता,

9 भूमिहीन श्रमिको को सौंपी गई भूमि का विकास करने में सहायता करना,

10 जनजातियों द्वारा अन्य सक्रमित भूमियो का पुनर्ग्रहण,

11 बन्धुआ मजदूरो की पहचान करना, उन्हे मुक्त करना और उनका पुर्नवास,

12 सास्कृतिक और मनोरजक क्रियाकलापो का आयोजन करना
13 खेलकूद और खेलों को प्रोत्साहन तथा ग्रामीण खेल मैदानों का निर्माण,
14 पारम्परिक उत्सवो को नया रूप देना और उन्हे समाज प्रिय बनाना,
15 निम्नलिखित के माध्यम से मितव्ययता और बचत की उन्नति करना—
 (i) बचत की आदतों की प्रोन्नति,
 (ii) अल्प बचत अभियान,
 (iii) कूट साहूकारी प्रथाओ और ग्रामीण ऋणग्रस्तता के विरुद्ध लडाई।

19. जिला परिषद् की साधारण शक्तियाँ

इस अधिनियम के अधीन उसे सौंपे, या प्रत्यायोजित किये गये कार्यों के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक सभी कार्य करना और विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना इसके अधीन निर्दिष्ट समस्त शक्तियो का और निर्दिष्ट रूप से निम्नलिखित के लिए आवश्यक शक्तियो का प्रयोग करना—

1 लोक उपयोगिता के किसी भी कार्य का या उसमें निहित या उसके नियत्रण या प्रबन्ध के अधीन की किसी सस्था का प्रबन्ध और रख-रखाव,
2 ग्रामीण हाटो और बाजारों का अर्जन और रख-रखाव,
3 पचायत समितियों या पचायतों को तदर्थ अनुदानों का वितरण करना और उनके कार्य का समन्वय करना,
4 कष्ट निवारण के उपायों को अगीकार करना,
5 जिले मे पचायत समितियो के बजट अनुमानों की परीक्षा करना और उन्हे मजूर करना,
6 जिले मे पचायत समितियो द्वारा तैयार की गई विकास योजनाओ और स्कीमों को समन्वित और एकीकृत करना,
7 एकाधिक खण्डो मे विस्तृत किसी योजना को हाथ में लेना और निष्पादित करना,
8 जिले के पचो, सरपचो, प्रधानो और पचायत समितियो के सदस्यो के शिविरो, सेमिनारों, सम्मेलनों का आयोजन करना,
9 किसी भी स्थानीय प्राधिकरण से उसके क्रियाकलापो के बारे मे सूचना देने की अपेक्षा करना,
10 किन्हीं विकास योजनाओं को ऐसे निर्बन्धनों और शर्तों पर, जो लगे हुए दो या अधिक जिलो की जिला परिषदों के बीच मे परस्पर तय की जायें सयुक्त रूप से हाथ में लेना और निष्पादित करना।

अधिनियम मे यह भी प्रावधान किया गया है कि जिला परिषद् सकल्प द्वारा इस अधिनियम के अधीन किसी भी जिला परिषद् को प्रदत्त कोई भी शक्तियाँ मुख्य कार्यपाल अधिकारी या किसी अन्य अधिकारी को प्रत्यायोजित कर सकेगी।[17]

सन्दर्भ

1 तिवारी चौधरी एव चौधरी, *राजस्थान में पचायत कानून,* ऋचा प्रकाशन, 1995, जयपुर, पृ 13–14

2 राजस्थान पचायतीराज (सशोधन) अध्यादेश, 2000 (2000 का अध्यादेश स. 2) द्वारा प्रतिस्थापित/राजस्थान राजपत्र विशेषाक, भाग 4 (ख), दिनाक 8 जनवरी, 2000, पृ 113 (1) में प्रकाशित।

3 उपरोक्त, धारा 2

4 उपरोक्त, धारा 3–4

5 उपरोक्त, धारा 5

6 उपरोक्त, धारा 5

7 उपरोक्त, धारा 7

8 उपरोक्त, धारा 8, विलम्बित

9 जयनारायण पाण्डे: *भारत का सविधान:* सट्रल लॉ एजेंसी, इलाहाबाद 1997, पृ 446

10 जी एस नरवानी, *राजस्थान पचायतीराज मैनुअल:* डोमिनियन लॉ डिपो, 1997, जयपुर, धारा 3, पृ 21

11 उपरोक्त, धारा 3(1) पृ 21

12 उपरोक्त, धारा 3(2), धारा 4, 5 पृ 21–22

13 उपरोक्त, धारा 3 नियम (4), पृ 23

14 उपरोक्त, धारा 5 पृ 19

15 उपरोक्त, धारा 5,पृ 22

16 उपरोक्त, धारा (4), पृ 22

17 उपरोक्त, धारा 6, पृ 22

18 उपरोक्त धारा 3(3), पृ 21–22

19 उपरोक्त, धारा 3(7), पृ 22

20 उपरोक्त, धारा (7), पृ 22–23

21 भारत सरकार, योजना आयोग, *रिपोर्ट ऑफ दी टीम फॉर दी स्टेडी ऑफ कम्यूनिटी डवलपमेंट प्रोजेक्ट एण्ड नेशनल एक्सटेंशन सर्विस, 1957,* पृ 5 (बलवतराय मेहता प्रतिवेदन)

22 *तिवारी चौधरी एव चौधरी, राजस्थान मे पचायत कानून,* ऋचा प्रकाशन, 1995, व्याख्या धारा 9, 10, 11, पृ 38

23 उपरोक्त, धारा 9, 10, 11 पृष्ठ 38 व्याख्या

24 उपरोक्त, धारा 9(2), 9(3) पृष्ठ 36
25 उपरोक्त, धारा 12(1), पृष्ठ 41
26 उपरोक्त, धारा 12(2), पृष्ठ 41
27 उपरोक्त, धारा 12(2) का परन्तुक, पृष्ठ 41
28 उपरोक्त, धारा 26(1), पृष्ठ 70
29 उपरोक्त, धारा 26(2) पृष्ठ 70
30 उपरोक्त, धारा 27(1), पृष्ठ 71
31 उपरोक्त, धारा 27(2), पृष्ठ 71
32 उपरोक्त, धारा 2o(2), पृष्ठ 70
33 उपरोक्त, धारा 19, पृष्ठ 55
34 उपरोक्त, धारा, पृष्ठ
35 उपरोक्त, धारा 20, पृष्ठ 60
36 उपरोक्त, धारा 20(3), पृष्ठ 60
37 उपरोक्त, धारा 21 तथा परन्तुक, पृष्ठ 65
38 उपरोक्त, धारा 15(1), पृष्ठ 45-46
39 उपरोक्त, धारा 15(2), पृष्ठ 46
40 उपरोक्त, धारा 15(3), पृष्ठ 46
41 उपरोक्त, धारा 16, पृष्ठ 49
42 उपरोक्त, धारा 30, पृष्ठ 72
43 उपरोक्त, धारा 17(1), पृष्ठ 51
44 उपरोक्त, धारा 17(3), पृष्ठ 52
45 उपरोक्त, धारा 17(4), पृष्ठ 52
46 उपरोक्त, धारा 17(2), पृष्ठ 52
47 उपरोक्त, धारा 37(2), पृष्ठ 84
48 उपरोक्त, धारा 37(3) (i) (ii) (iii), पृष्ठ 84
49 उपरोक्त, धारा 37(4), पृष्ठ 84
50 उपरोक्त, धारा 37(5), पृष्ठ 84
51 उपरोक्त, धारा 37(6) पृष्ठ 85
52 उपरोक्त, धारा 37(7), पृष्ठ 85
53 उपरोक्त, धारा 37(8), पृष्ठ 85
54 उपरोक्त, धारा 37(9), पृष्ठ 85

55 उपरोक्त, धारा 37(10), पृष्ठ 85
56 उपरोक्त, धारा 37(11), पृष्ठ 85
57 उपरोक्त, धारा 37(12), पृष्ठ 85
58 उपरोक्त, धारा 37(13), पृष्ठ 85
59 उपरोक्त, धारा 37(14), पृष्ठ 85
60 उपरोक्त, धारा 48(1), पृष्ठ 113
61 उपरोक्त, धारा 48(1), पृष्ठ 113
62 उपरोक्त, धारा 78(1) (क) (ख), पृष्ठ 151
63 उपरोक्त, धारा 50 पृष्ठ 253
64 भारत का संविधान, सेंट्रल लॉ एजेंसी पब्लिकेशन, 73वां संविधान संशोधन, धारा 243 ख(a) 1997, पृ 446
65 उपरोक्त, धारा 10(1), पृष्ठ 36-37
66 उपरोक्त, धारा 10(2) पृष्ठ 37
67 उपरोक्त, धारा 10(3), पृष्ठ 37
68 उपरोक्त, धारा 13(2), पृष्ठ 42
69 उपरोक्त, धारा 13(2) का परन्तुक, पृष्ठ 43
70 उपरोक्त, धारा 28(1) तथा परन्तुक, पृष्ठ 71
71 उपरोक्त, धारा 28(2), पृष्ठ 71
72 उपरोक्त, धारा 19, पृष्ठ 55-56
73 उपरोक्त, धारा 20, पृष्ठ 60
74 उपरोक्त, धारा 15(1), पृष्ठ 45-46
75 उपरोक्त, धारा 52(2), पृष्ठ 46
76 उपरोक्त, धारा 15(3), पृष्ठ 47
77 उपरोक्त, धारा 16, पृष्ठ 49-50
78 उपरोक्त, धारा 37(2), पृष्ठ 84
79 उपरोक्त, धारा 37(11) (क) (ख), पृष्ठ 85
80 उपरोक्त, धारा 37(12), पृष्ठ 85
81 उपरोक्त, धारा 37(13), पृष्ठ 85
82 उपरोक्त, धारा 37(14), पृष्ठ 85
83 उपरोक्त, धारा 17(1), पृष्ठ 51
84 उपरोक्त, धारा 17(3), पृष्ठ 52

85 उपरोक्त, धारा 17(4), पृष्ठ 52

86 उपरोक्त, धारा 17(2), पृष्ठ [redacted]

87 उपरोक्त, धारा 48(1), पृष्ठ 113

88 उपरोक्त, धारा 48(1), पृष्ठ 113

89 उपरोक्त, धारा 56(1) (क) (ख) (ग), पृष्ठ 120

90 उपरोक्त, धारा 56(2), पृष्ठ 121

91 उपरोक्त, धारा 56(3), पृष्ठ 121

92 उपरोक्त, धारा 56(4), पृष्ठ 121

93 उपरोक्त, धारा 56(5), पृष्ठ 121

94 उपरोक्त, धारा 56(6), पृष्ठ 121

95 उपरोक्त, धारा 56(8), पृष्ठ 121

96 उपरोक्त, धारा 56(9), पृष्ठ 121

97 उपरोक्त, धारा 56(10), पृष्ठ 121

98 उपरोक्त, धारा 58, पृष्ठ 124

99 उपरोक्त, धारा 59(1), पृष्ठ 124-125

100 उपरोक्त, धारा 59(2), पृष्ठ 125

101 उपरोक्त, धारा 60, पृष्ठ 126

102 उपरोक्त, धारा 79 (1) (2), पृष्ठ 152

103 (क) उपरोक्त, धारा 51, पृष्ठ 253

103 (ख) उपरोक्त, धारा 54(1), पृष्ठ 119

104 सी पी भाभरी, *एसटेब्लिशमेंट ऑफ जिला परिषद इन राजस्थान, ए केस स्टैडी,* पॉलिटिकल साईंस रिव्यु, वो 5 न 2 अक्टूबर, 1966, पृ 292-303

105 *रिपोर्ट ऑफ़ दी टीम फॉर द स्टैडी ऑफ कम्यूनिटी प्रोजेक्ट्स एण्ड नेशनल एक्सटेंशन सर्विस,* खण्ड 1, नई दिल्ली कमेटी ऑन प्लान प्रोजेक्ट्स, 1957, पृ 7

106 उपरोक्त, धारा 11(1), पृष्ठ 37

107 उपरोक्त, धारा 11(2), पृष्ठ 38

108 उपरोक्त, धारा 14(2), पृष्ठ 44

109 उपरोक्त, धारा 14(1) (क) (ख) (ग), पृष्ठ 44

110 उपरोक्त, धारा 29(1) तथा परन्तुक, पृष्ठ 72

111 उपरोक्त, धारा 29(2), पृष्ठ [redacted]

112 उपरोक्त, धारा 19, पृष्ठ 55

113 उपरोक्त, धारा 15(1) (2) (3), पृष्ठ 45-46
114 उपरोक्त, धारा 16(1) से (6), पृष्ठ 49-50
115. उपरोक्त, धारा 21 तथा परन्तुक, पृष्ठ 65
116 उपरोक्त, धारा 30, पृष्ठ 72
117. उपरोक्त, धारा 37(2), पृष्ठ 84
118. उपरोक्त, धारा 37(3), पृष्ठ 84
119. उपरोक्त, धारा 37(4), पृष्ठ 84
120. उपरोक्त, धारा 37(4), पृष्ठ 84
121. उपरोक्त, धारा 37(6), पृष्ठ 85
122 उपरोक्त, धारा 37(8), पृष्ठ 85
123 उपरोक्त, धारा 37(9), पृष्ठ 85
124 उपरोक्त, धारा 37(11), पृष्ठ 85
125 उपरोक्त, धारा 37(10), पृष्ठ 85
126 उपरोक्त, धारा 37(12), पृष्ठ 85
127. उपरोक्त, धारा 37(14), पृष्ठ 85
128. उपरोक्त, धारा 37(13), पृष्ठ 85
129. उपरोक्त, धारा 17(1), पृष्ठ 51
130. उपरोक्त, धारा 57, 58, 59, 60 पृष्ठ 122-126
131. उपरोक्त, धारा 82(1), पृष्ठ 55
132. उपरोक्त, धारा 82(2), पृष्ठ 55
133. उपरोक्त, धारा 82(3), पृष्ठ 55
134. उपरोक्त, धारा 82(4), पृष्ठ 55
135. उपरोक्त, धारा 48(1), पृष्ठ 113
136. उपरोक्त, धारा 48(1), पृष्ठ 113
137. उपरोक्त, धारा 52, पृष्ठ 260

□□□

5

पंचायती राज व्यवस्था 73वें संविधान संशोधन से पूर्व तथा निवर्तमान संशोधित प्रारूपों की तुलनात्मक विवेचना

2 अक्टूबर 1959 को पण्डित जवाहर लाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले में दीप प्रज्ज्वलित कर बलवतराय मेहता समिति द्वारा प्रस्तावित त्रिस्तरीय पचायती राज व्यवस्था का शुभारम्भ किया जो सम्पूर्ण भारत के लिए प्रेरणा पथ बना। वैसे राजस्थान मे ग्राम पचायत अधिनियम 1953 के द्वारा पचायत व्यवस्था की प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रीकरण की पद्धति का शुभारम्भ हो चुका था। 73वे सविधान सशोधनो से पूर्व राजस्थान मे पचायती राज को त्रिस्तरीय व्यवस्था 1953 के पचायत राज अधिनियम 1959 के पचायत समिति एव जिला परिषद् अधिनियम के तहत चल रही थी। 2 अक्टूबर 1959 से 23 अप्रैल 1994 तक राजस्थान मे विभिन्न आयोग एव समितियाँ पचायती राज व्यवस्था को सुदृढ करने हेतु बिठाई जिनके सुधारो एव सुझावो को माना भी नहीं भी माना और राज्य सरकारो की दया पर ये सस्थाएँ मात्र प्रतीकात्मक होकर प्रजातन्त्रात्मक राजतन्त्र का हिस्सा बन कर रह गई। समग्र भारत मे इनका समान स्वरूप स्थिति नहीं थी और न ही इन्हे सवैधानिक दर्जा प्राप्त था अत ये सस्थाएँ गाँधीजी के 'लोकस्वराज्य' और स्वशासन' तथा ग्रामीण विकास व कल्याण से परे मात्र राजनीतिज्ञो के हित साधन का माध्यम मात्र बनकर रह गई।

जब अपने पुरातन स्वरूप में पंचायती राज सस्थाएँ विकास एव कल्याण में तथा निर्णयन में जनसहभागिता का आधार व विश्वास खो चुकी थी तो ऐसे समय मे ऐसी सशक्त पचायती राज प्रारूप की आवश्यकता महसूस हुई जो समग्र देश से समान रूप से विकास कल्याण तथा स्वशासन एव निर्णयन मे आज जन को सहभागी एव सहगामी बना सके। प्रशासनिक एव वित्तीय अधिकारो के अभाव मे पचायती राज सस्थाएँ भी निष्प्राण प्राय हो चुकी थी। 24 अप्रैल 1993 को भारत सरकार की अधिसूचना द्वारा यह नया पचायती राज अधिनियम लागू हो गया।

24 अप्रैल, 1993 को पंचायती राज संविधान संशोधन के सन्दर्भ में तत्कालीन प्रधानमन्त्री पी वी नरसिम्हा राव ने स्वर्गीय राजीव गाँधी द्वारा आरम्भ किये इस पुनीत उद्देश्य के सन्दर्भ में कहा था कि "लोकतन्त्र और पंचायत की शक्तियों का हस्तान्तरण अब देश के सबसे पवित्र दस्तावेज अर्थात् भारत के संविधान का एक भाग बन गया है। अब कोई भी आपकी पंचायत की लोकतन्त्रीय प्रणाली को छीन नहीं सकेगा। अब पंचायत को मनमर्जी से न तो निलम्बित किया जा सकता है और न ही उसे भंग किया जा सकता है। अब पंचायतों को जो शक्तियाँ, उत्तरदायित्व और वित्तीय संसाधन हस्तान्तरित किये गये हैं, उन्हें कोई भी वापस नहीं ले सकेगा। संविधान में किये गये ये परिवर्तन देश के गाँव के विकास के इतिहास में एक महत्त्वपूर्ण घटना सिद्ध होगी। इस अधिनियम से यह सुनिश्चित हो जायेगा कि वास्तविक शक्तियाँ फिर से केवल आपको ही मिल जायेंगी और आप अपने इलाके और अपने लोगों के विकास में कहीं ज्यादा भूमिका निभा सकेंगे। यह भी सुनिश्चित हो सकेगा कि गाँव के गरीब लोग भी इस प्रक्रिया में भाग ले और समाज का कोई भी वर्ग यह नहीं सोचे कि उनकी अनदेखी हो रही है।

बहुत जल्दी गाँव पंचायतें स्थायी आधार पर एक सजीव संस्था बन जाएँगी और वे जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों से बनेंगी। ये संस्थाएँ उनके कल्याण के विभिन्न कार्यक्रम चलाएँगी और इन कार्यक्रमों की योजनाएँ बनाने में लोगों का सहयोग लेंगी। वे ऐसी सक्रिय और सजीव संस्थाएँ बनाने में लोगों का सहयोग लेंगी। वे ऐसी सक्रिय और सजीव संस्थाएँ होंगी जो विकास, नियमन और सामान्य प्रशासन के काम करेंगी। कृषि, भूमि का सुधार, पशु-पालन, ग्रामीण और घरेलू उद्योग, पीने का पानी, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, स्वास्थ्य, सफाई, परिवार कल्याण आदि विषय इन पंचायतों की जिम्मेदारी होंगे। पंचायतों को इतना समर्थ होना होगा कि दिन-प्रतिदिन की लोगों की जरूरी आवश्यकताएँ पूरी कर सकें और विभिन्न तरीकों से उनके हितों की रक्षा कर सकें।"[2]

राजस्थान सरकार ने भी 73वें संविधान संशोधन के अनुरूप 23 अप्रैल, 1994 को नया राजस्थान पंचायती राज अधिनियम लागू कर दिया और सशक्त व जनोन्मुखी पंचायती राज व्यवस्था के युग मे कदम रखा। राजस्थान सरकार ने तो समय-समय नये कानून नियम तथा जनवरी, 2000 में 1999 के पंचायती राज अधिनियम में परिवर्तन कर पंचायती राज संस्थाओं का पारदर्शी, सशक्त तथा जनोन्मुखी एवं जनसहभागी बनाने के तहे दिल से प्रयास किये हैं जो शोध अध्ययन में यथासम्भव व सम्मिलित किये गये हैं। जैसा कि शोध अध्ययन में प्रस्तावित है, राजस्थान में 73वें संविधान संशोधन से पूर्व प्रारूप (जो मूलतः 1953 के पंचायत अधिनियम तथा 1959 के पंचायत समिति एवं जिला परिषद् अधिनियम पर आधारित था) एवं 73वें संविधान संशोधन प्रदत्त प्रारूप जो 23 अप्रैल, 1994 को राजस्थान में व्यवहार में आया। दोनों प्रारूपों के अनुरूप पंचायती राज संस्थाओं के संगठन एवं कार्यों का सैद्धान्तिक तुलनात्मक विश्लेषण जो राजस्थान सरकार के अधिनियम प्रपत्रों एवं अन्य निर्देशन व आदेश पत्रावलियों, प्रतिवेदनों पर आधारित है करना उद्देश्यापेक्षी है। नवीन पंचायती राज अधिनियम के तहत इन संस्थाओं की संरचना एवं कार्यकरण की परीक्षा को दशक का अपराह्न चल रहा है। अतः पुरातन व्यवस्था एवं नवीन व्यवस्था का मूल्यांकन समयोचित अपेक्षा प्रतीत होती है। जो यक्ष प्रश्न एवं शंकाएँ पुरानी व्यवस्था की समाप्ति तथा नवीन प्रावधान की उम्मीदों के साथ जुड़े थे क्या हल हो पाये ?

नवीन पंचायती राज अधिनियम की व्यवस्थाओ के पश्चात् राजस्थान में इन संस्थाओ के दूसरी बार चुनाव हो चुके हैं ? अत इनके सगठन एव कार्यों के मूल्याकन-तुलना एव विश्लेषण का यही सही समय हैं। इनके सगठन एव कार्यों की तुलना निम्नोल्लेखित है—

ग्रामसभा सगठनात्मक तुलना
[समानताएँ]

ग्रामसभा के 73वे सविधान सशोधन पूर्व एव पश्चात् प्रारूपों की सागठनिक समानताओ को जैसा कि सारणी द्वारा स्पष्ट किया गया है कि वरिष्ठ नागरिको की सभा दोनो प्रारूपो मे 'ग्रामसभा' कहलायेगी। ग्रामसभा की बैठको की अध्यक्षता सरपच अथवा उपसरपच करेगे। ग्रामसभा की कार्यवाही पचायत सचिव लिखेगा तथा ग्रामसभा पचायत मुख्यालय पर ही होगी। साथ ही एक समानता यह भी है कि वरिष्ठ नागरिको की निश्चित सख्या द्वारा अनुरोध करने पर ग्रामसभा की बैठक बुलायी जा सकेगी।

राजस्थान पचायत अधिनियम, 1953 की धारा 23 (क) में ग्रामसभा का उल्लेख वयस्क नागरिको की सभा के रूप में किया गया है जो कि ग्रामसभा के नाम से ही अभिहीत की जाती रही है। 73वें सविधान प्रदत्त पचायती राज तन्त्र मे ग्रामसभा को सवैधानिक दर्जा प्रदान करते हुए इसका गठन किया गया है। अत ग्रामसभा के पूर्ववर्ती एव नवीन प्रारूप में सागठनिक दृष्टिकोण से निम्न समानताएँ एव असमानताएँ मुख्य रूप से दृष्टिगोचर होती हैं—

सारणी-5 1

ग्रामसभा का सगठन

[समानताएँ]

क्र	पुरातन प्रारूप	क्र	नवीन प्रारूप
1	वरिष्ठ नागरिको की सभा ग्रामसभा कहलायेगी।	1	वरिष्ठ नागरिको की सभा ग्रामसभा कहलायेगी।
2	ग्रामसभा की बैठको की अध्यक्षता सरपच या उपसरपंच करेंगे।	2	ग्रामसभा की बैठको की अध्यक्षता सरपच या उपसरपच करेंगे।
3	ग्रामसभा की कार्यवाही पचायत सचिव लिखेगा।	3	ग्रामसभा की कार्यवाही पचायत सचिव लिखेगा।
4	ग्रामसभा ग्राम पचायत मुख्यालय पर ही होगी।	4	ग्रामसभा ग्राम पचायत मुख्यालय पर ही होगी।
5	वरिष्ठ नागरिको के अनुरोध पर ग्राम-सभा की बैठक बुलायी जा सकती है।	5	वरिष्ठ नागरिको के अनुरोध पर ग्राम-सभा की बैठक बुलायी जा सकती है।

ग्राम सभा का संगठन

[असमानताएँ]

साँगठनिक दृष्टिकोण से ग्रामसभा के पूर्ववर्ती एव नवीन प्रारूपो में व्यापक असमानताएँ हैं जैसे पुरातन प्रारूप मे ग्रामसभा को वैधानिक मान्यता का अभाव था, ग्रामसभा की बैठको की अनिवार्यता का प्रावधान नहीं था।

ग्रामसभा की बैठक वर्ष में दो बार माह मई एवं अक्टूबर में करने का प्रावधान था, अनुसूचित क्षेत्रो की पंचायत के प्रत्येक गाँवो में ग्रामसभा करने के प्रावधान का अभाव, ग्रामसभाओ में कोरम या गणपूर्ति की अनिवार्यता की बाध्यता का अभाव, बैठक में विकास अधिकारी या उसके प्रतिनिधि की उपस्थिति की अनिवार्यता का अभाव था।

इसके विपरीत नवीन प्रारूप मे ग्राम सभा वैधानिक मान्यता युक्त हो गई, ग्रामसभा की बैठको की अनिवार्यता सुनिश्चित कर दी गई, ग्रामसभा की बैठक मे गणपूर्ति हेतु कुल सदस्यों के दशाश की उपस्थिति की अनिवार्यता का प्रावधान किया गया।

अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम पचायतो के सभी ग्रामो में ग्रामसभाओ का प्रावधान किया गया, ग्रामसभा की बैठक मे विकास अधिकारी या उसके प्रतिनिधि की उपस्थिति अनिवार्य कर दी गई साथ ही सतर्कता समितियो के गठन का प्रावधान नवीन प्रारूपो मे किया गया था।

लेकिन राजस्थान पचायती राज सशोधन अधिनियम 6 जनवरी, 2000 के द्वारा सतर्कता समिति का प्रावधान समाप्त कर दिया गया। ग्रामसभा के दोनो प्रारूपों की असमानताओ को निम्न सारणी द्वारा स्पष्ट समझा जा सकता है—

सारणी-5.2

ग्रामसभा का संगठन

[असमानताएँ]

क्र.	पुरातन प्रारूप	क्र	नवीन प्रारूप
1	ग्रामसभा वैधानिक मान्यता का अभाव।	1.	ग्रामसभा सवैधानिक मान्यता का अभाव।
2	ग्रामसभा की बैठको की अनिवार्यता का प्रावधान नहीं।	2	ग्रामसभा की बैठको की अनिवार्यता।
3	ग्रामसभा की बैठक वर्ष मे दो बार करने का प्रावधान।	3	ग्रामसभा की बैठक वर्ष मे चार बार करने का प्रावधान।
4	ग्रामसभा की बैठक मे गणपूर्ति या कोरम की अनिवार्यता की बाध्यता का अभाव।	4	ग्रामसभा की बैठक मे कुल सदस्यो के दशाश की उपस्थिति की प्रथम बैठक मे अनिवार्यता।

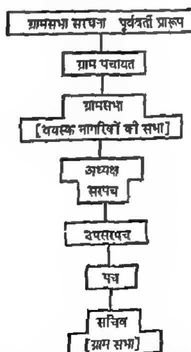
5	अनुसूचित क्षेत्रों के सभी ग्रामो मे ग्रामसभा के प्रावधान का अभाव।	5	अनुसूचित क्षेत्रों के सभी ग्रामों में ग्राम सभा का प्रावधान।
6	बैठक में विकास अधिकारी या उसके प्रतिनिधि की उपस्थिति की अनिवार्यता का अभाव।	6	बैठक में विकास अधिकारी या उसके प्रतिनिधि की अनिवार्य उपस्थिति।
7	सतर्कता समितियो के गठन का प्रावधान नहीं।	7	सतर्कता समितिया के गठन का प्रावधान

ग्रामसभा की सागठनिक सरचना की समानता एव असमानता को हम अग्रोल्लेखित चार्ट के माध्यम से सुस्पष्ट समझ सकते हैं—

राजस्थान मे ग्रामसभा का सगठनात्मक आरेख

(पूर्ववर्ती प्रारूप)

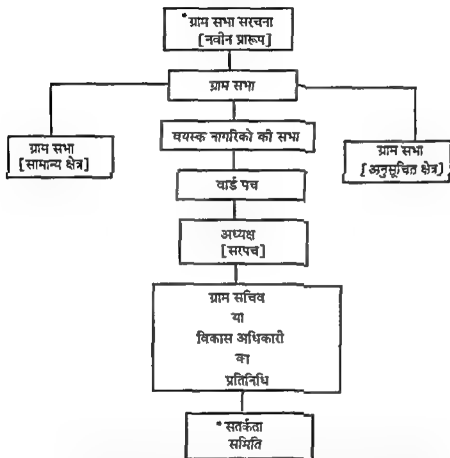
आरेख 5 1



पंचायती राज अधिनियम 1953 में सेक्शन 23A जोड़कर "वयस्क नागरिकों की सभा" का उल्लेख किया गया है जो कि ग्रामसभा के रूप मे जानी जाने लगी है।

राजस्थान में ग्रामसभा सरचना आरेख
(नवीनतम प्रारूपानुसार)

आरेख 5 2



राजस्थान में नवीन पचायती राज अधिनियम, 1994 के अनुसार ग्राम सभा का आरेख।

राजस्थान पचायती राज अधिनियम सशोधन 6 जनवरी, 2000 के अनुसार सतर्कता समिति व्यवस्था समाप्त कर दी गई है।

ग्रामसभा के कार्य

73वे सविधान सशोधन के पश्चात् ग्राम सभा के नवीन प्रारूप के अनुसार नवीन जिम्मेदारियाँ भी सौंपी गई हैं जो उसे पुरातन प्रारूप से विलग करती है। हालाकि दोनों प्रारूपो के कार्यों मे कुछ समानताएँ भी हैं जिन्हे अलग से स्पष्ट करने का यत्किचन प्रयास अग्रोल्लेखित है—

सारणी-5 3

ग्रामसभा के कार्य

[समानताएँ]

क्र	पुरातन प्रारूप	क्र	नवीन प्रारूप
1	पचायत का बजट प्रस्तुत करना।	1	पूर्ववर्ती वर्ष के लेखे का वार्षिक विवरण प्रस्तुत करना।
2	पचायत की ऑडिट रिपोर्ट और उसकी अनुपालना।	2	पिछली सपरीक्षा रिपोर्ट और उसके दिये गये उत्तर।
3	योजना की प्रगति और विकास की विभिन्न प्रवृत्तियो की रिपोर्ट।	3	वित्तीय वर्ष के लिए प्रस्तावित विकास और अन्य कार्यक्रम।
4	पचायत के काम-काज का ब्यौरा।	4	किसी भी क्रियाकलाप योजना आय और व्यय विशेष के बारे मे सरपच एव सदस्यो से स्पष्टीकरण चाहना।

उपर्युक्त सारणी से स्पष्ट है कि ग्राम के नवीन एव पुरातन प्रारूपो के कार्यों मे कुछ समानताएँ भी हैं जैसे ग्रामसभा मे पचायत का बजट प्रस्तुत करना, पचायत की ऑडिट रिपोर्ट और उसकी अनुपालन, योजना की प्रगति और विकास की विभिन्न प्रवृत्तियो की रिपोर्ट तथा पचायत के काम-काज का ब्यौरा करने सम्बन्धी कार्य।

सारणी-5 4

ग्रामसभा के कार्य

[असमानताएँ]

क्र	पुरातन प्रारूप	क्र	नवीन प्रारूप
1	पचायत की योजना प्रस्तुत करना।	1	पचायत क्षेत्र से सम्बन्धित विकास योजनाओ के क्रियान्वयन मे सहायता करना।
2	ग्रामसभा के निर्णयो की क्रियान्विती का लेखा-जोखा प्रस्तुत करना।	2	विकास योजनाओ के क्रियान्वयन के लिए हिताधिकारियो की पहचान करना।
3	ऋण और सहायता के रूप मे प्राप्त धन राशि के उपयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत करना।	3	सामुदायिक कल्याण कार्यक्रमो के लिए स्वैच्छिक श्रम और वस्तु रूप मे या नकद अथवा दोनो ही प्रकार के अभिदाय जुटाना।

4 सहकारी आन्दोलन सहकारिताओ से सम्बन्ध रखे वाले आम विषय तथा सहकारी समितियो द्वारा सुझाए गए मुद्दो का विवरण।	4 प्रौढ एव परिवार कल्याण कार्यक्रम को प्रोत्साहित करना।
5 ग्रामीणो के सामान्य हितो के मामले जैसे-ग्रामीण चरागाह, जलाशय, सार्वजनिक कुओ आदि।	5 समाज के सभी समुदायों में एकता और सौहार्द बनाना।
6 महत्त्वपूर्ण सूचनाओ एव निर्णयो की जानकारी देना।	6 ऐसे अन्यकृत्य जो विहित किये जाये।
7 वर्ष की प्रथम एव द्वितीय त्रिमाही में बैठको का प्रावधान नहीं।	7 वर्ष की प्रथम एव द्वितीय तिमाही में ग्रामसभा बैठको के अलग मुद्दे कार्यवाही हेतु तथा जो कि मूलत॰ वित्तीय क्रियाकलापो से जुड़े हैं।
8 ग्राम पाठशाला का सचालन।	8 वर्ष में लिये जाने वाले भौतिक व वित्तीय कार्यक्रम।

73व सविधान सशोधन पश्चात् ग्रामसभा को ज्यादा सशक्त एव जिम्मेदार बनाने का प्रयास किया गया है। अपने नवीन सवैधानिक प्रारूप में ग्रामसभा अब पुरातन ग्रामसभा के कार्यों की प्रकृति से ज्यादा प्रभावशाली बनाई गई है। राजस्थान सरकार ने भी ग्रामसभा को सशक्त व प्रभावशाली बनाने में अपनी सकारात्मक भूमिका अदा की है।

इसी वजह से ग्रामसभा के पुराने एव नवीन प्रारूप व्यापक अन्तर रखते हैं। अपने कार्यों के सन्दर्भ में पुरातन व्यवस्था में ग्रामसभा के कार्य, जैसे—पचायत की योजना प्रस्तुत करना, ग्रामसभा के निर्णयो की क्रियान्विती का लेखा-जोखा रखना, ऋण एव सहायता के रूप में प्राप्त धन-राशि के उपयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत करना, सरकारी आन्दोलन, सहकारिताओ से सम्बन्ध रखने वाले आम विषय तथा सहकारी समितियो द्वारा सुझाए गए मुद्दो का विवरण, ग्रामीणों के सामान्य हितो के मामले जैसे ग्रामीण चरागाह, जलाशय सार्वजनिक कुओ आदि देखना ग्राम पाठशाला का सचालन, महत्त्वपूर्ण सूचनाओ एव निर्णयो की जानकारी वर्ष की प्रथम एव द्वितीय तिमाही मे बैठको का प्रावधान नहीं है।

अपने नवीन प्रारूप ग्रामसभा के कार्य पुरातन ग्रामसभा कार्यों से व्यापक अन्तर रखते हैं। जैसे—पचायत क्षेत्र से सम्बन्धित विकास योजनाओ के क्रियान्वयन मे सहायता करना। विकास योजनाओ के लिए हिताधिकारियो की पहचान करना, सामुदायिक कल्याण कार्यक्रमो के लिए स्वैच्छिक श्रम और वस्तु रूप मे या नकद अथवा दोनो ही प्रकार के अभिदान जुटाना, प्रौढ शिक्षा एव परिवार कल्याण को प्रोत्साहित करना। समाज के सभी समुदायो मे एकता और सौहार्द बनाना ऐसे अन्य कृतज्ञ जो विहित किये जाये राज्य सरकार द्वारा आज ग्रामसभा मे वर्ष के प्रथम एव द्वितीय तिमाही में वित्तीय क्रियाकलापो से जुडे

ज्यादातर मुद्दे एवं सामान्य मुद्दे अलग से सरकार द्वारा तय किये गये हैं जो कि पुरातन प्रारूप में नहीं है। अब वर्ष में लिये जाने वाले भौतिक व वित्तीय कार्यक्रम भी ग्रामसभा कार्यों का हिस्सा है। ग्रामसभा के कार्य पुराने प्रारूप में केवल चाहिए की भावना पर आधारित थे जबकि नवीन व्यवस्था मे *अनिवार्यता प्रभावशीलता नियन्त्रण तथा उत्तरदायित्व* की प्रकृति युक्त कार्यों को बनाया गया है और यही कारण है कि 73वे सविधान सशोधन पश्चात् ग्रामसभाएँ ज्यादा सशक्त भूमिका निभाने की स्थिति में हैं।

ग्राम पचायत

73वे सवैधानिक सशोधनो के पश्चात् ग्राम पचायतो के सागठनिक स्वरूप में पूर्ववर्ती प्रारूप की अपेक्षा व्यापक परिवर्तन परिलक्षित होते हैं लेकिन साथ ही समानताओ को भी नहीं नकारा जा सकता है। सारणी एव चार्ट के माध्यम से दोनो प्रारूपो के मध्य समानता एव असमानता को स्पष्ट किया गया है

सारणी 5.5

ग्राम पचायत का सगठन

[समानताएँ]

क्र	पुरातन प्रारूप	क्र	नवीन प्रारूप
1	सरपच प्रत्यक्ष मतदान द्वारा निर्वाचित।	1	सरपच प्रत्यक्ष मतदान द्वारा निर्वाचित।
2	ग्राम पचायत सदस्य सीधे मतदान द्वारा निर्वाचित।	2	ग्राम पचायत सदस्य सीधे मतदान द्वारा निर्वाचित।
3	उप-सरपच का निर्वाचन निर्वाचित पचो द्वारा अपने में से बहुमत द्वारा।	3	उप सरपच का निर्वाचन निर्वाचित पचो द्वारा अपने में से बहुमत द्वारा।
4	सरपच को पचो द्वारा बहुमत से अविश्वास करने पर हटाने की व्यवस्था।	4	सरपच को पचो द्वारा बहुमत से अविश्वास करने पर हटाने की व्यवस्था।
5	जनसख्या 2 हजार से 5 हजार तक अथवा क्षेत्रफल पर आधारित गठन।	5	जनसख्या 2 हजार से 5 हजार तक अथवा क्षेत्रफल पर आधारित गठन।

मामूली परिवर्तन के साथ दोनो प्रारूपो में कुछ समानताएँ भी हैं जैसे सरपच का निर्वाचन प्रत्यक्ष मतदान द्वारा होगा ग्राम पचायत सदस्य सीधे मतदान द्वारा निर्वाचित होंगे उपसरपच का निर्वाचन पचो मे से बहुमत द्वारा होगा। उपर्युक्त कुछ समानताओ के अलावा नये प्रावधानो के तहत दोनो प्रारूपो मे काफी असमानताएँ हैं। ग्राम पचायतो का गठन (निर्माण आधार) 2 हजार से 5 हजार तक की जनसख्या अथवा क्षेत्रफल पर आधारित किया गया है।

सारणी-5 6
ग्राम पंचायत का संगठन
[असमानताएँ]

क्र.	पुरातन प्रारूप	क्र	नवीन प्रारूप
1	अधिनियम द्वारा पारित प्रारूप।	1	सवैधानिक प्रावधानो द्वारा प्रदत्त सवैधानिक प्रारूप।
2	पचायत वार्डों का आरक्षण नहीं।	2	पचायत वार्डों को आरक्षण का प्रावधान।
3	पचायत चुनाव अवधि व कार्यकाल अनिश्चित।	3	पचायत चुनाव अवधि व कार्यकाल सुनिश्चित 5 वर्ष।
4	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति हेतु सहवरण की व्यवस्था।	4	अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति हेतु वार्ड आरक्षण व्यवस्था।
5	महिला सदस्य का प्रत्यक्ष चयन नहीं होने पर सहवरण की व्यवस्था।	5	महिलाओं हेतु वार्डों का आरक्षण।
6	सरपच पद का आरक्षण नहीं।	6	सरपच पद को आरक्षण की व्यवस्था।
7	आरक्षण व्यवस्था की लॉटरी द्वारा चक्रानुक्रमानुसार व्यवस्था प्रावधान नहीं। (पदो व वार्डों में)	7	पदों एव वार्डों का लॉटरी द्वारा चक्रानु-क्रमानुसार आरक्षण का प्रावधान।
8	ग्राम पचायत स्थित सहकारी समितियों के अध्यक्ष सह-सदस्य के रूप में ग्राम पचायत सदस्य बनाने का प्रावधान।	8	ग्राम पचायत में सह-सदस्यों के पचायत सदस्य बनाने का प्रावधान समाप्त।
9	सरपच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की अवधि 1 वर्ष तक नहीं लाने का प्रावधान।	9	सरपच के खिलाफ 2 वर्ष पूर्व अविश्वास प्रस्ताव न लाने का प्रावधान।
10	अविश्वास प्रस्ताव द्वारा सरपच के हटाये जाने पर बहुमत द्वारा नया सरपच बनाये जाने का प्रावधान।	10	अविश्वास प्रस्ताव द्वारा जिस वर्ग का सरपच हटाये जाने पर उसी वर्ग का सरपच पचो मे से बनाये जाने का प्रावधान।
11	न्याय उपसमिति के गठन का प्रावधान था।	11	न्याय उपसमिति के गठन का प्रावधान समाप्त कर दिया गया।
12	कार्यों में सहायता हेतु समिति व्यवस्था का प्रावधान है।	12	कार्यों में सहायता हेतु समिति व्यवस्था का प्रावधान नहीं।

उपर्युक्त सारणी से दोनों प्रारूपो के मध्य व्यापक अन्तर स्पष्ट परिलक्षित होता है जैसे पूर्ववर्ती प्रारूप में ग्राम पचायत का गठन राज्य सरकार द्वारा साधारण अधिनियम द्वारा निर्धारित किया जाता था ग्राम पचायतों में वार्डों का आरक्षण नहीं था।

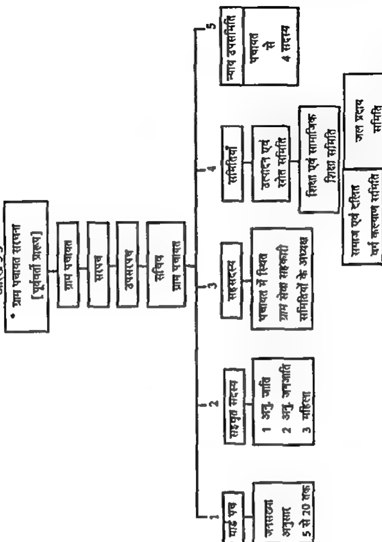
पचायतों के चुनाव व कार्यकाल अवधि अनिश्चित थी अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजातियो के सहवरण का प्रावधान था तथा महिला पच का आरक्षण नहीं था। पदो एव वार्डों की लॉटरी द्वारा चक्रानुक्रमानुसार आरक्षण व्यवस्था का प्रावधान नहीं था ग्राम पचायत में स्थित सहकारी समितियों के अध्यक्ष सह सदस्य के रूप में मनोनीत किये जाते थे।

सरपच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव एक वर्ष पूर्व न लाना निश्चित था। अविश्वास प्रस्ताव द्वारा सरपच के हटाये जाने पर बहुमत द्वारा नया सरपच बनाये जाने का प्रावधान था। पचायत स्तर पर लोगों को न्याय हेतु न्याय उपसमिति का प्रावधान था। सरपच को कार्यों में सलाह एवं सहायता हेतु पूर्ववर्ती व्यवस्था में समिति व्यवस्था का प्रावधान था जबकि नवीन प्रारूप में यह व्यवस्था समाप्त कर दी गई है।

जबकि नई व्यवस्था के तहत ग्राम पचायतो की स्थापना या गठन सवैधानिक तौर पर समग्र राष्ट्र में समान रूप से की गई है। पचायतों में वार्डों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। साथ ही सरपंच पद के आरक्षण की चक्रक्रमानुसार व्यवस्था की गई है।

ग्राम पचायतो मे पूर्ववर्ती व्यवस्था के तहत सहसदस्यो के मनोनयन का प्रावधान समाप्त कर दिया गया है। सरपच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव 2 वर्ष पूर्व न लाने का प्रावधान किया गया है तथा साथ ही यह भी प्रावधान किया गया है कि जिस वर्ग का सरपच हटाया जाये उसी वर्ग का सरपच पचो में से बनाया जायेगा। इसके अतिरिक्त न्याय उपसमिति का प्रावधान समाप्त कर दिया गया है।

यदि उक्त अन्तर को हम नूतन व पुरातन प्रारूपो के चार्ट मे देखे तो स्वत व्यापक अन्तर दृष्टिगोचर होता है जो अग्रनिर्मित है—



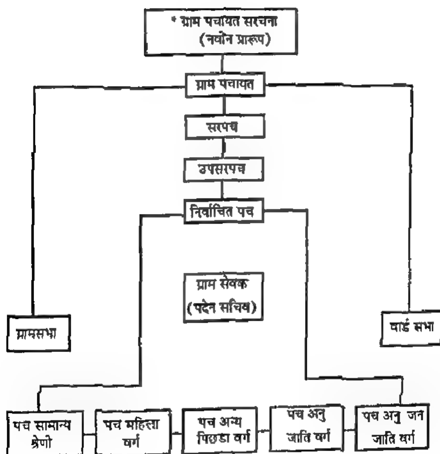
राजस्थान में ग्राम पंचायत का संगठनात्मक आरेख
[पूर्ववर्ती प्रारूप]
आरेख 5 3

* राजस्थान पंचायत अधिनियम, 1953 एवं 1959 की पंचायतीराज संरचना के अनुसार पंचायत की संरचना।

राजस्थान मे ग्राम पचायत का सगठनात्मक आरेख

[नवीन प्रारूप]

आरेख-5 4



राजस्थान मे नवीन पचायतीराज अधिनियम 1994 के अनुसार
ग्राम पचायत का आरेख।

ग्राम पंचायत के कार्य

ग्राम पंचायत के कार्यों की एक फहरिस्त पंचायतों के जिम्मे की गई है जिसमें पूर्ववर्ती एवं वर्तमान कार्यों में कोई गहरा अन्तर स्पष्ट नहीं होता है। यह अवश्य है कि कुछ ज्यादा अधिकारों के साथ नवीन प्रारूप में पंचायतों को ज्यादा प्रभावी तरीके से जिम्मेदारियाँ दी गई हैं लेकिन यथार्थ शायद इससे थोड़ा परे है। 1994 से पूर्ववर्ती ग्राम पंचायतों के कार्यों एवं 73वें संविधान प्रदत्त ग्राम पंचायतों के कार्यों में समानता एवं असमानता निम्न सारणी द्वारा स्पष्ट रेखांकित करने का प्रयास अग्रांकित है—

समानताएँ—

पंचायती राज अधिनियम की अनुसूची तृतीय में पूर्ववर्ती प्रारूप तथा नवीन पंचायती राज अधिनियम की अनुसूची प्रथम (धारा 52) में पंचायत के कृत्यों को निम्नानुसार स्पष्ट किया गया है जिसमें दोनों के असमान कृत्यों को अलग से सारणी द्वारा स्पष्ट किया गया है जबकि दोनों प्रारूपों में कार्य लगभग समान है। पूर्ववर्ती प्रारूप के कार्यों को नवीन व्यवस्था में अलग से शीर्षक मात्र अवश्य दे दिया गया है, जो अग्रोलिखित है—

सारणी-5.7

ग्राम पंचायत के कार्य

[समानताएँ]

क्र. पुरातन प्रारूप	क्र. नवीन प्रारूप पुरातन प्रारूप
1. स्वच्छता एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में :	1. साधारण कृत्य:
1. गृहकार्य अथवा मवेशी के लिए जल प्रदान करने की व्यवस्था।	1. पंचायत क्षेत्र के विकास के लिए वार्षिक योजनाएँ तैयार करना।
2. सार्वजनिक कार्यों, नालियों, बाँधों, तालाबों तथा कुओं (सिंचाई के उपयोग में आने वाले कुओं तथा तालाबों के अलावा) तथा अन्य सार्वजनिक स्थानों की सफाई अथवा निर्माण आदि।	2. वार्षिक बजट तैयार करना। 3. प्राकृतिक आपदाओं में सहायता जुटाना। 4. लोक सम्पत्तियों पर अतिक्रमण हटाना। 5. सामुदायिक कार्यों के लिए स्वैच्छिक श्रम और अभिदान का संगठन।
3. स्वच्छता, मलवहन, कष्ट आदि कारणों की रोकथाम, उनको हटाना और मृत पशुओं की लाशों का निपटारा करना।	6. गाँव (गाँवों) की आवश्यक सांख्यिकी रखना। 2. प्रशासन के क्षेत्र में :
4. स्वास्थ्य का संरक्षण तथा सुधार करना।	1. परिसरों का संख्यांकन।
5. चाय, काफी तथा दूध की दुकानों का लाइसेंस द्वारा अथवा अन्य प्रकार से नियमन।	2. जनगणना करना। 3. पंचायत सर्किल में कृषि उपज के उत्पादन को बढ़ाने के लिए कार्यक्रम बनाना।

6 शमशान तथा कब्रिस्तान की व्यवस्था, सधारण तथा नियमन।

7 खेल के मैदानो तथा सार्वजनिक बागो का अभिन्यास तथा सधारण।

8 किसी सक्रामक रोग के आरम्भ होने फैलने या पुनराक्रमण के विरोध के लिए उपाय करना।

9 सार्वजनिक शौचालयो का निर्माण तथा उनका सधारण और निजी शौचालयो का नियमन करना।

10 स्वास्थ्य की दृष्टि से कमजोर बस्तियो का सुधार कराना।

11 कूडा-करकट के ढेरो, गन्दे नालाबो, पोखरो, खाइयो, गड्ढो व खोखली जगहो को भरना, सिंचित क्षेत्र मे पानी को इकट्ठा होने से रोकना तथा स्वच्छता सम्बन्धी अन्य सुधार कराना।

12 प्रसूति एव शिशु कल्याण।

13 चिकित्सा सुविधाएँ उपलब्ध करना।

14 मनुष्यो तथा पशुओ के टीका लगाने के लिए प्रोत्साहन।

15 नये भवनो के निर्माण तथा वर्तमान भवनो के विस्तार अथवा परिवर्तन का नियमन।

2. सार्वजनिक निर्माण कार्यों के क्षेत्र में :

1 जल मार्गों में अथवा ऐसे स्थानो और स्थलो मे जो किसी की निजी सम्पति न हो, और जो जनता के लिए खुले हुए हों, आने वाले अवरोध तथा उन पर झुके हुए हिस्सो को हटाना चाहे ऐसे स्थान पचायत मे निहित हो अथवा सरकार के हो।

4 ग्रामीण विकास स्कीमो के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक पदार्थों और वित्त की अपेक्षा दर्शित करने वाला विवरण तैयार करना।

5 ऐसी प्रणाली के रूप मे कार्य करना जिसके माध्यम से केन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा किसी भी प्रयोजन के लिए दी गई सहायता पचायत सर्किल में पहुँचे।

6 सर्वेक्षण करना।

7 पशु स्टेण्डो, खलिहानो, चरागाहो और सामुदायिक भूमियो पर नियन्त्रण।

3. कृषि विस्तार सहित कृषि

1 कृषि और बागवानी की प्रोन्नति और विकास।

2 बजर भूमियो का विकास।

3 चरागाहो का विकास और रख-रखाव और उनके अप्राधिकृत अन्य सक्रमण और उपयोग को रोकना।

4. पशुपालन, डेरी और कुक्कुट पालन

1 चरागाह विकास।

5. सामाजिक और फार्म वानिकी, लघु वन उपज, ईंधन और चारा

1 गाँव और जिला सड़कों के पार्श्वों पर और उसके नियन्त्रण के अधीन की अन्य लोक भूमियो पर वृक्षो पर रोपण और परिरक्षण।

2 ईंधन रोपण और चारा विकास।

3 फार्म वानिकी की प्रोन्नति।

4 सामाजिक वानिकी और कृषिक पौधशालाओ का विकास।

2 सार्वजनिक मार्गों, नालियो, बाँधो तथा पुलो का निर्माण एवं सधारण तथा मरम्मत किन्तु शर्त यह है कि ऐसे मार्गों, नालियो, बाँधो और पुलो के कार्य अन्य सार्वजनिक अधिकारी की स्वीकृति के बिना हाथ में नहीं लिये जायेंगे।

3 पचायतो मे निहित या उनके नियन्त्र-णाधीन सार्वजनिक भवनो, चरागाहो, वन भूमियो, जिनमे राजस्थान वन अधिनियम 1953 (राजस्थान अधिनियम 13 सन् 1953) की धारा 28 के अन्तर्गत सौंपी गई वन भूमियाँ सम्मिलित हैं, तालाबो तथा कुओ (सिचाई के उपयोग मे आने वाले तालाब तथा कुओ के अलावा) का सधारण तथा उनके प्रयोग का नियमन।

4 पचायत क्षेत्रो में रोशनी की व्यवस्था।

5 पचायत क्षेत्रो में मेलो, बाजारो, क्रय-विक्रय स्थानो, हाटो, ताँगा स्टेण्डो तथा गाडियो के ठहरने के स्थानो का नियमन एवं नियन्त्रण (जिनका प्रबन्ध राज्य सरकार अथवा पचायत समिति द्वारा नहीं किया जाता है।)

6 शराब की दुकानो तथा बूचड-खानो का नियमन तथा नियन्त्रण।

7. सार्वजनिक मार्गों तथा क्रय-विक्रय स्थानो, एव अन्य सार्वजनिक स्थानो में पेड लगवाना तथा उनका सधारण और परीक्षण।

8 आवारा और स्वामी विहीन कुत्तो को समाप्त करना।

9 धर्मशालाओं का निर्माण एव सधारण।

10 स्नान करने या कपडे धोने के ऐसे घाटो का प्रबन्ध एव नियन्त्रण जिनका प्रबन्ध राज्य सरकार अथवा किसी अन्य अधिकारी द्वारा नहीं किया जाता है।

6. खादी, ग्राम और कुटीर उद्योग :

1 ग्रामीण और कुटीर उद्योगो को प्रोन्नत करना।

7 ग्रामीण आवास :

1 अपनी अधिकारिता के भीतर मुक्त आवास स्थलो का आवटन।

2 आवासो, स्थलो और अन्य प्राइवेट तथा लोक-सम्पत्तियों से सम्बन्धित अभिलेख रखना।

8. पेय जल •

1 पेयजल कुओ, जलाशयो और तालाबो का सनिर्माण, मरम्मत और रख-रखाव।

2 जल प्रदूषण का निवारण और नियन्त्रण।

3 हैण्ड पम्पो का रख-रखाव और पम्प और जलाशय स्कीमें।

9 सड़के, भवन, पुलियाएँ, पुल नौघाट, जलमार्ग और अन्य सचार साधन :

1 ग्राम सडको, नालियों और पुलियाओ का सनिर्माण और रख-रखाव।

2. अपने नियन्त्रण के अधीन के या सरकार या किसी भी लोक प्राधिकरण द्वारा उसके अनतरित भवनों का रख-रखाव

3. नावो, नौघाटो और जल मार्गों का रख-रखाव।

10. ग्रामीण विद्युतीकरण, जिसमें लोक मार्गों और अन्य स्थानो पर प्रकाश व्यवस्था करना और उसका रख-रखाव सम्मिलित है।

11. गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत :

1. गैर-परम्परागत ऊर्जा योजनाओ की प्रोन्नति और रख-रखाव,

2 सामुदायिक गैर-परम्परागत ऊर्जा युक्तियो का, जिसमे गोबर गैंस सयंत्र सम्मिलित है, रख-रखाव,

11 पंचायत के मलवाहन सम्बन्धी कर्मचारियों के लिए मकानों का निर्माण एवं संधारण।	3 विकसित चूल्हों और अन्य दक्ष ऊर्जा युक्तियों का प्रचार। 12 गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम
12 शिविर मैदानों की व्यवस्था एवं उनका संधारण।	1 अधिकाधिक नियोजन और उत्पादक आस्तियों आदि के सृजन के लिए गरीबी उन्मूलन सम्बन्धी जन-चेतना को और उसमें भागीदारी को प्रोन्नत करना
13 कांजी हाऊसों (Cattle compound) की स्थापना, नियन्त्रण एवं प्रबन्ध।	13 शिक्षा (प्राथमिक)
14 अकाल अथवा अभाव के समय निर्माण कार्यों का आरम्भ, उनका संधारण तथा रोजगार की व्यवस्था।	1 समग्र साक्षरता कार्यक्रम के लिए लोक चेतना प्रोन्नत करना और ग्राम शिक्षा समितियों में भाग लेना,
15 ऐसे सिद्धान्तों के अनुसार जो कि निर्धारित किये जावें, आबादी स्थलों का विस्तार तथा भवनों का नियमन।	2 प्राथमिक विद्यालयों और उनके प्रबन्ध में लड़कों का और विशेष रूप से लड़कियों का पूर्ण नामांकन और उपस्थिति सुनिश्चित करना।
16 गोदामों की स्थापना और उनका संधारण।	14 प्रौढ़ और अनौपचारिक शिक्षा
17 पशुओं के लिए पानी की व्यवस्था हेतु पोखरों की खुदाई एवं संधारण।	प्रौढ़ साक्षरता कार्यक्रम को प्रोन्नत करना और उसका अनुवीक्षण।
3. शिक्षा एवं संस्कृति के क्षेत्र में	15 पुस्तकालय
1 शिक्षा का प्रसार।	ग्राम पुस्तकालय और वाचनालय।
2 अखाड़ों, क्लबों तथा मनोरंजन एवं खेलकूद के अन्य स्थानों की स्थापना एवं उनका संधारण।	16 सांस्कृतिक क्रियाकलाप : सामाजिक और सांस्कृतिक क्रियान्वयन को प्रोन्नत करना।
3 कला एवं संस्कृति की उन्नति के लिए थियेटरों की स्थापना एवं उनका संधारण।	17. बाजार और मेले : मेलों (पशु मेलों सहित) और उत्सवों का आयोजन।
4 पुस्तकालयों एवं वाचनालयों की स्थापना एवं उनका संधारण।	18 ग्रामीण स्वच्छता 1 सामान्य स्वच्छता रखना
5 सार्वजनिक रेडियो सेट्स एवं ग्रामफोनों का लगाना।	2 लोक सड़कों, नालियों, जलाशयों कुओं और अन्य लोक स्थानों की सफाई,

6 पचायत क्षेत्र मे सामाजिक एव नैतिक उत्थान करना, जिसमे स्थिति मे सुधार, भ्रष्टाचार का उन्मूलन तथा जुआ एव निरर्थक मुकदमेबाजी को निरुत्साहित करना सम्मिलित है।

4. आत्मरक्षा एव पचायत क्षेत्र की सुरक्षा :

1 पचायत क्षेत्र और उसके अन्तर्गत फसलो की चौकीदारी का प्रबन्ध, किन्तु शर्त यह है कि चौकीदारी का व्यय, पचायत द्वारा पचायत क्षेत्र में ऐसे व्यक्तियों से और ऐसे ढग से लिया एव वसूल किया जायेगा जैसा कि निर्धारित किया गया है।

2 कष्ट कारक (Offensive) एव खतरनाक व्यापारो अथवा व्यवहारों का नियम एव सन्यति।

3 आगजनी होने पर आग बुझाने मे सहायता करना तथा उसके जीवन एवं सम्पत्ति की सुरक्षा करना।

5. प्रशासन के क्षेत्र मे :

1 भू-गृहादि पर अक लगाना।

2. जनगणना करना।

3 पचायत क्षेत्र के कृषि एवं कृषि भिन्न उत्पादन की वृद्धि के लिए कार्यक्रम बनाना।

4 ग्रामीण विकास योजनाओ को क्रियान्वित करने के लिए उपयोग में आने वाली रसद एवं वित्तीय आवश्यकताओ का विवरण तैयार करना।

3 शमशान और कब्रिस्तान भूमियो का रख-रखाव और विनियमन,

4 ग्रामीण शौचालयो, सुविधा पार्कों और स्नान स्थलो और सोकपिटों इत्यादि का सन्निर्माण और रख-रखाव,

5 अदावकृत शवों और जीव-जन्तु शवो का निपटारा,

6 धोने और स्नान के घाटो का प्रबन्ध और नियन्त्रण।

19 लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण:

1 परिवार कल्याण कार्यक्रमों का क्रियान्वयन,

2 महामारी की रोक और उपचार के उपाचय,

3 मास, मछली और अन्य विनश्वर खाद्य पदार्थों के विक्रय का विनियमन,

4 मानव और पशु टीकाकरण के कार्यक्रम में भाग लेना,

5 खाने और मनोरजन के स्थापनो का अनुज्ञापन,

6 आवारा कुत्तों का नाशन,

7 खालो और चमड़ो के ससंस्करण, चर्मशोधन और रगाई का विनियमन,

8 आपराधिक और हानिकारक व्यापारों का विनियमन।

20. महिला और बाल विकास ।

1 महिला और बाल कल्याण कार्यक्रमो के क्रियान्वयन में भाग लेना,

2 विद्यालय स्वास्थ्य और पोषाहार कार्यक्रमों को प्रोन्नत करना।

21. विकलांगो और मंदबुद्धि वालों के कल्याण सहित समाज कल्याण :

5 एक ऐसे माध्यम में कार्य को करना जिससे केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार द्वारा किसी प्रयोजन के लिए दी गई सहायता पचायत क्षेत्र में पहुँच जाये।

6 सर्वेक्षण करना।

7 पशुओ के खडे रहने के स्थानो, खलियानो, चरागाहों तथा सामुदायिक भूमियो का नियन्त्रण।

8 मेलो, तीर्थयात्राओ तथा त्यौहारो (जिनका प्रबन्ध राज्य सरकार आज्ञा पचायत समिति द्वारा नहीं किया जाता हो) स्थापना, सधारण तथा नियमन।

9 बेरोजगारी से सम्बन्धित आँकडे तैयार करना।

10 जिन शिकायतो का पचायत निरीक्षण नहीं कर सके, उनके बारे में समुपयुक्त प्राधिकारी को रिपोर्ट करना।

11 पचायत अभिलेखो को तैयार करना, उनका सधारण एव देखभाल।

12 जन्मो तथा विवाहों का ऐसी रीतियो से तथा ऐसे प्रपत्र में, जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त सामान्यतया विशेष आज्ञा द्वारा निर्धारित किये जाएँ, पजियन (रजिस्ट्रेशन) करना।

13 पचायत क्षेत्र में स्थित गाँवो के विकास के लिए योजनाएँ तैयार करना।

6. जनकल्याण के क्षेत्र मे

1 भूमि सुधार योजनाओ को कार्यान्वित करने में सहायता करना।

2 अपगो, निराश्रितो तथा रोगियो को राहत दिलाना।

3 दैवी-प्रकाप के समय क्षेत्र के निवासियो को सहायता करना।

1 विकलागो, मदबुद्धि वालो और निराश्रितो के कल्याण सहित समाज कल्याण कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में भाग लेना।

22 कमजोर वर्गों और विशेषतया अनुसूचित जातियो और अनुसूचित जनजातियों का कल्याण

1 अनुसूचित जातियो, अनुसूचित जनजातियों, पिछडे वर्गों और अन्य कमजोर वर्गों के सम्बन्ध मे जन-जागृति को प्रोन्नत करना।

23 लोक विकास व्यवस्था ·

1 आवश्यक वस्तुओ के वितरण के सम्बन्ध में जन-जागृति को प्रोन्नत करना

2 लोक वितरण व्यवस्था का अनुवीक्षण।

24 सामुदायिक आस्तियो का रख-रखाव

1 सामुदायिक आस्तियों का रख-रखाव,

2 अन्य सामुदायिक आस्तियो का परिरक्षण और रख-रखाव।

25 धर्मशालाओ और ऐसी ही सस्थाओ का सन्निर्माण और रख-रखाव।

26 पशुशेडों, पोखरो और गाड़ी स्टेण्डो का सन्निर्माण और रख रखाव।

27 बूचड़खानों का सन्निर्माण और रख-रखाव।

28 लोक उद्यानो, खेल के मैदानो इत्यादि का रख-रखाव।

29 लोक स्थानो के खाद के गड्ढो का विनियमन।

4 पचायत क्षेत्र में भूमि तथा ससाधनो के सहकारी प्रबन्ध की व्यवस्था करना और सामूहिक खेती, ऋणदात्री समितियो तथा बहुउद्देशीय सहकारी समितियो का सगठन।

5 राज्य सरकार की पूर्व अनुमति से बजर भूमि को कृषि योग्य बनाना और ऐसी भूमि पर खेती करवाना।

6 सामुदायिक कार्यों तथा पचायत क्षेत्र के उन्नति कार्यों के लिए स्वैच्छिक श्रम को आयोजित करना।

7 सस्ते भाव की दुकान खोलना।

8 परिवार नियोजन का प्रचार करना।

7 कृषि तथा परीक्षण के क्षेत्र मे

1 कृषि उन्नति तथा आदर्श कृषि फार्मों की स्थापना।

2 धान्यागारो (Grainaries) की स्थापना।

3 राज्य सरकार द्वारा पचायत मे निहित बजर तथा पडत भूमियो पर खेती करवाना।

4 कृषि उपज बढाने की दृष्टि से पचायत क्षेत्र में कृषि के न्यूनतम निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करना।

5 खाद के सधारणो का सरक्षण करना, मिश्रित खाद (compost) तैयार करना और खाद की बिक्री करना।

6 उन्नत बीजो के लिए पौधघर (नर्सरीज) स्थापित करना तथा उनका सधारण करना और औजारो तथा सामान्य (स्टोर्स) के लिये व्यवस्था करना।

7 उन्नत बीजो का उत्पादन तथा प्रयोग।

8 सहकारी कृषि को प्रोत्साहन।

9 फसल-परीक्षण तथा फसल रक्षा।

30 शराब की दुकानो का विनियमन।

10 छोटे सिंचाई कार्य जिसमें पचास एकड़ से अधिक भूमि में सिंचाई नहीं होती हो और जो पंचायत समिति के कर्तव्य क्षेत्र के अन्तर्गत नहीं आते हो।	
11 ग्राम वनो का वर्धन परीक्षण तथा सुधार।	
12 डेयरी फार्मिंग को प्रोत्साहन।	
8 पशु अभिजनन तथा पशु रक्षा के क्षेत्र में	
1 पशु सुधार तथा पशु नस्ल सुधार और पशु-धन की सामान्य देखभाल जिसके तहत जानवरो की चिकित्सा तथा उनमे रोग फैलने की रोकथाम सम्मिलित है।	
2 नस्ली साड रखना और उनका पालन करना।	
9 ग्राम उद्योग के क्षेत्र में	
1 कुटीर तथा ग्राम उद्योगो का विकास उनमें सुधार तथा प्रोत्साहन।	
10 विविध कार्य	
1 विद्यालयो के भवनो तथा उनसे अनुबन्धित समस्त भवनो का निर्माण तथा उनकी मरम्मत करना।	
2 प्राथमिक विद्यालयो के अध्यापको के लिए आवासो का निर्माण कराना।	
3 भारत सरकार के डाक-विभाग के लिए और उसकी ओर से उस विभाग के साथ तय हुई शर्तों पर डाक सेवा हाथ मे लेना तथा निष्पादित करना।	
4 जीवन बीमा तथा सामान्य बीमा कारोबार प्राप्त करना।	
5 अभिकर्त्ता के रूप मे या अल्पबचत प्रमाण-पत्रो की बिक्री।	
उपर्युक्त सारणी मे प्रदर्शित दोनो प्रारूपो के कृत्य समान है।	

असमानताएँ

पचायती राज व्यवस्था के 73वे सविधान सशोधन पूर्व एव 73वें सविधान सशोधन प्रदत्त प्रारूप में असमानताएँ अग्राकित हैं—

सारणी-5 8

ग्राम पंचायत के कार्य

[असमानताएँ]

क्र	पुरातन प्रारूप	क्र.	नवीन प्रारूप
1	पूर्ववर्ती प्रारूप मे जहाँ कार्य 10 शीर्षको में विभक्त थे।	1	नवीन प्रारूप मे कार्यों को 32 शीर्षकों में विभक्त कर दिया गया है।
2	सार्वजनिक स्थानो पर रेडियो, टी वी एव सचार शिक्षा के अन्य साधनो को लगाना व उनका रख-रखाव।	2.	नवीन प्रारूप में यह कार्यसूची में शामिल नहीं है।
3	विविध कार्य : जैसे जीवन बीमा सामान्य बीमा करवाना। भारत सरकार की डाक सेवाओ में सहायता करना, एजेट के रूप मे या अन्यथा अल्पबचत प्रमाण-पत्रो की बिक्री।	3	साधारण कृत्य : पचायत क्षेत्र मे विकास के लिए वार्षिक योजनाएँ तैयार करना, वार्षिक बजट तैयार करना, गाँवो की आवश्यक साख्यिकी रखना।
4	पुरातन प्रारूप मे यह कार्य-सूची मे सम्मिलित नहीं है।	4	मत्स्य-पालन : गाँवो में मत्स्य-पालन का विकास।
5	—उपर्युक्त—	5	लघु सिचाई : 50 एकड तक सिचाई करने वाले जलाशयो का नियन्त्रण एव रख-रखाव।
6	—उपर्युक्त—	6	खादी, ग्राम और कुटीर उद्योग : ग्रामीण क्षेत्रो के फायदे के लिए चेतना शिविरो, सेमीनारो और प्रशिक्षण कार्यक्रमो, कृषि और औद्योगिक प्रदर्शनियो का आयोजन।
7	—उपर्युक्त—	7	पेयजल : जल-प्रदूषण का निवारण एव नियन्त्रण हैण्डपपो का रख-रखाव और पम्प और जलाशय योजनाएँ।
8	—उपर्युक्त—	8	ग्रामीण विद्युतीकरण : जिसमे लोकमार्गों और उसका रख-रखाव सम्मिलित है।
9	—उपर्युक्त—	9	गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत · गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोतो की उन्नति व रख-रखाव, गोबर, गैस, सौर-ऊर्जा, विकसित चूल्हे आदि।

10 —उपर्युक्त—	10 गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम ग्रामसभा के माध्यम से हिताधिकारियो की पहचान तथा उसको क्रियान्वयन एव अनवीक्षण (मोनीटरिंग)।
11 —उपर्युक्त—	11 शिक्षा (प्राथमिक) विद्यालयो मे तथा प्रबन्ध मे लडको तथा विशेषत लडकियो का नामाकन सुनिश्चित करना।
12 पुरातन प्रारूप मे यह कार्यसूची मे शामिल नहीं है।	12 प्रौढ सहायता कार्यक्रम को उन्नत करना और अनवीक्षण (मॉनीटरिंग)।
13 —उपर्युक्त—	13 महिला एव बाल विकास के तहत आँगनबाडी केन्द्रों का विकास करना।
14 —उपर्युक्त—	14 वृद्ध और विधवा पेंशन तथा सामाजिक बीमा योजनाओ में सहायता करना।
15 —उपर्युक्त—	15 लोक वितरण व्यवस्था का अनुवीक्षण (मॉनीटरिंग) करना।

उपर्युक्त सारणी से ज्ञातव्य है कि जहाँ पूर्ववर्ती प्रारूप के आरम्भिक तीन कार्यों की सूची बिल्कुल अलग है वहाँ कार्य न 4 से 15 तक सारणी मे नवीन प्रारूप के तहत जिन शीर्षकों के कार्यों का उल्लेख किया गया है वे पूर्ववर्ती प्रारूप की कार्यसूची में नहीं है।

इस प्रकार नवीन प्रारूप मे शीर्षकों के तहत कुछ नवीन कार्यों को जोड कर कुछ नवीन जिम्मेदारियाँ दी गई हैं जो उसे पुरातन प्रारूप से कुछ अलग प्रदर्शित करती है। उपर्युक्त सारणी में नवीन प्रारूप मे 16वें न पर राज्य सरकार द्वारा सौंपे जाने वाले कार्य पुरातन पचायती राज व्यवस्था में पचायतो को अनिवार्य एव ऐच्छिक कार्यसूची मे शामिल थे जिनकी प्रकृति अब बदल दी गई है।

पचायत समिति

संरचना एव गठन के दृष्टिकोण से 73वें पचायती राज अधिनियम के अनुसार 1994 में राजस्थान सरकार द्वारा स्वीकृत नवीन पचायत समिति प्रारूप मे पूर्ववर्ती प्रारूप की तुलना मे व्यापक बदलाव किया गया है। कार्यों की दृष्टि से हालाकि कम परिवर्तन परिलक्षित होता है। सागठनिक दृष्टि से पचायत समिति के नवीन एव पुरातन प्रारूपों मे अन्तर अग्रोल्लेखित है—

सारणी-5 9

पचायत समिति का गठन

[समानताएँ]

क्र	पुरातन प्रारूप	क्र	नवीन प्रारूप
1	प्रधान का अप्रत्यक्ष निर्वान बहुमत द्वारा।	1	प्रधान का अप्रत्यक्ष निर्वान बहुमत द्वारा।
2	उपप्रधान का निर्वाचन गुप्त मतदान द्वारा बहुमत से होता है। (सदस्यो मे से)	2	उपप्रधान का निर्वाचन गुप्त मतदान द्वारा सदस्यो में से बहुमत द्वारा।

3 पंचायत समिति के क्षेत्र में आने वाले विधानसभा क्षेत्र का विधायक पदेन सदस्य।	3 पंचायत समिति के क्षेत्र में आने वाले विधानसभा क्षेत्र का विधायक पदेन सदस्य।
4 कार्यों की सुविधा हेतु समिति व्यवस्था।	4 कार्यों की सुविधा हेतु समिति व्यवस्था।
5 प्रधान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का प्रावधान।	5 प्रधान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का प्रावधान।

राजस्थान में पंचायत समिति संरचना के सन्दर्भ में पूर्ववर्ती एव नवीन प्रारूपों में काफी लघु अन्तर है जैसाकि उपर्युक्त चार्ट एव सारणी से प्रतीत होता है कि प्रधान का निर्वाचन दोनों प्रारूपो में पंचायत समिति सदस्यो द्वारा गुप्त मतदान से एव बहुमत द्वारा किया जाता है। उपप्रधान का चुनाव भी गुप्त मतदान से पंचायत समिति सदस्यों द्वारा बहुमत से किया जाता है।

दोनो ही प्रारूपो में उस पंचायत समिति क्षेत्र मे आने वाले विधान सभा क्षेत्र का विधायक पदेन सदस्य होता है। प्रधान की सहायता एव पंचायत समिति में कार्यों की सुविधा के दृष्टिकोण से समिति व्यवस्था दो प्रारूपों में मौजूद हैं। इस प्रकार प्रधान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पूर्ववर्ती व्यवस्थाओ मे भी था और नवीन व्यवस्था में भी है। ये कुछ समानताएँ दोनो प्रारूपो में परिलक्षित होती है—

सारणी-5 10

पंचायत समिति का संगठन

[असमानताएँ]

क्र	पुरातन प्रारूप	क्र	नवीन प्रारूप
1	पंचायत समिति का गठन अधिनियम द्वारा पारित।	1	पंचायत समिति को संवैधानिक दर्जा।
2	पंचायत समिति प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रो में विभाजन का प्रावधान नहीं पंचायत क्षेत्रों में विभाजन।	2	पंचायत समिति प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रो मे विभाजित।
3	पंचायत समिति मे सरपंच, पंच, विधायक (पदेन सदस्य) सहवरित सदस्य, ग्रामसभा अध्यक्ष (ग्राम दानी) सहकारी समितियो के अध्यक्ष होते हैं। (अप्रत्यक्ष निर्वाचित व मनोनीत सदस्य)	3	पंचायत समिति मे प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्य होते हैं तथा विधानसभा सदस्य पदेन सदस्य होता है।
4	पंचायत समिति का अनिश्चित कार्यकाल।	4	पंचायत समिति का 5 वर्ष का निश्चित कार्यकाल।

5 पदेन सदस्य (विधायक) को प्रधान के निर्वाचन में मताधिकार।	5 पदेन सदस्य (विधायक) को प्रधान के निर्वाचन में मताधिकार नहीं।
6 सरपच पचायत समिति को मताधिकार सहित सदस्य।	6 सरपच केवल बैठकों मे आमन्त्रित मताधिकार व सदस्यता नहीं।
7 प्रधान के खिलाफ अविश्वास 2/3 बहुमत से 6 माह पहले नहीं लाया जा सकता है।	7 प्रधान के खिलाफ प्रस्ताव पदग्रहण करने के 2 वर्ष पूर्व नहीं लाया जा सकता।
8 अप्रत्यक्ष निर्वाचित या मनोनीत सदस्यो द्वारा प्रधान का बहुमत से निर्वाचन।	8 प्रत्यक्ष निर्वाचित पचायत समिति सदस्यो में से बहुमत द्वारा प्रधान का चुनाव।
9 निर्वाचन क्षेत्रो का आरक्षण नहीं सहवरण, सह-सदस्यता।	9 निर्वाचन क्षेत्रों का आरक्षण।
10 आरक्षित वर्गों का क्षेत्र एव कोटा आरक्षण तय नहीं।	10 आरक्षित वर्गों का क्षेत्र व कोटा एव आरक्षण तय।
11 प्रधान पद के आरक्षण का प्रावधान नहीं।	11 प्रधान पद के आरक्षण का प्रावधान।
12 आरक्षण का प्रावधान नहीं (पदेन, मनोनयन, सहवरण, सह-सदस्य)	12 आरक्षण का प्रावधान लॉटरी द्वारा चक्रक्रमानुसार (महिला, अ जाति, अ जनजाति व पिछड़ा वर्ग)।
13 चुनाव की समय सीमा निश्चित नहीं।	13 चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष या पंचायत समिति भग होने के 6 माह के अन्दर करवाना निश्चित व अनिवार्य।
14 उपप्रधान का चुनाव सहवृत, सह-सदस्य, सरपच, पच व ग्रामदानी ग्राम-सभाओं से निर्वाचित सदस्यो द्वारा।	14 उपप्रधान का चुनाव केवल निर्वाचित क्षेत्रो के प्रतिनिधियो मे से निर्वाचित प्रतिनिधियो द्वारा बहुमत से।
15 प्रधान जिला परिषद् का मताधिकार सहित सदस्य।	15 प्रधान जिला परिषद् की बैठकों मे आमन्त्रित मात्र सदस्यता व मताधिकार नहीं।
16 अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाये जाने पर उपप्रधान को प्रधान बनाने का प्रावधान नये प्रधान बनने तक।	16 अविश्वास द्वारा हटाये जाने पर जिस वर्ग का प्रधान का पद है उसी वर्ग का प्रधान पुन. बनाये जाने का प्रावधान।

पचायत समिति सहवरित सदस्य तभी लिये जायेंगे जबकि इसका कोई सदस्य चुनकर नहीं आया हो (पूर्ववर्ती प्रारूप में) उपर्युक्त सारणी से ज्ञात है कि 73वें पचायती राज सविधान सशोधन के पश्चात् राजस्थान सरकार द्वारा स्वीकृत 1994 के पंचायती राज अधिनियम द्वारा पूर्ववर्ती प्रारूप में व्यापक फेरबदल किये गये जो 73वें सविधान सशोधन के अनुरूप किये गये जैसे पूर्ववर्ती प्रारूप मे जहाँ 1959 के पचायत समिति एवं जिला परिषद् अधिनियम पर

आधारित था। प्रारूप भारत सरकार द्वारा सम्पूर्ण राष्ट्र मे समान रूप से लागू 73वें सविधान सशोधन के अनुरूप पचायत समिति मे निर्वाचन क्षेत्र का प्रावधान नहीं था जबकि नवीन पचायत समिति को कुछ निर्वाचन क्षेत्रो में विभक्त किया गया है। पहले पच, सरपच, सहवरित सदस्य, सहसदस्य, पदेन सदस्य, ग्रामदानी ग्रामसभाओ से निर्वाचित सदस्य पचायत समिति के सदस्य हुआ करते थे लेकिन अब पचायत समिति के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचित व्यक्ति ही पचायत समिति के सदस्य है। पूर्व में पचायत समिति का कार्यकाल अनिश्चित था जबकि नवीन व्यवस्था मे इसका कार्यकाल 5 वर्ष निश्चित कर दिया गया है। पहले विधानसभा सदस्य जो उस पचायत समिति क्षेत्र में आता था।

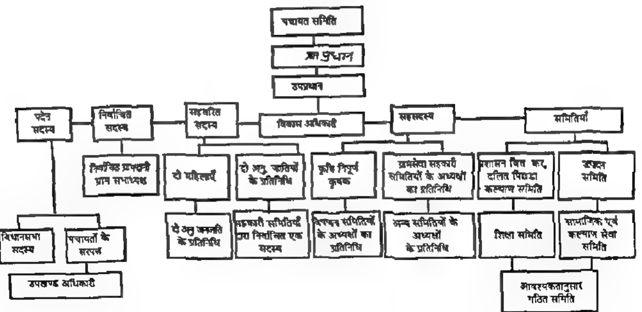
पचायत समिति का मताधिकार के साथ पदेन सदस्य था जबकि अब वह पदेन सदस्य तो है लेकिन मताधिकार के साथ नहीं। पूर्ववर्ती व्यवस्था मे सरपच पचायत समिति के मताधिकार के साथ सदस्य थे लेकिन नवीन व्यवस्था में वे केवल बैठको में आमन्त्रित सदस्य मात्र है। पहले प्रधान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव 2/3 बहुमत से 6 माह पूर्व नहीं लाया जा सकता था लेकिन नवीन नियमो में पद-ग्रहण करने के दो वर्ष से पूर्व अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। पूर्व व्यवस्था में जहाँ पचायत समिति सदस्यों यथा सरपच, पच, सहवरित सदस्य, सहसदस्य, पदेन सदस्य तथा ग्रामदानी ग्रामसभाओ के निर्वाचित सदस्यो द्वारा प्रधान का निर्वाचन बहुमत से किया जाता था जबकि नवीन प्रारूप में पचायत समिति में प्रत्यक्ष निर्वाचित (डायरेक्टर्स) द्वारा अपने मे बहुमत से प्रधान व उपप्रधान का निर्वाचन करने का प्रावधान है।

पहले अनु जाति, अनु जनजाति व महिला वर्ग के सदस्यो के सहवरण की व्यवस्था थी लेकिन अब इन वर्गों के लिए पचायत समिति क्षेत्रों में आरक्षण का प्रावधान कर दिया है तथा पूर्व व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। पहले आरक्षित वर्गों का क्षेत्र व कोटा था लेकिन नई व्यवस्था में आरक्षण का क्षेत्र व कोटा दोनों निश्चित किया गया है। पुरानी व्यवस्था में प्रधान के पद के आरक्षण का प्रावधान नहीं था लेकिन अब प्रधान का पद भी लॉटरी व्यवस्था द्वारा चक्रक्रमानुसार आरक्षित कर दिया गया है। पूर्ववर्ती व्यवस्था आरक्षण रहित थी जबकि नवीन व्यवस्था में लॉटरी द्वारा चक्रक्रमानुसार आरक्षण व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। पहले चुनाव की समय सीमा निश्चित नहीं थी सब कुछ राज्य सरकार की मर्जी पर निर्भर था जबकि नवीन प्रारूप मे 5 वर्ष या पचायत समिति भग होने के 6 माह में चुनाव अनिवार्यतः करवाने का कानूनी प्रावधान किया गया है। पुरानी व्यवस्था में प्रधान जिला परिषद् का मताधिकार के साथ सदस्य था लेकिन नई व्यवस्था में वह केवल बैठकों में आमन्त्रित सदस्य के रूप में रह गया है। प्रधान को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाये जाने पर पूर्व में उपप्रधान प्रधान बना दिया जाता था। नये प्रधान के निर्माण तक लेकिन नये प्रावधानो के तहत जिस वर्ग का प्रधान हटाया गया है उसी वर्ग का पचायत समिति सदस्य प्रधान बनाया जायेगा न कि उपप्रधान।

राजस्थान में पचायत समिति का सगठनात्मक आरेख
[पूर्ववर्ती प्रारूप]

आरेख 5.5

*** पचायत समिति सरचना**
[पूर्ववर्ती प्रारूप]



* राजस्थान में 1959 के पंचायत प्रारूप के अनुसार पंचायत की सरचना।

राजस्थान मे पचायत समिति का सगठनात्मक आरेख
[नवीन प्रारूप]

आरेख 5 6

* पचायत समिति सरचना
[नवीन प्रारूप]

पचायत समिति

प्रधान

उपप्रधान

विकास अधिकारी

स्थायी समितियाँ

प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्य (डायरेक्टर्स)

विधानसभा सदस्य (क्षेत्रीय) (पदेन सदस्य)

सरपच विशेष आमन्त्रित सदस्य

प्रशासन वित्त व कराधान समिति 5 सदस्य प्रधान पदेन अध्यक्ष

उत्पादन कार्यक्रम समिति 5 सदस्य

शिक्षा समिति 5 सदस्य

समाज सेवाएँ एव सामाजिक न्याय समिति 5 सदस्य

पाँचवीं समिति किसी भी विषय पर पचायत समिति आवश्यकतानुसार गठित कर सकती है।

* पचायती राज अधिनियम, 1994 के अनुसार पचायत समिति की सरचना

पंचायत समिति के कार्य

राजस्थान सरकार ने हल्के से परिवर्तनों के पश्चात् पंचायत समिति के कार्यों में शीर्षक संख्या बढ़ाकर पूर्ववर्ती कार्यों को यथावत् रखा गया है। अतः कार्यों में समानता अधिक असमानता नाममात्र की रह गई है। हालांकि दोनों प्रारूपों के मध्य कार्यों की समानता एवं असमानता स्पष्ट करना शोधापेक्षित है, जो अग्रोल्लेखित है—

सारणी-5.11
पंचायत समिति के कार्य
[असमानताएँ]

क्र.	पुरातन प्रारूप	क्र.	नवीन प्रारूप
1	पुरातन व्यवस्था में पंचायतों के कार्य 17 शीर्षकों में विभक्त थे।	1	पंचायत समिति के पूर्ववर्ती कार्यों को नवीन व्यवस्था के तहत 29 शीर्षकों में विभक्त कर दिया गया।
2	समाज शिक्षा के तहत युवक संगठनों की स्थापना, ग्रामवासियों तथा ग्राम साथियों के प्रशिक्षण तथा उनकी सेवाओं के उपयोग को विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए महिलाओं और बालकों के बीच काम करना।	2.	कृषकों का प्रशिक्षण और प्रसार क्रिया-कलाप।
3	ये कार्य पूर्ववर्ती प्रारूप में नहीं थे।	3	जल प्रदूषण का निवारण एवं नियन्त्रण ग्रामीण स्वच्छता योजनाओं का क्रियान्वयन।
4	—उपर्युक्त—	4	गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत : सौर प्रकाश पवन आदि युक्तियों की प्रोन्नति और रख-रखाव।
5	—उपर्युक्त—	5	पशु बीमा सहित दुर्घटना, अग्नि, मृत्यु आदि के मामलों में सामाजिक बीमा दावे तैयार करने और उनके संदाय में सहायता करना।

उपर्युक्त सारणी पंचायत समिति के पूर्ववर्ती एवं नवीन प्रारूपों के मध्य कार्यों की असमानता के अल्प-संकेत दे रही है जैसे पहले पंचायत समिति को दिये गये राजस्थान सरकार द्वारा कार्य 17 शीर्षकों में विभक्त थे जबकि नवीन पंचायती राज व्यवस्था के तहत उन्हीं कार्यों का 29 शीर्षकों में विभक्त कर नवीन भाषा विन्यास के साथ पंचायत समितियों को सौंप दिये गये।

इसके अतिरिक्त कुछ शीर्षकों में नये कार्य जोड़ दिये जैसे—नवीन प्रारूप में तथा कुछ हटा दिये गये। जैसे पुरातन प्रारूप में जहाँ सामाजिक शिक्षा के तहत युवा संगठनों की स्थापना

तथा ग्रामवासियो एव ग्राम साथियो के प्रशिक्षण तथा उनकी सेवाओ के उपयोग को विशेष रूप से ध्यान मे रखते हुए महिलाओ एवं बालको के बीच काम करना। यह कार्य नवीन व्यवस्था मे पचायत समितियो को नहीं सौंपा गया। इसके नवीन प्रारूप में राज्य सरकार ने पचायत समितियो को कृषको के प्रशिक्षण तथा कृषि प्रसार के क्रियाकलापो की जिम्मेदारी सौंपी है। ग्रामीण स्वच्छता के तहत जल प्रदूषण का निवारण एव नियन्त्रण तथा ग्रामीण स्वच्छता योजनाओ के कार्यान्वयन को करना।

ऊर्जा समस्या के समाधान पर ध्यान देते हुए राज्य सरकार ने गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोतो जैसे—सौर-ऊर्जा, पवन ऊर्जा आदि युक्तियो की प्रोन्नति तथा रख-रखाव का जिम्मा पचायत समितियो को अतिरिक्त सौपा है। पशु बीमा, दुर्घटना, अग्नि, मृत्यु आदि सामाजिक दावे तैयार करने तथा उनके सदाय मे सहायता कार्य भी नवीन ही है जो पूर्ववर्ती व्यवस्था में नहीं था। इस प्रकार कार्यों की दृष्टि से ज्यादा असमानता दिखाई नहीं देती है। यह प्रकीर्ण कार्यों के शीर्षक मे अतिरिक्त कार्य नई व्यवस्था के तहत जोड़ा गया है।

सारणी-5 12

पंचायत समिति के कार्य

[समानताएँ]

क्र	पुरातन प्रारूप	क्र.	नवीन प्रारूप
1	सामुदायिक विकास	1	साधारण कृत्य :
1	अधिक, नियोजन, उत्पादन तथा सुख-सुविधाएँ प्राप्त करने के लिए ग्राम सस्थाओ का सगठन।	1	अधिनियम के आधार पर सौंपे गये और सरकार या जिला परिषद् द्वारा समानुदेशित योजनाओ के सम्बन्ध में वार्षिक योजनाएँ तैयार करना और उन्हे जिला योजना के साथ एकीकृत करने के लिए विहित समय के भीतर जिला परिषद् को प्रस्तुत करना।
2	पारस्परिक सहकारिता के सिद्धान्तो पर आधारित ग्राम समुदाय मे आत्मसहाय तथा स्वावलम्बन की प्रवृत्ति उत्पन्न करना।	2	पचायत समिति क्षेत्र की सभी पचायतो की वार्षिक योजनाओ पर विचार करना और उन्हे समेकित करना और जिला परिषद् को समेकित योजना प्रस्तुत करना।
3	समुदाय की भलाई के लिए ग्रामीण क्षेत्रो में काम में नहीं लिए जाने वाले समय तथा शक्ति का प्रयोग।	3	पचायत समिति का वार्षिक बजट तैयार करना।
2.	कृषि	4	ऐसे कृत्यो का पालन और ऐसे कार्यों का निष्पादन करना जो उसे सरकार या जिला परिषद् द्वारा सौंपे जायें।
1.	परिवार, ग्राम तथा खण्ड के लिए अधिक कृषि उत्पादन के लिए योजनाएँ		

बनाना तथा उनको पूरा करना।	5 प्राकृतिक आपदाओ मे सहायता उपलब्ध करना।
2 थल तथा जल के साधनो का प्रयोग तथा नवीनतम शोध पर आधारित खेती की सुधारी हुई रीतियो का प्रसार।	2. कृषि विस्तार को सम्मिलित करते हुए कृषि .
3 ऐसे सिंचित कार्यों जिनकी लागत रु 25,000 से अधिक न हो, का निर्माण तथा सधारण।	1 कृषि और बागवानी की प्रोन्नति और विकास करना।
4 सिचाई के कुओ, बाँधो एनीकटो तथा मेड-बंधो के निर्माण के लिए सहायता का प्रावधान।	2 बागवानी पौधशालाओं का रख-रखाव। 3 पजीकृत बीज उगाने वालो को बीजो के वितरण में सहायता करना,
5 भूमि को कृषि योग्य बनाना तथा कृषि भूमियो पर भू-सरक्षण।	4 खादो और उर्वरको को लोकप्रिय बनाना और उनका वितरण करना।
6 बीज वृद्धि के फार्मों का सधारण—पजीकृत बीज उत्पादको को सहायता तथा बीज वितरण।	5 खेती के समुन्नत तरीको का प्रचार करना 6 पौध सरक्षण, राज्य सरकार की नीति के अनुसार नकदी फसलो का विकास करना।
7 फल तथा सब्जियो का विकास।	
8 खादो तथा उर्वरको को लोकप्रिय बनाना तथा उनका वितरण।	7 सब्जियो फलों और फलो की खेती को प्रोन्नत करना।
9 स्थानीय खाद-सम्बन्धी साधनो का विकास।	8 कृषि के विकास के लिए साख-सुविधाएँ उपलब्ध कराने मे सहायता करना।
10 सुधारे हुए कृषि औजारो के प्रयोग, खरीद तथा निर्माण को बढावा देना तथा उनका वितरण।	9 कृषको का प्रशिक्षण और प्रसार क्रिया-कलाप।
11 पौधो की रक्षा।	3. *भूमि सुधार और मृदा सरक्षण*
12 राज्य योजना नीति के अनुसार व्यापारिक फसलो का विकास।	सरकार के भूमि सुधार और मृदा सरक्षण कार्यक्रमो के कार्यान्वयन में सरकार और जिला परिषद् की सहायता करना।
13 सिचाई तथा कृषि के विकास के लिए उधार तथा अन्य सुविधाएँ।	4. लघु सिचाई, जल-प्रबन्ध और जल-विभाजक विकास :
3. पशु पालन	1 लघु सिचाई कार्यों, एनिकटा, लिफ्ट

1 अभिजात अभिजनन सांडो की व्यवस्था करके शुद्र सार्डो को बधिया करके और कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रो को स्थापना तथा सधारण द्वारा स्थानीय पशुओ की क्रमोन्नति करना।

2 ढोर, भेड सूअर कुक्कुटादि तथा ऊँटो की सुधरी नस्लों को प्रस्तुत करना, इनके लिए सहायता देना तथा लघु आधार पर अभिजनन फार्मों को चलाना।

3 छूत की बीमारियो को रोकना।

4 सुधरा हुआ चारा तथा पशु खाद प्रस्तुत करना।

5 प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रो तथा छोटे पशु औषधालयो की स्थापना तथा सधारण।

6 दुग्धशालाओ की स्थापना व दूध भेजने का प्रबन्ध।

7 ऊन को श्रेणीबद्ध करना।

8 शुद्र ढोर की समस्या सुलझाना।

9 पचायतो के कन्ट्रोल के अधीन तालाबो में मछली-पालन का विकास करना।

4. स्वास्थ्य तथा ग्राम सफाई

1 टीका लगाने के सहित स्वास्थ्य सेवाओ का सधारण तथा विस्तार और व्यापक रोगो की रोकथाम।

2 पीने योग्य सुरक्षित पानी की सुविधाओ का प्रबन्ध।

3 परिवार नियोजन।

4 औषधालया दवाखाना डिस्पेन्सरियो, प्रसूति-केन्द्रा तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रो का निरीक्षण।

सिचाई, सिचाई कुओं, कच्चे बधों का निर्माण और रख-रखाव।

2 सामुदायिक और वैयक्तिक सिचाई कार्यों का कार्यान्वयन।

5. गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम

गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमो और योजनाओं, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण, मरु विकास कार्यक्रम, सूखा सभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम जनजाति क्षेत्र विकास, परिवर्तित क्षेत्र का विकास उपागमन, अनुसूचित जाति विकास निगम योजनाओ आदि का आयोजन और कार्यान्वयन।

6. पशुपालन, डेरी और कुक्कुट पाठ, पशुपालन, डेरी और कुक्कुट पालन

1 पशु चिकित्सा और पशु पालन सेवाओं का निरीक्षण और रख-रखाव।

2 पशु, कुक्कुट और अन्य पशुधन की नस्ल का सुधार करना।

3 डेरी उद्योग, कुक्कुट पालन और सुअर पालन की प्रोन्नति।

4 समुन्नत चारे और दाने का पुन स्थापन।

7 मत्स्य पालन

मत्स्य पालन विकास को प्रोन्नत करना।

8 खादी, ग्राम और कुटीर उद्योग

1 ग्रामोण और कुटीर उद्योगा को प्रोन्नत करना।

2 सम्मेलनो, गोष्ठियो और प्रशिक्षण कार्यक्रमो, कृषि और औद्योगिक प्रदर्शनियो का आयोजन।

5. व्यापक स्वच्छता तथा स्वास्थ्य के लिए अभियान चलाना तथा (क) आहार पौष्टिकता (ख) प्रसूति तथा शिशु तथा (ग) छूत की बीमारियों के सम्बन्ध में लोगों को शिक्षित करना।

5. शिक्षा

1. अनु जातियों और अनु जनजातियों के चलाए जाने वाले विद्यालयों को सम्मिलित करते हुए प्राथमिक विद्यालय।

2. प्राथमिक पाठशालाओं की बुनियादी पद्धति में परिवर्तन।

3. माध्यमिक स्तरों तक छात्रवृत्तियाँ व आर्थिक सहायताएँ जिसमें अनु जातियों, अनु जनजातियों व अन्य पिछड़ी जातियों के सदस्यों के लिए छात्रवृत्तियाँ व आर्थिक सहायताएँ सम्मिलित हैं।

4. बच्चियों की शिक्षा का विकास करना तथा शाला-माताओं (स्कूल-मदर्स) का नौकरी में रखा जाना।

5. कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियाँ तथा वजीफे देना।

6. अध्यापकों के लिए क्वार्टरों का निर्माण करना।

6. समाज शिक्षा

1. सूचना सामुदायिक व विनोद केन्द्रों की स्थापना।

2 युवक संगठनों की स्थापना।

*3 पुस्तकालयों की स्थापना।

3 मास्टर शिल्पी से, और तकनीकि प्रशिक्षण संस्थाओं में बरोजगार ग्रामीण युवाओं का प्रशिक्षण।

4 बढ़ी हुई उत्पादकता लेने के आधुनिक वैज्ञानिक तरीकों को लोकप्रिय बनाना।

9 ग्रामीण आवासन :

आवासन योजनाओं का कार्यान्वयन और आवास उधार किस्तों की वसूली।

10. पेय जल :

1 हैंड पम्पों और पंचायतों की पम्प और जलाशय योजनाओं को मॉनीटर करना, उनकी मरम्मत और रख-रखाव।

2 ग्रामीण जल प्रदाय योजनाओं और नियन्त्रण।

3 जल प्रदूषण का निवारण और नियन्त्रण।

4 ग्रामीण स्वच्छता योजनाओं का कार्यान्वयन।

11. सामाजिक और फार्म वानिकी, ईंधन और चारा :

1 अपने नियन्त्रण के अधीन की सड़कों के पारवों और अन्य लोक भूमियों पर, विशेषतः चरागाह भूमियों पर वृक्षों का रोपण और परिरक्षण।

2 ईंधन रोपण और चारा विकास।

3 फार्म वानिकी की प्रोन्नति।

4 बंजर भूमि विकास।

4 ग्राम कार्कियो तथा ग्राम साथियो के प्रशिक्षण तथा उनकी सेवाओ के उपयोग को विशेष रूप से ध्यान मे रखते हुए महिलाओ और बालको के बीच काम करना।

5 प्रौढ शिक्षा।

7. सचार साधन

अत: पचायत साधन सडको तथा ऐसी सडको पर पुलियो का निर्माण तथा निर्धारण।

8. सहकारिता

1 सेवा सहकारी समितियो, औद्योगिक, सिचाई, कृषि तथा अन्य सहकारी सस्थाओ की स्थापना मे तथा उन्हे शक्तिशाली बनाने मे सहायता देकर सहकारी कार्य को प्रोत्साहित करना।

2 सेवा-सहकारी सस्थाओ मे भाग लेना तथा उन्हे सहायता देना।

9. कुटीर उद्योग :

1 रोजी कमाने के अधिक अवसर देने के लिए तथा गाँवो मे आत्म-निर्भरता को बढाने के लिए कुटीर एव छोटे पैमाने के उद्योगो का विकास।

2 उद्योग तथा नियोजन सम्बन्धी सम्भाव्य साधनो का सर्वेक्षण।

3 उत्पादन एव प्रशिक्षण केन्द्रो की स्थापना।

4 कारीगरो तथा शिल्पकारो की कुशलता को बढाना।

5 सुधरे हुए औजारो को लोकप्रिय बनाना।

12. सड़के, भवन, पुलियाएँ, पुल, नौघाट, जलमार्ग और अन्य सचार साधन :

1 ऐसी लोक सडको, नालियो, पुलियाओ और अन्य सचार साधनो का, जो किसी भी अन्य स्थानीय प्राधिकरण या सरकार के नियन्त्रण के अधीन नहीं है, निर्माण और रख-रखाव।

2 पचायत समिति मे निहित किसी भी भवन या अन्य सम्पत्ति का रख-रखाव।

3 नावो, नौघाटो और जलमार्गों का रख-रखाव।

13 गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत :

गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत विशेषत: सौर प्रकाश और ऐसी ही अन्य युक्तियो की प्रोन्नति और रख-रखाव।

14 प्राथमिक विद्यालयो सहित शिक्षा :

1 सम्पूर्ण साक्षरता कार्यक्रमो को सम्मिलित करते हुए प्राथमिक शिक्षा, विशेषत: बालिका शिक्षा का सचालन।

2 प्राथमिक विद्यालय भवनो और अध्यापक आवासो का निर्माण, मरम्मत और रख-रखाव।

3 युवा क्लबो और महिला मण्डलो के माध्यम से सामाजिक शिक्षा की प्रोन्नति।

4 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्गों के गरीब विद्यार्थियो को पाठ्यपुस्तको, छात्रवृत्तियो, पोशाको और अन्य प्रोत्साहनो का वितरण।

15. तकनीकि प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा :

10 पिछड़े वर्गों के लिए कार्य ·

1 अनुसूचित जातियो, अनुसूचित जनजातियो तथा अन्य पिछडे वर्गों के लिए सरकार द्वारा सहायता प्राप्त छात्रावासो का प्रबन्ध।

2 समाज कल्याण के स्वयसेवी सगठनो को मजबूत बनाना तथा उनकी गतिविधियो का समन्वय करना।

11. आपातिक सहायता :

आग, बाढ, महामारियो तथा अन्य व्यापक प्रभावशाली आपदाओ की दशा में आपातिक सहायता का प्रबन्ध।

12. आँकड़ों का सग्रह :

ऐसे आँकडो का सग्रह तथा सकलन जो कि पचायत समिति, जिला परिषद् या राज्य सरकार द्वारा आवश्यक समझे जावे।

13. न्यास

"ऐसे किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाए गए न्यासो का प्रबन्ध जिसके, जिला पचायत समितियो की निधि का प्रयोग किया जाय।

14. वन

1 ग्राम वन।

2 बारी-बारी से चराई।

15 ग्राम भवन का निर्माण :

16. प्रचार

1 सामुदायिक रूप से सुनने की योजना।

2 प्रदर्शनियाँ।

3 प्रकाशन।

ग्रामीण शिल्पो और व्यावसायिक प्रशिक्षण की प्रोन्नति।

16. प्रौढ और अनौपचारिक शिक्षा ·

1 सूचना, सामुदायिक मनोरजन केन्द्रो और पुस्तकालयो की स्थापना।

2 प्रौढ साक्षरता का क्रियान्वयन।

17. सास्कृतिक क्रियाकलाप :

सामाजिक और सास्कृतिक क्रियाकलापो, प्रदर्शनियो, प्रकाशनो की प्रोन्नति।

18 बाजार और मेले ·

पशु मेलो सहित मेलो और उत्सवो का विनियमन।

19. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण :

1 स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कार्यक्रमो का क्रियान्वयन।

2 प्रतिरक्षीकरण और टीकाकरण कार्यक्रमो को मॉनीटर करना।

3 मेलो और उत्सवो पर स्वास्थ्य और स्वच्छता।

4 औषधालयो (एलोपैथिक और आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथिक) सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रो, उप-केन्द्रो आदि का निरीक्षण और नियन्त्रण।

20. महिला और बाल विकास :

1 महिला और बाल विकास से सम्बन्धित कार्यक्रमो का क्रियान्वयन,

2. एकीकृत बाल विकास योजनाओ के माध्यम से विद्यालय स्वास्थ्य और पोषाहार कार्यक्रमो का कार्यान्वयन,

17. विविध

1. पंचायतों की समस्त गतिविधियों का पर्यवेक्षण तथा उनका पथ-प्रदर्शन एवं ग्राम व पंचायत योजनाओं का निर्माण।
2. घृणास्पद, भयानक अथवा हानिकर, व्यापारों, धन्धों तथा रिवाजों का नियमन।
3. गन्दी बस्तियों का पुनरुद्धार।
4. हाटों तथा सार्वजनिक संस्थाओं—उदाहरणार्थ सार्वजनिक पार्कों, बागों, फलोद्यानों व फार्मों आदि की स्थापना, प्रबन्ध, संधारण तथा निरीक्षण।
5. रंगमंचों की स्थापना तथा प्रबन्ध।
6. खण्ड में स्थित दरिद्रालयों, आश्रमों, अनाथालयों, पशु-चिकित्सालयों तथा अन्य संस्थाओं का निरीक्षण।
7. अल्प बचत तथा बीमा के जरिये मितव्ययिता को प्रोत्साहन।
8. लोक कला तथा संस्कृति को प्रोत्साहन।
9. पंचायत समिति के मेलों का आयोजन एवं प्रबन्ध।
10. डाक तथा तार विभाग के अप्रतिदेय अभिदाय के भुगतान का उपबन्ध करके पंचायत समितियों के किसी भी ग्राम में जहाँ कहीं भी आवश्यक हो तथा जहाँ पंचायतें समुचित तथा पर्याप्त कारणों से ऐसा करने से असमर्थ हो, प्रयोगात्मक डाक-घरों सम्बन्धी डाक सुविधायें सुनिश्चित करना।

3. महिला और बाल विकास कार्यक्रमों में स्वैच्छिक संगठनों के भाग लेने को प्रोन्नत करना;
4. आर्थिक विकास के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में महिला और बाल विकास समूह बनाना और सामग्री के उत्पादन तथा विपणन में सहायता करना।

21. विकलांगों और मंदबुद्धि वालों के कल्याण सहित समाज कल्याण :

1. विकलांगों, मंदबुद्धि वालों और निराश्रितों के कल्याण सहित समाज कल्याण कार्यक्रम;
2. वृद्ध और विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन मंजूर करना।

22. कमजोर वर्गों और विशिष्टतः अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों का कल्याण :

1. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों और अन्य कमजोर वर्गों के कल्याण की प्रोन्नति;
2. ऐसी जातियों और वर्गों का सामाजिक अन्याय और शोषण से संरक्षा करना।

23. सामुदायिक आस्तियों का रख-रखाव :

1. अपने में निहित या सरकार द्वारा या किसी भी स्थानीय प्राधिकरण या संगठन द्वारा अन्तरित सभी सामुदायिक आस्तियों का रख-रखाव;
2. अन्य सामुदायिक आस्तियों का परिरक्षण और रख-रखाव।

24. सांख्यिकी :

ऐसी सांख्यिकी का संग्रहण और संकलन जो पंचायत समिति, जिलापरिषद् या राज्य सरकार द्वारा आवश्यक पायी जाये।

	25 आपात सहायता अग्नि बाढ़ महामारी या अन्य व्यापक आपदाओं के मामले में।
	26 सहकारिता सहकारी गतिविधियो को सहकारी समितियों की स्थापना और सुदृढीकरण मे सहायता करके प्रोन्नत करना।
	27 पुस्तकालय पुस्तकालयों का विकास।
	28 पचायत का उनके सभी क्रिया-कलापो और गाँव और पचायत योजनाओ के निर्माण मे पर्यवेक्षण और मार्गदर्शन।
	29 प्रकीर्ण 1 अल्प बचतो और बीमा के माध्यम से मितव्ययता को प्रोत्साहित करना 2 पशु बीमा सहित दुर्घटना अग्नि मृत्यु आदि के मामलो मे सामाजिक बीमा दावे तैयार करने और उनके सदाय में सहायता करना।
	30 पचायत समितियो की साधारण शक्तियाँ इस अधिनियम के अधीन सौंपे गये समनुदिष्ट या प्रत्यायोजित किये गये कृत्यो के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक या अनुषंगिक सभी कार्य करना और विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना इसके अधीन विनिर्दिष्ट को गयी सभी शक्तियो का प्रयोग करना।

उपर्युक्त चिहित कार्यों के अलावा दोनो प्रारूपो मे सभी कार्य समान है।

दोनों प्रारूपो मे कार्यों के सन्दर्भ मे शीर्षक परिवर्तन के अलावा कार्य यथावत् है। अत असमानता कम और समानता ही परिलक्षित होती है। जैसाकि उपर्युक्त सारणी मे वर्णित कार्यों से विदित है।

जिला परिषद्

73वें पंचायती राज संविधान संशोधन से पूर्व राजस्थान में जिला परिषद् केवल पर्यवेक्षणीय एवं समन्वयात्मक भूमिका के लिए जिम्मेदार ठहरायी गयी थी लेकिन 73वें संविधान संशोधन पश्चात् राजस्थान सरकार द्वारा 1994 के पंचायती राज अधिनियम द्वारा व्यापक संगठनात्मक एवं कार्यात्मक परिवर्तन किये गये तथा जहाँ एक ओर जिला परिषदों के संगठन में आमूल-चूल परिवर्तन किये गये वहीं इनके कार्यों में व्यापकता के साथ व्यापक परिवर्तन किये गये। जो कि हमें इनके सांगठनिक एवं कार्यों के मध्य तुलनात्मक विश्लेषण से स्पष्ट होगा। आगे जिला परिषद् के पूर्ववर्ती एवं नवीन प्रारूपों से स्पष्ट होगा। जिला परिषद् के पूर्ववर्ती एवं नवीन प्रारूपों में गठन एवं कार्यों की समानताओं एवं असमानताओं को अग्रोल्लेखित चार्ट एवं सारणी के माध्यम से स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है जो निम्नानुसार है—

सारणी-5.13

जिला परिषद् का गठन

[समानताएँ]

क्र. पुरातन प्रारूप	क्र. नवीन प्रारूप
1. जिला प्रमुख व उप-जिला प्रमुख का निर्वाचन अप्रत्यक्ष गुप्त मतदान द्वारा जिला परिषद् सदस्यों द्वारा।	1. जिला प्रमुख व उप-जिला प्रमुख का निर्वाचन अप्रत्यक्ष गुप्त मतदान द्वारा जिला परिषद् सदस्यों द्वारा।
2. जिला परिषद् क्षेत्र के लोकसभा सदस्य, राज्य सभा सदस्य तथा विधानसभा सदस्य पदेन सदस्य।	2. जिला परिषद् क्षेत्र के लोकसभा सदस्य, राज्य सभा सदस्य तथा विधानसभा सदस्य पदेन सदस्य।
3. जिला प्रमुख की सहायता एवं सलाह हेतु समिति व्यवस्था का प्रावधान।	3. जिला प्रमुख की सहायता एवं सलाह हेतु समिति व्यवस्था का प्रावधान।
4. जिला प्रमुख के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का प्रावधान।	4. जिला प्रमुख के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का प्रावधान।

राजस्थान में जिला परिषद् का सगठनात्मक आरेख
[पूर्ववर्ती प्रारूप]

आरेख 5 7

- * जिला परिषद् सरचना [पूर्ववर्ती प्रारूप]
  - जिला परिषद्
    - जिला प्रमुख
    - उप जिला प्रमुख
    - जिला परिषद् सचिव
    - पदेन सदस्य
      - प्रधान
      - लोकसभा सदस्य
      - राज्यसभा सदस्य
      - विधानसभा सदस्य
      - जिला विकास अधिकारी
    - सहयोजित या सहवृत्त सदस्य
      - दो महिला सदस्य
      - एक अनुसूचित जाति का सदस्य
      - एक अनुसूचित जन जाति का सदस्य
    - सहसदस्य
      - अध्यक्ष केन्द्रीय सहकारी बैंक
      - अध्यक्ष जिला सहकारी सघ
    - समितियाँ
      - प्रशासन एव वित्त समिति
      - उत्पादन समिति
      - शिक्षा समिति
      - सामाजिक कल्याण समिति
      - आवश्यकतानुसार गठित समिति

* राजस्थान में 1959 के जिला परिषद् प्रारूप के अनुसार जिला परिषद की संरचना।

राजस्थान में जिला परिषद् का संगठनात्मक आरेख
[नवीन प्रारूप]

आरेख 5.8

* जिला परिषद संरचना
[नवीन प्रारूप]

जिला परिषद्

- जिला प्रमुख
  - उप जिला प्रमुख
    - स्थायी समितियाँ
      - प्रशासन, वित्त व कराधान समिति 5 सदस्य प्रमुख पदेन अध्यक्ष
      - शिक्षा समिति 5 सदस्य
      - उत्पादन कार्यक्रम समिति 5 सदस्य
      - समाज सेवाएँ एवं सामाजिक न्याय समिति 5 सदस्य
      - पाँचवीं समिति किसी भी विषय पर पंचायत समिति आवश्यकतानुसार गठित कर सकती है।
    - प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्य (डायरेक्ट)
    - पदेन सदस्य (क्षेत्रीय)
      - लोकसभा सदस्य
      - राज्यसभा सदस्य
      - विधानसभा सदस्य
    - प्रधान विशेष आमन्त्रित सदस्य
- मुख्य कार्यकारी अधिकारी
  - अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी

जिला परिषद् के पूर्ववर्ती एवं वर्तमान प्रारूप में मात्र चार समानताएँ परिलक्षित होती है। उपर्युक्त सारणी के अनुसार प्रमुख और उप-प्रमुख का निर्वाचन दोनों व्यवस्थाओं में जिला परिषद् के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष गुप्त मतदान द्वारा बहुमत से होता है। पदेन सदस्यों में जिला परिषद् क्षेत्र के लोकसभा, राज्यसभा तथा विधान सभा सदस्य होते हैं। दो व्यवस्थाओं में सलाह एव सहायता हेतु समिति व्यवस्था यथावत् रखी गई है तथा जिला प्रमुख के खिलाफ अविश्वास का प्रावधान भी पूर्ववर्ती एव वर्तमान पचायती राज अधिनियम में राज्य सरकार द्वारा रखा गया है।

सारणी-5 14

जिला परिषद् का गठन

[असमानताएँ]

क्र.	पुरातन प्रारूप	क्र	नवीन प्रारूप
1	जिला परिषद् का गठन 1959 के पचायती राज अधिनियम द्वारा स्वीकृत।	1.	जिला परिषद् का गठन भारत सरकार के 73वे पचायती राज सवैधानिक प्रावधानो के अनुरूप।
2	जिला प्रमुख का निर्वाचन जिला परिषद् सदस्यो द्वारा यथा, पदेन व सहवृत सदस्य जिला परिषद् व पदेन व सहवृत सदस्य पचायत समिति (जिलाधीश व उपखण्ड अधिकारी को मताधिकार नहीं)	2.	जिला प्रमुख जिला परिषद् के प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्यो (डायरेक्टर्स) से बहुमत द्वारा करने का प्रावधान।
3	जिला प्रमुख पद के आरक्षण का प्रावधान नहीं।	3	जिला प्रमुख पद के आरक्षण का प्रावधान लॉटरी द्वारा चक्रक्रमानुसार।
4	अनु जाति, अनु जनजाति व महिला सदस्यो का नियमानुसार सहवरण का प्रावधान।	4	अनु जाति, अनु जनजाति व महिलाओ का आरक्षण लॉटरी द्वारा चक्रक्रमानुसार व्यवस्था का प्रावधान।
5	निर्वाचन क्षेत्रो व आरक्षण का प्रावधान नहीं।	5	निर्वाचन क्षेत्रो तथा निर्वाचन क्षेत्रो द्वारा जिला परिषद् सदस्यो (डायरेक्टर्स) का प्रत्यक्ष मतदान द्वारा निर्वाचन हेतु आरक्षण लॉटरी के चक्रक्रमानुसार पद्धति से।
6	जिला परिषद् का गठन पदेन, सहवृत सहसदस्यो द्वारा।	6	जिला परिषद् का गठन प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रो से प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्यो द्वारा।
7	पदेन सदस्यो को जिला प्रमुख निर्वाचन में मताधिकार।	7	पदेन सदस्यो को जिला प्रमुख निर्वाचन में मताधिकार नहीं।

8 जिला प्रमुख को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाने का प्रावधान समय सीमा 6 माह थी।	8 जिला प्रमुख को पद ग्रहण करने से दो वर्ष के पूर्व अविश्वास प्रस्ताव न लाने का प्रावधान।
9 चुनाव व कार्यकाल की अनिश्चितता।	9 चुनाव व कार्यकाल 5 वर्ष तक सुनिश्चित व जिला परिषद् भंग होने के 6 माह के अन्दर चुनाव द्वारा गठन अनिवार्य।
10 जिला परिषद् को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रो में विभाजन का प्रावधान नहीं।	10 जिला परिषद् का प्रदेशिक निर्वाचन क्षेत्रों मे जनसंख्या आधारित विभाजन का प्रावधान।
11 जिला प्रमुख के अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाये जाने पर जिला परिषद् सदस्यो में से बहुमत द्वारा प्रमुख का निर्वाचन।	11 जिला प्रमुख के अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाये जाने पर उसी वर्ग के व्यक्ति का जिला प्रमुख बनाने का प्रावधान।
12 प्रधान जिला परिषद् का मताधिकार रहित सदस्य ?	12 प्रधान जिला परिषद् का सदस्य नहीं केवल बैठको में आमन्त्रित करने का प्रावधान।
13 उप-जिला प्रमुख का निर्वाचन जिला परिषद् के मताधिकार वाले सदस्यो द्वारा अपने में से करने का प्रावधान।	13 उप-जिला प्रमुख का चुनाव प्रादेशिक क्षेत्रो से प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्यो मे से बहुमत द्वारा करने का प्रावधान।

राजस्थान सरकार ने अपने राज्य में 73वें पचायती राज सवैधानिक सशोधनों को 1994 के पचायती राज अधिनियम के तहत व्यापक सॉगठनिक परिवर्तनों के साथ लागू कर दिया जो पूर्ववर्ती प्रारूप से अधिकाशतः विपर्ययी प्रकृति के हैं जैसे—पूर्ववर्ती प्रारूप 1959 के राज्य सरकार के पचायत समिति एव जिला परिषद् अधिनियम पर मूलतः आधारित था लेकिन पश्चातवर्ती प्रारूप सवैधानिक प्रावधानो के अनुसार निश्चित किया गया।

जिला प्रमुख पूर्व में जिला परिषद् सदस्यो यथा—पदेन, सहवृत, पचायत समिति तथा पदेन व सहवृत सदस्य जिला परिषद् द्वारा निर्वाचित होता था जबकि वर्तमान प्रारूप में जिला प्रमुख जिला परिषद् के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रो से प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्यो (डायरेक्टर्स) द्वारा अपने में से बहुमत से किया जाना है। पहले जिला प्रमुख के पद के आरक्षण का प्रावधान नहीं था जो कि नवीन व्यवस्था के तहत कर दिया गया। पूर्व मे अनु जाति, अनु जनजाति तथा महिला वर्गों का सहवरण किया जाता था जबकि नियमानुसार नवीन प्रारूप में इन वर्गों को आरक्षण का प्रावधान चक्रक्रमानुसार व्यवस्था से कर दिया गया।

जिला परिषद् के पुरा प्रारूप में निर्वाचन क्षेत्रों व आरक्षण का प्रावधान नहीं था जबकि नवीन प्रारूप में जिला परिषद् का प्रादेशिक क्षेत्रो में विभाजन तथा उन क्षेत्रो के आरक्षण एव जिला परिषद् सदस्यो के प्रत्यक्ष निर्वाचन का प्रावधान किया गया है। पहले जिला परिषद् का गठन पदेन, सहवृत व सहसदस्यो द्वारा होता था जबकि बदली व्यवस्था में जिला परिषद् का गठन पदेन व जिला परिषद् के प्रादेशिक क्षेत्रो से प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्यो (डायरेक्टर्स) द्वारा होता है।

पूर्ववर्ती प्रारूप पदेन सदस्यो को (नियमानुसार) जिला प्रमुख के निर्वाचन मे मताधिकार देता है जबकि नये प्रारूप में पदेन सदस्यों को जिला प्रमुख उप जिला प्रमुख के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की व्यवस्था थी लेकिन समय सीमा का प्रावधान 6 माह हो था जबकि अब यह व्यवस्था जिला प्रमुख के पदभार ग्रहण करने के 2 वर्ष पूर्व अविश्वास प्रस्ताव की स्वीकृति प्रदान नहीं करती। चुनाव कार्यकाल की निश्चितता का अभाव पूर्ववर्ती व्यवस्था का दोष था जबकि नयी व्यवस्था मे 5 वर्ष के निश्चित कार्यकाल के पश्चात् चुनाव अनिवार्यत होगा।

सवैधानिक प्रावधान कर दिया गया है। जिला परिषद् को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रो मे विभाजन का प्रावधान पूर्व में नहीं था यह नई व्यवस्था की देन है। प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रो की सख्या का निर्धारण जनसख्या आधारित है 73वे सवैधानिक सशोधन पूर्व पचायती राज व्यवस्था मे जिला प्रमुख के अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाये जाने पर उप जिला प्रमुख के जिला प्रमुख बनाये जाने का प्रावधान था नये प्रमुख के निर्वाचन तक जो 73वे सवैधानिक सशोधन युक्त व्यवस्था जनित राज्य सरकार के पचायती राज अधिनियम मे बदल दिया गया है तथा अब जिस वर्ग का जिला प्रमुख अविश्वास मत द्वारा हटाया जायेगा उसी वर्ग का जिला प्रमुख जिला परिषद् मे प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्यो मे से बनाये जाने का प्रावधान कर दिया गया।

पुरातन प्रारूप मे प्रधान मताधिकार के साथ जिला परिषद् का सदस्य था जबकि नई व्यवस्था मे उसे मात्र बैठको में आमन्त्रित सदस्य की हैसियत मात्र में रखा गया है। उप-जिला प्रमुख का चुनाव अपने में से मताधिकार वाले सदस्यो द्वारा किये जाने का प्रावधान पूर्ववर्ती व्यवस्था में था जबकि यह प्रावधान नई व्यवस्था में जिला परिषद् के प्रादेशिक क्षेत्रो से प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्यो मे से बहुमत द्वारा करने का प्रावधान कर दिया गया। असमानताओ की उपर्युक्त व्यापकता दोनो प्रारूपो के मध्य स्पष्ट विभाजक रेखा खींचती है।

जिला परिषद् के कार्य

राजस्थान पचायत समिति एवं जिला परिषद् अधिनियम 1959 के अनुसार पूर्ववर्ती प्रारूप के कार्य तथा राजस्थान पचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 52 व अनुसूची तृतीय के अनुसार नवीन प्रारूप में कार्यों का निर्धारण किया गया है।

जिला परिषदो को पूर्ववर्ती व्यवस्था में केवल समन्वयात्मक एवं पर्यवेक्षणीय कार्य वो भी काफी सीमित मात्रा मे सौंपे गये थे जबकि नवीन प्रारूप मे न केवल पर्यवेक्षणीय व समन्वयात्मक कार्य ही सौंपे गये हैं बल्कि जिला परिषदो को कार्यभार की दृष्टि से व्यापक कार्य पंचायत समिति की तरह सौंपे गये हैं जो समग्र ग्रामीण विकास एव कल्याणकारी गतिविधियो को समाहित किये हैं अत कार्यों में समानता का कोई आधार नजर नहीं आता है। दोनो व्यवस्थाओ में अन्तर स्पष्ट परिलक्षित है जो अग्राकित है—

सारणी-5 15

जिला परिषद् के कार्य

[असमानताएँ]

क्र	पुरातन प्रारूप	क्र	नवीन प्रारूप
	समन्वयात्मक, निर्देशात्मक एव पर्यवेक्षणीय कार्य		निष्पादकीय कार्य तथा समन्वयात्मक, निर्देशात्मक पर्यवेक्षणीय कार्य
1	इस सम्बन्ध मे निर्मित जिले की पचायत समितियो के बजटो को नियमो के अनुसार जाँच करना।	1	सामान्य कार्य जिले के आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय क लिए योजनाएँ तैयार करना और
2	राज्य सरकार द्वारा जिले को आवटित किए गए तदर्थ अनुदानो को पचायत समितियो मे वितरित करना।		ऐसी योजनाओ का अगली मदों में प्रमाणित विषयो सहित विभिन्न विषय के सम्बन्ध मे समन्वित क्रियान्वयन सुनिश्चित करना।
3	पचायत समितियो द्वारा तैयार की गई योजनाओ का समन्वय तथा समेकन करना।	2	कृषि एव भूमि सुधार सम्बन्धी कार्य
4	पचायता तथा पचायत समितियो के कार्यों का समन्वय करना।	1	कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के समुन्नत कृषि उपकरणा के उपयोग और विकसित कृषि पद्धतियो के अगीकरण को लोकप्रिय बनाने के उपायो को उन्नत करना।
5	किसी विकास कार्यक्रम के सम्बन्ध में ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे अन्य कृत्यो का पालन जो राज्य सरकार विज्ञप्ति द्वारा उसे प्रदान करे या सौंपे।	2	कृषि मेला और प्रदर्शनिया का सचालन करना।
6	ऐसी शक्तियो का प्रयोग तथा ऐसे कृत्यो का पालन करना जो इस अधिनियम के अधीन उसे प्रदान की जाए तथा उसे सौंपे जाए।	3	कृपका का प्रशिक्षण।
		4	भूमि सुधार और भूमि सरक्षण।
		3	लघु सिचाई, भू-जल स्रोत और जल विभाजक सम्बन्धी कार्य
7	ऐसे मेलो और उत्सवो को छोडकर जिनका प्रबन्ध राज्य सरकार द्वारा किया जाता है या अब आगे किया जायेगा, अन्य मेलो और उत्सवो तथा पचायत समिति के मेलो और उत्सवो तथा पचायत के मेलो	1	'ग' और 'घ' वर्ग के 2500 एकड के लघु सिचाई सकर्मों और लिफ्ट सिचाई सकर्मों का निर्माण नवीकरण और रख-रखाव।
		2	जिला परिषद् के नियन्त्रणाधीन सिचाई

और उपसाधो के रूप में वर्गीकरण करना और इसके बारे में किसी पंचायत या पंचायत समिति द्वारा अभ्यावेदन किये जाने पर उक्त वर्गीकरण का पुनर्विलोकन करना।

8 राष्ट्रीय राजपथों राज्य राजपथो और जिले की मुख्य सड़कों को छोड़कर अन्य सड़को का पंचायत समिति की सड़कों और गाँवों की सड़कों के रूप में वर्गीकरण करना।

9 जिले मे पंचायत समितियों की गति विधियो की सामान्य देख रेख करना।

10 जिले मे पंचायत और पंचायत समितियो के सभी सरपंचो प्रधानों और अन्य पंचों व सदस्यों के कैम्प सम्मेलन और सेमीनार आयोजित करना।

11 पंचायत तथा पंचायत समितियों की गतिविधियो से सम्बन्धित सब मामलो में राज्य सरकार को सलाह देना।

12 राज्य सरकार द्वारा जिला परिषद् को विशेष रूप से निर्दिष्ट की गई किसी वैधानिक अथवा कार्य निष्पादन सम्बन्धी आज्ञा को कार्यान्वित करने सम्बन्धी मामलो मे राज्य सरकार को सलाह देना।

13 पंचवर्षीय योजनाओ के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओ को जिले के भीतर कार्यान्वित करने सम्बन्धी मामलों मे राज्य सरकार को सलाह देना।

14 जिले के लिए निर्धारित सभी कृषि व उत्पादन कार्यक्रमो निर्माण कार्यक्रमों नियोजनों तथा अन्य लक्ष्यो को ध्यान में रखना और यह देखते रहना कि वे यथोचित रीति से क्रियान्वित पूर्ण और

योजनाओं के अधीन जल के समय पर और समान वितरण और पूर्ण उपयोग तथा राजस्व वसूली के लिए उपबन्ध करना

3 भू जल स्रोतों का विकास

4 सामुदायिक पम्प सैट लगाना

5 जल विभाजक विकास कार्यक्रम।

4. बागवानी सम्बन्धी कार्य

1 ग्रामीण पार्क और उद्योग

2 फलों और सब्जियो की खेती।

5. सांख्यिकी सम्बन्धी कार्य

1 पंचायत समितियो और जिला परिषद् के क्रियाकलापो से सम्बन्धित सांख्यिकीय व अन्य सूचना का समन्वय और उपयोग

2 पंचायत समितियो और जिला परिषद् के क्रियाकलापो के लिए अपेक्षित आंकड़ों और अन्य सूचना का समन्वय और उपयोग

3 पंचायत समितियों और जिला परिषद् को सौपी गई परियोजनाओ और कार्यक्रमों का समय समय पर पर्यवेक्षण और मूल्यांकन।

6 ग्रामीण विद्युतीकरण सम्बन्धी कार्य

1 ग्रामीण विद्युतीकरण की प्रगति का मूल्यांकन करना

2 विद्युत सम्बन्ध करना (कनेक्शन) कुटीर ज्योति और अन्य विद्युत सम्बन्ध (कनेक्शन)।

7 मृदा संरक्षण सम्बन्धी कार्य

1 मृदा संरक्षण कार्य

2 मृदा विकास कार्य।

8. सामाजिक वानिकी सम्बन्धी कार्य

निष्पादित किये जा रहे हैं तथा वर्ष में कम-से-कम दो बार ऐसे कार्यक्रमों और लक्ष्यों की प्रगति की समीक्षा करना।

15 ऐसे आँकड़े इकट्ठे करना जो वह आवश्यक समझे।

16 जिले में स्थानीय अभिकरणों की गतिविधियों सम्बन्धी सांख्यिकी ब्यौरों अथवा कोई अन्य सूचना प्रकाशित करना।

17 किसी भी स्थानीय प्राधिकारी से उसके कार्यकलापों के सम्बन्ध में हालात प्रस्तुत करने की अपेक्षा करना।

1 सामाजिक और फार्म वानिकी, बागान और चारा विकास को उन्नत करना;

2 बंजर भूमि का विकास,

3 वृक्षारोपण के लिए आयोजन करना और अभियान चलाना तथा कृषिक पौध-शालाओं को प्रोत्साहन,

4 वन भूमियों को छोड़कर, वृक्षों का रोपण तथा रख-रखाव,

5 राजमार्गों तथा मुख्य जिला सड़कों को छोड़कर, सड़क के किनारे-किनारे वृक्षारोपण।

9. पशु-पालन और डेयरी सम्बन्धी कार्य :

1 जिला और रेफरल अस्पतालों को छोड़कर, पशु चिकित्सालयों की स्थापना और रख-रखाव।

2. चारा विकास कार्यक्रम,

3 डेयरी उद्योग, कुक्कुट पालन और सुअर पालन को उन्नत करना।

4. महामारी और सांसर्गिक रोगों की रोकथाम।

10. मत्स्य पालन सम्बन्धी कार्य :

1. मत्स्य पालक विकास अभिकरण के समस्त कार्यक्रम;

2. निजी और सामुदायिक जलाशयों के मत्स्य-संवर्द्धन का विकास,

3. पारम्परिक मत्स्यपालन में सहायता करना;

4. मत्स्य विपणन सहकारी समितियों का गठन करना,

5 मछुआरों के उत्थान और विकास के लिए कल्याण कार्यक्रम।

11. घरेलू और कुटीर उद्योग सम्बन्धी कार्य :

1 परिक्षेत्र मे पारम्परिक कुशल व्यक्तियो की पहचान और घरेलू उद्योगो का विकास करना,

2 कच्चे माल की आवश्यकताओ का इस प्रकार से निर्धारण करना कि जिससे समय-समय पर उसकी पूर्ति सुनिश्चित की जा सके।

3 परिवर्तनशील उपभोक्ता के अनुसार डिजाइन और उत्पादन,

4 इन प्रशिक्षण कार्यक्रमो के लिए बैंक ऋण दिलवाने हेतु सम्पर्क करना,

5 खादी, हाथकर्घा , हस्तकला और ग्राम कुटीर उद्योगो को उन्नत करना।

12 ग्रामीण सड़के और भवन सम्बन्धी कार्य :

1 राष्ट्रीय और राजमार्गों से भिन्न सडको का निर्माण और रख-रखाव,

2 राष्ट्रीय और राजमार्गों से भिन्न मार्गों के नीचे आने वाले पुल और पुलियायें,

3 जिला परिषद् के कार्यालय भवनो का निर्माण और रख-रखाव।

4 बाजार, शैक्षणिक सस्थाओ, स्वास्थ्य केन्द्रो को जोडने वाली मुख्य सम्पर्क सडको और आन्तरिक क्षेत्रो मे सम्पर्क की पहचान,

5 नई सडको के लिए और विद्यमान सड़को को चौडा करने के लिए भूमियो का स्वैच्छिक अभ्यर्पण कराना।

13. स्वास्थ्य और स्वास्थिकी सम्बन्धी कार्य :

1 सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रो, औषधालयो, उप-केन्द्रो की स्थापना और रख-रखाव।

2 आयुर्वेदिक, होमियोपैथिक, यूनानी औषधालयो की स्थापना और रख-रखाव,

3 प्रतिरक्षीकरण और टीकाकरण कार्यक्रम का क्रियान्वयन,

4 स्वास्थ्य शिक्षा स्वास्थ्य क्रियाकलाप,

5 मातृत्व और शिशु स्वास्थ्य क्रियाकलाप,

6 परिवार कल्याण कार्यक्रम,

7 पचायत समितियो और पचायतो की सहायता से स्वास्थ्य शिविरो का आयोजन करना,

8 पर्यावरण प्रदूषण के विरुद्ध उपाय।

14 ग्रामीण आवासन सम्बन्धी कार्य :

1 बेघर परिवारो की पहचान,

2 जिले मे आवास निर्माण का क्रियान्वयन,

3 कम लागत आवासन को लोकप्रिय बनाना।

15 शिक्षा सम्बन्धी कार्य :

1 उच्च प्राथमिक विद्यालयो की स्थापना और रख-रखाव सहित शैक्षणिक क्रियाकलापो को उन्नत करना,

2 प्रौढ शिक्षा और पुस्तकालय सुविधाओं के लिए कार्यक्रमो की योजना बनाना,

3 ग्रामीण क्षेत्रो मे विज्ञान और तकनीकी के प्रचार के लिए प्रसार कार्य,

4 शैक्षणिक क्रियाकलापो का सर्वेक्षण और मूल्याकन।

16 समाज कल्याण और कमजोर वर्गों के कल्याण सम्बन्धी कार्य .

1 अनुसूचित जातियो, अनुसूचित जनजातिया और पिछडे वर्गों को छात्रवृत्तियाँ, वृत्तिकाये, बोर्डिंग अनुदान और पुस्तके और अन्य उपसाधन क्रय करने के लिए अन्य अनुदान देकर शिक्षा सुविधाओ का विस्तार,

2 निरक्षरता उन्मूलन और साधारण शिक्षा के लिए नर्सरी विद्यालयो, बाल-वाडिया, रात्रि विद्यालया और पुस्तकालयो का सगठन करना,

3 अनुसूचित जातियो अनुसूचित जन-जातियो और पिछडे वर्गों को कुटीर और ग्रामीण उद्योगो का प्रशिक्षण देने के लिए सुविधाएँ उपलब्ध करवाना,

4 अनुसूचित जातियों, जनजातियो और पिछडे वर्गों की सहकारी सस्थाओ का गठन,

5 अनुसूचित जातियो, अनुसूचित जन-जातियो और पिछडे वर्गों के उत्थान और विकास के लिए अन्य कल्याणकारी योजनाएँ।

17. गरीबी उन्मूलन सम्बन्धी कार्य

गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमो की योजना बनाना, उनका पर्यवेक्षण, मॉनीटर करना और क्रियान्वयन करना।

18. समाज सुधार क्रियाकलाप

1 महिला सगठन और कल्याण,
2 बाल सगठन और कल्याण,
3 स्थानीय आवारागर्दी का निवारण,
4 विधवा, वृद्ध और शारीरिक रूप से *नि.शक्त निराश्रितो के लिए* पेशन की और बेरोजगारो की अन्तरजातीय विवाह के युगलो, जिनमें से एक किसी अनुसूचित जाति या किसी अनुसूचित जनजाति का सदस्य हो, के लिए भत्तो की मजूरी और वितरण को मॉनीटर करना,
5 अग्नि नियन्त्रण,
6 अन्धविश्वास जातिवाद, छुआछूत, नशा-खोरी, खर्चीले विवाह और सामाजिक समारोहो, दहेज तथा दिखावटी उपभोग *के विरुद्ध अभियान,*
7 सामुदायिक विवाह और अन्तरजातीय विवाहो को प्रोत्साहित करना,
8 आर्थिक अपराधो जैसे तस्करी, कर-वचन, खाद्य अपमिश्रण के विरुद्ध सतर्कता

9 भूमिहीन श्रमिको को सौंपी गई भूमि का विकास करने में सहायता करना,

10 जनजातियो द्वारा अन्य सक्रमित भूमियो का पुनर्ग्रहण,

11 बन्धुआ मजदूरो की पहचान करना, उन्हें मुक्त करना और उनका पुनर्वास,

12. सास्कृतिक और मनोरजक क्रियाकलापों का आयोजन करना,

13 खेल-कूद और खेलो को प्रोत्साहन तथा ग्रामीण खेल मैदानों का निर्माण,

14 पारम्परिक उत्सवो को नया रूप देना और उन्हें समाजप्रिय बनाना,

15 निम्नलिखित के माध्यम से मितव्ययता और बचत की उन्नति करना—

(i) बचत की आदतों की प्रोन्नति,

(ii) अल्प बचत अभियान,

(iii) कूट साहूकारी प्रथाओ और ग्रामीण ऋणग्रस्तता के विरुद्ध लड़ाई।

19. जिला परिषद् की साधारण शक्तियाँ : इस अधिनियम के अधीन उसे सौंपे या प्रत्यायोजित किये गये कार्यों के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक सभी कार्य करना और, विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इसके अधीन निर्दिष्ट समस्त शक्तियो का, और निर्दिष्ट रूप से निम्नलिखित के लिए आवश्यक शक्तियो का प्रयोग करना—

1 लोक उपयोगिता के किसी भी कार्य का या उसमें निहित या उसके नियन्त्रण या प्रबन्ध के अधीन की किसी सस्था का प्रबन्ध और रख-रखाव,

2 ग्रामीण हाटो और बाजारो का अर्जन और रख-रखाव,

3 पचायत समितियो या पचायतो को तदर्थ अनुदानो का वितरण करना और उनके कार्य का समन्वय करना,

	4 कुष्ट निवारण के उपायो को अगीकार करना, 5 जिले मे पचायत समितियो के बजट अनुमानो की परीक्षा करना और उन्हें मजूर करना, 6 जिले मे पचायत समितियो द्वारा तैयार की गई विकास योजनाओ और स्कीमो को समन्वित और एकीकृत करना, 7 एकाधिक खण्डो में विस्तृत किसी योजना को हाथ मे लेना और निष्पादित करना, 8 जिले के पचो, सरपचो, प्रधानो और पचायत समितियो के सदस्यो के शिविरो, सेमिनारो, सम्मेलनो का आयोजन करना, 9 किसी भी स्थानीय प्राधिकरण से उसके क्रियाकलापो के बारे मे सूचना देने की अपेक्षा करना, 10 किन्हीं विकास योजनाओ को ऐसे निबन्धनो और शर्तों पर, जो लगे हुए दो या अधिक जिलो की जिला परिषदो के बीच में परस्पर तय की जाये, सयुक्त रूप से हाथ मे लेना और निष्पादित करना।

सन्दर्भ

1 पचायती राज , पचों और सरपचों के नाम प्रधानमन्त्री श्री पी वी नरसिम्हा राव का पत्र 5 मई 1993 सूचना एव प्रसारण मन्त्रालय भारत सरकार द्वारा प्रकाशित गोवर्धन कपूर एण्ड सस नई दिल्ली 1993 पृ

6

पंचायती राज व्यवस्था : अनुभवमूलक अध्ययन [प्रथम]

[उत्तरदाताओं की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि]

भारतीय इतिहास अतीत काल से ग्रामीण स्थानीय संस्थाओं के रूप में पचायतों के अस्तित्व का प्रामाणिक साक्षी रहा है। प्राचीन काल से अर्वाचीन काल तक पचायतें भारतीय राजनय के एव अग के रूप में अस्तित्व में रही है। यह भी सत्य है कि विभिन्न काल-खण्डों में पचायतो का स्वरूप भिन्न रहा है। राजस्थान राज्य में भी ग्राम पचायतों की अतीत काल से विद्यमानता रही है। प्रख्यात पुराविद् अनन्त सदाशिव अल्तेकर के अनुसार "बिहार राजपुताना, महाराष्ट्र और कर्नाटक मे गुप्त और परवर्ती काल में ग्राम सभा की कार्यकारिणी समितियो ने स्थान ग्रहण कर लिया था, लेकिन स्मृति और उत्कीर्ण लेख इनके सगठन सम्बन्धी विवरण प्रदान नहीं करते हैं।[1] राजस्थान से प्राप्त लेख इस बात का प्रमाण है कि यहाँ पर ये कार्यकारिणी समितियाँ या इन्हे ग्राम पचायत कहना अधिक सही होगा, विद्यमान थी।"[2] ये 'पचकुली' कहलाती थी और ये मुखिया की अध्यक्षता मे जिसे महत कहा जाता था, कार्य करती थी।[3] मध्यकाल और ब्रिटिश काल मे पचायतें मृतप्राय हो गई थी।

पचायत राज व्यवस्था एक व्यवस्था या पद्धति ही नहीं वरन् एक जीवन-दर्शन है जो समाज में अनवरत अस्तित्व मे रहा है तथा ग्राम्य जीवन की आत्मा मे रच बस गई है जिसे हम लोकतन्त्र की आधारशिला, सस्कृति की सवाहक जनकल्याणकारी राज्य की सकल्पना के आदर्श प्रतिमान सदृश्य मानते हैं। जन-समुदाय में ये सस्थाएँ अनवरत जन-जागरण, सामाजिक सद्भाव, जन-सहयोग, परस्पर सौहार्द्रप्रियता की प्रभावी प्रवाहिनी तथा लोकतन्त्र की सशक्त प्रहरी रही है।

स्वतन्त्र भारत के सविधान के निर्माण के समय राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में पंचायती राज की धारणा को अत्यन्त महत्त प्रदान की गई। सविधान के अनुच्छेद 40 में लिखा गया है कि—"राज्य ग्राम पचायतों की स्थापना के लिए आवश्यक कदम उठायेगा और उन्हें

ऐसी शक्तियाँ और अधिकार प्रदान करेगा जो उन्हे स्वायत्त शासन को इकाई के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक है।"[4]

भारत ने नियोजित विकास की दिशा में जब प्रयत्न आरम्भ किये तो स्वाभाविक है कि पचायती राज की अवधारणा को विकसित होने तथा साकार रूप लेने में कुछ समय लगा। राजनीतिक और प्रशासनिक क्षेत्रा मे यह अच्छी तरह अनुभव कर लिया गया कि देश में वास्तविक लोकतन्त्र की स्थापना तभी सम्भव होगी जब भारत क बहुसख्यक ग्रामीण लोगों से अपना निकटतम सम्पर्क स्थापित किया जाए और देश को ग्रामीण जनता का अपने ही हाथो अपना भाग्य निमाण करने को प्ररित किया जाए। इसी उद्देश्य से सामुदायिक विकास कार्यक्रम आरम्भ किया गया। राजस्थान म भी 2 अक्टूबर, 1952 को अन्य राज्यो की भाँति सामुदायिक विकास योजनाओ का शुभारम्भ किया।[5] इस कार्यक्रम का उद्देश्य स्वय के प्रयत्नो से ग्रामीण समुदाय म अपनी आवश्यकताओ को देखते हुए विकास करना था। सामुदायिक विकास कार्यक्रम मे उतार-चढाव आए और कुछ वर्षों मे ही यह बात स्पष्ट हो गयी कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम में जनसहयोग की गति मद पडती चली गयी। अत एक नए चिन्तन और नयी दिशा की आवश्यकता अनुभव हुई।

जन-सहयोग की कमी की आधारभूत कठिनाइयो को हल करने के लिए बलवन्तराय मेहता अध्ययन दल जनवरी, 1957 में नियुक्त किया गया। दल से यह अपेक्षा की गई कि यह सामुदायिक विकास कार्यक्रम के प्रशासन में कुशलता और मितव्ययता लाने तथा कार्यक्रम के लिए जनता मे उत्साह-सचरण के लिए उपाय सुझाए। अध्ययन दल को यह कार्य भी सौंपा गया कि वह लोकतान्त्रिक सस्थाओ को सम्पूर्ण जिले अथवा सब-डिविजन (उप-सभाग) के विकास और सामान्य प्रशासन को हाथ में लेने के लिए समर्थ बनाने की दृष्टि से जिला प्रशासन को पुनर्गठित करने की दिशा मे भी सर्वेक्षण करेगा। दल के कार्यक्षेत्र में यह वृद्धि किये जाने के फलस्वरूप ही देहाती क्षेत्रो में स्थानीय प्रशासन और विकास के आधारभूत ढाँचे के रूप में पचायतीराज का स्वरूप सामने आया।

सन् 1957 के नवम्बर में बलवन्त राय मेहता अध्ययन दल ने अपना प्रतिवेदन सरकार को दिया। सन् 1958 मे इस प्रतिवेदन पर राष्ट्रीय विकास परिषद् (NDC) ने अपनी स्वीकृति की मोहर लगा दी। इस अध्ययन दल ने जिस व्यवस्था को प्रस्तावित किया उसे उन्होने "लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण" की सज्ञा प्रदान की जिसका अभिप्राय था कि उसके अन्तर्गत प्रशासन के प्रत्येक स्तर पर जनता सक्रिय रूप से भाग ले तथा जनता द्वारा गठित सस्थाएँ ही सामुदायिक विकास की महत्वपूर्ण इकाइयाँ हो।

लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण अर्थात् पचायतीराज सस्थाओ की त्रि-स्तरीय योजना प्रस्तुत की गई। प्रथम ग्रामस्तर, द्वितीय खण्ड या ब्लॉक स्तर एव तृतीय जिला-स्तर। इस त्रिस्तरीय व्यवस्था द्वारा देश के ग्रामीण जीवन को चेतनामय बनाने का प्रयास किये जाने का प्रस्ताव किया गया ताकि राष्ट्रीय योजना को स्वीकार कर तदनुसार ऊपर से नीचे की ओर तीन स्तरो पर क्रमशः जिला परिषदो, पचायत समितियो तथा ग्राम पचायतो का गठन किया गया। इस समूची व्यवस्था को 'पचायती राज' के नाम से अभिहित किया गया। पचायती राज का उद्देश्य प्रारम्भ से अन्त तक विकास योजनाओ से जनता को सम्बद्ध करना और प्रशासन के प्रत्येक स्तर पर जनता की सक्रिय भागीदारी को बढाना था।

पचायती राज की स्थापना भारतीय लोकतन्त्र की महत्त्वपूर्ण उपलब्धि है। राजस्थान को पहला राज्य होने का गौरव प्राप्त है जिसने अपने यहाँ पचायती राज की स्थापना की। 2 अक्टूबर 1959 को श्री नेहरू ने महात्मा गाँधी के जन्म दिवस पर नागौर जिले मे प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रीकरण योजना का शुभारम्भ किया।[6] इस प्रकार राज्य में पचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था को लागू किया। इसके बाद अन्य राज्यो मे भी यह व्यवस्था लागू की गई। न केवल राजस्थान राज्य मे अपितु देश के अधिकाश राज्यो में पचायती राज व्यवस्था की स्थापना के आरम्भ के वर्षों मे इन सस्थाओ ने ग्रामीण विकास की दिशा में अच्छे परिणाम दिये। लेकिन कुछ वर्षों के पश्चात् किन्हीं कारणो से पचायती राज सस्थाएँ अपने सौंपे गये उत्तरदायित्व को सही ढग से निष्पादित करने में असक्षम दिखाई देने लगी। इसका सबसे बडा कारण इन सस्थाओ के पास वित्तीय साधनो का अभाव रहा। साथ ही अधिकाश राज्य सरकारो ने पचायती राज सस्थाओ के नियमित चुनाव करवाने में अधिक रुचि नहीं ली।

पचायती राज सस्थाओ मे सुधार हेतु समय-समय पर समितियाँ गठित की एव प्रतिवेदन प्रस्तुत किये गये। देश की पचायती राज सस्थाओं को सवैधानिक दर्जा देने पचायती राज व्यवस्था को अधिक सुदृढ करने हेतु देश के सभी राज्यो में पचायती राज की अनिवार्यता एव एकरूपता लाने के दृष्टिकोण से भारत सरकार द्वारा सविधान मे "73वाँ सविधान सशोधन 1992" अधिनियम लागू किया गया।

राजस्थान पचायती राज अधिनियम 1953 एव पचायत समिति व जिला परिषद् अधिनियम 1959 को समेकित कर तथा 73वे सविधान सशोधन के प्रावधानो को मध्यनजर रखते हुए राजस्थान विधान सभा मे नये पचायती राज अधिनियम 9 अप्रैल 1994 को पारित किया गया जो राज्यपाल महोदय के अनुमोदन के पश्चात् 23 अप्रैल 1994 को राज्य में लागू हो गया।[7]

पचायतराज अधिनियम 1959 के प्रारूप तथा 73वे सविधान सशोधन द्वारा स्वीकृत प्रारूपो के मध्य एक तुलनात्मक प्रशासनिक दृष्टिकोण से अध्ययन करने हेतु निहित उद्देश्यो को ध्यान मे रखते शोधकार्य को यथार्थपरक बनाने के लिए बहुस्तरीय पद्धति का उपयोग करते हुए पचायती राज-सस्थाओ के सभी स्तरो की जानकारी एकत्रित करने का प्रयास किया गया है। प्रस्तुत अध्ययन मे तुलनात्मक तथ्यो को प्रस्तुत करने के उद्देश्य से विभिन्न श्रेणी के उत्तरदाताओ का चयन किया गया है जिसमे जन-प्रतिनिधियो कार्मिक एव नागरिक वर्ग के उत्तरदाताओ को प्रतिदर्श मे सम्मिलित करके साक्षात्कार अनुसूची के द्वारा विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सूचनाएँ सकलित की गई है। अध्ययन के क्षेत्रीय कार्य में साक्षात्कार करने हेतु जन प्रतिनिधियो में दो प्रकार के जनप्रतिनिधियो का चयन किया गया है। प्रथम स्तर पर वे जन-प्रतिनिधि जो 1959 के अधिनियम के प्रावधानो के अनुसार चयनित हुए थे तथा 73वे सविधान सशोधन अधिनियम के प्रावधानो के बाद भी चयनित हुए हैं उनको प्रतिदर्श मे लिया गया है। द्वितीय स्तर पर वे जनप्रतिनिधि जो 73वे सविधान सशोधन अधिनियम के प्रावधानो के अनुरूप मात्र वर्तमान मे ही चयनित हुए हैं। अत दोना व्यवस्थाओ से सम्बद्ध

जनप्रति-निधियो एव वर्तमान व्यवस्था से सम्बद्ध जनप्रतिनिधियो को प्रतिदर्श में मानकर न्यादर्श का क्रमश. 33% एव 67% चयनित किये गये हैं। इन जन-प्रतिनिधियो में ग्राम स्तर से लेकर जिले स्तर तक को पचायतीराज सस्थाओ के जनप्रतिनिधियो को चयन मे शामिल किया गया है। जिनमें जिला प्रमुख, सरपच, पच शामिल है। चयनित जनप्रतिनिधियो में वर्तमान एव भूतपूर्व दोनो को ही अध्ययन के क्षेत्रीय कार्य हेतु चयनित किया गया है। पचायती राज सस्थाओ में कार्मिक वर्ग की भी अहम् भूमिका रहती है। अत: प्रतिदर्श में कार्मिक वर्ग की सख्या का न्यादर्श में चयनित जन-प्रतिनिधियो की सख्या का 50% रखा गया है। पचायती राज सस्थाओ की मुख्य इकाई ग्राम पचायत होती है। इसलिए ग्रामीणों को भी प्रतिदर्श में सम्मिलित किया गया है। चयनित प्रतिदर्श में जनप्रतिनिधियो की सख्या के बराबर ही नागरिक वर्ग को अध्ययन के क्षेत्रीय कार्य में साक्षात्कार कर सूचना एकत्रित करने हेतु प्रतिदर्श में माना है।

अत: शोधकर्त्ता ने शोधकार्य हेतु चयनित प्रतिदर्श में जनप्रतिनिधियो में 100, कार्मिक वर्ग मे 50 एव नागरिको में 100 इस प्रकार कुल 250 उत्तरदाताओं से साक्षात्कार कर प.रा. सस्थाओ के विभिन्न पहलुओ पर सूचना एकत्रित कर वास्तविक तथ्यो को समाविष्ट करने का शोध कार्य में प्रयास किया है।

पचायती राज सस्थाओ के लिए पारित दोनो अधिनियमो के बारे में जनप्रतिनिधि वर्ग, कार्मिक वर्ग एव नागरिक वर्ग की क्या-क्या प्रतिक्रियाएँ हैं उन्हीं के विचारों को सम्मिलित करते हुए शोध के उद्देश्यो को विभिन्न पहलुओ पर विश्लेषण करने का यत्किचन प्रयास किया गया है।

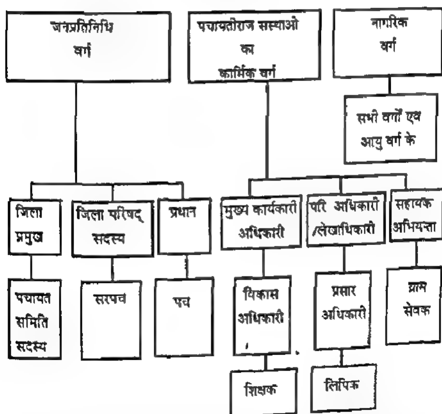
जनप्रतिनिधि वर्ग के उत्तरदाताओं में दोनो व्यवस्थाओ से सम्बद्ध जनप्रतिनिधियों में वर्तमान एव भूतपूर्व दोनो प्रकार के जनप्रतिनिधि सम्मिलित किये गये हैं। इनमें जिला प्रमुख उपजिला प्रमुख 6 06%, जिला परिषद् के सदस्य 6 06%, पचायत समिति प्रधान 6 06%, पचायत समिति सदस्य 24 24%, सरपच 21 21%, उप-सरपच 12 12% एव पच 24 24%, लिये गये हैं।

वर्तमान व्यवस्था से सम्बद्ध चयनित उत्तरदाताओ मे से 2 99% जिला प्रमुख/उप-जिला प्रमुख, 4 48% जिला परिषद् के सदस्य, 4 48% पचायत समिति प्रधान, 23 88% पचायत समिति सदस्य, 16 42% सरपच, 10 45% उप-सरपच एव 37 30% पच सम्मिलित किये गये हैं।

पचायती राज सस्थाओं के कार्मिक वर्ग में मुख्य कार्यकारी। उप-मुख्य कार्यकारी 4 00%, विकास अधिकारी 8 00%, प्रसार अधिकारियो में शिक्षा, खादी, सहकारिता, पचायत आदि 24 00%, ग्राम सेवक 30 00%, पचायती राज के अधीन विद्यालयों के शिक्षक 16 00%, लिपिक वर्ग 10 00%,सहायक अभियन्ता 6 00% एव परियोजना अधिकारी एव लेखाधिकारी 2 00% सम्मिलित करके प्रतिदर्श चयन किया गया है।

जन-सामान्य में भी सभी वर्ग एव शैक्षणिक स्तर के व्यक्तियों को सम्मिलित किया गया है। अतः प्रतिदर्श चयन में इस तथ्य को विशेष ध्यान में रखा गया है कि पचायती राज संस्थाओं से आबद्ध सभी वर्ग एवं श्रेणी के व्यक्तियों को सम्मिलित किया जाये ताकि शोध अध्याय में दिये जाने वाले तथ्यात्मक विश्लेषण वास्तविकता को उजागर कर सके। शोध अध्ययन हेतु चयनित प्रतिदर्श का विवरण निम्नानुसार है—

आरेख 6 1



शोधकार्य हेतु प्रतिदर्श में चयनित उत्तरदाताओ से पचायतीराज सस्थाओ के सगठन एवं कार्यप्रणाली, अधिकारो, निर्णयो आदि पर गहन विचार-विमर्श किया जाकर सूचनाएँ सकलित की गई है। प्रस्तुत अध्ययन हेतु चयनित उत्तरदाताओ का विवरण निम्नानुसार है—

तालिका : 6 1
चयनित उत्तरदाता

क्र. स.	उत्तरदाताओ की श्रेणी	सख्या	प्रतिशत
1	जन-प्रतिनिधि वर्ग-	100	40 00
	(अ) दोनो व्यवस्थाओं से सम्बद्ध		
	(तब भी अब भी)	33	13 20
	(ब) वर्तमान व्यवस्था से सम्बद्ध	67	26 80
2	पचायतीराज सस्थाओ का कार्मिक वर्ग	50	20 00
3	नागरिक वर्ग	100	40 00
	कुल योग	250	100 00

चयनित प्रतिदर्श मे जन-प्रतिनिधि वर्ग के 40 प्रतिशत उत्तरदाताओ को लिया गया है जिसमे दोनो व्यवस्थाओ से सम्बन्धित उत्तरदाताओ का प्रतिशत 13 20 एव वर्तमान व्यवस्था से सम्बन्धित उत्तरदाताओ का प्रतिशत 26 80 है। पंचायती राज सस्थाओ के कार्मिक वर्ग का प्रतिशत 20 00 एव नागरिक वर्ग के उत्तरदाताओ का प्रतिशत 40 00 है। अत, प्रतिदर्श मे उत्तरदाताओ के श्रेणीवार वर्गीकरण से स्पष्ट होता है कि सभी प्रकार के व्यक्तियो को प्रतिनिधित्व दिया गया है।

व्यक्ति की प्रकृति और उसके अभिमत पर उसकी सामाजिक व आर्थिक पृष्ठभूमि का प्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष रूप मे बहुत प्रभाव पडता है फिर वह व्यक्ति चाहे सामान्य जन हो, जनप्रतिनिधि या लोकसेवक। मानव का व्यवहार उसके सामाजिक पारिवारिक परिवेश, आर्थिक पृष्ठभूमि, जाति, लिग, आयु, धर्म, शैक्षणिक स्तर, सामाजिक मान्यताओ इत्यादि विभिन्न कारको से प्रभावित होता है। सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि की गहन जाँच से समाज की प्रमुख समस्याओ, आकाक्षाओ, सरकार व राष्ट्र के प्रति जन-समुदाय, कार्मिक एव जनप्रतिनिधिया के दृष्टिकोण आदि का सहज अनुमान लगाया जा सकता है। जनप्रतिनिधियो, कार्मिको एव नागरिको की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि पचायती राज सस्थाओं की कुशलता और प्रभावीपन पर व्यापक प्रभाव डालती है। शोधार्थी अपना कर्त्तव्य मानता है कि शोध विश्लेषणो से पूर्व ही पाठको को विभिन्न उत्तरदाताओ की पृष्ठभूमि सम्बन्धी विस्तृत जानकारी उपलब्ध करा दे। लोक प्रशासन विज्ञान के क्षेत्र मे किये गये पाश्चात्य अध्येताओ द्वारा सामाजिक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से अनेक दिशा बोधक अध्ययनो से भी यह तथ्य प्रमाणिक हो चुका है। उस अध्याय में लोकसेवको, जनप्रतिनिधियो और जनसामान्य से सम्बन्धित सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि का विश्लेषण किया गया है।

उत्तरदाताओ का लिग भेदानुसार वर्गीकरण—

प्रस्तुत अध्ययन हेतु चयनित विभिन्न श्रेणी के उत्तरदाताओ मे पुरुष एव महिला दोना का ही प्रतिनिधित्व देने का प्रयास किया गया है। पचायतीराज सस्थाओ के जन-प्रतिनिधियो मे पूर्व मे सहवृत के आधार पर महिलाओ को लिया जाता रहा है लेकिन 73वे सविधान सशोधन के बाद महिलाओ क लिए एक-तिहाई स्थान आरक्षण का प्रावधान किया गया है।

कार्मिक वर्ग मे भी महिलाओ को पर्याप्त अवसर देने का प्रयास किया जा रहा है तथा नागरिक वर्ग जो कि समाज है जहाँ पुरुष एव स्त्री दोनो को ही समानता का अधिकार प्राप्त है। इसलिए अध्ययन के क्षेत्रीय कार्य मे भी पुरुष एव महिला दोनो से ही साक्षात्कार लिया गया है। अध्ययन हेतु चयनित उत्तरदाताओ का लिगभेदानुसार वर्गीकरण निम्न तालिका 6 2 में अकित है—

तालिका 6 2

उत्तरदाताओ का लिगभेदानुसार वर्गीकरण

उत्तरदाताओं की श्रेणी	उत्तरदाताओ	लिगभेदानुसार वर्गीकरण			
	की सख्या	पुरुष	महिला	योग	प्रतिशत
1. जनप्रतिनिधि वर्ग	100 (100 00)	77 (77 00)	23 (23 00)	100	40 00
(अ) दोनो व्यवस्थाओ से सम्बद्ध	33 (100 00)	29 (87 88)	04 (12 12)	33	13 20
(ब) वर्तमान व्यवस्था से सम्बद्ध	33 (100 00)	29 (71 64)	04 (28 36)	67	26 80
2 कार्मिक वर्ग	50 (100 00)	45 (90 00)	05 (10 00)	50	20 00
3 नागरिक वर्ग	100 (100 00)	75 (75 00)	25 (25 00)	100	40 00
कुल योग	250 (100 00)	197 (78 80)	53 (21 20)	250	100 00

कोष्ठक (%) में प्रतिशत दर्शाया गया है।

तालिका के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि चयनित उत्तरदाताओ मे जनप्रतिनिधि वर्ग के 40 00% कार्मिक वर्ग के 20 00% एव नागरिक वर्ग के 40 00%, उत्तरदाता हैं। इनमे समग्र रूप से 78 80%, पुरुष एव 21 20% महिला उत्तरदाता है।

जनप्रतिनिधि वर्ग के उत्तरदाताओ मे 77 00%, पुरुष एव 23 00%, महिलाएँ हैं। जन-प्रतिनिधि वर्ग मे से दोनो व्यवस्थाओ से सम्बद्ध उत्तरदाताओ मे से 87 88% पुरुष एवं 12 12%, महिलाएँ हैं। इसी प्रकार वर्तमान व्यवस्था से सम्बद्ध उत्तरदाताओ में से 71 64%, पुरुष एव 28 36%, महिलाएँ हैं। लिगभेदानुसार वर्गीकरण से यह तथ्य स्पष्ट होता है कि जनप्रतिनिधियो में महिला आरक्षण के अभाव में पूर्व में महिलाओ का प्रतिशत 12 12 रहा है जबकि वर्तमान मे आरक्षण के पश्चात् महिला जनप्रतिनिधियों की सख्या में वृद्धि हुई है और उनका प्रतिशत बढकर 28 36 हो गया है।

पंचायती राज संस्थाओं के कार्मिक वर्ग में चयनित उत्तरदाताओं में से 90.00%, पुरुष एवं 10.00%, महिलाएँ हैं। जनसामान्य से चयनित उत्तरदाताओं में 75.00%, पुरुष एवं 25.00%, महिलाएँ हैं। अतः समग्र रूप से उत्तरदाताओं का लिंगभेदानुसार विश्लेषण करने पर यह तथ्य उजागर हुआ है कि 73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम महिला आरक्षण के प्रावधान के कारण महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने में सहायक सिद्ध हुआ है।

जाति विश्लेषण

भारत में विभिन्न जातियों एवं समुदायों के व्यक्ति अनेकता में एकता के लिए वर्षों से सौहार्द्रपूर्ण वातावरण में आपस में घुल-मिल गये हैं। जाति व्यवस्था मूलतः वर्ण-व्यवस्था का विकृत रूप है। कालान्तर में व्यक्ति के गुण, कर्म की अपेक्षा जन्म के आधार पर वर्ण स्वीकार किया जाने लगा तो वर्ण व्यवस्था धीरे-धीरे जाति व्यवस्था में परिवर्तित होने लगी। पंचायती राज संस्थाओं के जनप्रतिनिधि वर्ग कार्मिक वर्ग एवं नागरिकों का जातिवार विवरण निम्न तालिका 6.3 में दिया गया है।

तालिका-6.3

चयनित उत्तरदाताओ का जातिवार विवरण जनप्रतिनिधि वर्ग

जाति का नाम	दोनों व्यवस्था से सम्बद्ध	वर्तमान व्यवस्था से सम्बद्ध	कार्मिक वर्ग	नागरिक वर्ग	कुल योग
गुर्जर	8	15	3	10	36
राजपूत	6	11	4	7	28
सिक्ख	1	-	1	-	2
चारण	2	4	4	2	12
यादव/अहिर	1	3	2	10	16
ब्राह्मण	8	1	10	15	34
मुसलमान	1	-	-	-	1
मीणा	1	7	5	9	22
खटीक	1	-	-	-	1
गुप्ता/वैश्य	2	7	7	14	30
बैरवा	2	11	6	10	29
नायक	-	6	-	6	12
छीपा	-	2	-	2	4
माली	-	-	3	7	10
सिन्धी	-	-	1	-	1
सोनी	-	-	1	-	1
धाकड़	-	-	3	8	11
कुल योग	33	67	50	100	250

उपर्युक्त तालिका में दिये गये उत्तरदाताओ के जातिवार वर्गीकरण से स्पष्ट होता है कि जनप्रतिनिधि वर्ग मे दोनो व्यवस्थाओ से सम्बद्ध प्रतिदर्श में सबसे अधिक ब्राह्मण एव गूजर जाति के क्रमश• 24 24% व 24 24% है। वर्तमान व्यवस्था मे भी सर्वाधिक गूजर जाति के ही जनप्रतिनिधि चयनित हुए है जिनका प्रतिशत 32 39 है। कार्मिक वर्ग मे सबसे अधिक ब्राह्मण है जिनका प्रतिशत 20 00% है। नागरिको में भी सर्वाधिक उत्तरदाता 15 00% है।

चयनित उत्तरदाताओ का जातिवर्ग का विश्लेषण तालिका 6 4 मे दिया गया है।

तालिका-6 4

जातिवर्ग का विश्लेषण

जाति वर्ग	जनप्रतिनिधि वर्ग			कार्मिक वर्ग	नागरिक वर्ग	कुल योग
	दोनों व्यवस्था से सम्बद्ध	वर्तमान व्यवस्था से सम्बद्ध	योग			
अनुसूचित जाति	3 (9 09)	17 (25 37)	20 (20 00)	6 (12 00)	16 (16 00)	42 (16 80)
अनुसूचित जनजाति	1 (3 03)	7 (10 44)	8 (8 00)	5 (10 00)	9 (9 00)	22 (8 80)
अन्य पिछडा वर्ग	11 (33 33)	24 (35 82)	35 (35 00)	16 (32 00)	39 (39 00)	90 (36 00)
अन्य जाति	18 (54 55)	19 (28 37)	37 (37 00)	23 (46 00)	36 (36 00)	96 (38 40)
कुल योग	33 (100 00)	67 (100 00)	100 (100 00)	50 (100 00)	100 (100 00)	250 (100 00)

कोष्ठक (%) मे प्रतिशत दर्शाया गया है।

तालिका के अवलोकन से ज्ञात होता है कि जनप्रतिनिधि वर्ग में दोनों व्यवस्थाओ से सम्बद्ध उत्तरदाताओ में अनुसूचित जाति के 9 09%, अनुसूचित जनजाति के 3 03%, अन्य पिछडा वर्ग के 33 33% एव अन्य जाति के 54 55%, उत्तरदाता है। वर्तमान व्यवस्था से सम्बद्ध उत्तरदाताओ में 25 37%, अनुसूचित जाति, 10 44%, अनुसूचित जनजाति 35 82%, अन्य पिछड़ा वर्ग एव 28 37%, अन्य जाति के प्रतिनिधि उत्तरदाता है। अत जनप्रतिनिधि वर्ग उत्तरदाताओ की जातिवर्ग के विश्लेषण से जाहिर होता है कि पूर्व व्यवस्था मे अनु जाति

के उत्तरदाताओ का प्रतिशत 9 09% से बढकर वर्तमान में 25 37% अनुसूचित जनजाति में 3 03% से बढकर 10 44% एव अन्य पिछडा वर्ग 33 33% से बढकर 35 82% जनप्रतिनिधि चयनित हुए हैं जबकि अन्य जाति के जनप्रतिनिधियो का प्रतिशत 54 55% से घटकर 28 37% ही रह गया है। इस प्रकार चयनित जनप्रतिनिधियों में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के जनप्रतिनिधियों के प्रतिशत में अत्यधिक एव अन्य पिछडा वर्ग में अधिक वृद्धि हुई है जो कि 73वें सविधान सशोधन अधिनियम मे अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एव अन्य पिछडा वर्ग के व्यक्तियो के लिए स्थानो के आरक्षण के प्रावधान के कारण हुई है। अत 73वे सविधान सशोधन अधिनियम के प्रावधान अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एव अन्य पिछडा वर्ग के लिए सार्थक सिद्ध हुआ है जिसके कारण इन वर्गों के जनप्रतिनिधियो की सख्या मे वृद्धि हुई है।

पचायती राज सस्थाओ के कार्मिक वर्ग में चयनित प्रतिदर्श में 12.00% अनुसूचित जाति 10 00% अनुसूचित जनजाति 32 00% अन्य पिछडा वर्ग एव 46 00% अन्य जाति के कार्मिक हैं।

नागरिक वर्ग में अनुसूचित जाति के 16 00% अनुसूचित जनजाति के 9 00% अन्य पिछडा वर्ग के 39 00% एव अन्य जाति के 36 00% उत्तरदाता है।

चयनित उत्तरदाताओ मे से समग्र रूप मे जाति वर्ग का विश्लेषण किया जाये तो 16 80% अनुसूचित जाति 8 80% अनुसूचित जनजाति 36 00% अन्य पिछडा वर्ग एव 38 40% अन्य जाति के उत्तरदाता हैं।

अत जाति वर्ग विश्लेषण से स्पष्ट है कि अनुभव मूलक शोधकार्य हेतु प्रतिदर्श चयन में सभी जाति वर्ग के उत्तरदाताओ को समुचित प्रतिनिधित्व देते हुए सूचना एकत्रित करने का प्रयास किया गया है।

आयु वर्गीकरण

भारतीय समाज मे आयु का विशेष महत्त्व है क्योंकि सामान्यत यह धारणा है कि आयु जितनी अधिक होगी उत्तरदायित्व का बोध एव विचारो की परिपक्वता उतनी ही अधिक होगी। भारतीय समाज में अधिक आयु के व्यक्तियों को अधिक बुद्धिमान एव ज्ञानवान माना जाता है इसलिए बुजुर्गों को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है एव आदर किया जाता है। आयु को राजकीय सेवाओं एव मताधिकार में एक अर्हता के रूप में रखा गया है जो कि सबसे महत्त्वपूर्ण अर्हता होती है। चयनित उत्तरदाताओ को आयु का वर्गीकरण तालिका 6 5 में दिया गया है।

तालिका-6 5

आयुवर्ग का वर्गीकरण

उत्तरदाताओं की आयु (वर्ष में)	उत्तरदाताओं की श्रेणी					
	जनप्रतिनिधि वर्ग			कार्मिक वर्ग	नागरिक वर्ग	कुल योग
	दोनों व्यवस्थाओं से सम्बद्ध	वर्तमान व्यवस्था से सम्बद्ध	योग			
18 से 30		5 (7 46)	5 (5 00)		25 (25 00)	30 (12 00)
31 से 45	6 (18 18)	25 (37 32)	31 (31 00)	18 (36 00)	39 (39 00)	88 (35 20)
46 से 60	15 (45 46)	32 (47 76)	47 (47 00)	27 (54 00)	25 (25 00)	99 (39 60)
60 से अधिक	12 (36 36)	5 (7 46)	17 (17 00)	5 (10 00)	11 (11 00)	33 (13 20)
कुल योग	33 (100 00)	67 (100 00)	100 (100 00)	50 (100 00)	100 (100 00)	250 (100 00)

कोष्ठक (%) मे प्रतिशत दर्शाया गया है।

तालिका के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि जनप्रतिनिधि वर्ग मे दोनो व्यवस्थाओ से सम्बन्धित उत्तरदाताओ में 31 से 45 वर्ष की आयु वर्ग में 18 18% 45 से 60 वर्ष की आयु वर्ग में 45 46% एवं 60 वर्ष से अधिक की आयु वर्ग में 36 36 उत्तरदाता हैं। जनप्रतिनिधि वर्ग मे ही जो वर्तमान व्यवस्था से सम्बद्ध है उनमे से 7 46% उत्तरदाता 18 से 30 वर्ष 37 32% उत्तरदाता 31 से 45 वर्ष 47 76% उत्तरदाता 45 से 60 वर्ष एव 7 46% उत्तरदाताओ की आयु 60 वर्ष से अधिक है। इस प्रकार जनप्रतिनधि वर्ग मे कुल 18 से 30 वर्ष तक की आयु मे 5 00% 31 से 45 तक की आयु वर्ग मे 47 00% एव 60 वर्ष से अधिक की आयु वर्ग मे 17 00% उत्तरदाता चयनित किये गये हैं अत जनप्रतिनिधि वर्ग में सभी वर्ग के उत्तरदाताओ को सम्मिलित किया गया है लेकिन अधिकाश प्रतिशत 45 से 60 वर्ष तक की आयु वर्ग के उत्तरदाताओ का है। इसके साथ ही जनप्रतिनिधि चयन में नहीं आया है। इसका कारण यह है कि यह जनप्रतिनिधि पुरानी व्यवस्था से ही जनप्रतिनिधि के रूप में चयनित होते आये हैं अत इनकी आयु वर्ग 30 वर्ष से अधिक की है।

पचायतीराज संस्थाओ के कार्मिक वर्ग में 31 से 45 वर्ष तक की आयु मे 36 00% 46 से 60 वर्ष तक 54 00% एव 60 वर्ष से अधिक के 10 00% उत्तरदाता हैं।

नागरिकों में से 18 से 30 वर्ष तक की आयु में 25 00%, 31 से 45 वर्ष तक की आयु में 39 00%, 46 से 60 वर्ष तक की आयु वर्ग में 25 00% एव 60 वर्ष से अधिक की आयु में 11 00% उत्तरदाता अध्ययन हेतु सम्मिलित किये गये हैं।

चयनित उत्तरदाताओ का समग्र रूप में आयु वर्ग विश्लेषण का आकलन किया जाये तो 18 से 30 वर्ष तक की आयु में 12.00%, 31 से 45 वर्ष तक की आयु में 35.20%, 46 से 60 वर्ष की आयु 39 60% एव 60 वर्ष से अधिक की आयु में 13.20% उत्तरदाता सम्मिलित किये गये हैं। अत· नवीन एव पुरानी पचायती राज व्यवस्था के तुलनात्मक अध्ययन हेतु अधिक आयु वर्ग के उत्तरदाताओ को महत्ता प्रदान की गई है जिनसे 31 वर्ष 60 वर्ष तक के उत्तरदाता दोनो व्यवस्थाओ से पूर्णतः जानकार हैं तथा इनके विचारो में परिपक्वता है इसलिए नवीन एव पुराने अधिनियम के बारे में जो भी जानकारी दी जायेगी वह पूर्णतः विश्वसनीय मानी जायेगी। शेष 25.20% उत्तरदाताओ में 12.00% उत्तरदाता 18 से 30 वर्ष तक की आयु के एव 13.20% उत्तरदाता 60 वर्ष से अधिक की आयु वर्ग के हैं।

शैक्षणिक स्तर का विश्लेषण-

वर्तमान समय में शिक्षा व्यक्ति के जीवन का केन्द्र-बिन्दु है। शिक्षा के अभाव में मानव की दिनचर्या प्रभावित होने लग गई है। शिक्षा के बिना मस्तिष्क का पूर्ण विकास सम्भव नहीं है। निरक्षरता आज के युग में समाज के लिए अभिशाप है अतः साक्षरता हेतु कई योजनाएँ क्रियान्वित की जा रही है। साक्षरता के अथक प्रयास करने के बाद भी राज्य में साक्षरता की दर कम है। जनप्रतिनिधियो, कार्मिको एव नागरिको से चयनित उत्तरदाताओ के शैक्षणिक स्तर का विवरण तालिका 6 6 में दिया गया है।

तालिका-6.6

उत्तरदाताओ का शैक्षणिक स्तर

शिक्षा का स्तर	उत्तरदाताओ की श्रेणी					
	जनप्रतिनिधि वर्ग			कार्मिक वर्ग	नागरिक वर्ग	कुल योग
	दोनो व्यवस्थाओं से सम्बद्ध	वर्तमान व्यवस्था से सम्बद्ध	योग			
अशिक्षित	1 (3 03)	11 (16 42)	12 (12.00)	-	13 (13 00)	25 (10 00)
प्राथमिक	6 (18 18)	13 (19 40)	19 (19 00)	-	16 (16 00)	35 (14 00)
माध्यमिक	9 (27.28)	19 (28.36)	28 (28 00)	7 (14 00)	13 (13 00)	48 (19.20)

उच्च माध्यमिक	7 (21 21)	9 (13 13)	16 (16 00)	13 (26 00)	9 (00)	38 (15 20)
स्नातक	7 (21 21)	6 (8 96)	13 (13 00)	11 (22 00)	22 (22 00)	46 (18 40)
स्नातकोत्तर	3 (9 09)	9 (13 43)	12 (12 00)	19 (38 00)	27 (27 00)	58 (23 20)
कुल योग	33 (100 00)	67 (100 00)	100 (100 00)	50 (100 00)	100 (100 00)	250 (100 00)

कोष्ठक (%) में प्रतिशत दर्शाया गया है।

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि जनप्रतिनिधि वर्ग में दोनों व्यवस्था से सम्बद्ध जनप्रतिनिधियो में 3 03% अशिक्षित, 18 18% प्राथमिक, 27 28% माध्यमिक, 21 21% उच्च माध्यमिक, 21 21% स्नातक एव 9 09% स्नातकोत्तर तक की शिक्षा प्राप्त है। वर्तमान व्यवस्था से सम्बद्ध जनप्रतिनिधियो में 16 42% अशिक्षित, 19 40% प्राथमिक, 28 36% माध्यमिक, 13 13% उच्च माध्यमिक 8 96% स्नातक एव 13 43% स्नातकोत्तर तक की शिक्षा प्राप्त उत्तरदाता है।

जनप्रतिनिधि वर्ग के उत्तरदाताओ में दोनो व्यवस्था से सम्बद्ध जनप्रतिनिधियो एव वर्तमान व्यवस्था से सम्बद्ध जनप्रतिनिधियों के शैक्षणिक स्तर का तुलनात्मक विश्लेषण किया जाये तो ज्ञात होता है कि पूर्व व्यवस्था में अशिक्षित जनप्रतिनिधियो का प्रतिशत 3 03 से वर्तमान व्यवस्था मे बढकर 16 42%, प्राथमिक स्तर की शिक्षा मे 18 18% से बढकर 19 40%, माध्यमिक स्तर मे 27 28 से बढकर 28 36% हुआ है। इसके साथ ही पूर्व व्यवस्था मे उच्च माध्यमिक तक की शिक्षा प्राप्त जनप्रतिनिधियो में 21 21% से घटकर 13 13% एव स्नातक-स्तर तक की शिक्षा मे 21 21% से घटकर 8 96% हो गया है। जनप्रतिनिधियो में केवल स्नातकोत्तर शिक्षा प्राप्त उत्तरदाताओ का प्रतिशत 9 09% से बढकर 13 43% हुआ है।

अत कहने का अभिप्राय यह है कि जनप्रतिनिधियो के चयन हेतु कोई शैक्षणिक अर्हता नहीं रखी गयी है इसलिए नवीन अधिनियम के प्रावधानो मे स्थानो के आरक्षण व्यवस्था से अशिक्षित जनप्रतिनिधियो के प्रतिशत में वृद्धि हुई है। पूर्व व्यवस्था में अशिक्षित जनप्रतिनिधि समाज को प्रतिष्ठित नागरिक ही चयनित हुआ करता था जबकि वर्तमान व्यवस्था में स्थानो के आरक्षण के कारण कोई भी व्यक्ति चयनित हो सकता है। पूर्व व्यवस्था में अधिकाश जनप्रतिनिधि माध्यमिक एव इससे अधिक की शिक्षा प्राप्त ही चयनित होते थे जबकि वर्तमान व्यवस्था मे ऐसा नही हो रहा है। पचायतीराज सस्थाओ को नवीन अधिनियम मे पर्याप्त स्वायत्ता देने के उद्देश्य से अधिकार एव शक्तियाँ प्रदान की जा रही हैं जबकि दूसरी ओर जनप्रतिनिधियो के चयन हेतु कोई शैक्षणिक अर्हता नहीं रखा जाना पचायती राज की सफलता पर प्रश्नवाचक चिह्न अंकित कर रहा है। पचायती राज की भविष्य

मे सफलता के लिए जनप्रतिनिधियो के चयन हेतु चुनाव के लिए शिक्षा को भी चयन अर्हता के रूप में स्वीकार करना वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उचित रहेगा।

कार्मिक वर्ग में 14 00% माध्यमिक, 26 00% उच्च माध्यमिक 22 00% स्नातक एवं 38 00% स्नातकोत्तर स्तर तक की शिक्षा प्राप्त है।

नागरिक वर्ग में 13 00% अशिक्षित, 16 00% प्राथमिक, 13 00% माध्यमिक, 9 00% उच्च माध्यमिक, 22 00% स्नातक एव 27 00% स्नातकोत्तर स्तर तक की शिक्षा प्राप्त प्रतिदर्श में सम्मिलित है।

अत प्रतिदर्श में सम्मिलित समग्र उत्तरदाताओं के शैक्षणिक स्तर का आकलन किया जावे तो ज्ञात होता है कि 10 00% अशिक्षित, 14 00% प्राथमिक, 19.20% माध्यमिक, 15 20% उच्च माध्यमिक, 18 40% स्नातक एव 23 20% स्नातकोत्तर स्तर तक की शिक्षा प्राप्त उत्तरदाताओ को क्षेत्रीय कार्य हेतु लिया गया है।

यहाँ यह उल्लेख करना समीचीन प्रतीत होता है कि राजस्थान शिक्षा के क्षेत्र में पिछडा हुआ राज्य है। जहाँ 1991 में राष्ट्रीय साक्षरता दर 52 2 प्रतिशत थी, जबकि राजस्थान में यह 38 8 प्रतिशत है। इसके साथ ही एक विषमता यह भी है कि पुरुष साक्षरता यहाँ 55 00% है जबकि महिला साक्षरता केवल 20 40% ही है। महिला साक्षरता की दर बहुत ही कम है इसलिए महिलाओ की शिक्षा की ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। पचायती राज सस्थाओ मे महिलाओ को आरक्षण देने से महिला जनप्रतिनिधियो की सख्या वृद्धि तो हो जायेगी लेकिन निर्णय प्रक्रिया में अशिक्षा के कारण उनकी भूमिका नगण्य ही रहेगी।

जनप्रतिनिधि वर्ग में निम्न शिक्षा प्राप्त व्यक्ति प्रशासकीय गतिविधियो को समझने में असमर्थ रहते हैं। जबकि लोकसेवक उच्च शिक्षा प्राप्त होते हैं। अतः लोकसेवको एव जनप्रतिनिधियो के मध्य शैक्षणिक स्तर मे जमीन-आसमान का अन्तर होने के फलस्वरूप राजनीतिक एव प्रशासनिक सम्बन्धों में कटुता उत्पन्न हो जाती है।

वैवाहिक स्थिति

भारतीय समाज मे विवाह एक अटूट सामाजिक बन्धन का प्रतीक है जिसमें पुरुष एव महिला एक-दूसरे के सुख-दु ख मे सहभोगी होते हैं। विवाह व्यक्ति के जीवन को अच्छे अथवा बुरे दोनो रूपो में से किसी भी रूप में प्रभावित कर सकता है। विवाह के कारण व्यक्ति के उत्तरदायित्व बढते हैं। दाम्पत्य जीवन में पुरुष एव महिला दोनो को ही अपने अधिकारो एव कर्तव्यो का निर्वाह करना पडता है। वैवाहिकता के दूसरे पक्ष को देखे तो अविवाहित कार्मिक व जनप्रतिनिधि अपने प्रशासकीय कार्यों के प्रति अधिक समर्पित हो सकते हैं क्योंकि उन्हे पारिवारिक दायित्वो से मुक्ति मिली रहती है लेकिन इसके साथ ही उनके उत्तर-दायित्व-हीन होने की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता है। चयनित उत्तरदाताओ के वैवाहिक स्थिति का विवरण तालिका 6 7 में दिया गया है।

तालिका-6 7

वैवाहिक स्थिति का वर्गीकरण

वैवाहिक स्थिति	जनप्रतिनिधि वर्ग			कार्मिक	नागरिक	कुल योग
	दोनों व्यवस्थाओं से सम्बद्ध	वर्तमान व्यवस्था से सम्बद्ध	योग	वर्ग	वर्ग	
विवाहित	31 (93 94)	62 (92 54)	93 (93 00)	50 (100 00)	85 (85 00)	228 (91 20)
अविवाहित		2 (2 98)	2 (2 00)		8 (8 00)	10 (4 00)
विधवा	1 (3 03)		1 (1 00)		3 (3 00)	4 (1 60)
विदुर	1 (3 03)	3 (3 48)	4 (4 00)		4 (4 00)	8 (3 20)
योग	33 100 00)	67 100 00)	100 100 00)	50 100 00)	100 100 00)	250 100 00)

कोष्ठक (%) मे प्रतिशत दर्शाया गया है।

उपर्युक्त तालिका के अवलोकन से ज्ञात होता है कि चयनित जनप्रतिनिधि वर्ग में 93 00% विवाहित 2 00% अविवाहित 100% विधवा एव 4 00% विदुर हैं कार्मिक वर्ग में शत-प्रतिशत विवाहित हैं।

जनसामान्य मे से चयनित नागरिको मे 85 00% विवाहित 8 00% अविवाहित 3 20% विधवा एव 4 00% विदुर हैं।

अत समग्र उत्तरदाताओ मे से 91 20% विवाहित 4 00% अविवाहित एव 1 60% विधवा एव 3 20% विदुर हैं।

73वे सविधान सशोधन अधिनियम मे पचायती राज सस्थाओ मे चुनाव लड़ने वाले अभ्यार्थी के लिए अधिनियम के लागू होने के पश्चात् दो बच्चो की अर्हता रखी गयी है। इस सन्दर्भ मे चयनित उत्तरदाताओ से उनके बच्चों की सख्या की जानकारी करने पर पाया गया कि जनप्रतिनिधि वर्ग मे 28 00% उत्तरदाता ऐसे हैं जिनके दो बच्चे हैं एव 5 00% ऐसे हैं जिनके कोई बच्चा नहीं है जबकि शेष 67 00% उत्तरदाताओ के दो से अधिक बच्चे हैं। इसका कारण यह रहा है कि चयनित जनप्रतिनिधि वर्ग में केवल 5 00% उत्तरदाता ही ऐसे हैं जिनकी आयु 30 वर्ष तक की है शेष 95 00% उत्तरदाताओ की आयु 30 वर्ष से अधिक की रही है इसलिए इन उत्तरदाताओ के बच्चे अधिनियम से पूर्व के होने के कारण उन पर सीमित

परिवार की अर्हता लागू हो हो पायी है। चयनित उत्तरदाताओं के बच्चों का विवरण तालिका 6 9 में दिया गया है।

तालिका-6 8

उत्तरदाताओ के बच्चो का विवरण

बच्चो की सख्या	जनप्रतिनिधि वर्ग			कार्मिक वर्ग	नागरिक वर्ग	कुल योग
	दोनो व्यवस्थाओ से सम्बद्ध	वर्तमान व्यवस्था से सम्बद्ध	योग			
1	3 (9 09)	7 (10 45)	10 (10 00)	9 (18 00)	9 (9 00)	28 (11.20)
2	5 (15 15)	13 (19 40)	18 (18 00)	11 (22 00)	25 (25 00)	54 (21 60)
3	8 (24 24)	15 (22 39)	23 (23 00)	13 (26 00)	23 (23 00)	59 (23 60)
3 से अधिक	17 (51.52)	27 (40.30)	44 (44 00)	17 (34 00)	30 (30 00)	91 (36 40)
बिल्कुल नहीं	0	5 (7 46)	5 (5 00)	- (13 00)	13 (7.20)	18 (17.20)
योग	33 (100 00)	67 (100 00)	100 (100 00)	50 (100 00)	100 (100 00)	250 (100 00)

कोष्ठक (%) में प्रतिशत दर्शाया गया है।

तालिका के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि जनप्रतिनिधि वर्ग मे 2 बच्चो तक की सख्या वाले उत्तरदाताओ का प्रतिशत 28 00%, कार्मिक वर्ग में 40 00% एव नागरिक वर्ग में 34 00% है। 3 बच्चो की सख्या वालो में जनप्रतिनिधियो का प्रतिशत 23 00% कार्मिक वर्ग में 26 00% एव नागरिकों में 23 00% है। इनके अलावा जनप्रतिनिधि वर्ग में 5 00% एव नागरिको में 13 00% उत्तरदाताओ के अभी कोई बच्चे नहीं है शेष उत्तरदाताओ के तीन से अधिक बच्चे हैं।

चयनित उत्तरदाताओं में समग्र रूप से उनके बच्चो का आकलन करे तो 11 20% उत्तरदाताओ के एक बच्चा, 21 60% के दो बच्चे एव शेष 7 20% उत्तरदाता सन्तानहीन है।

परिवार व्यक्ति के विकास की प्रथम पाठशाला है जहाँ उसे जीवन पथ पर अग्रसर होने के लिए दिशा-बोध कराया जाता है और व्यक्ति के व्यक्तित्व निर्माण की आधारशिला रखी जाती है तथा सस्कारो का बीजारोपण होता है। व्यक्ति के विचार, आचरण, रहन-सहन,

उन्नति प्रतिष्ठा आदि परिवार के ऊपर निर्भर करती है अत परिवार के स्वरूप की जानकारी करना आवश्यक हो जाता है। परिवार के स्वरूप का वर्गीकरण तालिका 6 9 में दिया गया है।

तालिका 6 9

परिवार के स्वरूप का वर्गीकरण

परिवार का स्वरूप	जनप्रतिनिधि वर्ग			कार्मिक वर्ग	नागरिक वर्ग	कुल योग
	दोनों व्यवस्थाओं से सम्बद्ध	वर्तमान व्यवस्था से सम्बद्ध	योग			
संयुक्त	14 (42 42)	18 (26 87)	32 (32 00)	31 (62 00)	54 (54 00)	117 (46 80)
एकांकी	19 (57 58)	49 (73 13)	68 ((8 00)	19 (38 00)	46 (46 00)	113 (53 20)
योग	33 (100 00)	67 (100 00)	100 (100 00)	50 (100 00)	100 (100 00)	250 (100 00)

कोष्ठक (%) मे प्रतिशत दर्शाया गया है।

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि जनप्रतिनिधि वर्ग में दोनो व्यवस्थाओ से सम्बन्धित 42 42% वर्तमान व्यवस्था से सम्बन्धित में 26 87% कार्मिक वर्ग में 62 00% नागरिक वर्ग में 54 00% परिवार सयुक्त रूप से रह रहे हैं जबकि जनप्रतिनिधि वर्ग में दोनो व्यवस्थाओ से सम्बन्धित मे 57 58% वर्तमान व्यवस्था से सम्बन्धित मे 73 13% कार्मिक वर्ग मे 38 00% नागरिको मे 46 00% एकाकी परिवार है। पुराने समय में बड़े एवं सयुक्त परिवार को अच्छा माना जाता था क्योकि उस समय एक ही परम्परागत व्यवसाय पर अधिकाशत निर्भर रहते थे एव व्यक्ति की आवश्यकताएँ एवं आकाक्षाएँ सीमित थीं लेकिन आधुनिक समय मे व्यक्ति के रोजगार रहन-सहन के स्तर उच्च महत्त्वाकाक्षा सीमित परिवार की भावना शिक्षा एवं अन्य कई कारणो से वृद्धि कर रहे हैं। यही कारण है कि चयनित उत्तरदाताओं में समग्र रूप से 46 80% सयुक्त एवं 53 20% एकाकी परिवार है।

परिवार के स्वरूप के विश्लेषण मे एक तथ्य यह भी उजागर हो रहा है कि कार्मिक एवं नागरिक वर्ग मे सयुक्त परिवारों का प्रतिशत क्रमश 62 एव 54 प्रतिशत रहा है जबकि जनप्रतिनिधि वर्ग मे 32 प्रतिशत ही है अर्थात् जनप्रतिनिधि वर्ग में एकाकी परिवारों का प्रतिशत अधिक है। जनप्रतिनिधि वर्ग में भी स्थिति विचित्र देखने को मिल रही है क्योकि जनप्रतिनिधि वर्ग में जो दोनो व्यवस्थाओ से सम्बन्धित उत्तरदाता है उनमें सयुक्त परिवारो का प्रतिशत 42 42% एवं एकाकी परिवारो का प्रतिशत 57 58% है जबकि वर्तमान व्यवस्था से सम्बन्धित जनप्रतिनिधियो में एकाकी परिवारों का प्रतिशत 73 13 एवं संयुक्त परिवारो का प्रतिशत 26 87% है। आशय यह है कि व्यक्ति जैसे जैसे प्रगति पथ पर अग्रसर हो रहा है संयुक्त परिवार विभाजित होकर एकाकी परिवारों के रूप में तब्दील होते जा रहे हैं अत

आधुनिक समय मे सयुक्त परिवार व्यवस्था तीव्र गति से एकाकी परिवार व्यवस्था म परिवर्तित हो रही है इसके कारण वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कुछ भी हो सकते हैं।

परिवार का आकार

व्यक्ति के रहन-सहन आचरण एव विचारो को परिवार का आकार भी अप्रत्यक्ष रुप स प्रभावित करता है। सामान्यत जिस परिवार मे सदस्या की सख्या अधिक होती है उस परिवार को आर्थिक स्थिति दयनीय होने की अधिक सम्भावना रहती है। वर्तमान में सीमित परिवार ही सुखी रह सकता है उत्तरदाताओ से परिवार मे सदस्य सख्या की जानकारी प्राप्त करने पर जो उन्होने सदस्यो की सख्या अवगत करवायी है उसका विवरण तालिका 6 10 में दिया गया है।

तालिका-6 10

उत्तरदाताओ के परिवार मे कुल सदस्य सख्या

उत्तरदाताओं की श्रेणी	परिवार में कुल सदस्यों की सख्या								
	वयस्क			अवयस्क			कुल योग		
	पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	योग
जनप्रतिनिधि वर्ग	299	263	562	140	135	275	439	398	837
(अ) दोनों व्यवस्था से सम्बद्ध	123	105	228	57	60	117	180	165	345
(ब) वर्तमान व्यवस्था से सम्बद्ध	176	158	334	83	75	158	259	233	492
कार्मिक वर्ग	121	106	227	41	85	126	162	191	353
नागरिक वर्ग	308	236	544	185	193	378	493	492	922
कुल योग	728	605	1333	366	413	779	1094	1018	2112

तालिका के अवलोकन से ज्ञात होता है कि जनप्रतिनिधि वर्ग मे दोनो व्यवस्था से सम्बद्ध 33 उत्तरदाताओ के परिवार में वयस्क सदस्यो की सख्या 228 एव अवयस्क सदस्यो की सख्या 117 इस प्रकार कुल 345 सदस्य है जिसमे 180 पुरुष एव 165 स्त्री हैं। इन जनप्रतिनिधियो के परिवार में औसत सदस्य सख्या 10 है। वर्तमान व्यवस्था से सम्बद्ध 67 जनप्रतिनिधियो के परिवार मे वयस्क सदस्यो की सख्या 334 एव अवयस्क सदस्यो की सख्या 158 इस प्रकार कुल 492 सदस्य हैं जिसमें 259 पुरुष एव 233 स्त्री हैं इन जनप्रतिनिधियो के परिवार में औसत सदस्यो की सख्या 7 है।

अत उत्तरदाताओ मे जनप्रतिनिधि वर्ग के 100 उत्तरदाताओ के परिवार में वयस्क सदस्यो की सख्या 562 एव अवयस्क सदस्यो की सख्या 275 इस प्रकार कुल 837 सदस्य हैं जिसमें 439 पुरुष एव 398 स्त्रियाँ हैं जप्रतिनिधियो के परिवारो मे औसत सदस्यो की सख्या 8 है।

कार्मिक वर्ग में 50 उत्तरदाताओ के परिवार में वयस्क सदस्यो की सख्या 227 एव अवयस्क 126 कुल 353 सदस्य हैं जिसमें 162 पुरुष एव 191 स्त्रियाँ हैं। कार्मिक वर्ग के उत्तरदाताओं के परिवारों में औसत सदस्यों की सख्या 7 है।

जनसामान्य से चयनित 100 उत्तरदाताओ के परिवार में वयस्क सदस्य 344 एव अवयस्क 378 कुल 922 सदस्य हैं जिसमें 378 पुरुष एव 493 स्त्रियाँ हैं इन उत्तरदाताओ के परिवारों में औसत सदस्य सख्या 9 है।

इस प्रकार चयनित समग्र 250 उत्तरदाताओ के परिवारो में वयस्क सदस्य 1333 एव अवयस्क 779 कुल 2112 सदस्य हैं जिसमे 1094 पुरुष एव 1080 स्त्रियाँ हैं। इन परिवारो में औसत सदस्य सख्या 8 है।

परिवार में कमाने वाले सदस्यो की संख्या

चयनित उत्तरदाताओ के परिवारों मे कुल सदस्यो की सख्या मे आय वाले सदस्यो की सख्या की जानकारी करने पर जो स्थिति सामने आयी है उसका विवरण तालिका 6 11 में दिया गया है।

तालिका 6 11

कमाने वाले सदस्यो की सख्या

उत्तरदाताओ की श्रेणी	उत्तरदाताओ की सख्या	परिवारो में कुल सदस्यो की सख्या	कुल कमाने वाले सदस्यो की सख्या	कमाने वाले सदस्यो का प्रतिशत
जनप्रतिनिधि वर्ग	100	837	179	21 39
(अ) दोनों व्यवस्था से सम्बद्ध	33	345	57	16 52
(ब) वर्तमान व्यवस्था से सम्बद्ध	67	492	122	24 80
कार्मिक वर्ग	50	353	96	27 20
नागरिक वर्ग	100	922	518	26 36
कुल योग	250	2112	518	24 53

तालिका से स्पष्ट होता है कि चयनित उत्तरदाताओ मे जनप्रतिनिधि वर्ग म 837 सदस्यो मे से 179 सदस्य कमाने वाले हैं जो कि कुल सदस्यो का 21 39% है। दोनो व्यवस्थाओ से सम्बद्ध जनप्रतिनिधियो के परिवार मे 16 52% एव वर्तमान व्यवस्था से सम्बद्ध जनप्रतिनिधियो के परिवार मे 24 80% सदस्य कमाने वाले हैं।

कार्मिक वर्ग के परिवारो मे 27 20 एव नागरिको के परिवारो मे 26 36% सदस्य कमाने वाले हैं। चयनित उत्तरदाताओ में श्रेणीवार तुलनात्मक स्थिति का आकलन किया जावे तो जनप्रतिनिधि वर्ग मे 21 39% कार्मिक वर्ग मे 27 20% एव नागरिक वर्ग म 26 36% सदस्य कमाने वाले है। तीनो श्रेणी के उत्तरदाताओ मे कमाने वाले सदस्या का सबसे अधिक

प्रतिशत कार्मिक वर्ग में एव सबसे कम प्रतिशत जनप्रतिनिधि वर्ग में है। चयनित उत्तरदाताओं में समग्र रूप से कमाने वाले सदस्यो का कुल सदस्यों की सख्या में प्रतिशत 24 53 है। अत: कमाने वाले सदस्यो का 24 53 प्रतिशत अच्छी स्थिति को प्रदर्शित नहीं करता है।

व्यवसाय का वर्गीकरण

व्यवसाय व्यक्ति के विचार, रहन-सहन के स्तर को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है जिस प्रकार एक प्रशासनिक अधिकारी अपने प्रशासनिक संगठन में अपने कार्यों का सही रूप में निष्पादन करता है जबकि एक मजदूर अपने कार्यों को बोझ मानकर करता है। व्यक्ति के चिन्तन, कार्य-प्रणाली, कार्य-निष्पादन उसके व्यवसाय से प्रभावित होते हैं, क्योंकि व्यक्ति जिस प्रकार का व्यवसाय करता है उसके सोचने का तरीका भी वैसा ही रहता है। एक अध्यापक अपने शिक्षण कार्य का चिन्तन करता है तो प्रशासनिक अधिकारी प्रशासनिक कार्यों का चिन्तन करता है जबकि कृषक कृषि उत्पादन बढाने के बारे में चिन्तन करता है इन व्यक्तियों पर चिन्तन के साथ-साथ जीवनस्तर पर भी व्यवसाय का प्रभाव पडता है। इसलिए उत्तरदाताओ के व्यवसाय की जानकारी करना सामाजिक एवं आर्थिक पहलुओं के लिए आवश्यक होता है। सामाजिक शोधकार्यों में शोधकर्ता समाज के प्रत्येक पहलु पर गहनता से विचार करता है। प्रस्तुत शोधकार्य मे भी उत्तरदाताओ के व्यवसाय की जानकारी प्राप्त की गयी है जिसका विवरण तालिका 6 12 में दिया गया है।

तालिका-6.12

व्यवसाय का वर्गीकरण

उत्तरदाताओ का व्यवसाय	जनप्रतिनिधि वर्ग			कार्मिक वर्ग	नागरिक वर्ग	कुल योग
	दोनो व्यवस्थाओं से सम्बद्ध	वर्तमान व्यवस्था से सम्बद्ध	योग			
नौकरी	-	-	-	50 (100 00)	7 (7 00)	57 (22.80)
कृषि व पशुपालन	19 (57.58)	37 (55.22)	56 (56 00)	-	25 (25 00)	81 (32.40)
व्यापार	5 (15 15)	11 (16 42)	16 (16.00)	-	30 (30 00)	46 (18 40)
मजदूरी	3 (9 09)	9 (13 43)	12 (12.00)	-	23 (23 00)	35 (14 00)
अन्य	6 (18 18)	10 (14 93)	16 (16 00)	-	15 (15 00)	31 (21 40)
योग	33 (100 00)	67 (100 00)	100 (100 00)	50 (100 00)	100 (100 00)	250 (100 00)

कोष्ठक (%) में प्रतिशत दर्शाया गया है।

उपर्युक्त तालिका में उत्तरदाताओं के व्यवसाय सम्बन्धी जानकारी को देखने से ज्ञात होता है कि जनप्रतिनिधि वर्ग के उत्तरदाताओं में जो दोनों व्यवस्थाओं में जनप्रतिनिधि रहे हैं 57 58% कृषि एवं पशुपालन 15 15% व्यापार 9 09% मजदूरी एवं 18 18% अन्य कार्य करते हैं। इन उत्तरदाताओं में अधिकांश उत्तरदाताओं का व्यवसाय कृषि एवं पशुपालन है। वर्तमान व्यवस्था से सम्बन्धित जनप्रतिनिधियों की स्थिति भी वैसी है। इन उत्तरदाताओं में 55 22% कृषि व पशुपालन 16 42% व्यापार 13 43% मजदूरी एवं 14 93% अन्य कार्य करते हैं।

कार्मिक वर्ग के उत्तरदाताओं में शत प्रतिशत का व्यवसाय नौकरी है। नागरिक वर्ग में 7 00% नौकरी 25 00% कृषि एवं पशुपालन 30 00% व्यापार 23 00% मजदूरी एवं 15 00% अन्य व्यवसाय करते हैं। नागरिक वर्ग में अधिकतम उत्तरदाता व्यापार व्यवसाय से सम्बन्धित है।

उत्तरदाताओं को समग्र रूप से देखा जाये तो सर्वाधिक 32 40% उत्तरदाता कृषि एवं पशुपालन कार्य करते हैं जबकि 22 80% नौकरी 18 40% व्यापार 14 00% मजदूरी एवं 12 40% अन्य व्यवसाय करते हैं। शोधकार्य पंचायतीराज संस्थाओं से सम्बन्धित होने के कारण साक्षात्कार करने हेतु उत्तरदाताओं का चयन ग्रामीण क्षेत्र से ही किया गया है। ग्राम वासियों का मुख्य व्यवसाय कृषि व पशुपालन होता है अतः चयनित उत्तरदाताओं में भी सर्वाधिक का व्यवसाय कृषि व पशुपालन ही रहा है।

वार्षिक आय का विश्लेषण

व्यक्ति की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों में आय एक महत्त्वपूर्ण कारक है। वर्तमान में समाज व्यक्ति के गुण दोषो का मूल्यांकन उसकी आय के दर्पण में करता है। व्यक्ति की आय के आधार पर उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि एवं प्रतिष्ठा का निर्धारण होता है। व्यक्ति के आचरण विचार व्यवहार प्रतिभा आदि गुणों के साथ साथ आर्थिक सुदृढ़ता को भी गुणों में महत्त्वपूर्ण स्थान दिया जाने लगा है। व्यक्ति की आय प्रत्येक क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण स्थान होने के कारण आय सम्बन्धी जानकारी प्राप्त करना सामाजिक शोध के लिए आवश्यक हो गया है। उत्तरदाताओं की वार्षिक आय का वर्णन तालिका 6 13 में दिया गया है।

तालिका-6.13

उत्तरदाताओं की वार्षिक आय का वर्गीकरण

वार्षिक आय (रुपयो में)	जनप्रतिनिधि वर्ग			कार्मिक वर्ग	नागरिक वर्ग	कुल योग
	दोनो व्यवस्थाओ से सम्बद्ध	वर्तमान व्यवस्था से सम्बद्ध	योग			
0 से [illegible] हजार	9 (27 27)	19 (28.36)	28 (28 00)	2 (4 00)	39 (39 00)	69 (27 60)
50 से 1 लाख	12 (36.37)	23 (34 32)	35 (35 00)	11 (22 00)	12 (12 00)	58 (23.20)
1 से 1 50 लाख	3 (9 09)	8 (11 94)	11 (11 00)	13 (26 00)	28 (28 00)	52 (20 80)
1 50 से 2 लाख	3 (9 09)	6 (8 96)	9 (9 00)	12 (24 00)	14 (14 00)	35 (14 00)
2 से 2 50 लाख	-	6 (8 96)	6 (6 00)	8 (16 00)	3 (3 00)	17 (6 80)
2 51 एव अधिक	5 (15 15)	4 (5 97)	9 (9 00)	4 (8 00)	2 (2.00)	15 (6 00)
प्रत्युत्तर	1 (3 03)	1 (4 49)	2 (2 00)	-	2 (2 00)	4 (1 60)
योग	33 (100 00)	67 (100 00)	100 (100 00)	50 (100 00)	100 (100 00)	250 (100 00)

कोष्ठक (%) मे प्रतिशत दर्शाया गया है।

तालिका के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि जनप्रतिनिधि वर्ग के उत्तरदाताओ मे दोनो व्यवस्थाओ से सम्बन्धित जनप्रतिनिधियो की वार्षिक आय मे 27 27% उत्तरदाताओ की 50 हजार रुपये, 36 36% की 50 हजार से 1 लाख रु, 9 09% की 1 लाख से 1 50 लाख रु, 9 09% की 1 50 से 2 लाख रु एव 15 15% की 2 51 लाख रु एवं अधिक की वार्षिक आय होना अवगत करवाया है। शेष 3 03% उत्तरदाताओं ने आय की जानकारी नहीं करवायी है। वर्तमान व्यवस्था से सम्बन्धित जनप्रतिनिधियो मे से 28 36% ने 0-50 हजार रु, 34 32% ने 50 हजार से 1 लाख, 11 94% ने 1 से 1 50 लाख, 8 96% ने 1 50 से 2

लाख, 8 96% ने 2 से 2 50 लाख रु तक एव 5 97% ने 2 51 लाख रु एव अधिक की वार्षिक आय का होना अवगत करवाया है शेष 1.49% ने प्रत्युत्तर नहीं दिया है।

इस प्रकार जनप्रतिनिधि वर्ग में दोनो प्रकार के उत्तरदाताओ में से 20 00% को 0 से 50 हजार रु , 35 00% को 50 हजार से 1 लाख, 11 00% को 1 से 1 50 लाख, 9 00% को 1 50 से 2 लाख रु एव अधिक की वार्षिक आय प्राप्त होने की जानकारी करवायी गयी है। शेष 2 00% ने कोई जानकारी आय सम्बन्धी उपलब्ध नहीं करवायी है।

कार्मिक वर्ग के उत्तरदाताओ में से 4 00% ने 0 से 50 हजार रु , 22 00% ने 50 हजार से 1 लाख रु , 26 00% ने 1 से 1 50 लाख रु 24 00% ने 1 50 से 2 00 लाख रु , 16 00% ने 2 से 2 50 लाख रु तक एव 8 00% ने 2 51 लाख रु एव अधिक की वार्षिक आय होना अवगत करवाया है। नागरिक वर्ग के उत्तरदाताओ में 39 00% ने 0 से 50 हजार रु , 12 00% ने 50 हजार से 1 लाख रु , 28 00% ने 1 से 1 50 लाख 14 00% ने 1 50 से 2 लाख रु , 3 00% 2 से 2 50 लाख रु तक एव 2 00% ने 2 51 लाख रु एव अधिक की वार्षिक आय होना अवगत करवाया है। शेष 2 00% उत्तरदाताओ ने वार्षिक आय की जानकारी नहीं दी है।

अतः उत्तरदाताओं की समग्र रूप से वार्षिक आय का विश्लेषण किया जावे तो ज्ञात होता है कि उनमें से 27 60% को 0 से 50 हजार, 23 20% को 50 से 1 लाख रु , 20 80% को 1 से 1 50 लाख, 14 00% को 1 50 लाख से 2 लाख, 6 80% को 2 से 2 50 लाख रु तक एव 6 00% को 2 51 लाख रु एव अधिक की वार्षिक आय की जानकारी करवायी है शेष 1 67% ने इस सम्बन्ध में प्रत्युत्तर नहीं दिया है। अत सबसे कम आय समूह 0-50 हजार में उत्तरदाताओ का प्रतिशत 27 60 है। जबकि सबसे अधिक 2 51 लाख रु एव अधिक उत्तरदाताओ का प्रतिशत 6 00 है। उत्तरदाताओ के पास कृषि भूमि का क्षेत्रफल, परिवार में कुल एव उनमें कमाने वाले सदस्यो के प्रतिशत के आकलन से उत्तरदाताओं द्वारा उनकी वार्षिक आय कम अवगत करवाया जाना प्रतीत होता है।

कृषि योग्य भूमि का विवरण

जैसाकि पूर्व में उत्तरदाताओं के व्यवसाय वर्गीकरण मे कुल उत्तरदाताओ में से 32 40% उत्तरदाताओं का व्यवसाय कृषि व पशुपालन पाया गया है। इस सन्दर्भ में उत्तरदाताओं की कृषि भूमि सम्बन्धी जानकारी प्राप्त करना भी आवश्यक हो गया है। कृषकों एव मजदूरो के लिए कृषि योग्य भूमि उनके जीवन-यापन का प्रमुख साधन है जबकि कार्मिक वर्ग के लिए यह आमदनी का अतिरिक्त स्रोत है। चयनित उत्तरदाताओ में जनप्रतिनिधियों एव नागरिकों की सामाजिक व आर्थिक स्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों में एक मुख्य कारक उनके पास कृषि योग्य भूमि का होना भी माना गया है। कृषि पर पशुधन निर्भर रहता है। चयनित उत्तरदाताओं के पास कृषि योग्य भूमि की जानकारी प्राप्त करने पर जो उन्होने अवगत करवाया है उसका विवरण तालिका 6 14 में दिया गया है।

तालिका-6 14

कृषि योग्य भूमि का विवरण

कृषि भूमि (बीघो में)	जनप्रतिनिधि वर्ग			कार्मिक वर्ग	नागरिक वर्ग	कुल योग
	दोनो व्यवस्थाओ से सम्बद्ध	वर्तमान व्यवस्था से सम्बद्ध	योग			
0-10	3 (9 09)	20 (29 85)	23 (23 00)	5 (10 00)	22 (22 00)	50 (20 00)
11-20	3 (9 09)	14 (20 92)	17 (17 00)	23 (46 00)	13 (53 00)	53 (21.20)
21-30	3 (9 09)		3 (3 00)	-	29 (29 00)	32 (12 80)
31 40	-	11 (16 42)	11 (11 00)	-	-	11 (4 40)
41 50	4 (12 12)	13 (19 40)	17 (17 00)	-	-	17 (6 80)
51 से अधिक	17 (51 52)	-	17 (17 00)	-	-	17 (6 89)
बिल्कुल नहीं	3 (9 09)	9 (13 43)	12 (12 00)	22 (44 00)	25 (25 00)	59 (23 60)
योग	33 (100 00)	67 (100 00)	100 (100 00)	50 (100 00)	100 (100 00)	250 (100 00)

कोष्ठक (%) में प्रतिशत दर्शाया गया है।

तालिका के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि जनप्रतिनिधि वर्ग के उत्तरदाताओ मे से जो जनप्रतिनिधि दोनो व्यवस्थाओ से सम्बद्ध है उनके पास कृषि भूमि सिंचित क्षेत्रफल 9 09% के पास 0 से 10 बीघा, 9 09% के पास 11 से 20 बीघा, 9 09% के पास 21 से 30 बीघा, 12 12% के पास 41 से 50 बीघा, 51 52% के पास 51 बीघा से अधिक का सिंचित क्षेत्रफल उनके पास है। शेष 9 09% के पास सिंचित क्षेत्रफल नहीं है। वर्तमान व्यवस्था से सम्बद्ध जनप्रतिनिधियो मे 29 85% के पास 0 से 10 बीघा, 20 90% के पास 11 से 20 बीघा, 16 42% के पास 31 से 40 बीघा एव 19 40% के पास 41 से 50 बीघा सिंचित क्षेत्रफल कृषि-भूमि है। जनप्रतिनिधियो मे दोनो श्रेणी के उत्तरदाताओ का तुलनात्मक विश्लेषण देखा जाये तो ज्ञात होता है कि जो जनप्रतिनिधि दोना व्यवस्था से सम्बन्धित है उनके पास सिंचित कृषि भूमि का क्षेत्रफल वर्तमान व्यवस्था से सम्बन्धित जनप्रतिनिधियो की अपेक्षा उनके पास अधिक है।

कार्मिक वर्ग के उत्तरदाताओ मे से 10 00% के पास 0 से 10 बीघा एव 46 00% के पास 11 से 20 बीघा कृषि भूमि का सिचित क्षेत्रफल है जबकि 44 00% के पास 51 बीघा से अधिक सिचित भूमि का क्षेत्रफल है जबकि 25 00% के पास सिचित भूमि बिल्कुल नहीं है।

अत: समग्र उत्तरदाताओ के कृषि भूमि के सिचित क्षेत्रफल का विश्लेषण देखा जावे तो 20 00% के पास 0 से 10 बीघा, 21 20% के पास 11 से 20 बीघा, 12 80% के पास 21 से 30 बीघा, 4 40% के पास 31 से 40 बीघा, 6 80% के पास 41 से 50 बीघा एव 11 20% के पास 51 बीघा से अधिक सिचित कृषि भूमि का क्षेत्रफल है जबकि 23 60% के पास सिचित कृषि भूमि क्षेत्रफल शून्य है।

असिंचित कृषि भूमि

उत्तरदाताओ के पास सिचित कृषि क्षेत्र के साथ ही असिचित कृषि भूमि की भी जानकारी की गई जिसमें जनप्रतिनिधि वर्ग के उत्तरदाताओ, कार्मिक वर्ग एव नागरिको से जो सूचना प्राप्त हुई है उसका उत्तरदाताओ की श्रेणीवार भूमि के क्षेत्रफल का विवरण तालिका 6 15 में दिया गया है।

तालिका-6.15

असिंचित कृषि योग्य भूमि का विवरण

कृषि भूमि (बीघो में)	जनप्रतिनिधि वर्ग			कार्मिक वर्ग	नागरिक वर्ग	कुल योग वर्ग
	दोनो व्यवस्थाओ से सम्बद्ध	वर्तमान व्यवस्था से सम्बद्ध	योग			
0-10	6 (18 18)	5 (7 46)	11 (11 00)	-	-	11 (4 40)
11-20	-	11 (16 42)	11 (11 00)	-	12 (12 00)	23 (9 20)
21-30	-	6 (8 95)	6 (6 00)	-	13 (13 00)	19 (7 60)
31-40	-	-	-	-	-	-
41-50	-	-	-	5 (10 00)	-	5 (2 00)
51 से अधिक	3 (9 09)	6 (8 95)	9 (00)	-	-	9 (3 60)
बिल्कुल नहीं	24 (72 73)	39 (58 22)	63 (63 00)	45 (90 00)	75 (75 00)	183 (73 20)
योग	33 (100 00)	67 (100 00)	100 (100 00)	50 (100 00)	100 (100 00)	250 (100 00)

कोष्ठक (%) में प्रतिशत दर्शाया गया है।

तालिका के अवलोकन करने पर ज्ञात होता है कि जनप्रतिनिधि वर्ग के उत्तरदाताओ में जो दोनो व्यवस्थाओ से सम्बन्धित जनप्रतिनिधि है उनमे से 18 18% के पास 0 से 10 बीघा, 9 09% के पास 51 एव अधिक बीघा असिचित कृषि भूमि है जबकि 72 73% के पास असिचित कृषि भूमि बिल्कुल नहीं है। वर्तमान व्यवस्था से सम्बन्धित जो जनप्रतिनिधि है उनमें से 7 46% के पास 0 से 10 बीघा, 16 42% के पास 11 से 20 बीघा, 8 95% के पास 21 स 30 बीघा, 8 95% के पास 51 बीघा एव अधिक को कृषि भूमि का असिचित क्षेत्र है।

कार्मिक वर्ग में केवल 10 00% के पास 41 से 50 बीघा कृषि भूमि असिचित क्षेत्र है जबकि 90 00% क पास असिचित कृषि भूमि बिल्कुल भी नहीं है। नागरिक वर्ग मे 12 00% के पास 11 से 20 बीघा, 13 00% के पास 21 से 30 बीघा एव 75 00% के पास असिचित कृषि भूमि बिल्कुल भी नहीं है।

अत उत्तरदाताओ का समग्र रूप मे विश्लेषण किया जावे तो 4 40% के पास 0 से 10 बीघा, 9 20% के पास 11 से 20 बीघा 7 60% के पास 21 से 30 बीघा, 2 00% के पास 41 से 50 बीघा एव 3 60% के पास 51 से अधिक को कृषि भूमि असिचित है जबकि 73 20% के पास असिचित भूमि नहीं है।

उत्तरदाताओ के पास कृषि भूमि की जानकारी करने पर पाया गया कि जनप्रतिनिधि वर्ग मे दोनो व्यवस्थाओ से सम्बन्धित जनप्रतिनिधियो मे शत-प्रतिशत के पास कृषि भूमि है। वर्तमान व्यवस्था से सम्बन्ध जनप्रतिनिधियो मे से 7 46% के पास, कार्मिक वर्ग मे 44 00% के पास एव नागरिक वर्ग में 14 00% के पास कृषि भूमि नहीं है।

भारत वर्ष में भूमि सुधार का प्राथमिक लक्ष्य था कि भूस्वामियो की समस्त भूमि एक निश्चित सीमा से अधिक हुई तो राज्य उस भूमि का अधिग्रहण कर लेगा और छोटे काश्तगारो में बाँट देगा ताकि उनकी कृषि योग्य भूमि आर्थिक दृष्टि से उपयोगी बन सके। इसके साथ ही एक विकल्प यह भी था कि अधिग्रहित भूमि भूमिहीन मजदूरो को दे दी जाये ताकि उनको भूमि की आवश्यकता पूरी हो सके। राज्य मे जनसख्या वृद्धि एव एकाकी परिवारो की बढती हुई सख्या के कारण कृषि जोत का आकार छोटा होने के साथ-साथ वर्षा को अनिश्चितता एव सिचाई की पूर्ण सुविधा न मिलने के कारण कृषि पर निर्भरता कम होती जा रही है। वर्षा की कमी एव सिचाई सुविधा के अभाव में ग्रामीण परिवार अन्य व्यवसायो की तरफ अग्रसर हो रहे हैं जैसा कि पूर्व में उत्तरदाताओ के व्यावसायिक विवरण से स्पष्ट होता है।

ग्रामीण क्षेत्रो में कृषि भूमि उनके सम्मान व आय मे यह महत्वपूर्ण स्थान रखती है। कृषि भूमि से कृषक परिवार का जीविकोपार्जन तो होता ही है इसके साथ ही कृषि उत्पादन से देश की आर्थिक स्थिति को सुदृढ करने मे भी सहायता मिलती है। इसी कारण सरकार द्वारा भी कृषि उत्पादन बढाने हेतु कृषि उपकरणों व उर्वरको तथा कीटनाशक दवाइयो मे अनुदान उपलब्ध करवाया जाता है।

सिचाई के साधन

भारत मे कृषि अधिकतर मानसून पर निर्भर रहती है अत: मानसून मे वर्षा अच्छी होती है तो कृषि उत्पादन मे वृद्धि होती है तथा पशुओ के लिए पर्याप्त चारा भी मिलता है और मानसून में वर्षा अपर्याप्त होने पर कृषि उत्पादन तो प्रभावित होता ही है साथ ही पशुओ के लिए चारे एव पानी की भी समस्या उत्पन्न हो जाती है। विगत वर्षों में राज्य में वर्षा कम हो

रही है तथा सभी जिलों में समान रूप से नहीं होती है। कहीं वर्षा अधिक तो कहीं कम वर्षा होने से कृषि उत्पादन के लिए फसल को पानी आवश्यक होता है इसलिए सिचाई साधनों का महत्त्व बढ जाता है। चयनित उत्तरदाताओ का कृषि भूमि की जानकारी का विवरण पूर्व में दिया गया है इसलिए कृषि भूमि के लिए उनके पास सिचाई सुविधा के क्या-क्या साधन हैं ? इसकी भी जानकारी करने पर उन्होने जो अवगत करवाया है उन सिचाई साधनों का विवरण तालिका 6 16 में दिया गया है।

तालिका-6 16

सिचाई के स्रोत

सिंचाई के स्रोत	जनप्रतिनिधि वर्ग			कार्मिक वर्ग	नागरिक वर्ग	कुल योग
	दोनों व्यवस्थाओं से सम्बन्द्ध	वर्तमान व्यवस्था से सम्बन्द्ध	योग			
कुआँ	9 (27 27)	6 (8 96)	15 (15 00)	5 (10 00)	17 (17 00)	37 (14 80)
पम्पसैट	6 (18 18)	26 (38 81)	32 (32 00)	12 (24 00)	21 (21 00)	65 (26 00)
नहर	9 (27 27)	16 (23 28)	25 (25 00)	5 (10 00)	27 (27 00)	57 (22 80)
नहर एव पम्पसैट	6 (18 18)	10 (14 93)	16 (16 00)	6 (12 00)	10 (10 00)	32 (12 80)
कोई नहीं	3 *(9 09)*	9 *(13 43)*	12 *(12 00)*	22 *(44 00)*	25 *(25 00)*	59 *(23 60)*
योग	33 (100 00)	67 (100 00)	100 (100 00)	50 (100 00)	100 (100 00)	250 (100 00)

कोष्ठक (%) मे प्रतिशत दर्शाया गया है।

तालिका के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि चयनित उत्तरदाताओ में जनप्रतिनिधि वर्ग के जो दोनो व्यवस्थाओ से सम्बन्धित जनप्रतिनिधि है उनके पास कृषि भूमि के लिए सिचाई के साधनो मे 27 27% के कुआँ, 18 18% के पम्पसैट, 27 27% के नहर एव 18 18% के पम्पसैट एव नहर दोनो प्रकार के साधन हैं। शेष 9 09% के पास सिचाई का कोई स्रोत नहीं है। वर्तमान व्यवस्था से सम्बन्धित जो उत्तरदाता है उनमे 8 96% के कुआँ, 38 81% के पम्पसैट, 23 88% के नहर एव 14 93% के पम्पसैट एव नहर दोनों तरह के साधन हैं।

कार्मिक वर्ग के उत्तरदाताओं मे से 10 00% के कुआँ 24 00% के पम्पसैट 10 00% के नहर, 12 00% के नहर एव पम्पसैट दोनो प्रकार के सिचाई के साधन हैं।

नागरिक वर्ग के उत्तरदाताओं में से 17 00% के कुओं, 21 00% के पम्पसैट, 27 00% के नहर 10 00% के नहर एव पम्पसैट दोनो प्रकार के साधन हैं जबकि शेष 25 00% के पास सिचाई का कोई स्रोत नहीं है।

अत: उत्तरदाताओं के सिचाई स्रोतो को समग्र उत्तरदाताओं के आकलन से ज्ञात होता है कि 14 80% के कुओं, 26 00% के पम्पसैट, 22 80% के नहर, 12 80% नहर व पम्पसैट दोनो तरह के सिचाई के स्रोत हैं जबकि शेष 23 00% के कोई सिचाई का साधन नहीं है। चयनित उत्तरदाताओं में से अधिकाशत: उत्तरदाता नहर तथा पम्पसैट से कृषि भूमि की सिचाई करते हैं।

सन्दर्भ

1 ए.एस अल्तेकर, *प्राचीन भारतीय शासन पद्धति,* 173-74, देहली मोतीलाल बनारसी दास, 1949।

2 उपर्युक्त पृष्ठ—171-73।

3 उपर्युक्त पृष्ठ—171-72।

4 जयनारायण पाण्डेय, *भारत का सविधान,* 1990 पृष्ठ 277, 20वाँ सस्करण, सेन्ट्रल लॉ एजेंसी, इलाहाबाद।

5 रवीन्द्र शर्मा, *ग्रामीण स्थानीय प्रशासन,* प्रिन्टवेल पब्लिशर्स, जयपुर, 1985, पृ 10।

6 डी सी *पोटर गवर्नमेन्ट इन रूरल एरिया,* 1964 पृ 86, उद्धत आर.पी शर्मा, ग्रामीण स्थानीय प्रशासन प्रिन्ट वेल पब्लिशर्स, जयपुर, 1985।

7. तिवाडी, चौधरी एव चौधरी, *राजस्थान में पचायत कानून,* ऋचा प्रकाशन, 1995, जयपुर पृ 12।

□□□

7

पंचायती राज व्यवस्था : अनुभवमूलक अध्ययन [द्वितीय]

[संगठन एवं कार्यकरण]

पंचायती राज संगठन में निम्नतम स्तर पर ग्रामसभा/ग्राम पंचायत इसके ऊपर खण्ड स्तर पर पंचायत समिति और शिखर पर जिला परिषद् होती है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतान्त्रिक देश है। पंचायती राज लोकतन्त्र का ही स्वरूप है। जनता और सत्ता का आपसी समन्वय है। इसमें गाँव से दिल्ली तक के प्रशासन के सभी स्तरों पर जनता का अधिकार है। कर्त्तव्यों का बराबर-बराबर बँटवारा है। पंचायती राज अथवा लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण वास्तव में प्राचीन पंचायतों का ही परिष्कृत रूप है परन्तु समय-समय पर अधिनियमों के द्वारा इसमें नये उद्देश्य, नई शक्ति और नये तरीकों का समावेश कर दिया गया है। पंचायती राज में विकास का काम सक्षमता की दृष्टि से चार स्तरों पर इस तरह विभक्त किया गया है कि ग्रामीण विकास का दायित्व सरकार से हटाकर जनता द्वारा चुनी गई स्थानीय संस्थाओं के हाथ में *आ गया है जो लोकसभा से ग्रामसभा तक मिस्र के पिरामिड की आकृति लेते हैं।* पंचायती राज के लोकतान्त्रिक स्वरूप को पंचायती राज संस्थाओं में इस तरह विभाजित किया है कि पंचायती राज संस्थाओं को पूर्णरूपेण स्वायत्तता प्राप्त हो गयी है। सत्ता का विकेन्द्रीकरण इसलिए किया गया है कि लोकतन्त्र और विकेन्द्रीकरण में घनिष्ठ सम्बन्ध है तथा दोनों एक-दूसरे के पूरक हैं। विकेन्द्रीकरण के बिना लोकतन्त्र का पूर्णतः विकसित होना असम्भव है।

विख्यात राजनीतिशास्त्री ब्राइस ने इसी बात को इस तरह लिखा है कि स्थानीय शासन की पद्धति लोकतन्त्र की सर्वोत्तम पाठशाला और उसकी सफलता की सबसे अच्छी गारण्टी है। "लोकतन्त्र शासन का वह रूप है जिसमें राज्याधिकार किसी विशेष श्रेणी के लोगों को नहीं वरन् समूचे समाज के लोगों को प्रदान किये जाते हैं।" बलवन्तराय मेहता के अनुसार "लोकतन्त्र की परिकल्पना यह है कि केवल ऊपर से ही शासन न चलाया जाए, बल्कि

स्थानीय प्रतिभाओ का विकास किया जाये। यह तभी सम्भव है जबकि सक्रियता से सरकार के कार्यों में भाग ले सके। यही सत्ता का विकेन्द्रीकरण अथवा पचायती राज है।" इस स्थिति को हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि जिस राज्य में सत्ता का जितना अधिक विस्तार होगा वह उतना ही अधिक लोक कल्याणकारी राज्य होगा। जब सर्व-साधारण के पास अधिकार आयेगे तो वे अपना कर्त्तव्यपालन भी निष्ठा के साथ सीखेगे। विकेन्द्रित व्यवस्था में जनता अपने विकास और कल्याण कार्यों के लिए शासन पर निर्भर न रहकर स्वय अपने साधनो से कार्य पूर्ण करने हेतु तत्पर रहेगी क्योंकि उसके पास सत्ता होगी, अधिकार होंगे तथा उनको उपयोग करने की शक्ति भी होगी।

चुनाव व्यवस्था व प्रक्रिया

शोधकार्य हेतु साक्षात्कार किये गये उत्तरदाताओ से पचायती राज सस्थाओ में चुनाव लडने के बारे मे जो जानकारी प्राप्त की गई उसका विवरण तालिका 7 1 में दिया गया है।

तालिका-7.1

पचायती राज सस्थाओ का चुनाव

उत्तरदाताओ की श्रेणी	उत्तरदाताओ की सख्या	चुनाव लडा		यदि हाँ तो किस सस्था के लिए		
		हाँ	नहीं	ग्राम पचायत	प स	जिला परिषद
जनप्रतिनिधि वर्ग	100	100	-	51	36	13
(अ)दोनो व्यवस्था से सम्बद्ध	33	33	-	18 (54.55)	15 (45 45)	-
(ब)वर्तमान व्यवस्था से सम्बद्ध	67	67	-	33 (49.25)	21 (31.34)	13 (19 41)
कार्मिक वर्ग	50	-	50	-	-	-
नागरिक वर्ग	100	13	87	13 (100 00)	-	-
कुल योग	250 (100 00)	113 (45.20)	137 (54 80)	64 (56 64)	36 (31 86)	13 (11 50)

कोष्ठक (%) में प्रतिशत दर्शाया गया है।

उपर्युक्त तालिका के अवलोकन से ज्ञात होता है कि चयनित उत्तरदाताओ में जनप्रतिनिधि वर्ग के शत-प्रतिशत उत्तरदाताओं ने पचायती राज सस्थाओं का चुनाव लडा है जबकि कार्मिक वर्ग के किसी भी उत्तरदाता ने चुनाव नहीं लडा है। नागरिक वर्ग के उत्तरदाताओं में से 13 00% ने पचायती राज सस्थाओं का चुनाव लडा है जबकि 87.00% ने चुनाव नहीं लडा है।

पचायती राज सस्थाओ का जनप्रतिनिधि वर्ग मे दोनो व्यवस्थाओ से सम्बद्ध उत्तरदाताओं मे से 54 55% ने ग्राम पचायत एव 45 45% ने पचायत समिति स्तर का चुनाव लडना अवगत करवाया है। वर्तमान व्यवस्था से सम्बद्ध जनप्रतिनिधियो में से 49 25% ने ग्राम पचायत, 31 34% ने पचायत समिति एव 19 41% ने जिला परिषद् का चुनाव लडना

अवगत करवाया है। नागरिक वर्ग में जिन 13% ने चुनाव लडा अवगत करवाया है उनमें शत-प्रतिशत ने ग्राम पचायत का चुनाव लडा है।

पचायती राज सस्थाओ के चुनाव लडने वाले उत्तरदाताओ से चुनाव परिणामों के बारे में जानकारी करने पर अवगत करवाया गया कि जनप्रतिनिधि वर्ग के शत-प्रतिशत उत्तरदाताओ ने चुनाव जीता है जबकि नागरिक वर्ग में 61 45% ने चुनाव जीता है और 38 46% ने चुनाव हार गये हैं।

अत समग्र रूप से चयनित उत्तरदाताओ मे से 45 20% ने चुनाव लडा है और 54 80% ने चुनाव नहीं लडा है। जिन उत्तरदाताओ ने चुनाव लडा है उनमें से 56 64% ने ग्राम पचायत, 31 86% ने पचायत समिति एव 11 50% ने जिला परिषद् का चुनाव लडा है जिन उत्तरदाताओ ने पचायती राज सस्थाओ का चुनाव लडा है उनसे चुनाव परिणाम की जानकारी करने पर उनमे से 95 58% ने चुनाव मे जीतना एव 4 42% ने चुनाव हारना अवगत करवाया है।

चयनित उत्तरदाताओ से वर्तमान चुनाव के अतिरिक्त पूर्व में भी चुनाव लडने के सम्बन्ध मे जानकारी प्राप्त की गई ताकि उत्तरदाताओ की पूर्व की पृष्ठभूमि का ज्ञान हो सके। कार्मिक वर्ग के उत्तरदाताओ मे से किसी भी कार्मिक ने कभी भी चुनाव नहीं लडा है जबकि जनप्रतिनिधियो मे शत-प्रतिशत ने एव नागरिको मे से 13 00% ने पूर्व मे भी चुनाव लडने की जानकारी दी है। इस प्रकार चयनित उत्तरदाताओ में से 45 20% ने पूर्व मे चुनाव लडना एव [illegible] 80% ने पूर्व में चुनाव नहीं लडना अवगत करवाया।

पूर्व एव वर्तमान चुनाव व्यवस्था व प्रक्रिया पर प्रतिक्रिया

चयनित उत्तरदाताओ मे से जनप्रतिनिधि वर्ग के शत-प्रतिशत एव नागरिक वर्ग के 13 00% इस प्रकार कुल 45 20% ने जो कि चुनाव व्यवस्था व प्रक्रिया को अच्छी तरह जानते हैं से तुलनात्मक जानकारी करने पर जो प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है उसका विवरण तालिका 7 2 में दिया गया है।

तालिका-7 2

चुनाव व्यवस्था व प्रक्रिया पर प्रतिक्रिया

उत्तरदाताओ की श्रेणी	सख्या	चुनाव व्यवस्था व प्रक्रिया	
		पहले अच्छी थी	अब अच्छी है
जनप्रतिनिधि वर्ग	100 (100 00)	59 (59 00)	41 (41 00)
(अ) दोनो व्यवस्था से सम्बद्ध	33 (100 00)	24 (72 73)	9 (27 27)
(ब) वर्तमान व्यवस्था से सम्बद्ध	67 (100 00)	35 (52 24)	32 (47 76)
नागरिक वर्ग	13 (100 00)	10 (90 00)	3 -
योग	113 (100 00)	69 (61 06)	44 (38 94)

कोष्ठक (%) मे प्रतिशत दर्शाया गया है।

चुनाव व्यवस्था एव प्रक्रिया पर पहले एव अब दोनों व्यवस्थाओ पर उत्तरदाताओं की प्रतिक्रिया से ज्ञात हुआ कि 61 06% उत्तरदाता पूर्व व्यवस्था को अच्छी मानते हैं जबकि 38 94% उत्तरदाता वर्तमान व्यवस्था को अच्छी मानते हैं।

चुनाव व्यवस्था व प्रक्रिया के समर्थन में सहमति के कारण

देश की पचायती राज सस्थाओं को सवैधानिक दर्जा देने व अधिक सुदृढ करने हेतु देश के सभी राज्यो में पचायती राज की अनिवार्यता एव एकरूपता लाने के दृष्टिकोण से भारत सकार द्वारा 24 4 93 को तीन राज्यो (मिजोरम, मेघालय, नागालैण्ड) को छोडकर सम्पूर्ण देश मे 73वाँ सविधान सशोधन 1992 लागू किया गया। इस सशोधन अधिनियम के लागू होने पर पचायती राज सस्थाओ की चुनाव व्यवस्था व प्रक्रिया के सम्बन्ध में उत्तरदाताओ ने पक्ष में जो तर्क दिये हैं उनका विवरण तालिका 7 3 में दिया गया है।

तालिका-7.3

चुनाव व्यवस्था व प्रक्रिया के समर्थन मे सहमति के कारण

सहमति के कारण	जनप्रतिनिधि वर्ग	कार्मिक वर्ग	नागरिक वर्ग	कुल योग
1 सभी वर्गों की भागीदारी में वृद्धि	17 (56 67)	8 (61 54)	49 (80 33)	79 (71 15)
2 पचायती राज सस्थाओ को स्वायत्तता एव अधिकार सम्पन्न	5 (16 67)	5 (38 46)	40 (65 57)	50 (48 08)
3 दलीय आधार पर चुनाव	6 (20 00)	5 (38 46)	-	11 (10 58)
4 चुनावो की समयावधि निश्चित	13 (43 33)	6 (46 15)	-	19 (18 27)
5 चुनाव मे भुजबल व आतक कम होना	5 (16 67)	4 (30 76)	11 (18 03)	20 (19 23)
6 आरक्षण से महिलाओ की भागीदारी मे वृद्धि	25 (83 33)	-	13 (21 31)	38 (36 54)
7 सीमित परिवार की अर्हता	7 (23 33)	-	-	7 (6 73)
8 सस्था प्रधाना की चुनाव प्रक्रिया का सरलीकरण	9 (30 00)	-	-	9 (8 65)
9 सवैधानिक रूप से सत्ता का विकेन्द्रीकरण	4 (13 33)	-	-	4 (3 85)
उत्तरदाताओ की सख्या	30 (100 00)	13 (100 00)	61 (100 00)	104 (100 00)

कोष्ठक (%) मे प्रतिशत दर्शाया गया है।

तालिका के अवलोकन से ज्ञात होता है कि जनप्रतिनिधि वर्ग मे से 30 00% कार्मिक वर्ग में से 26 00% एव नागरिको मे से 61 00% ने वर्तमान चुनाव व्यवस्था एव प्रक्रिया के समर्थन में कारणो से अवगत करवाया गया है। जिन उत्तरदाताओ ने पचायती राज सस्थाओ की वर्तमान चुनाव व्यवस्था के समर्थन मे कारणो से अवगत करवाया है उनमें जनप्रतिनिधि वर्ग के कुल उत्तरदाताओ मे से 56 67% ने सभी वर्गों की भागीदारी मे वृद्धि होना बतलाया है। जनप्रतिनिधियो का इस सम्बन्ध मे अलग-अलग व्यवस्था से सम्बन्धित जनप्रतिनिधियों मे जो दोनो व्यवस्था से सम्बन्धित है उनका प्रतिशत 60 00% है तथा वर्तमान व्यवस्था से सम्बन्धित जनप्रतिनिधियो का प्रतिशत 55 00% है। कार्मिक वर्ग का प्रतिशत 61 54% एव नागरिक वर्ग मे प्रतिशत 80 33% है। इस प्रकार कुल उत्तरदाताओ मे से 71 15% उत्तरदाताओ के अभिमत से पचायती राज सस्थाओ में नवीन चुनाव व्यवस्था एव प्रक्रिया में वार्ड/स्थानो के आरक्षण के कारण गरीब वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछडा वर्ग एव महिलाओ को चुनाव लडने का अवसर मिला। जिसके कारण आम जनता के सभी वर्गों की इन सस्थाओ मे चुनाव लडने के प्रति जागृति आई है। साथ ही सभी वर्गों की इन सस्थाओ में भागीदारी को बढावा मिला है।

जनप्रतिनिधि वर्ग में से 16 67%, कार्मिक वर्ग में से 38 46% एव नागरिक वर्ग में से 65 57% का अभिमत है कि नवीन व्यवस्था से पचायती राज सस्थाओं के अधिकारो में वृद्धि की गयी तथा इन सस्थाओ को स्वायत्तता प्रदान की गई है। इस तथ्य की पुष्टि कुल उत्तरदाताओ मे से 48 08% ने की है। उत्तरदाताओ के अभिमत से वर्तमान व्यवस्था अच्छी है, सरपच स्वतन्त्र एव अधिकार युक्ति हो गये हैं तथा प्रशासनिक अधिकारो मे वृद्धि हुई है। पचायतो के सुदृढीकरण से गाँवो में विकास कार्य अधिक गति से होंगे। अत सही मायनो में इस व्यवस्था से लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण हुआ है।

नवीन अधिनियम से पचायत समिति एव जिला परिषद् के आधार पर जो चुनाव करवाये जाते हैं इनके बारे में चयनित उत्तरदाताओ मे से जनप्रतिनिधि वर्ग के 20 00% एव कार्मिक वर्ग के 38 46% का अभिमत है कि दलीय आधार पर चुनावो से दल की स्थिति स्पष्ट होती है तथा दलीय आधार पर चुनावो से राष्ट्रीय दलो से निकटता के सम्बन्ध बनते हैं।

पचायती राज सस्थाओ के चुनावो की समयावधि विगत के वर्षों मे अनिश्चित रही है अर्थात् इन सस्थाओ के चुनाव समय पर नहीं हो रहे थे। इसके सम्बन्ध मे जनप्रतिनिधिवर्ग में मे 43 33% एव कार्मिक वर्ग मे से 46 15% का अभिमत है कि नवीन व्यवस्था मे चुनावो की सवैधानिक समयावधि निश्चित करने से इन सस्थाओं मे जनता का विश्वास बढा है। कुल उत्तरदाताओ मे से 18 27% ने अभिमत दिया है कि पचायती राज सस्थाओ के निर्धारित समयावधि मे चुनाव करवाने हेतु राज्य निर्वाचन आयोग को अधिकार एव दायित्व दिया गया है जिसके कारण अब निश्चित समय मे इन सस्थाओ के चुनाव होने से जनसाधारण की भागीदारी अधिक रहेगी।

वर्तमान चुनाव व्यवस्था में जातिवार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एव पिछडा वर्ग व महिलाओ के लिए स्थानो के आरक्षण के कारण चुनावो मे भुजबल एव आतकवाद कम हुआ है। पूर्व व्यवस्था में शक्तिशाली धनवान व्यक्तियो का चुनावो मे वर्चस्व रहता था तथा अपने भुजबल एव धनबल पर चुनावो मे असवैधानिक तरीके अपनाकर चुनाव जीत

लिया करते थे। चयनित उत्तरदाताओ मे जनप्रतिनिधि वर्ग मे से 16 67%, कार्मिक वर्ग मे 30 76% एव नागरिको मे 18 03% का अभिमत है कि वर्तमान चुनाव व्यवस्था से भुजबल एव आतक पर अकुश लगा है। इस प्रकार कुल 19 23% ने इस तथ्य को पुष्टी की है।

पचायती राज सस्थाओ मे महिलाओ को सहवृत के आधार पर प्रतिनिधित्व देने से उनकी भागीदारी नगण्य ही रहती थी और उनका सस्था प्रधाना की इच्छानुसार ही चयन किया जाता था लेकिन नवीन व्यवस्था मे महिला आरक्षण के कारण सभी वर्गों की महिला प्रतिनिधियो को चुना जाना तय होने से पचायती राज सस्थाओ मे महिलाओ की सख्या मे वृद्धि हुई है। महिलाओ के लिए स्थानो की सख्या निर्धारित होने से महिलाओ मे जागृति आई है और वे इन सस्थाओ मे अपनी सक्रिय भूमिका निभाने लगी है फलत प्रत्यक्ष एव अप्रत्यक्ष रूप से समाज पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। इस तथ्य को पुष्टि जनप्रतिनिधि वर्ग के 83 33% एव नागरिको म से 21 31% ने की है। महिला एव पुरुष को जब सवैधानिक समानता का अधिकार है तो पचायती राज सस्थाओ में उन्हे उचित प्रतिनिधित्व नहीं दिये जाने से सवैधानिक अधिकारो का हनन होता है अत कुल उत्तरदाताओ मे से 36 54% ने पचायती राज सस्थाओ मे महिला भागीदारी मे वृद्धि के पक्ष मे अपना अभिमत जाहिर किया है।

पचायती राज सस्थाओ के चुनाव लडने वाले अभ्यार्थी के लिए अधिनियम के लागू होने पर दो सन्तानो की अर्हता लागू की गयी है अथात् अधिनियम के बाद दो से अधिक सन्तान वाला व्यक्ति पचायती राज सस्थाओ मे चुनाव लडने के लिए अयोग्य माना गया है। इस सम्बन्ध मे चयनित उत्तरदाताओ मे जनप्रतिनिधि वर्ग के उत्तरदाताओं में से 23 33% एव कुल उत्तरदाताओ में से 6 73% का अभिमत है कि इससे सीमित परिवार होने मे मदद मिलेगी एव परिवार नियोजन को बढावा मिलेगा जिससे जनसख्या वृद्धि में कमी आना सम्भव होगा। अत जनसख्या नियन्त्रण के लिए उठाया गया यह कदम सराहनीय एव स्वीकार्य रहा है। पचायती राज सस्थाओ मे सस्था प्रधानो का लॉटरी व्यवस्था से आरक्षण के कारण जाति व वर्ग के आधार पर अवसर मिलेगा इसके साथ ही सस्था प्रधानो की चुनाव प्रक्रिया का सरलीकरण किया गया है इसके सम्बन्ध मे जनप्रतिनिधि वर्ग के 30 00% उत्तरदाताओ ने अभिमत दिया है जबकि कार्मिक वर्ग एव नागरिको में से इस सम्बन्ध में कोई अभिमत प्रकट नहीं किया है। पचायतो, पचायत समितियो और जिला परिषदो के लिए आरक्षित पदो को भी चक्रक्रमानुसार द्वारा आवण्टित किया जायेगा ताकि सभी वर्गों को सस्था प्रधान बनने का अवसर प्राप्त हो सके।

पचायती राज सस्थाओ मे ग्रामसभा, ग्राम पचायत, पचायत समिति, जिला परिषद् को स्वतन्त्र एव अधिकार सवैधानिक रूप में दिया जाकर प्रजातान्त्रिक व्यवस्था मे वास्तव में सत्ता का विकेन्द्रीकरण किया गया है ताकि प्रत्येक स्तर पर जनता की प्रत्यक्ष भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पचायती राज सस्थाओं को अधिक सुदृढ किया जा सके।

चुनाव व्यवस्था व प्रक्रिया से असहमति के कारण

पचायती राज सस्थाओ के चुनाव व प्रक्रिया के पक्ष/समर्थन मे जहाँ उत्तरदाताओं ने अपने अभिमत प्रकट किये हैं वहीं दूसरी ओर चुनाव व्यवस्था एव प्रक्रिया मे खामियाँ

महसूस करते हुए वर्तमान चुनाव व्यवस्था एव प्रक्रिया के विपक्ष में भी अपने अभिमत प्रकट किये हैं।

चयनित उत्तरदाताओ मे से जनप्रतिनिधि वर्ग के 58 00% कार्मिक वर्ग के 16 00% एव नागरिको मे 62 00% उत्तरदाताओ ने वर्तमान चुनाव व्यवस्था व प्रक्रिया के विपक्ष मे अभिमत प्रकट किया है। इन उत्तरदाताओ ने वर्तमान चुनाव व्यवस्था व प्रक्रिया के बार में असहमति के जो कारण बतलाये हैं उनका विवरण तालिका 7 4 मे दिया गया है।

तालिका-7 4

चुनाव व्यवस्था व प्रक्रिया से असहमति के कारण

असहमति के कारण	उत्तरदाताओ की श्रेणी जनप्रतिनिधि	कार्मिक वर्ग	नागरिक वर्ग	कुल योग वर्ग
1. पचायती राज सस्थाओ मे आपस मे सामजस्य का अभाव	51 (87 93)	6 (75 00)	13 (20 96)	70 (54 79)
2 आरक्षण से योग्य एव अनुभवी जनप्रतिनिधियों का चयन न होना	30 (51 72)	4 (50 00)	11 (17 74)	45 (35 16)
3 पचायत समिति एव जिला परिषद् सदस्यो की प्रभावहीन भूमिका	3 (5 17)	- (19 35)	12 (11 72)	15
4 नौकरशाही का हावी होना	8	- (13 79)	29 (46 77)	37 (28 91)
5 दलगत राजनीति	6	- (10 34)	11 (17 74)	17 (13 28)
6 चुनावो में खर्चा अधिक होना	5	- (8 62)	13 (20 97)	18 (14 06)
7 जनता को न्याय न मिलना	12	- (20 69)	27 (43 55)	39 (30 47)
8 प्रधान/प्रमुख के चुनावो मे खरीद-फरोख्त का होना	6 (10 34)	- (4 69)	-	6
9 सस्था प्रधानो का आरक्षण अनुचित	4 (6 90)	-	- (3 13)	4
10 जनता के प्रति जवाबदेयता का अभाव	5 (8 62)	- (20 97)	13 (14 06)	18
उत्तरदाताओ की सख्या	58 (100 00)	8 (100 00)	62 (100 00)	128 (100 00)

कोष्ठक (%) में प्रतिशत दर्शाया गया है।

चुनाव व्यवस्था व प्रक्रिया से असहमति के जो कारण तालिका में अंकित किये गये हैं उनसे ज्ञात होता है कि वर्तमान व्यवस्था से पचायती राज सस्थाओ, ग्राम पचायत, पचायत समिति एव जिला परिषद् मे आपस मे सामजस्य का नहीं हाना असहमति का मुख्य कारण बताया है। इसके सम्बन्ध में जनप्रतिनिधि वर्ग में जो दोनो व्यवस्था से सम्बन्धित जनप्रतिनिधि है उनमें से 91 30% एव वर्तमान व्यवस्था से सम्बन्धित है उनमे से 85 71% इस प्रकार कुल जनप्रतिनिधियो मे से 87 93% कार्मिक वर्ग मे 75 00% एव नागरिको में 20 96% का अभिमत है कि ग्राम पचायत के चुनाव में कोई अन्तर नहीं आया है लेकिन पचायत समिति के प्रधान का चुनाव पचायत समिति के चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा एव जिला परिषद् के प्रमुख का चुनाव जिला परिषद् के लिए चुने गये सदस्यो द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है जिसके कारण ग्राम पचायत के सरपच का प्रधान के चुनाव में एव प्रधान जिला प्रमुख के चुनाव में कोई भागीदारी नहीं रहती है जिससे इन सस्थाओ में आपस में जो तालमेल एव सामजस्य बना हुआ था वह न हीं रहा है। पूर्व में ग्राम पचायत का सरपच, पचायत समिति का प्रधान क्रमशः पचायत समिति एव जिला परिषद् में पदेन सदस्य होते थे एव सस्था प्रधानो के निर्वाचन में एव निर्णयो में मताधिकार प्राप्त था जिसके कारण इन सस्थाओ मे आपसी तालमेल रहता था और तीना पचायती राज सस्थाओ में आपस मे सामजस्य बना हुआ था। अब चूँकि सरपच पचायत समिति की बैठको में तो भाग ले सकता है लेकिन निर्णयों में मताधिकार करने का अधिकार नहीं है इसी प्रकार प्रधान जिला परिषद् की बैठको में तो भाग ले सकता है लेकिन निर्णया मे मताधिकार का अधिकार नहीं है। इसलिए 54 69% उत्तरदाताओ ने असहमति अभिव्यक्त की है।

पचायती राज सस्थाओ मे आरक्षण के प्रावधान के बारे में उनका अभिमत है कि आरक्षण सीमित होना चाहिए क्योंकि इन सस्थाओ में अत्यधिक आरक्षण के कारण वार्ड व सख्या आरक्षित कर देने से योग्य एव अनुभवी जनप्रतिनिधियो का चयन कम होता है। एक तरफ पचायती राज सस्थाओं को अधिक अधिकार एव शक्तियाँ दी जा रही हैं दूसरी तरफ आरक्षण के कारण अनुभवहीन, अयोग्य जनप्रतिनिधियो के चयन होने से पचायती राज सस्थाओ के कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा और पचायती राज सस्थाएँ अपने वास्तविक उद्देश्यो का प्राप्त करने मे असफल रहेंगी। अतः इस सम्बन्ध मे दोनो व्यवस्थाओं से सम्बन्धित जनप्रतिनिधियो मे 65 22%, वर्तमान व्यवस्था से सम्बन्धित जनप्रतिनिधियो में 42 86% इस प्रकार कुल जनप्रतिनिधियो मे से 51 72%, कार्मिक वर्ग में 50 00%, नागरिक वर्ग मे 17 74% ने वर्तमान आरक्षण के प्रावधान को उचित नहीं ठहराया है। इन उत्तरदाताओं का समग्र रूप से 35 16% है का अभिमत है कि जनप्रतिनिधियो का चुनाव पूर्व में कार्य मूल्याकन के आधार पर होता था तथा जो जनप्रतिनिधि जनता का सहयोग एव जनकल्याणकारी कार्य करता था वही विजयी होता था लेकिन अब आरक्षण व्यवस्था से जनप्रतिनधि के कार्यों का मूल्याकन नहीं हो पाता है तथा ऐसे जनप्रतिनिधियों को कर्तव्यो का ही ज्ञान नहीं है और वे निर्णय प्रक्रिया में मूक बनकर सहमति प्रदान कर रहे हैं इसलिए इस प्रकार के जनप्रतिनिधियो की भूमिका नगण्य है केवल सख्या मात्र ही गिनी जा सकता है जो कि पचायती राज सस्थाओ के लिए अच्छी स्थिति नहीं है।

पचायत समिति एव जिला परिषद् के सदस्यो की भूमिका को प्रभावहीन मानते हुए उत्तरदाताओ मे से जनप्रतिनिधि वर्ग में दोनो व्यवस्थाओ से सम्बन्धित जनप्रतिनिधियों में

13 04% एव नागरिक वर्ग में 19 35% का अभिमत है कि पचायत समिति सदस्यो की भूमिका प्रधान के चयन करने एव जिला परिषद् के सदस्यो की भूमिका जिला प्रमुख के चयन करने तक ही सीमित रहती है क्योकि इन सदस्यो का अधिकार एव शक्तियाँ नहीं दी गयी है इसलिए सस्था प्रधानों के चयन के पश्चात् ये सदस्य केवल बैठको मे भाग ले सकते हैं लेकिन निर्णयों को व्यावहारिक रूप देने हेतु इनके पास कोई अधिकार एव शक्तियाँ नहीं हैं। पचायती राज सस्थाओं में ग्राम पचायत के कार्य सरपचों के द्वारा करवाये जाते हैं जिनमें इन सदस्यो को कोई भागीदारी नहीं होती है। अत चयनित समग्र उत्तरदाताओ में से 11 72% के अभिमत से पचायत समिति एव जिला परिषद् के सदस्यो के पास अधिकार एव शक्तियाँ नहीं होने के कारण इनकी भूमिका को पचायती राज सस्थाओ मे प्रभावहीन एव नगण्य मानते हुए इस व्यवस्था के प्रति असहमति जाहिर की है।

पचायती राज सस्थाओ में चुनाव व्यवस्था एव प्रक्रिया मे आये परिवर्तन से अशिक्षित एव अनुभवहीन जनप्रतिनिधियो की सख्या अधिक होने के कारण नौकरशाही का हावी होना भी एक असहमति का कारण चयनित उत्तरदाताओ के अभिमत से माना गया है। इससे सम्बन्धित विचार अभिव्यक्त करने वाले उत्तरदाताओ में जनप्रतिनिधियो मे जो दोनो व्यवस्था से सम्बन्धित है उनमें से 13 04% वर्तमान व्यवस्था से सम्बन्धित मे 14 29% नागरिक वर्ग में 46 77% का अभिमत है कि वर्तमान व्यवस्था मे नौकरशाही पर अकुश नहीं है तथा वे हावी रहते हैं। अत समग्र उत्तरदाताओ मे से 28 91% के अभिमत से ग्राम पचायत मे ग्राम सेवक से लेकर जिला परिषद् में मुख्य कार्यकारी तक नौकरशाही का हावी रहना एव जनप्रतिनिधियों का उनके हाथो की कठपुतली मात्र होना माना गया है।

इस तथ्य की पुष्टि समाचार पत्र-पत्रिकाओ से भी मिलती है कि जनप्रतिनिधियो के निर्णयो की अवहेलना तथा जनप्रतिनिधियो की बात को नहीं सुनना तथा नौकरशाही द्वारा अपने मनमानी तरीके से निर्णय लेकर जनप्रतिनिधियो के विरोध के बाद भी क्रियान्वित करना आम बात होती जा रही है। ग्राम पचायतो को स्वायत्तता देने एव सरपच को अधिकार देने के उपरान्त भी ग्राम सेवक की भूमिका अधिक रहती है अत नौकरशाही के हावी रहने के कारण वर्तमान व्यवस्था से असहमति जाहिर की गई है।

पचायती राज सस्थाओ में पचायत समिति एव जिला परिषद् के सदस्यो का चुनाव दलगत आधार पर किया जाने लगा है हालाकि सरपच का चुनाव दलीय आधार पर नहीं होता है फिर भी अप्रत्यक्ष रूप में सरपच भी दलीय चुनाव व्यवस्था से प्रभावित होता है।

पचायत समिति प्रधान एव जिला परिषद् मे जिला प्रमुख का चुनाव दलीय आधार पर चुने हुए जनप्रतिनिधियो द्वारा किया जाता है जिसके कारण सस्था प्रधान राजनैतिक दलो से सम्बन्धित होने से पचायती राज व्यवस्था मे जनभागीदारी तो बढ रही है लेकिन जो सहकारिता का सिद्धान्त है वह समाप्त होता जा रहा है। इस व्यवस्था के सम्बन्ध मे जनप्रतिनिधि वर्ग के 10 34% एव नागरिक वर्ग के 17 74% उत्तरदाताओ के अभिमत से पचायती राज सस्थाओ मे दलीय राजनीति के प्रति असहमति जाहिर करते हुए सही माना गया है। दलीय आधार पर चुनावो से ग्रामीण विकास के कार्य प्रभावित होते हैं क्योकि जिस राजनैतिक दल का सस्था प्रधान है और उस दल के जिन ग्राम पचायत क्षेत्रा में उस दल के सदस्य अधिक चुनकर आये हैं उन ग्राम पचायतो को विकास कार्य हेतु राशि का आवटन

अन्य विपक्षी सदस्यो वाली ग्राम पचायतो से अधिक होता है। अतः समग्र उत्तरदाताओ में से 13 28% के अभिमत से दलीय आधार पर चुनावो से विकास कार्यों में एव ग्रामीण आपसी भाईचारे की व्यवस्था को दलगत राजनीति में लाकर खड़ा कर दिया है। पचायती राज सस्थाओ में पूर्व दलीय आधार पर चुनाव नहीं होने से ग्रामीण समाज में एकता एव भाईचारा रहता था लेकिन वर्तमान चुनाव व्यवस्था में दलीय आधार पर चुनावो से ग्रामीण समाज में गुटबाजी एव एक-दूसरे के प्रति द्वेष एव ईर्ष्या-भाव बढ गया है जो कि पचायत राज व्यवस्था की सफलता के लिए शुभ सकेत नहीं है।

पचायती राज सस्थाओ में पूर्व में केवल ग्राम पचायत स्तर का ही जनता द्वारा सीधा चुनाव होता था लेकिन वर्तमान चुनाव व्यवस्था में पचायत समिति सदस्य एव जिला परिषद् के सदस्यो का चुनाव भी जनता द्वारा किया जाकर उनके द्वारा सस्था प्रधानों का चयन करने से अब चुनाव खर्च मे वृद्धि होने से आम जनता पर आर्थिक भार बढ गया है। विभिन्न स्तरो पर चुनाव होने से चुनाव खर्च में वृद्धि के सम्बन्ध में चयनित उत्तरदाताओ में से जनप्रतिनिधि वर्ग के 8 62% एव नागरिक वर्ग के 20 97% उत्तरदाताओ के अभिमत से चुनाव खर्च मे होने वाली वृद्धि को जनता पर आर्थिक बोझ मानते हुए समग्र उत्तरदाताओ मे से 14 06% ने वर्तमान व्यवस्था एव प्रक्रिया के बारे मे असहमति जाहिर करते हुए अपना अभिमत व्यक्त किया है।

नवीन अधिनियम के प्रावधानो से सस्था प्रधानो का भी आरक्षण करते हुए चक्र-क्रमानुसार आरक्षण व्यवस्था से सरपच, प्रधान एव प्रमुख के चयन को जनप्रतिनिधि वर्ग 6 90% उत्तरदाताओ ने सही नहीं मानते हुए वर्तमान व्यवस्था के प्रति असहमति प्रकट की है। अतः समग्र उत्तरदाताओ से पचायती राज सस्थाओं की चुनाव व्यवस्था व प्रक्रिया के बारे मे जो असहमति के कारण अवगत करवाये हैं उनको उत्तरदाताओ की श्रेणीवार वरीयता में प्रथम दो वरीयता को देखा जाये तो जनप्रतिनिधियो मे 91 30%, वर्तमान व्यवस्था से सम्बन्धित जनप्रतिनिधियो में 85 71%, कार्मिक वर्ग में 75 00% ने प्रथम कारण पचायती राज सस्थाओ मे आपसी समन्वय का अभाव बताया है जबकि नागरिक वर्ग मे 46 77% उत्तरदाताओ ने प्रथम कारण नौकरशाही का हावी रहना बतलाया है। द्वितीय कारण में जनप्रतिनिधि वर्ग मे 51 72% एव कार्मिक वर्ग 50 00% ने आरक्षण की अधिक व्यवस्था को माना है तथा नागरिक वर्ग में 20 97% ने पचायती राज सस्थाओ मे तालमेल एव समन्वय की कमी को माना है।

पंचायती राज अधिनियम 1959 में कमियों के बारे में प्रतिक्रिया

राष्ट्रीय विकास परिषद् की स्थापना के बाद भारत सरकार ने 1957 मे बलवन्त राय मेहता की अध्यक्षता मे एक सरकारी समिति का गठन किया। 1958 मे राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण पर इसकी आधारभूत सिफारिश स्वीकार कर ली गयी। इनकी निम्नलिखित सिफारिशें थीं—

1 राष्ट्रीय स्वशासन का ढाँचा गाँव से जिलो तक त्रिस्तरीय होना चाहिए।

2 स्थानीय सरकार की सस्थाओ को शक्ति और उत्तरदायित्व का हस्तान्तरण सुनिश्चित होना चाहिए।

3 निकायो को पर्याप्त ससाधन हस्तान्तरित किये जाएँ।

4 सम्पूर्ण योजना द्वारा सामाजिक, आर्थिक सस्थाओ एव निकायो के माध्यम से सचालित किया जाए।

5 *सत्ता का विकेन्द्रीकरण किया जाये तथा 1959 से जहाँ जो सस्था है, उसे वैसा ही रहने दिया जाए।*

पचायती राज अधिनियम 1959 मे कमियो के बारे में चयनित उत्तरदाताओ से जानकारी करने पर जो अभिमत व्यक्त किया है उसका विवरण तालिका 7 5 मे दिया गया है।

तालिका-7.5

1959 के अधिनियम प्रारूप मे कमियाँ उत्तरदाताओ की श्रेणी

1959 के अधिनियम के बारे में प्रतिक्रिया	जनप्रतिनिधि वर्ग		कार्मिक	नागरिक	कुल योग
	दोनों व्यवस्था से सम्बद्ध	वर्तमान व्यवस्था से सम्बद्ध	वर्ग	वर्ग	वर्ग
1 चुनाव की समयावधि बाध्यता नहीं थी	15 (50 00)	14 (25 00)	12 (24 00)	49 (65 33)	90 (42 65)
2 पर्याप्त स्वायत्तता का अभाव	7 (23 33)	9 (16 07)	5 (10 00)	3 (4 00)	24 (11 37)
3 आरक्षण का अभाव	9 (30 00)	11 (19 64)	17 (34 00)	29 (38 67)	66 (31 28)
4 सहवृत्त सदस्यो से निर्णय प्रभावित होना।	-	8 (14 29)	5 (10 00)	13 (17 33)	26 (12 32)
5 महिलाओं की भागीदारी का अभाव	4 (13 13)	-	4 (8 00)	11 (14 67)	19 (9 00)
6 ग्राम पचायते अधिकार विहीन	3 (10 00)	11 (19 64)	17 (34 00)	25 (33 33)	56 (26 54)
7 प्रभावशाली व्यक्तियो का अधिक वर्चस्व रहना	5 (16 67)	9 (16 07)	8 (16 00)	35 (46 67)	57 (27 01)
8 पचायती राज संस्थाओ में वित्त का अभाव	11 (36 67)	31 (55 36)	-	12 (16 00)	54 (25 59)

9 सदस्यों के निर्वाचन हेतु अर्हता का अभाव	7 (23.33)	-	-	-	7 (3.32)
10 प्रशासनिक अधिकारों के अभाव मे जवाबदेयता सुनिश्चित नहीं थी।	3 (10 00)	-	11 (22 00)	12 (16 00)	26 (12.32)
11 अविश्वास प्रस्ताव में कमी	-		3 (6 00)	-	3 (1 42)
12 न्यायिक अधिकारो को न्यायालय मे चुनौती दिया जाना	-	-	6 (10 71)	-	6 (2.84)
13 जनप्रतिनिधियो के लिए शैक्षणिक अर्हता का अभाव	3 (10 00)	3 (5 36)	7 14 00)	18 (24 00)	31 (14 69)
उत्तरदाताओं की सख्या	30 (100 00)	56 (100 00)	50 (100 00)	75 (100 00)	211 (100 00)

कोष्ठक (%) में प्रतिशत दर्शाया गया है।

उपर्युक्त तालिका मे उत्तरदाताओ द्वारा 1959 के अधिनियम में अवगत करवायी गयी कमियो में मुख्य कमी समस्त श्रेणी के उत्तरदाताओ ने पचायती राज सस्थाओ की समयकारी बाध्यता का अभाव होना बतलाया है जिसमे जनप्रतिनिधि वर्ग के दोनो व्यवस्थाओ से सम्बन्धित जनप्रतिनिधियो मे 50 00%, वतमान व्यवस्था से सम्बन्धित में 25 00%, कार्मिक वर्ग मे 24 00% एव नागरिक वर्ग मे 65 33% इस प्रकार समग्र रूप से 42 65% के अभिमत से इन सस्थाओ के समय पर चुनाव नहीं होने की कमी बतलायी है।

पचायती राज सस्थाओ को इस अधिनियम मे पर्याप्त स्वायत्तता के अभाव में दोनो व्यवस्था से सम्बन्धित जनप्रतिनिधियो मे 23 33%, वर्तमान व्यवस्था वालो मे 16 07%, कार्मिक वर्ग 10 00% एव नागरिक वर्ग मे 4 00% इस प्रकार समग्र रूप से 11 37% उत्तरदाताओ के अभिमत से इन सस्थाओ को पर्याप्त स्वायत्तता का न होना बतलाया है। पचायती राज अधिनियम 1959 में जनप्रतिनिधि वर्ग मे दोनो व्यवस्था से सम्बद्ध 30 00% वर्तमान व्यवस्था से सम्बद्ध 19 64% कार्मिक वर्ग 34 00% एव नागरिको में से 38 67% इस प्रकार समग्र रूप से 31 28% उत्तरदाताओ ने विभिन्न वर्गों यथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछडा वर्ग के लिए आरक्षण का अभाव होना अवगत करवाया जिसके कारण इस वर्ग के प्रतिनिधियो का चयन बहुत कम होता था अत. बहुसख्यक समुदाय की पचायती राज सस्थाओ मे भागीदारी कम रहती थी।

पचायती राज सस्थाओ में सहवृत के आधार पर सदस्यो के लिए जाने के सम्बन्ध में दोना व्यवस्था से सम्बन्धित जनप्रतिनिधियो मे 14 29%, कार्मिक वर्ग म 10 00% एव नागरिको मे 17 33% इस प्रकार समग्र रूप से 12 32% उत्तरदाताओ का अभिमत रहा है कि

महत्वपूर्ण सदस्यों के लिए जाने से संस्था प्रधान के प्रति झुकाव से पंचायती राज संस्थाओ के निर्णय प्रभावित होते थे।

चयनित उत्तरदाताओ मे से 13 13% दोनो व्यवस्था से सम्बन्धित जनप्रतिनिधि 8 00% कार्मिक वर्ग एवं 14 67% नागरिको ने अवगत करवाया है कि पूर्व अधिनियम मे महिलाओं के लिए स्थानो के आरक्षण के अभाव से इन संस्थाओ में महिलाओ की भागीदारी नगण्य रहती थी एव महिलाओ का इन संस्थाओ के प्रति अरुचि का अभाव था। पूर्व अधिनियम मे महिलाओ के लिए समुचित प्रतिनिधित्व का अभाव रहने की कमी बतायी गयी है।

पूर्व अधिनियम 1959 में ग्राम पचायतो के अधिकारो के सम्बन्ध मे जनप्रतिनिधि वर्ग के क्रमश 10 00% व 19 64% कार्मिक वर्ग मे 34 00% एवं नागरिको में 33 33% समग्र रूप से 26 54% उत्तरदाताओ ने पचायते अधिकार विहीन रहने की कमी बतायी है। उत्तरदाताओ का मानना है कि उस अधिनियम मे पचायतो को बहुत ही सीमित अधिकार थे।

पंचायती राज अधिनियम 1959 मे जनप्रतिनिधि वर्ग में दोनो व्यवस्थाओ से सम्बन्धित में 16 67% वर्तमान व्यवस्था से सम्बन्धित 16 07% कार्मिक वर्ग 16 00% एव नागरिक वर्ग में 46 67% समग्र उत्तरदाताओ मे 27 01% के अभिमत से प्रभावशाली व्यक्तियो का अधिक वर्चस्व रहना अवगत करवाया है। इन उत्तरदाताओ का मानना है कि पूर्व व्यवस्था में प्रतिष्ठित एवं स्थानीय प्रभावी व्यक्तियो का इन संस्थाओ में एकाधिकार रहता था तथा संस्था प्रधान व सदस्य कई बार वही जनप्रतिनिधि चयन होकर उन पर अधिकार रखते थे। पूर्व व्यवस्था में जनभागीदारी का अभाव रहना अवगत करवाया है।

पंचायती राज संस्थाओ मे जनप्रतिनिधि वर्ग मे दोना व्यवस्था से सम्बन्धित जनप्रतिनिधियो में से 36 67% वर्तमान व्यवस्था वाले 55 36% एव नागरिक वर्ग मे 16 00% समग्र रूप से 25 59% का अभिमत है कि इन संस्थाओ में वित की कठिनाई रहती थी अर्थात् वित्त का अभाव रहता था जिसके कारण पचायती राज संस्थाएँ विकास कार्य नहीं करवा पाती थी और ग्रामीण विकास कार्य नाम मात्र के ही हो पाते थे। पचायती राज अधिनियम 1959 में पचायती राज संस्थाओ को प्रशासनिक अधिकार नहीं थे जिसके कारण 12 32% उत्तरदाताओ के अभिमत से जवाबदेयता सुनिश्चित नहीं रहने की कमी के सम्बन्ध में अवगत करवाया है। इसके साथ ही 1 42% ने अविश्वास प्रस्ताव मे भी कमी के रूप में माना गया है।

पूर्व अधिनियम में न्याय पचायत की व्यवस्था थी लेकिन उसके न्यायिक अधिकारो/निर्णयो को न्यायालय में चुनौती देने सम्बन्धी कमी 2 84% उत्तरदाताओ ने अवगत करवाया है।

चयनित उत्तरदाताओ में जनप्रतिनिधि वर्ग दोनो व्यवस्थाओ वाले 10 00% वर्तमान व्यवस्था वाले 5 36% जनप्रतिनिधि 14 00% कार्मिक वर्ग एव 24 00% नागरिको ने अवगत करवाया है कि जनप्रतिनिधियो के लिए शैक्षणिक अर्हता का नहीं रखा जाना एक महत्त्वपूर्ण कमी है क्योकि शिक्षा की अर्हता नहीं रखी जाने से अशिक्षित वर्ग के जनप्रतिनिधियो की संख्या में वृद्धि हुई है जिसके कारण अशिक्षित व्यक्ति प्रशासनिक बारीकियो को समझने में असमर्थ रहते हैं तथा अधिकाश सदस्य निर्णय प्रक्रिया में केवल शारीरिक भूमिका ही निभाते हैं।

अत पचायती राज अधिनियम 1959 मे 42 65% उत्तरदाताओ ने चुनाव को समयाकारी बाध्यता न होना 31 28% ने आरक्षण के न होने से सभी वर्गों की भागीदारी का

अभाव 27 01% ने प्रभावशाली व्यक्तियो के वर्चस्व, 26 54% ने ग्राम पचायती का अधिकारविहीन होना, 25 59% ने पचायती राज सस्थाओ मे वित्त का अभाव, 14 69% ने जनप्रतिनिधियो के लिए शैक्षणिक अर्हता का अभाव एव 9 00% ने महिलाओ की भागीदारी की कमी एव 12 32% ने प्रशासनिक जवाबदेयता न होना आदि कमियो से अवगत करवाते हुए अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। पचायती राज अधिनियम 1959 में हालांकि त्रिस्तरीय व्यवस्था, ससाधन उपलब्ध करवाने एव सत्ता के विकेन्द्रीकरण जैसे महत्त्वपूर्ण कदमो को लागू किया गया था। किसी भी योजना, व्यवस्था तथा नियमो मे अच्छाई एव बुराई, गुण अवगुण पाये जाते हैं जो कि एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। स्वतन्त्रता को मध्यनजर रखते हुए ग्रामो के विकास हेतु ग्राम स्तर की सशक्त इकाई के रूप म ग्राम पचायत की व्यवस्था इसी अधिनियम के परिणामस्वरूप लागू की गयी थी।

नवीन अधिनियम में पूर्व अधिनियम की कमियों को दूर करने के सम्बन्ध में प्रतिक्रिया

पचायती राज सस्थाओ में सुधार करने के लिए समय-समय पर सरकारी समितियों का गठन किया जाता रहा है एव उनके प्रतिवेदनो में दिये गये सुझावो को ध्यान में रखते हुए पूर्व अधिनियम की कमियो को दूर करने के उद्देश्य से एव पचायती राज सस्थाओ को शक्तिशाली बनाने के लिए सविधान में 37वाँ सविधान सशोधन किया गया। राजस्थान में भी सविधान सशोधन क प्रावधानो के अनुरूप राज्य मे राजस्थान पचायती राज अधिनियम 1994 लागू किया गया। चयनित उत्तरदाताओ से पूर्व अधिनियम की कमियो को नवीन अधिनियम मे दूर करने के सम्बद्ध मे प्रतिक्रिया जानने पर जो अभिमत व्यक्त किया है उसका विवरण तालिका 7 6 में दिया गया है।

तालिका-7.6

पूर्व एव नवीन अधिनियम में कमियो को दूर करने के सम्बन्ध मे प्रतिक्रिया

उत्तरदाताओ की श्रेणी	सख्या	उत्तरदाताओ की प्रतिक्रिया	
		हाँ	नहीं
जनप्रतिनिधि वर्ग	100 (100 00)	59 (59 00)	41 (41 00)
(अ) दोनो व्यवस्थाओ से सम्बद्ध	33 (100 00)	18 (54.55)	15 (45 45)
(ब) वर्तमान व्यवस्था से सम्बद्ध	67 (100 00)	41 (61 19)	26 (38 81)
कार्मिक वर्ग	50 (100 00)	39 (78 00)	11 (22 00)
नागरिक वर्ग	100 (100 00)	65 (65 00)	35 (35 00)
कुल योग	250 (100 00)	163 (65 20)	87 (34 80)

कोष्ठक (%) में प्रतिशत दर्शाया गया है।

उपर्युक्त तालिका के अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि पूर्व अधिनियम 1959 की कमियो को नवीन अधिनियम 1994 मे दूर करने के सम्बन्ध म उत्तरदाताओ की प्रतिक्रिया से स्पष्ट होता है कि चयनित उत्तरदाताआ मे जनप्रतिनिधि वर्ग म स जो दोना व्यवस्था से सम्बन्धित है उनमे 54 55%, वर्तमान व्यवस्था से सम्बन्धित में 61 19% अर्थात् जनप्रतिनिधियो मे 59 00%, कार्मिक वर्ग म 78 00% एव नागरिक वर्ग में 65 00% उत्तरदाताओ ने पूर्व अधिनियम की कमियो को नवीन अधिनियम म दूर करना अवगत करवाया है। इस प्रकार चयनित समग्र श्रेणी के उत्तरदाताओ में से अधिकाश 65 20% के अभिमत से कमियो को दूर करने के सम्बन्ध में अपनी राय प्रकट की है। इसके अलावा जनप्रतिनिधि वर्ग मे 41 00%, कार्मिक वर्ग 22 00% एव नागरिक वर्ग 35 00% इस प्रकार कुल 34 80% उत्तरदाताआ के अभिमत से पूर्व अधिनियम की कमियो को नवीन अधिनियम मे भी पूरी तरह से दूर नहीं करने सम्बन्धी विचार प्रकट किये हैं। जिन उत्तरदाताओं ने विपक्ष मे अपने विचार रखे हैं उनका मानना है कि नवीन अधिनियम म भी कई एस महत्त्वपूर्ण बिन्दुआ की अनदेखी की गयी है जिससे पचायती राज सस्थाओं की कार्यप्रणाली प्रभावित होती है। नवीन अधिनियम में क्या कमियाँ रही हैं उनका उल्लेख आगे किया जायेगा।

पचायती राज अधिनियम 1994 म से पूर्व अधिनियम 1959 की कमियो को दूर करने के सम्बन्ध में जिन 65 20% उत्तरदाताओं ने सकारात्मक प्रत्युत्तर दिया है उनसे यह जानकारी करने की कोशिश की गयी कि नवीन अधिनियम 1994 मे पूर्व अधिनियम की कमिया को कैसे एव किस प्रकार दूर किया गया है इसके प्रत्युत्तर में प्राप्त विचारो का विवरण तालिका 7 7 में दिया गया है।

तालिका-7.7

नवीन अधिनियम मे पूर्व अधिनियम की कमियो को दूर करने के सम्बन्ध में प्रतिक्रिया

उत्तरदाताओं की श्रेणी	सख्या	उत्तरदाताओं के विचार (सकेत)							
		1	2	3	4	5	6	7	8
जनप्रतिनिधि वर्ग	59 (100 00)	34 (57 63)	3 (5 08)	29 (49 15)	30 (50 85)				4 (6 78)
अ) दोनों व्यवस्था से सम्बद्ध	18 (100 00)	13 (72.22)	3 (16 67)	3 (16 67)	9 (50 00)				4 (22 22)
ब) वर्तमान व्यवस्था से सम्बद्ध	41 (100 00)	21 (51 22)		26 (63 41)	21 (51.22)				
कार्मिक वर्ग	39 (100 00)	17 (43.59)	4 (10 26)	16 (41 03)	17 (43.59)	8 (20 51)	5 (12.82)	9 (23 08)	4 (10.26)
नागरिक वर्ग	65 (100 00)	37 (56.92)	25 (38 46)				13 (20 00)	12 (18.46)	
कुल योग	163 (100 00)	88 (53 99)	32 (19 63)	45 (27 61)	47 (28.83)	8 (4 91)	18 (11.04)	21 (12.88)	8 (4 91)

कोष्ठक (%) में प्रतिशत दर्शाया गया है।

सकेत—उत्तरदाताओ के विचार—

1 आरक्षण के माध्यम से सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व दिया जाकर जनभागोदारी में वृद्धि करना।

2 राज्य वित्त आयोग का गठन एव पचायती राज सस्थाओ को अधिक वित्त उपलब्ध करवाकर सुदृढता प्रदान करना।

3 पचायती राज सस्थाओं को पर्याप्त स्वायत्तता दिया जाना।

4 राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा सवैधानिक रूप से निर्धारित समयावधि में चुनाव करवाया जाना।

5 स्थायी समितियो के सदस्यों को अधिक अधिकार प्रदान करना।

6 पचायती राज सस्थाओ के लिए चुनाव लडने वाले सदस्य हेतु अर्हताएँ निर्धारित कर क्रियान्वित किया जाना।

7 पचायती राज सस्थाओं को सवैधानिक दर्जा दिया जाना।

8 पचायती राज सस्थाओ में सस्था प्रधानो/अध्यक्षो के चुनाव प्रक्रिया में परिवर्तन किया जाकर उसे व्यवहार में क्रियान्वित करना।

पचायती राज अधिनियम में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग के लिए वार्ड/स्थानों के आरक्षण की पूर्व अधिनियम में प्रावधान नहीं था जिसको 73वें सविधान सशोधन अधिनियम के अनुसार राजस्थान मे नवीन पचायती राज अधिनियम के अनुसार राजस्थान में नवीन पचायती राज अधिनियम 1994 में प्रावधान कर अनु जाति, अनु जनजाति एव पिछड वर्ग के लिए पचायती राज सस्थाओ में प्रत्यक्ष निर्वाचन से भरे जाने वाले स्थान आरक्षित किये गये। इस प्रकार आरक्षित स्थानो की सख्या का उस पचायती राज सस्था में भरे जाने वाले कुल सख्या के साथ यथाशक्य निकटतम वहीं अनुपात होगा जो उस पचायती राज सस्था में ऐसी जातियो, जनजातियों या यथास्थिति, वर्गों की जनसख्या का उस क्षेत्र की कुल जनसख्या के साथ है और ऐसे स्थान सम्बन्धित पचायतीराज सस्था मे विभिन्न वार्डों या विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रो के लिए चक्रानुक्रम द्वारा आवण्टित किये गये। आरक्षित स्थानों में इन जातियो की महिलाओ के लिए एक-तिहाई स्थान आरक्षित किये गये। चयनित उत्तरदाताओं मे जनप्रतिनिधि वर्ग में से 57 63% (दोनो व्यवस्था से सम्बद्ध 72 22 व वर्तमान व्यवस्था सम्बद्ध 51 22% जनप्रतिनिधियो, 43 59% कार्मिक वर्ग एव 56 92% के अभिमत से आरक्षण प्रावधानो के माध्यम से सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व दिया जाकर पचायती राज सस्थाओ में जनभागीदारी की गई है। नवीन व्यवस्था में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग एव महिलाओ के लिए एक-तिहाई स्थानों के आरक्षण से सभी समुदायों के सदस्यो को चुनाव लडने का अवसर दिया जाकर उनके प्रतिनिधि चुने जाने से सभी वर्गों की जनभागीदारी मे वृद्धि की गयी है जिससे ग्रामीण क्षेत्र के आम नागरिक को इन सस्थाओं में जनप्रतिनिधि बनने का अवसर प्राप्त हो सके। सभी वर्गों की भागीदारी से पचायती राज सस्थाओ के प्रति जनचेतना पैदा हुई है।

चयनित उत्तरदाताओ मे से जनप्रतिनिधि वर्ग के 5 08% (दोनों व्यवस्थाओ से सम्बन्धित जनप्रतिनिधियों 16 67%) कार्मिक वर्ग के 10 26% एव नागरिक वर्ग के 38 46% का अभिमत है कि नवीन अधिनियम में राज्य वित्त आयोग के गठन एव पचायती राज संस्थाओं को आर्थिक वित्त उपलब्ध करवाकर इन सस्थाओ की आर्थिक स्थिति को सुदृढ किया गया है।

पंचायती राज सस्थाओ को प्रशासनिक एवं वित्तीय अधिकार देकर इन्हे पर्याप्त स्वायत्तता प्रदान की गई है। इस सम्बन्ध में चयनित उत्तरदाताओ में से जनप्रतिनिधि वर्ग मे 49 15% (दोनों व्यवस्था से सम्बद्ध 16 67% व वर्तमान व्यवस्था से सम्बद्ध 63 41%) एव कार्मिक वर्ग में 41 03 ने इन सस्थाओं को पर्याप्त स्वायत्तता नवीन अधिनियम 1994 के द्वारा प्रदान करना स्वीकारा है। चयनित उत्तरदाताओ में जनप्रतिनिधि वर्ग में दोनो व्यवस्थाओ से सम्बद्ध 50 00% वर्तमान व्यवस्था से सम्बद्ध 51 22% कुल में से 50 85% जनप्रतिनिधियो 43 59% कार्मिक वर्ग एवं 30 77% नागरिक वर्ग का अभिमत है कि नवीन पचायती राज अधिनियम 1994 में राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा सवैधानिक रूप से निर्धारित समयावधि में चुनाव करवाने की व्यवस्था का प्रावधान किया गया जिसके कारण इन सस्थाओं के चुनाव अब समय पर होने लगे हैं एव जनता का इन सस्थाओं में विश्वास बढने लगा है। समय पर चुनाव नहीं होने के कारण जनता में इन संस्थाओ के प्रति निराशा की भावना पैदा हो गयी थी। इस कमी को नवीन अधिनियम 1994 में सुधारा गया है।

पचायती राज संस्थाओ में स्थायी समिति के सदस्यो को अधिक अधिकार प्रदान किये गये हैं इस सम्बन्ध में कार्मिक वर्ग के 20 51% ने अभिमत प्रकट किया है। पचायत राज अधिनियम 1994 में अधिनियम के क्रियान्वयन के पश्चात् दो से अधिक सन्तानों वाले व्यक्ति पंचायती राज सस्थाओ में चुनाव लडने के अयोग्य माने गये हैं। इस सम्बन्ध में कार्मिक वर्ग के 12 82% एवं नागरिक वर्ग के 20 00% उत्तरदाताओ का अभिमत है कि पचायती राज सस्थाओ के चुनाव लड़ने के लिए नवीन अधिनियम मे दो बच्चो की जो अर्हता रखी गयी है उसके कारण परिवार नियोजन को बढावा मिलेगा जो जनसख्या नियन्त्रण करने का एक सकारात्मक कदम है।

चयनित उत्तरदाताओ का कार्मिक वर्ग से 23 08% एवं नागरिक वर्ग मे 18 46% का अभिमत है कि पचायती राज सस्थाओ को सवैधानिक दर्जा दिया गया है। नवीन पचायती राज अधिनियम 1994 मे पचायती राज सस्थाओ मे सस्था प्रधानो/अध्यक्षो के चुनाव प्रक्रिया में परिवर्तन किया जाकर व्यावहारिक रूप दिया गया है। इसके समर्थन में जनप्रतिनिधि वर्ग के 6 78% एवं कार्मिक वर्ग के 10 26% का अभिमत है कि नवीन व्यवस्था से सस्था प्रधानो के चयन में आसानी रहती है।

इस प्रकार नवीन पचायती राज अधिनियम 1994 मे पूर्व अधिनियम की कमियो को दूर करते हुए सभी वर्गों की भागीदारी में वृद्धि राज्य वित्त आयोग का गठन पचायती राज सस्थाओ को अधिक प्रशासनिक एव वित्तीय अधिकार राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा संवैधानिक रूप से समयावधि में चुनाव करवाना पचायती राज सस्थाओं को पर्याप्त स्वायत्तता दिया जाना पचायती राज सस्थाओ को सवैधानिक दर्जा दिया जाना चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियो हेतु अर्हताएँ निश्चित करना आदि के प्रावधान नवीन अधिनियम की विशेषता

रही है। नवीन पचायती राज अधिनियम 1994 में पूर्व अधिनियम की कमियो को दूर करने का भरसक प्रयत्न किया गया है लेकिन नवीन अधिनियम में भी 34 80% उत्तरदाताओं ने कमियाँ रहना अवगत करवाया है। जिन 34 80% उत्तरदाताओं ने नवीन व्यवस्था में कमियाँ रहना बताया है उनका विवरण तालिका 7 8 में दिया गया है।

तालिका-7.8

नवीन अधिनियम में कमियो के सन्दर्भ में प्रतिक्रिया

	नवीन अधिनियम मे कमियाँ	उत्तरदाताओ का प्रतिशत
1	पचायती राज सस्थाओ में आपसी तालमेल एव सामजस्य का अभाव होना।	71.26
2	आरक्षण की अधिकता से योग्य एव उत्साहक व्यक्तियों के नहीं आने से विकास कार्य अवरुद्ध होना एव जातिवाद को बढ़ावा मिलना।	44 82
3	व्यावहारिक रूप में प्रशासनिक अधिकार विहीन पचायती राज सस्थाएँ।	58 62
4	सरपचों की निरकुशता एव अधिकारो का दुरुपयोग किया जाना।	50.57
5	महिलाओ का एक-तिहाई जनप्रतिनिधियो मे आरक्षण उचित नहीं है।	17.24
6	जनप्रतिनिधियो के लिए शैक्षणिक योग्यता अर्हता के रूप में नहीं रखा जाना।	25.28
7	जिला परिषद् एव पचायत समिति सदस्यो का अधिकार विहीन होना।	40.22
8	सामान्य वार्ड से आरक्षित व्यक्ति को चुनाव लडने की छूट से सामान्य वर्ग के अधिकारों पर कुठाराघात।	3 44
9	सम्पूर्ण नवीन चुनाव प्रक्रिया ही दोषपूर्ण है।	20 68
10	पचायती राज सस्थाओ में दलीय आधार पर चुनावो से ग्रामो में द्वेष एव मनमुटाव व गुटबाजी को बढावा दिया जाना।	12.64
11	अध्यक्षो के पदो का लॉटरी प्रणाली द्वारा आरक्षण अव्यावहारिक।	6 90
12	निर्वाचन क्षेत्रों के लिए चक्रानुक्रम आरक्षण सही नहीं।	18.39
13	उपप्रधान/उप-जिला प्रमुख अधिकार विहीन।	5 74
14	ग्राम सभा के निर्णयो की क्रियान्विती करने की बाध्यता का न होना।	13 79
15	जनप्रतिनिधियों के लिए प्रभावशाली व्यावहारिक प्रशिक्षण की उचित व्यवस्था का अभाव।	16 89

पचायती राज सस्थाओं में चुनाव प्रक्रिया अलग-अलग होने से इन सस्थाओं में आपसी तालमेल एव सामजस्य नहीं रहता है। सरपच का चुनाव सीधे जनता द्वारा किया जाता है, प्रधान का चुनाव पचायत समिति के लिए चुने गये सदस्यो द्वारा एव जिला प्रमुख का चुनाव जिला परिषद् के सदस्यो द्वारा किया जाता है। इस सम्बन्ध में जनप्रतिनिधि वर्ग के 63 41%, कार्मिक वर्ग के शत-प्रतिशत एव नागरिक वर्ग के 71 43% इस प्रकार समग्र उत्तरदाताओं में से 71 26% उत्तरदाताओ का अभिमत है कि प्रधान के चुनाव में सरपच को एव जिला प्रमुख के चुनाव में प्रधान की भूमिका नहीं रहने के कारण सरपच, प्रधान एव जिला प्रमुख में आपसी तालमेल नहीं रहता है एव सस्था प्रधान अलग-अलग स्वतन्त्र रहते हैं जिससे ग्रामीण विकास के कार्यों पर विपरीत प्रभाव पडता है।

पचायती राज सस्थाओं में विभिन्न वर्गों के लिए आरक्षण का अधिक प्रावधान कर दिया गया है। जबकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एव पिछडा वर्ग अभी शिक्षा के क्षेत्र में काफी पिछडा हुआ है। चयनित उत्तरदाताओ में जनप्रतिनिधि वर्ग में 36 59%, कार्मिक वर्ग में शत-प्रतिशत एव नागरिक वर्ग में 37 14% समग्र से 44 82% उत्तरदाताओं का अभिमत है कि आरक्षण की अधिकता से अयोग्य एव अशिक्षित, अनुभवहीन जनप्रतिनिधिया का चयन होगा एव जातिवाद को बढावा मिलेगा। जबकि ग्रामीण विकास की मुख्य इकाई में जातिवाद एव अनुभवहीन अशिक्षित जनप्रतिनिधियों की सख्या अधिक होने से विकास कार्य प्रभावित होगे। योग्य एव जागरूक अनुभवी जनप्रतिनिधियो के पचायती राज सस्थाओ में चयन के अवसरो में कमी आ रही है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एव अन्य पिछडा वर्ग के सदस्यों की सख्या मे तो वृद्धि हो रही है लेकिन उनके समुदाय के जनप्रतिनिधि चयन होने के उपरान्त भी अशिक्षा एव अनुभवहीन होने के कारण उस वर्ग के लिए विकास कार्य नहीं करवा पाते हैं।

पचायती राज सस्थाओ को स्वायत्तता के सम्बन्ध मे जनप्रतिनिधि वर्ग के 70 73%, कार्मिक वर्ग के 45 45% इस प्रकार कुल 58 62% उत्तरदाताआ का अभिमत है कि पचायती राज सस्थाओ को व्यावहारिक रूप में प्रशासनिक अधिकार नहीं दिये गये हैं तथा वास्तव में नौकरशाही ही प्रशासनिक अधिकारो का उपयोग करती है। नवीन अधिनियम म ग्राम पचायतो को सशक्त बनाने के उद्देश्य से अधिकार एव शक्तिया म वृद्धि की गयी है जिसके कारण सरपच शक्तिशाली हो गये हैं। इस सम्बन्ध म जनप्रतिनिधि वर्ग के 21 95% एव नागरिको में शत-प्रतिशत उत्तरदाताओं का अभिमत है कि नवीन व्यवस्था में सरपच निरकुश हो गये हैं जिसके कारण अधिकारो का दुरुपयोग करते हैं।

पचायती राज सस्थाओ में महिलाओ के लिए एक-तिहाई स्थानो को आरक्षित कर इन सस्थाओ मे महिलाओं की सख्या को बढाया है। इस सम्बन्ध में जनप्रतिनिधि वर्ग के 7 32% एव नागरिको म 34 29% समग्र रूप से 17 24% उत्तरदाताआ का अभिमत है कि राज्य म महिलाएँ पर्दाप्रथा, अशिक्षा एव रूढीवादिता के कारण जनप्रतिनिधि बनने के पश्चात् भी उनकी भूमिका पचायती राज सस्थाओ के क्रियाकलापो/गतिविधिया मे भूमिका नगण्य ही रहती है इसलिए महिलाओ का एक-तिहाई आरक्षण राजस्थान जैसे राज्य मे जहाँ साक्षरता की दर जिसमें महिला साक्षरता दर बहुत ही कम है, महिला जागृति का अभाव है, अकेली घर से बाहर नहीं जा सकती ऐसी स्थिति म दिया जाना उचित नहीं है। महिलाओ को एक-

तिहाई आरक्षण से पचायती राज सस्थाओ की कार्यशैली, गतिविधियों के प्रभावित होने से इन सस्थाओं का उद्देश्य पूर्ण होने में सशय लगता है।

पचायती राज सस्थाओ में जनप्रतिनिधियों के चयन हेतु शैक्षणिक स्तर सम्बन्धी पात्रता का नहीं रखा जाना इस अधिनियम मे कमी रही है। इस सम्बन्ध में 26 83% जनप्रतिनिधि वर्ग, 36.36% कार्मिक वर्ग एव 20 00% नागरिक वर्ग का अभिमत है कि नवीन अधिनियम में पचायती राज सस्थाओ में चुनाव लडने वाले व्यक्ति के लिए शैक्षणिक स्तर की पात्रता नहीं रखने से आरक्षण व्यवस्था से अशिक्षित व्यक्तियों का चयन अधिक होगा जिससे वे प्रशासनिक कार्यों को समझने में असक्षम रहने से निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करेंगे।

पचायती राज सस्थाओ में प्रधान एव जिला प्रमुख के चयन हेतु चयन प्रक्रिया में परिवर्तन करके पचायत समिति सदस्यों द्वारा प्रधान का एव जिला परिषद् सदस्यों द्वारा जिला प्रमुख का चयन किया जाता है। इस सम्बन्ध में चयनित उत्तरदाताओ में जनप्रतिनिधि वर्ग के 58 53% एव कार्मिक वर्ग के 36 36% उत्तरदाताओ का अभिमत है कि इन सदस्यो की सस्था प्रधानो के चयन तक ही भूमिका रहती है। इसके पश्चात् ये बैठकों में भाग तो ले लेते हैं लेकिन इनके पास अधिकार कुछ भी नहीं है इसलिए इनके निर्णयो का व्यावहारिक रूप में क्रियान्वयन ग्राम पचायत द्वारा किया जाता है जो कि इनके निर्णयो से बाध्य नहीं है। अर्थात् इन चुने हुए सदस्यो के पास प्रशासनिक एव वित्तीय अधिकार नहीं होने के कारण इनके द्वारा लिए जाने वाले निर्णयो की क्रियान्विती होना मुश्किल हो जाता है। अत: ये सदस्य अधिकार विहीन है अत. इस व्यवस्था की अपेक्षा पुरानी व्यवस्था इससे अधिक उपयुक्त है।

पचायती राज सस्थाओ मे नवीन अधिनियम के तहत पिछडे वर्ग के व्यक्तियों को अधिक महत्त्व दिया गया है इसलिए सामान्य वार्ड से आरक्षित वर्ग को चुनाव लडने की छूट भी दी गयी है। इस सम्बन्ध में जनप्रतिनिधि वर्ग के जो दोनो व्यवस्था से सम्बन्धित हैं उनमें 20 00% एव समग्र रूप से 3 44% उत्तरदाताओ का अभिमत है कि आरक्षित वर्ग के व्यक्ति को सामान्य वर्ग के वार्ड से चुनाव लडने की छूट सामान्य वर्ग के अधिकारों पर कुठाराघात है। चयनित उत्तरदाताओं में से 12.20% जनप्रतिनिधियो एवं 37.14% नागरिकों ने समग्र रूप से 20 68% ने नवीन चुनाव प्रक्रिया को सब तरह से दोषपूर्ण माना है। चयनित उत्तरदाताओं मे जनप्रतिनिधि वर्ग के 12 20% एव कार्मिक वर्ग के 54 55% ने दलीय आधार पर चुनाव व्यवस्था को ग्रामो में द्वेष-भावना को बढावा देने वाली बताया है।

अध्यक्षों के पदों के आरक्षण को 14 63% जनप्रतिनिधियो ने अव्यावहारिक बतलाया है। इस अभिमत का कुल उत्तरदाताओ में प्रतिशत 6 90% है। निर्वाचन क्षेत्रों के लिए चक्रानुक्रम आवटन प्रणाली को जनप्रतिनिधि वर्ग के 7.3% एव नागरिक वर्ग के 37 14% समग्र रूप से 18 39% उत्तरदाताओं ने दोषपूर्ण माना है उनके अभिमत से वार्डों का चक्रानुक्रम आरक्षण होने से जनप्रतिनिधियो के वार्ड निश्चित नहीं रहने से विकास कार्यों की तरफ उनकी रुचि कम रहती है।

पचायती राज सस्थाओं में नवीन अधिनियम में उप-प्रधान एव उप-जिला प्रमुख को अधिकार नहीं दिये जाने के सम्बन्ध में जनप्रतिनिधि वर्ग के 12 00% ने तथा समग्र रूप से 5 74% ने अपने अभिमत प्रकट किया है। ग्रामसभा को एक महत्त्वपूर्ण इकाई के रूप में नवीन अधिनियम मे स्थान दिया गया है लेकिन ग्रामसभा के निर्णयो की क्रियान्विती के सम्बन्ध में

बाध्यता का न होना 13 79% उत्तरदाताओ ने अवगत करवाया है। पचायती राज अधिनियम 1994 में जनप्रतिनिधियो के लिए विशेष प्रशिक्षण शिविरो का प्रावधान नहीं करने के सम्बन्ध में 16 89% उत्तरदाताओ ने अभिमत दिया है। उनके अभिमत के अनुसार जनप्रतिनिधियो के लिए समय-समय पर व्यावहारिक प्रशिक्षण शिविर आयोजित किये जाने से पचायती राज सस्थाओ के जनप्रतिनिधियो का कार्यकुशलता मे वृद्धि होगी ताकि जनप्रतिनिधि अधिक कुशलता से कार्य कर सकेंगे।

नया पचायती राज अधिनियम उचित कदम है लेकिन पर्याप्त नहीं है क्योकि राज्य स्तर से किया गया विकेन्द्रीयकरण दरअसल ऊपर से थोपा हुआ है। अत पूर्ण रूप से विकेन्द्रीकरण के लिए केन्द्र व राज्यस्तरीय नेताओ की राजनीतिक इच्छा शक्ति बहुत आवश्यक है। जब तक राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं होगी ये सरकारे भले ही इन्हे सवैधानिक स्तर मिल जाये राज्य सरकार की एजेन्सी मात्र बनी रहेगी। अत इस समय आवश्यकता इस बात की है कि विकास के सम्बन्ध में जागृत किया जावे।

ग्रामसभा/ग्राम पचायत/पचायत समिति/जिला परिषद् की बैठको के सम्बन्ध मे प्रतिक्रिया

शोध के क्षेत्रीय कार्य में अनुभव मूलक अध्ययन के लिए चयनित उत्तरदाताओ से ग्रामसभा ग्राम पचायत पचायत समिति जिला परिषद् की बैठको मे भाग लेने के सम्बन्ध मे जानकारी करने पर जो अभिमत प्राप्त हुआ है उसका विवरण तालिका 7 9 मे दिया गया है।

तालिका-7 9

पचायती राज सस्था की बैठको में भाग लेने के सम्बन्ध मे प्रतिक्रिया

उत्तरदाताओं की श्रेणी	उत्तरदाताओ की सख्या	बैठको मे भाग लिया	
		हाँ	नहीं
जनप्रतिनिधि वर्ग	100 (100 00)	100 (100 00)	
(अ) दोनो व्यवस्था से सम्बद्ध	37 (100 00)	37 (100 00)	•
(ब) वर्तमान व्यवस्था से सम्बद्ध	67 (100 00)	67 (100 00)	
कार्मिक वर्ग	50 (100 00)	45 (90 00)	5 (10 00)
नागरिक वर्ग	100 (100 00)	55 (55 00)	45 (45 00)
कुल योग	250 (100 00)	200 (80 00)	50 (20 00)

कोष्ठक (%) में प्रतिशत दर्शाया गया है।

तालिका से स्पष्ट होता है कि जनप्रतिनिधि वर्ग के शत-प्रतिशत कार्मिक वर्ग 90 00% एव नागरिक वर्ग के 55 00% उत्तरदाताओ ने पचायती राज सस्थाओ को ग्राम, पचायत समिति एव जिला स्तर पर आयोजित बैठको में भाग लेना अवगत करवाया है। शेष कार्मिक वर्ग मे 10 00% एव नागरिक वर्ग में 45 00% ने बैठकों मे भाग नहीं लेना अवगत करवाया है।

बैठकों की नियमितता पर प्रतिक्रिया

चयनित उत्तरदाताओ से पचायती राज सस्थाओ की आयोजित बैठकों की नियमितता के सम्बन्ध मे जानकारी करने पर जो प्रतिक्रिया व्यक्त की है उसको तालिका 7 10 में दिया गया है।

तालिका-7.10

बैठको की नियमितता

उत्तरदाताओ की श्रेणी	उत्तरदाताओ की सख्या	बैठकों की नियमितता	
		हॉं	नहीं
जनप्रतिनिधि वर्ग	100 (100 00)	94 (94 00)	6 (6 00)
(अ) दोनो व्यवस्था से सम्बद्ध	33 (100 00)	33 (100 00)	-
(ब) वर्तमान व्यवस्था से सम्बद्ध	67 (100 00)	61 (91 04)	6 (8 96)
कार्मिक वर्ग	50 (100 00)	41 (82 00)	9 (18 00)
नागरिक वर्ग	100 (100 00)	40 (40 00)	60 (60 00)
कुल योग	250 (100 00)	175 (70 00)	75 (30 00)

कोष्ठक (%) में प्रतिशत दर्शाया गया है।

तालिका के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि चयनित उत्तरदाताओं में से जनप्रतिनिधि वर्ग मे दोनो व्यवस्थाओ से सम्बद्ध शत-प्रतिशत, वर्तमान व्यवस्था से सम्बद्ध 91 04% जनप्रतिनिधियो ने, कार्मिक वर्ग में से 82 00% ने एव नागरिक वर्ग में से 40.00% ने बैठकें नियमित आयोजित होना अवगत करवाया है जबकि शेष 8 96% वर्तमान व्यवस्था से सम्बद्ध जनप्रतिनिधियो, कार्मिक वर्ग में 18 00% एव नागरिको मे से 60 00% का अभिमत है कि

ग्राम पचायत/पचायत समिति/जिला परिषद् की बैठक नियमित नहीं होती है। अत समग्र रूप में 70 00% उत्तरदाताओ के अभिमत में बैठके नियमित होना एव 30 00% उत्तरदाताओ के अभिमत से बैठक अनियमित होने सम्बन्धी प्रतिक्रिया व्यक्त की गई है।

बैठके नियमित नहीं होने के कारण

चयनित उत्तरदाताओ मे से जिन 30% उत्तरदाताओ ने बैठक नियमित नहीं होना अवगत करवाया है उन उत्तरदाताओ से ही बैठक नियमित नहीं होने के कारणो की जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की गई। उत्तरदाताओ ने बैठको के नियमित नहीं होने के जो कारण अवगत करवाये हैं उनका विवरण तालिका 7 11 म दिया जा रहा है।

तालिका 7 11

बैठक अनियमित होने के कारण

बैठके अनियमित होने के कारण	उत्तरदाताओ का प्रतिशत
1 वार्षिक कलेण्डर नहीं बनाया जाना	4 00
2 राजनीतिक विरोध से बचने के लिए	56 00
3 अविश्वास प्रस्ताव से बचने के लिए	42 67
4 सरपच की तानाशाही एव गाँववालो की रुचि का अभाव	53 33
5 नियन्त्रण का अभाव	17 33
6 जनप्रतिनिधियो में अशिक्षित एव अनुभवहीन होना	16 00

तालिका में दर्शाये गये कारणों से ज्ञात होता है कि उत्तरदाताओ ने नियमित बैठकें नहीं होने के एक से अधिक कारण बतलाये हैं जिससे बैठक नहीं होने के कारणो में उत्तरदाताओं का प्रतिशत 100 से अधिक है।

उत्तरदाताओ में से 4 00% का अभिमत है कि पचायती राज सस्थाओं की बैठको के लिए समय पर वार्षिक कलेण्डर तैयार नहीं करने के कारण उनकी बैठक नियमित नहीं हो पाती हैं। पचायती राज सस्थाओ की बैठको के लिए वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में ही कलेण्डर तैयार करने का प्रावधान है लेकिन ये सस्थाएँ उसका पालन नहीं करती हैं।

उत्तरदाताओ मे से 56 00% का अभिमत है कि पचायती राज सस्थाओ के अध्यक्ष राजनीतिक विरोध से बचने के लिए समय पर नियमित रूप से बैठकें आयोजित नहीं करते हैं। इसलिए बैठकें अनियमित रूप से होती है। उत्तरदाताओ में से 42 67% का अभिमत है कि सस्थाओ के अध्यक्ष अविश्वास प्रस्ताव से बचने के लिए नियमित रूप से बैठक आयोजित नहीं करते हैं।

ग्रामसभा/ग्राम पचायतों की बैठकों के सम्बन्ध में एक कारण उत्तरदाताओं ने सरपच की तानाशाही प्रवृत्ति का होना तथा गाँव वालों में रुचि का अभाव होना भी अवगत करवाया है। यह कारण बताने वाले उत्तरदाताओ का प्रतिशत 53 33% है। सरपचो को नवीन अधिनियम में अधिक शक्तियाँ देकर उन्हें शक्तिशाली बना दिया गया है अत वह ग्रामवासियो को

परवाह नहीं करता है। पचायती राज सस्थाओ को पर्याप्त स्वायत्तता देने से 17 33% उत्तरदाताओ का अभिमत है कि इन सस्थाओ पर नियन्त्रण नहीं रहने से बैठको की तरफ ध्यान कम देते हैं। पूर्व व्यवस्था में सरपच प्रधान एव जिला प्रमुख का प्रत्यक्ष रूप से समन्वय रहता था तथा इन पर ऊपरी सस्था का जैसे पचायत पर पचायत समिति का, पचायत समिति पर जिला परिषद् का, जिला परिषद् पर सरकार का नियन्त्रण रहने से कार्य सुचारू रूप से होता था लेकिन अब नियन्त्रण नहीं रहा है।

पचायती राज सस्थाओ में नवीन अधिनियम के बाद एव अनुभवहीन जनप्रतिनिधियों के चयनित होने से उन्हे जानकारी ही नहीं है कि कब बैठकें आयोजित होनी चाहिए। इस अभिमत के उत्तरदाताओ का प्रतिशत 16 00% है।

अत पचायती राज सस्थाओ की उक्त कारणो से समय पर नियमित रूप से बैठकें आयोजित नहीं होने के कारण विकास कार्यों पर भी विपरीत प्रभाव पडता है। बैठको की अनियमितता को सरकार ने गम्भीरता से लिया है तथा इनकी बैठके नियमित आयोजन हेतु प्रभावी कदम उठाये जा रहे हैं जिनका उल्लेख आगे किया गया है।

बैठको मे सरकारी अधिकारियो एव जनप्रतिनिधियो की उपस्थिति के सम्बन्ध मे प्रतिक्रिया

नवीन पचायती राज अधिनियम के लागू होने से पूर्व एव पश्चात् आयोजित बैठको में अधिकारियो एव जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति के बारे में चयनित उत्तरदाताओ ने जो प्रतिक्रिया व्यक्त की है उसका तुलनात्मक विवरण तालिका 7 12 में दिया गया है।

तालिका-7.12

सरकारी अधिकारियो एव जनप्रतिनिधियो की बैठको मे उपस्थिति की तुलनात्मक स्थिति

पदनाम	उत्तरदाताओं की श्रेणी							
	जनप्रतिनिधि वर्ग				कार्मिक वर्ग		नागरिक वर्ग	
	पूर्व व्यवस्था से सम्बद्ध अधिनियम से पूर्व	पश्चात्	वर्तमान व्यवस्था से सम्बद्ध अधिनियम से पूर्व	पश्चात्	अधिनियम से पूर्व	पश्चात्	अधिनियम से पूर्व	पश्चात्
सरपच	72 73	63 64	38 81	46 67	36 00	18 00	73 00	85 00
प्रधान	36 36	45 45	22 39	53 73	34 00	50 00	25 00	26 00
विकास अधिकारी	27 27	27 27	22 39	46 27	34 00	40 00	25 00	25 00
प्रमुख	9 09	18 18	7 46	22 39	22 00	42 00	-	60 00
ग्राम सचिव	63 64	54 54	23 88	31 34	20 00	18 00	13 00	80 00

जिला परिषद् सदस्य		27 27		31 34		42 00		23 00
पंचायत समिति सदस्य		19 09		23 88		22 00		37 00
कार्यकारी अधिकारी		30 30		46 27		24 00		15 00
सभी	18 18	12 12	22 39	16 42	34 00	18 00	13 00	12 00
प्रत्युत्तर नहीं दिया	15 15	9 09	2 99		6 00	10 00	17 00	13 00

पचायती राज सस्थाओ की कार्यवाही में अधिकारियों एव जनप्रतिनिधियो के भाग लेने के सम्बन्ध मे उत्तरदाताओं से जानकारी करने पर उनमें से सरपच के बारे मे दोनो व्यवस्थाओ से सम्बद्ध जनप्रतिनिधियो में से अधिनियम से पूर्व 72 73% एव पश्चात् 63 64% प्रधान के बारे में पूर्व में 36 36% एव पश्चात् मे 45 45% विकास अधिकारी के लिए पूर्व मे एव पश्चात् मे समान स्थिति 27 27% जिला प्रमुख के बारे में पूर्व में 9 09% पूर्व मे एव 18 18% पश्चात्, ग्राम सचिव के बारे में पूर्व में 63 64% एव पश्चात् मे 54 54% एव सभी के बारे में पूर्व मे 18 18% एव पश्चात् मे 12 12% दोनो व्यवस्थाओ से सम्बद्ध जनप्रतिनिधियो ने अभिमत प्रकट किया है। अत इन जनप्रतिनिधियो के अभिमत से तुलनात्मक विश्लेषण से ज्ञात होता है कि सरपच एव ग्राम सेवक की बैठको मे भाग लेने के सम्बन्ध मे पूर्व में प्रतिशत अधिक है जबकि बाद मे कम है। प्रधान एव प्रमुख के सम्बन्ध मे बैठको में भागीदारी का प्रतिशत पूर्व मे कम एव पश्चात् मे अधिक रहा है। विकास अधिकारी के बारे में पूर्व एव पश्चात् में समान विचार रहे हैं।

वर्तमान व्यवस्था से सम्बद्ध जनप्रतिनिधियो से अधिकारियो एव जनप्रतिनिधियो की बैठको व कार्यवाहियो मे भाग लेने के बारे मे जानकारी करने पर अधिनियम से पूर्व एव पश्चात् के प्रतिशत मे सरपच के बारे मे पूर्व मे 38 81% एव पश्चात् में 46 67% प्रधान के बारे मे पूर्व मे 22 39% एव पश्चात् मे 53 73% विकास अधिकारी के बारे म पूर्व मे 22 39% एव वर्तमान मे 46 27% प्रमुख के बारे मे पूर्व मे 7 467% एव पश्चात् मे 22.397% ग्राम सचिव के बारे मे पूर्व मे 23 87% एव पश्चात् में 31 347% एव सभी मे पूर्व में [redacted] 397% एव पश्चात् मे 16 42% के अभिमत प्रकट किया है। अत वर्तमान व्यवस्था से सम्बद्ध वर्तमान मे जनप्रतिनिधियो के अभिमत से पूर्व के मुकाबले वर्तमान मे सभी अधिकारियो एव जनप्रतिनिधियों की बैठको/कार्यवाही मे भागीदारी मे वृद्धि हुई है। पचायती राज सस्थाओं के कार्मिक वर्ग से इस सम्बन्ध मे जानकारी करने पर अधिनियम से पूर्व एव पश्चात् के प्रतिशत में सरपच के बारे मे पूर्व में 36 00% एव पश्चात् मे 18 00% प्रधान के बारे मे पूर्व मे 34 00% एव पश्चात् मे 5 007% विकास अधिकारी के बारे में पूर्व म 4 00% एव पश्चात् मे 40 00% प्रमुख के बारे में पूर्व मे 22 00% एव पश्चात् में 42 00% ग्राम सचिव के बारे मे पूर्व मे 20 00% एव पश्चात् मे 18 00% ने अभिमत प्रकट किये हैं।

अत कार्मिक वर्ग के उत्तरदाताओ के अभिमत से सरपच एव ग्राम सेवक की भागीदारी मे कमी आना एव प्रधान विकास अधिकारी प्रमुख की भागीदारी में वृद्धि होना जाहिर होता है। जनसामान्य नागरिक वर्ग मे जानकारी करने पर अधिनियम से पूर्व व पश्चात् के प्रतिशत मे

सरपच के बारे मे पूर्व में 73 00 एव पश्चात् में 85 00, प्रधान में पूर्व में 25 00 एवं पश्चात् में 26 00, विकास अधिकारी में समान अभिमत 25 00 प्रमुख में पूर्व में शून्य एवं पश्चात् में 60 00, ग्राम सचिव मे पूर्व में 13 00 एव पश्चात् में 80 00 तथा सभी मे पूर्व में 13 00 एव पश्चात् में 12 00% ने अभिमत प्रकट किये हैं। अतः नागरिक वर्ग के अभिमतो का विश्लेषण देखा जाये तो ज्ञात होता है कि नागरिक वर्ग ने अधिकारियो एव जनप्रतिनिधियो की भागीदारी मे वृद्धि होना अवगत करवाया है। नवीन अधिनियम से पूर्व जिला परिषद् एव पचायत समिति सदस्य चयनित होने की व्यवस्था नहीं थी इसलिए इनका तुलनात्मक विश्लेषण किया जाना सम्भव नहीं हो पाया है।

पचायती राज सस्थाओ की कार्यवाही मे अधिकारियो एव जनप्रतिनिधियो की भागीदारी के सम्बन्ध मे दोनो व्यवस्था से सम्बन्धित जनप्रतिनिधियो एव कार्मिक वर्ग के उत्तरदाताओ के विचारो में तथा वर्तमान व्यवस्था से सम्बद्ध जनप्रतिनिधियों एव नागरिक वर्ग के उत्तरदाताओ के विचारो में लगभग समानता पायी गयी है।

सरकारी अधिकारियो एव जनप्रतिनिधियो की बैठको में भाग नहीं लेने पर की जाने वाली कार्यवाही के सम्बन्ध मे प्रतिक्रिया

पचायती राज सस्थाओ की आयोजित बैठको में सरकारी अधिकारियों एव चुने हुए जनप्रतिनिधियो द्वारा भाग नहीं लेने पर उनके खिलाफ कार्यवाही के बारे में जानकारी करने पर जो प्रतिक्रिया उत्तरदाताओ ने व्यक्त की है उसको तालिका 7 13 में दर्शाया गया है।

तालिका-7.13

बैठको मे भाग नहीं लेने पर अधिकारियो व जनप्रतिनिधियो के खिलाफ कार्यवाही के बारे मे प्रतिक्रिया

उत्तरदाताओ की श्रेणी	सख्या	बैठक मे भाग नहीं लेने पर कार्यवाही		
		हाँ	नहीं	प्रत्युत्तर नहीं
जनप्रतिनिधि वर्ग	100 (100 00)	47 (47 00)	49 (49 00)	4 (4 00)
(अ) दोनो व्यवस्था से सम्बद्ध	33 (100 00)	12 (36 36)	19 (57 58)	2 (6 06)
(ब) वर्तमान व्यवस्था से सम्बद्ध	67 (100 00)	35 (52 24)	30 (44 78)	2 (2 98)
कार्मिक वर्ग	50 (100 00)	13 (26 00)	34 (68 00)	3 (6 00)
नागरिक वर्ग	100 (100 00)	-	95 (95 00)	5 (5 00)
योग	250 (100 00)	60 (24 00)	178 (71 20)	12 (4 80)

कोष्ठक (%) में प्रतिशत दर्शाया गया है।

तालिका से स्पष्ट होता है कि जनप्रतिनिधि वर्ग मे दोनो व्यवस्था से सम्बद्ध मे 36 36% वर्तमान व्यवस्था से सम्बद्ध मे 52 24% एव कार्मिक वर्ग मे 26 00% इस प्रकार समग्र उत्तरदाताओ में से 24 00% उत्तरदाताओ ने कार्यवाही करने के बारे में अभिमत प्रकट किया है जबकि 71 20% ने कार्यवाही नहीं किये जाने हेतु अभिमत प्रकट किये हैं शेष 4 80% ने इस सम्बन्ध में कोई प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की है।

पचायती राज सस्थाओ मे पद चाहने पर प्रतिक्रिया

अध्ययन हेतु चयनित उत्तरदाताओ से पचायती राज व्यवस्था में पद इच्छा के बारे मे जानकारी करने पर जो प्रतिक्रिया व्यक्त की है उसे तालिका 7 14 मे दर्शाया गया है।

तालिका-7 14

पचायती राज सस्था मे पद चाहने पर प्रतिक्रिया

उत्तरदाताओं की श्रेणी	सख्या	पद हेतु प्रतिक्रिया			यदि हाँ तो कारण (सकेत)				
		हाँ	नहीं	प्रतिक्रिया नहीं	1	2	3	4	5
जनप्रतिनिधि वर्ग	100 (100 00)	94 (94 00)	3 (3 00)	3 (3 00)	87 (92 55)	9 (9 57)	11 (11 70)	3 (3 19)	9 (9 57)
अ) दोनों व्यवस्था से सम्बद्ध	33 (100 00)	33 (100 00)			29 (87.88)	4 (12 12)	5 (15 15)	3 (9 09)	4 (12 12)
ब) वर्तमान व्यवस्था से सम्बद्ध	67 (100 00)	61 (91 04)	3 (4 48	3 (4 48)	58 (95 08	5 (8 20)	6 (9 84)		5 (8 20)
कार्मिक वर्ग	50 (100 00)	5 (10 00)	41 (82 00)	4 (8 00)	2 (40 00)		3 (60 00)		
नागरिक वर्ग	100 (100 00)	24 (24 00)	71 (71 00)	5 (5 00)	20 (83 33)	7 (7 17)	5 (0 84)		9 (37 50)
योग	250 (100 00)	123 (49 20)	115 (46 00)	12 (4 80)	109 (88 62)	16 (13 00)	16 (13.00)	6 (4 88)	18 14 63)

कोष्ठक (%) मे प्रतिशत दर्शाया गया है।

यदि हाँ तो कारण (सकेत)—

1 क्षेत्र के विकास एव जनसेवा के लिए।

2 प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए।

3 राजनीतिक इच्छाशक्ति के कारण।

4 समाज को शिक्षित करने एव विकास योजनाओ का लाभ दिलवाने हेतु।

5 अनियमितताओं पर रोक लगाने के लिए।

तालिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि उत्तरदाताओं में से 49 20% उत्तरदाता पद की इच्छा रखते हैं जबकि 46 00% उत्तरदाताओं का पद लेने की इच्छा नहीं है शेष 4 80% उत्तरदाताओ ने इस सम्बन्ध में राय व्यक्त नहीं की है।

जिन 49 20% उत्तरदाताओ ने पद लेने की इच्छा जाहिर की है उन्हीं उत्तरदाताओं से आगे यह भी जानकारी की गई कि आप पचायती राज सस्थाओ में पद क्यों लेना चाहते हैं ? इसके प्रत्युत्तर में 88 62% के अभिमत से क्षेत्र के विकास एव जनसेवा के लिए, 13 00% प्रतिष्ठा प्राप्त करे हेतु, 13 00% राजनीतिक इच्छा से, 4 88% समाज को शिक्षित करने एवं विकास योजनाओ का लाभ दिलवाने के लिए एव 14 63% अनियमितताओं पर रोक लगाने के इरादे से इन सस्थाओ में पद प्राप्त करने के विचार प्रकट किये हैं।

* पुरानी पंचायती राज व्यवस्था में न्याय पंचायत से सन्तुष्टि के बारे में प्रतिक्रिया

नवीन अधिनियम 1994 के क्रियान्वितो के पश्चात् न्याय पचायत व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है इसलिए पुरानी पचायती राज व्यवस्था में न्याय पचायत से सन्तुष्टि के बारे में जानकारी करने पर उत्तरदाताओ ने जो अभिमत किया है उसका विवरण तालिका 7 15 में दिया गया है।

तालिका-7.15

न्याय पचायत से सन्तुष्टि पर प्रतिक्रिया

उत्तरदाताओ की श्रेणी	सख्या	न्याय पचायत से सन्तुष्टि पर प्रतिक्रिया			
		पूर्ण रूप से सतुष्टि	आशिक रूप से सतुष्टि	सतुष्ट नहीं	प्रतिक्रिया नहीं
जनप्रतिनिधि वर्ग	100 (100 00)	72 (72 00)	15 (15 00)	11 (11 00)	2 (2.00)
(अ) दोनो व्यवस्था से सम्बद्ध	33 (100 00)	27 (81 82)	-	6 (18 18)	-
(ब) वर्तमान व्यवस्था से सम्बद्ध	67 (100 00)	45 (67 16)	15 (22.39)	5 (7 46)	2 2 99)
कार्मिक वर्ग	50 (100 00)	17 (34 00)	10 (20 00)	18 (36 00)	2 (10 00)
नागरिक वर्ग	100 (100 00)	57 (57 00)	16 (16 00)	27 (27 00)	-
योग	250 (100 00)	146 (58 40)	41 (16 40)	56 (22 40)	7 (2.80)

कोष्ठक (%) में प्रतिशत दर्शाया गया है।

* न्याय पचायत व न्याय उपसमिति दोनो के बारे मे सुविधा की दृष्टि से उत्तरदाताओ से न्याय पचायत नाम से ही प्रश्न पूछे गये हैं।

तालिका के अवलोकन से ज्ञात होता है कि समग्र उत्तरदाताओ मे से 58 40% उत्तरदाताओ ने पूर्ण रूप से सन्तुष्टि एव 16 40% ने आशिक रूप से न्याय पचायत के बारे मे सन्तुष्टि के अभिमत व्यक्त किये हैं शेष 22 40% उत्तरदाताओं ने असन्तुष्टि जाहिर की है और 2 80% ने इस सम्बन्ध मे अभिमत प्रकट नहीं किया है अत उत्तरदाताओ के प्राप्त अभिमत से यह स्पष्ट होता है कि पुरानी पचायती राज व्यवस्था मे न्याय पचायत से अधिकाश उत्तरदाता 74 60% पूर्ण एव आशिक रूप से सन्तुष्ट थे।

नवीन पंचायती राज व्यवस्था मे न्याय पचायत (न्याय उपसमिति) के समाप्त करने के बारे में प्रतिक्रिया

पचायती राज अधिनियम 1994 के बाद न्याय पचायत को समाप्त करने के बारे मे उत्तरदाताओ की जो प्रतिक्रिया रही है उसका विवरण तालिका 7 16 में दर्शाया गया है।

तालिका 7 16

न्याय पचायत [न्याय उपसमिति] व्यवस्था समाप्त करने पर प्रतिक्रिया

उत्तरदाताओं की श्रेणी	सख्या	न्याय पचायत [न्याय उपसमिति] व्यवस्था समाप्त करने पर प्रतिक्रिया			
		सही है	गलत है	न सही न गलत	जानकारी नहीं
जनप्रतिनिधि वर्ग	100 (100 00)	10 (10 00)	84 (84 00)	1 (1 00)	5 (5 00)
(अ) दोनों व्यवस्था से सम्बद्ध	33 (100 00)		33 (100 00)		
(ब) वर्तमान व्यवस्था से सम्बद्ध	67 (100 00)	10 (14 93)	51 (76 12)	1 (1 49)	5 (7 46)
कार्मिक वर्ग	50 (100 00)	11 (22 00)	27 (54 00)	1 (2 00)	11 (22 00)
नागरिक वर्ग	100 (100 00)	24 (24 00)	75 (75 00)	1 (1 00)	
योग	250 (100 00)	45 (18 00)	186 (74 00)	3 (1 20)	16 (6 40)

कोष्ठक (%) मे प्रतिशत दर्शाया गया है।

तालिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधिकाशत 74 40% उत्तरदाताओ ने न्याय पचायत को समाप्त करना गलत बतलाया है। केवल 18 00% उत्तरदाताओ ने ही सही बताया है। शेष 1 20% उत्तरदाताओ ने कोई स्पष्ट राय व्यक्त नहीं की है एव 6 40% ने प्रत्युत्तर नहीं दिया है। अत उत्तरदाताओ के अभिमत विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि न्याय पचायत को नवीन व्यवस्थाओ मे समाप्त करना गलत कदम रहा है।

न्याय व्यवस्था के पुन लागू करने के बारे में समग्र उत्तरदाताओ मे से 74 80% के अभिमत सकारात्मक है अर्थात् लागू करने के पक्ष में अभिमत जाहिर किया है शेष [redacted] 40% ने

विपक्ष मे मत जाहिर किया है एव 3 20% उत्तरदाताओ ने इस बारे में प्रत्युत्तर नहीं दिया है। अत: न्याय पचायत पुन: लागू करवाने वाले उत्तरदाताओ का प्रतिशत अधिक रहा है।

वार्डसभा गठन पर प्रतिक्रिया

"7 जनवरी, 2000 को राजस्थान सरकार ने एक अध्यादेश जारी कर राजस्थान पचायती राज अधिनियम 1994 को सशोधित करते हुए अध्यादेश के तहत वार्डसभा के गठन का प्रावधान किया है। भविष्य मे वार्डसभा के माध्यम से ही वार्ड की विकास योजनाएँ बनाने व इन्हे लागू करने का काम होगा। राजस्थान देश का पहला राज्य है जहाँ वार्डसभाएँ बनाई गई हैं। वार्डसभा की प्रतिवर्ष कम-से-कम दो बैठकें होगी। इसी प्रकार प्रत्येक पचायत वृत्त के लिए एक ग्रामसभा होगी जिसमें पचायत क्षेत्र के सभी मतदाता भाग लेंगे।"[3]

पचायती राज सस्थाएँ लोकतन्त्र विकास व कल्याण की सवाहक बने तथा साथ ही निर्णयन एव नीति निर्माण मे समग्र जन की सक्रिय भागीदारी बढे बापू के इसी सपने को साकार करने के प्रति वार्डसभा गठन एक सराहनीय एव उपलब्धि पूर्ण कदम है जिसके बारे में शोध अध्ययन के माध्यम से अभिमत जानने का प्रयास किया गया है। वार्डसभा गठन से अब पचायत वृत्त का समग्र सर्वस्वीकार्य सन्तुलित विकास जन-आकाक्षाओ के प्रति ज्यादा अनुकूल सिद्ध होगा।[4]

ग्रामसभाओ को व्यावहारिक रूप देने के उद्देश्य से वार्डसभा के गठन के बारे में उत्तरदाताओ के अभिमत प्राप्त करने पर जो विचार व्यक्त किये हैं उनको तालिका 7 17 में दर्शाया गया है।

तालिका-7.17

वार्डसभा गठन पर प्रतिक्रिया

उत्तरदाताओ की श्रेणी	सख्या	उत्तरदाताओं की प्रतिक्रिया		
		सही	गलत	जानकारी नहीं
जनप्रतिनिधि वर्ग	100 (100 00)	88 (88 00)	8 (8 00)	4 (4 00)
(अ) दोनो व्यवस्था से सम्बद्ध	33 (100 00)	27 (81 82)	3 (9 07)	3 (9 09)
(ब) वर्तमान व्यवस्था से सम्बद्ध	67 (100 00)	61 (91 05)	5 (7 46)	1 (1.49)
कार्मिक वर्ग	50 (100 00)	43 (86 00)	5 (10 00)	2 (4 00)
नागरिक वर्ग	100 (100 00)	75 (75 00)	13 (13 00)	12 (12.00)
योग	250 (100 00)	206 (82 40)	26 (10 40)	18 (7.20)

कोष्ठक (%) में प्रतिशत दर्शाया गया है।

वार्डसभा के गठन पर उत्तरदाताओ में से जनप्रतिनिधि वर्ग के 88 00% कार्मिक वर्ग के 86 00% एव नागरिक वर्ग के 75 00% उत्तरदाताओ ने सही बतलाया है जबकि 10 40% ने गलत। शेष 7 20% उत्तरदाताओ ने इस सम्बन्ध में जानकारी नहीं दी है। अत उत्तरदाताओ मे अधिकाश का मत वार्डसभा गठन के पक्ष मे रहने से वार्डसभाओ का गठन उचित माना जा सकता है।

वार्डसभाएँ और ग्रामसभाएँ अब मात्र औपचारिक नहीं होगी। ग्रामसभाओ के जरिये ग्राम विकास का सपना साकार करने का प्रयास किया जा रहा है। इसको मध्यनजर रखते हुए वार्डसभाओ पर विशेष ध्यान दिया जाकर प्रभावी कार्यक्रम बनाया गया है। इसी कारण एक से दस मई तक वार्डसभाएँ आयोजित करने के निर्देश दिये हैं। राज्य मे पहली बार बनायी गई वार्डसभा की बैठके एक से दस मई तक होगी। वार्डसभा के जरिये वार्ड में लागू की जाने वाली विकास योजनाओ व कार्यक्रमो पर प्रस्ताव तैयार होगे। राजीव गाँधी स्वर्ण जयती पाठशालाओ मे शिक्षा सहयोगी के रूप में काम करने के इच्छुक युवक-युवतियो के आवेदन पत्र भी वार्ड व ग्रामसभाओ की बैठको मे अनुमोदित किये जाएँगे। राज्य की सभी ग्रामसभाएँ 15 मई को एकसाथ होगी।

वार्डसभाओ मे गरीबी की रेखा से नीचे चयनित परिवारो मे यदि कोई गलत चयन हो गया हो तो उसे हटाने की कार्यवाही भी की जाएगी। पंचायती राज अधिनियम में सशोधन के जरिये इस बार प्रत्येक वार्ड में एक वार्डसभा का गठन किया गया है। वार्डसभाओं के सचालन के बारे मे प्रशिक्षण देने का काम वार्डसभाओं की बैठको से पूर्व किया गया है। वार्डसभाओं में राजस्व व अन्य विभागो की ओर से जारी किये गये नागरिक अधिकार-पत्रो पर चर्चा कर वार्डसभा में लोगो को उनके अधिकारो की जानकारी दी जाएगी। स्वर्ण जयती पाठशाला खोलने के प्रस्ताव भी वार्डसभा भेज सकेगी।

वार्डसभाओ में राज्य के सभी विभागाध्यक्षो व सचिवो को मुख्य सचिव ने निर्देश दिये हैं कि वे भी वार्डसभाओ मे उपस्थित रहें।

अत वार्डसभाओ पर विशेष ध्यान दिया जाकर ग्राम स्वराज्य का सपना साकार करने का प्रयास किया गया है।

73वे सविधान सशोधन अधिनियम के बारे मे प्रतिक्रिया

पचायती राज सस्थाओ से सम्बन्धित 73वें सविधान सशोधन अधिनियम की जानकारी के सम्बन्ध में उत्तरदाताओ से जो सूचना प्राप्त हुई है उसका विवरण तालिका 7 18 में दिया गया है।

तालिका-7.18

सविधान सशोधन अधिनियम की जानकारी

उत्तरदाताओ की श्रेणी	सख्या	उत्तरदाताओ की प्रतिक्रिया		
		जानकारी है	जानकारी नहीं है	प्रत्युत्तर नहीं दिया
जनप्रतिनिधि वर्ग	100 (100 00)	92 (92.00)	8 (8 00)	-
(अ) दोनों व्यवस्था से सम्बद्ध	33 (100 00)	30 (90 91)	3 (9 09)	-
(ब) वर्तमान व्यवस्था से सम्बद्ध	67 (100 00)	62 (92 54)	5 (7 46)	-
कार्मिक वर्ग	50 (100 00)	50 (100 00)	-	-
नागरिक वर्ग	100 (100 00)	72 (72.00)	24 (24 00)	4 (4 00)
योग	250 (100 00)	214 (85 60)	32 (12.80)	4 (1 60)

कोष्ठक (%) में प्रतिशत दर्शाया गया है।

उत्तरदाताओ से सविधान के 73वें सविधान सशोधन अधिनियम के बारे में जानकारी करने पर जनप्रतिनिधि वर्ग में 92 00%, कार्मिक वर्ग में शत-प्रतिशत एव नागरिक वर्ग में 72 00% को जानकारी है जबकि जनप्रतिनिधि वर्ग मे 8 00% एव नागरिक वर्ग में 24 00% को जानकारी नहीं है शेष 4 00% नागरिक वर्ग के उत्तरदाताओ ने प्रत्युत्तर नहीं दिया है। अतः समग्र वर्ग के उत्तरदाताओ मे 85 60% को 73वें सविधान सशोधन अधिनियम की जानकारी होना एव 12 80% को जानकारी नहीं होना अवगत करवाया है। शेष 1 60% उत्तरदाताओ ने प्रत्युत्तर नहीं दिया है। उत्तरदाताओ के अभिमत से स्पष्ट होता है कि सविधान सशोधन अधिनियम की अधिकाश उत्तरदाताओ को जानकारी है।

73वें सविधान संशोधन अधिनियम से पंचायती राज संस्थाओं में आये परिवर्तनों का विवरण

उत्तरदाताओं में से जिन 85 60% उत्तरदाताओ को सविधान सशोधन अधिनियम की जानकारी है उनसे सशोधन के पश्चात् पचायती राज सस्थाओ में आये परिवर्तनों की जानकारी करने पर जो अभिमत प्रकट किये हैं उनका विवरण तालिका 7 19 में दिया गया है।

तालिका-7.19
पंचायती राज संस्थाओं में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम
से आये परिवर्तन पर प्रतिक्रिया

	परिवर्तन	उत्तरदाताओं के अभिमत का प्रतिशत
1	आरक्षण के कारण सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित हुई है।	61 68
2	साक्षरता से जन-चेतना में वृद्धि	32 34
3	महिला आरक्षण से जनप्रतिनिधियों में महिलाओं की भागीदारी का बढ़ना।	43 46
4	पंचायतों की त्रिस्तरीय व्यवस्था तथा पंचायती राज संस्थाओं को स्वायत्ता एवं अधिकार दिया जाना।	54 67
5	नौकरशाही की जवाबदेहता में वृद्धि होना।	12 62
6	आरक्षण से थोपा हुआ नेतृत्व आने से विकास कार्य अवरुद्ध होना।	22 43
7	अशिक्षित जनप्रतिनिधियों के कारण भ्रष्टाचार बढ़ना।	10 28
8	सरपंचों के अधिकारों में वृद्धि करने से उनके द्वारा मनमानी कार्यवाही किया जाना।	8 41
9	चुनावों की संवैधानिक समयावधि निश्चित होना।	52 71
10	आरक्षण की अनिवार्यता से सामान्य वर्ग के हितों पर कुठाराघात होना।	6 07
11	चक्रानुक्रम आरक्षण से जनप्रतिनिधियों के निर्वाचन क्षेत्रों में अस्थायित्व आना।	10 75
12	चुनाव प्रक्रिया में परिवर्तन।	28 97
13	सदस्यों के चुनाव लड़ने के लिए दो बच्चों की पात्रता होना।	19 16
14	ग्राम स्तर पर योजनाओं का सृजन होना।	2 34
15	न्याय पंचायत व्यवस्था को समाप्त करना।	14 02
16	अविश्वास प्रस्ताव सम्बन्धी परिवर्तन।	1 87
17	स्वास्थ्य एवं शिक्षा के प्रति चेतना व जागरूकता का आना।	14 95
18	कार्यों के मूल्यांकन होने से कार्यों में गुणवत्ता आना।	4 67
19	चुनावों में धनबल, जातिवाद को बढ़ावा मिलना।	8 83

पंचायती राज संस्थाओं में 73वें संविधान अधिनियम से एक क्रान्तिकारी परिवर्तन देखने को मिलता है। पंचायती राज संस्थाओं को जहाँ संवैधानिक दर्जा एवं स्वायत्तता प्रदान

को गई है वही अत्यधिक आरक्षण से योग्य एव अनुभवी जनप्रतिनिधियो की सख्या में कमी आई है जो कि इन सस्थाओं के लिए अहितकर भी हो सकता है।

73वें सविधान सशोधन अधिनियम से पचायती राज सस्था में आये परिवर्तनों में मुख्य 2 बिन्दुओं का नीचे उल्लेख किया गया है।

आरक्षण व्यवस्था

पचायती राज सस्थाओ में स्थानो का आरक्षण, सस्था अध्यक्षो का आरक्षण, महिलाओं के लिए आरक्षण आदि के सम्बन्ध में उत्तरदाताओं से प्राप्त अभिमत के आधार पर 61 68% ने सभी वर्गों—अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एव अन्य पिछडा वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित होना अवगत करवाया है। इसके साथ ही महिलाओं के लिए एक-तिहाई स्थानो के आरक्षित करने से महिला जनप्रतिनिधियो की सख्या मे वृद्धि होने की 43 46% उत्तरदाताओं ने पुष्टि की है। आरक्षण व्यवस्था के विपक्ष में भी उत्तरदाताओं ने अभिमत प्रकट किया है। उनमें से 22 43% उत्तरदाताओ का मत है कि आरक्षण व्यवस्था से थोपा हुआ नेतृत्व आने के कारण अनुभवहीन एव अकुशल नेतृत्व से विकास व विकास कार्यों पर विपरीत प्रभाव पडेगा। आरक्षण के कारण अशिक्षित जनप्रतिनिधियों की सख्या अधिक होने से 10 28% उत्तरदाताओं ने भ्रष्टाचार बढना, 6 07% ने आरक्षण की अधिकता से सामान्य वर्ग के हितो पर कुठाराघात होना, चक्रानुक्रम आरक्षण से वार्डों में जनप्रतिनिधियो का एक वार्ड निश्चित न रहने में 10 75% का मत रहा है।

त्रिस्तरीय व्यवस्था

पचायती राज सस्थाओ मे चार स्वरूप ग्रामसभा, ग्राम पचायत, पचायत समिति एव जिला परिषद् का गठन। अधिनियम में विभिन्न स्तरो पर पचायती राज सस्थाओं के लिए शक्तिया और अधिकारो का विकेन्द्रीकरण करते हुए एक बुनियादी ढाँचा तैयार किया गया है। इस सम्बन्ध मे 54 67% उत्तरदाताओ ने अभिमत दिया है।

पंचायती राज संस्थाओं को स्वायत्तता, शक्तियाँ एव दायित्व

उत्तरदाताओ में से 54 67% का अभिमत है कि अधिनियम से पचायती राज सस्थाओ को पर्याप्त स्वायत्तता देते हुए इनकी शक्तियों एव दायित्वों का विस्तार किया गया है ताकि ये सस्थाएँ स्थानीय इकाई के रूप में प्रभावी हो सके। इस सम्बन्ध में 8 41% उत्तरदाताओ का अभिमत है कि ग्राम पचायतो को अधिक अधिकार एव शक्तियाँ देने से सरपचों की मनमानी बढ गई है। 32 64% उत्तरदाताओ के अभिमत से ग्रामसभा के गठन से जन-चेतना में वृद्धि होना अवगत करवाया है।

सवैधानिक रूप से चुनावों की समयावधि

इस सम्बन्ध में उत्तरदाताओ मे से 32 71% का अभिमत है कि पचायती राज सस्थाओं के चुनाव अब 5 वर्ष को निश्चित समयावधि में कराये जाने का सवैधानिक प्रावधान हो गया है। पहले इन सस्थाओ के चुनावो की निश्चित समयावधि सवैधानिक रूप से नहीं रही है। अब राज्य निवाचन आयोग द्वारा निर्धारित समय में चुनाव कराये जायेंगे।

पंचायती राज सस्थाओं की चुनाव प्रक्रिया में परिवर्तन के सम्बन्ध में [redacted] 97% दो बच्चों के प्रावधान के बारे में 19 16% ग्राम स्तर पर योजनाओं के सृजन के बारे में 2 34% एवं चुनावो मे धनबल जाति बल को बढावा मिलने के सम्बन्ध में 8 88% उत्तरदाताओं ने अभिमत व्यक्त किया है।

नया पचायती राज अधिनियम एक उचित कदम है लेकिन काफी नहीं है। इसमें जल्दी में लिए गये निर्णयो के कारण कुछ कमियाँ रही हैं जिनमे सुधार की आवश्यकता है।

पचायती राज सस्थाओ की शक्तियो मे आये अन्तर के सम्बन्ध मे प्रतिक्रिया

73वे सविधान सशोधन अधिनियम से पचायती राज सस्थाओ की शक्तियो में हुए परिवर्तन के बारे मे उत्तरदाताओ से जानकारी करने पर जो प्रतिक्रिया व्यक्त की है उसका उल्लेख तालिका 7 20 मे दर्शाया गया है।

तालिका-7 20

पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों में आये अन्तर पर प्रतिक्रिया

उत्तरदाताओ की श्रेणी	सख्या	पचायती राज संस्थाओ की शक्तियों के सम्बन्ध में प्रतिक्रिया	
		हाँ	नहीं
जनप्रतिनिधि वर्ग	100 (100 00)	59 (59 00)	41 (41 00)
(अ) दोनों व्यवस्थाओ से सम्पद्ध	33 (100 00)	18 (54 55)	15 (45 45)
(ब) वर्तमान व्यवस्था से सम्पद्ध	67 (100 00)	41 (61 19)	26 (38 81)
कार्मिक वर्ग	50 (100 00)	29 (58 00)	21 (42 00)
नागरिक वर्ग	100 (100 00)	86 (86 00)	14 (14 00)
कुल योग	250 (100 00)	174 (69 60)	76 (30 40)

कोष्ठक (%) में प्रतिशत दर्शाया गया है।

तालिका के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि नवीन अधिनियम से पचायती राज सस्थाओ की शक्तियो मे आये अन्तर के बारे में जनप्रतिनिधि वर्ग के 59 00% कार्मिक वर्ग

के 58 00% एव नागरिक वर्ग के 86 00% ने सकारात्मक प्रत्युत्तर दिया है जबकि जनप्रतिनिधि वर्ग के 41 00%, कार्मिक वर्ग के 42 00% एव नागरिक वर्ग के 14 00% ने नकारात्मक प्रत्युत्तर दिया है। अतः समग्र उत्तरदाताओ में से 69 60% ने पचायती राज सस्थाओं की शक्तियो में अन्तर आना एव शेष 30 40% उत्तरदाताओ ने अन्तर नहीं आना अवगत करवाया है।

पचायती राज सस्थाओ में नवीन अधिनियम से शक्तियो मे परिवर्तन के बारे में जिन 69 60% उत्तरदाताओ ने अभिमत दिया है उनसे इन सस्थाओ में हुए परिवर्तन की भी जानकारी की गई जिसके प्रत्युत्तर में जो अभिमत आये हैं उनको नीचे तालिका 7 21 में दिया गया है।

तालिका-7.21

नवीन अधिनियम से शक्तियो मे आये परिवर्तनो पर प्रतिक्रिया

शक्तियो मे परिवर्तन	प्रतिशत
1 ग्राम पचायतो की प्रशासनिक एव आर्थिक शक्तियो मे वृद्धि।	51 72
2 स्थानीय सस्थाओ को पर्याप्त स्वायत्तता।	64 94
3 निर्णय एव नियन्त्रण का अधिकार।	2.87
4 ग्रामसभा के माध्यम से विकास कार्यों की जानकारी।	13 79
5 ग्राम सचिव एव सरपच की ग्राम पचायत के बजट की सामूहिक जिम्मेदारी	2.30
6 न्याय पचायत समाप्त करना।	14 94
7 जिला परिषदो को अधिक वित्तीय एव प्रशासनिक अधिकार	2.87

पचायती राज सस्थाओ मे नवीन अधिनियम से आये अन्तर के बारे मे 51 72% उत्तरदाताओ का अभिमत है कि ग्राम पचायतो प्रशासनिक एव वित्तीय अधिकारो में वृद्धि, 64 94% ने स्थानीय सस्थाओ को पर्याप्त स्वायत्तता, 2 87% ने निर्णय एव नियन्त्रण का अधिकार 13 79% ने ग्रामसभा के माध्यम से विकास कार्यों की जानकारी, 2 30% ने ग्राम पचायत बजट पर ग्राम सचिव एव सरपच की सामूहिक जिम्मेदारी, 14 94% ने न्याय पचायतो को समाप्त करना एव 2 87% ने जिला परिषदो को अधिक वित्तीय एव प्रशासनिक अधिकार दिया जाना अवगत करवाया है।

पचायती राज सस्थाओ में नवीन अधिनियम से शक्तियो मे परिवर्तन नहीं आने के बारे मे 30 40% उत्तरदाताओ ने अवगत करवाया है। इनसे परिवर्तन नहीं आने के कारणो की जानकारी करने पर जो कारण अवगत करवाये हैं उनका विवरण तालिका 7 22 मे दिया गया है।

तालिका 7 22

नवीन अधिनियम से शक्तियों मे परिवर्तन नहीं आने के बारे में प्रतिक्रिया

शक्तियों में परिवर्तन नहीं आने के कारण	प्रतिशत
1 व्यावहारिक रूप से सत्ता के विकेन्द्रीकरण का अभाव।	22 37
2 जिला परिषदो की स्थिति, शक्तियाँ यथावत ही रहना।	14 47
3 सशक्त नेतृत्व का अभाव रहना।	36 84
4 राजनीतिक हस्तक्षेप।	14 47
5 समय पर आदेशो/निर्णयो की क्रियान्विती का अभाव।	17 11

पचायती राज सस्थाओ की शक्तियो मे परिवर्तन नहीं आने का मुख्य कारण 36 84% उत्तरदाताओ के अभिमत से सशक्त नेतृत्व का अभाव रहना बताया है। उनका मत है कि अशिक्षित अयोग्य जनप्रतिनिधि प्रभावशाली लोगो के प्रभाव मे रहते हैं इसलिए योग्य एव सशक्त नेतृत्व के बिना शक्तियो में परिवर्तन नहीं लाया जा सकता है। 22 37% उत्तरदाताओ का अभिमत है कि प्रशासनिक अधिकारी अधिकार छोडना ही नहीं चाहते हैं। जनप्रति निधियो को अधिकार एव शक्तियाँ व्यावहारिक रूप में प्राप्त नहीं हुई है केवल चुनाव प्रक्रिया मे परिवर्तन आया है। प्रशासनिक कार्यों मे नौकरशाही हावी रहती है। इसके साथ ही 14 47% ने राजनीतिक हस्तक्षेप का होना एव 17 11% उत्तरदाताओ ने पचायती राज सस्थाओ में राज्य सरकार के आदेशो की एव पचायती राज सस्थाओ के निर्णयो की समय पर पालना एव क्रियान्विती नहीं होने से नवीन अधिनियम वास्तव मे शक्तियाँ हस्तान्तरण करवाने मे सफल नहीं हो सका है।

पूर्ववर्ती व्यवस्था मे चुनाव अवधि के बारे मे प्रतिक्रिया

पंचायती राज सस्थाओं के जैसाकि पूर्व में उल्लेख किया गया है कि चुनावो की अवधि अनिश्चित रहती थी अर्थात् समय पर चुनाव नहीं होते थे। इस सम्बन्ध मे उत्तरदाताओ की प्रतिक्रिया का विवरण तालिका 7 23 म दिया गया है।

तालिका 7 23

पूर्ववर्ती व्यवस्था में चुनाव अवधि के बारे मे प्रतिक्रिया

उत्तरदाताओं की श्रेणी	संख्या	चुनावों की समयावधि			
		3 वर्ष	5 वर्ष	1 वर्ष	अनियमित
जनप्रतिनिधि वर्ग	100 (100 00)	38 (38 00)	9 (9 00)		53 (53 00)
(अ) दोनों व्यवस्था से सम्बद्ध	33 (100 00)	12 (36 36)	3 (9 09)		18 (54 55)

(ब) वर्तमान व्यवस्था से सन्तुष्ट	67 (100 00)	26 (38 80)	6 (8 96)	-	35 (52.24)
कार्मिक वर्ग	50 (100 00)	21 (42 00)	7 (14 00)	-	22 (44 00)
नागरिक वर्ग	100 (100 00)	36 (36 00)	61 (61 00)		3 (3 00)
योग	250 (100 00)	95 (38 00)	77 (30 80)		78 (31 20)

कोष्ठक (%) में प्रतिशत दर्शाया गया है।

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि उत्तरदाताओ मे से जनप्रतिनिधि वर्ग में 38 00%, कार्मिक वर्ग मे 42 00% एव नागरिक वर्ग में 36 00% ने पचायती राज सस्थाओ को चुनाव करवाये जाने सम्बन्धी अवधि 3 वर्ष अवगत करवायी हैं। उत्तरदाताओ मे से 9 00% जनप्रतिनिधि वर्ग, 14 00% कार्मिक वर्ग एव 61 00% नागरिक वर्ग के उत्तरदाताओ ने यह अवधि 5 वर्ष को बतायी है। इसके अलावा जनप्रतिनिधि वर्ग में 53 00%, कार्मिक वर्ग में 44 00% नागरिक वर्ग मे 3 00% ने चुनावो की कोई निश्चित अवधि न बताकर अनियमित चुनाव होना अवगत करवाया है। विश्लेषण से ज्ञात होता है कि चुनावो को पूर्व मे समयावधि के सम्बन्ध में उत्तरदाताओ के प्रत्युत्तर की श्रेणीवार उत्तरदाताओं के प्रत्युत्तर से जनप्रतिनिधि-वर्ग एव कार्मिक वर्ग के अधिकांश उत्तरदाताओ ने चुनाव अवधि अनियमित ही अवगत करवायी है जबकि नागरिक वर्ग मे अधिकाश उत्तरदाताओ ने 5 वर्ष में चुनाव होने को अवधि के बारे में अभिमत किया है।

अत• सभी श्रेणी के समग्र उत्तरदाताओ में से 38 00% ने 3 वर्ष, 30 80% ने 5 वर्ष एवं 31 20% ने अनियमित पचायती राज सस्थाओं के चुनाव करवाये जाने की अवधि बतलायी है। इससे यह स्पष्ट है कि पूर्व मे पचायती राज सस्थाओ के चुनावों की समयकारी सवैधानिक बाध्यता नहीं थी। सरकार अपनी इच्छानुसार कभी भी चुनाव करवा सकती थी।

पंचायती राज सस्थाओं में लिये जाने वाले निर्णयों पर प्रतिक्रिया

पचायती राज सस्थाओ मे विभिन्न स्तरो पर लिए जाने वाले निर्णयो के बारे मे उत्तरदाताओ से जानकारी करने पर जो अभिमत प्राप्त हुए है। तालिका 7 24 में दर्शाया गया है।

तालिका-7 24

पचायती राज सस्थाओ मे लिये जाने वाले निर्णयो पर प्रतिक्रिया

उत्तरदाताओ की श्रेणी	सख्या	निर्णयो पर प्रतिक्रिया		
		व्यक्तिगत	सर्वसम्मत	बहुमत
जनप्रतिनिधि वर्ग	100 (100 00)		27 (27 00)	73 (73 00)
(अ) दोनो व्यवस्था से सम्बद्ध	33 (100 00)	-	12 (36 36)	21 (63 64)
(ब) वर्तमान व्यवस्था से सम्बद्ध	67 (100 00)	-	15 (22 39)	52 (77 61)
कार्मिक वर्ग	50 (100 00)	-	20 (40 00)	30 (60 00)
नागरिक वर्ग	100 (100 00)	-	37 (37 00)	63 (63 00)
योग	250 (100 00)	-	84 (33 60)	166 (66 40)

कोष्ठक (%) में प्रतिशत दर्शाया गया है।

पचायती राज सस्थाओ में लिए जाने वाले निर्णयो को तालिका में उत्तरदाताओ के अभिमत के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि सभी प्रकार के उत्तरदाताओ मे अधिकाश ने बहुमत से निर्णय लिया जाना अवगत करवाया है। अध्ययन हेतु चयनित उत्तरदाताओं में से अधिकाश 66 40% ने बहुमत से एव 33 60% ने सर्वसम्मती से निर्णय लिये जाने के बारे में विचार किये हैं।

उत्तरदाताओ से पचायती राज सस्थाओ मे प्रस्ताव रखने के बारे में जानकारी करने पर जनप्रतिनिधि वर्ग के शत-प्रतिशत कार्मिक वर्ग के 42 00% एव नागरिक वर्ग के 13 00% ने प्रस्ताव रखने का अभिमत दिया है जबकि कार्मिक वर्ग में 58 00% एव नागरिक वर्ग में 87 00% ने प्रस्ताव नही रखने का अभिमत प्रकट किया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि नागरिक वर्ग में अधिकाश उत्तरदाताओं द्वारा प्रस्ताव नहीं रखा जाता है। अत, आम जनता में जागरूकता का अभाव है तथा वे अपने चुने हुए प्रतिनिधियो के निर्णयो को ही सर्वेसर्वा मान लेते हैं। इस प्रकार पचायती राज सस्थाओ मे प्रस्ताव जनप्रतिनिधि वर्ग के द्वारा ही रखा जाता है। अत चयनित कुल उत्तरदाताओं में 53 60% ने प्रस्ताव रखना एव 46 40% ने प्रस्ताव नहीं रखना अवगत करवाया है। यहाँ दिये गये विश्लेषण से यह तथ्य उजागर होता है कि अभी भी पचायती राज सस्थाओं में नागरिक वर्ग की व्यावहारिक भागीदारी नहीं हो पाई है।

पचायती राज सस्थाओ में सरपच/प्रधान/जिला प्रमुख द्वारा बात नहीं सुनने पर उनके विरुद्ध की जाने वाली कार्यवाही के बारे मे उत्तरदाताआ से जानकारी करने पर केवल 34 80% उत्तरदाताओ ने ही की जाने वाली कायवाही की जानकारी का उल्लेख किया है जबकि अधिकाश 65 20% उत्तरदाताओ ने कोई भी कार्यवाही नहीं करने सम्बन्धी अभिमत प्रकट किया है। चयनित उत्तरदाताओ म से जिन 34 80% उत्तरदाताआ ने कार्यवाही करवाना अवगत करवाया है। उनसे को जाने वाली कार्यवाही को जानकारी करने पर जो प्रतिक्रिया व्यक्त की है उसका विवरण तालिका 7 25 में दिया गया है।

तालिका-7.25

जनता की बात नहीं सुनने पर पचायती राज पदाधिकारियो के विरुद्ध की जाने वाली कार्यवाही की जानकारी पर प्रतिक्रिया

उत्तरदाताओ के अभिमत से की जाने वाली कार्यवाही का विवरण	प्रतिशत
1 उच्चाधिकारियो को लिखते हैं जैसे कलेक्टर, मत्री आदि।	59 77
2 सम्बन्धित विभाग को लिखते हैं (विशेषकर जिला प्रमुख को लिखते हैं।)	12.64
3 न्यायालय की शरण ली जाती है।	10.34
4 सचार माध्यमा से दबाव बनाया जाना।	5 75
5 नियम 84 के तहत राज्य सरकार को असहमति के प्रस्ताव भेजना।	5 75
6 अविश्वास प्रस्ताव लाने को कार्यवाही करना।	6 90
7 कानून के मुताबिक अन्य कार्यवाही करना।	4 60

उत्तरदाताओ के अभिमत से की जाने वाली कार्यवाही म अधिकाश 59 77% उत्तरदाताआ ने उच्चाधिकारियों जैसे—कलेक्टर, मत्री आदि को लिखना, 12 64% ने जिला प्रमुख को लिखने, 10 34% ने न्यायालय की शरण मे जाने, 5 57% ने सचार माध्यमो के द्वारा उन पर दबाव बनाने, 5 75% ने नियमानुसार राज्य सरकार को असहमति प्रस्ताव भेजने, 6 90% ने अविश्वास प्रस्ताव लाने की कार्यवाही करने तथा 4 60% ने अन्य कानूनी कार्यवाही किया जाना अवगत करवाया है। पचायती राज सस्थाओ मे जिन 65 20% उत्तरदाताओ ने कार्यवाही नहीं किये जाने के बारे में अवगत करवाया है। उन उत्तरदाताओं से कार्यवाही नहीं करने के कारणों की जानकारी करने पर उनमें से 77 30% ने कार्यवाही करने की आवश्यकता महसूस नहीं करने, 15 34% ने जागरूकता एव सक्रियता का अभाव शेष 7 36% ने जानकारी का अभाव होना बतलाया है। अत उक्त कारणवश कार्यवाही नहीं की जाती है।

पुरानी व नवीन व्यवस्था में अन्तर

चयनित उत्तरदाताओं में 33 उत्तरदाता पुरानी और नवीन दोनों व्यवस्थाओ से सम्बद्ध रहे हैं। उनसे दोनों व्यवस्था में क्या अन्तर है, कि जानकारी हेतु उन्होंने इस बारे में अवगत करवाया है वह तालिका 7 26 में दिया गया है।

तालिका-7.26

पुरानी व नयी व्यवस्थाओं में अन्तर पर प्रतिक्रिया

पुरानी व नई व्यवस्थाओं में अन्तर	प्रतिशत
1 पचायती राज संस्थाओ में समन्वय एव सहयोग का अभाव।	60 61
2 चुनाव प्रक्रिया में परिवर्तन।	36 36
3 ग्राम सचिव की अधिक भागीदारी।	18 18
4 संस्थाओ को सवैधानिक दर्जा देकर स्वायत्तता एव अधिक अधिकार। (अधिकार एवं शक्तियो का विकेन्द्रीकरण)	54 55
5 ग्रामसभा एक सशक्त इकाई के रूप में।	36 36
6 आरक्षण से सभी वर्गों की भागीदारी।	48 48
7 महिलाओं के लिए एक-तिहाई आरक्षण।	24 24
8 जनता का विकास कार्यों मे भागीदारी।	12 12
9 राज्य वित्त निगम का गठन।	12 12
10 समय पर चुनाव करवाने का सवैधानिक प्रावधान।	48 48
11 निर्वाचन क्षेत्रो का चक्रानुक्रम रीति से आवटन।	60 61
12 अध्यक्ष पदों का आरक्षण।	54 55
13 प्रशासनिक जवाबदेयता में वृद्धि।	36 36
14 निर्वाचन के लिए अर्हताएँ।	24 24
15 अविश्वास प्रस्ताव के प्रावधानो में परिवर्तन।	12 12
16 न्याय पचायत को समाप्त करना।	48 48

उपर्युक्त तालिका के उत्तरदाताओ मे पच सरपच प्रधान एव प्रमुख जो पूर्व मे भी रह चुके हैं तथा वर्तमान व्यवस्था में भी है। उन्होने पूर्व एव वर्तमान व्यवस्था में जो अन्तर बताये हैं उनमे 60 61% उत्तरदाताओ ने पचायती राज के विभिन्न स्तर ग्राम पचायत पचायत समिति एव जिला परिषद् मे पूर्व मे सामजस्य एव सहयोग अधिक बताया लेकिन वर्तमान व्यवस्था में ये सस्थाएँ स्वतन्त्र इकाई के रूप मे होने के कारण तथा दलीय आधार पर चुनाव

होने से इनमें आपसी समन्वय एव सहयोग में कमी आयी है, 36 36% ने चुनाव प्रक्रिया में परिवर्तन आना बताया है।

पूर्व में प्रधान का चयन सरपच एव जिला प्रमुख का चयन प्रधान करते थे लेकिन नवीन व्यवस्था में पचायत समिति सदस्यो द्वारा प्रधान का एव जिला परिषद् सदस्यों द्वारा जिला प्रमुख का चयन किया जाता है। इसके साथ ही पचायती राज सस्थाओ के चुनाव दलीय आधार पर नहीं होते थे। वर्तमान व्यवस्था में 18 18% ने ग्राम सचिव की अधिक भागीदारी, 54 55% ने पचायती राज सस्थाओं को सवैधानिक दर्जा दिया जाकर अधिक अधिकार दिया जाना, 48 48% ने आरक्षण व्यवस्था अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एव पिछड़ा वर्ग को दिये जाने से जन भागीदारी में वृद्धि होना, 24 24% ने महिलाआ के लिए एक-तिहाई स्थान आरक्षित कर महिलाओ की भागीदारी को बढाना, 12 12% ने जनता द्वारा ग्राम स्तर पर योजनाओ का सृजन करने से विकास कार्यों में भागीदारी का बढना, 48 48% ने समय पर चुनाव करवाने का सवैधानिक प्रावधान किया जाना।

पूर्व में पचायती राज सस्थाओ के चुनाव अनियमित रूप से होते थे लेकिन अब राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित समयावधि में चुनाव करवाया जाने लगा है, 12 12% ने राज्य वित्त आयोग के गठन से सस्थाओ को अधिक वित्त मिलना, 60 61% ने निर्वाचन क्षेत्रो के लिए चक्रानुक्रम रीति से आवटन होना, 54 55% ने अध्यक्ष पदो का आरक्षण होना, 36.36% ने प्रशासनिक जवाबदेयता मे वृद्धि 24 24% ने निर्वाचन के लिए अहताओ में दो सन्तानो से अधिक वालो को चुनाव लडने के लिए अयोग्य मानना, 12 12% ने अविश्वास प्रस्ताव के प्रावधानों मे परिवर्तन कर दो वर्ष तक अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाने का नियम बना देना एव 48 48% ने न्याय पचायत को समाप्त किया जाना आदि नवीन एव पुरानी व्यवस्था में अन्तर आना अवगत करवाया है।

पचायती राज सस्थाओ मे आये परिवर्तन जहाँ हितकारी है वहाँ कुछ क्षेत्रो मे अहितकारी भी है जिनका यथास्थान पर विवरण दिया गया है।

सरपंच व प्रधान को पंचायत समिति एव जिला परिषद् का सदस्य बनाये जाने के बारे मे प्रतिक्रिया

पचायती राज सस्थाआ में ग्राम पचायत के सरपच एव पचायत समिति के प्रधान जो कि इन सस्थाओ के अध्यक्ष होते हैं, को पचायत सस्थाओ एव जिला परिषद् का सदस्य बनाये जाने के बारे मे उत्तरदाताओ से जानकारी करने पर जो अभिमत प्राप्त हुआ है उसका विवरण निम्न तालिका 7 27 में दर्शाया गया है।

तालिका-7.27

सरपंच व प्रधान को पंचायत समिति एवं जिला परिषद् का सदस्य बनाये जाने के बारे में प्रतिक्रिया

उत्तरदाताओं की श्रेणी	संख्या	उत्तरदाताओं की प्रतिक्रिया		
		हाँ	नहीं	प्रत्युत्तर नहीं दिया
जनप्रतिनिधि वर्ग	100 (100 00)	89 (89 00)	11 (11 00)	-
(अ) दोनो व्यवस्था से सम्बद्ध	33 (100 00)	33 (100 00)	-	
(ब) वर्तमान व्यवस्था से सम्बद्ध	67 (100 00)	56 (83 58)	11 (16 42)	-
कार्मिक वर्ग	50 (100 00)	50 (100 00)	-	-
नागरिक वर्ग	100 (100 00)	78 (78 00)	15 (15 00)	7 (7 00)
योग	250 (100 00)	217 (86 80)	26 (10 40)	7 (2 80)

कोष्ठक (%) में प्रतिशत दर्शाया गया है।

उपर्युक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि ग्राम पंचायत के सरपंच व प्रधान को पंचायत समिति एव जिला परिषद् का सदस्य बनाये जाने के बारे में कुल जनप्रतिनिधि वर्ग में 89 00% उत्तरदाताओ ने सदस्य बनाये जाने एव 11 00% उत्तरदाताओ ने सदस्य नहीं बनाये जाने का अभिमत प्रकट किया है। जनप्रतिनिधियो में भी दोना व्यवस्था से सम्बद्ध शत-प्रतिशत जनप्रतिनिधियो ने तो सदस्य बनाया जाना अवगत करवाया है जबकि वर्तमान व्यवस्था से सम्बद्ध जनप्रतिनिधिया में 83 58% ने सदस्य बनाये जाने एव 16 42% ने सदस्य नहीं बनाये जाने की प्रतिक्रिया व्यक्त की है। कार्मिक वर्ग में शत-प्रतिशत एव नागरिक वर्ग में 78 00% के अभिमत से सदस्य बनाये जाने के अभिमत दिये हैं जबकि नागरिक वर्ग मे 15 00% ने सदस्य नहीं बनाये जाने के विचार प्रकट किये हैं। शेष 7 00% ने इस बारे में कोई राय व्यक्त नहीं की है।

अत समग्र रूप से सभी श्रेणी के उत्तरदाताओ का इस सम्बन्ध में विश्लेषण किया जावे तो उनमें 86 80% ने सरपंच व प्रधान को सदस्य बनाये जाने सम्बन्धी एव 10 40% ने सदस्य

नहीं बनाये जाने की प्रतिक्रिया व्यक्त की है। शेष 2 80% उत्तरदाताओं ने इस सन्दर्भ मे कोई राय व्यक्त नहीं की है।

निर्वाचन क्षेत्र (वार्ड) के आरक्षण के बारे में प्रतिक्रिया

नवीन अधिनियम से निर्वाचन क्षेत्र (वार्ड) के आरक्षण के बारे में उत्तरदाताओं से जानकारी करने पर जो अभिमत/प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है उसका विवरण तालिका 7 28 में दिया गया है।

तालिका-7.28

निर्वाचन क्षेत्र (वार्ड) के आरक्षण के बारे मे प्रतिक्रिया

उत्तरदाताओ की श्रेणी	सख्या	वार्ड आरक्षण पर प्रतिक्रिया	
		सहमत	असहमत
जनप्रतिनिधि वर्ग	100 (100 00)	59 (59 00)	41 (41 00)
(अ) दोनो व्यवस्था से सम्बन्ध	33 (100 00)	12 (36 36)	21 (63 64)
(ब) वर्तमान व्यवस्था से सम्बद्ध	67 (100 00)	47 (70 15)	20 (29 85)
कार्मिक वर्ग	50 (100 00)	42 (84 00)	8 (16 00)
नागरिक वर्ग	100 (100 00)	73 (73 00)	27 (27 00)
योग	250 (100 00)	174 (69 60)	76 (30 40)

कोष्ठक (%) मे प्रतिशत दर्शाया गया है।

निर्वाचन क्षेत्र/वार्ड के आरक्षण के बारे मे कुल उत्तरदाताओ मे से 69 60% ने सहमति एव 30 40% ने असहमति जाहिर की है। उत्तरदाताओ का श्रेणीवार इस सम्बन्ध मे विश्लेषण किया जावे तो जनप्रतिनिधि वर्ग मे 59 00% उत्तरदाताओ ने सहमति एव 41 00% उत्तरदाताओ ने असहमति व्यक्त की है। इन उत्तरदाताओ मे दोनो व्यवस्था से सम्बद्ध जन-प्रतिनिधियो में अधिकाश 63 64% ने असहमति एव केवल 36 36% उत्तरदाताओ ने असहमति एव केवल 36 36% उत्तरदाताओ ने ही सहमति व्यक्त की है जबकि वर्तमान व्यवस्था से सम्बद्ध जन-प्रतिनिधियो मे अधिकाश 70 15% ने सहमति एव केवल 29 85% ने असहमति व्यक्त की है। इस प्रकार जनप्रतिनिधि वर्ग के उत्तरदाताओ में वर्तमान व्यवस्था से सम्बद्ध जनप्रतिनिधियो एव दोनो व्यवस्था से सम्बद्ध जनप्रतिनिधियो के विचार एक-दूसरे के

विपरीत स्थितियो मे प्राप्त हुए है। कहने का आशय यह है कि दोनो व्यवस्था से सम्बद्ध जनप्रतिनिधि वार्ड आरक्षण को सही नहीं मानते जबकि वर्तमान व्यवस्था से सम्बद्ध जन प्रतिनिधि वार्ड आरक्षण को सही मान रहे हैं।

कार्मिक वर्ग मे 84 00% ने वार्ड आरक्षण को उचित एव 16 00% ने अनुचित नागरिक वर्ग में 73 00% ने उचित एव सहमति व्यक्त की है जबकि 27 00% ने असहमति जाहिर की है।

अत वार्ड/निर्वाचन क्षेत्रो के आरक्षण के बारे में दो तिहाई उत्तरदाताओ ने सहमति एव एक तिहाई उत्तरदाताओ ने असहमति प्रकट की है।

वार्ड आरक्षण की सहमति के कारण

समग्र रूप से उत्तरदाताओ मे 174 (69 60) उत्तरदाताओ ने वार्ड आरक्षण को उचित मानते हुए सहमति प्रकट की है उनसे सहमत होने के कारणो की भी जानकारी की गई। उत्तरदाताओ से प्राप्त अभिमतो का विवरण तालिका 7 29 मे दिया गया है।

तालिका-7 29

वार्ड आरक्षण की सहमति के कारण

क्र स	वार्ड आरक्षण की सहमति के कारण	प्रतिशत
1	कमजोर/पिछडे वर्ग अनु जाति जनजाति महिलाओ के लिए आरक्षित वार्ड होने से जन-सहभागिता में वृद्धि।	81 03
2	ग्रामों में अधिक विकास कार्य।	12 07

वार्ड आरक्षण से पूर्व जो वर्ग पिछडे हुए थे तथा उनके जनप्रतिनिधियो की सख्या भी बहुत कम थी। उन वर्गों के लिए अब स्थानो/वार्डों के आरक्षण से उसके वर्ग के जनप्रतिनिधियो का चयन अधिक होगा जिससे प्रत्येक वर्ग की पचायती राज सस्था मे भागीदारी सुनिश्चित हुई है। अत जन-जागृति एव जन-सहभागिता बढी है। इस सम्बन्ध मे उत्तरदाताओ का प्रतिशत 81 03 है।

वार्ड आरक्षण से विकास के कार्य अधिक होगे क्योकि प्रत्येक चयनित जनप्रतिनिधि अपने वार्ड मे अधिक से अधिक विकास कार्य करवाना चाहेगा। इस सम्बन्ध मे उत्तरदाताओं का प्रतिशत 12 07% है।

वार्ड आरक्षण से सहमति तो जाहिर की है लेकिन 6 90% उत्तरदाताओ ने सहमति के कारणों से अवगत नहीं करवाया है।

वार्ड आरक्षण की असहमति के कारण

समग्र उत्तरदाताओ मे से जिन 76 (30 40) उत्तरदाताओं ने वार्ड आरक्षण को उचित नहीं मानते हुए असहमति के कारणो की जानकारी करने पर जो कारण अवगत करवाये हैं उनका विवरण तालिका 7 30 में दिया गया है।

तालिका-7.30

वार्ड आरक्षण की असहमति के कारण

क्र स	वार्ड आरक्षण की असहमति के कारण	प्रतिशत
1	जन-इच्छा के अनुकूल जनप्रतिनिधि का चयन न हो पाना।	44 74
2	विकास कार्यों पर विपरीत प्रभाव पडना।	18 42
3	सामान्य वर्ग की चुनाव में भागीदारी कम होना।	10.53
4	महिलाओ के अधिक आरक्षण से वास्तविक उद्देश्यो की प्राप्ति न होना।	14 47
5	आरक्षण से निष्ठावान नेतृत्व का अभाव।	10 42
6	आरक्षण लॉटरी व्यवस्था से नहीं बल्कि उस वर्ग की जनसख्या के आधार पर हो।	36.84

जिन उत्तरदाताओ में वार्ड आरक्षण को उचित नहीं मानते हुए असहमति जाहिर की है उनके अभिमत से 44 74% ने जन-इच्छा के अनुकूल जनप्रतिनिधियो का चयन नहीं होना माना है, 18 42% ने विकास कार्यों पर विपरीत प्रभाव पडना, 10.53% ने सामान्य वर्ग को चुनाव के प्रति उदासीनता एव भागीदारी कम होना, 14 47% ने महिलाओ के लिए एक-तिहाई स्थानो से महिला जनप्रतिनिधियो की सख्या में वृद्धि को पचायती राज सस्थाओ के वास्तविक उद्देश्यो की प्राप्ति में सहायक नहीं माना है।

क्योंकि महिलाएँ अशिक्षा एव रूढिवादिता, पर्दाप्रथा आदि कई कारणो से बैठको मे भाग नहीं लेती हैं यदि वे भाग लेती भी हैं तो निर्णय प्रक्रिया में भूमिका नहीं निभाती हैं इसके साथ ही 10 92% ने निष्ठावान नेतृत्व का अभाव होना एव 36 84% ने आरक्षण को अधिकता एव लॉटरी से आरक्षित वार्ड निर्धारित करना उचित नहीं माना है। अतः उक्त कारणो से जनप्रतिनिधियो, कार्मिक वर्ग एव नागरिक वर्ग ने वार्ड आरक्षण के प्रति अपनी असहमति व्यक्ति की है।

पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्ति के बारे में प्रतिक्रिया

पचायती राज सस्थाओ को 73वें सविधान सशोधन के द्वारा एव राज्य में राजस्थान पचायती राज अधिनियम 1994 से ग्राम पचायत, पचायत समिति एव जिला परिषद् को उत्तरदाताओं से जानकारी करने पर जो प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है उसका विवरण तालिका 7 31 में दिया गया है।

तालिका-7 31

पचायती राज सस्थाओं को सवैधानिक दर्जा प्राप्ति पर प्रतिक्रिया

उत्तरदाताओं की श्रेणी	सख्या	पचायती राज सस्था को सवैधानिक दर्जा		
		हाँ	नहीं	जानकारी नहीं
जनप्रतिनिधि वर्ग	100 (100 00)	100 (100 00)		-
(अ) दोनो व्यवस्था से सम्बद्ध	33 (100 00)	33 (100 00)	-	-
(ब) वर्तमान व्यवस्था से सम्बद्ध	67 (100 00)	67 (100 00)	-	-
कार्मिक वर्ग	50 (100 00)	50 (100 00)	-	-
नागरिक वर्ग	100 (100 00)	61 (61 00)	13 (13 00)	26 (26 00)
योग	250 (100 00)	211 (84 40)	13 (5 20)	26 (10 46)

कोष्ठक (%) मे प्रतिशत दर्शाया गया है।

पचायती राज सस्थाओ में ग्राम पचायत, पचायत समिति एव जिला परिषद् को सवैधानिक रूप मे दर्जा प्राप्त होने की जानकारी के सम्बन्ध में उत्तरदाताओ से विचार प्राप्त करने पर तालिका मे अकित सूचना के आधार पर जनप्रतिनिधि वर्ग एव कार्मिक वर्ग के शत-प्रतिशत एव नागरिक वर्ग मे से 61 00% उत्तरदाताओ ने सहमति व्यक्त करते हुए उनको जानकारी होना अवगत करवाया है जबकि नागरिक वर्ग में 13 00% ने नकारात्मक प्रत्युत्तर दिया है। शेष 26 00% ने इस सम्बन्ध मे अनभिज्ञता जाहिर की है। अत कुछ उत्तरदाताओ में से [redacted] 40% ने पचायती राज सस्थाओ को सवैधानिक दर्जा दिये जाने की पुष्टि की है जबकि 5 20% ने पुष्टि नहीं की है शेष 10 40% ने अनभिज्ञता जाहिर की है।

जनप्रतिनिधियों एवं प्रशासकों की जवाबदेयता के सम्बन्ध में प्रतिक्रिया

पंचायती राज सस्थाओ को सवैधानिक दर्जा दिये जाने से जनप्रतिनिधियों एव प्रशासकों की जवाबदेयता के सम्बन्ध मे उत्तरदाताओ ने जानकारी करने पर कुल उत्तरदाताओं में से 57 60% ने जवाबदेयता मे वृद्धि होना अवगत करवाया है जबकि 36 40% ने वृद्धि नहीं होना बतलाया है शेष 6 00% को इस सम्बन्ध में जानकारी का न होना उत्तरदाताओं ने अवगत करवाया है। उत्तरदाताओ की श्रेणीवार प्रतिक्रिया तालिका 7 32 में दर्शायी गई है।

तालिका-7.32

जनप्रतिनिधियो एव प्रशासको की जवाबदेयता के सम्बन्ध में प्रतिक्रिया

उत्तरदाताओ की श्रेणी	संख्या	जनप्रतिनिधियों एवं प्रशासको की जवाबदेयता के सम्बन्ध में प्रतिक्रिया		
		हाँ	नहीं	जानकारी नहीं
जनप्रतिनिधि वर्ग	100 (100 00)	69 (69 00)	29 (29 00)	2 (2.00)
(अ) दोनों व्यवस्था से सम्बद्ध	33 (100 00)	24 (72.73)	8 (24 24)	1 (3 03)
(ब) वर्तमान व्यवस्था से सम्बद्ध	67 (100 00)	45 (67 17)	21 (31.34)	1 (1.49)
कार्मिक वर्ग	50 (100 00)	29 (58 00)	21 (42.00)	-
नागरिक वर्ग	100 (100 00)	46 (46 00)	41 (41 00)	13
योग	250 (100 00)	144 (57.60)	91 (36 40)	15 (6 00)

कोष्ठक (%) में प्रतिशत दर्शाया गया है।

अध्ययन हेतु चयनित उत्तरदाताओं में जनप्रतिनिधि वर्ग में 69 00% कार्मिक वर्ग में 58 00% एवं नागरिक वर्ग में से 46 00% उत्तरदाताओ ने पचायती राज संस्थाओं को सवैधानिक दर्जा दिये जाने के कारण जनप्रतिनिधियों एवं प्रशासकों की जवाबदेयता में वृद्धि होना अवगत करवाया गया है जबकि जनप्रतिनिधि वर्ग में 29 00%, कार्मिक वर्ग में 42 00% एव नागरिक वर्ग में 41.00% ने ज्वाबदेयता नहीं बढ़ना अवगत करवाया है शेष 13 00% नागरिक वर्ग में इस सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं होना पाया गया है।

महिलाओं की सक्रिय भूमिका के सम्बन्ध में प्रतिक्रिया

पंचायती राज संस्थाओं में पंचायती राज अधिनियम 1994 से पूर्व तक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए समुचित प्रतिनिधित्व की व्यवस्था नहीं थी। वस्तुत: कोई भी प्रजातान्त्रिक व्यवस्था तब तक सार्थक नहीं हो सकती जब तक उसकी निर्वाचन व्यवस्था के माध्यम से समाज के सभी वर्गों को शासन कार्यों में भागीदारी का सम्यक् अवसर प्राप्त न हो। इसलिए 73वें सविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा महिलाओं के लिए पंचायत राज सस्थाओं में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले कुल संख्या के एक-तिहाई से अन्यून स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित किये गये। राज्य में भी

73वें संविधान संशोधन अधिनियम के प्रावधानों को राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के द्वारा लागू किया गया है। महिलाओं के लिए जब एक-तिहाई स्थान पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षित कर उनकी भागीदारी सुनिश्चित की गयी है तो महिलाओं की सक्रिय भूमिका के सम्बन्ध में उत्तरदाताओं से प्रतिक्रिया जानने का प्रयास किया गया। महिलाओं की पंचायती राज संस्थाओं में सक्रिय भूमिका के सम्बन्ध में उत्तरदाताओं की प्रतिक्रिया को तालिका 7 33 में दर्शाया गया है।

तालिका-7.33

महिलाओं की सक्रिय भूमिका के सम्बन्ध में प्रतिक्रिया

उत्तरदाताओं की श्रेणी	संख्या	महिलाओं की सक्रिय भूमिका	
		हाँ	नहीं
जनप्रतिनिधि वर्ग	100 (100 00)	37 (37 36)	63 (63 00)
(अ) दोनो व्यवस्था से सम्बन्ध	33 (100 00)	12 (36 36)	21 (63 64)
(ब) वर्तमान व्यवस्था से सम्बद्ध	67 (100 00)	25 (37 31)	42 (62 69)
कार्मिक वर्ग	50 (100 00)	32 (64 00)	18 (36 00)
नागरिक वर्ग	100 (100 00)	14 (14 00)	86 (86 00)
योग	250 (100 00)	83 (33 20)	167 (66 80)

कोष्ठक (%) मे प्रतिशत दर्शाया गया है।

महिलाओं की पचायती राज संस्थाओं मे सक्रिय भूमिका के सम्बन्ध में

जनप्रतिनिधि वर्ग में 37 00% कार्मिक वर्ग में 64 00% एव नागरिक वर्ग मे 14 00% ने सकारात्मक उत्तर दिया है अर्थात् इन उत्तरदाताओ की राय मे महिलाएँ सक्रिय भूमिका निभा रही है। इसके विपरीत जनप्रतिनिधि वर्ग मे 63 00%, कार्मिक वर्ग मे 36 00% एव नागरिक वर्ग में 86 00% ने अभिमत दिया है कि महिलाएँ इन संस्थाओं में सक्रिय भूमिका नहीं निभा पा रही है। अतः समग्र उत्तरदाताओ मे से केवल 33 20% ने ही महिलाओ की पंचायत राज संस्थाओं में सक्रिय भूमिका निभाने के पक्ष में अभिमत प्रकट किया है जबकि अधिकांश 66 80% उत्तरदाताओं ने महिलाओ की भूमिका को सक्रिय नहीं बताया है।

पचायती राज सस्थाओ में हालाकि महिलाओ की सक्रिय भागीदारी कम रही है लेकिन महिलाओं को उनके हक से परे नहीं किया जाना चाहिए। इसलिए राष्ट्रकुल मन्त्रियो की बैठक में प्रधानमन्त्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि सरकार लिगभेद की समाप्ति के लिए वचनबद्ध है जो स्त्रियो को शिक्षा, स्वास्थ्य और साख सम्बन्धी सभानता के मार्ग में बाधक बना रहा है। उन्होने कहा कि स्त्रियो को राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक अधिकार दिलाने के हर सम्भव प्रयास करेंगे।

महिलाओ का मानवाधिकार सुनिश्चित करना, नागरिको के बुनियादी अधिकारो की रक्षा लोकतान्त्रिक भारत की प्रतिबद्धता का महत्त्वपूर्ण उद्देश्य है। महिलाओ की राजनीतिक सत्ता में हिस्सेदारी के साथ-साथ उन्हें सामाजिक एव आर्थिक रूप से अधिकार सम्पन्न बनाने के लिए लडकियो को स्नातक स्तर तक नि शुल्क शिक्षा मुहैया कराने के मकसद से महत्त्वाकाक्षी कार्यक्रम तैयार किये जा रहे हैं। नई सदी में महती चुनौतियो की महिलाओ पर पडने वाले प्रभाव के अध्ययन की आवश्यकता को रेखाकित किया जावे। ससद एव राज्य विधान मण्डलो मे महिलाओ को आरक्षण देने के लिए विधेयक की अनिश्चितताओ को देखते मुख्य चुनाव आयुक्त ने सुझाव दिया है कि राजनीतिक दलो को विधान सभाओ व ससदीय चुनावो मे महिला प्रत्याशियो को उतारने का एक न्यूनतम प्रतिशत तय करने पर सहमत होना चाहिए।

भारत वर्ष में 1991 की जनगणना के अनुसार राष्ट्रीय अनुपात पुरुष व महिलाओ का 1000 : 927 है जबकि राजस्थान में यह अनुपात 1000 : 910 है। भारत वर्ष में साक्षरता की दर [redacted] 2% है। राजस्थान में 38 6% है। राजस्थान मे पुरुष साक्षरता 55 0% है जबकि महिला साक्षरता 20 4% ही है। महिलाओ की भागीदारी के महत्त्व की दृष्टि से राष्ट्रीय व राजस्थान का पुरुष एव महिला अनुपात यहाँ दिया गया है तथा महिलाओ की भागीदारी कम रहने का मुख्य कारण अशिक्षा है इसलिए यहाँ साक्षरता की दर का उल्लेख किया गया है।

पचायती राज सस्थाओ मे महिलाओ की सक्रिय भागीदारी नहीं होने के कारणो में मुख्य रूप से महिलाओ का घरेलू कार्यों मे व्यस्त रहना, रुचि का अभाव, अशिक्षित होने से पद के दायित्वो को नहीं समझना, पर्दाप्रथा, सामाजिक बन्धन, प्रशासनिक कार्यों से अनभिज्ञता, महिलाओ का सकोच करना, अनुभव की कमी, स्वय के विवेक से निर्णय नहीं लिया जाना आदि कई कारणो से महिलाएँ अपने आप को असहाय महसूस करती हैं। महिलाएँ बैठको मे भी परिवार के किसी सदस्य को साथ लेकर आती है एवं उनकी भूमिका केवल उपस्थिति मात्र ही होती है।

अत: महिला जनप्रतिनिधियो को जागरूक बनाने के लिए प्रशिक्षण एव शिविर आयोजित किये जाने चाहिए। महिला जनप्रतिनिधियो को उनके अधिकारो एव कर्त्तव्यो का अहसास दिलाना होगा ताकि अशिक्षित महिला जनप्रतिनिधि भी नियमो के दायरे में अपनी बात मनवा सके। महिलाओ की भागीदारी केवल आरक्षण के आधार पर ही सम्भव नहीं होगी। आरक्षण से केवल पचायती राज सस्थाओ में महिलाओ की सख्या जरूर बढेगी लेकिन व्यावहारिक स्वरूप नहीं होगा। महिलाओ की पचायती राज सस्थाओ में व्यावहारिक भागीदारी निश्चित करने के लिए भरसक प्रयत्नो की आवश्यकता है जिसमें मुख्य रूप से ग्राम, पचायत समिति एव जिला स्तर पर सेमीनार, प्रशिक्षण शिविर तथा साक्षरता अभियान

आदि चलाकर महिलाओ में जागृति पैदा की जावे ताकि उनको अधिकारो एव कर्त्तव्यो का अहसास हो सके। महिला विचार-गोष्ठियाँ ग्राम स्तर पर होनी चाहिए। महिला शिक्षा का प्रसार, महिला सगठन, महिाल प्रशिक्षण आदि महिलाओ पर विशेष ध्यान दिया जाकर महिलाओ की वास्तविक भागीदारी पचायती राज संस्थाओं में बढायी जा सकती है।

सीमित परिवार का नियम चुनाव लड़ने की योग्यता में जोड़ने सम्बन्धी प्रावधान पर प्रतिक्रिया

पचायती राज अधिनियम, 1994 मे जोडी गई एक नई व्यवस्था है। इसका मुख्य उद्देश्य जनसख्या पर नियन्त्रण करना एव परिवार कल्याण कार्यक्रम को बढावा देना है। इसके अनुसार ऐसे व्यक्ति पचायती राज सस्था के लिए प्रत्याशी नहीं हो सकते जिनके इस अधिनियम के प्रभावशील होने की तिथि के पश्चात् बच्चो की सख्या दो से अधिक हो जाती है। दूसरे शब्दो मे यह कह सकते हैं कि यदि किसी व्यक्ति के इस अधिनियम के प्रभाव में आने की तिथि को दो से अधिक बच्चे हैं तो उस तिथि के बाद उसके और कोई बच्चा नहीं होना चाहिए अन्यथा वह चुनाव लडने के अयोग्य हो जायेगा। पचायती राज सस्थाओ में सीमित परिवार का जो नियम जोडा गया है। इसके बारे में उत्तरदाताओ की प्रतिक्रिया जानने का प्रयास किया गया है। उत्तरदाताओ से इस सम्बन्ध में प्राप्त प्रतिक्रिया का उल्लेख तालिका 7 34 में किया गया है।

तालिका-7.34

सीमित परिवार के चुनाव नियम के प्रावधान पर प्रतिक्रिया

उत्तरदाताओ की श्रेणी	सख्या	सीमित परिवार के चुनाव नियम पर प्रतिक्रिया	
		हाँ	नहीं
जनप्रतिनिधि वर्ग	100 (100 00)	94 (94 00)	6 (6 00)
(अ) दोनो व्यवस्था से सम्बन्ध	33 (100 00)	33 (100 00)	•
(ब) वर्तमान व्यवस्था से सम्बद्ध	67 (100 00)	61 (91 04)	6 (9 96)
कार्मिक वर्ग	50 (100 00)	45 (90 04)	5 (10 00)
नागरिक वर्ग	100 (100 00)	88 (88 00)	12 (12 00)
योग	250 (100 00)	227 (90 80)	23 (9 20)

कोष्ठक (%) में प्रतिशत दर्शाया गया है।

उत्तरदाताओ के अभिमत से ज्ञत होता है कि जनप्रतिनिधि वर्ग में 94 00%, कार्मिक वर्ग में 90 00% एवं नागरिक वर्ग में 88 00% ने सीमित परिवार के नियम को सही बतलाया है जबकि जनप्रतिनिधि वर्ग मे 6 00%, कार्मिक वर्ग के 10 00% एवं नागरिक वर्ग में 12 00% ने नियम को गलत बतलाया है।

अत: उत्तरदाताओ में समग्र रूप से 90 80% ने सही 9 20% ने गलत बतलाया है। उत्तरदाताओ के अभिमत से जिसमें जनप्रतिनिधि, कार्मिक एव नागरिक सभी वर्ग के उत्तरदाता है। उनमें अधिकाश ने पचायती राज सस्थाओ में दो बच्चो से अधिक सन्तान वालों को अधिनियम के क्रियान्विति के पश्चात् अयोग्य मानने के सरकारी नियम की सराहना की है तथा इस नियम को सही बताया है।

सीमित परिवार के नियम का चुनावों पर प्रभाव

पचायती राज सस्थाओ में चुनाव लडने के लिए नवीन अधिनियम में दो सन्तानों की जो अर्हता रखी गयी है। उसको 90 80% उत्तरदाताओ ने उचित ठहराया है। अत: इस नियम से पचायती राज सस्थाओ के चुनावो में क्या प्रभाव पडा इसकी उत्तरदाताओं से जानकारी करने पर जो अभिमत दिया है उसका विवरण तालिका 7.35 में दिया गया है।

तालिका-7.35

सीमित परिवार के नियम का चुनाव पर प्रभाव के बारे में प्रतिक्रिया

उत्तरदाताओ की श्रेणी	सख्या	सीमित परिवार के नियम का प्रभाव			
		अ	ब	स	द
जनप्रतिनिधि वर्ग	100 (100 00)	73 (73 00)	-	27 (27 00)	-
(अ) दोनों व्यवस्था	33 (100 00)	27 (81 82)	-	6 (18 18)	-
(ब) वर्तमान व्यवस्था	67 (100 00)	46 (68 66)	-	21 (31.34)	-
कार्मिक वर्ग	50 (100 00)	37 (74 00)	-	13 (26 00)	-
नागरिक वर्ग	100 (100 00)	85 (85 00)	-	15 (15 00)	-
योग	250 (100 00)	195 (78 00)	-	55 (22.00)	-

कोष्ठक (%) में प्रतिशत दर्शाया गया है।

नियम का प्रभाव—सकेत—

(अ) परिवार नियोजन के प्रति जागरूकता बढी है।

(ब) जनता नाराज हुई है।

(स) अच्छे एव अनुभवी लोग चुनाव नहीं लड सकते हैं।

(द) अन्य कारण।

उत्तरदाताओ के अभिमत विश्लेषण करने पर ज्ञात होता है कि जनप्रतिनिधि वर्ग मे 73 00% कार्मिक वर्ग में 74 00% एव नागरिक वर्ग मे 85 00% उत्तरदाताओ के अभिमत से परिवार नियोजन के प्रति जागृति एव जनसख्या नियन्त्रण होना तथा जनप्रतिनिधि वर्ग में 27 00%, कार्मिक वर्ग में 13 00% एव नागरिक वर्ग में 15% उत्तरदाताओ के अभिमत से अच्छे एव अनुभवी लोग चुनाव नहीं लड सकते आदि कारण बताये हैं। अत समग्र उत्तरदाताओ में से 78 00% ने परिवार नियोजन के प्रति जागरूकता बढना एव 22% ने अच्छे एव अनुभवी लोगो का चुनाव नहीं लडना अवगत करवाया है।

आरक्षण व्यवस्था एव कार्यप्रणाली पर प्रतिक्रिया

पचायती राज सस्थाओ मे सभी वर्गों के व्यक्तियो को सम्यक् प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए सविधान सशोधन अधिनियम के माध्यम से जो व्यवस्थाएँ की गयी हैं उनका अनुसरण करते हुए राजस्थान सरकार ने भी नवीन पचायती राज अधिनियम, 1994 में आवश्यक प्रावधानो का समावेश किया है। अधिनियम में प्रावधान किया है कि प्रत्येक पचायती राज सस्था मे प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थान अनुसूचित जातियो, अनुसूचित जनजातियो और पिछडे वर्गों के लिए उस क्षेत्र में इन वर्गों की जनसख्या के अनुपात में आरक्षित किये जायेगे और ऐसे स्थान सम्बन्धित पचायती राज सस्था मे विभिन्न वार्डों व निर्वाचन क्षेत्रो के लिए चक्रानुक्रम द्वारा आवटित किये जायेगे। इस प्रकार आवटित स्थानो मे से कम से कम एक-तिहाई स्थान इन वर्गों की महिलाओ के लिए आरक्षित होगे। इसके साथ ही प्रत्येक पचायती राज सस्था मे प्रत्येक निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानो की कुल सख्या के एक-तिहाई स्थान अनु जातियो, जनजातियो व पिछडी वर्गों की महिलाओ के लिए आरक्षित स्थानो सहित, आरक्षित किये जायेगे और ये स्थान भी चक्रानुक्रम से ऐसी रीति से आवण्टित होगे जो सरकार द्वारा निर्धारित किये जाएँ।

इसी प्रकार राजस्थान पचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 16 मे सविधान में दिगये गये प्रावधानो की अनुपालना मे विभिन्न पचायती राज सस्थाओ के अध्यक्षो या सरपचो, प्रधानो और जिला प्रमुखो के पदो को अनुसूचित जातियो, जनजातियो, पिछडे वर्गों और महिलाओ के लिए आरक्षित किये जाने से सम्बन्धित प्रावधान भी किये गये हैं। समस्त वर्गों के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानो को चक्रानुक्रम मे बारी-बारी से आवटित किये जाने की व्यवस्था की गयी है।

इससे किसी भी निर्वाचन क्षेत्र के व्यक्तियो मे उस निर्वाचन क्षेत्र के सदा के लिए आरक्षित हो जाने की आशका या चिन्ता अन्य वर्गों मे विकसित नहीं होगी। आरक्षण की यह व्यवस्था—(i) अनुसूचित जाति, (ii) अनुसूचित जनजाति, (iii) अन्य पिछडा वर्ग (iv)

अनुसूचित जाति, जनजाति की महिलाएँ एव (v) सामान्य वर्ग की महिलाओ के लिए किया गया है। आरक्षण की यह व्यवस्था पच, सरपच, प्रधान एव प्रमुख के पदो के लिए की गई है।

आरक्षण व्यवस्था को लागू करने का एकमात्र उद्देश्य निम्न वर्ग के लोगो का सर्वांगीण विकास करना है। महिलाएँ समाज का एक महत्त्वपूर्ण अग हैं। इसलिए महिलाओ को विकास की धारा में जोडने के लिए उन्हें आरक्षण द्वारा पुरुषों के साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर चलाने से विकास को बल मिलगा।

पचायती राज सस्थाओ मे आरक्षण से इनकी कार्य-प्रणाली, कुशलता व सगठन पर पडे प्रभाव के बारे मे उत्तरदाताओ से जानकारी करने पर जो प्रतिक्रिया व्यक्ति की है उसे निम्न तालिका 7 36 में दर्शाया गया है।

तालिका-7.36

आरक्षण व्यवस्था से पड़ने वाले प्रभावो पर प्रतिक्रिया

उत्तरदाताओ की श्रेणी	सख्या	पचायती राज सस्थाओ मे आरक्षण व्यवस्था का प्रभाव (सकेत)						
		1	2	3	4	5	6	7
जनप्रतिनिधि वर्ग	100 (100 00)	73 (73 00)		8 (8 00)	14 (14 00)	31 (31 00)		-
अ) दोनों व्यवस्था	33 (100 00)	21 (63 64)		3 (9 09)	3 (9 09)	18 (54.55)	-	1 (9 09)
ब) वर्तमान व्यवस्था	67 (100 00)	52 (77 61)		5 (7 46)	11 (16 42)	13 (19 40)		-
कार्मिक वर्ग	50 (100 00)	29 (58 00)	9 (18 00)	24 (45 00)	9 (18 00)		4 (8 00)	-
नागरिक वर्ग	100 (100 00)	84 (84 00)		24 (24 00)	35 (35 00)	14 (14 00)	-	2 (2 00)
योग	250 (100 00)	186 (74 40)	9 (3 60)	56 (22 40)	58 (23 20)	45 (18 00)	4 (1 60)	5 (2 00)

कोष्ठक (%) में प्रतिशत दर्शाया गया है।

आरक्षण व्यवस्था का प्रभाव—सकेत

1 पचायती राज सस्थाओ मे जनभागीदारी बढेगी।

2 सस्थाओ को निर्णय लेने की शक्तियाँ मिलेगी।

3 स्थानीय समस्याओ पर ज्यादा ध्यान दिया जायेगा।

4 विकास अच्छा होगा।

5 विपरीत असर पडेगा।
6 कोई परिवर्तन नहीं।
7 प्रत्युत्तर नहीं दिया।

पचायती राज सस्थाओ में आरक्षण व्यवस्था से उनकी कार्यप्रणाली क्षमता कुशलता पर पडने वाले प्रभावो के बारे में उत्तरदाताओ से जानकारी करने पर कार्मिक वग म 58 00% जनप्रतिनिधि वर्ग में 73 00% नागरिक वर्ग म 84 00% समग्र उत्तरदाताओ म से 74 40% ने पचायती राज सस्थाओ मे जनभागीदारी का बढना अवगत करवाया है। कार्मिक वर्ग म 18 00% ने सस्थाओ को निर्णय लेने की शक्तियाँ मिलना अवगत करवाया है। जनप्रतिनिधि वर्ग में 8 00% कार्मिक वर्ग म 48 00% एव नागरिक वर्ग म 24 00% न स्थानीय समस्याओ पर ज्यादा ध्यान दिया जाना अवगत करवाया है। जनप्रतिनिधि वर्ग मे 14 00% कार्मिक वर्ग में 9 00% एव नागरिक वर्ग मे 35 00% ने विकास अच्छा होना अवगत करवाया है। जनप्रतिनिधि वर्ग में 31 00% एव नागरिक वर्ग म 14 00% ने विपरीत प्रभाव पडना अवगत करवाया है। दोनो व्यवस्थाओ से सम्बद्ध जनप्रतिनिधि वर्ग के 9 09% एव नागरिक वर्ग के 2 00% ने इस बार में कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया है।

अत समग्र उत्तरदाताओ में से 74 40% ने जनभागीदारी का बढना 3 60% ने सस्थाओं को निर्णय लेने की शक्तियाँ मिलना 22 40% ने सस्थाओ पर ज्यादा ध्यान दिया जाना 23 20% ने विकास अच्छा होना अवगत करवाया है वहीं दूसरी ओर 18 00% उत्तरदाताओ ने विपरीत प्रभाव पडना एव 1 60% ने कोई परिवर्तन नहीं होना भी अवगत करवाया है। शेष 2 00% उत्तरदाताओ ने इस सम्बन्ध म कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया है।

अत उत्तरदाताओ के अभिमत विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि 78 40% ने पचायती राज सस्थाओ में आरक्षण से सकारात्मक प्रभाव पडना एव 21 6% ने नकारात्मक प्रभाव पडना अवगत करवाया है।

सरपच/प्रधान/जिला प्रमुख की नवीन व पुरानी व्यवस्था मे भूमिका का तुलनात्मक विश्लेषण

पचायती राज की पुरानी व्यवस्था से नवीन व्यवस्था में सरपच प्रधान एव जिला प्रमुख भूमिका अधिक प्रभावी सक्रिय एव उपादेयता के सम्बन्ध में उत्तरदाताओं से जानकारी करने पर 77 20% उत्तरदाताओ ने इनकी भूमिका अधिक प्रभावी सक्रिय एव उपादेय होना अवगत करवाया है जबकि 19 60% ने नकारात्मक प्रत्युत्तर दिया है शेष 3 20% ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की है। विभिन्न श्रेणीवार उत्तरदाताओ की प्रतिक्रिया को तालिका 7 37 में उल्लेखित किया गया है।

तालिका-7.37
सरपच/प्रधान/जिला प्रमुख की नवीन व पुरानी
व्यवस्था मे भूमिका का तुलनात्मक विश्लेषण

उत्तरदाताओ की श्रेणी	सख्या	उत्तरदाताओ की प्रतिक्रिया		
		हाँ	नहीं	जानकारी नहीं
जनप्रतिनिधि वर्ग	100 (100 00)	76 (76 00)	21 (21 00)	3 (3 00)
(अ) दोनो व्यवस्था से सम्बद्ध	33 (100 00)	18 (54 55)	15 (45 45)	-
(ब) वर्तमान व्यवस्था से सम्बद्ध	67 (100 00)	58 (86 56)	6 (8 96)	3 (4 48)
कार्मिक वर्ग	50 (100 00)	33 (66 00)	17 (34 00)	-
नागरिक वर्ग	100 (100 00)	84 (84 00)	11 (11 00)	5 (5 00)
योग	250 (100 00)	193 (77 20)	49 (19 60)	8 (3 20)

कोष्ठक (%) मे प्रतिशत दर्शाया गया है।

तालिका मे उत्तरदाताओ के श्रेणीवार विश्लेषण से ज्ञात होता है कि पचायती राज की पुरानी व्यवस्था की अपेक्षा नवीन व्यवस्था में परिवर्तन आया है। नवीन व्यवस्था से सरपच, प्रधान एव जिला प्रमुख की भूमिका को जनप्रतिनिधि वर्ग के 76 00%, कार्मिक वर्ग के 66 00% एव नागरिक वर्ग के 84 00% उत्तरदाताओ ने अधिक प्रभावी, सक्रिय एव उपादेय होना बताया है जबकि जनप्रतिनिधि वर्ग के 21 00%, कार्मिक वर्ग के 34 00% एव नागरिक वर्ग के 11 00% उत्तरदाताओ ने इनकी भूमिका को सक्रिय एव उपादेय नहीं बतलाया है शेष जनप्रतिनिधि वर्ग के 3 00% एव नागरिक वर्ग के 5 00% ने कोई विचार व्यक्त नहीं किये हैं।

अत. विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि अधिकाश 77 20% उत्तरदाताओ के अभिमत से सरपच, प्रधान एव जिला प्रमुख की भूमिका अधिक सक्रिय, प्रभावी एव उपादेय नवीन व्यवस्था में हुई है जो कि पचायती राज सस्थाओ को सफलता के लिए शुभ माना जा सकता है।

समग्र उत्तरदाताओ में से 77 20% उत्तरदाताओ के अभिमत से सरपच, प्रधान एव जिला प्रमुख की भूमिका अधिक प्रभावी, सक्रिय एव उपादेय हुई है तो अब प्रश्न यह उठता

है कि इनमें से अधिक प्रभावी कौन हुआ है ? इसके प्रत्युत्तर में उत्तरदाताओं से प्राप्त जानकारी का विवरण तालिका 7 38 में दिया गया है।

तालिका-7.38

सरपंच/प्रधान/प्रमुख में से सर्वाधिक प्रभावशाली के बारे में उत्तरदाताओ की प्रतिक्रिया

उत्तरदाताओं की श्रेणी	संख्या	पंचायती राज संस्थानों में आरक्षण व्यवस्था का प्रभाव (संकेत)				
		सरपंच	प्रधान	जिला प्रमुख	सभी	प्रत्युत्तर नहीं दिया
जनप्रतिनिधि वर्ग	100 (100 00)	57 (57 00)		26 (26 00)	12 (4 00)	5 (5 00)
अ) दोनों व्यवस्था से सम्बद्ध	33 (100 00)	16 (48 48)		6 (18 18)	6 (18 18)	5 (15 15)
ब) वर्तमान व्यवस्था से सम्बद्ध	67 (100 00)	41 (61 19)		20 (29 85)	6 (8 96)	
कार्मिक वर्ग	50 (100 00)	29 (58 00)	4 (8 00)	5 (10 00)	6 (12 00)	6 (12 00)
नागरिक वर्ग	100 (100 00)	49 (49 00)		24 (24 00)	20 (20 00)	7 (7 00)
योग	250 (100 00)	135 (54 00)	4 (1 60)	55 (22 00)	38 (15 20)	18 (7 20)

कोष्ठक (%) में प्रतिशत दर्शाया गया है।

उपर्युक्त तालिका के अवलोकन से ज्ञात होता है कि सभी श्रेणी के उत्तरदाताओ के विचारों से 54 00% ने सबसे अधिक प्रभावी सरपच को बताया है 1 60% ने प्रधान को 22 00% ने जिला प्रमुख को एव 15 20% ने सभी को प्रभावी होना अवगत करवाया है जबकि 7 20% ने इस सम्बन्ध मे अभिमत जाहिर नहीं किया है।

अत विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि नवीन व्यवस्था में सबसे ज्यादा प्रभावी सरपच को बनाया गया है जबकि प्रधान सबसे कम प्रभावी रहा है। ग्राम पचायत ग्रामीण विकास की आधारभूत इकाई होने के कारण अधिकार ग्राम पचायतों को नवीन अधिनियम में दिये गये हैं इसलिए सरपचों को अधिकार मिलने से सरपच ज्यादा प्रभावी एव शक्तिशाली हुए हैं।

पचायती राज सस्थाओ मे समन्वय एव सहयोग के बारे मे प्रतिक्रिया

पचायती राज सस्थाओ ग्राम पचायत पचायत समिति एव जिला परिषद् में समन्वय व सहयोग के बारे में उत्तरदाताओ से जानकारी करने पर 58 00% उत्तरदाताओ ने इन सस्थाओ के बीच नवीन व्यवस्था मे समन्वय एव सहयोग नहीं रहना अवगत करवाया है केवल 33 60% ने ही समन्वय व सहयोग रहना बतलाया है। उत्तरदाताओ से प्राप्त जानकारी का विवरण तालिका 7 39 में दर्शाया गया है।

तालिका-7 39

पचायती राज सस्थाओ मे समन्वय व सहयोग पर प्रतिक्रिया

उत्तरदाताओ की श्रेणी	सख्या	समन्वय व सहयोग पर प्रतिक्रिया		
		हाँ	नहीं	जानकारी नहीं
जनप्रतिनिधि वर्ग	100 (100 00)	23 (23 00)	72 (72 00)	5 (5 00)
(अ) दोनो व्यवस्था से सम्बद्ध	33 (100 00)	3 (9 09)	27 (81 82)	3 (9 09)
(ब) वर्तमान व्यवस्था से सम्बद्ध	67 (100 00)	20 (29 85)	45 (67 16)	2 (2 99)
कार्मिक वर्ग	50 (100 00)	26 (52 00)	24 (48 00)	-
नागरिक वर्ग	100 (100 00)	35 (35 00)	49 (49 00)	16 (16 00)
योग	250 (100 00)	84 (33 60)	145 (58 00)	21 (8 40)

कोष्ठक (%) मे प्रतिशत दर्शाया गया है।

तालिका के अवलोकन से ज्ञात होता है कि पचायती राज सस्थाओ म अच्छा समन्वय एव सहयोग नवीन अधिनियम से कम हुआ है। जनप्रतिनिधि वर्ग जो कि ग्राम पचायत पचायत समिति एव जिला परिषद् से जुडा हुआ रहता है। उनके अभिमत से 72 00% उत्तरदाताओ ने समन्वय एव सहयोग नहीं होना अवगत करवाया है। कार्मिक वर्ग मे 48 00% एव नागरिक वर्ग में 49 00% ने अपनी समन्वय एव सहयोग का अभाव बतलाया है। जनप्रतिनिधि वर्ग मे केवल 23 00% कार्मिक वर्ग म 52 00% एव नागरिक वर्ग मे 35 00% उत्तरदाताओ ने ही सहयाग व समन्वय होना अवगत करवाया है। अत उत्तरदाताओ के प्राप्त अभिमत विश्लेषण से यह सहज ही कहा जा सकता है कि नवीन

व्यवस्था ने ग्राम पचायत पचायत समिति एव जिला परिषद् में समन्वय एव सहयोग को कम किया है जो कि पचायती राज की असफलता का कारण भविष्य में बन सकता है।

पचायती राज सस्थाओ के विभिन्न स्तरो में समन्वय एव सहयोग के सम्बन्ध मे सुझाव

ग्राम पचायत पचायत समिति एव जिला परिषद् में नवीन अधिनियम के बाद समन्वय एव सहयोग कम हो गया है। इसके सम्बन्ध में उत्तरदाताओ ने जो सुझाव दिये हैं उनका विवरण तालिका 7 40 में दिया गया है।

तालिका-7.40

पंचायती राज संस्थाओं के विभिन्न स्तरों में समन्वय एव सहयोग के सम्बन्ध में सुझाव

क्र सं	विभिन्न स्तरों में समन्वय एव सहयोग के लिए सुझाव	प्रतिशत
1	दलीय आधार पर चुनाव नहीं होने चाहिए।	38 62
2	सरपच को पचायत समिति एव प्रधान को जिला परिषद् का मताधिकार के साथ सदस्य बनाया जाना चाहिए।	55 86
3	प्रधान एव जिला प्रमुख का सरपच की तरह प्रत्यक्ष चुनाव होना चाहिए।	3 45
4	पुरानी व्यवस्था पुन आरम्भ की जानी चाहिए।	17 24
5	प्रस्तावो की क्रियान्विती निश्चित की जानी चाहिए।	3 45
6	अधिकारियो एव जनप्रतिनिधियो को ग्रामसभा की बैठकों में भाग लेने की अनिवार्यता की जानी चाहिए।	4 14

पचायती राज सस्थाओ का विभिन्न स्तर पर आपसी समन्वय एव सहयोग बढाने हेतु उत्तरदाताओ ने जो उपर्युक्त सुझाव दिये हैं उनमे मुख्य रूप से 55 86% उत्तरदाताओ के अभिमत से सरपच को पचायत समिति एव प्रधान को जिला परिषद् का मताधिकार के साथ सदस्य बनाया जाना चाहिए। दूसरा सुझाव दलीय आधार पर जो चुनाव व्यवस्था की गई है उसको समाप्त किया जाना चाहिए क्योकि 38 62% उत्तरदाताओ के अभिमत से विभिन्न स्तर पर अलग-अलग दल के सस्था प्रधान रहने से उनमें तालमेल एव समन्वय का अभाव रहता है तथा दलीय आधार पर चुनाव करवाने से ग्रामों मे गुटबाजी व द्वेष भावना फैलती है। अत पचायती राज सस्थाओ मे बेहतर आपसी सहयोग एव समन्वय बनाने हेतु इन सुझावो की क्रियान्विति तथा 17 24% उत्तरदाताओ ने पुरानी व्यवस्था पुन लागू करने का सुझाव दिया है। कुछ उत्तरदाताओ जिनका प्रतिशत 3 45% है उन्होने प्रधान एव जिला प्रमुख का चुनाव भी प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली जैसे सरपच का चयन किया जाता है का भी सुझाव दिया है।

पंचायती राज संस्थाओं के कार्मिक एवं जनप्रतिनिधि वर्ग के कार्य सन्तुष्टि पर प्रतिक्रिया

चयनित उत्तरदाताओं से यह भी जानकारी करने का प्रयास किया गया है कि पचायती राज के अधिकारी कर्मचारी एव जनप्रतिनिधि जनता का कार्य करते भी है या नहीं ? इन सस्थाओ के कार्मिक एव जनप्रतिनिधियों को कार्य-सन्तुष्टि के बारे में चयनित उत्तरदाताओं में से 76 80% प्रतिशत उत्तरदाताओ का इस वर्ग से सम्पर्क किया जाना अवगत करवाया है जबकि 23 20% ने सम्पर्क नहीं किया है। जिन 192 (76 80%) उत्तरदाताओ ने अपने कार्य के लिए पचायती राज के अधिकारियो, कर्मचारियो एव जनप्रतिनिधियो से सम्पर्क किया है उनसे कार्य-सन्तुष्टि के बारे में जानकारी करने पर जो विचार व्यक्त किये हैं उसकी प्रतिक्रिया तालिका 7 41 में दी गयी है।

तालिका-7 41

कार्य सन्तुष्टि पर प्रतिक्रिया

उत्तरदाताओ की श्रेणी	संख्या	सम्पर्क करने वालों की सं	कार्य के बारे में प्रतिक्रिया		
			कार्य हुआ	कार्य नहीं हुआ	प्रत्युत्तर नहीं
जनप्रतिनिधि वर्ग	100	90 (100 00)	79 (87 88)	9 (10 00)	2 (2.22)
(अ) दोनों व्यवस्था से सम्बद्ध	33	29 (100 00)	29 (100 00)	-	-
(ब) वर्तमान व्यवस्था से सम्बद्ध	67	61 (100 00)	50 (81 97)	9 (14 75)	2 (3.28)
कार्मिक वर्ग	50	39 (100 00)	33 (84 62)	5 (12 82)	1 (2.56)
नागरिक वर्ग	100	63 (100 00)	49 (77 78)	10 (15 87)	4 (6.35)
योग	250	192 (100 00)	161 (83 85)	24 (12.50)	7 (3 65)

कोष्ठक (%) में प्रतिशत दर्शाया गया है।

पचायती राज सस्थाओ में कार्य सन्तुष्टि के बारे मे जानकारी करने पर जनप्रतिनिधि वर्ग के [redacted]7 88% कामिक वर्ग के [redacted]4 62% एव नागरिक वर्ग के 77 78% उत्तरदाताओ ने कार्य का होना अर्थात् कार्य-सन्तुष्टि से एव जनप्रतिनिधि वर्ग के 10 00% कामिक वर्ग के 12 82%

एव नागरिक वर्ग के 15 87% ने कार्य नहीं होना अवगत करवाया है शेष उत्तरदाताओ ने इस बारे मे प्रत्युत्तर नहीं दिया है।

अत समग्र रूप से उत्तरदाताओ के अभिमत से 83 85% के कार्य होने से पचायती राज सस्थाओ के अधिकारियो, कर्मचारियो एव जनप्रतिनिधियो के कार्य से सन्तुष्टि एव 12 50% के कार्य नहीं होने से असन्तुष्टि पायी गयी है। शेष 3 65% से प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं होने से कोई प्रतिक्रिया नहीं होना अवगत हुआ है।

अविश्वास प्रस्ताव के नवीन प्रावधानो पर प्रतिक्रिया

किसी पचायत राज सस्था के अध्यक्ष या उपाध्यक्षो मे विश्वास का अभाव अभिव्यक्त करने वाला कोई प्रस्ताव अगली उप-धाराओ मे अधिक वित्त प्रक्रिया के अनुसार किया जा सकेगा। (धारा 37) प्रस्ताव करने के आशय का ऐसा लिखित नोटिस निर्वाचित सदस्यो के एक तिहाई से अन्यून द्वारा हस्ताक्षरित हो। तत्पश्चात् सक्षम अधिकारी ऐसी बैठक की अध्यक्षता करेगा और उपस्थित सदस्यो के समक्ष उस प्रस्ताव को पढेगा जिस पर विचार करने के लिए बैठक बुलाई गई है और उसे विचार-विमर्श के लिए खुला घोषित करेगा। विचार-विमर्श के समाप्त होने पर छोटे या उक्त कालावधि की समाप्ति इनमें से जो भी पहले हो प्रस्ताव मतदान के लिए रखा जायेगा।

यदि प्रस्ताव सम्बन्धित पचायती राज सस्था के निर्वाचित सदस्यो के दो-तिहाई से अन्यून के समर्थन से पारित हो जाए तो—

(क) अध्यक्षता करने वाला अधिकारी इस तथ्य को सम्बन्धित पचायती राज सस्था के कार्यालय के सूचना पट्ट पर उसका एक नोटिस चिपका कर और उसे राजपत्र में अधिसूचित करवा के प्रकाशित कराएगा, और

(ख) सम्बन्धित अध्यक्ष या उपाध्यक्ष उस तारीख को जिससे उक्त नोटिस पूर्वोक्त कार्यालय के सूचना पट्ट पर चिपकाया जाता है, इस रूप में पद धारण करना बन्द कर देगा और पद रिक्त कर देगा।

अधिनियम मे प्रावधान है कि प्रस्ताव का कोई भी नोटिस किसी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के पद-ग्रहण करने के दो वर्ष के भीतर नहीं दिया जायेगा। अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के प्रति अविश्वास के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए किसी बैठक के गठन के लिए गणपूर्ति उसमें मतदान करने के हकदार व्यक्तियो की कुल सख्या की एक-तिहाई से होगी। अविश्वास प्रस्ताव के नवीन प्रावधान के बारे मे जो ऊपर वर्णित है इनके बारे में उत्तरदाताओ से जानकारी करने पर जो प्रतिक्रिया व्यक्त की है उसको तालिका 7 42 मे दर्शाया गया है।

तालिका-7 42

अविश्वास प्रस्ताव के नवीन प्रावधान की जानकारी पर प्रतिक्रिया

उत्तरदाताओ की श्रेणी	सख्या	प्रावधान की जानकारी		
		हाँ	नहीं	प्रत्युत्तर नहीं
जनप्रतिनिधि वर्ग	100 (100 00)	75 (75 00)	20 (20 00)	5 (5 00)
(अ) दोना व्यवस्था से सम्बद्ध	33 (100 00)	24 (72 73)	9 (27 27)	-
(ब) वर्तमान व्यवस्था से सम्बद्ध	67 (100 00)	51 (76 12)	11 (16 46)	5 (7 46)
कार्मिक वर्ग	50 (100 00)	45 (90 00)	5 (10 00)	-
नागरिक वर्ग	100 (100 00)	62 (62 00)	36 (36 00)	2 (2 00)
योग	250 (100 00)	182 (72 80)	61 (24 40)	7 (2 80)

कोष्ठक (%) मे प्रतिशत दर्शाया गया है।

चयनित उत्तरदाताओ से अविश्वास प्रस्ताव के नवीन प्रावधान के बारे मे जानकारी करने पर जनप्रतिनिधि वर्ग के 75 00% कार्मिक वर्ग के 90 00% एव नागरिक वर्ग मे 62 00% उत्तरदाताओ को जानकारी होना एव जनप्रतिनिधि वर्ग के 20 00% कार्मिक वर्ग के 10 00% एव नागरिक वर्ग के 36 00% को जानकारी नहीं होना पाया गया है। शेष जनप्रतिनिधि वर्ग के 5 00% एव नागरिक वर्ग के 2 00% उत्तरदाताओ ने इस बारे मे कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया है।

अत, समग्र रूप से उत्तरदाताओ मे 72 80% को जानकारी होना पाया गया जबकि 24 40% को जानकारी नहीं है। शेष 2 80% ने प्रत्युत्तर नहीं दिया है।

दो वर्ष तक अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाने के सरकारी नियम पर प्रतिक्रिया

जिन 182 (72 80%) उत्तरदाताओ को नवीन अधिनियम में अविश्वास प्रस्ताव की जानकारी है उनसे दो वर्ष तक अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाने के सरकारी निर्णय पर प्रतिक्रिया जानने पर उनमे से जनप्रतिनिधि वर्ग के 89 33%, कार्मिक वर्ग के 93 33% एव नागरिक वर्ग के 88 71% ने सही माना है जबकि कार्मिक वर्ग के 6 67%, जनप्रतिनिधि वर्ग के 10 67% एव नागरिक वर्ग के 8 06% ने गलत माना है। शेष नागरिक वर्ग के 3 23% ने प्रत्युत्तर नहीं दिया है। उत्तरदाताओ की प्रतिक्रिया को निम्न तालिका 7 43 में दर्शाया गया है।

तालिका-7 43

अविश्वास प्रस्ताव के सरकारी नियम पर प्रतिक्रिया

उत्तरदाताओं की श्रेणी	संख्या	प्रावधान की जानकारी	कार्य के बारे में प्रतिक्रिया		
			सही	गलत	जवाब नहीं दिया
जनप्रतिनिधि वर्ग	100	75 (100 00)	67 (89 33)	9 (10 00)	
(अ) दोनो व्यवस्था से सम्बद्ध	33	24 (100 00)	18 (75 00)	6 (25 00)	
(ब) वर्तमान व्यवस्था से सम्बद्ध	67	51 (100 00)	49 (96 08)	2 (3 92)	
कार्मिक वर्ग	50	45 (100 00)	42 (93 33)	3 (6 67)	-
नागरिक वर्ग	100	62 (100 00)	55 (88 71)	5 (8 06)	2 (3 23)
योग	250	182 (100 00)	164 (90 91)	16 (8 79)	2 (1 10)

कोष्ठक (%) मे प्रतिशत दर्शाया गया है।

तालिका मे उल्लेखित उत्तरदाताओ की प्रतिक्रिया से स्पष्ट होता है कि 90 11% उत्तरदाताओ के अभिमत से दो वर्ष तक अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाने का सरकारी प्रावधान उचित है जबकि 8 79% उत्तरदाताओ के अभिमत से गलत है शेष 1 10% उत्तरदाताओ ने जवाब नहीं दिया है। अत, उत्तरदाताओ की प्रतिक्रिया से नवीन अधिनियम मे अविश्वास प्रस्ताव के लिए रखा गया दो वर्ष का सरकारी नियम उचित है।

सामान्य वार्ड एवं आरक्षित पद के बारे मे प्रतिक्रिया

सामान्य वार्ड से विजयी जनप्रतिनिधि आरक्षित पद हेतु, जो उसी वर्ग का है चुना जाना उचित है या नहीं ? इस सम्बन्ध मे 71 20% उत्तरदाताओ ने पक्ष मे एव [redacted] 80% उत्तरदाताओ ने विपक्ष में अभिमत प्रकट किया है।

नवीन पंचायती राज व्यवस्था से सन्तुष्टि के सम्बन्ध मे प्रतिक्रिया

पचायती राज अधिनियम 1994 के बाद नवीन पचायती राज व्यवस्था से सन्तुष्टि के सम्बन्ध मे उत्तरदाताओ से जानकारी करने पर जो प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है उसको तालिका 7 44 मे दर्शाया गया है।

तालिका-7 44

नवीन पचायती राज व्यवस्थाओ से सन्तुष्टि पर प्रतिक्रिया

उत्तरदाताओ की श्रेणी	सख्या	नवीन पचायती राज व्यवस्था से सन्तुष्टि पर प्रतिक्रिया		
		सन्तुष्ट	आशिक सन्तुष्ट	सन्तुष्ट नहीं
जनप्रतिनिधि वर्ग	100 (100 00)	52 (52 00)	21 (21 00)	27 (27 00)
(अ) दोनो व्यवस्था से सम्बद्ध	33 (100 00)	12 (36 36)	9 (27 28)	12 (36 36)
(ब) वर्तमान व्यवस्था से सम्बद्ध	67 (100 00)	40 (59 70)	12 (17 91)	15 (22 39)
कार्मिक वर्ग	50 (100 00)	27 (54 00)	23 (46 00)	-
नागरिक वर्ग	100 (100 00)	73 (73 00)	12 (12 00)	15 (15 00)
योग	250 (100 00)	152 (60 80)	56 (22 40)	42 (16 80)

कोष्ठक (%) मे प्रतिशत दर्शाया गया है।

नवीन पचायती राज व्यवस्था के बारे में तालिका में जो प्रतिक्रिया उल्लेखित की गई है इसके आधार पर जनप्रतिनिधि वर्ग में से 52 00% ने सन्तुष्टि, 21 00% ने आशिक रूप से सन्तुष्टि एव 27 00% ने असन्तुष्टि जाहिर की है।

कार्मिक वर्ग में 54 00% ने सन्तुष्टि एव 46 00% ने आशिक रूप से सन्तुष्टि प्रकट की है। नागरिक वर्ग मे 73 00% ने सन्तुष्टि, 12 00% ने आशिक रूप से सन्तुष्टि एव 15 00% ने असन्तुष्टि जाहिर की है।

अत समग्र उत्तरदाताओ के विश्लेषण पर दृष्टि डाले तो 60 80% ने सन्तुष्टि, 22 40% ने आशिक रूप से सन्तुष्टि एव 16 80% ने नवीन पचायती राज व्यवस्था से असन्तुष्टि जाहिर की है। इस प्रकार केवल 16 80% उत्तरदाताओ ने ही नवीन पचायती राज व्यवस्था के प्रति असन्तुष्टि जाहिर की है शेष उत्तरदाताओ ने सन्तुष्टि एव आशिक रूप से सन्तुष्टि जाहिर करने के कारण नवीन व्यवस्था को उचित कहा जा सकता है।

सन्दर्भ

1 ब्राइस जेम्स *मोडर्न डेमोक्रेसीज*, न्यूयोर्क, मैकमिलन, 1991 पृष्ठ 133

2 राजस्थान पत्रिका . *कोटा सस्करण,* पृष्ठ 1, 8 जनवरी, 2000।

□□□

8

समाहार सुधार-सुझावों के विशेष सन्दर्भ में

पचायती राज व्यवस्था ग्राम्य जीवन की आत्मा मे आत्मसात हो चुकी है जो लोकतन्त्र की आधारशिला, सस्कृति की सवाहक एव कल्याणकारी राज्य की सकल्पना के आदर्श प्रतिमान के रूप मे जानी जाती है। राजस्थान मे 2 अक्टूबर, 1959 में पण्डित जवाहर लाल नेहरू ने प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रीकरण योजना का शुभारम्भ नागौर जिले से किया। 1953 के ग्राम पचायत अधिनियम व पचायत समिति एव जिला परिषद् अधिनियम, 1959 को समामेलित करते हुए यह व्यवस्था पचायती राज के लिए की गई। पचायती राज व्यवस्था की स्थापना के आरम्भ के वर्षों में इन सस्थाओ ने ग्रामीण विकास की दिशा में अच्छे परिणाम दिये लेकिन कुछ वर्षों बाद वित्तीय साधनो के अभाव एव समय पर चुनाव नहीं होने के कारण सस्थाएँ अपने सौंपे गये दायित्वो को पूर्ण करने में असक्षम दिखाई देने लगी। पचायत राज सस्थाओ को सवैधानिक दर्जा देने, पचायती राज व्यवस्था को अधिक सुदृढ करने हेतु देश के सभी राज्यो में पचायती राज की अनिवार्यता एव एकरूपता लाने के दृष्टिकोण से भारत सरकार द्वारा सविधान मे 73वाँ सविधान सशोधन, अधिनियम, 1992 पारित कर लागू किया गया। केन्द्र सरकार के इस सशोधन अधिनियम की अनुपालना में राजस्थान मे भी नवीन पचायती राज अधिनियम, 1994 क्रियान्वित किया गया। शोध अध्ययन को आठ अध्यायो मे विभक्त किया गया है जिनका शोध साराश अग्रोल्लेखित है—

प्रथम अध्याय : अध्ययन परिचय एव शोध प्रविधि—इस अध्याय मे विकेन्द्रीकरण, विकास व कल्याण की सरक्षक इन सस्थाओ के बारे मे शोध एव सुझावो हेतु अनेक आयोग एवं समितियाँ बैठी जिनकी अभिशषाओ पर आधारित इन सस्थाओ के कार्यकारी चरित्र पर अनेक प्रश्न-चिह्न लग गये तथा 1959 मे राजस्थान मे बलवतराय मेहता द्वारा अभिशषित पचायतीराज की त्रिस्तरीय व्यवस्था को 73वे सवैधानिक सशोधन द्वारा नया स्वरूप प्रदान किया। अत. लोकतन्त्र के आधार-स्तम्भ पचायती राज के पुरातन एव नूतन चरित्र जिसे आज दूसरा दशक होने जा रहा है का तुलनात्मक मूल्याकन समय की आवश्यकता के अनुरूप महत्ता को भी उजागर करता है।

इस अध्ययन का उद्देश्य मूलत यही है कि कैसे इन सस्थाओ को प्रभावी—कार्य-कुशलता एव लोकग्राह्य बनाया जाये। साथ ही खामियो एव अच्छाइयों के सन्दर्भ मे एक सैद्धान्तिक एव व्यावहारिक तुलनात्मक विवेचन प्रस्तुत कर समस्या समाधान हेतु व्यावहारिक सुझाव प्रेषित किये जा सके। शोध समय, साधन एव परिस्थितियो के परिप्रेक्ष्य में राजस्थान राज्य के कोटा बारा, झालावाड जिले अध्ययन क्षेत्र हेतु चयनित कर ग्रामसभा, ग्राम पचायत, पचायत समिति एव जिला परिषद स्तर पर शोध सूचनाएँ एकत्रित करने का प्रयास प्रथम समको के प्रतिदर्श चयन के एव द्वितीय समको की उपलब्ध सामग्री के आधार पर किया गया है। इस प्रकार इस शोध विषय का क्षेत्र-सीमाएँ एव शोध प्रविधि का परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य मे निर्धारण किया गया है।

द्वितीय अध्याय ग्रामीण भारत मे प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रीकरण की परम्परा एव दर्शन एक सिहावलोकन—इस अध्याय मे ग्रामीण भारत में प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रीकरण की परम्परा एव लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण की अवधारणा एव दर्शन को भारतीय सन्दर्भों एव अर्थों मे स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। भारत का अतीत हर क्षेत्र मे सुदृढ रहा है। प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रीकरण एव प्रजातन्त्र वैदिक काल से ही भारतीय राजनीतिक चिन्तन एव राजनय का अग रहा है। प्रजातन्त्र शब्द का वेदो में स्पष्ट उल्लेख मिलता है।

वैदिक काल से लेकर 1947 को आजादी की पूर्व सध्या तक के पडावो में प्रजातन्त्र एव प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रीकरण के विचार एव सस्थाओ ने अनेक उतार-चढाव सत्ता-शासको की निरकुशता एव निर्णयो के सन्दर्भ में देखे। पच फैसले, पच परमेश्वर सभा-समिति तथा अन्य सामाजिक एव जातीय पचायतो के रूप में प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रीकरण हमेशा भारतीय राजनय की परम्परा का हिस्सा रहा है तथा ग्राम शासन एव स्वशासन की सबसे छोटी इकाई रही है।

अनेक विदेशी सत्ताओ के शासन करने एव अपने तानाशाही पूर्ण रवैयो एव इन सस्थाओं के प्रति उदासीनता के पश्चात् भी पचायतीराज एव प्रजातन्त्र की अवधारणा एव सस्थाएँ जीवत बनी रही। इतने राजनीतिक, सास्कृतिक एव सैन्य आक्रमणो के पश्चात् भी भारत मे प्रजातान्त्रिक ग्रामीण मूलाधार सस्थाएँ अपने आपको मूल स्वरूप मे बचा के रख सकी। हालाकि विकसित एव व्यवस्थित प्रारूप नहीं ले सकी।

इस अध्याय मे प्रजातन्त्र, विकेन्द्रीकरण को एव प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रीकरण के दर्शन को अलग-अलग स्पष्ट करते हुए ग्रामीण भारत मे वैदिककालीन सस्कृति से लेकर 1947 के आजादी तक के कालखण्ड में प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रीकरण की परम्परा का सिहावलोकन किया गया है। वैदिक काल मे 'दमून कृषि' डेमोक्रेसी (प्रजातन्त्र) शब्द प्रचलन मे था तथा सभा एव समिति तथा पच-फैसला की प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रीकरण की अवधारणा मौजूद थी। रामायण काल स्वर्णिम काल कहलाता है इन सस्थाओ की भूमिका का। महाभारत के शान्ति-पर्व, मनुस्मृति तथा कौटिल्य के अर्थशास्त्र में स्थानीय शासन को इकाई के रूप में ग्राम को महत्ता को स्पष्ट किया गया है। मौर्य युग में ग्राम शासन को सबसे छोटी इकाई थी व ग्राम की जनता द्वारा चयनित व्यक्ति 'ग्रामिक' ग्राम का मुखिया था। गुप्त काल मे भी ग्राम का मुखिया 'ग्रामिक' कहलाता था। 'सातवाहन शासन काल' मे ग्रामो मे स्थानीय राजनीतिक सस्थाएँ थीं। मध्यकाल में सल्तनत काल मे ग्राम राज्य को सबसे छोटी इकाई थी जिसका मुखिया 'पटेल', 'लबरदार' या 'पच' कहलाता था। मुगलकाल में भी ग्राम का प्रबन्धन ग्राम पचायत द्वारा किया

जाता था। शासन में पचायत की महत्ता को स्वीकारा गया था। बौद्धकाल मे 16 गणराज्य गणतन्त्र के स्पष्ट प्रमाण है।

ब्रिटिश शासन काल मे 1800 के लॉर्ड रिपन प्रस्ताव के तथा 1947 तक विभिन्न आयोगो एवं समितियो की अभिशषाओ के तथा अधिनियमों के आधार पर पूर्ण प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रीकरण को लागू किये जाने के प्रयास किये गये तथा स्वायत्तशासी सस्थाओं को मजबूत आधार प्रदान किया गया तथा उन्हे उत्तरदायी प्रतिनिधिक सस्थाओ का दर्जा दिया गया।

उपर्युक्त सिहावसोकन से ज्ञातव्य है कि भारत मे प्राचीन से अर्वाचीन काल (1947) तक लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण की मौलिक भावना शासन तन्त्र मे निहित थी। हालाकि मुगलकाल एव ब्रिटिश काल मे ग्रामीण सस्थाओ पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया।

तृतीय अध्याय : मे पचायती राज व्यवस्था मे 73वे संवैधानिक सशोधन पूर्व प्रारूप का सरचनात्मक-कार्यात्मक विवेचन किया गया है। 73वें सवैधानिक सशोधन से पूर्व राजस्थान मे पचायती राज व्यवस्था का प्रारूप 1953 के पचायती राज अधिनियम व 1959 के जिला परिषद् एव पचायत समिति अधिनियमो पर मूलत आधारित था तथा 1948 से लेकर 23 अप्रैल 1994 मे राजस्थान पचायती राज अधिनियम 73वे सविधान सशोधन के अनुरूप पारित करने तक अनेक आयोग व समितियाँ बैठी जिन्होने समय-समय पर पचायती राज व्यवस्था मे परिवर्तन हेतु सुझाव दिये तथा सरकारी नियत के आधार पर जो परिवर्तन किये गये सभी का सागोपाग वर्णन इस अध्याय मे किया गया है। विदशी शासन एव स्वदेशी सामतशाही से मुक्त देश ने जब स्वतन्त्रता की सास ली तो सामने अनेक चुनौतियाँ थीं जो लोकतन्त्र के सम्मुख मुँह बाये खडी थी। ऐसे समय मे लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण के माध्यम से स्वशासन की स्थापना एव उसकी सार्थकता तथा सफलता मुख्य उद्देश्य था। राजस्थान ने 1959 मे तत्कालीन प्रधानमन्त्री पण्डित जवाहर लाल नेहरू द्वारा नागौर में पचायतीराज व्यवस्था को महत्ता प्रदान करते हुए 1953 मे राजस्थान पचायती राज अधिनियम पारित किया जिसमे ग्रामसभा का भी प्रावधान किया गया था।

1953 से 1993 तक के 40 वर्षों मे इन सस्थाओ यथा—ग्रामसभा, ग्राम पचायत, पचायत समिति तथा जिला परिषद् ने अद्योपात अभिशषित परिवर्तनो से कैसा सगठन एव कार्यकरण का प्रारूप प्राप्त कर प्रदत्त भूमिका निर्वहन किया। यही सब कुछ इस अध्याय मे अपेक्षित उल्लेखित है।

चतुर्थ अध्याय मे पचायतीराज व्यवस्था मे 73वे सवैधानिक सशोधन प्रदत्त तन्त्र की संरचनात्मक कार्यात्मक विवेचना की गई है। पचायती राज व्यवस्था का पूर्ववर्ती प्रारूप राजनीतिक हित साधन मात्र का माध्यम बन कर रह गया था। कार्यकाल की अनिश्चितता चुनावो की अनिश्चितता तथा अनावश्यक अत्यधिक सरकारी दखल ने प्रजा-तान्त्रिक विकेन्द्रीकरण की सवाहक इन सस्थाओ को अस्तित्व विहीन बना दिया था तथा राजस्थान मे तो पचायती राज व्यवस्था दो अधिनियमो क्रमश पचायत राज अधिनियम, 1953 तथा जिला परिषद् एव पचायत समिति अधिनियम, 1959 के तहत चल रही थी। अत, 73वाँ सविधान सशोधन पचायती राज व्यवस्था के राष्ट्रव्यापी समान स्वरूप व अस्तित्व को बहाल करने की ओर एक बडा कदम था। 23 अप्रैल, 1994 को राजस्थान सरकार ने भी अपना समेकित राजस्थान पचायत अधिनियम लागू किया।

73वे सवैधानिक सशोधनो के अनुरूप पचायतो को कार्यकाल, चुनाव, सागठनिक स्वरूप एव कार्यकरण एव अधिकारो की दृष्टि से सुनिश्चित, सशक्त एव सही मायनो मे लोकतन्त्र की सवाहनी सस्थाएँ बनाये जाने का प्रयास किया है। लेकिन सगठन एव कार्यकरण के सन्दर्भ में राज्य सरकारो को छूट दे दी गई है कि वे अपने मनोनुकूल इनके अधिकारो एव प्रारूप में परिवर्तन की अधिकारिणी है।

राजस्थान में 73वें सवैधानिक सशोधनो के अनुरूप ग्रामसभा एव ग्राम पचायतो को अधिक सशक्त किया गया है। सरपच जहाँ सीधे जनता द्वारा पूर्वत. निर्वाचित होते थे यथावत व्यवस्था रखी गई है। हाँ पचायतो का कार्यकाल सुनिश्चित किया है, ग्रामसभा की बैठकें सुनिश्चित कर ग्रामसभा को प्रभावी बनाया गया है। पचायतो को वित्तीय एव प्रशासनिक शक्तियाँ देकर ज्यादा प्रभावी बनाया गया है। पचायती समिति एव जिला परिषदो के सागठनिक स्वरूप मे व्यापक परिवर्तन किया गया है तथा उन्हें भी प्रभावशाली बनाये जाने की कोशिश की गई है।

प्रस्तुत अध्याय मे पचायती राज व्यवस्था का राजस्थान मे नवीन प्रारूप के अनुरूप सगठनात्मक एव कार्यात्मक विवेचन प्रस्तुत किया गया है। कार्यात्मक दृष्टि से कुछ नवीन कार्यों को पूर्ववर्ती कार्यों की सूची मे जोडा गया है तथा कुछ अधिकार दिये गये हैं। कार्यकाल चुनाव प्रक्रिया में बदलाव, अधिकार युक्तता, अविश्वास प्रस्ताव प्रत्याशियो की योग्यताएँ, वार्डसभाओ की व्यवस्था, महिला आरक्षण, चक्रक्रमानुसार पदो का आरक्षण व सामान्य आरक्षण, ग्रामसभा सहित त्रिस्तरीय पचायती राज व्यवस्था को सवैधानिक दर्जा दिया जाना आदि मुद्दे इस अध्याय मे विवेचना के आधार हैं।

पचम अध्याय • पचायती राज व्यवस्था में 73वे सवैधानिक सशोधन से पूर्व तथा वर्तमान सशोधित प्रारूप की तुलनात्मक विवेचना—प्रस्तावित शोध अध्याय में योजना के अन्तर्गत पचायती राज व्यवस्था के पुरातन एव नूतन प्रारूपो का सरचनात्मक कार्यात्मक-तुलनात्मक विवेचन सैद्धान्तिक एव अनुभवमूलक दोनो दृष्टियों से किया गया है। इस अध्याय में 73वें सवैधानिक सशोधन प्रदत्त तन्त्र एव इससे पूर्व स्थितपुरातन पचायती राज व्यवस्था जो राजस्थान मे 1953 के पचायती राज अधिनियम तथा 1959 के जिला परिषद् एव पचायत समिति अधिनियम पर आधारित थी के सगठनात्मक एव कार्यात्मक प्रारूपो मे समानताओ एव असमानताओ का सैद्धान्तिक तुलनात्मक विवेचन उपलब्ध अधिनियम प्रपत्रो के आधार पर किया गया है।

इस तुलनात्मक अध्ययन से ज्ञात होता है कि जहाँ एक और सगठनात्मक दृष्टिकोण से व्यापक परिवर्तन परिलक्षित होता है वहाँ कार्यात्मक दृष्टिकोण से कुछ नये कार्यों को जोडने व कुछ को हटा लिये जाने के अलावा कोई खास परिवर्तन परिलक्षित नहीं होते हैं। राजस्थान मे 73वे सवैधानिक सशोधन प्रदत्त व्यवस्था के तहत यह द्वितीय कार्यकाल है। पचायतीराज सस्थाओ का जिसमे राज्य सरकार मे साँगठनिक चरित्र मे व्यापक बदलाव किये हैं तथा ज्यादा प्रशासनिक एव वित्तीय शक्तियाँ प्रदान करने की भी घोषणाएँ की जो अभी यथार्थ से कितनी करीब है हमारे अनुभव मूलक अध्ययन मे ज्ञात होगा।

आरक्षण व्यवस्था, चक्रक्रमानुसार पदो का आरक्षण प्रधान व जिला प्रमुख के चयन की नई प्रणाली तथा दोनो सस्थाओ का नया सागठनिक स्वरूप इन सस्थाओ के प्रत्याशियो का

प्रत्यक्ष निर्वाचन, अविश्वास प्रस्ताव के सन्दर्भ में नई शर्तें अयोग्यता के नए प्रावधान ग्रामसभा का सशक्तीकरण तथा सरपंचों का पूर्ववत् प्रत्यक्ष चुनाव लेकिन पंचायत सदस्यों के चयन के नये आधार इस नई व्यवस्था में किये गये हैं।

प्रस्तुत शोध अध्याय में अध्याय 6 एवं 7 अनुभवमूलक अध्ययन पर आधारित है। जिसमें 250 उत्तरदाताओं के जवाबों का विश्लेषणपरक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। इस अध्ययन हेतु उत्तरदाताओं के चयन की प्रक्रिया निम्न प्रकार से की है—पंचायती राज प्रारूप 1959 के तथा 73वें संविधान संशोधन द्वारा स्वीकृत प्रारूपों के मध्य एक तुलनात्मक प्रशासनिक दृष्टिकोण से अध्ययन करने हेतु निहित उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए शोधकार्य को वास्तविकता की तह तक पहुँचाने के लिए बहुस्तरीय अध्ययन पद्धति का उपयोग करते हुए सरकारी, गैर-सरकारी व्यक्तियों एवं जनप्रतिनिधियों से पंचायती राज संस्थाओं के सभी स्तरों की गहनता से जानकारी करने का प्रयास किया गया है।

शोधकर्ता ने दो प्रकार के जनप्रतिनिधियों जिनमें एक प्रकार के वे जनप्रतिनिधि जो 1959 के अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार चयनित हुए थे तथा वर्तमान में भी चयनित हुए हैं अर्थात् दोनों अधिनियमों की व्यवस्थाओं से सम्बन्धित एवं दूसरे प्रकार के वे जनप्रतिनिधि जो केवल वर्तमान व्यवस्था से ही सम्बन्धित हैं, पंचायती राज संस्थाओं के कार्मिक वर्ग जिनका इन संस्थाओं से प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहता है एवं नागरिक वर्ग जो कि इन संस्थाओं के प्रतिनिधियों का चयन करते हैं। इस प्रकार चार प्रकार के उत्तरदाताओं से साक्षात्कार अनुसूची के द्वारा ग्रामसभा, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद् स्तर की विभिन्न पहलुओं पर जानकारी प्राप्त की गई है।

द्वितीय स्तर पर उत्तरदाताओं की संख्या निर्धारित करते हुए जनप्रतिनिधियों में 100 (जिनमें दोनों व्यवस्था से सम्बन्धित 33 एवं वर्तमान व्यवस्था से सम्बन्धित 67), कार्मिक वर्ग में जनप्रतिनिधियों की संख्या का 50% एवं नागरिक वर्ग में जनप्रतिनिधियों के बराबर प्रतिनिधित्व दिया गया है।

अतः शोधकार्य के लिए चयनित प्रतिदर्श में जनप्रतिनिधि वर्ग के 100, कार्मिक वर्ग के 50 एवं नागरिक वर्ग के 100 इस प्रकार कुल 250 उत्तरदाताओं से साक्षात्कार अनुसूची के द्वारा समकों/जानकारी का संकलन कर शोध को वास्तविकता के तह तक पहुँचाने का प्रयास किया गया है। जनप्रतिनिधियों में वर्तमान एवं भूतपूर्व जिला प्रमुख, सरपंच, जिला परिषद् एवं पंचायत समिति सदस्य एवं पंच शामिल किये हैं, कार्मिक वर्ग में मुख्य कार्यकारी, उपमुख्य कार्यकारी, विकास अधिकारी, प्रसार अधिकारी (जिनमें शिक्षा, खादी, सहकारिता, पंचायत आदि), ग्रामसेवक, शिक्षक, अभियन्ता, परियोजना अधिकारी, लिपिक एवं लेखाधिकारी शामिल किये गये हैं। इसी प्रकार जन-सामान्य नागरिक वर्ग में सभी श्रेणी, आयु, जाति, वर्ग एवं शैक्षणिक स्तर के व्यक्तियों को प्रतिदर्श में सम्मिलित किया गया है। चयनित प्रतिदर्श में 40.00% जनप्रतिनिधि वर्ग, 20.00% कार्मिक वर्ग एवं 40.00% नागरिक वर्ग को चयनित किया गया है।

प्रतिदर्श चयन में महिलाओं को भी उचित प्रतिनिधित्व देते हुए समग्र उत्तरदाताओं में 21.20% महिला एवं 78.80% पुरुष उत्तरदाता हैं। जनप्रतिनिधि वर्ग में 77.00% पुरुष एवं

23 00% महिलाएँ हैं, कार्मिक वर्ग में 90 00% पुरुष एव 10 00% महिलाएँ तथा नागरिक वर्ग मे 75 00% पुरुष एव 25 00% महिला हैं।

अध्याय 6 . पचायती राज व्यवस्था अनुभवमूलक अध्ययन (प्रथम) उत्तरदाताओ की सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि इस अध्याय मे—जनप्रतिनिधि वर्ग में से दोनो व्यवस्थाओ से सम्बद्ध उत्तरदाताओ मे अनुसूचित जाति के 9 09%, जनजाति के 3 03%, अन्य पिछडा वर्ग के 33.33% एव वतमान व्यवस्था से सम्बद्ध जनप्रतिनिधियो में 25 37%, अनुसूचित जाति, 10 44% अनुसूचित जनजाति, 35 82% अन्य पिछडा वर्ग के उत्तरदाता है। अत· जनप्रतिनिधि वर्ग में पूर्व में सहवृत के आधार पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को प्रतिनिधित्व दिया जाता था जबकि नवीन अधिनियम मे आरक्षण के प्रावधान होन के कारण इन जातियो की सख्या मे वृद्धि हुई है। चयनित उत्तरदाताओ मे पूर्व व्यवस्था में अनुसूचित जाति का प्रतिशत 9 09% से बढकर 25 37%, अनुसूचित जनजाति में 3 03% से बढकर 10 44% एव अन्य पिछडा वर्ग मे 33 33% से घटकर 35 82% जनप्रतिनिधि चयनित हुे हैं। अत जनप्रतिनिधियो में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के सदस्यों में भागीदारी सुनिश्चित होने से जनप्रतिनिधिया की सख्या में वृद्धि हुई है। उत्तरदाताओं में से समग्र रूप में जाति वर्गीकरण में अनुसूचित जाति के 16 80%, अनुसूचित जनजाति के 8 80%, अन्य पिछडा वर्ग के 36 00% एव अन्य जाति के 38 40% उत्तरदाताओ को सम्मिलित करते हुए सभी जातिया के अभिमत प्राप्त करने का प्रयास किया गया है।

चयनित उत्तरदाताओ के आयु वर्ग में 18 से 30 वर्ष की आयु के 12.00%, 31 से 45 वर्ष तक के 35 20%, 46 से 60 वर्ष तक की आयु के 39 60% एव 60 वर्ष से अधिक की आयु के 13 20% उत्तरदाता लिये गये हैं। 1959 एव 73वें सविधान सशोधन अधिनियम के प्रारूपों का तुलनात्मक अध्ययन हेतु अधिक आयु वर्ग के उत्तरदाताओ का प्रतिशत 74 80% है। इस आयु वर्ग के उत्तरदाता दोनो व्यवस्थाओ से पूर्णत: जानकार हैं इसलिए इनके द्वारा दी जाने वाली सूचना तुलनात्मक दृष्टि से ज्यादा उपयोगी एव विश्वसनीय मानी जा सकती है।

उत्तरदाताओं के शैक्षणिक स्तर का विश्लेषण करने पर ज्ञात हुआ कि जनप्रतिनिधि वर्ग में पूर्व व्यवस्था में अशिक्षित जनप्रतिनिधियो का प्रतिशत 3 03% से बढकर वर्तमान व्यवस्था में 16 42% हो गया है। प्राथमिक स्तर तक की शिक्षा में 18 18% से बढकर 19 40%, माध्यमिक में 27 28% से बढकर 28 36% हुआ है। इसके साथ हो उच्च माध्यमिक तक की शिक्षा प्राप्त जनप्रतिनिधियो मे 21 21% से घटकर 13 13%, स्नातक स्तर की शिक्षा में 21 21% से घटकर 8 96% हो गया है। जबकि स्नातकोत्तर शिक्षा में 9 09% से बढकर 13 43% हुआ है। अत: जनप्रतिनिधि वर्ग मे नवीन अधिनियम के पश्चात् अशिक्षित जनप्रतिनिधियो की सख्या मे 13 39% की वृद्धि हुई है जबकि स्नातकोत्तर शिक्षा प्राप्त जनप्रतिनिधियो में 4 34% की ही वृद्धि हुई है।

जनप्रतिनिधियो के चयन हेतु नवीन अधिनियम के प्रावधानो में शैक्षणिक अर्हता नहीं रखी गयी है। अत. अब आरक्षण के कारण अशिक्षित जनप्रतिनिधियो की सख्या मे वृद्धि हो रही है जबकि पूर्व मे अधिकाश शिक्षित जनप्रतिनिधि हो चयनित होते थे। अत: पचायतराज सस्थाओ को एक तरफ पर्याप्त स्वायत्तता देने के उद्देश्य से उनके अधिकार एव शक्तियों में वृद्धि की जा रही है जबकि दूसरी तरफ अशिक्षित जनप्रतिनिधियो की सख्या में वृद्धि होना

इन सस्थाओ की सफलता पर प्रश्न-चिह्न लगाता है ? अत पचायती राज की सफलता के लिए जनप्रतिनिधियों के चयन की अर्हता के रूप में शैक्षणिक स्तर की अर्हता की अनिवार्यता रखा जाना उचित प्रतीत होता है जनप्रतिनिधि वर्ग मे निम्न शिक्षा प्राप्त व्यक्ति प्रशासकीय नियम-प्रक्रिया समझने मे असमर्थ रहते हैं जबकि लोकसेवक उच्च शिक्षा प्राप्त होते हैं। अत लोकसेवको एव जनप्रतिनिधियो के बीच शैक्षणिक स्तर मे अत्यधिक अन्तर होने के फलस्वरूप राजनीतिक एव प्रशासनिक सम्बन्धो मे कटुता उत्पन्न हो जाती है तथा द्वन्द्व-युद्ध की सम्भावना बनी रहती है।

प्रतिदर्श मे सम्मिलित समग्र उत्तरदाताओ के शैक्षणिक स्तर के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि उनमे से 10 00% अशिक्षित, 14 00% प्राथमिक 19 20% माध्यमिक 15 20% उच्च माध्यमिक, 18 40% स्नातक, [redacted] 20% स्नातकोत्तर स्तर तक की शिक्षा प्राप्त उत्तरदाताओ को क्षेत्रीय कार्य हेतु चयनित किया गया है।

उत्तरदाताओ मे से 91 20% विवाहित, 4 00% अविवाहित 1 60% विधवा एव 3 20% विदुर है। चयनित उत्तरदाताओ मे समग्र रूप से उनके परिवार के आकार एव उनके बच्चों की जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि इनमे से 46 80% के परिवार एकाकी एव 53 20% के परिवार सयुक्त हैं। इसके साथ ही 11 20% उत्तरदाताओ के एक बच्चा 21 60% के दो बच्चे, 23 60% के तीन बच्चे, 36 40% के तीन से अधिक बच्चे हैं जबकि 7 20% उत्तरदाता सन्तानहीन है।

परिवार के स्वरूप मे विश्लेषण से एक तथ्य यह उजागर हुआ कि कार्मिक एव नागरिक वर्ग मे सयुक्त परिवारो का प्रतिशत क्रमश 62 एव 54 प्रतिशत रहा है जबकि जनप्रतिनिधि वर्ग मे सयुक्त परिवारो का प्रतिशत 32 ही है। इसके साथ ही जनप्रतिनिधि वर्ग मे भी स्थिति विचित्र देखने को मिली है जो जनप्रतिनिधि दोनो व्यवस्थाओ से सम्बद्ध है उनमे सयुक्त परिवारो का प्रतिशत 42 42% एव एकाकी परिवारो का प्रतिशत 57 58% है जबकि वर्तमान व्यवस्था से सम्बद्ध जनप्रतिनिधियो मे सयुक्त परिवारो का प्रतिशत 26 87 एव एकाकी परिवारो का प्रतिशत 73 13% है। अत परिवारो के स्वरूप विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि व्यक्ति जैसे-जैसे प्रगति के पथ पर अग्रसर हो रहा है सयुक्त परिवार विभाजित होकर एकाकी परिवारो में तब्दील होते जा रहे हैं।

उत्तरदाताओ में जनप्रतिनिधि वर्ग के उत्तरदाताओ के परिवारो मे औसत सदस्यो की सख्या 8 है, कार्मिक वर्ग में 7 एव जनसामान्य नागरिक वर्ग मे औसत सदस्यो की सख्या 9 है।

उत्तरदाताओ के परिवारो की कुल सदस्य सख्या मे कमाने वाले सदस्यों की सख्या का आकलन करने पर ज्ञात हुआ कि जनप्रतिनिधि वर्ग मे 21 39% कार्मिक वर्ग मे 27 20% एव नागरिक वर्ग मे 26 36% सदस्य कमाने वाले हैं। इस प्रकार समग्र रूप से उत्तरदाताओ के परिवार के सदस्यो में से [redacted] 53% ही कमाते हैं अर्थात् दूसरे शब्दो में यह कह सकते हैं कि लगभग 75 00% सदस्य आश्रित/बेरोजगार हैं। अत उत्तरदाताओ के परिवारो मे कमाने वाले सदस्यो का प्रतिशत कम ही है।

उत्तरदाताओ के व्यवसाय के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि सर्वाधिक 32 40% उत्तरदाता कृषि व पशुपालन पर निर्भर है जबकि 22 80% नौकरी, 18 40% व्यापार, 14 00% मजदूरी एव 12 40% अन्य कार्य करते हैं।

व्यक्ति की सामाजिक, आर्थिक एव वैचारिक पृष्ठभूमि को प्रभावित करने वाले कारको मे आय एक महत्त्वपूर्ण कारक है। आधुनिक समय में समाज व्यक्ति के गुणदोषो का मूल्याकन उसकी आय के दर्पण में करता है। व्यक्ति की आय के आधार पर उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि एव प्रतिष्ठा बनती और बिगडती है और व्यक्ति के आचरण-व्यवहार एव विचारो को प्रभावित करने वाला महत्त्वपूर्ण कारक आय है। सामाजिक शोध के लिए उसकी आय की जानकारी करना आवश्यक हो जाता है। उत्तरदाताओ में समग्र रूप से उनके आय विश्लेषण से ज्ञात हुआ है कि चयनित उत्तरदाताओ में से 27 60% की वार्षिक आय 50 हजार से कम, 23 20% की 50 हजार से 1 लाख रु, 20 80% को 1 लाख से 1 50 लाख रु, 14 00% को 1 50 से 2 लाख रु, 6 80% की 2 से 2 50 लाख रु एव 6 00% को 2.50 लाख रु से अधिक की वार्षिक आय होना अवगत करवाया है जबकि 1 60% ने अपनी वार्षिक आय की जानकारी उपलब्ध नहीं करवायी है। अतः वार्षिक आय समूह में 50 हजार तक की आय वाले उत्तरदाताओ का प्रतिशत 27 60% है जबकि 2 50 लाख से अधिक की वार्षिक आय वाले उत्तरदाताओ का प्रतिशत 6 00 है।

चयनित उत्तरदाताओ में 32 40% उत्तरदाताओ का मुख्य व्यवसाय कृषि एव पशुपालन रहा है इसलिए कृषि भूमि की जानकारी करने पर सिचित क्षेत्रफल के बारे में अवगत करवाया गया कि उनमे से 20% के पास 10 बीघा तक, 21 20% के पास 11 से 20 बीघा, 12 80 के पास 21 से 30 बीघा, 4 40% के पास 31 से 40 बीघा, 6 80% के पास 41 से 50 बीघा, एव 11 20% के पास 51 बीघा से अधिक का कृषि भूमि सिचित क्षेत्रफल है। जबकि 23 60% के पास सिचित कृषि भूमि नहीं है। इसके साथ ही असिचित कृषि भूमि में 4 40% के पास 10 बीघा तक, 9 20% के पास 11 से 20 बीघा, 7 60% के पास 21 से 30 बीघा, 2 00% के पास 41 से 50 बीघा एव 3 60% के पास 51 बीघा से अधिक की कृषि भूमि असिचित है।

अतः उत्तरदाताओ मे जनप्रतिनिधि वर्ग में जो दोनो व्यवस्थाओ से सम्बद्ध है। जनप्रतिनिधि है उनमे शत-प्रतिशत के पास कृषि भूमि है जबकि वर्तमान व्यवस्था से सम्बद्ध जनप्रतिनिधियो मे से 7 46% के पास, कार्मिक वर्ग में से 44 00% के पास एव नागरिक वर्ग में से 14 00% के पास कृषि भूमि बिल्कुल भी उपलब्ध नहीं है।

ग्रामीण क्षेत्रो मे कृषि भूमि उसके सम्मान व आय मे महत्त्वपूर्ण स्थान रखती है। कृषि भूमि कृषक का जीविकोपार्जन माध्यम तो है ही साथ ही कृषि उत्पादन से देश की अर्थव्यवस्था भी प्रभावित होती है। उत्तरदाताओ से कृषि भूमि को सिचाई के साधनों की जानकारी करने पर उनमे से 14 80% ने कुओ से, 26 80% ने पम्पसैट, 22 80% ने नहर, 12 80% ने नहर व पम्पसैट दोनो तरह के सिचाई स्रोत अवगत करवाये हैं। शेष 23 60% उत्तरदाताओं के पास सिचाई का कोई साधन नहीं है। अतः इनकी कृषि मानसून पर निर्भर रहती है। चयनित उत्तरदाताओ मे से अधिकाश उत्तरदाता नहर तथा पम्पसैट से कृषि भूमि की सिचाई करते हैं। उत्तरदाताओ की सामाजिक एव आर्थिक पृष्ठभूमि की सक्षिप्त जानकारी के

पश्चात् पचायती राज संस्थाओं के सगठन एव कार्यकरण के सम्बन्ध में उत्तरदाताओ से प्राप्त अभिमतो का विश्लेषण किया जा रहा है।

अध्याय 7 पचायती राज व्यवस्था अनुभवमूलक अध्ययन (द्वितीय) सगठन एवं कार्यकरण इस अध्याय मे पचायती राज सस्थाओ मे ग्रामसभा/वार्डसभा ग्राम पचायत पचायत समिति एव जिला परिषद् के सगठन एव कार्यकरण के बारे में उत्तरदाताओ से जानकारी करने पर जो अभिमत दिये हैं उनका विश्लेषण आगे दिया गया है। पचायती राज में विकास का काम सक्षमता की दृष्टि से चार स्तरो पर इस प्रकार बाँट दिया गया है कि ग्रामीण विकास का दायित्व सरकार से हटाकर जनता द्वारा चुनी गई स्थानीय सस्थाओ के हाथो मे आ गया है। पचायती राज व्यवस्था के लिए अधिनियम 1959 में त्रिस्तरीय व्यवस्था ग्राम पचायत पचायत समिति एव जिला परिषद् का प्रावधान रखा गया था लेकिन 73वे सविधान सशोधन अधिनियम के पश्चात् चतु स्तरीय व्यवस्था करते हुए ग्राम की एक सक्षम इकाई के रूप में ग्रामसभा के गठन का भी प्रावधान किया गया है। अत अब ग्रामसभा ग्राम पचायत पचायत समिति एव जिला परिषद् को एक सवैधानिक इकाई के रूप मे स्वायत्तता प्रदान कर स्थानीय शासन की जिम्मेदारी सौंपी गयी है। विकेन्द्रीकरण की व्यवस्था मे जनता अपने विकास एव कल्याणकारी कार्यों के लिए शासन पर निर्भर न रहकर स्वय अपने ससाधनों से कार्य पूरा करने के लिए तत्पर रहेगी क्योकि उसके पास सत्ता होगी अधिकार होगे तथा उसको उपयोग करने की शक्ति भी होगी।

शोधकार्य हेतु साक्षात्कार किये गये उत्तरदाताओ मे से 45 20% ने पचायती राज सस्थाओ का चुनाव लडा है जबकि 54 80% ने चुनाव नहीं लडा। जिन उत्तरदाताओ ने चुनाव लडा है उनमें से 56 64% ने जिला परिषद् का 31 86% ने पचायत समिति एव 11 50% ने जिला परिषद् का चुनाव लडा है। जिन उत्तरदाताओ ने पचायती राज सस्थाओ का चुनाव लडा है उनमे से 95 58% ने चुनाव जीता है जबकि 4 42% ने चुनाव में हारना अवगत करवाया है।

उत्तरदाताओ को राजनीतिक पृष्ठभूमि की जानकारी करने की दृष्टि से वर्तमान चुनाव के अलावा पूर्व मे भी चुनाव लडने सम्बन्धी जानकारी करने पर जनप्रतिनिधियो मे शत प्रतिशत एव नागरिको में 13 00% ने पूर्व मे भी चुनाव करवाया है। उन उत्तरदाताओ से वर्तमान एव पूर्व की चुनाव व्यवस्था एव प्रक्रिया की जानकारी करने पर उनमे से 61 06% ने पूर्ववर्ती चुनाव व्यवस्था को अच्छी बतलाया है जबकि 38 94% ने वर्तमान चुनाव व्यवस्था अच्छी बताने वाले उत्तरदाताओ की सख्या अधिक रही है।

चुनाव व्यवस्था व प्रक्रिया के समर्थन मे सहमति के कारण

पचायती राज सस्थाओ को सवैधानिक दर्जा एव स्वायत्तता देने के पश्चात् इन सस्थाओ की चुनाव प्रक्रिया एव व्यवस्था के सम्बन्ध मे उत्तरदाताओ ने जो अभिमत व्यक्त किया है उनमे से 71 15% ने सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित होना 48 08% ने पचायती राज सस्थाओ को स्वायत्तता एव अधिकार सम्पन्न होना 10 58% ने दलीय आधार पर चुनाव होना 18 27% ने चुनावो की समयावधि निश्चित होना 19 23% ने चुनावो मे भुजबल व आतकवाद का कम होना 36 54% ने आरक्षण से महिलाओ की भागीदारी मे वृद्धि होना

6 73% ने सीमित परिवार की अर्हता होना, 8 65% ने सस्था प्रधानो की चुनाव प्रक्रिया का सरलीकरण होना, 3 85% ने सवैधानिक रूप से सत्ता का विकेन्द्रीकरण होना आदि कारणों से वर्तमान चुनाव व्यवस्था एव प्रक्रिया को सही मानते हुए सहमति व्यक्त की है।

चुनाव व्यवस्था व प्रक्रिया से असहमति के कारण

पचायती राज सस्थाओ के चुनाव व प्रक्रिया के सम्बन्ध मे जहाँ उत्तरदाताओ ने पक्ष में अभिमत प्रकट किया है वहीं दूसरी तरफ चुनाव व्यवस्था व प्रक्रिया मे कमियाँ महसूस करते हुए वर्तमान चुनाव व्यवस्था व प्रक्रिया के विपक्ष में भी अपने अभिमत प्रकट किये हैं। चयनित उत्तरदाताओ मे से जनप्रतिनिधि वर्ग के 58 00%, कार्मिक वर्ग के 16 00% एवं नागरिक वर्ग मे [illegible] 00% उत्तरदाताओ ने वर्तमान चुनाव व्यवस्था व प्रक्रिया से असन्तुष्टि जाहिर की है। इन उत्तरदाताओ मे से 54 79% उत्तरदाताओ ने पचायतीराज सस्थाओ में आपस मे सामजस्य का अभाव होना, 35 16% ने आरक्षण से योग्य एव अनुभवी जनप्रतिनिधियो का चयन न होना, 11 72% ने पचायत समिति एव जिला परिषद् सदस्यो की प्रभावहीन भूमिका रहना, 28 91% ने नौकरशाही का हावी होना, 13 28% ने दलगत राजनीति को बढावा मिलना, 14 06% ने चुनावो मे खर्चा अधिक होना, 30 47% ने जनता को न्याय न मिलना, 4 69% ने प्रधान/प्रमुखो के चुनावो मे खरीद-फरोख्त होना, 3 13% ने सस्था प्रधानो के आरक्षण को अनुचित एव 14 06% ने जनता के प्रति जवाबदेयता का अभाव आदि कारणो से अवगत करवाया है। वर्तमान चुनाव असहमति के मुख्य कारण पचायती राज सस्थाओ मे आपसी तालमेल एव समन्वय का अभाव होना तथा आरक्षण के कारण अशिक्षित एव अनुभवहीन जनप्रतिनिधियो का चयन अधिक होना माना है।

पंचायती राज अधिनियम, 1959 के प्रारूप में कमियों के सम्बन्ध में प्रतिक्रिया

पचायती राज अधिनियम, 1959 से लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण की आधारशिला रखी गई और पचायती राज सस्थाओ मे त्रिस्तरीय व्यवस्था का सूत्रपात किया गया। लेकिन कुछ कमियो के कारण पचायती राज सस्थाओ को वास्तव मे उपलब्धियाँ अर्जित नहीं हो सकीं। उत्तरदाताओ के अभिमत से पचायती राज अधिनियम, 1959 मे जो कमियाँ अवगत करवायी है उनमे 42 65% उत्तरदाताओं ने चुनाव की निश्चित समयावधि की बाध्यता का न होना, 11 37% ने पर्याप्त स्वायतता का अभाव, 31 28% ने आरक्षण के अभाव से जनसामान्य की भागीदारी का न होना, 12 32% ने सहवृत सदस्यो के लिए जाने से निर्णय प्रभावित होना, 9 00% ने महिलाओ की भागीदारी का अभाव रहना, 26 54% ने पचायतो का अधिकार विहीन रहना, 27 01% ने प्रभावशाली व्यक्तियो का वर्चस्व रहना, 25 59% ने पचायती राज सस्थाओ मे वित्त का अभाव रहना, 3 32% ने सदस्यो के निर्वाचन हेतु अर्हता न होना, 12 32% ने प्रशासनिक अधिकारो के अभाव मे जवाबदेयता सुनिश्चित न होना, 1 42% ने अविश्वास प्रस्ताव के कमी, 2 84% ने न्यायिक अधिकारो को न्यायालय में चुनौती दिया जाना 14 69% ने जनप्रतिनिधियो के लिए शैक्षणिक अर्हता का अभाव आदि कारको के कारण अधिनियम मे खामियाँ अवगत करवायी है।

73वें संविधान संशोधन अधिनियम की आवश्यकता के सम्बन्ध मे अभिमत

पूर्व पचायती राज अधिनियम 1953 व 1959 मे हालाकि त्रिस्तरीय पचायत व्यवस्था को स्थापित कर ग्राम स्तर की सशक्त इकाई के रूप मे ग्राम पचायत की स्थापना की गयी लेकिन जैसा कि पूर्व में उल्लेख किया गया है कि अधिनियम के प्रारूप मे कुछ कमियाँ रह गयी थीं जिनको वास्तविक लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण के लिए दूर करना आवश्यक एव उपयुक्त समझा गया इसलिए 1959 के अधिनियम की कमियो को दूर करने एव पचायती राज सस्थाओ को शक्तिशाली बनाने के लिए सविधान मे 73वाँ सशोधन किया गया। इस सम्बन्ध मे उत्तरदाताओ की प्रतिक्रिया जानने पर 65 20% उत्तरदाताओ ने 73वें सविधान सशोधन अधिनियम मे पूर्व अधिनियम की कमियो को दूर करना एव 34 80% ने कमियो को दूर नहीं किया जाना अवगत करवाया है।

पचायती राज अधिनियम 1994 मे पूर्व अधिनियम 1959 की कमियो को दूर करने के सम्बन्ध में जिन 65 20% उत्तरदाताओ ने अभिमत दिया है उनसे यह जानकारी करने की कोशिश की गई कि नवीन अधिनियम 1994 में पूर्व अधिनियम की कमियों को कैसे एव किस प्रकार दूर किया गया है इसके प्रत्युत्तर मे 53 99% उत्तरदाताओ ने आरक्षण के माध्यम से सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व दिया जाकर जनभागीदारी मे वृद्धि करना 19 63% ने राज्य वित्त आयोग का गठन एव पचायती राज सस्थाओ को अधिक वित्त उपलब्ध करवाकर सुदृढता प्रदान करना 27 61% ने पचायती राज सस्थाओ को पर्याप्त स्वायत्तता दिया जाना 28 83% ने राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा सवैधानिक रूप से निर्धारित समयावधि में चुनाव करवाया जाना 4 91% ने स्थायी समितियो के सदस्यो को अधिक अधिकार प्रदान करना 11 04% ने पचायती राज सस्थाओ में चुनाव लडने वाले सदस्य हेतु अर्हताएँ निर्धारित कर क्रियान्वित किया जाना 12 88% ने सवैधानिक दर्जा दिया जाना 4 91% ने पचायती राज सस्थाओ मे सस्था अध्यक्षो के चुनाव प्रक्रिया मे परिवर्तन कर उसे व्यावहारिक रूप मे क्रियान्वित किया जाना आदि उपायो की आवश्यकता से अवगत करवाया है।

नवीन पचायती राज अधिनियम 1994 मे पूर्व पचायती राज प्रारूप की कमियो को दूर करने का भरसक प्रयत्न किया गया है लेकिन नवीन अधिनियम मे भी 34 80% उत्तरदाताओ ने कमियाँ रहना अवगत करवाया है। इन उत्तरदाताओ का मानना है कि नवीन अधिनियम मे भी कई ऐसे महत्वपूर्ण बिन्दुओ की अनदेखी की गई है जिससे पचायती राज सस्थाओ की कार्यप्रणाली प्रभावित होती है। जिन उत्तरदाताओ ने नवीन व्यवस्था मे कमियाँ रहना अवगत करवाया है उनमें से 71 26% का अभिमत है कि पचायती राज सस्थाओ मे आपसी समन्वय एव सामजस्य का अभाव हो गया है 44 82% ने आरक्षण प्रावधानो की अधिकता से योग्य अनुभवी एव जागरूक जनप्रतिनिधियो के नहीं चुने जाने से विकास कार्यों का अवरुद्ध होना तथा साथ ही जातिवाद को बढावा मिलना 55 82% ने वास्तविक रूप मे पचायती राज सस्थाओ को प्रशासनिक अधिकारो का नहीं मिलना 50 57% ने सरपचो की निरकुशता एव अधिकारो का दुरुपयोग किया जाना 17 24% ने महिलाओ के एक तिहाई आरक्षण को केवल जनप्रतिनिधियो मे महिलाओ की सख्या बढाने मात्र तक ही माना जा सकना 25 28% ने जनप्रतिनिधियो के लिए शैक्षणिक योग्यता को चुनाव लडने की अर्हता मे न रखा जाना

40 22% ने जिला परिषद् एव पचायत समिति सदस्यो का अधिकार विहीन रहना, 3 44% ने सामान्य वार्ड से आरक्षित वर्ग के व्यक्ति को चुनाव लड़ने की छूट से सामान्य वर्ग के अधिकारों पर कुठाराघात करना, 20 68% ने सम्पूर्ण नवीन चुनाव प्रक्रिया को ही दोषपूर्ण माना, 12.64% ने पचायती राज सस्थाओं में दलीय आधार पर चुनावों से ग्रामों में द्वेष एव मनमुटाव व गुटबदी को बढावा दिया जाना स्वीकारा, 6 90% ने अध्यक्षों के पदो को लॉटरी प्रणाली द्वारा आरक्षित किया जाना अव्यावहारिक तरीका बताया। 18 39% ने निर्वाचन क्षेत्रों के लिए चक्रानुक्रम आरक्षण को सही नहीं माना, 5 74% ने उपप्रधान/उप-जिला प्रमुख को अधिकार विहीन रखना, 13 79% ने ग्रामसभा के निर्णयो के क्रियान्वयन की बाध्यता के प्रावधानो का न होना, 16 89% ने जनप्रतिनिधियों के लिए व्यावहारिक प्रशिक्षण की उचित व्यवस्था का अभाव आदि कारकों के कारण नवीन पचायती राज अधिनियम को भी पूर्णरूप से उपयुक्त नहीं माना है।

नवीन पचायती राज अधिनियम, 1994 पचायती राज सस्थाओ के लिए एक उचित कदम है लेकिन पर्याप्त नहीं है क्योंकि राज्य सरकार द्वारा किया गया विकेन्द्रीकरण वस्तुत. ऊपर से आरोपित है। अत. पूर्ण रूप से विकेन्द्रीकरण के लिए केन्द्र व राज्यस्तरीय नेताओं की राजनीतिक इच्छा-शक्ति बहुत परमावश्यक है। जब तक राजनीतिक इच्छा-शक्ति का अभाव होगा, इन सस्थाओ को भले ही सवैधानिक स्तर मिल जाये, ये सस्थाएँ राज्य सरकार की एजेन्सी मात्र ही बनी रहेगी। अतः इस समय आवश्यकता इस बात की है कि विभिन्न मचो/सगठनो के द्वारा जनता को विकेन्द्रीकृत शासन व विकास के सम्बन्ध में जागृत किया जाये।

निर्वाचन क्षेत्र (वार्ड) के आरक्षण के बारे में प्रतिक्रिया

73वें सविधान सशोधन अधिनियम में निर्वाचन क्षेत्र (वार्ड) के आरक्षण प्रावधान के सम्बन्ध में कुल उत्तरदाताओ में से 69 60% ने सहमति एव 30 40% ने असहमति जाहिर की है। उत्तरदाताओ को श्रेणीवार विश्लेषण किया जावे तो दोनो व्यवस्थाओं से सम्बद्ध जनप्रतिनिधियो मे 63 64% ने असहमति एव केवल 36 36% ने सहमति व्यक्त की है जबकि वर्तमान व्यवस्था से सम्बद्ध जनप्रतिनिधियो में 70 15% ने सहमति एवं केवल 29 85% ने असहमति व्यक्त की है। इस प्रकार जनप्रतिनिधि वर्ग में वर्तमान व्यवस्था एव दोनो व्यवस्थाओ से सम्बद्ध जनप्रतिनिधियों के विचारो में एक-दूसरे के विपरीत स्थितियों में अभिव्यक्ति हुई है। अर्थात् वार्ड आरक्षण को वर्तमान जनप्रतिनिधि वर्ग के अधिकांश उत्तरदाता 70 15% उचित मानते हैं वहीं दूसरी ओर दोनो व्यवस्थाओ से सम्बद्ध जनप्रतिनिधियो में 63 64% उत्तरदाता इसे अनुचित मान रहे हैं।

कार्मिक वर्ग के उत्तरदाताओ में से दो-तिहाई उत्तरदाताओ ने सहमति एव एक-तिहाई उत्तरदाताओ ने असहमति प्रकट की है। वार्ड आरक्षण का प्रावधान पूर्व के पचायतीराज प्रारूप व अधिनियम में नहीं था।

वार्ड आरक्षण को जिन 174 (69 60%) उत्तरदाताओ ने उचित बताया है। इसके समर्थन मे उनमे से [redacted] 03% उत्तरदाताओ ने कमजोर, पिछडे वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाओ के लिए आरक्षित वार्ड होने से उनके प्रतिनिधियो के चयन

होने के कारण जनसहभागिता मे वृद्धि होना एव 12 07% ने ग्रामो मे अधिक विकास कार्य होना अवगत करवाया है।

वार्ड आरक्षण को जिन 76 (30 40%) उत्तरदाताओ ने अनुचित बताया है। उन उत्तरदाताओ में से 44 74% ने जन इच्छा के अनुरूप जनप्रतिनिधियो का चयन न हो पाना 18 42% ने विकास कार्यों पर विपरीत प्रभाव पडना 10 53% ने सामान्य वर्ग को चुनाव में भागीदारी कम होना 14 47% ने महिलाओ के अधिक आरक्षण से पचायती राज सस्थाओ के वास्तविक उद्देश्यो की प्राप्ति न हो पाना 10 42% ने निष्ठावान नेतृत्व का अभाव रहना 36 84% आरक्षण की अधिकता एव लॉटरी द्वारा आरक्षण व्यवस्था का उचित नहीं मानते हुए वार्ड आरक्षण के बारे मे असहमति जाहिर की है।

चुनाव अवधि के बारे मे प्रतिक्रिया

पचायती राज सस्थाओ के चुनाव की अवधि के बारे में अनिश्चितता से उत्तरदाताओ ने अवगत करवाया है। उत्तरदाताओ मे से 38 00% ने 3 वर्ष मे पूर्व में चुनाव होना 30 80% ने 5 वर्ष मे चुनाव होना एव 31 20% ने अनियमित रूप से चुनाव होना अवगत करवाया है। अत अब नवीन अधिनियम के अन्तर्गत सवैधानिक रूप से 5 वर्ष की समयावधि निर्धारित कर राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा समय पर चुनाव करवाये जाने की निश्चित व्यवस्था की गयी है जबकि पूर्व मे पचायती राज सस्थाओ के चुनावो की समयकारी सवैधानिक बाध्यता नहीं थी। सरकार अपनी इच्छानुसार कभी भी चुनाव करवा सकती थी।

सरपच व प्रधान को पचायत समिति एव जिला परिषद् का सदस्य बनाने के बारे मे प्रतिक्रिया

ग्राम पचायत के सरपच एव पचायत समिति के प्रधान को पचायत समिति एव जिला परिषद् का सदस्य बनाये जाने के बारे मे उत्तरदाताओ मे से जनप्रतिनिधि वर्ग के 89 00% कार्मिक वर्ग के शत-प्रतिशत एव नागरिक वर्ग में 78 00% इस प्रकार कुल 86 80% उत्तरदाताओ ने सदस्य बनाये जाने के बारे में अभिमत प्रकट किया है। शेष 1[illegible] 40% ने इसके विपरीत अभिमत प्रकट किया है एव 2 80% ने इस बारे मे कोई राय प्रकट नहीं की है। अत अधिकाश उत्तरदाताओ के अभिमत के आधार पर सरपच व प्रधान को पचायत समिति एव जिला परिषद् का मताधिकार के साथ सदस्य बनाया जाना व्यावहारिक एव व्यवस्थानुकूल प्रतीत होता है।

सीमित परिवार (दो बच्चो का प्रावधान) का नियम चुनाव लड़ने की योग्यता से जोड़े जाने सम्बन्धी प्रावधान पर प्रतिक्रिया

पचायती राज सस्थाओ के लिए 73वे सविधान सशोधन अधिनियम के द्वारा दो से अधिक सन्तान वाले व्यक्तियो को चुनाव लडने के अयोग्य घोषित करने सम्बन्धी प्रावधान के बारे मे जनप्रतिनिधि वर्ग के 94 00% कार्मिक वर्ग के 90 00% एव नागरिक वर्ग के 88 00% उत्तरदाताओ ने सीमित परिवार के नियम को उचित कदम बतलाया है।

अत समग्र श्रेणी के उत्तरदाताओ मे से 90 80% ने सीमित परिवार के नियम को सही एव केवल 9 20% ने ही गलत बतलाया है।

पचायती राज सस्थाओ में चुनाव लडने हेतु नवीन अधिनियम मे सीमित परिवार के नियम होने से इन सस्थाओ के चुनावो पर पडने वाले प्रभावो की उत्तरदाताओ से जानकारी करने पर उनमें से 78 00% ने परिवार नियोजन के प्रति जागरूकता बढना तथा जनसख्या पर नियन्त्रण होना अवगत करवाया है जबकि 22 00% ने अच्छे एव अनुभवी लोगो द्वारा चुनाव नहीं लड पाना अवगत करवाया है। अत इस नियम के पक्ष मे 78 00% ने एव विपक्ष में 22 00% ने अभिमत दिया है। अतः यह प्रावधान उचित कहा जा सकता है।

पंचायती राज संस्थाओं की बैठकों के सम्बन्ध में प्रतिक्रिया

उत्तरदाताओ से ग्रामसभा, ग्राम पचायत पचायत समिति एव जिला परिषद् स्तर पर आयोजित होने वाली बैठको मे भाग लेने सम्बन्धी जानकारी करने पर चयनित उत्तरदाताओ मे से 80 00% उत्तरदाताओ ने आयोजित बैठको में भाग लेना एव 20 00% ने भाग नहीं लेना अवगत करवाया है। बैठको म नागरिक वर्ग म से 55 00% ने भाग लेना एव 45 00% ने भाग नहीं लेना पाया गया है।

उत्तरदाताओ से इन बैठको की नियमितता के बारे में जानकारी करने पर जनप्रतिनिधि वर्ग मे से 94 00% कार्मिक वर्ग मे 82 00% एव नागरिक वर्ग में केवल 40 00% उत्तरदाताओ ने नियमित बैठको का होना अवगत करवाया है जबकि जनप्रतिनिधि वर्ग के 6 00% कार्मिक वर्ग के 18 00% एव नागरिक वर्ग के 60 00% उत्तरदाताओ ने बैठको का नियमित आयोजित नहीं होना अवगत करवाया है।

चयनित उत्तरदाताओ से बैठके नियमित आयोजित नहीं होने के कारणो की जानकारी प्राप्त करने पर उनमे से 4 00% ने वार्षिक कलेण्डर का अभाव, 56 00% ने राजनैतिक विरोध से बचने के लिए, 42 67% ने अविश्वास प्रस्ताव से बचने के लिए, 53 33% ने सरपच की तानाशाही एव गाँव वालो की रुचि का अभाव, 17 33% ने नियन्त्रण का अभाव एव 16 00% ने जनप्रतिनिधियों मे अशिक्षित एवं अनुभवहीनता होने आदि कारणो से बैठको का नियमित रूप नहीं होना अवगत करवाया हैं।

बैठको मे सरकारी अधिकारियो एव जनप्रतिनिधियो की उपस्थिति 73वें सविधान अधिनियम से पूर्व एव पश्चात् से प्रतिक्रिया जानने पर जो दोनो व्यवस्था से सम्बन्धित जनप्रतिनिधि है उनमे से नवीन अधिनियम पूर्व सरपच के बारे में 72 73% एव पश्चात् में 63 64%, प्रधान के बारे में पूर्व में 36 36% एव पश्चात् में 45 45%, विकास अधिकारी की पूर्व एवं पश्चात् में समान स्थिति 27 27%, प्रमुख के बारे मे पूर्व मे 9 09% पश्चात् में 18 18% ग्रुप सचिव पूर्व मे 63 64% एव पश्चात् में 54 54%, ने अभिमत व्यक्त किया हैं अर्थात् सचिव एव सरपच का अधिनियम से पूर्व बैठको मे भाग लेने का प्रतिशत अधिक है जबकि अधिनियम के पश्चात् कम हुआ है, प्रधान एव प्रमुख की भागीदारी पूर्व के मुकाबले से वर्तमान में अधिक हुई है तथा विकास अधिकारी की स्थिति समान रही है।

वर्तमान व्यवस्था से सम्बद्ध जनप्रतिनिधियो के अभिमत से अधिनियम से पूर्व एव पश्चात् मे सरपच के बारे मे पूर्व मे 38 81% एव पश्चात् मे 46 67%, प्रधान के बारे में पूर्व में 23 39% एव पश्चात् में 53 73%, विकास अधिकारी के बारे मे पूर्व मे 22.39% एव पश्चात् मे 53 73%, विकास अधिकारी के बारे मे पूर्व मे 22 39%, एव वर्तमान में 46 27%, प्रमुख

के बारे में पूर्व मे 23 88% एव पश्चात् मे 31 34% ने अभिमत प्रकट किया है अर्थात् इन जनप्रतिनिधियो की राय मे सभी अधिकारियो एव जनप्रतिनिधियो की भागीदारी में वृद्धि होना पाया गया है।

कार्मिक वर्ग के उत्तरदाताओ के अभिमत से सरपच एव ग्राम सचिव की भागीदारी में कमी आना एव प्रधान विकास अधिकारी एव प्रमुख की भागीदारी मे वृद्धि होना अवगत करवाया है।

जनसामान्य वर्ग मे अधिनियम से पूर्व एव पश्चात् सरपच के बारे मे पूर्व मे 73 00% एव पश्चात् मे 85 00% प्रधान के बारे में पूर्व मे 25 00% एव पश्चात् 26 00% विकास अधिकारी के बारे मे समान विचार 25 00% प्रमुख के बारे मे पूर्व मे शून्य एव पश्चात् मे 60 00% ग्राम सचिव पूर्व मे 13 00% एव पश्चात् मे 80 00% ने अभिमत प्रकट किये हैं।

अत बैठको मे अधिकारियो एव जनप्रतिनिधियो के भाग लेने के बारे मे उत्तरदाताओं के उत्तर विश्लेषण से ज्ञात होता है कि दोनो व्यवस्था से सम्बद्ध जनप्रतिनिधियो एव कार्मिक वर्ग के विचारो मे समानता पायी गयी है जबकि दूसरी तरफ वर्तमान व्यवस्था से सम्बद्ध जनप्रतिनिधियो एव नागरिको के अभिमत से समानता पाया गयी है। सरकारी अधिकारियो एव जनप्रतिनिधियो की बैठको मे भागीदारी मे वृद्धि तो हुई है लेकिन आशानुकूल नहीं रही है।

सरकारी अधिकारियो एव जनप्रतिनिधियो के बैठको मे भाग नहीं लेने पर उनके विरुद्ध कार्यवाही करने के सम्बन्ध मे जानकारी करने पर केवल 24 00% ने कार्यवाही की जाना अवगत करवाया है जबकि केवल 71 20% के अभिमत से कोई कार्यवाही नहीं की जाती है शेष 4 80% ने प्रत्युत्तर नहीं दिया है।

पचायती राज सस्थाओ मे उत्तरदाताओ से पद लेने के सम्बन्ध मे जानकारी करने पर उनमे से 49 20% ने पद लेने की एव 46 00% ने पद नहीं लेने की इच्छा जाहिर की है शेष 4 80% ने इस सम्बन्ध मे कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की है। जिन उत्तरदाताओ ने पद चाहने की इच्छा जाहिर की है उनमे से पद की लालसा के कारणो मे 88 62% ने क्षेत्र के विकास एव जनसेवा के लिए, 13 00% ने प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए, 13 00% ने राजनीतिक इच्छा शक्ति के कारण 4 88% ने समाज को शिक्षित करने एव विकास योजनाओं का लाभ दिलाने हेतु, 14 63% ने अनियमितताओ पर रोक लगाने आदि कारणो से पचायती राज सस्थाओ में पद लेने की इच्छा जाहिर की है।

न्याय पचायत से सन्तुष्टि के बारे मे प्रतिक्रिया

73वें सविधान सशोधन अधिनियम के पश्चात् न्याय पचायत व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है जबकि पूर्व मे पचायती राज व्यवस्था मे न्याय पचायत की व्यवस्था थी अत पुरानी व्यवस्था मे न्याय पचायत से सन्तुष्टि के बारे मे उत्तरदाताओ से जानकारी करने पर जनप्रतिनिधि वर्ग के 72 00% कार्मिक वर्ग के 34 00% एव नागरिक वर्ग में 57 00% उत्तरदाताओ ने पूर्ण रूप से सन्तुष्टि एव जनप्रतिनिधि वर्ग मे 15 00% कार्मिक वर्ग में 20 00% एव नागरिक वर्ग के 16 00% ने आशिक रूप से सन्तुष्टि का अभिमत प्रकट किया है जबकि जनप्रतिनिधि वर्ग मे 11 00% कार्मिक वर्ग मे 36 00% एव नागरिक वर्ग में 27 00% ने असन्तुष्टि जाहिर की है। अत उत्तरदाताओ से प्राप्त अभिमत से यह स्पष्ट होता

है कि पुरानी राज्य व्यवस्था में न्याय पचायत से अधिकाश उत्तरदाताओ ने 74 60% पूर्ण एव आशिक रूप से सन्तुष्टि का अभिमत प्रकट किया है।

नवीन पचायती राज व्यवस्था में न्याय पचायत व्यवस्था को समाप्त करने के बारे में 18 00% उत्तरदाताओ ने सही, 74 40% ने गलत बताया है जबकि 1 20% ने न सही न गलत तथा 6 40% ने कोई जानकारी उपलब्ध नहीं करवायी है। अतः उत्तरदाताओं के अभिमत विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि न्याय पचायत को नवीन व्यवस्था में समाप्त करना गलत कदम रहा है। न्याय व्यवस्था को पुनः लागू करने के बारे में समग्र उत्तरदाताओं में से 74 80% ने सकारात्मक अर्थात् न्याय व्यवस्था पुनः चालू करने के बारे में अभिमत प्रकट किया है शेष 22 40% ने विपक्ष में अभिमत प्रकट किया है एव 3.20% उत्तरदाताओं से इस बारे में प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। अतः न्याय पचायत व्यवस्था को पचायती राज सस्थाओं में पुन. लागू करवाने वालो का प्रतिशत अधिक 74 80 रहा है।

वार्ड सभा गठन पर प्रतिक्रिया

वार्डसभा के गठन के बारे में उत्तरदाताओं में से जनप्रतिनिधि वर्ग के 88 00%, कार्मिक वर्ग के 86 00% एव नागरिक वर्ग के 75 00% उत्तरदाताओं ने वार्डसभाओ के गठन को सही बतलाया है जबकि जनप्रतिनिधि वर्ग में 8 00%, कार्मिक वर्ग में 10 00% एव नागरिक वर्ग में 13 00% ने वार्डसभाओ का गठन गलत बतलाया है शेष उत्तरदाताओ ने प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की है। अत. अधिकाश 82 40% उत्तरदाताओं के अभिमत से वार्डसभाओ का गठन सही है ताकि आम जनता को पचायती राज सस्थाओं से प्रत्यक्ष रूप में जोड़ा जा सके एव इसमें सस्थाएँ जन-इच्छा के अनुरूप कार्य कर सके तथा जन-भागीदारी की पूर्णता हो।

73वें सविधान संशोधन अधिनियम के बारे में प्रतिक्रिया

पचायती राज व्यवस्था से सम्बन्धित सवैधानिक सशोधन के बारे में उत्तरदाताओ से जानकारी प्राप्त करने पर जनप्रतिनिधि वर्ग में 92.00%, कार्मिक वर्ग में शत-प्रतिशत एव नागरिक वर्ग में 72 00% को इस सशोधन की जानकारी है जबकि जनप्रतिनिधि वर्ग में 8 00% एव नागरिक वर्ग में 24 00% को जानकारी नहीं है शेष 4 00% नागरिक वर्ग के उत्तरदाताओ ने प्रत्युत्तर नहीं दिया है। अतः समग्र वर्ग के उत्तरदाताओं में 85 60% को 73वें सवैधानिक सशोधन अधिनियम की जानकारी होना एव 12 80% को जानकारी नहीं होना पाया गया है शेष 1 60% से प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

पचायती राज सस्थाओं मे 73वें सविधान सशोधन अधिनियम से आये परिवर्तनों के बारे में जानकारी करने पर जिन उत्तरदाताओं ने इस सम्बन्ध में अपनी राय प्रकट की है। उन उत्तरदाताओ में समग्र रूप से 61 68% का अभिमत है कि आरक्षण के कारण सभी वर्गों की भागीदारी में सुनिश्चित एव वृद्धि हुई, 32 24% ने ग्रामसभा से जन-चेतना आना, 43.46% ने महिला आरक्षण से महिला जनप्रतिनिधियों की सख्या में वृद्धि होना, 54 67% ने पचायती राज सस्थाओ को स्वायत्तता एव अधिकार सवैधानिक रूप से दिया जाना, 12 62% ने नौकरशाही की जवाबदेयता में वृद्धि होना, 22 43% ने आरक्षण के कारण थोपा हुआ नेतृत्व होने से विकास कार्य अवरुद्ध होना, 10 28% ने अशिक्षित जनप्रतिनिधियों के कारण भ्रष्टाचार में वृद्धि होना, 8 41% ने सरपचो के अधिकारो में वृद्धि करने से उनके द्वारा मनमानी कार्यवाही की जाना, 52 71% ने चुनावों की सवैधानिक समयावधि निश्चित होना, 6.07% ने

आरक्षण की अधिकता से सामान्य वर्ग के हितों पर कुठाराघात होना, 10 75% ने चक्रानुक्रम आरक्षण से जनप्रतिनिधियों के निर्वाचन क्षेत्रों में अस्थायित्व आना, [redacted] 97% ने चुनाव प्रक्रिया में परिवर्तन, 19 16% ने सदस्यो के चुनाव लडने के लिए दो बच्चों की पात्रता का रखा जाना, 2 34% ने ग्राम स्तर पर योजनाओं का सृजन होना 14 02% ने न्याय व्यवस्था को समाप्त करना, 1 87% ने अविश्वास प्रस्ताव सम्बन्धी परिवर्तन 14 95% ने स्वास्थ्य एव शिक्षा के प्रति चेतना व जागरूकता आना, 4 67% ने कार्यों के मूल्याकन होने से कार्यों में गुणवत्ता आना, 8 88% ने चुनावो में धनबल व जातिबल को बढावा मिलना आदि परिवर्तन आना अवगत करवाया है। इस प्रकार 73वाँ सविधान सशोधन अधिनियम से आये परिवर्तनों से इन सस्थाओं मे एक ओर जहाँ अच्छाइयाँ प्रदर्शित हो रही हैं तो दूसरी तरफ कुछ कमियाँ एव दोष भी परिलक्षित हो रहे हैं। अत: यह अधिनियम भी पचायती राज सस्थाओ के लिए पूर्ण विकल्प न होकर एक सफल प्रयास कहा जा सकता है।

73वें सविधान सशोधन अधिनियम से पचायती राज सस्थाओं को सवैधानिक दर्जा एव स्वायत्तता देने से जहाँ एक ओर क्रान्तिकारी परिवर्तन देखने को मिलता है वहीं दूसरी ओर अत्यधिक आरक्षण प्रावधान से योग्य एव अनुभवी जनप्रतिनिधियो की सख्या में कमी आयी है जो कि इन सस्थाओ के लिए अहितकर भी हो सकता है। नवीन अधिनियम से पचायती राज सस्थाओं की शक्तियों में आये अन्तर के बारे में जनप्रतिनिधि वर्ग के 59 00%, कार्मिक वर्ग के 58 00% एव नागरिक वर्ग के 86 00% उत्तरदाताओ ने पक्ष में अभिमत व्यक्त करते हुए इन सस्थाओ को शक्तियाँ मिलना अवगत करवाया है वही दूसरी तरफ जनप्रतिनिधि वर्ग के 41 00% कार्मिक वर्ग के 42% नागरिक वर्ग के 14 00% उत्तरदाताओ ने विपक्ष में अभिमत प्रकट करते हुए शक्तियाँ नहीं मिलना अवगत करवाया है। अत. समग्र उत्तरदाताओ में से 69 60% ने पचायती राज सस्थाओ की शक्तियो मे अन्तर आना एव शेष 30 40% उत्तरदाताओ ने अन्तर नहीं आना अवगत करवाया है।

जिन उत्तरदाताओ ने पचायती राज सस्थाओ की शक्तियो मे अन्तर आना अवगत करवाया है उसके अभिमत के अनुसार 51 72% ने ग्राम पचायतो की प्रशासनिक एव आर्थिक शक्तियो में वृद्धि होना 64 94% ने स्थानीय सस्थाओ को पर्याप्त स्वायत्तता मिलना, 2 87% ने निर्णय एव नियन्त्रण का अधिकार 13 79% ने ग्रामसभा का सशक्त इकाई के रूप में उभरना 2 30% ने ग्राम सचिव एव सरपच की ग्राम पचायत बजट की सामूहिक जिम्मेदारी तय होना 2 87% ने जिला परिषदो को अधिक वित्तीय एव प्रशासनिक अधिकार, 14 94% ने न्याय पचायत व्यवस्था का समाप्त होना आदि अन्तर आना अवगत करवाया गया। जिन उत्तरदाताओ ने पचायती राज सस्थाओ की शक्तियो मे अन्तर नहीं आना अवगत करवाया है उनके अभिमत से 22 37% ने व्यावहारिक रूप में सत्ता का सही रूप मे विकेन्द्रीकरण का अभाव होना, 14 47% ने जिला परिषद् की स्थिति, शक्तियाँ यथावत हो रहना, 36 84% ने सशक्त नेतृत्व के अभाव से वास्तविक शक्तियाँ प्राप्त न किया जाना 14 47% ने राजनैतिक हस्तक्षेप एव 17 11% ने समय पर आदेशो/निर्णयो की क्रियान्वितो न होना आदि कारणो से नवीन अधिनियम भी वास्तव मे शक्तियाँ दिलवाने में असफल रहने का मत व्यक्त किया है।

पंचायती राज सस्थाओं में लिए जाने वाले निर्णयो पर प्रतिक्रिया

पचायती राज सस्थाओ मे विभिन्न स्तरो पर लिये जाने वाले निर्णयो के बारे मे उत्तरदाताओं में से अधिकाश 66 40% ने बहुमत से एव [redacted] 60% ने सर्वसम्मति से निर्णय लेने

सम्बन्धी अभिमत जाहिर किया है। उत्तरदाताओ से पचायती राज सस्थाओं मे प्रस्ताव रखने सम्बन्धी जानकारी करने पर उनमें से जनप्रतिनिधि वर्ग के शत-प्रतिशत, कार्मिक वर्ग के 42 00% एव नागरिक वर्ग के 13 00% ने प्रस्ताव रखने का अभिमत दिया है जबकि कार्मिक वर्ग मे 58 00% एव नागरिक वर्ग में 87 00% ने प्रस्ताव नहीं रखने का अभिमत जाहिर किया है। आम जनता में जागरूकता के अभाव की प्रवृत्ति को प्रदर्शित करता है। इसलिए अभी भी पचायती राज सस्थाओ मे नागरिक वर्ग की व्यावहारिक रूप में भागीदारी नहीं हो पायी है।

पचायती राज सस्थाओ में सरपच, प्रधान, जिला प्रमुख के द्वारा जनता की बात नहीं सुनने पर उनके विरुद्ध की जाने वाली कार्यवाही के बारे में उत्तरदाताओ से जानकारी करने पर केवल 34 80% ने की जाने वाली कार्यवाही के बारे में अवगत करवाया है जबकि अधिकाश 65 20% उत्तरदाताओ ने कोई भी कार्यवाही नहीं करने सम्बन्धी अभिमत प्रकट किया है। जिन उत्तरदाताओ के अभिमत से कार्यवाही को जाना जाहिर किया है उनसे की जाने वाली कार्यवाही में 59 77% ने उच्चाधिकारियों को लिखना जैसे कलेक्टर, मत्री आदि, 12 64% ने सम्बन्धित विभाग को लिखना (विशेषकर जिला प्रमुख को), 10.34% ने न्यायालय की शरण ली जाना, 5 75% ने सचार माध्यमो के द्वारा दबाव बनाना, 5 75% ने नियम 84 के तहत राज्य सरकार को असहमति के प्रस्ताव भिजवाना, 6 90% ने अविश्वास प्रस्ताव लाने की कार्यवाही करना, 4 60% ने कानून के मुताबिक अन्य कार्यवाही की जाना अवगत करवाया है।

उत्तरदाताओ मे जिन अधिकाश उत्तरदाताओ द्वारा कार्यवाही नहीं की जाती है इसके कारणो की जानकारी करने पर उनमें से 77 30% ने कार्यवाही करने की आवश्यकता महसूस नहीं की जाना, 7.36% ने जानकारी का अभाव होना एव 15 34% ने जागरूकता एवं प्रक्रिया भूमिका का अभाव रहना आदि कारणो से कार्यवाही नहीं किये जाने सम्बन्धी मतव्य व्यक्त किया है।

पुरानी व नवीन व्यवस्था में अन्तर पर प्रतिक्रिया

अध्ययन हेतु चयनित उत्तरदाताओ में से पच, सरपच, प्रधान एव प्रमुख जो पूर्व में भी रह चुके हैं तथा वर्तमान व्यवस्था में भी है इसलिए इन उत्तरदाताओ ने दोनो व्यवस्थाओं को देखा है। अत· इन्होने पूर्व एव वर्तमान व्यवस्था में जो अन्तर बताये हैं उनमें से 60 61% उत्तरदाताओ ने पचायती राज व्यवस्था के विभिन्न स्तर ग्राम पचायत, पचायत समिति एव जिला परिषद् में पूर्व में सामजस्य एव सहयोग अधिक रहना लेकिन वर्तमान व्यवस्था में ये सस्थाएँ स्वतन्त्र इकाई के रूप में होने के कारण तथा दलीय आधार पर चुनावों से इनमें आपसी समन्वय एव सहयोग मे कमी आना, 36 36% ने चुनाव प्रक्रिया में परिवर्तन पूर्व मे प्रधान का चयन सरपचों एव जिला प्रमुख का चयन प्रधानो द्वारा किया जाता था। वर्तमान व्यवस्था में पचायत समिति सदस्यो एव जिला परिषद् सदस्यो द्वारा किया जाने लगा है तथा इन सस्थाओ मे पूर्व में दलीय आधार पर चुनाव की किसी स्तर पर व्यवस्था नहीं थी लेकिन अब पचायत समिति एव जिला परिषद् सदस्य दलीय आधार पर चयनित होकर वे क्रमश, प्रधान एव जिला परिषद् का दलीय आधार पर चयन करते हैं। वर्तमान व्यवस्था में 18 18% ने ग्राम सचिव की अधिक भागीदारी, 54 55% ने पचायती राज सस्थाओ को सवैधानिक दर्जा दिया

जाकर अधिक अधिकार एवं शक्तियाँ दिया जाना, 48.48% ने आरक्षण व्यवस्था से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की जनभागीदारी में वृद्धि होना, 12 12% ने ग्राम स्तर पर योजनाओं का नवीन व्यवस्था से सृजन करना, 48 48% ने समय पर चुनाव करवाने की संवैधानिक बाध्यता होना, 18 12% ने राज्य वित्त आयोग के गठन से पंचायती राज संस्था को अधिक वित्त मिलना, 60 61% ने निर्वाचन क्षेत्रों में आरक्षण चक्रानुक्रम रीति से अपनाया जाना, 54 55% ने अध्यक्ष पदों का आरक्षण होना, 36 36% ने प्रशासनिक जवाबदेयता में वृद्धि होना, 24 24% ने महिलाओं के लिए एक-तिहाई आरक्षण प्रावधानों से महिला जनप्रतिनिधियों की संख्या में वृद्धि होना, 12 12%, ने ग्राम स्तर पर योजनाओं का नवीन व्यवस्था से सृजन करना, 48.48%, ने समय पर चुनाव करवाने की संवैधानिक बाध्यता होना, 12.12%, ने राज्य वित्त आयोग के गठन से पंचायती राज संस्थाओं को अधिक वित्त मिलना, 60 61%, ने निर्वाचन क्षेत्रों में आरक्षण चक्रानुक्रम रीति से अपनाया जाना, 54 55%, ने अध्यक्ष पदों का आरक्षण होना, 36 36%, ने प्रशासनिक जवाबदेयता में वृद्धि होना, 24 24%, ने सदस्यों के निर्वाचन हेतु दो सन्तानों की अर्हता रखा जाना, 12 12% ने अविश्वास प्रस्ताव के प्रावधानों में परिवर्तन होना, एवं 48 48% ने न्याय पंचायत व्यवस्था को समाप्त किया जाना आदि नवीन एवं पुरानी व्यवस्था में अन्तर आना अवगत करवाया है।

पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा एवं जवाबदेयता के सम्बन्ध में अभिमत

उत्तरदाताओं से ग्रामसभा, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषदों को संवैधानिक दर्जा दिये जाने के बारे में जानकारी करने पर उनमें से जनप्रतिनिधि वर्ग एवं कार्मिक वर्ग के शत-प्रतिशत एवं नागरिक वर्ग में से 61 00% ने सहमति व्यक्त करते हुए उनको जानकारी होना अवगत करवाया है जबकि नागरिक वर्ग में 13 00% ने नकारात्मक प्रत्युत्तर दिया है शेष 26 00% ने इस बारे में अनभिज्ञता जाहिर की है। अत: समग्र उत्तरदाताओं में से 84 40% ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिये जाने की पुष्टि की है जबकि 5 20% ने पुष्टि नहीं की है शेष 10 40% ने इस बारे में अनभिज्ञता प्रकट की है।

प्रशासकों एवं जनप्रतिनिधियों की जवाबदेयता के सम्बन्ध में समग्र उत्तरदाताओं में से 57 60% ने जवाबदेयता में वृद्धि होना अवगत करवाया है जबकि 36 40% ने वृद्धि नहीं होना अवगत करवाया है शेष 6 40% में जानकारी का अभाव रहा है।

महिलाओं की सक्रिय भूमिका के सन्दर्भ में प्रतिक्रिया

पंचायती राज संस्थाओं में पूर्व में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए समुचित प्रतिनिधित्व की व्यवस्था नहीं थी। वस्तुत: कोई भी प्रजातान्त्रिक व्यवस्था तब तक सार्थक नहीं हो सकती जब तक उससे निर्वाचन व्यवस्था के माध्यम से समाज के सभी वर्गों को शासन कार्यों में भागीदारी एवं स्वशासन का समुचित अवसर प्राप्त न हो। इसलिए 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा महिलाओं के लिए पंचायती राज संस्थाओं में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले कुल संख्या के एक-तिहाई से अन्यून स्थान आरक्षित किये गये। महिलाओं के लिए एक-तिहाई स्थान आरक्षित होने से पंचायती राज संस्थाओं के जनप्रतिनिधियों में महिलाओं की संख्या में वृद्धि होने से अब यह

प्रश्न स्वाभाविक रूप से खड़ा हो गया है कि महिलाओं को पचायती राज सस्थाओं में सक्रिय भूमिका कितनी रह पाती है। इस सम्बन्ध में चयनित उत्तरदाताओ में से जनप्रतिनिधि वर्ग के 37.00%, कार्मिक वर्ग के 64 00% एव नागरिक वर्ग के 14 00% उत्तरदाताओं ने महिलाओं को सक्रिय भागीदारी होना अवगत करवाया है जबकि इसके विपरीत जनप्रतिनिधि वर्ग के 63 00% कार्मिक वर्ग के 36 00% एव नागरिक वर्ग में 86 00% ने महिलाओं को सक्रिय भागीदारी नहीं होना अभिमत प्रकट किया है। अत: समग्र रूप से कुल उत्तरदाताओं में से 23 20%, उत्तरदाताओ ने ही महिलाओं को सक्रिय भूमिका निभाने के पक्ष में अभिमत प्रकट किया है जबकि अधिकाश 66 80% उत्तरदाताओं ने महिलाओ को भूमिका को सक्रिय नहीं रहना अवगत करवाया है। महिलाओ को सक्रिय भूमिका नही रहने के कारणो में मुख्य रूप से महिलाओ का घरेलू कार्यों मे व्यस्त रहने एव समयाभाव को कमी, अशिक्षित होने से अपने पद के दायित्वो को जानकारी का अभाव, रुचि का अभाव, पर्दाप्रथा, सामाजिक बन्धन व समाज को रूढिवादी विचारधारा, प्रशासनिक कार्यों से अनभिज्ञता, सकोच की भावना, अनुभव की कमी, स्वय के विवेक से निर्णय नहीं लिया जाना आदि कई कारकों से महिलाएँ बैठको में भी बहुत कम अकेली आती हैं बल्कि अपने साथ परिवार के किसी सदस्य या रिश्तेदार को साथ लेकर आती है तथा महिला सरपच होने पर उसका कार्य उसके सरपच पति, प्रधान पति या जिला प्रमुख पति या अन्य व्यक्ति द्वारा किया जाता है वह केवल नाम मात्र ही अपनी स्थिति बनाये रखती है। अत ऐसी स्थिति में परिवर्तन वक्त पर छोड दिया जाना उचित लगता है।

पचायती राज सस्थाओ में महिलाओ को सक्रिय भागीदारी हालाकि अत्यल्प रह रही है हालाकि आरक्षण प्रावधान से महिला जनप्रतिनिधियों को सख्या मे वृद्धि हुई है क्योंकि समाज के एक बडे वर्ग को अपने अधिकारो से वचित नहीं किया जा सकता है। अत: महिला जनप्रतिनिधियो को जागरूक बनाने के लिए प्रशिक्षणो एव शिविरो का आयोजन कर महिला जनप्रतिनिधियो को उनके अधिकारों एव कर्त्तव्यों का अहसास दिलाना होगा ताकि अशिक्षित महिला जनप्रतिनिधि भी नियमो के दायरे मे प्रशासन से अपनी बात मनवा सकें। महिलाओ की भागीदारी को सक्रिय बनाने हेतु ग्राम स्तर पर महिला विचार गोष्ठियाँ, साक्षरता अभियान, सेमीनार, महिला सगठनों का गठन, महिला प्रशिक्षण आदि पर विशेष ध्यान देकर इनमें महिलाओं को अधिक से अधिक भाग लेने को प्रेरणा एव जागृति पैदा की जानी चाहिए।

पंचायती राज संस्थाओं पर आरक्षण व्यवस्था से कार्य-प्रणाली पर प्रभाव के सम्बन्ध में प्रतिक्रिया

आरक्षण व्यवस्था का एक मात्र उद्देश्य निम्न वर्ग के लोगो का सर्वांगीण विकास करना है। महिलाएँ समाज का एक महत्त्वपूर्ण अग है इसलिए महिलाओ को विकास की धारा से जोडने के लिए उन्हें आरक्षण देकर पुरुषों के साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर चलाने से विकास को बल मिलेगा। पचायती राज सस्थाओ में आरक्षण व्यवस्था से इनकी कार्यप्रणाली, क्षमता, कुशलता एव सगठन पर पडने वाले प्रभावो के बारे में उत्तरदाताओं से जानकारी करने पर उनमे से जनप्रतिनिधि वर्ग के 73 00% कार्मिक वर्ग के 58 00% एव नागरिक वर्ग के 84 00% समग्र उत्तरदाताओ मे से 74 40% ने पचायती राज सस्थाओ में जनभागीदारी का

बढना एव कार्मिक वर्ग के 18 00% ने सस्थाओ को निर्णय लेने की शक्तियाँ मिलना अवगत करवाया है।

चयनित कुल उत्तरदाताओ मे से 74 40% उत्तरदाताआ ने पचायती राज सस्था म जनभागीदारी का बढना 3 60% ने सस्थाओ को निर्णय लेने की शक्तियाँ मिलना 22 40% ने स्थानीय समस्याआ पर ज्यादा ध्यान दिया जाना 23 20% ने विकास कार्यों का अच्छा होना अवगत करवाया है वहीं दूसरी ओर 18 00% उत्तरदाताआ ने विपरीत प्रभाव पडना एव 1 60% ने कोई परिवर्तन नहीं होना भी अवगत करवाया है।

पचायती राज की पुरानी व्यवस्था से नवीन व्यवस्था में सरपच प्रधान जिला प्रमुख की भूमिका के आकलन हेतु उत्तरदाताओं मे से 77 20% के अभिमत से सरपच प्रधान एव जिला प्रमुख की भूमिका अधिक सक्रिय प्रभावी एव उपादेय नवीन व्यवस्था में होना माना गया है जो कि पचायती राज व्यवस्था की सफलता के लिए शुभ सकेत है। पचायती राज व्यवस्था में 54 00% उत्तरदाताओं ने सरपच को 1 60% ने प्रधान को 22 00% ने जिला प्रमुख को एव 15 20% ने सभी को प्रभावी भूमिका होना जाहिर किया है। अत नवीन व्यवस्था में सरपच अधिक शक्तिशाली एव प्रभावी हुए है।

पचायती राज सस्थाओ मे समन्वय व सहयोग पर प्रतिक्रिया

पचायती राज सस्थाओ में समन्वय एव सहयोग के सम्बन्ध में समग्र उत्तरदाताओ में से अधिकाश 58 00% उत्तरदाताओ ने समन्वय एव सहयोग का नहीं पाया जाना अवगत करवाया है जबकि केवल 33 60% ने ही समन्वय एव सहयोग रहना अवगत करवाया है। नवीन व्यवस्था ने ग्राम पचायत पचायत समिति एव जिला परिषद् में समन्वय एव सहयोग को कम किया है जो कि पचायती राज की असफलता का भविष्य में कारण बन सकता है। अत नवीन व्यवस्था से पचायती राज सस्थाओ में समन्वय एव सहयोग में जो कमी आयी है उसको दूर करने हेतु उत्तरदाताआ ने कुछ सुझाव दिये हैं। उत्तरदाताओं में 55 86% ने सरपच को पचायत समिति एव प्रधान को जिला परिषद् का मताधिकार के साथ सदस्य बनाया जाना 38 62% ने दलीय आधार पर चुनाव व्यवस्था समाप्त करना 17 24% ने पुरानी व्यवस्था पुन कायम की जाना एव 3 45% ने प्रधान एव प्रमुख का चुनाव सरपच की तरह प्रत्यक्ष रूप से करवाये जाने सम्बन्धी सुझाव दिये हैं।

अविश्वास प्रस्ताव के सबध मे प्रतिक्रिया

अविश्वास प्रस्ताव के नवीन प्रावधानो की चयनित उत्तरदाताओ में से 72 80% को जानकारी है जबकि 24 40% को जानकारी नहीं है शेष 2 80% से प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हो सका है।

अविश्वास प्रस्ताव में दो वर्ष तक अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाने के नियम के बारे में 90 91% उत्तरदाताओ ने सही एव 8 79% उत्तरदाताओ ने गलत बताया है। शेष 1 10% ने प्रत्युत्तर नहीं दिया है। अत दो वर्ष तक अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाने का नियम उपयुक्त कहा जा सकता है।

नवीन पंचायती राज व्यवस्था से सन्तुष्टि पर प्रतिक्रिया

नवीन पंचायती राज व्यवस्था के बारे में चयनित उत्तरदाताओं से जानकारी करने पर 60.80% उत्तरदाताओं ने सन्तुष्टि, 22.40% ने आंशिक रूप से सन्तुष्टि एवं 16.80% ने नवीन पंचायती राज व्यवस्था से असन्तुष्टि प्रकट की है। अतः नवीन पंचायती राज व्यवस्था के प्रति केवल 16.80% ने असन्तुष्टि जाहिर की है। शेष अधिकांश उत्तरदाताओं ने सन्तुष्टि एवं आंशिक रूप से सन्तुष्टि जाहिर करने के कारण नवीन व्यवस्था को सही कहा जा सकता है।

पंचायती राज संस्थाओं को अधिक प्रभावशाली बनाने हेतु सुझाव

पुरानी पंचायती राज की व्यवस्था कमियों को सुधारने एवं संस्थाओं में जनभागीदारी बढ़ाने हेतु 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को जन-आकांक्षाओं के अनुरूप बनाने का प्रयास किया गया। अध्ययन हेतु चयनित उत्तरदाताओं द्वारा पंचायती राज संस्थाओं की कार्य-प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने हेतु ग्रामसभा, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद् स्तर पर सुधार हेतु जो सुझाव संस्तुतियाँ दी गई हैं उनको अग्रोल्लेखित किया गया है।

ग्रामसभा को प्रभावशाली बनाने हेतु सुझाव

ग्राम पंचायत वृत्त के गाँव में सभी वयस्क लोगों को मिलाकर एक सभा बनायी जाती है। यह सभा 'ग्रामसभा' कहलाती है। ग्रामसभा की बैठकें नियमित रूप से नहीं बुलाई जाती तथा बैठकों में उपस्थिति भी बहुत अच्छी नहीं होती। ग्रामसभा ने अभी तक लोगों में उत्साह भी और रुचि के अभाव के मुख्य कारण बैठकों सम्बन्धित सूचना जारी नहीं की जाती और समय पर उन्हें प्रचारित नहीं किया जाता बहुत से सरपंच ग्रामसभा की ओर से उदासीन रहते हैं तथा बैठकें आयोजित नहीं करते, ग्रामसभा के विचारित बिन्दु पूर्व निर्धारित नहीं होते तथा अशिक्षित लोगों का बाहुल्य होने से ग्राम सभा का महत्त्व नहीं समझ पा रहे हैं। ग्रामसभा को जब तक ग्रामवासी अपनी खुद की सभा अन्तःकरण से स्वीकार नहीं करेंगे तब तक ग्रामसभा अपने वास्तविक उद्देश्यों को पूरा नहीं कर पायेगी। ग्रामसभा को प्रभावी बनाने हेतु 93.60% उत्तरदाताओं ने जो सुझाव दिये हैं उनका विवरण नीचे दिया गया है। प्रतिशत कोष्ठक (%) में दर्शाया गया है। सुझाव इस प्रकार हैं—

1. ग्रामसभा की बैठक की सूचना सभी ग्रामवासियों को दी जानी चाहिए तथा ग्रामसभा की बैठक के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाना चाहिए। इस कार्य हेतु पटवारी, ग्राम सेवक एवं अध्यापकों की सेवाओं का भी उपयोग लिया जा सकता है। [46.15%]
2. ग्रामसभा के अधिकार एवं शक्तियों के बारे में कार्यशाला एवं अन्य माध्यमों से जनता को समझाया जाकर जनता में जागृति पैदा की जानी चाहिए। [12.82%]
3. ग्रामसभा की बैठकें वर्ष में चार बार होनी चाहिए। प्रत्येक त्रैमास की समाप्ति पर। [23.08%]
4. ग्रामसभा में सरपंच, प्रधान एवं जिला प्रमुख की उपस्थिति अनिवार्य की जानी चाहिए ताकि जनता से सीधा संवाद स्थापित हो सके। इसके अलावा विधायक सांसद भी वर्ष में एक बार ग्रामसभा की बैठक में जनता से सम्पर्क स्थापित करें। [15.38%]

5 सार्वजनिक उत्सवो के दिन ग्रामसभा की बैठक नहीं रखी जानी चाहिए। (जैसे 26 जनवरी 15 अगस्त 2 अक्टूबर एव अन्य उत्सव) [24.36%]

6 ग्रामसभा की कार्यवाही जनता की भावनाओ के अनुसार चलायी जानी चाहिए। ग्राम जीवन को प्रभावित करने वाले मुद्दे जैसे गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालो का चयन ऋण आवेदन-पत्र पचायत का बजट पचायत के कार्यों का विवरण योजनाओ की प्रगति पचायत के कार्यों का विवरण योजनाओ की प्रगति अनुदानो का उपयोग विद्यालय और सहकारी समितियो की व्यवस्था लेखा परीक्षण की रिपोर्ट आदि पर ग्रामसभा मे विचार-विमर्श होना चाहिए। [28 21%]

7 ग्रामसभा की बैठको मे पचायत समिति एव जिला परिषद् के अधिकारी भी उपस्थित होने चाहिए। इसके साथ ही पटवारी ग्राम सेवक और सहकारी समिति के व्यवस्थापक तथा बैंको के प्रतिनिधि की उपस्थिति निश्चित की जानी चाहिए। [15.38%]

8 ग्रामसभा की बैठक की कार्यवाही विवरण उसी समय लिखा जाना चाहिए तथा निर्णय को पढकर सुनाया जाना चाहिए एव बैठक के विवरण पर हस्ताक्षर करवाये जाने चाहिए। [33 33%]

9 ग्रामसभा मे उपस्थिति की सख्या निश्चित की जानी चाहिए अर्थात् ग्रामसभा का जो कोरम निर्धारित हो उसका व्यवहार में पालन होना चाहिए। [10 26%]

10 ग्रामसभा मे पूर्ण रूप से ग्राम पचायत का लेखा-जोखा प्रस्तुत करने की अनिवार्यता को व्यावहारिक रूप दिया जाना चाहिए। [17 09%]

11 ग्रामसभा मे लिए गए निर्णयो की क्रियान्विती की निश्चितता एव समयावधि निर्धारित की जाकर उसी अनुरूप कार्यवाही होनी चाहिए। [33.33%]

12 ग्रामसभाओ के लिए एक वरिष्ठ आर ए एस अधिकारी को प्रभारी अधिकारी बनाया जाना चाहिए। [5.56%]

13 ग्रामसभा की नियमित बैठक बुलाने के लिए सरपचो को उत्तरदायी होना चाहिए। [5 56%]

14 ग्रामसभा की बैठके ऐसे समय मे बुलाई जानी चाहिए जिस समय कृषि कार्यों की व्यस्तता न हो ताकि कृषक वर्ग ग्रामसभा की बैठक मे भाग ले सके। [3 85%]

15 ग्रामसभा की बैठक एक ही दिन पचायत समिति क्षेत्र मे नहीं होनी चाहिए। [15.38%]

16 ग्रामसभा की बैठको मे महिलाओ की उपस्थिति की सख्या भी निश्चित की जानी चाहिए। [5 13%]

17 ग्रामसभा द्वारा की जाने वाली शिकायतो के शीघ्रता से कार्यवाही होनी चाहिए। [4.70%]

ग्राम पचायतो को प्रभावशाली बनाने के लिए सुझाव

ग्राम पचायतों में पचो की कार्य में रुचि का अभाव जनता के अनुरूप कार्य नहीं होना योजनाओं में तकनीकी परामर्श का अभाव तकनीकी कर्मचारियों द्वारा कार्यों का समय पर एव निष्पक्ष मूल्याकन नहीं किया जाना पशु चरागाहों की उचित व्यवस्था न होना साधनो का अभाव राजस्व एव पुलिस विभाग का असहयोग गुटबदी/दलगत राजनीति नियमो की जटिलता दोषी के खिलाफ कार्यवाही में विलम्ब ग्रामसभाओं की सक्रियता का अभाव आदि कई कारणों से ग्राम पचायतें अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में सफल नहीं हो रहा हैं।

पचायतें पचायती राज की आधारशिलाएँ हैं। पचायतों की सुदृढता और शक्ति पर ही पचायती राज का सफल और प्रभावपूर्ण क्रियान्वयन निर्भर करता है। ग्राम पचायतों को सवैधानिक दर्जा एव स्वायत्तता देने के उपरान्त भी ग्राम पचायतें व्यावहारिक स्वरूप को प्राप्त करने में अभी पूर्णत सफल नहीं हो पाया हैं। इसी सम्बन्ध में 95.20% उत्तरदाताओं से प्राप्त सुझावो का उल्लेख यहाँ किया जा रहा है। उत्तरदाताओं के सुझावों का प्रतिशत कोष्ठक (%) में दिया गया है।

1 लोगों की सामान्य समस्याओ को सुलझाने के लिए ग्राम पचायतो को समुचित अधिकार व्यावहारिक रूप में दिये जायें ताकि आम जनता की स्थानीय समस्याओं का हल पचायत क्षेत्र में किया जाए। [7.32%]

2 ग्राम पचायतो में पक्षपातपूर्ण विकास एव योजनाओ की क्रियान्विती पर प्रतिबन्ध लगाकर समान रूप से योजनाओं का लाभ दिया जाना चाहिए। [14.63%]

3 न्याय पचायत व्यवस्था को पुन गठित किया जाकर प्रभावी क्रियान्वयन होना चाहिए। [31.70%]

4 सतर्कता समितियों में अच्छे अनुभवी व्यक्तियो को रखा जाये ताकि इन समितियों का उपयोगिता हो सके। [12.19%]

5 राजस्व और पुलिस विभाग के कर्मचारियों की आवश्यकता पडने पर समुचित सहयोग प्रदान करने हेतु उनकी बाध्यता होनी चाहिए। [17.07%]

6 दोषी व्यक्तियो के विरुद्ध जैसे गबन आचरण कार्य की लापरवाही आदि पर कार्यवाही शीघ्र होनी चाहिए चाहे वह व्यक्ति सरकारी कर्मचारी हो या जनप्रतिनिधि। [9.76%]

7 सरपच को मताधिकार के साथ पचायत समिति का सदस्य बनाया जाना चाहिए। [53.66%]

8 विभिन्न विभागों मे समन्वय होना चाहिए। विभागों के द्वारा ग्राम पचायतों की त्रुटियो की तरफ ही ध्यान न देकर उनको दूर करने व सुधारने का प्रयास किया जाना चाहिए। जुर्माने की राशि वसूल करने में प्रशासनिक मदद मिलनी चाहिए। [5.46%]

9 ग्राम पचायतो को तकनीकी कार्यों में पूर्ण सहयोग मिलना चाहिए। तकनीकी कमियों के कारण अनावश्यक परेशान न किया जाये तथा नियमो का सरलीकरण हो ताकि सामान्य व्यक्ति समझ सके। [16.39%]

10 पचायतों की आय बढाने के स्रोत विकसित कर इनको आर्थिक सुदृढता प्रदान की जावे अर्थात् शुल्क आदि लगाने का अधिकार दिया जावे। [17.07%]

11 नियमों के विरुद्ध सरपच या ग्राम सचिव पचायत राशि स्वय के पास न रखें तथा राशि बैंक पचायत खाते मे ही रखी जानी चाहिए। [4 88%]

12 एक पचायत पर एक ग्राम सचिव रखा जाना चाहिए एव ग्राम पचायत का कार्यालय प्रतिदिन खुलना चाहिए। [17 07%]

13 ग्राम पचायत स्तरीय प्रशासनिक इकाइयो को पचायत के अधीन कर दिया जाना चाहिए। [7 98%]

14 ग्राम पचायतो मे अनियमितता होने पर उसकी जाँच शीघ्र होनी चाहिए एव ग्राम पचायतो में कच्चे कार्यों को करवाने की योजना समाप्त कर दी जानी चाहिए क्योकि इन कार्यों में राशि के गबन एव अनियमितताओ की सम्भावना अधिक रहती है। [7 32%]

15 ग्रामीण विकास की समस्त योजनाएँ ग्राम पचायतो को दी जानी चाहिए एव प्रशासन द्वारा उसमे सहयोग किया जाना चाहिए। लेकिन अनावश्यक राजनीतिक दखल नहीं होना चाहिए। [31 70%]

16 ग्राम पचायतो मे बैठको हेतु कोरम निश्चित होना चाहिए तथा ग्राम पचायत की बैठको म लिये गये निर्णयो की क्रियान्विति पचायती राज सस्था अधिकारियो द्वारा की जानी चाहिए। [9 76%]

17 विकास कार्य ठेके पर दिये जाने चाहिए जो ग्रामसभा द्वारा अनुमोदित हो। विकास कार्य पी डब्ल्यू डी की बी एस आर की दर से करवाये जाने चाहिए। [7.32%]

18 पेयजल व्यवस्था बजट के साथ ग्राम पचायतों को दी जानी चाहिए। [4 88%]

19 सरपच चुनने पर एव कार्यकाल समाप्त होने पर सरपच की सम्पत्ति एव आय का ब्यौरा लिया जाना चाहिए। [2.44]

20 कार्यों का भौतिक सत्यापन होना चाहिए। [7.32%]

21 ग्राम पचायतो में शिकायत पुस्तिका होनी चाहिए। [2.44%]

22 अविश्वास प्रस्ताव की नवीन व्यवस्था समाप्त कर पुरानी व्यवस्था लागू की जानी चाहिए। [4 88%]

पचायत समिति को प्रभावशाली बनाने हेतु सुझाव

पचायत समितियाँ पचायती राज व्यवस्था में प्रभावशाली कार्यकारी इकाई का रूप धारण कर चुकी है फिर भी पचायत समितियाँ वांछित गति एव कुशलता से हस्तान्तरित योजनाओ को क्रियान्वित नहीं कर पायी है। अत 91% उत्तरदाताओ ने पचायत समिति को अधिक प्रभावी बनाने हेतु निम्नलिखित सुझाव दिये हैं—

1 पचायत समितियो मे विकास अधिकारी राजस्थान प्रशासनिक सेवा (RAS) के अधिकारी होने चाहिए। [21 62%]

2 प्रधान का चुनाव सरपच की तरह प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा होना चाहिए या पूर्व व्यवस्था वापिस लागू की जानी चाहिए। सरपच को पचायत समिति का मताधिकार के साथ सदस्य बनाया जाना चाहिए। [54.05%]

3 प्रधान को जिला परिषद् का सदस्य मताधिकार के साथ बनाया जाना चाहिए। [67.57%]

4 प्रधान को वित्तीय अधिकार दिये जाने चाहिए। [13.51%]

5 सरपचों के वित्तीय गबन के खिलाफ कार्यवाही करने का अधिकार पचायत समिति को दिया जाना चाहिए ताकि शीघ्र कार्यवाही हो सके। अथात् पचायत समिति को न्यायिक अधिकार दिये जाने चाहिए। [8.11%]

6 पचायत समिति को निजी आय के स्रोतो म वृद्धि अर्थात् निजी आय बढाने की अधिक अधिकार दिये जाने चाहिए। [5.41%]

7 पचायत समिति के निर्णयो का प्रभावी क्रियान्वयन जिला प्रशासन द्वारा शीघ्रता से किया जाना चाहिए। [13.51%]

8 पचायत समिति के कार्यों का आकलन करते हुए स्टाफ जिसम विशेषकर तकनीकि कर्मचारी बढाये जाने चाहिए। [16.22%]

9 ग्रामीण विकास के कार्यों का मूल्याकन तकनीकि कर्मचारियो द्वारा सतर्कता समिति के माध्यम से करवाया जाना चाहिए ताकि भ्रष्टाचार को रोका जा सके। [13.51%]

10 हैण्डपम्प सधारण का कार्य *PHED* विभाग को मय स्टाफ के हस्तान्तरित कर दिया जाना चाहिए। [2.70%]

11 पचायत समिति सदस्यो के निर्वाचन की व्यवस्था समाप्त की जानी चाहिए अथवा इनको प्रशासनिक एव वित्तीय शक्तियाँ अपने क्षेत्र में 2 लाख रु तक खर्च करने की दी जानी चाहिए। [64 86%]

12 नौकरशाही के प्रभाव को कम किया जाना चाहिए। [16.22%]

13 पचायत समितिया को विकास योजनाओ के आकलन के आधार पर अधिक वित्त की व्यवस्था की जानी चाहिए। [10.81%]

14 पचायत समिति को नियन्त्रण एव निर्देशन की भूमिका निभानी चाहिए जैसे विकास कार्यों का निरीक्षण एव भौतिक सत्यापन ग्राम सेवक के कार्यों का निरीक्षण—रिकार्ड आदि का अवलोकन विद्यालयो का निरीक्षण आदि कार्य। [18.91%]

15 पचायत समिति की स्थायी समितियो के कार्य मे गुणवत्ता/सुधार किया जाना चाहिए ताकि आम जनता उनके कार्यों से सन्तुष्ट हो सके। [5.41%]

16 पचायत समिति कार्यालय पर विकास योजनाओ की पूर्ण जानकारी उपलब्ध करवाने की व्यवस्था होनी चाहिए। [2 70%]

17 प्रधान को पचायत समिति कायालय मे सप्ताह मे तीन दिन आने, ग्रामो के भ्रमण एव समस्याओ के समाधान करने आदि कार्यों मे सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। [8.11%]

18 योजनाओ की क्रियान्विती एव स्वीकृति निष्पक्ष रूप से होनी चाहिए। [8.11%]

19 विधायक को पचायत समिति का मताधिकार के साथ सदस्य होने के साथ-साथ बैठको में नियमित रूप से उपस्थित होना चाहिए। [5.41%]

जिला परिषद् को प्रभावशाली बनाने हेतु सुझाव

पचायती राज सस्थाओ मे विद्यमान कमियो एव दुर्बलताओ के कारण पचायती राज सस्थाएँ अपने वास्तविक दायित्वो का निर्वाह करने मे असफल रहती है। पचायती राज सस्थाओ की शीर्ष इकाई जिला परिषद् मे भी अपने कर्त्तव्यो को पूरा करने की दिशा मे गम्भीरतापूर्वक प्रयत्न नहीं किया है। वे पचायत समितियो में सामंजस्यपूर्ण कार्य व्यवस्था लाने की दृष्टि से उपयुक्त मार्गदर्शन नहीं कर सकी है। समय पर बजट पेश नहीं कर पाना क्रियान्वयन में देरी, अधिकारो का अभाव, सिफारिशो को महत्व न देना अधिकारियो पर नियन्त्रण का अभाव आदि कमियाँ रही हैं। अत जिला परिषदो को प्रभावी बनाने हेतु 33 72% उत्तरदाताओ ने जो सुझाव दिये हैं उनका उल्लेख नीचे दिया जा रहा है। कोष्ठक ( ) में उत्तरदाताओ का प्रतिशत दर्शाया गया है।

1 निर्णयो की क्रियान्विती यथावत् रूप मे, प्रभावी ढग से होनी चाहिए। [16 67%]

2 जिला प्रमुख को प्रशासनिक एव वित्तीय अधिकार दिये जाने चाहिए। [25 00%]

3 जिला परिषद् सदस्यो की चुनाव व्यवस्था समाप्त की जानी चाहिए या सदस्यो के लिए विकास कार्यों हेतु 5 लाख रु का अलग से उन्हे बजट आवटित किया जाना चाहिए। इन सदस्यो की निर्णयो एव विकास कार्यों में भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए। [55 56%]

4 समितियो की बैठक नियमित होनी चाहिए। [11 11%]

5 जिला परिषद् के द्वारा पचायत समितियो एव पचायतो के कार्यों का प्रभावी निरीक्षण एव नियन्त्रण होना चाहिए। [13 89%]

6 प्रधान को जिला परिषद् का मताधिकार के साथ सदस्य बनाया जाना चाहिए। [52 77%]

7 जिला परिषद् मे कार्य मूल्यांकन के आधार पर स्टॉफ होना चाहिए। [19.44%]

8 जिला प्रमुख का चयन सरपंच की तरह प्रत्यक्ष निर्वाचन से होना चाहिए ताकि भ्रष्टाचार कम हो। [22 22%]

9 जिला परिषद् मे योग्य प्रशासक होना चाहिए। [2 78%]

10 जिला परिषद् एव जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (डी आर डी ए.) को एक-साथ मिला दिया जाना चाहिए। [19 44%]

11 नौकरशाही पर प्रशासनिक नियन्त्रण प्रभावशाली होना चाहिए। [5.56%]

12 अधिनियम की अनुसूची (3) के समस्त अधिकार जिला परिषद् को हस्तान्तरित कर दिये जाने चाहिए। [19.44%]

13 जिला प्रमुख को हर माह प्रत्येक पचायत समिति मे जाकर उनकी समस्या सुनने एव निराकरण का कार्य करना चाहिए। [5.56%]

अन्य सामान्य सुझाव

पचायती राज सस्थाओ के विभिन्न स्तर ग्रामसभाओं, ग्राम पचायतों, पचायत समितियों एव जिला परिषदो के प्रभावी क्रियान्विति के लिए उल्लेखित पूर्व सुझावों के अलावा कुछ कारण ऐसे हैं जो कि पचायती राज सस्थाओं को कार्यप्रणाली को प्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। अत: पचायती राज सस्थाओ को कार्यप्रणाली में सुधार एव इन्हे व्यावहारिक रूप में अधिक उपयोगी बनाने हेतु कार्मिक वर्ग, जनप्रतिनिधि वर्ग में अधिक उपयोगी बनाने हेतु कार्मिक वर्ग, जन्प्रतिनिधि वर्ग एव नागरिक वर्ग से चयनित उत्तरदाताओं द्वारा दिये गये अन्य सामान्य सुझावो का उल्लेख करना शोधकर्ता अपना कर्तव्य समझता है। शोधकर्ता ने अध्ययन-अध्यापन एव ग्राम में जीवन के यथार्थ के अनुभव तथा उत्तरदाताओ से साक्षात्कार के दौरान जो अनकहे एहसास शब्दबद्ध किये एव विभिन्न राष्ट्रीय-स्थानीय सगोष्ठियो मे विचार मथन से जो कुछ सिखा-पाया वहीं सामान्य सुझावो हेतु अति महत्त्वपूर्ण लगा। यदि इन सुझावो को भी सरकार तव्ज्जो प्रदान करे तो ये सस्थाएँ जीवतता एव सक्रियता तथा परिणमोत्पादकता के आशानुकूल शिखर पर पहुँच पाने में सक्षम हो सकती है। यथा—

1 जनप्रतिनिधियो को नियम-प्रक्रिया, अधिकारो एव कर्त्तव्यो की जानकारी हेतु गहन प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।

2 निर्वाचन हेतु न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता निश्चित हो।

3 इन सस्थाओ में दलीय आधार पर चुनाव प्रतिबन्धित हो।

4 जनप्रतिनिधि एव सस्थाएँ अपनी कार्यशैली पारदर्शी एव जवाबदेय बनाये।

5 सस्था अध्यक्षो के चुनाव में लॉटरी व्यवस्था समाप्त हो।

6 आरक्षण व्यवस्था सीमित एव विवेक-सम्मत होनी चाहिए।

7 पचायती राज सस्थाओ को न्यायिक शक्तियाँ क्षेत्राधिकार के अनुकूल प्रदान की जानी चाहिए।

8 जनप्रतिनिधियो के मानदेय में पर्याप्त वृद्धि होनी चाहिए।

9 एक ग्राम पचायत पर एक ग्राम सचिव नियुक्त हो।

10 उप-सरपच, उपप्रधान, उप-जिला प्रमुख को या तो शक्तियाँ व दायित्व सौंपे जाने चाहिए अन्यथा ये पद समाप्त कर दिये जाने चाहिए।

11 पचायत समिति सदस्यो एव जिला परिषद् सदस्यो के निर्वाचन की अनुपयोगी एवं खर्चीली व्यवस्था समाप्त कर पूर्व व्यवस्था लागू कर दी जानी चाहिए।

12 भ्रष्ट व आपराधिक प्रवृत्ति के लोगो के निर्वाचन पर कडे प्रतिबन्ध लागू किये जाने चाहिए।

13 पचायती राज सस्थाओ द्वारा मानवाधिकारो की सुरक्षा व उनको सीमा का निर्धारण किया जाना चाहिए।

14 जनहित याचिकाओ के उपयुक्त निपटारे के लिए समय-सीमा का निर्धारण तथा कानूनी सलाहकारो की नियुक्ति का प्रावधान किया जाना चाहिए। ताकि स्थगन आदेशो की समस्या से निपटा जा सके।

15 जनता के सूचना के अधिकार को इन संस्थाओ पर एक निश्चित सीमा एव मानदण्डों के दायरे में लागू कर देना चाहिए।
16 विवादो के निर्णयो की समय-सीमा निर्धारित होनी चाहिए।
17 संस्थाओं के कार्यों व भूमिका का समय-समय पर अनिवार्यत मूल्याकन होना चाहिए।
18 पचायती राज सस्थाओ के हर स्तर पर जन-सहभागिता मे वृद्धि के प्रयास किये जाने चाहिए न कि जनता से कैसे बचा जाए, की नीति से चला जाए।
19 योजना विकास व अधिकार कोरी घोषणाएँ व कागजी कार्यवाही मात्र बन कर न रहे उन्हें शीघ्रव्यवहार मे अमल मे लाया जाये।
20 आरक्षण में मतदाताओ के जनप्रतिनिधि चुनने के प्राकृतिक अधिकार का हनन होता है। वे इच्छित व्यक्ति की अपेक्षा आरोपित व्यक्ति को चुनने पर बाध्य हो जाते हैं अत आरक्षण समाप्त कर दिया जाना चाहिए (एक प्रबुद्ध उत्तरदाता की राय)।
21 पचायतो को राज्य सरकार द्वारा लगाये जाने वाले करों से सीधा हिस्सा मिलना चाहिए।
22 खेती का राजस्व पचायतो को दिया जाना चाहिए।
23 सरपच के चुनाव परिणाम पचायत समिति मुख्यालय पर घोषित होने चाहिए।
24 स्थानीय कर्मचारियो को अपने पचायत समिति क्षेत्र से बाहर नियुक्त किया जाना चाहिए।
25 क्षेत्र में विकास जनित समस्याओ के निराकरण की भी व्यवस्था होनी चाहिए।
26 सामान्य निर्वाचन क्षेत्र से आरक्षित वर्ग के व्यक्ति द्वारा चुनाव लड़ना प्रतिबन्धित हो।
27 चुनावो में फर्जी मतदान एवं अपराधिक प्रवृत्ति वाले जनप्रतिनिधियो पर रोक लगाने के व्यावहारिक उपाय किये जाने चाहिए।
28 जनप्रतिनिधियो को पद एव जिम्मेदारी के अनुरूप क्षेत्र मे मासिक भ्रमण अनिवार्य होना चाहिए तथा उनसे क्षेत्र भ्रमण का अवलोकन लेना चाहिए ताकि पारदर्शिता एव जवाबदेयता कायम हो सके।
29 पचायती राज सस्थाओ के सभी स्तरो पर आदेशो की पालना सुनिश्चित होनी चाहिए।
30 दसवे वित्त आयोग की सिफारिशो की व्यावहारिक रूप मे क्रियान्विती निश्चित की जानी चाहिए।
31 पचायती राज सस्थाओ को व्यावहारिक रूप मे प्रशासनिक एव वित्तीय शक्तियाँ उपलब्ध करवायी जानी चाहिए।
32 ग्रुप सचिवों को भी एक या दो सप्ताह के लिए प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।
33 पचायती राज सस्थाओ की बैठकों में जनप्रतिनिधियो एव अधिकारियो की उपस्थिति आवश्यक रूप से होनी चाहिए।
34 पचायती राज सस्थाओ में रिकार्ड का रख-रखाव अच्छी तरह होना चाहिए।
35 साला लट्ठ और लॉटरी (ल-त्रय) की समस्या से पचायती राज सस्थाएँ मुक्त की जानी चाहिए।

भावी शोध हेतु सुझाव

पचायती राज व्यवस्था प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रीकरण विकास, कल्याण एव निर्णयन व सत्ता मे जन-भागीदारी सशक्त माध्यम है। देश का अधिकाश जन व भूभाग पचायती राज व्यवस्था के दायरे में आता है। अत पचायती राज व्यवस्था का विकास भारत का विकास है तथा पचायती राज व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रीकरण का एव राष्ट्र का सुदृढ़ीकरण है। 21वीं सदी की अपनी चुनौतियाँ एव समस्याएँ शोधापेक्षित है। भावी शोध के दृष्टिकोण से निम्नलिखित मुद्दे सम्भावित अपरिहार्य शोधापेक्षित है—

1 पचायती राज . विभाग एव विकास की चुनौतियाँ।

2 पचायती राज एव मानवाधिकार सुरक्षा।

3 73वे सविधान सशोधन के परिप्रेक्ष्य मे पचायती राज सस्थाओ की स्थिति : दशा-दिशा एव औचित्य।

4 नवीन पचायती राज सशोधित तन्त्र मे कार्मिक प्रशासन प्रकृति-स्थिति-भूमिका एव यथार्थ जनता एव जनप्रतिनिधियो के विशेष सम्बन्ध में।

5 पूर्ववर्ती एव नवीन पचायती राज व्यवस्था मे पचायती राज सस्थाओ की कार्यप्रणाली का तुलनात्मक अध्ययन।

6 पचायती राज पदाधिकारियो की स्थिति-शक्ति एव भूमिका का पुरातन एव नवीन पचायती राज व्यवस्था के सन्दर्भ में तुलनात्मक अध्ययन।

7 पचायी राज सस्थाओ मे जनप्रतिनिधियो के प्रशिक्षण की व्यवस्था : समस्या समाधान—विकल्प।

8 73वे सविधान सशोधन प्रदत्त तन्त्र से सरकारी नियन्त्रण एव स्वायत्तता की स्थिति।

9 पचायती राज सस्थाओ में आरक्षण एव जनसहभागिता—नवीन पचायती राज सशोधित प्रावधानो के सन्दर्भ मे।

10 जनप्रतिनिधि निर्वाचन योग्यताओ के सन्दर्भ मे नवीन एव पूर्ववर्ती पचायती राज प्रारूपो का तुलनात्मक अध्ययन।

11 पचायती राज सस्थाओ में योजना निर्माण क्रियान्वयन एव मूल्याकन में जनसहभागिता।

12 पचायती राज सस्थाओ में प्रशासनिक उत्तरदायित्व एव पारदर्शिता की स्थिति।

13 पचायती राज सस्थाओ मे निर्वाचन व्यवस्था, प्रक्रियाओ एव नियमो का पूर्ववर्ती एव नवीन प्रारूपो में तुलनात्मक अध्ययन।

14 ग्राम पचायतो में भ्रष्टाचार : समस्या समाधान-सुझाव, (जनता, जनप्रतिनिधि व प्रशासन की भूमिका के विशेष सन्दर्भ मे)।

15 पचायती राज सस्थाओ में कार्यालय प्रबन्धन।

16 पचीयती राज सस्था प्रशासन में मनोबल एव शिष्टाचार।

उपर्युक्त बिन्दुओ पर पचायती राज व्यवस्था के सम्बन्ध में भावी शोध-शोधार्थी एव पचायती राज व्यवस्था दोनो के उपयोग एव हितार्थ उपयुक्त है।

□□□

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1 अल्तेकर, ए एस , *प्राचीन भारतीय शासन पद्धति* देहली, मोतीलाल बनारसी दास, 1949

2 अग्रवाल एस एन , *गाँधियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्री इण्डिया* इलाहाबाद, *किताबिस्तान, 1946*

3 अजनि कुमार जमदग्नी, *जयप्रकाश नारायण*, लोक स्वराज्य प्रिन्टवेल पब्लिशर्स जयपुर, 1987

4 अय्यर, एस पी , एड श्रीनिवासन आर , *स्टैडीज इन इंडियन डेमोक्रेसी*, न्यू देहली, एलाईड पब्लिशर्स, 1965

5 अय्यर, एम के मुनी स्वामी, *स्टेटरी ग्राम पचायतस (विलेज लॉकल सेल्फ गवर्नमेन्ट) इन ब्रिटिश इण्डिया* कलकत्ता एम पी गाँधी, 1929

6 अवस्थी, ए , *रुरल लॉकल सेल्फ गवर्नमेन्ट (डिस्ट्रिक्ट काऊसिल एड लॉकल बोर्डस) इन मध्य प्रदेश,* पी एच डी थिसिस लखनऊ यूनिवर्सिटी, 1954

7 अवस्थी, ए.पी , *रुरल लॉकर सेल्फ गवर्नमेन्ट इन मध्यप्रदेश अडर द जनपद स्कीम,* पी एच डी थिसिस, सागर यूनिवर्सिटी, 1961

8 अब्दुल अजीज, *द रुरल पुअर प्राब्लम्स एड प्रोसपैक्टस*, एशिया पब्लिशिंग हाऊस, न्यू देहली, 1983

9 ऐडल्फर, हैराल्ड एफ , *लॉकल गवर्नमेन्ट इन डवलपिंग कन्ट्रिस,* न्यूयोर्क मैकग्राहिल क , 1964

10 अरोडा, रमेश कुमार, एव पी सी माथुर, (सम्पादित) *डवलपमेन्ट पॉलिसी एड एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया,* न्यू देहली, एसोशियेटेड पब्लिशिंग हाऊस, 1986

11 ब्राईस, *माडर्न डेमोक्रेसीसस*, न्यूयोर्क, मैकमिलन, वाल्यूम प्रथम 1921

12 बाफना आर के एव पारस जैन, *राजस्थान पचायत समिति एव जिला परिषद अधिनियम, 1959,* बाफना पब्लिशर्स, जयपुर 1987

13 बाबेल, बसतीलाल, *राजस्थान पचायतीराज अधिनियम, 1994,* बाफना पब्लिकेशस

14 भटनागर, एस , *पचायतीराज इन काँगडा डिस्ट्रिक्ट, न्यू देहली, ऑरियन्ट लॉगमेन,* 1974

15 भार्गव, जी एस , *पचायतीराज सिस्टम एड पॉलिटिकल पार्टिस,* न्यू देहली, आशिष पब्लिशिंग हाऊस, 1979

16 भोगले, एस के , *लॉकल गवर्नमेन्ट एड एडमिनिस्ट्रेशन इन इडिया, परिमल प्रकाशन,* औरगाबाद, 1977

17 बारन बास, ए पी , *ब्रिगिग डेमोक्रेसी टू द विलेज,* कलकत्ता, वाईएमसीए पब्लिशिंग हाऊस, 1955

18 भट्ट, के शकर नारायण *पचायतीराज इन मैसूर,* पी एच डी थिसिस, बोम्बे यूनिवर्सिटी, 1966

19 भाट्टाचार्य, मोहित, *रुरल सेल्फ गेवर्नमेन्ट इन मैट्रोपॉलिटिन,* कलकत्ता, बोम्बे एशिया पब्लिशिग हाऊस, 1965

20 बर्थ, जे सी चार्ल्स, *गवर्नमेन्ट एडमिनिस्ट्रेशन,* उद्धृत पी डी शर्मा, *लोकप्रशासन सिद्धान्त एव व्यवहार,* कॉलेज बुक डिपो, जयपुर 1991

21 चतुर्वेदी, जी डी , *मध्य प्रदेश की शिवपुरी मण्डल के पचायतीराज एक विश्लेषण,* पीएच डी , थिसिस, जीवाजी यूनिवर्सिटी, 1976

22 चेत सिह, ए *क्रिटीकल स्टैडी ऑफ रुरल सेल्फ गवर्नमेन्ट इन बरेली डिस्ट्रिक्ट फ्रोम, 1984 टू द प्रजेन्ट डे विद स्पेशल रेफरेन्स टू पचायतीराज,* पीएच डी थिसिस, आगरा यूनिवर्सिटी, 1964

23 चरण सिह, *इडियाज पावर्टी एड सोल्यूशन,* एशिया पब्लिशिग हाऊस, दिल्ली,

24 दाडेकर, वी एम., *डेमोक्रेटिक डिसेन्ट्रलाईजेशन,* अहमदाबाद, हेराल्ड लास्की इन्सिट्यूट ऑफ पॉलिटिकल साइस, 1968

25 दयालराजेश्वर, *पचायतीराज इन इडिया,* देहली मैट्रोपोलेटन, 1970

26 दूभाषी, पी आर., *एडमिस्ट्रेटिव रिफार्म्स,* बी आर. पब्लिशिग कॉरपोरेशन, दिल्ली, 1986

27 दूबे, एस.सी ; *इडिया चेजिग विलेज,* रुटेल्ज एड केगनपाऊल, लन्दन, 1996

28 देसाई, बसन्त, *पचायतीराज पॉवर टू द पिपूल (बोम्बे हिमालय),* 1990

29 दादा धर्माधिकारी, *सर्वोदय दर्शन सर्व सेवा सघ प्रकाशन,* वाराणसी, 1971

30 डाईसीस, *लॉ एड ऑपिनीयन इन इग्लैण्ड,* उद्धृत पी डी शर्मा, तुलनात्मक राजनीतिक सस्थाऐं, कॉलेज बुक डिपो, 1969

31 दीक्षित, प्रेम कुमारी, *रामायण में राज्य व्यवस्था,* अर्चना प्रकाशन, लखनऊ, 1971

32 दीक्षित, प्रेम कुमारी, *महाभारत में राज्य व्यवस्था,* अर्चना प्रकाशन, लखनऊ, 1970

33 गाँधी, महात्मा, *ग्राम स्वराज्य नवजीवन प्रकाशन,* अहमदाबाद, 1963

34 गवर्नमेन्ट ऑफ इडिया मिनिस्ट्र ऑफ रुरल डवलपमेंट *रिन्यूविग लॉकर सेल्फ गवर्नमेंट इन इडिया,* न्यू देहली, 1994

35 घोषाल, यू एन *स्टैडी इन इडियन,* हिस्ट्री एंड कल्चर, कलकत्ता, 1957

36 गजेन्द्र, गडकर पी बी *लॉ लिबर्टी एड सोशल जस्टीस,* देहली, 1972

37. गायकवाड, *वी आर पचायतीराज एड ब्यूरोक्रेसी,* हैदराबाद, नेशनल इन्स्टिटयूट ऑफ कम्यूनिटी डवलपमेन्ट, 1969

38 गोयल, बी के , *थोट्स ऑफ गाँधी,* नेहरु एड टैगोर, सी बी एस पब्लिशर्स दिल्ली, 1984

39 गुजरात पचायत एड हैल्थ डिपार्टमेन्ट *पचायतीराज इन गुजरात* अहमदाबाद, 1965 (अध्यक्ष जादव जी भाई के मोदी)

40 हेली, लार्ड फोरवर्ड टू ह्यू टींकर्स *फाउडेशन ऑफ लॉकल सेल्फ गवर्नमेन्ट इन इडिया,* पाकिस्तान एड बर्मा, उद्धत XII बी माहेश्वरी द्वारा स्टैज इन पचायतीराज, देहली मेट्रोपोलेटिन, 1963, पृ 4

41 हरपाल सिह, *पचायतीराज इन मेरठ डिस्ट्रिक्ट,* पीएच डी थिसिस आगरा यूनिवर्सिटी, 1970

42 हूजा, राकेश, *एडमिनिस्ट्रेटिव इन्टरवेन्शस इन रुरल डवलपमेन्ट* रावत पब्लिकेशनस, जयपुर 1987

43 हल्दी पुर, आर एन एड आर के परम हस (सम्पा) *लोकल गवर्नमेन्ट इन रुरल इडिया,* हैदराबाद, इन आई सी डी , 1970

44 हरमन, फाईनर, *थ्योरिज एड प्रैक्टिज ऑफ माडर्न गवर्नमेन्ट* बोम्बे, एशिया, 1966

45 ईमानदार, एन आर , *फगशनिग ऑफ विलेज पचायत,* बोम्बे, पापुलर प्रकाशन 1970

46 जेकाब, जोर्ज (सम्पा), *रिडिगस इन पचायतीराज,* हैदराबाद एन आई सी डी , 1967

47 जगन्नाथम्, आर., *इवोल्यूशन ऑफ कम्यूनिटी डवलपमेन्ट प्रोग्राम इन न्यू देहली* मिनिस्ट्री ऑफ कम्यूनिटी डवलपमेन्ट इन कॉपरेशन गवर्नमेन्ट ऑफ इडिया, 1963

48 जैन, आर.बी , *पचायतीराज वॉल्यूम फ्रोम आई आई पी ए ,* नई दिल्ली, 1981

49 जार्ज, मैथ्यू (एडी , *पचायतीराज इन कर्नाटका टू डे, न्यू देहली कॉन्सेप्टस* 1985

50 जैन, एस पी , एड थॉमस डब्ल्यू हार्वाच सैन, *इमर्जिग ट्रैण्डस् इन पचायतीराज (रुरल लॉकल सेल्फ गवर्नमेन्ट) इन इडिया,* नेशनल इस्टीट्यूट ऑफ रुरल डवलपमेट, हैदराबाद, 1995

51 झा चेतकर, *इडियन लॉकर सेल्फ गवर्नमेन्ट* पटना नॉवल्टी, 1955

52 जायसवाल, के पी , *हिन्दू पॉलेटी,* बैंग्लोर प्रिटिंग एव पब्लिशिग कम्पनी, 1978

53 खिलवर, मैत्स, *पचायतीराज ऑफ इडिया डिबेड इन ए डवलपिग कन्ट्री (स्टॉकहोम),* स्वीडिश, इटरनेशनल डवलपमेंट अथोरिटी 1977

54 खन्ना, आर एल , *पचायतीराज इन इडिया,* ए कम्पेरिटिव स्टैडी चडीगढ, इगलिश बुक शॉप 1956

55 कबीर, हूमायु, *विज्ञान जनतत्र और ईस्लाम एव अन्य निबध,* अनुवादक रघुराज गुप्त, अमिताभ प्रकाशन, लखनऊ, 1946

56 मेडिक, हैनरी, *पचायतीराज, ए स्टैंडी ऑफ रुरल लॉकल गवर्नमेन्ट इन इण्डिया,* लन्दन, लॉग मेन्स ग्रोन, 1970

57 मूलचन्दानी, एन एम , *कॉन्सिट्यूशन ऑफ इडिया,* ए दौलत पब्लिकेशनस, नागपुर, 1994, मालवीया एच डी विलेज पचायत इन इडिया, न्यू देहली, ऑल इडिया काग्रेस कमेटी, 1956

58 माहेश्वरी, एस आर., *भारत मे स्थानीय शासन,* लक्ष्मीनारायण अग्रवाल, आगरा, 1990

59 माथुर, एम बी , इकबाल नारायण (एडी), *पचायतीराज प्लानिग एड डेमोक्रेसी,* एशिया पब्लिशिग हाऊस, 1969

60 एम वेकटरगईया एड पट्टाभीराम (सम्पा), *लॉकल गवर्नमेन्ट इन इडिया,* सलेक्टेड रिडिगस, बोम्बे एलाईट पब्लिशिर्स, 1970

61 माथुर, पी सी , *पॉलिटिकल डाईनामिक्स ऑफ पचायतीराज,* देहली, कौनार्क पब्लिशर्स, प्रा लि , 1991

62 मुखर्जी, *राधा कुमुद लोकल गवर्नमेंट इन इडिया,* ऑक्सफोर्ड इन, 1920

63 एम ए., मुतालिब एड मोहम्मद करम अली खान, *थ्यौरी ऑफ लोकल गवर्नमेट,* स्टरलिग पब्लिशर्स, नई दिल्ली, 1983

64 माहेश्वरी, बी , *स्टॅडी इन पचायतीराज,* ए मट्रोपोलेटियन, देहली, 1963

65 मिश्रा, एन एल , *रिस्पोन्सिव एडमिनिस्ट्रेशन,* अमर ज्योति पब्लिकेशस, मगल मार्ग, जयपुर, 1989

66 माथुर, एम बी , इकबालनारायण एड बी एम सिन्हा, *पचायतीराज इन राजस्थान,* ए स्टैडी इन जयपुर डिस्ट्रिक्ट, न्यू देहली, इम्पैक्स इडिा, 1966

67 मथाई, जोन, *विलेज गवर्नमट इन ब्रिटिश इडिया,* लन्दन, टी फिशर उनविन, 1915

68 मिश्रा, रूप नारायण, *विलेज गवर्नमेंट इन उत्तर प्रदेश,* पीएच डी थिसिस, आगरा यूनिवर्सिटी, 1958

69 नरवाली, जी एस , *राजस्थान पचायतीराज मेनूअल,* डोमिनियन लॉ डिपो, जयपुर 1997

70 निगम, एस आर., *लोकल गवर्नमट,* एस चॉद एड कम्पनी, नई दिल्ली, 1987

71 निगम, मदन लाल, *मध्यप्रदेश मे पचायतीराज और उसकी कार्यविधिया,* पीएच डी थिसिस, विक्रम यूनिवर्सिटी, 1968

72 नारायण, जयप्रकाश *स्वराज्य फॉर द पीयूपिल,* वाराणसी, अखिल भारत, सर्व सेवा सघ 1961

73 नारायण जयप्रकाश, *कम्यूनीटेरियन सोसाइटी एड पचायतीराज (एडीट)*, द्वारा ब्रह्मानन्द वाराणसो, नवचेतना, 1970

74 नारायण, जयप्रकाश, *ए प्ली फॉर रिकसट्रेक्सन ऑफ इडियन पॉलिटिक्स*, काशी सर्वसेवा सघ प्रकाशन, 1959

75 पाण्डे, जयनारायण, *भारत का सविधान*, सेन्ट्रल लॉ एजेन्सी इलाहाबाद, 1997

76 पूर्वा, विजयलक्ष्मी, *पचायत्स इन उत्तर प्रदेश*, (लखनऊ, यूनिवर्सल बुक डिपो 1959)

77 रूमकी बसु *पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्सेप्ट एड थ्यौरिज*, स्टरलिग पब्लिशर्स, न्यू देहली, 1996

78 राम मनोहर लोहियास, *विल टू पॉवर एड अदर राईटिंगस*, हैदराबाद, नव हिन्द पब्लिकेशस, 1956

79 राम, पाण्डे, ए *हिस्टोरिकल डेस्क्रिपशन*, (उद्धत) पचायतीराज सपादित लेख राम पाण्डे जयपुर, पब्लिशिग हाऊस जयपुर 1989

80 ऋग्वेद,

81 राम शास्त्री, *आर कौटिल्याज अर्थशास्त्र*, प्रिन्टर्स प्रेस, मैसूर, 1956

82 राव बी पी नरसिह, *एजूकेशन एक्सपॉनशन विल हेल्प स्ट्रैन्थन पचायतीराज (सम्पादित)*, देवेन्द्र ठाकुर, डिस्ट्रिक्ट प्लेनिग एड पचायतीराज, 1991

83 रॉर्टि, चेम्र्स, *रुरल डवलपमेंट पुटिग द फस्ट* ऑरियन्ट लागमेस, 1983

84 रघवीर, सहाय, *पचायतीराज इन इडिया*, ए स्टैडी, इलाहाबाद किताब महल, 1968

85 राम रेड्डी जी (एडीटैड), पैटर्नस ऑफ पचायतीराज इन इडिया, देहली, मैकमिलन, 1977

86 रैत्जॉल्फ, राल्फ एच , *विलेज गवर्नमेंट इन इडिया ए केस स्टैडी*, बोम्बे, एशिया, पब्लिशिग हाऊस, 1962

87 राय, नरेश चन्द्र, *रुरल सेल्फ गवर्नमेंट इन बगाल*, कलकत्ता, यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता, 1936

88 शुम्पीटर, जोसफ ए , *कैपिटलिज्म, सोशियलिज्म एड डेमाक्रेसी*, उद्धत, रघुकुल तिलक, लोकतत्र स्वरूप एव समस्याए, उत्तर प्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, लखनऊ, 1972

89 शर्मा, पी डी , *लोकप्रशासन सिद्धान्त और व्यवहार*, कॉलेज बुक डिपो, जयपुर, 1969

90 शर्मा, एम पी , *पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन थ्यौरिज एड प्रक्टिस*, किताब महल प्रकाश, इलाहाबाद, 1990

91 सुरेश, राम, *तूफान यात्रा* सर्व सेवा सघ प्रकाशन, वाराणसी, 1966

92 शरण परमात्मा, *पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इडिया*, मीनाक्षी प्रकाशन, मेरठ,

93 शर्मा, घनश्याम दत्त, *मध्यकालीन भारतीय, सामाजिक आर्थिक एव राजनीतिक सस्थाए*, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर, 1992

94 शरण परमात्मा, *प्रोविशियल गवर्नमेंट ऑफ दी मुगल्स*, मीनाक्षी प्रकाशन, मेरठ,

95 शर्मा, रवीन्द्र, *ग्रामीण स्थानीय प्रशासन*, प्रिन्ट वेल पब्लिशियर्स, जयपुर, 1985

96 शर्मा, कृष्ण दत्त एव श्रीमती सुनिता दाधीच, *राजस्थान पचायतीराज अधिनियम*, एवन एजेन्सिज, 1992

97 शर्मा, रवीन्द्र, *विलेज पचायतीराज इन राजस्थान*, आलेख पब्लिशियर्स, जयपुर, 1974

98 शर्मा, एस.के *पचायतीराज इन इडिया*, ए स्टैडी ऑफ रिफॉर्म्स एट सेन्टर एड स्टेट लेवल सिन्स इन्डिपेण्डेन्स, त्रिमूर्ति पब्लिकेशस, न्यू देहली, 1976

99 शर्मा, आर डी , *डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इन इडिया प्रोबल्मस एड प्रोस्पैक्टस*, दीप एड दीप पब्लिकेशस, देहली, 1990

100 सामान्त, एस वी , *विलेज सेल्फ गवर्नमेंट इन बोम्बे स्टेट*, पीएच डी थिसिस, बोम्बे यूनिवर्सिटी, 1957

101 शर्मा, प्रभुदत्त, *डेमोक्रेटिक डिसेन्ट्रलाईजेशन इन द स्टेट ऑफ राजस्थान इडिया*, पीएच डी , थिसिस, यूनिवर्सिटी ऑफ, मिन्ससोटा, 1967

102 शर्मा, सुदेश कुमार, *पचायतीराज इन इडिया, ए स्टेडी ऑफ रिफॉर्म्स एड सेन्टर एड स्टेट लेवल सिन्स इन्डिपेण्डेण्स*, न्यू देहली, त्रिमूर्ति पब्लिकेशस, 1976

103 शर्मा, विद्यासागर, *पचायतीराज*, इलाहाबाद हिन्दी प्रकाशन मन्दिर, 1956

104 शुक्ला, एल पी , *हिस्ट्री ऑफ विलेज पचायत इन इडिया*, नासिक, चन्द्रिका शुक्ला, 1970

105 तिवारी, गगादत्त, *रुरल सेल्फ गवर्नमेंट इन कुमाऊ हिल्स*, पी एच डी थिसिस, आगरा यूनिवर्सिटी 1962

106 त्रिपाठी, श्रीधर, *विलेज गवर्नमेंट इन इडिया*, पीएच डी थिसिस, *कोलम्बिया यूनिवर्सिटी*, 1957

107 यूनाइटेड नेशन्स टेक्नीकल असिस्टेशन प्रोग्राम, *डिसेंट्रालाइजेशन फॉर नेशनल एड लोकल डवलपमेंट*, न्यूयार्क, 1962

108 वर्मा, राघवेन्द्र कुमार, *विलेज पचायत इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश एड राजस्थान*, पीएच डी थिसिस, विक्रम यूनिवर्सिटी, 1967

109 व्हाईट एड डी , *इन्ट्रोक्शन टू द स्टैडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन*, यूरेशिया पब्लिशिग हाऊस, लि , दिल्ली, 1982